Tuesday, 1 March 1994

लोक सभा वाद-विवाद
का
हिन्दी संस्करण

(Ninth Session)

(खण्ड 36 में अंक 1 से 10 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य: पचास रुपये

1 मार्च, 1994 के लोक सभा वाद-विवाद के

हिन्दी संस्करण का शुद्धि - पत्र

पृष्ठ	पंक्ति	के स्थान पर	पढ़िए
मुख पृष्ठ तथा (1)	6 और 2 क्रमशः	नवा और नवां क्रमशः	नौवां
4	10	0.82	0.02
16	7	श्री रोप कापसे	श्री राम कापसे
18	19	प्रो. आधावरण झा	प्रो. आधादरण झा
37	9, कालम 1	मसाला और लक्षद्वीप के लोप कीजिए।	
37 कालम	कालम 3, पंक्ति 9 के पश्चात्	लक्षद्वीप के 1 अंतःस्थापित किया जाए।	
38	23, कालम 2	उड़ीसा, सिक्किम, अंडमान	उड़ीसा, सिक्किम, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह
93	13	श्री जी. गोडेगौड़ा	श्री जी. माड़े गौडा
138	9	श्री एस. बी. थोरात	श्री संदीपन भगवान थोरात
158	4	श्री अंकुशराव रावसाहेब टोपे	श्री अंकुशराव टोपे
194	ऊपर से 6	श्री एस. एस. लाल जान बाशा	श्री एस. एम. लालजान बाशा
229	13	डा. वल्लभ पाणिग्रही	श्री वल्लभ पाणिग्रही
249	15	सम्बन्ध	बारे

विषय सूची

दशम माला, खंड 28, नवां सत्र, 1994/1915 (शक)

अंक 6, मंगलवार, 1 मार्च, 1994/10 फाल्गुन, 1915 (शक)

विषय		**पृष्ठ**
प्रश्नों के मौखिक उत्तर		**1-26**
*तारांकित प्रश्न संख्या :	81 से 85	1-23
प्रश्नों के लिखित उत्तर		**26-249**
तारांकित प्रश्न संख्या :	86 से 100	26-70
अतारांकित प्रश्न संख्या :	867 से 883, 885 से 904, 906 से 927, 929 से 975, 977 से 999, 1001 से 1036 और 1038 से 1096	75-247
पश्चिम बंगाल में महिलाओं पर अत्याचार के बारे में		**249**
मंत्री द्वारा वक्तव्य		**253**
21-1-1994 को उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद जिले में दौना गांव में एक दलित महिला की परेड कराने की घटना		
श्री पी.एम. सईद		253
सभा पटल पर रखे गये पत्र		**264-268**
समितियों के लिए निर्वाचन		**268-271**
(एक) प्राक्कलन समिति		268
(दो) लोक लेखा समिति		268
(तीन) सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति		269
(चार) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति		270

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित † चिन्ह इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस ही सदस्य ने पूछा था।

विषय	पृष्ठ
नियम 377 के अधीन मामले	**271-275**
(एक) तालचेर, उड़ीसा में कोल इंडिया लिमिटेड का एक नया डिवीजन खोले जाने की आवश्यकता	
श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही	271
(दो) हिमाचल प्रदेश को अतिरिक्त वित्तीय सहायता देने की आवश्यकता	
श्री कृष्ण दत्त सुल्तानपुरी	272
(तीन) राजस्थान की लंबित ताप विद्युत परियोजना को मंजूरी देने की आवश्यकता	
श्री शिव चरण माथुर	272
(चार) उड़ीसा में ब्रिमित्रापुर से बनारपाल के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग के सुधार के लिए समुचित धनराशि स्वीकृत करने की आवश्यकता	
कुमारी फ्रिडा तोपनो	273
(पांच) विदेशी कंपनियों से भारतीय समुद्र में मछली पकड़ने के लिए दी गई अनुमति वापस लिये जाने की आवश्यकता	
श्री काशीराम राणा	273
(छः) उड़ीसा में खरासरोटा नदी पर जकोदिहा अनिकट परियोजना के शीघ्र जीर्णोद्धार की आवश्यकता	
श्री अनादि चरण दास	274
(सात) दक्षिण 24 परगना जिले में बनतला में प्रस्तावित समेकित और व्यावसायिक काम्पलेक्स के निर्माण हेतु पश्चिम बंगाल सरकार को वित्तीय सहायता प्रदान करने की आवश्यकता	
श्री सनत कुमार मंडल	274

(आठ) देश में केन्द्रीय विद्यालय खोलने के विषय में स्पष्ट नीति बनाने की आवश्यकता

डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय 275

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव **275-333**

श्री जसवंत सिंह 275

श्री राम विलास पासवान 289

श्री कृपासिन्धु भोई 300

श्रीमती सुशीला गोपालन 304

श्री एम.आर. कादम्बूर जनार्दनन 314

श्री राजवीर सिंह 318

श्री पवन कुमार बंसल 325

कार्य मंत्रणा समिति

अड़तीसवां प्रतिवेदन – प्रस्तुत 333

लोक सभा

मंगलवार, 1 मार्च 1994, 10 फाल्गुन, 1915 (शक)

लोक सभा 11 बजे म.पू. पर समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

चीनी का उत्पादन

*81. **श्री के. राममूर्ती टिंडिवनाम :**
डा. रामकृष्ण कुसमरिया :

क्या **खाद्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1993-94 में आज तक देश में चीनी का राज्यवार कुल कितना उत्पादन हुआ;

(ख) क्या चीनी का उत्पादन लक्ष्य से कम हुआ है;

(ग) यदि हां, तो कितना कम हुआ है;

(घ) केन्द्रीय पूल में राज्यवार कितनी चीनी उपलब्ध करायी गयी;

(ङ) इस वर्ष कितनी चीनी का निर्यात करने का विचार है, और

(च) चीनी का उत्पादन बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) से (च) एक विवरण सभा के पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) 1993-94 चीनी मौसम के दौरान 7-2-1994 तक देश मे चीनी का कुल उत्पादन 56.92 मीटरी टन हुआ था जबकि पिछले वर्ष इसी तारीख तक यह उत्पादन 56.57 लाख टन हुआ था। 7-2-1994 तक चीनी के उत्पादन के राज्यचार आंकड़े उपाबन्ध में हैं।

(ख) व (ग) आठवीं पंचवर्षीय योजना के लिए चीनी उद्योग के लिए विकास कार्यक्रम तैयार करने के लिए गठित समिति ने 1993-94 चीनी मौसम के लिए 127.76 लाख टन चीनी के उत्पादन का लक्ष्य रखा था। उत्पादन की वर्तमान प्रवृत्ति से ऐसा लगता है कि चीनी का उत्पादन लक्ष्य से कम होगा। तथापि, उत्पादन में कमी का सही मूल्यांकन करना जल्दबाजी होगा।

(घ) आंशिक नियंत्रण की वर्तमान नीति, जो 17-12-1979 से चली आ रही है, के तहत प्रत्येक चीनी फैक्ट्री के कुल चीनी उत्पादन का एक विशेष प्रतिशत (ऐसी फैक्ट्रियों को छोड़कर जो विभिन्न प्रोत्साहन योजनाओं के तहत आती हैं तथा जो उच्चतर खुली बिक्री कोटे की पात्र होती हैं) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से वितरण के लिए अधिसूचित एक्स फैक्ट्री लेवी मूल्यों पर लेवी की चीनी के रूप में रिलीज किया जाता है। 1992-93 से लेवी तथा खुली बिक्री की चीनी का अनुपात 40 : 60 है। लेवी की चीनी के वितरण के लिए कोई अलग केन्द्रीय पूल नहीं रखा जा रहा है।

(ङ) 1992-93 चीनी मौसम के उत्पादन में से यू.एस.ए. को निर्यात के लिए तरजीही कोटे के रूप में 7271 मीटरी टन चीनी की मात्रा अधिसूचित की गई है। इसके अतिरिक्त यूरोपीय आर्थिक समुदाय को 10,000 मीटरी टन चीनी के तरजीही कोटे का निर्यात किया जा सकता है। भारत-नेपाल व्यापार संधि के तहत नेपाल को 20,000 मी. टन लेवी चीनी के निर्यात का भी प्रस्ताव है।

(च) 1993-94 चीनी मौसम के दौरान सरकार ने चीनी का उत्पादन बढ़ाने के लिए निम्नलिखित उपाय किए हैं :

(1) 1-10-93 से 15-11-93 तक की अवधि के दौरान किए गए उत्पादन पर चीनी मिलों को 60 प्रतिशत की सामान्य पात्रता की तुलना में 72 प्रतिशत की दर से उच्चतर खुली बिक्री कोटे के रूप में जल्दी पेराई प्रोत्साहनों की घोषणा की गई थी।

(2) 1-1-94 से 30-4-94 तक की अवधि के दौरान चीनी मिलों को 1992-93 मौसम की इसी अवधि में किए गए उत्पादन से अधिक अतिरिक्त इंक्रीमेंटल चीनी उत्पादन पर 60 प्रतिशत की सामान्य पात्रता की तुलना में 80 प्रतिशत की दर से उच्चतर खुली बिक्री कोटे के रूप में बीच की पेराई के लिए प्रोत्साहनों की घोषणा की गई थी।

(3) 1-5-1994 से 31-7-1994 तक की अवधि के दौरान किए गए चीनी उत्पादन पर चीनी मिलों को 60 प्रतिशत सामान्य पात्रता की तुलना में 72 प्रतिशत की दर से उच्चतर खुली बिक्री कोटे के रूप में देर तक पेराई प्रोत्साहन प्रदान करने की घोषणा की गई थी।

(4) वित्त मंत्रालय/भारतीय रिजर्व बैंक से 1993-94 मौसम के दौरान चीनी उद्योग को आवश्यकता पर आधारित ऋण उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है।

(5) राज्य सरकारों से यह अनुरोध किया गया है कि वे चीनी मिलों द्वारा किसानों को गन्ने के मूल्य का तत्काल भुगतान कराना सुनिश्चित करें।

(6) के.टी. वेयर्स लिफ्ट सिंचाई परियोजनाओं के लिए चीनी विकास निधि से प्रदान किए जाने वाले ऋण घटक को कुल परियोजना लागत के 66.6 प्रतिशत बढ़ाकर 90 प्रतिशत कर दिया गया है।

(7) 1992-93 मौसम के लिए 31 रुपये प्रति क्विंटल की तुलना में 1993-94 मौसम के लिए गन्ने का सांविधिक न्यूनतम मूल्य 34.50 रुपये प्रति क्विंटल घोषित किया गया है जो 8.5 प्रतिशत कि मूल रिकवरी से संबंधित है। 1994-95 मौसम के लिए 8.5 प्रतिशत की मूल रिकवरी पर गन्ने के सांविधिक न्यूनतम मूल्य की 37 रुपये प्रति क्विंटल की अग्रिम घोषणा भी की गई है।

(8) नई चीनी मिलों तथा विस्तार परियोजनाओं के लिए प्रोत्साहन योजना में समुचित संशोधन कर दिया गया है।

(9) राज्य सरकारों से यह अनुरोध किया गया है कि वे गुड़ तथा खांडसारी इकाइयों की ओर गन्ने का विपणन रोकने के लिए विभिन्न उपायों पर विचार करे।

उपाबन्ध

1993-94 मौसम (अक्तूबर-सितम्बर) के दौरान 7 फरवरी, 1994 तक चीनी का राज्यवार उत्पादन दर्शाने वाला विवरण

क्र. सं.	राज्य का नाम	7-2-1994 तक उत्पादन (अनंतिम) (आंकड़े लाख टन में)
1	2	3
1.	पंजाब	2.71
2.	हरियाणा	2.20
3.	राजस्थान	0.11
4.	उत्तर प्रदेश	16.91
5.	मध्य प्रदेश	0.25
6.	गुजरात	4.16
7.	बिहार	1.58
8.	महाराष्ट्र	17.50

1	2	3
9.	आसाम	0.04
10.	उड़ीसा	0.17
11.	पश्चिमी बंगाल	0.02
12.	नागालैंड	0.03
13.	आंध्र प्रदेश	2.87
14.	कर्नाटक	4.63
15.	तमिलनाडु	3.51
16.	केरल	0.82
17.	पांडिचेरी	0.15
18.	गोवा	0.06
	समस्त भारत	56.92

श्री के. राममूर्ती टिंडिवनाम : महोदय, क्या मैं माननीय मंत्री से चीनी के निर्यात पर सरकार की नीति जान सकता हूं? क्या यह अतिरिक्त मात्रा उन्मुख अथवा निर्यातोन्मुख है अर्थात घरेलू मांग के बावजूद विदेशी मुद्रा के लिए निर्यात उन्मुख है?

तमिलनाडु में चीनी का उत्पादन बढ़ गया है और हाल ही के वर्षों में विशेष रूप से सहकारी क्षेत्र में चीनी की मिलों की संख्या बढ़ी है। क्या सरकार सहकारी चीनी मिलों का भी निजीकरण चाहती है?

क्या सरकार इस तथ्य से अवगत है कि किसानों द्वारा सप्लाई किए गए गन्ने की कीमत की अदायगी देरी से और रोककर की जा रही है उससे किसान पीड़ित हैं? इस संबंध में सरकार क्या उपचारात्मक कार्यवाही करना चाहती है? क्या सरकार इस तथ्य से अवगत है कि तमिलनाडु में गन्ने का समर्थन मूल्य कुछ मिलों ने अनेक वर्षों से अदा नहीं किया है? इस संबंध में महाराष्ट्र उच्च न्यायालय के फैसले का उल्लेख किया जा सकता है, क्योंकि सरकार ने उच्च न्यायालय के निर्देश पर भी गौर किया है।

श्री कल्पनाथ राय : अध्यक्ष महोदय, सरकार द्वारा विदेशों को चीनी का निर्यात करने का कोई प्रस्ताव नहीं है, लेकिन हमने कुछ वायदे कर रखे हैं। उनके अनुसार हमें 7,000 टन अमेरिका 10,000 टन यूरोपीय आर्थिक समुदाय तथा 20,000 टन नेपाल को निर्यात करना है। यह भारत सरकार के वायदे हैं। हमें ये वायदे पूरे करने हैं।

जहां तक चीनी के मूल्य का संबंध है, तो वैधानिक न्यूनतम मूल्य भारत सरकार द्वारा तय किया जाता है।

एक माननीय सदस्य : इसे किसानों को अदा किया जाए।

श्री कल्पनाथ राय : जहां तक सुझाए गए मूल्य का संबंध है तो इस पर राज्य सरकार निर्णय लेती है। चीनी का वैधानिक न्यूनतम मूल्य 1991-92 में 5 रुपये बढ़ाया गया था अर्थात 26 रुपये प्रति क्विंटल से 31 रुपये कर दिया गया था। फिर पुनः इस वर्ष इसमें प्रति क्विंटल 3.50 रुपये वृद्धि की गई है। भारत सरकार द्वारा वैधानिक न्यूनतम मूल्य 34.50 रुपये घोषित किया गया है। सुझाए गए मूल्य के बारे में निर्णय विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा लिया जाता है। यह अन्ततः किसानों को उपलब्ध होता है।

श्री के. राममूर्ती टिंडिवनाम : जब सरकार ने इस बारे में घोषणा कर दी है तब भी अगर किसानों को यह मूल्य नहीं मिलता तो इसका क्या उपयोग है? सरकार को अदायगी की गारंटी देनी चाहिए। मंत्री महोदय ने अदायगी के बारे में उत्तर नहीं दिया है।

श्री कल्पनाथ राय : देश में गन्ने से संबंधित सभी बकाया दे दिए गए हैं, लेकिन मैंने आपको बताया कि वैधानिक न्यूनतम मूल्य तो केन्द्र सरकार द्वारा तय किया जाता है, लेकिन संबंधित राज्य मूल्य का सुझाव देते हैं और निर्णय लेते हैं और वे अपने-अपने राज्य में गन्ना उत्पादकों को मूल्य देते हैं।

श्री के. राममूर्ती टिंडिवनाम : तमिलनाडु का विशेष उल्लेख करते हुए विशेष पूल में से राज्यों को चीनी की मांग तथा आपूर्ति के बीच अत्यधिक अन्तर होने का क्या कारण है? सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए कौन से कदम उठाना चाहती है कि बाजारी अर्थव्यवस्था से प्रभावित हुए बिना सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से बेची जाने वाली चीनी का मूल्य समाज के कमजोर वर्गों की पहुंच के अन्दर बना रहे?

श्री कल्पानाथ राय : देश में चीनी का जितना भी उत्पादन होता है उसका 40 प्रतिशत भाग लेवी चीनी तथा 60 प्रतिशत भाग खुली बिक्री के लिए रखा जाता है और भारत सरकार राज्य सरकारों के मानदंडों के अनुसार लेवी चीनी की मात्रा तय करती है। हम सभी राज्यों की जरूरत पूरी करते रहे हैं और राज्य सरकारें लेवी की चीनी जरूरतमंद लोगों को देती हैं।

[हिन्दी]

डा. रामकृष्ण कुसमरिया : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय ने बताया है कि 127.76 लाख टन चीनी का लक्ष्य रखा गया है। इस लक्ष्य की पूर्ति नहीं हो रही है, क्योंकि उत्पादन कम हो रहा है। इसके क्या कारण हैं और इनको दूर करने के क्या उपाय हैं? भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा चीनी उद्योग के प्रोत्साहन के लिए ऋण दिया जाना है तो वह राज्यवार क्या है? ... **(व्यवधान)** ...

अध्यक्ष महोदय : आपका पहला प्रश्न ठीक है, उसका जवाब ले लीजिए।

श्री कल्पनाथ राय : अध्यक्ष महोदय, 127 लाख टन चीनी उत्पादन का लक्ष्य है। आपको जानकर खुशी होगी कि 1991-92 में 134 लाख टन चीनी का उत्पादन हमारे देश में हुआ। ...**(व्यवधान)**... जो सवाल हैं तो उसी का मैं जवाब दे रहा हूं। आपको यदि सवाल पूछना है, तो आप पूछिए, मैं जवाब दूंगा। ...**(व्यवधान)**... 1992-93 में 106 लाख टन चीनी का उत्पादन हुआ और इस साल 57 लाख टन चीनी का उत्पादन अब तक हुआ है जो पिछले वर्ष से 35 हजार टन ज्यादा है। तीस मई तक चीनी का उत्पादन जितना होगा तो हमें विश्वास है कि जितना पिछले साल चीनी का उत्पादन हुआ था तो उतना इस साल होगा।

[अनुवाद]

श्री अंकुश राव साहेब टोपे : 1991-92 में चीनी का उत्पादन 134 लाख टन तथा 1992-93 में 106 लाख टन था। इस वर्ष यद्यपि लक्ष्य 127.6 है, लेकिन उपलब्धि केवल 56.92 है और केवल दो महीने बचे हैं। हर वर्ष उत्पादन घटता जा रहा है। मिलों की संख्या बढ़ने के बावजूद उत्पादन कम हो रहा है जबकि उत्पादन में वृद्धि होनी चाहिए इस कमी के मुख्य कारण क्या हैं? इसके अतिरिक्त गत वर्ष के उत्पादन की तुलना में अधिक चीनी जारी की गई है। इस वर्ष गत वर्ष की तुलना में दो लाख टन अधिक चीनी जारी की गई है। इसके क्या कारण हैं? 1992 से 1994 तक 75000 टन चीनी जारी की गई, इसमें से 58,000 टन केवल एक ही कम्पनी अर्थात ओस्वाल ग्रुप के लिए जारी की गई। इसके क्या कारण हैं?

[हिन्दी]

श्री कल्पनाथ राय : अध्यक्ष महोदय, इन्होंने सवाल पूछा है कि क्या कारण है कि हमारे देश में इस वर्ष 134 लाख टन से घटकर उत्पादन कम हुआ है। उत्पादन क्लाइमेटिक कंडीशन्स पर भी निर्भर करता है। किसानों को गन्ने का उचित मूल्य दिया जाये, इस पर भी निर्भर करता है। अन्य सामान जैसे गेहूं, चावल की जगह किसान अगर महसूस करें कि गन्ने में ज्यादा लाभ है तो गन्ने का ज्यादा उत्पादन होता है। महाराष्ट्र में देश में सबसे ज्यादा चीनी का उत्पादन होता है। वहां सूखा पड़ने के कारण जितने गन्ने और चीनी का उत्पादन होना चाहिए था, उतना नहीं हुआ। इसीलिए चीनी के उत्पादन में भारी गिरावट आई है। हमारी सरकार लगातार प्रयास कर रही है देश में गन्ना उत्पादकों का बकाया 475 करोड़ रुपया 31-1-93 को था जिसमें से 204 करोड़ रुपया उत्तर प्रदेश में बकाया था। उत्तर प्रदेश में, तब वहां विरोधी दल की सरकार थी... **(व्यवधान)**... मैंने कहा कि देश के अंदर पिछले साल 475 करोड़ रुपया बकाया था...

श्री राजबीर सिंह : वहां पिछले साल आपकी ही सरकार थी, राष्ट्रपति शासन था। **(व्यवधान)**

श्री कल्पनाथ राय : आप अच्छी तरह जानते हैं कि रामकोला में इतना बड़ा गोलीकाण्ड हुआ, कई गन्ना किसान गोलियों के निशाना बन गये। 204 करोड़ रुपया बकाया था, इस समय विरोधी दल के चन्द्रजीत यादव जी और कम्युनिस्ट पार्टी के राम विलास पासवान जी...**(व्यवधान)**...

श्री नीतीश कुमार : महोदय लगता है कि मंत्री महोदय अधीर हैं। उन्हें एक गिलास पानी दिलाइए।

श्री बसुदेव आचार्य : वे जनता दल के नेता हैं, आप ठीक कर लीजिये।

श्री कल्पनाथ राय : हां, वे जनता दल के नेता हैं। किसानों को गन्ने का दाम नहीं दिया गया, इसके कारण किसानों ने गन्ने का उत्पादन कम कर दिया। महाराष्ट्र तथा कई अन्य प्रांतों में सूखे की वजह से भी उत्पादन कम हुआ। पंजाब और हरियाणा के किसान कहते हैं कि हमें गेहूं और चावल से ज्यादा कमाई होती है इसलिए वहां गन्ने का उत्पादन कम हुआ। इन सभी कारणों से गन्ने का उत्पादन हमारे देश में कम हुआ है, लेकिन सरकार की जो नई नीति है जिसके अंतर्गत गन्ना किसानों को दाम दिये गये हैं और इन्सेंटिव दिये गये हैं उससे हमें अनुमान है कि अगले साल गन्ने का काफी उत्पादन होगा और सरकार अपने पैरों पर खड़ा हो सकेगी।

श्री राम नगीना मिश्र : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी के जवाब से संबंधित प्रश्न पूछ रहा हूं। अभी उन्होंने जो जवाब दिया है, उसमें यह पूछा गया है कि आज तक चीनी का उत्पादन कम हुआ है या अधिक हुआ है, तो उनका जवाब है कि कुछ अधिक हुआ है। यह बात तो सत्य है कि आज तक उत्पादन पहले के बराबर है। उत्तर प्रदेश में गत वर्ष फैक्ट्रियां 15 जुलाई तक चली थीं और इस बार से फैक्ट्रियां 15 मार्च या मार्च के अंत तक बंद होने जा रही हैं। इस प्रकार उत्तर प्रदेश में दो माह फैक्ट्रियां कम चलने से चीनी का उत्पादन कम होगा, क्योंकि पिराई कम होगी। अभी मंत्री जी ने बताया कि उ.प्र. में विरोधी दल की सरकार थी, किसानों को करोड़ों-अरबों रुपया बाकी था, लेकिन यह बात सत्य है कि चीनी का दाम, गन्ना मूल्य का दाम समूचे देश में और उ.प्र. में सेंट्रल गवर्नमेंट की पालिसी के कारण था और क्या यह सत्य नहीं कि सालभर के अंदर 225 रु. प्रति क्विंटल चीनी का दाम बढ़ाया गया है तब जाकर गन्ना उत्पादकों को मूल्य मिल रहा है तो आपके लिये यह कहना शोभा नहीं देता कि विरोधी दल की सरकार के कारण गन्ने का दाम बढ़ाया गया और चीनी का दाम बढ़ाना पड़ा। क्या यह बात सच है या नहीं?

अध्यक्ष महोदय, यह बात सच है कि अभी जो स्थिति है उसके अनुसार उ.प्र. में मार्च में फैक्ट्रियां गन्ना पिराई का काम बंद कर देंगी और उसका उत्पादन कम होगा क्या मंत्री महोदय ऐसी व्यवस्था करेंगे कि उ.प्र. की जिन मिलों की हालत जर्जर हो चुकी है, वहां पर उनके एवं किसानों के हित के लिये चीनी मिलों की क्षमता को बढ़ाये जाने कि लिये कार्यवाही करेगी, जिससे गन्ना का उत्पादन अधिक हो और चीनी अधिक पैदा की जा सके?

श्री कल्पनाथ राय : अध्यक्ष महोदय, मैं उधर के मित्रों से पूछना चाहता हूं कि गन्ने का दाम ...**(व्यवधान)**... मैं माननीय संसद सदस्यों के प्रश्न का उत्तर देना उचित समझता हूं ...मैं उनको यह बताना चाहता हूं कि पिछले साल केन्द्रीय सरकार ने जो गन्ने का दाम बढ़ाया है वह गत 46 साल के इतिहास में नहीं बढ़ाया गया है...

श्री राम नगीना मिश्र : चीनी का दाम बढ़ाया गया है।

श्री कल्पनाथ राय : अध्यक्ष महोदय, मैं आप को बताना चाहता हूं कि पिछले 46 साल में पिछले वर्ष गन्ने का दाम इतना बढ़ाया है कि कभी नहीं बढ़ाया और जिसके कारण गन्ने का उत्पादन अगले साल बहुत ज्यादा होने की संभावना है और हमारे देश में रिकार्ड उत्पादन होगा।

[अनुवाद]

श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे : अध्यक्ष महोदय, इस तथ्य को देखते हुए कि चीनी की खपत 5 प्रतिशत की संयुक्त दर से बढ़ रही है और मंत्री महोदय ने अभी कहा कि चीनी उत्पादन में कमी आई है तो मैं जानना चाहूंगा कि क्या सरकार 34.50 रुपये पर निर्धारित वैधानिक न्यूनतम मूल्य की वृद्धि करने के लिए आवश्यक कदम उठाएगी।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने उत्तर दिया है कि ऐसा पहले ही किया जा चुका है।

श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे : गत वर्ष वृद्धि 5 रुपये थी। इस वर्ष केवल 3.50 रुपये है। अन्य कृषि उत्पादों जैसे धान, गेहूं और अन्य उत्पाद, जबकि धान का मूल्य 37.50 रुपये है, के तुलनात्मक मूल्य देखते हुए मैं जानना चाहूंगा कि क्या सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए गन्ना उत्पादकों को प्रोत्साहित करेगी कि शीरे पर नियन्त्रण हटाने का लाभ उन्हें मिले। गन्ना उत्पादन को प्रोत्साहन देने के लिए क्या आप मिलों को विशेष रूप से हिदायत देगें कि उन द्वारा अर्जित अतिरिक्त लाभ का 50 प्रतिशत उत्पादकों में बांटे, इसके फलस्वरूप चीनी उत्पादन में वृद्धि होगी?

श्री कल्पनाथ राय : अध्यक्ष महोदय, वैधानिक न्यूनतम मूल्य लेवी मूल्य से जुड़ा है। यहां पर माननीय सदस्य पूछ रहे हैं कि चीनी का मूल्य क्यों बढ़ा है। आपने ठीक ही कहा है, शीरे पर 50 प्रतिशत लाभ किसानों को दिया जाएगा।

श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे : आपने हिदायतें नहीं दी हैं। आपके वायदे के विपरीत आपने हिदायतें नहीं दी हैं।

श्री कल्पनाथ राय : शीरे पर नियन्त्रण हटाने के बाद इसके प्राप्त लाभ का 50 प्रतिशत गन्ना उत्पादकों को मिला है।

श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे : जी, नहीं। एक भी मिल ने ऐसा नहीं किया है। आप आन्ध्र प्रदेश में सबसे बड़ी चीनी मिल का ही उदाहरण लीजिए। उन्हें करोड़ों रुपये का लाभ हो रहा है लेकिन वे इसे गन्ना उत्पादकों को नहीं दे रहे। गुमराह करने की कोशिश मत कीजिए ...**(व्यवधान)**...

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय, आप ऐसे किसी हस्तेक्षप पर उत्तर न दें। आप केवल मुख्य अनुपूरक प्रश्न का उत्तर दें...

...**(व्यवधान)**...

श्री कल्पनाथ राय : महोदय, शीरे पर नियन्त्रण हटाने के फलस्वरूप लाभ का 50 प्रतिशत गन्ना उत्पादकों को मिलेगा...**(व्यवधान)**...

अध्यक्ष महोदय : आप को आशा है कि यह उत्पादकों को मिलेगा।

श्री कल्पनाथ राय : सहकारी क्षेत्र में तो 100 प्रतिशत मिलेगा। जहां तक निजी मिल मालिकों का संबंध है, 50 प्रतिशत उनके आधुनिकीकरण पुनर्वास तथा उद्योग के विकास पर व्यय होगा।

श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे : लेकिन आदेश जारी नहीं किए गए हैं।

श्री कल्पनाथ राय : ये जारी कर दिए गए हैं... **(व्यवधान)**...

श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे : किसानों को एक भी रुपया नहीं दिया गया है।

श्री कल्पनाथ राय : अतः मैं यह कहना चाहता हूं कि शीरे पर से नियंत्रण हटाने के कारण भारत के किसानों को गन्ने की ऊंची कीमत दी जा रही है... **(व्यवधान)**...

श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे : नहीं, मुझे ऐसी बात कहने के लिए खेद है।

श्री विजय एन. पाटिल : माननीय मंत्री ने अभी कहा है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य 34.50 रुपये प्रति क्विंटल है, जो पर्याप्त नहीं है। इसीलिए महाराष्ट्र के किसानों को न्यायालय में जाना पड़ा। एक उच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया था कि किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य 730 रुपये प्रति टन दिया जाना चाहिए, जो कि भारत सरकार द्वारा निर्धारित समर्थन मूल्य का दोगुना है। ऐसा उत्पादन लागत में वृद्धि, उर्वरक पर राजसहायता की कमी और आदानों की लागत में वृद्धि के कारण हुआ है। इस कारण गन्ने की खेती बहुत मंहगी हो गई है।

मैं माननीय मंत्री से पूछना चाहता हूं कि क्या न्यायालय के आदेशों को देखते हुए वह चीनी का समर्थन मूल्य बढ़ाएंगे?

अध्यक्ष महोदय : श्री राव ने भी यही प्रश्न पूछा था।

श्री शोभनाद्रीश्वर राव वाड्डे : अध्यक्ष महोदय, मैं यह तथ्य मंत्री महोदय के ध्यान में लाना चाहता हूं। महाराष्ट्र में किसान न्यायालय में गए और न्यायालय ने वह न्यूनतम समर्थन मूल्य नियत किया, जो भारत सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य का दोगुना है।

श्री कल्पनाथ राय : अध्यक्ष महोदय, जब भारत सरकार गन्ने की कीमतों का निर्धारण करती है तो उसे गन्ना उत्पादकों, चीनी मिलों और उपभोक्ताओं के हितों को ध्यान में रखना चाहिए। जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा है कि चीनी की कीमतें बढ़ रही हैं। मैं उन्हें यह बताना चाहता हूं कि भारत में चीनी की कीमतें **पूरे विश्व** में सबसे कम हैं वह मुझे किसी एक देश का भी नाम बताएं जहां चीनी की कीमतें भारत **की तुलना** में कम हैं।

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न चीनी से संबंधित है। इस पर सद्भावपूर्ण वातावरण में चर्चा की जानी चाहिए। इससे उत्तर भी स्पष्ट होगा, लेकिन इस पर शीघ्रता से चर्चा करनी चाहिए।

[हिन्दी]

श्री राजवीर सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से, मंत्री जी से पूछना चाहता हूं कि उन्होंने अभी पिछली सरकार को कोसा था, मगर उत्तर प्रदेश की चीनी मिलों को पिछले दो महीने से भुगतान क्यों नहीं हुआ है? जब चीनी मिलों को भुगतान होगा तो किसानों को भुगतान होगा। दिसम्बर से आज तक चीनी मिलों द्वारा किसानों को भुगतान नहीं दिया गया है, मेरा सीधा सवाल है कि भुगतान न होने के कारण क्या हैं?

अध्यक्ष महोदय : चीनी मिलों का भुगतान नहीं हुआ। चीनी मिलों को भुगतान कोई नहीं करेगा।

[अनुवाद]

कोई भी चीनी मिलों को भुगतान नहीं करता।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : हम बात को समझ कर प्रश्न पूछें। कोई भी चीनी मिलों को भुगतान नहीं करता; चीनी मिलों को चीनी बेचनी होती है और किसानों को पैसा देना होता है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री राजबीर सिंह : गन्ना किसानों के भुगतान की आलोचना अभी मंत्री जी ने की थी। मेरा उनसे सीधा प्रश्न यह है कि पिछले वर्ष जब गन्ना किसानों को भुगतान नहीं हुआ, उस समय स्टेट में राष्ट्रपति शासन था या नहीं था। आज दिसम्बर से लेकर अब तक गन्ना किसानों का भुगतान नहीं हो रहा है, उसके लिए कौन दोषी है, मंत्री जी दोषी हैं या उत्तर प्रदेश की सरकार दोषी है, वहां की सरकार में तो आप ही हैं। (व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : ठीक है, कहने का अर्थ है कि पैसा नहीं दिया जाता। क्या पैसा देने के लिए हम कुछ कर सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री कल्पनाथ राय : दिसम्बर से उत्तर प्रदेश में गन्ना किसानों का जो बकाया था, उसका 99 फीसदी पेमेंट हो चुका है। ... (व्यवधान) ...

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मुझे इस प्रकार के व्यवधान डालने पर आपत्ति है। आप पहले मेरी बात सुनिए।

[हिन्दी]

श्री कल्पनाथ राय : उत्तर प्रदेश में तीन तरह की चीनी मिलें हैं - एक को-आपरेटिव सैक्टर की मिलें हैं, दूसरी कार्पोरेशन की मिलें हैं और तीसरी प्राइवेट मिलें हैं।

श्री राम नगीना मिश्र : चार मिलें तो आपकी हैं।

श्री कल्पनाथ राय : यदि पिछले दो महीनों से पेमेंट नहीं हुआ है तो मैं उत्तर प्रदेश की सरकार के मुख्यमंत्री श्री मुलायम सिंह से पूछूंगा कि पेमेंट क्यों नहीं हुआ है और वह पेमेंट कराया जाये।

मछुआरों के लिए बिजली तथा पानी

*82. **श्री सुधीर सावन्त** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मात्स्यिकी को कृषि के समतुल्य समझा जाता है;

(ख) यदि हां, तो क्या मात्स्यिकी और मछली पालन के लिए बिजली तथा पानी की आपूर्ति कृषि-दर पर की जाती है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(घ) कृषकों तथा मछुआरों को रियायती दर पर बिजली तथा पानी की आपूर्ति हेतु राज्यों को दी जा रही केन्द्रीय राज सहायता का ब्यौरा क्या है?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. कृष्ण कुमार) : (क) से (ग) जी, नहीं। राज्य कृषि की समान दर पर मात्स्यिकी के लिए बिजली और पानी की सप्लाई नहीं कर रहे हैं।

(घ) राज्यों को रियायती दर पर कृषि और मात्स्यिकी के लिए बिजली और पानी की सप्लाई करने के वास्ते कोई केन्द्रीय सहायता नहीं दी जा रही है।

[हिन्दी]

श्री सुधीर सावन्त : अध्यक्ष महोदय, मैंने एक बुनियादी सवाल किया था कि क्या मत्स्य व्यवसाय और कृषि को एक समान दर पर बिजली और पानी की आपूर्ति की जाती है, तो मंत्री जी का जवाब आया है कि ऐसी कोई पॉलिसी नहीं है। मैं कहना चाहता हूं कि यही दुर्भाग्य उन लाखों लोगों का है जो समुद्र तट पर रहते हैं।

अध्यक्ष महोदय : इनका प्रश्न है कि क्या आप कोई ऐसी पॉलिसी बनाने जा रहे हैं?

श्री सुधीर सावन्त : एक एम्पीडा नाम की बॉडी कॉमर्स मिनिस्ट्री के अंतर्गत काम करती है जबकि डीप फिशिंग फूड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री के अंतर्गत है और डी.एफ.डी.ए. तथा एस.एफ.डी.ए. एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के अण्डर काम करते हैं और वह भी राज्य सरकारों के अंतर्गत। इसको ध्यान में रखते हुए हमने कोस्टल एरिया और फिशिंग के लिये अलग से मिनिस्ट्री बनाये जाने की मांग की थी। मैं जानना चाहता हूं कि सभी को एक साथ लेकर क्या कोई पॉलिसी बनाई जा रही है और ऐसी कोई अलग से मिनिस्ट्री बनाने का सरकार का विचार है या नहीं, यही मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं।

[अनुवाद]

श्री एस. कृष्ण कुमार : हम माननीय सदस्य के इस तर्क से सहमत हैं कि देश में मात्स्यिकी क्षमता का विकास करने के लिए भारत सरकार के स्तर पर समन्वित कार्यवाही करने की आवश्यकता है। सरकार के विभिन्न विभागों और मंत्रालयों ने भिन्न-भिन्न तरीके से इस संबंध में कार्य किया। यह सच है कि गहरे समुद्र में मछली पकड़ने संबंधी विषय, खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय के अंतर्गत आता है। मछली पालन पर्याप्त संभावनाओं वाला क्षेत्र है और उसके सभी कार्यकलाप वाणिज्य मंत्रालय के अंतर्गत समुद्री उत्पाद और निर्यात विकास प्राधिकरण द्वारा देखे जाते हैं। अतः भारत सरकार इस बात पर विचार कर रही है कि कृषि मंत्रालय जो पहले से ही मात्स्यिकी कार्य की देख-रेख कर रहा है, के

अंतर्गत मत्स्य पालन क्षेत्र के समन्वित विकास के लिए एक समन्वित तंत्र बनाया जाना चाहिए। तथापि, भारत सरकार ने इस समन्वित कार्यवाही को पूरा करने के लिए संगठनात्मक ढांचे के बारे में अभी सोचा नहीं है। लेकिन हम मंत्री परिषद के विचार के लिए एक टिप्पण प्रस्तुत कर रहे हैं, जिससे मात्स्यिकी विभाग सुदृढ किया जा सकेगा और एक समन्वित तंत्र स्थापित किया जा सकेगा।

[हिन्दी]

श्री सुधीर सावन्त : अध्यक्ष महोदय, मेरा दूसरा सवाल यह है कि जवाब में लिखा है कि बिजली और पानी फिशरीज के लिये कनसेशनल रेट पर नहीं दिया जाता है। यह दस्तावेज एम॰पी॰इ॰डी॰ए॰ का है जिसमें लिखा है कि इस देश में ब्लैकिश वाटर के लिये 1.2 मिलियन हैक्टेयर पोटैंशल हैं। इसके अलावा फ्रैश वाटर फिशरीज के लिये हजारों एकड़ जमीन उपलब्ध है। केवल इस क्षेत्र से तकरीबन एक करोड़ लोगों को रोजगार मिल सकता है और बड़े पैमाने पर विदेशी मुद्रा मिल सकती है। ऐसा होने पर भी बिजली और पानी कनसेशनल रेट पर क्यों नहीं दिया जाता है? इसके लिये क्या केन्द्र सरकार ने कोई प्रयास किया है या वह कर रही है?

[अनुवाद]

श्री एस॰ कृष्ण कुमार : महोदय, माननीय सदस्य ने ठीक कहा है कि हमारे देश में मात्स्यिकी के विकास की बहुत संभावनाएं हैं। वास्तव में भारत में मछली पालन क्षेत्र में क्रांति आने वाली है। मछली पालन के विकास के लिए निजी उद्यमियों द्वारा पर्याप्त निवेश किया जा रहा है। कृषि विभाग, वाणिज्य मंत्रालय और इसका एक अभिकरण एम्पीडा बड़े पैमाने पर योजनाओं को लागू कर रहे हैं। मछली पालकों की यह मांग है कि कृषि क्षेत्र में जिस दर पर बिजली और पानी दिया जा रहा है, उन्हें भी उसी दर पर बिजली, पानी दिया जाए। मंत्रालय इस विचार का समर्थन करता है। मैं माननीय सदस्य को यह बताना चाहता हूं कि इस देश में किसानों को जो बिजली और पानी कम दरों पर दी जा रही है उसके लिए भारत सरकार राज सहायता नहीं देती है। यह राज्य का विषय है।

केन्द्रीय मत्स्य पालन बोर्ड ने भारत सरकार के स्तर पर एक संकल्प पारित किया है और माननीय कृषि मंत्री ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को लिखा है कि बिजली और पानी की दरों के मामले में मत्स्य पालन को कृषि के समान ही माना जाए। हम इस मामले पर कार्य कर रहे हैं लेकिन यह राज्यों पर निर्भर करता है कि वे इस नीति के संबंध में निर्णय लें, क्योंकि उन्हें अतिरिक्त व्यय वहन करना होगा।

[हिन्दी]

श्री राम नाईक : अध्यक्ष महोदय, हमारे यहां महाराष्ट्र में, जो लोग समुद्र में मछली पकड़ने के लिये जाते हैं, उनके लिये कहा जाता है कि वे समुद्र में खेती करने के लिये जाते हैं, यानी वे एग्रीकल्चरिस्ट हैं। समुद्र से मछली पकड़ने के लिये रेजरव्वार समुद्र के किनारे बनायी जाती है। पानी को कई दफा पम्प से वहां लाना पड़ता है। मीठे पानी में मछलियों को पकड़ा जाता है। कई दफा नदियों और तालाबों से पानी लिया जाता है यानी सब काम वही है। इसलिये आपने एक पत्र लिख कर बताया लेकिन सारे देश के मछुआरे इस समस्या से बहुत पीड़ित हैं। आप इससे एक कदम आगे

बढ़कर मुख्यमंत्रियों और बिजली मंत्रियों की एक परिषद बनायें, जिससे मछुआरों को सुविधा हो। क्या इस प्रकार कोई प्रयास करके समयबद्ध कार्यक्रम बनाया जायेगा?

[अनुवाद]

श्री एस. कृष्ण कुमार : महोदय, मेरे वरिष्ठ सहयोगी के अतिरिक्त कृषि मंत्री ने भी सभी मुख्यमंत्रियों को पत्रों में जोर देकर यह बात लिखी है और हमने हाल ही में हुई केन्द्रीय मत्स्य पालन बोर्ड की बैठक में इस मुद्दे पर बल दिया था, इस बैठक में सभी कृषि और मात्स्यिकी मंत्री उपस्थित थे। हम इस मुद्दे पर आगे कार्यवाही कर रहे हैं। हम यह अनुभव करते हैं कि यह छूट लाभ बन सकती है और इसे देश में मात्स्यिकी के विकास के लिए दिया जा सकता है।

[हिन्दी]

कृषि मंत्री (श्री बलराम जाखड़) : मैं याद कराना चाहता हूं कि एग्रीकल्चर स्टेट सबजेक्ट है। उनकी अनुमति के बगैर यह नहीं हो सकता है। इसके लिये उनको परसुएट करना पड़ेगा। हम कोशिश करेंगे। लेकिन आप भी कोशिश करें। शायद काम बन जाये।

[अनुवाद]

श्री लोकनाथ चौधरी : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न यह है कि क्या मत्स्य पालन को कृषि के बराबर माना जाता है? स्वाभावतः हम सरकार से यह पूछना चाहते हैं कि इस क्षेत्र को कृषि के समतुल्य मानने के बारे में सरकार के क्या विचार हैं और किन क्षेत्रों में मछली पालन के लिए कृषि क्षेत्र से कम लाभ दिए जा रहे हैं?

अध्यक्ष महोदय : इस प्रश्न का उत्तर पहले ही दिया जा चुका है।

श्री लोकनाथ चौधरी : मेरा एक अन्य प्रश्न भी है। चूंकि देश में मात्स्यिकी की बहुत अधिक क्षमता है इसलिए हम यह जानना चाहते हैं कि क्या मत्स्य पालन विकास परियोजनाओं को लागू किया जा रहा है अथवा इस विभाग या किसी अन्य विभाग द्वारा उन्हें नियमित किया जा रहा है, क्या सरकार यह अनुभव करती है कि यह उपयुक्त समय है जब इन सभी समुद्री उत्पादों आदि को एक अभिकरण द्वारा विनियमित किया जाए! क्या सरकार के पास ऐसा कोई प्रस्ताव है?

अध्यक्ष महोदय : श्री लोकनाथ चौधरी यदि आपने ध्यान दिया हो तो पहले प्रश्न में ही इसका भी उत्तर दिया जा चुका है। वे समन्वय के लिए एक तंत्र स्थापित करने पर विचार कर रहे हैं।

श्री लोकनाथ चौधरी : मैं यह पूछना चाहता हूं कि कृषि मंत्रालय ने कब कार्यवाही की थी और राज्य सरकारों तथा भारत सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया थी?

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदय, आप उन्हें केवल यह बताएं कि आप समन्वय के लिए क्या करने जा रहे हैं?

श्री एस. कृष्ण कुमार : मुझे प्रश्न के पहले भाग का उत्तर देने में भी कोई आपत्ति नहीं है।

कृषि मंत्रालय, वाणिज्य मंत्रालय और खाद्य प्रसंस्करण विभाग की ओर से मात्स्यिकी क्षेत्र के लिए विभिन्न लाभ प्रदान किए गए हैं। इनमें से कुछ लाभ उद्योगों को भी नहीं दिए गए हैं। कृषि क्षेत्र में होने वाली आय आयकर के अध्यधीन नहीं है जबकि मत्स्य पालन क्षेत्र में अभी भी आयकर लगाया जाता है। यह मांग की जाती रही है कि इसे भी समाप्त किया जाए और हम यह मामला वित्त मंत्रालय के साथ उठा रहे हैं।

जहां तक समन्वय तंत्र का संबंध है, यह उच्च स्तरीय नीति निर्णय का मामला है जिस पर मंत्रिमंडल को ही निर्णय लेना है। हमने मंत्रिमंडल के समक्ष इसके सभी गुण-दोषों का ब्यौरा रख दिया है। मैं आपको इस संबंध में कोई निश्चित समय-सीमा नहीं बता सकता, लेकिन निश्चित रूप से हम समन्वय की आवश्यकता और मामले पर तत्काल कार्यवाही करने पर बल दे रहे हैं।

[अनुवाद]

ऐतिहासिक स्मारक

*८३. **श्री मोहन सिंह** (देवरिया) : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या तमिलनाडु में बंगाल की खाडी के तटवर्ती क्षेत्र में हालैंडवासियों द्वारा निर्मित अद्भुत वास्तुकला के भव्य और ऐतिहासिक स्मारकों की उपेक्षा की जा रही है;

(ख) क्या कुछ विदेशियों ने इन स्मारकों की चोरी-छिपे खुदाई की है;

(ग) क्या स्मारकीय महत्व के इन पुरालेखीय ढांचों को अब निजी उद्योगों को बेचने का प्रस्ताव है, और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उपमंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) जी नहीं। तमिलनाडु में बंगाल की खाड़ी के तटवर्ती क्षेत्र में हालैंडवासियों द्वारा निर्मित ऐतिहासिक स्मारक केन्द्र के संरक्षणाधीन हैं तथा इनका परिरक्षण व रख-रखाव उचित ढंग से किया जा रहा है।

(ख) किसी भी विदेशी द्वारा तमिलनाडु में हालैंड वासियों के केन्द्रीय संराक्षणाधीन स्मारकों की चोरी-छिपे खुदाई नहीं की गई है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

श्री मोहन सिंह (देवरिया) : अध्यक्ष महादेय, मुझे अफसोस है कि माननीय मंत्री जी ठीक ढंग से संसूचित नहीं हैं। हमारी जानकारी के अनुसार पाण्डिचेरी के नजदीक थरंगमबाडी में 17वीं शताब्दी के प्रारम्भ में डच लोगों ने एक खूबसूरत महल बनाया, जो 200 वर्षों तक उनका प्रमुख व्यापारिक

केन्द्र था। उस महल से कावेरी नदी को तंजावूर जिले को जोड़ने के लिए एक लम्बी सुरंग बनी हुई है, जिस सुरंग के बारे में किंवदंती है कि इसमें अतुलित धन और खजाना छिपा हुआ है, जिसके लालच में लोग खुदाई कर रहे हैं और उसे तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। इस तरह की अनेक घटनाएं प्रकाश में आई हैं, समाचार पत्रों में प्रकाशित हुई हैं। मैं माननीय मंत्री जी से स्पष्ट तौर पर आश्वासन चाहता हूं कि क्या आम नागरिकों द्वारा समय-समय पर खजाने और पैसे को लूटने के लिए उसको तोड़ने की कोशिश में जो इस महल की क्षति हो रही है, उसे जो नुकसान पहुंचाया जा रहा है, इसके लिए कोई संगठित प्रयास पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग करने को तैयार है, कर रहा है या नहीं, मैं इस पर स्पष्ट तौर पर उत्तर चाहता हूं?

कुमारी शैलजा : माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने जो सवाल किया है, इसका जवाब देने में थोड़ी मुश्किल मैं महसूस करती हूं, क्योंकि ए.एस.आई. सैण्ट्रली प्रोटैक्टेड मोनूमेंट्स तमिलनाडु में सिर्फ दो ही हैं और जिसका जिक्र यह कर रहे हैं, वह सैण्ट्रली प्रोटैक्शन में नहीं है इसलिए उसका जवाब देना थोड़ा कठिन है।

श्री मोहन सिंह (देवरिया) : अब मैं माननीय मंत्री जी से साफ तौर पर जानना चाहता हूं कि जो सचमुच देश के लिए एक धरोहर है और जिसको कुछ निजी क्षेत्र के लोग, क्योंकि एक निजी पार्टी का कहना है कि उसके खानदान के लोग डच हुकूमत के जमाने में मंत्री थे और वह वसीयत उनकी है और इस आधार पर एक निजी होटल मालिक को, कोरोमण्डल होटल समूह को उस सम्पत्ति को बेचने की कोशिश हो रही है, तो राष्ट्र की धरोहर समझ कर इतनी कीमती वस्तु को भारत सरकार स्वयं उसका स्वामित्व ग्रहण करने के लिये तैयार है, इसके रख-रखाव के लिए भारत सरकार कोई कोशिश करेगी?

कुमारी शैलजा : अध्यक्ष महोदय, अगर मोनूमेंट्स इस तरह के हैं कि जिसको हम राष्ट्रीय संरक्षण में ले सकें तो पब्लिक डिमाण्ड पर उसका हम एग्जामिन कर सकते हैं तो इसको देख लिया जायेगा। इसके कई क्राइटेरियास हैं उसके तहत आता है तो इसको देख लेंगे।

[अनुवाद]

श्री राम कापसे : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, इस बात पर उत्तर बहुत ही स्पष्ट है। उत्तर यह है कि तमिलनाडु में बंगाल की खाड़ी के तटवर्ती क्षेत्रों में हालैंडवासियों द्वारा निर्मित ऐतिहासिक स्मारकों का केन्द्र द्वारा संरक्षण किया जा रहा है और इनका उचित तरीके से परिरक्षण और रख-रखाव किया जा रहा है। अब माननीय मंत्री महोदया कह रही हैं ।

[हिन्दी]

"कठिनाई महसूस कर रही हैं।"

[अनुवाद]

मैं अध्यक्ष महोदय से अनुरोध करता हूं कि मंत्री महोदया को पूरी जानकारी प्राप्त करने की हिदायत दें।

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको हिदायत दूंगा कि मंत्री महोदया जो वक्तव्य पहले से दे चुकी हैं, उस पर ध्यान दें। उन्होंने कहा है कि केवल दो स्मारकों का केन्द्र द्वारा संरक्षण किया जा रहा है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : उत्तर का क्या रहा?

श्री राप कापसे : महोदय, हमने हालैंडवासियों द्वारा निर्मित स्मारकों के बारे में विशिष्ट उत्तर की मांग की थी **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने कहा है कि केवल दो स्मारकों का केन्द्र द्वारा संरक्षण किया जा रहा है। क्या यह संरक्षण नहीं है।

श्री मुमताज अंसारी : आदरणीय, अध्यक्ष महोदय, हालैंडवासियों द्वारा निर्मित स्मारकों की तरह भारत सरकार ने भारत के पुरातत्व सर्वेक्षण के अंतर्गत हजारों स्मारकों का अधिग्रहण किया है। इनमें से ज्यादातर स्मारक नष्ट हो रहे हैं। मैं मंत्री महोदय ये जानना चाहता हूं कि देश में सभी ऐतिहासिक स्मारकों को संरक्षण प्रदान करने और उन्हें सुरक्षित रखने के लिये कौन कौन से कदम उठाये जा रहे हैं। मैं मंत्री महोदया से यह भी जानना चाहूंगा कि ऐसे स्मारकों के परिरक्षण और सुरक्षा के लिये कितनी राशि निर्धारित की गई है।

कुमारी शैलजा : वास्तविकता तो यह है कि और भी बहुत से स्मारक हैं, जिनको संरक्षण प्रदान करने की आवश्यकता है। हमारे यहां कुछ वित्तीय अड़चनें हैं। वित्त का भी अभाव है। लेकिन जैसे ही ऐसी आवश्यकता होगी, हम इन स्मारकों को परिरक्षण प्रदान करने की कोशिश करेंगे। कभी कभी सदस्य भी ...**(व्यवधान)**...

श्री मुमताज अंसारी : बहुत से स्मारक नष्ट होते जा रहे हैं। ...**(व्यवधान)**...

अध्यक्ष महोदय : आप कृपया मुख्य अनुपूरक प्रश्न का उत्तर दें। आपको इससे जुड़े प्रश्नों का उत्तर नहीं देना है।

कुमारी शैलजा : तब मैं सदस्य से अनुरोध करती हूं कि अपने प्रश्न को एक बार फिर पढ़े।

श्री मुमताज अंसारी : महोदय, भारत सरकार ने हजारों स्मारकों का अधिग्रहण किया हुआ है। उनमें से अधिकतर स्मारक नष्ट-भ्रष्ट होते जा रहे हैं। देश के ऐसे ऐतिहासिक स्मारकों की सुरक्षा के लिये भारत सरकार द्वारा कौन कौन से कदम उठाये जा रहे हैं? ऐसे स्मारकों के परिरक्षण और सुरक्षा के लिये कितनी राशि निर्धारित की गई है?

अध्यक्ष महोदय : यह एक आम प्रश्न है, विशेष प्रश्न से आम प्रश्न।

कुमारी शैलजा : मैं, धनराशि के आवंटन के बारे में बाद में जानकारी उपलब्ध करा सकती हूं।

केन्द्रीय संस्कृत बोर्ड

*84. **डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय :**
श्री अटल बिहारी वाजपेयी :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्तमान केन्द्रीय संस्कृत बोर्ड का गठन कब किया गया था;

(ख) इस बोर्ड के सदस्यों के नाम तथा पदनाम क्या हैं;

(ग) बोर्ड के सदस्यों के चयन हेतु क्या मानदंड अपनाये जाते हैं;

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान बोर्ड द्वारा की गई मुख्य-मुख्य सिफारिशें क्या हैं, और

(ङ) इनमें से अब तक कितनी सिफारिशों को लागू कर दिया गया है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उपमंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) से (ङ) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

वर्तमान केंद्रीय संस्कृत बोर्ड का गठन पहली मार्च, 1993 से कर दिया गया है। बोर्ड के सदस्यों के नाम तथा पदनाम अनुबंध में दिए गए हैं। संस्कृत के प्रख्यात विद्वानों को सदस्यों के रूप में मनोनीत किया गया है। पदेन सदस्यों में कुछ संस्कृत विश्वविद्यालयों के कुलपतियों, संस्कृत संस्थाओं के प्रमुखों तथा पदाधिकारियों को शामिल किया गया है।

प्रमुख सिफारिशें हैं-बोर्ड की बैठकें वर्ष में दो बार आयोजित करना, संस्कृत की प्रोन्नति के लिए कार्यकलापों का समन्वय करने, संस्कृत में एक समान पाठ्यक्रम के संबंध में विचार करने तथा संस्कृत साहित्य में वैज्ञानिक, तकनीकी तथा इंजीनियरी ज्ञान पर दृष्टिकोण पत्र तैयार करने के लिए तीन उप-समितियों का गठन करना।

इन सिफारिशों को कार्यान्वित करने की दृष्टि से वर्तमान बोर्ड की दूसरी बैठक 21 मार्च, 1994 को होनी निश्चित की गई है। तीन उप-समितियां गठित की जा चुकी हैं और उनकी रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जा रही है।

अनुबंध

केंद्रीय संस्कृत बोर्ड का गठन (1-3-1993 से 28-2-96 तक)

1.	न्यायमूर्ति रंगनाथ मिश्र, भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश, भारतीय उच्चतम न्यायालय, ग्राम/पोस्ट तुलसी पुर, कटक, उड़ीसा, पिन-753008	अध्यक्ष

2.	प्रो. वी. वेंकटचलम, कुलपति, संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी-221002	सदस्य
3.	डा. आर.के. शर्मा, भूतपूर्व कुलपति, संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय, वाराणसी, 63, विज्ञान विहार, दिल्ली-110092	सदस्य
4.	श्री एस.वी. सोहोनी, आई.सी.एस. (रिटायर्ड) कुलपति, तिलक महाराष्ट्र विद्यापीठ (सम विश्वविद्यालय) "मनाली", प्रभात रोड (15), पुणे-411004	सदस्य
5.	प्रो. आधाचरण झा, भूतपूर्व उप-कुलपति, कामेश्वर सिंह दरभंगा, संस्कृत विश्वविद्यालय, आशियाना रोड, पटना-14 (बिहार)	सदस्य
6.	डा. कुंजान्नी रजा, निदेशक, अड्यार पुस्तकालय तथा अनुसंधान केंद्र, अड्यार, मद्रास-600020	सदस्य
7.	प्रो. पी. श्री रामचन्द्रडू, सेवानिवृत्त प्रोफेसर, उस्मानिया विश्वविद्यालय, 7-1-32/4 नंदनम लीला नगर बेगमपेट, हैदराबाद-500016 (आंध्र प्रदेश)	सदस्य

8.	प्रो. विश्वनाथ बैनर्जी, सेवानिवृत्त प्रोफेसर, विश्व भारती विश्वविद्यालय, नीचू बंगला-26 शांति निकेतन-731235 पश्चिम बंगाल	सदस्य
9.	डा. सत्यव्रत शास्त्री, संस्कृत प्रोफेसर, दिल्ली विश्वविद्यालय, 3/54 रूप नगर, दिल्ली-110006	सदस्य
10.	प्रो. राममूर्ति शर्मा, संस्कृत के सेवानिवृत्त प्रोफेसर, पंजाब विश्वविद्यालय, बी एस-5, शालीमार बाग, दिल्ली-110052	सदस्य
11.	प्रो. राधा वल्लभ त्रिपाठी, संस्कृत प्रोफेसर, सागर विश्वविद्यालय, सागर (आंध्र प्रदेश)-470003	सदस्य
	पदेन सदस्य	
12.	कुलपति, कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय; दरभंगा, बिहार-846001	
13.	कुलपति, संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी-221002	
14.	कुलपति श्री जगन्नाथ संस्कृत विश्वविद्यालय पुरी-752002 (उड़ीसा)	

15. कुलपति,
राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ,
तिरुपति-517507

16. कुलपति,
श्री लाल बहादुर शास्त्री,
राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ,
कटवारिया सराय
नई दिल्ली-110016

17. कुलपति,
गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय,
हरिद्वार (उ.प्र.) - 249401

18. सचिव,
राष्ट्रीय वेद विद्या प्रतिष्ठान
बी-विंग, दूसरी मंजिल
प्राधिकरण भवन
भारतपुरी,
उज्जैन-456010

19. अध्यक्ष,
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग,
बहादुरशाह जफर मार्ग,
नई दिल्ली-110002

20. वित्त सलाहकार,
शिक्षा विभाग,
मानव संसाधन विकास मंत्रालय,
शास्त्री भवन,
नई दिल्ली-110001

21. संयुक्त सचिव (भाषा)
भारत सरकार

22. निदेशक,
राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान,
ए-40 विशाल एंकलेव
राजा गार्डन
नई दिल्ली-110027

23. उप शिक्षा सलाहकार (संस्कृत) सदस्य-सचिव

[हिन्दी]

डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि इस संस्कृत बोर्ड का तो पुनर्गठन हुआ है जहां बोर्ड तो पहले से ही है। मेरा कहना यह है कि जब बोर्ड पहले से काम कर रहा था तो क्या उस पहले वाले बोर्ड की कुछ मीटिंगें हुई थीं और यदि हुई थीं तो उसमें लिए गए निर्णयों का क्रियान्वयन हुआ अथवा नहीं हुआ?

कुमारी शैलजा : अध्यक्ष महोदय, पहले बोर्ड की मीटिंग हुई थी और तीन मीटिंगें हुई थी, जब डा. शंकर दयाल शर्मा उसके अध्यक्ष थे। तो उसके बाद, क्योंकि यह एडवायजरी बोर्ड है उसके बाद थोड़ा गैप आया और उसका 1993 में रिकांस्टीट्यूशन किया गया और उसके बाद भी उसकी मीटिंगें हुई हैं और उसकी कुछ रिकोमेंडेशंस आई हैं।

अध्यक्ष महोदय : उसके ऊपर कुछ एक्शन लिया गया।

कुमारी शैलजा : यह डिटेल में है कि कुछ सब कमेटी बनाई गई है जिनका अभी रिपोर्ट आना बाकी है।

डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने पूछा था कि पहले वाले बोर्ड द्वारा की गई सिफारिशों पर कोई क्रियान्वयन हुआ अथवा नहीं हुआ है तो कौन-सी सिफारिशें मानी गईं। इन्होंने दूसरे बोर्ड का बताया कि दूसरे बोर्ड की बैठकें हुई हैं और उसमें कुछ निर्णय लिए गए हैं और सब कमेटियां बनाई गई हैं उनका अभी रिपोर्ट आना शेष है। मैं पहले वाले बोर्ड के बारे में जानना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : क्या पहले बोर्ड ने कुछ डिसीजन लिये थे और उसके ऊपर क्या कोई एक्शन हुआ है?

कुमारी शैलजा : अध्यक्ष महोदय, उसमें एक रिकोमेंडेशन यह भी था कि किस तरह से संस्कृत की उच्च शिक्षा को हम बेहतर कर सकते हैं, तो उसके ऊपर एक कमीशन बनाया गया था। एक चतुर्वेदी कमीशन बनाया गया था, उसके बारे में आप डिटेल चाहें तो मैं दे सकती हूं।

डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय : अध्यक्ष महोदय, पुनर्गठित बोर्ड की बैठकें होने वाली हैं और 3 उप समितियों का गठन किया गया है, लेकिन उनकी सिफारिशें अभी तक नहीं मिली हैं। मैं जानना चाहता हूं जो एक कमीशन चतुर्वेदी जी की अध्यक्षता में बनाया गया था, उसकी सिफारिशों को क्रियान्वित करेंगे?

कुमारी शैलजा : चतुर्वेदी कमीशन ने जो सिफारिशें दी थीं, उनके संबंध में एक अपेक्स कमीशन बनाया गया है और संस्कृत की शिक्षा के लिए यूजीसी से कंसल्ट किया जा रहा है और इसके संबंध में एक सब कमीशन बनाया गया है, जिसकी रिपोर्ट अभी आनी बाकी है।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : अध्यक्ष महोदय, संस्कृत के विकास एवं प्रोत्साहन के लिए सरकार बहुत-सी योजनाएं हाथ में ले रही है। सरकारी वक्तव्य के अनुसार उनमें एक कार्यक्रम ऐसा है, जिसका संबंध वेद मंत्रों के गायन की मौखिक परंपरा के परिरक्षण से है। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि

महिलाओं के वेदपाठ का मामला एक दुर्भाग्यपूर्ण विवाद का विषय बन गया है, क्या केंद्र सरकार दिल्ली में एक अखिल भारतीय सम्मेलन का आयोजन करेगी, जिसमें वेदपाठी महिलाओं को सारे देश से निमंत्रित किया जाएगा और भारत की राजधानी में महिलाओं से वेदपाठ करा कर यह सिद्ध किया जाएगा कि महिलाओं को भी वेदपाठ का अधिकार है।

कुमारी शैलजा : अध्यक्ष महोदय, मुझे बड़ी खुशी है कि वाजपेयी जैसे सीनियर मेंबर ने महिलाओं के संबंध में इतना अच्छा सुझाव दिया है। ...**(व्यवधान)** ...

इसको अवश्य एग्जामिन करेंगे।

श्री अटल बिहारी वाजपेयी : ऐसा सुझाव तो तत्काल मान लिया जाना चाहिए।

श्रीमती गिरिजा देवी : अध्यक्ष महोदय, ऐसे सामान्य संस्थान, जिनमें किसी भी भाषा में कामकाज हो, लेकिन नामपट्ट संस्कृत में हो, तो संस्कृत संस्थान द्वारा उनको 75 प्रतिशत अनुदान दिया जाएगा, सरकार द्वारा यह बात कही गई है और जिन संस्थानों में पूर्णतः संस्कृत में कामकाज होगा, उनको 95 प्रतिशत राशि अनुदान के रूप में दी जाएगी। अध्यक्ष महोदय, इस अनुदान राशि का दुरुपयोग हो रहा है, क्योंकि 75 प्रतिशत अनुदान राशि लेकर भी संस्कृत में कामकाज नहीं किया जाता है। इसके संबंध में क्या ऐसा कोई नियम बनाया जाएगा, ताकि ऐसे संस्थानों का सारा कामकाज संस्कृत में ही हो।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : क्योंकि इसे एक महिला सदस्य ने पूछा है, आप इसका उत्तर दें।

[हिन्दी]

कुमारी शैलजा : अध्यक्ष महोदय, संस्कृत के प्रमोशन के लिए सरकार वचनबद्ध है, लेकिन इस तरह की कोई योजना अभी हमारे पास नहीं है, जिससे कि इन संस्थाओं का सारा कामकाज संस्कृत में हो।

श्री हरिन पाठक : अध्यक्ष महोदय, हम सभी अच्छी तरह से जानते हैं कि संस्कृत सभी भारतीय भाषाओं की जननी है और हमारा सारा साहित्यिक, वैज्ञानिक और तकनीकी ज्ञान संस्कृत भाषा से मिलता है। संस्कृत के विकास के लिए संस्कृत बोर्ड का और विभिन्न समितियों का गठन किया गया। मैं यह जानना चाहता हूं कि इन तीन उप समितियों की रिपोर्ट कब तक आएगी और क्या सरकार किसी ऐसे रिसर्च इंस्टीट्यूट को प्रतिस्थापित करेगी, जिसके जरिए सारा ज्ञान विश्वविद्यालयों तक पहुंचाया जा सके?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब यह बात पुरुष सदस्य द्वारा पूछी गयी है। इसलिये आप इसका उत्तर देंगे।

[हिन्दी]

कुमारी शैलजा : अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने सब-कमेटी के बारे में कहा है। उसका गठन जनवरी में हुआ है। उनकी कोई मीटिंग नहीं हुई है और हमें अपेक्षा है कि वे जल्दी ही मीटिंग करके रिपोर्ट देंगे। जहां तक दूसरी बात है तो पहले से ही वेद विद्या प्रतिष्ठान और संस्कृत संस्थान कार्य कर रहे हैं।

दुग्ध भंडारण सुविधाएं

*85. **श्री बृजभूषणशरण सिंह :**
श्री रामसिंह कस्वा :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में दूध की कुल कितनी मांग है;

(ख) देश में कुल कितने दूध का उत्पादन होता है;

(ग) क्या उचित भंडारण सुविधा के अभाव में प्रतिवर्ष करोड़ों लीटर दूध खराब हो जाता है;

(घ) क्या सरकार ने दूध के लिए उपयुक्त भंडारण सुविधाएं उपलब्ध कराने हेतु कोई योजना तैयार की है, और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

[अनुवाद]

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविन्द नेताम) : (क) तथा (ख) दूध की कुल आवश्यकता और उत्पादन क्रमशः 71.3 तथा 60.8 मिलियन टन है।

(ग) तथा (घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

श्री अरविन्द नेताम : महोदय, पिछले सप्ताह भी आज ही के दिन यह प्रश्न पूछा गया था।

अध्यक्ष महोदय : मैं इसे देख लूंगा और यदि इसमें कोई भिन्नता होगी, तब इस सभा में आपके विवरण का मैं क्या करूंगा?

[हिन्दी]

श्री बृजभूषण शरण सिंह : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में बताया है कि हमारे देश में दूध की खपत से उत्पादन कम है। इससे निश्चित होता है कि उत्पादन कम है और मांग ज्यादा है तो दूध की कीमत बढ़ेगी और दूध उन्हीं को मिलेगा जिनके पास पैसा है और जो गरीब लोग हैं जिनके पास पैसा कम है तो वे दूध से वंचित रह जाएंगे। एक वर्ग जो गरीबी की रेखा से नीचे रह रहा है और दूध से वंचित है और जिसके स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ने वाला है तो क्या कोई ऐसी महत्वपूर्ण योजना बनाने जा रहे हैं कि दूध का उत्पादन हो सके।

श्री अरविन्द नेताम : अध्यक्ष महोदय, देश में 1950-51 से लेकर अब तक लगातार वृद्धि हुई है। 124 ग्राम पर-कैपिटा दूध का उपयोग होता था तो वह करीब-करीब 188 ग्राम हो गया है। इस प्रकार से निरंतर वृद्धि हो रही है। हमारा प्रयास है कि सहकारिता के माध्यम से पूरे देश में विशेषकर राजस्थान, गुजरात, पंजाब और हरियाणा जो फ्लड आपरेशन इलाके हैं उनमें काफी उत्पादन हो रहा है और इस तरह से जो नान-फ्लड एरिया है उनको आठवीं पंचवर्षीय योजना में ले रहे हैं।

कृषि मंत्री (श्री बलराम जाखड़) : अध्यक्ष महोदय, दूध की खपत का प्रश्न हो रहा है और आज दूध उत्पादकों को पूरा पैसा नहीं दे पा रहे हैं। उनका उत्पादन ज्यादा है इसलिए नहीं बिक रहा है और हमने कोशिश की है कि उनको पैसा दिलाया जाए, जिससे दूध उत्पादन ज्यादा हो। आज जिस प्रकार से दूध का उत्पादन हुआ है उसकी खपत का प्रबंध करना है और बाहर भेजने के प्रबंध का जो भी हो सकता है उसके लिए चेष्टा की जा रही है।

श्री बृजभूषण शरण सिंह : अध्यक्ष महोदय, अभी माननीय मंत्री जी ने बताया है कि दूध के भंडारण के संबंध में कोई नयी व्यवस्था नहीं की जा रही है। जैसी मुझे जानकारी है आज महाराष्ट्र के अंदर लाखों क्विंटल दूध वहां नालियों में बहाया जा रहा है। ...**(व्यवधान)**...

अध्यक्ष महोदय : इस बारे में इस सदन के अंदर बताया जा चुका है कि वह सही नहीं है, इसके बारे में क्या जिम्मेदारी लेकर कह रहे हैं कि यह सही है।

श्री बृजभूषण शरण सिंह : पंजाब केसरी में न्यूज छपी है कि चार लाख लीटर दूध महाराष्ट्र के अंदर ...**(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : यहां पर बताया जा चुका है कि यह सही नहीं है तो इसके बाद भी आप बोल रहे हैं।

श्री बृजभूषण शरण सिंह : हमारे पूर्वी उत्तर प्रदेश में नदी किनारे जो गांव हैं या जो जंगलों और पहाड़ों पर गांव हैं, जहां यातायात के साधन इतने अच्छे नहीं हैं, हम अपनी जिम्मेदारी ले सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : अपने क्षेत्र तक ही बोलिए, दूसरे के बारे में बिना जानकारी के न कहें।

श्री राम नाईक : यह बात सही है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आपको जिम्मेदारी लेनी होगी। आपने प्रश्न पूछा है आप जिम्मेदारी भी लें। तभी मैं आपको अनुमति दूंगा।

[हिन्दी]

श्री बृजभूषण शरण सिंह : वहां पर भंडारण की व्यवस्था न होने के कारण दूध का जो नुकसान हो रहा है उसके लिए कोई योजना आपके पास है या नहीं है?

अध्यक्ष महोदय : ज्यादा उत्पादन हो रहा है, भंडारण की व्यवस्था नहीं है उसके लिए क्या कर रहे हैं?

श्री अरविन्द नेताम : जहां तक सहकारिता क्षेत्र की व्यवस्था है उसके बारे में बताना चाहूंगा। जो मैट्रोपोलिटन सिटीज हैं वहां प्रतिदिन 3.88 मिलियन लीटर का इंतजाम है, ग्रामीण इलाके में 16.04 मिलियन लीटर प्रतिदिन का इंतजाम है। मिल्क पाउडर की स्टोरेज 22,450 मीट्रिक टन और बटर स्टोरेज की करीब-करीब 2050 मीट्रिक टन की पर्याप्त व्यवस्था है।

श्री राम नाईक : जिस दिन यहां पर यह कहा गया कि इस प्रकार का दूध मुम्बई की डेयरी में से बाहर नहीं गया, मैं आपको बताना चाहता हूं कि मुम्बई में वरली डेयरी में इस प्रकार का दूध दो दिन लगातार बहाया गया, क्योंकि वह पूरा प्रोसेस नहीं कर पाये, यह बात सही है। बाद में उस पर नियंत्रण पाया गया। अखबारों में जो आया है और फोटो के साथ छपा है, वह सही है। महाराष्ट्र सरकार ने उसको माना है, बाद में उसमें सुधार हुआ है। जिस दिन कहा गया था कि ऐसा नहीं हुआ, यह सही नहीं है तो मैंने उस दिन टोकना उचित नहीं समझा। लेकिन मैं जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं कि मुम्बई में ऐसा हुआ था।

श्री अरविन्द नेताम : इस संबंध में पूर्व में भी कुछ स्पष्टीकरण दिया गया था, मैं फिर से स्पष्ट करना चाहता हूं कि 23 नवंबर 1993 को इंडियन एक्सप्रैस में न्यूज आइटम छपा था। उस बारे में महाराष्ट्र सरकार ने जानकारी दी है। उसके अनुसार मुम्बई में तीन डेयरीज की जो रोज सफाई होती है, टैंकर्स को स्टर्लाइजेशन किया जाता है, धोया जाता है उसमें तीस से चालीस हजार लीटर....

अध्यक्ष महोदय : इस प्रकार से दूध बाहर फेंका गया या नहीं?

श्री बलराम जाखड़ : ऐसी बात नहीं है। ऐसा है कि उसकी प्रोसेसिंग करने की जितनी क्षमता होती है, उतने की प्रोसेसिंग हो जाती है। कुछ दूध बच जाता है तो उस दूध से फैट निकाल ली जाती है वह ह्यूमन कंजेग्शन के काम नहीं आता है या सफाई करने के बाद जो पानी फेंका जाता है वह सफेद होता है। यह बात थी। **(व्यवधान)**

श्री राजवीर सिंह : गलतबयानी हुई है उसका क्या होगा।

श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी : अगर अपने देश में दूध का ज्यादा उत्पादन है तो दूध से जो उत्पाद बनते हैं जो निर्यात भी हो सकते हैं, अपने देश में भी इस्तेमाल हो सकते हैं क्या सरकार बड़े पैमाने पर इस तरह की योजना बनाने जा रही है कि इस तरह के उत्पादों को बनाया जाये और दूध को बचाया जाये?

श्री अरविन्द नेताम : हमने दूध उत्पादन को देखते हुए 125 लाइसेंस प्राइवेट सेक्टर एवं सहकारिता क्षेत्र में दिये हैं और निर्यात के लिए भी छूट दी है। माननीय सदस्य की जो भावना है उससे हम सहमत हैं।

श्री वीरेन्द्र सिंह : माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी ने उत्तर दिया है कि 1950-51 तक दूध का उत्पादन बढ़ा है लेकिन भारत का इतिहास 1950-51 से प्रारंभ नहीं होता है। यह तो भारत का प्राचीनतम इतिहास है कि प्राचीनकाल में यहां पर दूध-दही की नदियां बहती थी। मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या यह सही नहीं कि भारत के गांवों का किसान दूध से संबंधित है और वह इसलिये निराश हो जाता है कि या तो उसके दूध का उचित मूल्य नहीं मिलता है या वह इसलिये

निराश हो जाता है कि उसको इस तरह से कोई प्रोत्साहन नहीं मिलता है? क्या सरकार के पास गांवों के लिये प्रस्तावित कोई योजना है जिससे किसानों को दूध अधिक पैदा करने के लिये प्रोत्साहन मिल सके?

श्री अरविन्द नेताम : अध्यक्ष महोदय, आप्रेशन फ्लड के तहत कार्यक्रम है, जो गांव के किसानों को अधिक से अधिक दूध उत्पादन के लिये दी जाती है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[अनुवाद]

"पूर्वी घाट क्षेत्र में वनरोपण"

*86. **श्री एस.एम. लालजान वाशा** : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पूर्वी घाट क्षेत्र, विशेषतः आंध्र प्रदेश में वनरोपण में वृद्धि करने हेतु किन्हीं क्षेत्रों का चंयन किया है,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं, और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) पश्चिमी घाटों में वनीकरण प्रयासों में वृद्धि करने के लिए जिलों का पता लगाने हेतु कार्रवाई की गई है। आंध्र प्रदेश में जिन जिलों का पता लगाया गया है वे हैं विशाखापटनम्, श्री काकुलम, पूर्व गोदावरी, पश्चिम गोदावरी, खम्माम और चित्तूर।.

(ख) इस संबंध में ब्यौरे सदन के पटल पर प्रस्तुत विवरण में दिए गए हैं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

इस संबंध में आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और तमिलनाडु राज्यों में उन जिलों की पहचान कर ली गई है, जहां पूर्वी घाट स्थित हैं। केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों की योजनाओं के अन्तर्गत वनीकरण और वृक्षारोपण कार्यकलाप प्रत्येक वर्ष चलाए जाते हैं। धन की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए पूर्वी घाट क्षेत्र सहित देश में वनीकरण और वृक्षारोपण प्रयासों में तेजी लाए जाने के प्रयास किए जा रहे हैं।

संबंधित जिलों जिनमें पूर्वी घाट स्थित है, में वनीकरण और वृक्षारोपण कार्यकलाप, राज्य वन विभाग तथा अन्य संबंधित विभागों की योजनाओं और केन्द्र सरकार की योजनाओं जैसे पर्यावरण और बन मंत्रालय की समेकित वनीकरण और पारिस्थितिकीय विकास परियोजना स्कीम, ईंधन लकड़ी और चारा परियोजना स्कीम, लघुवनोपज स्कीम और हवाई बीजारोपण स्कीम; ग्रामीण विकास मंत्रालय

की समेकित बंजर भूमि विकास परियोजना स्कीम और सूखा प्रवण क्षेत्रों का कार्यक्रम; कृषि मंत्रालय की नदी घाटी परियोजनाओं के आवाह क्षेत्रों में मृदा संरक्षण स्कीम आदि के अंतर्गत चलाए जाते हैं। इसी तरह राज्य सरकारों द्वारा कार्यान्वित की जा रही विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं के अन्तर्गत भी पूर्वी घाट क्षेत्र में वनीकरण और वृक्षारोपण कार्यकलाप चलाए जाते हैं।

आंध्र प्रदेश में, केन्द्र सरकार और आंध्र प्रदेश सरकार की वानिकी क्षेत्र की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत पूर्वी घाट क्षेत्र में 1992-93 तक लगभग 31840 हेक्टेयर क्षेत्र में वनीकरण और वृक्षारोपण कार्यकलाप चलाए गए हैं। इसके अतिरिक्त आंध्र प्रदेश सरकार ने सूचित किया है कि नदी घाटी परियोजनाओं के आवाह क्षेत्रों में मृदा संरक्षण स्कीम के अंतर्गत कृषि क्षेत्र में 51213 हेक्टेयर क्षेत्र का उपचार किया गया है जिसमें वृक्षारोपण कार्यकलाप शामिल हैं।

आंध्र प्रदेश के लिए, विश्व बैंक की सहायता प्राप्त एक वानिकी परियोजना पर बातचीत की गई है जिसे 1994-95 से कार्यान्वित किए जाने की आशा है। परियोजना की कुल लागत 354 करोड़ रुपए है। यह 6 वर्ष की अवधि में कार्यान्वित की जाएगी। परियोजना के सम्पूर्ण राज्य में कार्यान्वयन से पूर्वी घाट क्षेत्र सहित आंध्र प्रदेश राज्य में वनीकरण और वृक्षारोपण कार्यकलापों में वृद्धि होगी।

[हिन्दी]

भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान

*87. **श्री संतोष कुमार गंगवार** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान और भारतीय पक्षी अनुसंधान, संस्थान इज्जतनगर के कार्यकरण के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है;

(घ) क्या भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, के क्षेत्रीय रोग निदान अनुसंधान केन्द्र को बन्द किये जाने की संभावना है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो पशु चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में इस केन्द्र को विकसित न करने के क्या कारण हैं?

कृषि मंत्री (श्री बलराम जाखड़) : (क) से (ग) जी, हां। भारतीग पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान और केन्द्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान, इज्जतनगर की तथाकथित अनियमितताओं सम्बन्धी शिकायतों और उनके बारे में सरकार द्वारा की गई कार्रवाई का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(घ) जी, नही।

(ङ) लागू नहीं होता।

(च) केन्द्र को राज्य सरकार द्वारा भूमि के हस्तांतरण की प्रतीक्षा है। ज्यों ही भूमि हस्तान्तरित कर दी जाएगी, कलकत्ता में स्थित पूर्वी क्षेत्रीय केन्द्र को मजबूती प्रदान करने के लिए सभी जरूरी कदम उठाए जाएंगे।

विवरण

क्र.सं.	शिकायत का ब्यौरा	की गई कार्यवाही
1	2	3
	भारतीय पशु अनुसंधान संस्थान, इज्जतनगर	
1.	संस्थान के भूतपूर्व निदेशक तथा उनकी पत्नी के विरुद्ध कई अति विशिष्टि व्यक्तियों के कई पत्र और शिकायतें प्राप्त हुई हैं।	परिषद के दो अलग-अलग दलों द्वारा वर्ष 1990 में मामले की जांच की गई थी। उक्त दो रिपोर्टों में से एक केन्द्रीय जांच ब्यूरो को भी भेजी गई थी, जो कुछ आरोपों की जांच कर रहा है। उसकी रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जा रही है। इसी बीच विभाग ने संबद्ध अधिकारी को आरोप-पत्र दे दिया है। निदेशक की पत्नी को जो प्रमुख वैज्ञानिक हैं, पहले ही आरोप-पत्र दिया जा चुका है।
2.	श्री संतोष कुमार गंगवार संसद सदस्य के माध्यम से एल.पी.टी. प्रभाग की अनियमितताओं के संबंध में एक शिकायत मिली थी।	इस सम्बन्ध में निदेशक की टिप्पणी प्राप्त हुई थी। आगे उनसे और ब्यौरे मांगे गये हैं, जिनकी प्रतीक्षा की जा रही है।
3.	एक सेवानिवृत्त प्रायोजना समन्वयक के विरुद्ध झूठे यात्रा-भत्ते का दावा करने के संबंध में शिकायत प्राप्त हुई है।	संबद्ध व्यक्ति से स्पटीकरण प्राप्त कर लिया गया गया था और उस पर कार्यवाही की जा रही है।
4.	संस्थान के संयुक्त निदेशक के विरुद्ध वित्तीय अनियमितताओं संबंधी एक गुमनाम शिकायत प्राप्त हुई थी।	संस्थान के सतर्कता अधिकारी की जांच के लिए उक्त शिकायत भेजी गई है। उनकी अन्तिम रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जा रही है।
5.	दो विद्यार्थियों द्वारा प्रस्तुत अनुसंधान शोध प्रबन्धों शैक्षणिक अनियमितताओं के बारे में कई अति विशिष्ट व्यक्तियों के पत्र और कई अन्य शिकायतें प्राप्त हुई थीं।	इस मामले की जांच के लिए एक समिति नियुक्त की गयी थी। समिति की सिफारिशों के अनुसार आगे की कार्यवाही की जा रही है।

1	2	3
	केन्द्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान, इज्जतनगर	
1.	टैण्डर फार्मों को जारी करने के संबंध में निदेशक के खिलाफ एक शिकायत प्राप्त हुई है।	निदेशक की टिप्पणियां प्राप्त हो चुकी हैं और मामले में आगे कार्रवाई की जा रही है।
2.	बटेरों की कमी, बरेली में सी.वी.टी. दूर संचार की स्थापना, मुर्गियों के दाने की क्वालिटी, बकाया बिक्री कर और टेलीफोन के दुरुपयोग संबंधी अनियमिताओं की शिकायतें समाचार पत्रों के माध्यम से प्रकाश में आयी थीं।	इन शिकायतों के बारे में निदेशक की टिप्पणियां प्राप्त की जा चुकी हैं और इनके बारे में आगे कार्रवाई की जा रही है।

गोदामों का निर्माण

*88. **श्री केशरी लाल :**

प्रो. रासा सिंह रावत :

क्या **खाद्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में इस समय भारतीय खाद्य निगम/केन्द्रीय भंडागार निगम के राज्यवार कितने गोदाम हैं और उनकी क्षमता कितनी-कितनी है;

(ख) क्या भारतीय खाद्य निगम के गोदामों में खाद्य मदों की मात्रा उनकी भंडारण क्षमता से अधिक है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का देश में, विशेष रूप से पर्वतीय क्षेत्रों में और अधिक गोदामों का निर्माण करने का कोई प्रस्ताव है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) विवरण-I संलग्न है।

(ख) और (ग) दिनांक 1-1-1994 की स्थिति के अनुसार भारतीय खाद्य निगम के गोदामों में रखे स्टाक और निगम में उपलब्ध भंडारण क्षमता से संबंधित ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :–

(आकंड़े लाख मीटरी टन में)

	ढकी हुई	कैप	जोड़
क्षमता	199.18	35.40	234.58
स्टाक	158.35	26.85	185.20

अतः "मैक्रो" स्तर पर मौजूदा भंडारण क्षमता उपलब्ध स्टाक को रखने के लिए पर्याप्त है। तथापि, परिचालन अथवा व्यवस्था संबंधी बाधाओं के कारण भारी वसूली क्षेत्रों, महत्वपूर्ण उपभोक्ता क्षेत्रों और पहाड़ी तथा दुर्गम इलाकों जैसे कुछेक पाकेटों में समस्याएं पेश आती हैं। इन समस्याओं को दूर करने के उद्देश्य से भारतीय खाद्य निगम के फील्ड अधिकारियों को अतिरिक्त भंडारण क्षमता किराए पर लेने हेतु पर्याप्त शक्तियां प्रत्यायोजित की गई हैं। जहां-कहीं अतिरिक्त भंडारण क्षमता की आवश्यकता सिद्ध हो जाती है, वहां भारतीय खाद्य निगम उसका निर्माण भी करता है।

(घ) से (च) भारतीय खाद्य निगम अतिरिक्त भंडारण क्षमता के निर्माण के कार्यक्रम को क्रियान्वित करता है जिसमें पहाड़ी, पिछड़े और दुर्गम क्षेत्रों में भंडारण क्षमता मुहैया करवाने पर विशेष बल दिया जाता है। निगम का आठवीं योजना के दौरान कुल 6.62 लाख मीटरी टन की क्षमता का निर्माण करने का लक्ष्य है। जनवरी, 1994 तक निगम ने 2.30 लाख मीटरी टन क्षमता का निर्माण कर लिया है।

जहां तक केन्द्रीय भंडारण निगम का संबंध है, आठवीं योजना के पहले दो वर्षों (1992+93 और 1993-94) के दौरान कुल 1.85 लाख मीटरी टन क्षमता के पूरा हो जाने की उम्मीद है। वर्ष 1994-95 के दौरान 70,000 मीटरी टन की और क्षमता का निर्माण कर लिए जाने की उम्मीद है। योजना के शेष वर्षों से संबंधित प्रस्तावों को अभी तैयार किया जाना है। उल्लेखनीय है कि केन्द्रीय भंडारण निगम की क्षमता खाद्यान्नों और अन्य वस्तुओं, दोनों के लिए होती है।

पहाड़ी क्षेत्रों में गोदामों के निर्माण के लिए भारतीय खाद्य निगम और केन्द्रीय भंडारण निगम के प्रस्तावों से संबंधित राज्यवार सूचना विवरण–II में दी गई है।

विवरण-I

भारतीय खाद्य निगम और केन्द्रीय भंडारण निगम के पास 1-1-1994 की स्थिति के अनुसार राज्यवार उपलब्ध क्षमता सहित गोदामों/भंडागारों की कुल संख्या बताने वाला विवरण।

क्षमता (लाख मीटरी टन में)

क्रम संख्या	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	भारतीय खाद्य निगम		केन्द्रीय भंडारण निगम	
		गोदामों की संख्या	क्षमता	भंडागारों की संख्या	क्षमता
1	2	3	4	5	6
1.	अरुणाचल प्रदेश	2	0.10	-	-
2.	आंध्र प्रदेश	143	21.55	56	10.68
3.	असम	40	2.82	5	0.41
4.	बिहार	59	5.59	18	1.68
5.	गोवा	2	0.18	2	0.17
6.	गुजरात	48	11.57	25	2.79

1	2	3	4	5	6
7.	हरियाणा	121	16.42	18	2.15
8.	हिमाचल प्रदेश	18	0.24	2	0.05
9.	जम्मू और कश्मीर	13	0.92	-	-
10.	कर्नाटक	56	4.24	22	1.83
11.	केरल	33	5.38	5	0.70
12.	मध्य प्रदेश	152	12.36	42	7.16
13.	महाराष्ट्र	53	17.69	61	7.74
14.	मणिपुर	3	0.13	1	0.02
15.	मेघालय	6	0.17	-	-
16.	मिजोरम	4	0.13	1	0.015
17.	नागालैंड	5	0.18	1	0.13
18.	उड़ीसा	42	3.78	10	1.31
19.	पंजाब	403	60.60	32	6.04
20.	राजस्थान	94	14.98	13	1.35
21.	सिक्किम	2	0.08	-	-
22.	तमिलनाडु	28	6.97	28	5.62
23.	त्रिपुरा	8	0.36	2	0.24
24.	उत्तर प्रदेश	271	31.03	52	8.73
25.	पश्चिम बंगाल	83	12.22	46	5.25
26.	चंडीगढ़	12	0.68	1	0.15
27.	दिल्ली	10	3.81	13	1.46
28.	पांडिचेरी	3	0.41	1	0.10
	जोड़ :	1714*	234.59**	457	65.78

*इसमें केन्द्रीय भंडारण निगम से किराये पर लिए गए 158 भंडागार शामिल हैं।

**इसमें केन्द्रीय भंडारण निगम से किराये पर ली गई 20.58 लाख मीटरी टन क्षमता शामिल है।

विवरण-II

पहाड़ी क्षेत्रों में गोदामों/भण्डागारों का निर्माण करने के लिए भारतीय खाद्य निगम और केन्द्रीय भण्डारण निगम के प्रस्तावों के संबंध में राज्यवार सूचना

क्रम सं.	केन्द्र	राज्य	क्षमता
1	2	3	4
	भारतीय खाद्य निगम		
1.	हमीरपुर	हिमाचल प्रदेश	1670
2.	चम्बा	–वही–	1670*
3.	कुल्लु	–वही–	1670*
4.	शिमला	–वही–	2500*
5.	हर्रेवाला	उत्तर प्रदेश	10000
6.	न्यू टिहरी	–वही–	2500
7.	गोपेश्वर	–वही–	2500
8.	सतपुली	–वही–	2500
9.	लौंगतलाई	मिजोरम	3340
10.	भैराभी	–वही–	5000
11.	शिलांग	मेघालय	5000
12.	जोवई	–वही–	5000
13.	एजवाल	मिजोरम	5000
14.	जीरीबाम	मणिपुर	2500
15.	दीमापुर	नागालैण्ड	10000
16.	कोहिमा	–वही–	2500
17.	अगरतला	त्रिपुरा	5000
18.	तुरा	मेघालय	2500

1	2	3	4
	केन्द्रीय भण्डारण निगम		
1.	बाटापाड़ा	मध्य प्रदेश	5000**
2.	रायगड़ा	उड़ीसा	2500**
3.	श्रीनगर	उत्तर प्रदेश	5000**

*राज्य सरकार द्वारा भूमि उपलब्ध कराने पर निर्माण कार्य शुरू किया जायेगा।

**ये क्षमताएं केवल वर्ष, 1994-95 से सम्बन्धित हैं, शेष आठवीं योजना के लिए प्रस्ताव अभी तैयार किए जाने हैं।

[अनुवाद]

"बाघों का संरक्षण"

***89. प्रो. उम्मारेड्डि वेंकटेस्वरलु :**
श्री परसराम भारद्वाज :

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बाघों की नवीनतम गणना का बाघ अभयारण्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या इस गणना में बाघों की संख्या में कमी हुई है;

(ग) किन-किन बाघ अभयारण्यों में बाघों की संख्या में भारी कमी हुई है और इसके क्या कारण हैं;

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाएंगे;

(ड.) क्या सरकार का विचार किन्हीं अभयारण्यों को बाघ परियोजना के अंतर्गत लाने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) और (ग) एक विवरण सदन के पटल पर रखा गया है।

(ख) जी, हां।

(घ) बाघों के संबंध में सूचना एकत्र करने और उसका मिलान करने तथा उपचारी उपायों का सुझाव देने के लिए मंत्रालय में बाघ संकट सेल का गठन किया गया है। राज्य सरकारों को सलाह दी गई है कि वे सुरक्षित क्षेत्रों के आसपास सतर्कता बढ़ाएं और गश्त तेज कर दें।

(ङ) और (च) बाघ परियोजना के अन्तर्गत नए क्षेत्रों को शामिल करने के बारे में राज्य सरकारों से प्रस्ताव प्राप्त होने पर उनकी जांच की जाती है और प्रत्येक मामले के गुणावगुण के आधार पर निर्णय लिया जाता है। चालू वित्तीय वर्ष के दौरान बाघ परियोजना के अन्तर्गत ताडोबा-अन्धेरी (महाराष्ट्र) और बांधवगढ़ (मध्य प्रदेश) को शामिल किया गया है।

विवरण

विभिन्न बाघ रिजर्वों में 1993 की गणना के अनुसार बाघों की अनुमानित संख्या इस प्रकार है

क्र. सं.	बाघ रिजर्व का नाम	बाघों की संख्या 1993
1	2	3
1.	बान्दीपुर	66
2.	कार्बेट	123
3.	कान्हा	100
4.	मानस	81
5.	मेलघाट	72
6.	पलामू	44
7.	रणथम्भौर	36*
8.	सिमलीपाल	95
9.	सुन्दरवन	251
10.	पेरियार	30
11.	सरिस्का	24
12.	बुक्शा	29
13.	इन्द्रावती	18
14.	नागार्जुनसागर	51
15.	नामदफा	47

1	2	3
16.	दुधवा	94**
17.	कालाकड–मुंडनथुराई	17
18.	बाल्मीकि	49
19.	पेंच	39
	कुल	1266

* कैलादेवी अभयारण्य सहित

** किशनपुर अभयारण्य सहित

रणथम्भौर, इन्द्रावती, नागार्जुनसागर, पेरियार और बाल्मीकि बाघ रिज़र्वो में बाघों की संख्या में काफी कमी हुई है। इसका मुख्य कारण बाघ की हड्डियों तथा उसके शरीर के अन्य हिस्सों के व्यापार की अवैध मांग को पूरा करने के लिये चोरी–छिपे शिकार में वृद्धि होना है।

विश्व बैंक से सहायता

*90. **श्रीमती शीला गौतम :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में रेल परियोजनाओं के आधुनिकीकरण तथा रेल लाइनों के रख-रखाव के लिये विश्व बैंक के साथ समझौता किया गया था;

(ख) यदि हां, तो कितनी सहायता राशि प्राप्त हुई और इसमें से कितनी धनराशि अब तक वास्तव में खर्च की गयी है;

(ग) प्राप्त सहायता राशि का उपयोग न किये जाने के क्या कारण हैं;

(घ) समझौते की अवधि कब समाप्त होगी; और

(ङ) परियोजनाओं के कब तक पूरा हो जाने की संभावना है ?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : (क) रेलपथ के नवीकरण और अनुरक्षण की परियोजना के वास्ते धंन की व्यवस्था करने के लिए विश्व बैंक से ऋण लिया गया है।

(ख) ऋण की राशि 270 मिलियन अमरीकी डालर है जिसमें से अब तक 212 मिलियन अमरीकी डालर खर्च किए जा चुके हैं।

(ग) और (घ) विभिन्न ठेके देकर 248.324 मिलियन अमरीकी डालर की वचनबद्धता पहले ही कर ली गई है, यह करार 31-3-94 तक के लिए है, इसकी समयावधि बढ़ाए जाने की संभावना है और ऋण की शेष राशि को बढ़ाई गई अवधि के भीतर इस्तेमाल करने का प्रस्ताव है।

(ङ) परियोजनाओं को दिसंबर 1995 तक पूरा कर लिए जाने की संभावना है। आगे और सहायता प्राप्त करने के प्रश्न पर विचार वास्तविक आवश्यकता की समीक्षा करने के बाद ही किया जाएगा।

बागवानी का विकास

*91. **श्री हरीश नारायण प्रभु झांट्ये :**
श्रीमती चन्द्र प्रभा अर्स :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में बागवानी की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) क्या सरकार ने देश में बागवानी के विकास के लिए कोई योजना बनाई है;

(ग) यदि हां, तो विभिन्न राज्यों के लिए तैयार की गई योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(घ) आठवीं योजना अवधि के दौरान राज्य सरकारों, विशेष रूप से गोवा, कर्नाटक और महाराष्ट्र को बागवानी के विकास के लिये कितनी सहायता राशि आवंटित की गई है;

(ङ) कितनी विदेशी सहायता मिलने की संभावना है; और

(च) उपर्युक्त राज्यों के संबंध में यदि किन्हीं संयुक्त उद्यमों को स्वीकृति दी गई है तो उनका ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्री (श्री बलराम जाखड़) : (क) इस समय बागवानी फसलों के तहत 13.60 मिलियन हैक्टेयर क्षेत्र है जो कुल फसल क्षेत्र का मोटे तौर पर सात प्रतिशत है तथा देश के कृषि उत्पादन में इसके उत्पादन का अंश लगभग 106 मिलियन मीटरी टन है। यह कुल कृषि उत्पादन के सकल मूल्य के 18 से 20 प्रतिशत के बीच बैठता है।

(ख) जी, हां।

(ग) से (च) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(ग) विभिन्न राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों के अंतर्गत कार्यान्वयन के लिये चयनित योजनाओं का ब्यौरा इस प्रकार है :

क्र.सं.	योजना का नाम	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र जहां यह योजना लागू की जा रही है	कार्यान्वित किए जा रहे मुख्य घटक/कार्यक्रम
1	2	3	4
1.	उष्णकटिबंधीय, शुष्क और शीतोष्ण क्षेत्र के फलों का समेकित विकास	सभी राज्य/संघ शासित क्षेत्र	क्षेत्र विस्तार, अच्छे गुण-स्तर को रोपण सामग्री का उत्पादन और सप्लाई, तथा पुनर्नवीकरण पौध संरक्षण, पुनर्रोपण तथा आदान सप्लाई के जरिए उत्पादकता बढ़ाना।

1	2	3	4
2.	सब्जियों के बीजों का उत्पादन और सप्लाई।	लक्षद्वीप को छोड़कर सभी राज्य/संघ शासित क्षेत्र।	सब्जियों के बीजों की सप्लाई बढ़ाना तथा मिनिकिटों आदि की सप्लाई के जरिए अधिक उपज देने वाली किस्मों के तहत अधिक क्षेत्र बढ़ाना।
3. मसालों	मसाला विकास के लिए समेकित कार्यक्रम लक्षद्वीप के।	सभी राज्य/संघ शासित क्षेत्र, सिवाय चण्डीगढ़, दादरा एवं नागर हवेली दमन और दीव और	अच्छे गुणस्तर की रोपण सामग्री का उत्पादन, टिश्यू कल्चर तकनीक सहित अद्यतन प्रौद्योगिकी अपनाना, उन्नत किस्मों/अधिक संभावना वाले की बीज सामग्री का आयात, पुनर्रोपण तथा वैज्ञानिक कृषि विधियां अपनाकर अनुत्पादक उद्यानों को फिर से ठीक करना किसानों को उन्नत कृषि विधियां अपनाने के लिये किसानों को प्रेरित करना; जल संसाधनों का विकास, प्रशिक्षण मिनिकिटों का वितरण आदि।
4.	समेकित नारियल विकास	यह योजना आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, गोवा, गुजरात, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, नागालैंड, उड़ीसा, तमिल-नाडु, त्रिपुरा, लक्षद्वीप और पांडिचेरी में क्रियान्वित की जा रही है।	पौधरोपण सामग्री का उत्पादन एवं वितरण, प्रदर्शन एवं बीज उत्पादन फार्मों की स्थापना, डी.एस.पी. फार्मों से सम्बद्ध नर्सरियों की स्थापना, क्षेत्रीय नारियल नर्सरियों की स्थापना, नारियल की टी. एण्ड डी. संकर पौधों का उत्पादन एवं वितरण, नारियल के तहत आने वाले क्षेत्र को बढ़ाना, उत्पादकता में सुधार लाने की दृष्टि से नारियल की बागान में समेकित खेती करना, पत्तियां खाने वाले टिड्डियों का समेकित नियंत्रण नारियल प्रौद्योगिकी विकास केन्द्रों की स्थापना, प्रकाशन संबंधी कार्यकलापों आदि का विस्तार।
5.	सुपारी का विकास	यह योजना असम कर्नाटक और केरल में क्रियान्वित की जा रही है।	जड़ सड़ जाने के रोगों का नियंत्रण सुपारी की पौधों आदि सिंचाई, उत्पादन एवं वितरण संबंधी सुविधाएं मुहैया कराना।

1	2	3	4
6.	वाणिज्यिक पुष्पोत्पादन	लक्षद्वीप को छोड़कर शेष सभी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र।	टिश्यू कल्चर इकाइयों, क्षेत्र विस्तार, पौधरोपण सामग्री की आपूर्ति तथा पोस्ट हार्वेस्ट केन्द्रों की स्थापना सहित आदर्श केन्द्रों की स्थापना।
7.	कन्द-मूल फसलों की खेती का प्रवर्धन	गुजरात, जम्मू और कश्मीर चंडीगढ़, दादरा एवं नागर हवेली, दिल्ली, दमन और दीव, लक्षद्वीप और पांडिचेरी को छोड़कर सभी राज्य संघ राज्य क्षेत्र।	जैव-केन्द्रों और उप-केन्द्रों की स्थापना, मिनिकिटों का वितरण, किसानों के खेतों में प्रदर्शन क्यारियों का प्रदर्शन आदि।
8.	औषधीय एवं सुगंधित पौधों का विकास	यह योजना आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, और पश्चिम बंगाल में क्रियान्वित की जा रही है।	गुणवत्ता वाली पौधरोपण सामग्री का उत्पादन एवं वितरण, आधुनिक आसवन इकाइयों की स्थापना, जड़ी-बूटी बागानों की स्थापना नर्सरी केन्द्रों की स्थापना, प्रदर्शन एवं उत्पादन क्यारियों एवं क्षेत्रीय विश्लेषणात्मक प्रयोगशालाओं की स्थापना।
9.	खुम्बी की खेती	यह योजना आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, मिजोरम उड़ीसा, सिक्किम, अंडमान और दादरा और नागर हवेली, दमन और दीव, लक्षद्वीप और पांडिचेरी को छोड़कर सभी राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों में क्रियान्वित की जा रही है।	स्पान उत्पादन इकाइयों और पेश्च्यूराइज्ड कम्पोस्ट उत्पादन इकाइयें की स्थापना करना; तथा किसानों के प्रशिक्षण देना।
10.	पान की बेलों का विकास	यह योजना गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू	प्रदर्शन प्लाटों की स्थापना, संरक्षिकाओं/जाफरियों का निर्माण जल संसाधानों का विकास एवं पौध

1	2	3	4
		और कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, चंडीगढ़, दादरा व नागर हवेली, दिल्ली, दमन और दीव और लक्षद्वीप को छोड़कर सभी राज्यों में क्रियान्वित की जा रही है।	संरक्षण उपकरणों का वितरण।
11.	एकीकृत काजू विकास कार्यक्रम	यह योजना आंध्र प्रदेश, गोवा, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, उड़ीसा, तमिलनाडु प. बंगाल और अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह में कार्यान्वित की जा रही है।	काजू बागान का अनुरक्षण, एवं बागानों का विकास, पुराने गैर किफायती बगीचों का पुनः पौधरोपण/पुनरुद्धार, व्यापक उत्पादन प्रौद्योगिकी अपनाना, गहन नाशीकीट नियंत्रण उपाय आदि।
12.	कोको का विकास	यह योजना आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में क्रियान्वित की जा रही है।	क्लोन बीज बागानों की संस्थापना, क्वालिटी रोपण सामग्री का वितरण, किसानों को खेतों में उच्च उत्पादक क्लोन के प्रदर्शन क्यारियों की स्थापना, गैर-उत्पादक बागानों का पुनरुद्धार सिंचाई एककों की स्थापना, किसान प्रशिक्षण और पादप रक्षण अभियान के जरिए प्रौद्योगिकी अंतरण।
13.	कृषि में प्लास्टिक्स का उपयोग	यह योजना सभी राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों में चलाई जा रही है।	ड्रिप इंस्टालेशन, ड्रिप प्रदर्शन, मल्च करना तथा पादप गृह आदि।

उपर्युक्त योजनाओं के अलावा, सभी राज्य/संघ शासित क्षेत्र फलों, सब्जियां, पुष्पों तथा मशरूम आदि की कटाई पश्चात् सुविधाओं के विकास के लिए भी परियोजना आधार पर राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड से सहायता प्राप्त करते हैं।

(घ) आठवीं योजनावधि के दौरान बागवानी फसलों के विकास के लिए निधियों का राज्यवार आवंटन इस प्रकार है :

क्र.सं.	राज्य का नाम	आठवीं योजना के लिए आवंटन (लाख रुपये में)
1.	गोवा	847.18
2.	कर्नाटक	6472.93
3.	महाराष्ट्र	5985.85

उपर्युक्त के अलावा राज्य परियोजना आधार पर राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड से फलों, सब्जियों, पुष्पों तथा मशरूम की कटाई बाद सुविधाओं के विकास हेतु भी सहायता प्राप्त करेंगे।

(ङ) और (च) गोवा, महाराष्ट्र और कर्नाटक राज्यों में विदेशी सहायता/संयुक्त उद्यम के संबंध में स्थिति इस प्रकार है :

1. यूरोपीय आर्थिक समुदाय की सहायता से कर्नाटक में बागवानी विकास के लिए परियोजना।
2. यूरोपीय आर्थिक समुदाय की सहायता से कर्नाटक सहित दक्षिणी राज्यों में नारियल पुनःस्थापना परियोजना।

अभी परियोजना प्रस्तावों पर राज्य सरकार द्वारा पुन विचार किया जा रहा है। उपलब्ध होने वाली संभावित विद्धेशी सहायता की राशि का इन परियोजनाओं का अंतिम रूप दिए जाने पर ही पता चलेगा।

3. जनाबुल मावल तालुका, पुणे, महाराष्ट्र में स्थित कट फ्लावर्स (ताजा) के उत्पादन के लिए निजी क्षेत्र में विदेशी सहायता से संयुक्त उद्यम को हाल ही में मंजूरी दी गई है। प्रस्तावित विदेशी साम्य सहभागिता पूंजी 17.75 लाख रुपए की है। निर्यात प्रयोजनों के लिए कट फ्लावर्स की प्रस्तावित क्षमता 60 लाख कट फ्लावर्स है।

रेल परियोजनाएं

*92. **श्रीमती सुशीला गोपालन :**
श्री तरित वरण तोपदार :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बहुत-सी रेल परियोजनाएं निर्धारित समय से पीछे चल रही हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी परियोजनावार ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन परियोजनाओं को पूरा करने हेतु सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफ़र शरीफ) : (क) जी, हां।

(ख) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

(ग) परियोजनाओं पर गहन निगरानी रखना, राज्य सरकारों के साथ निकट समन्वय बनाए रखना और बाजार से उधार लेकर वित्तीय संसाधनों को बढ़ाना कुछ ऐसे उपाय हैं जो परियोजनाओं को निर्धारित समय से पीछे न जाने देने के लिए किये गये हैं।

विवरण

(ख) 20 करोड़ रुपये तथा इससे अधिक लागत वाली उन रेल परियोजनाओं की स्थिति, जो निर्धारित समय से पीछे चल रही है

क्र.सं.	परियोजना का नाम	अनुमानित लागत (करोड़ रु. में)	स्वीकृति का वर्ष	पूरा करने की निर्धारित तिथि	पूरा होने की संभावित तिथि
1	2	3	4	5	6
1.	साहिबगंज-लिंक केबिनमाल्दा	36.80	86-87	03/91	03/95
2.	गढ़वा रोड-सोननगर	48.89	88-89	03/91	03/94
3.	विकाराबाद-तंदूर	46.83	88-89	03/90	03/95
4.	रायपुर-विजयनगरम	78.00	87-88	03/91	06/94
5.	कायनकुलम-कोल्लम	45.76	89-90	03/93	03/94
6.	मलखेड रोड-वाडी	20.00	88-89	12/92	04/94
7.	सोननगर-मुगलसराय	165.00	90-91	03/95	12/95
नई लाइनें					
8.	जोगीघोपा-गुवाहाटी	423.00	84-85	06/94	12/96
9.	कोरापुट-रायगड़ा	419.00	89-90	12/92	6/96
10.	मथुरा-अलवर	70.50	85-86	12/92	3/94
11.	बगहा-छितौनी	164.00	74-75	03/94	03/95
यातायात संबंधी अन्य सुविधाएं					
12.	यार्ड के ढांचे में परिवर्तन चरण-1, स्तर-1, बर्द्धमान	20.00	86-87	12/92	12/94
13.	हवड़ा-बन्डेल मुख्य लाइन क्षमता बढ़ाना	20.88	86-87	03/92	03/94

1	2	3	4	5	6
महानगर परिवहन परियोजनाएं					
14.	मेट्रो रेलवे, कलकत्ता	1540.00	04/72	03/95	12/97
15.	मानखुर्द-बेलापुर रेल लाइन परियोजना	435.00	06/87	06/93	-
16.	अंधेरी और बान्द्रा के बीच अतिरिक्त जोड़ी लाइनें	111.57	1986	12/93	12/97
17.	मद्रास बीच से लुज तक द्रुत परिवहन प्रणाली परियोजना	187.01	01/87	03/95	12/97
विद्युतीकरण					
18.	बीना-कटनी	206.95	84-85	09/93	09/94
19.	कटनी-बिलासपुर	326.95	84-85	03/94	12/94
20.	सोननगर-पतरातू	98.76	90-91	03/94	03/95
दूर-संचार					
21.	सियालदह साउथ-डाक तार केबुलों के बदले नियंत्रण संचार	24.21	86-87	09/93	12/94
22.	प्रधानखुंटा-खाना-डाक तार केबुलों के बदले नियंत्रण संचार	21.35	85-87	03/91	06/94
23.	चल रेडियो संचार के नियंत्रण के लिए गाड़ी	30.84	87-88	03/93	03/95
24.	टूण्डला-मुगलसराय मौजूदा एम.डब्ल्यू. लिंक का डिजिटल लिंक से बदलाव	30.85	89-90	03/92	12/94
25.	मद्रास-मैसूर-मौजूदा एम. डब्ल्यू. लिंक का डिजिटल प्रणाली से बदलाव,	23.86	88-89	03/93	12/94

कारखाने, उत्पादन यूनिटों सहित					
26.	भोपाल-सवारी डिब्बा मरम्मत कारखाना	64.87	81-82	06/90	12/94
27.	रेल कोच फैक्ट्ररी, कपूरथला	359.19	85-86	03/92	03/95
सिगनल प्रणाली					
28.	मुगलसराय-11 केबिनों पर आउटडोर और इन-डोर गियरों का बदलाव	23.01	85-86	03/93	03/95
बिजली संबंधी अन्य काम					
29.	मुगल सराय-कानपुर (6 अतिरिक्त कर्षण सब-स्टेशन)	29.31	85-86	03/91	03/94
30.	कानपुर-गाजियाबाद (6 अतिरिक्त कर्षक सब-स्टेशन)	33.54	86-87	06/92	06/94
31.	चांडिल-दुर्ग (10 अतिरिक्त कर्षण सब-स्टेशन)	24.08	85-86	03/89	09/95
32.	गोमो-मुगलसराय (4 अतिरिक्त कर्षण स स्टेशन)	21.84	85-86	10/93	03/95
पुल संबंधी काम					
33.	निडदबीलू-सामलकोट पुराने गोदावरी पुल के बदले में पुल	48.06	79-80	03/93	12/95
34.	मुरादाबाद-सहारनपुर गंगा नदी पर दूसरा नया बालावली पुल सं. 148,	22.67	90-91	05/93	05/95

मेट्रो स्टेशनों का गैर सरकारीकरण

*93. **श्री सनत कुमार मंडल** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कलकत्ता मेट्रो रेलवे के मेट्रो स्टेशनों की मरम्मत और रख-रखाव का कार्य गैर-सरकारी ठेकेदारों को देने का निर्णय लिया है;

(ख) क्या स्टेशन की सुरक्षा, नियमित सफाई और रंग-रोगन आदि की देखभाल के लिए एक बहुप्रयोजनीय ठेका दिया जा रहा है; और

(ग) गैर-सरकारी ठेकेदारों को सौंपने हेतु चुने गए मेट्रो रेलवे स्टेशनों का ब्यौरा क्या है और उसकी शर्तें क्या हैं ?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : (क) मेट्रो स्टेशनों की मरम्मत तथा रख-रखाव ठेकों के माध्यम से किया जाता है।

(ख) जी, हां।

(ग) काम के लिए ठेका स्टेशनवार नहीं दिया जाता, इस समय, विभिन्न मेट्रो स्टेशनों पर प्रत्येक किस्म के काम के लिए अलग-अलग ठेके दिए जाते हैं, सभी मेट्रो स्टेशन (11 स्टेशन), जो पहले से खोले गये हैं, इस योजना के अंतर्गत आते हैं, ठेके के करार में उल्लिखित धन के भुगतान पर, ठेकेदार निम्नलिखित विनिर्दिष्ट ड्यूटियां/कार्य करते हैं :

1. स्टेशनों को साफ-सुथरा रखना।
2. मेट्रो रेलवे स्टेशनों पर तथा नामित मेट्रो रेल संस्थापनाओं (स्टेशनों से भिन्न) में जांच सहायकों को तैनात करना।
3. टालीगंज कार शेड तथा मेट्रो कोचों की सफाई करना।
4. मेट्रो स्टेशनों पर कृत्रिम छत तथा वातानुकूलन नलिकाओं की सफाई तथा रख-रखाव।
5. टिकट जारी करने वाली मशीनों का रख-रखाव।
6. "फैक्स" मशीनों का अनुरक्षण।
7. स्वचल किराया संग्रहण और यात्री नियंत्रण प्रणाली का अनुरक्षण।
8. बागवानी का सिविल अनुरक्षण, रेलपथ अनुरक्षण और संरचना अनुरक्षण।

भविष्य में खोले जाने वाले स्टेशनों के संबंध में यह काम पश्चिम रेलवे के बान्द्रा पैटर्न पर किया जाएगा, जहां विज्ञापन अधिकारों तथा वाणिज्यिक प्रचार का कार्य ठेके में शामिल किया जाता है, ताकि पूरा वित्तीय लाभ प्राप्त हो सके।

कोणार्क मंदिर

*94. **श्री लोकनाथ चौधरी** : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को उड़ीसा में कोणार्क मंदिर के तेजी से हो रहे अपक्षय की जानकारी है;

(ख) क्या मंदिर के जीर्णोद्धार का कार्य आरंभ कर दिया गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) उड़ीसा का सूर्य मन्दिर कोणार्क तेजी से खराब नहीं हो रहा है।

(ख) और (ग) सूर्य मन्दिर कोणार्क का रख-रखाव, संरक्षण और परिरक्षण एक सतत प्रक्रिया है। जर्जर लेटराइट और खंडोलाइट पत्थरों के स्थान पर, पुरातत्व के सिद्धान्तों के अनुसार रंग और बनावट, दोनों प्रकार से असल से मेल खाते नए पत्थरों को लगाने के अलावा, यह इमारत जलरोधी भी है। मन्दिर की खुली सतह को कीचड़ और काई हटाने के बाद रसायनों से साफ किया जाता है। फिर इस पर फफूंदनाशी लगाया जाता है, तत्पश्चात परिरक्षक रसायन का लेप किया जाता है।

शिक्षा मंत्रियों का सम्मेलन

*95. **श्री चन्द्रेश पटेल :** क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 7 फरवरी, 1994 को नई दिल्ली में शिक्षा मंत्रियों का एक सम्मेलन हुआ था,

(ख) यदि हां, तो किन-किन मुख्य विषयों पर विचार-विमर्श हुआ,

(ग) क्या सम्मेलन में कोई निर्णय लिये गये थे,

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(ङ) सरकार उन्हें लागू करने हेतु क्या कदम उठायेगी ?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) जी, नहीं। मुख्यमंत्रियों का एक सम्मेलन 15 फरवरी को आयोजित किया गया था।

(ख) इस बैठक में साक्षरता के संबंध में राष्ट्रीय विकास परिषद् (एन.डी.सी.) समिति और शिक्षा के विकेन्द्रीकृत प्रबंध पर केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड (सी.ए.बी.ई.) समिति की रिपोर्टों और सबके लिए शिक्षा संबंधी प्रस्तावों पर विचार-विमर्श किया गया था।

(ग) से (ङ) सम्मेलन में यह निर्णय लिया गया कि सभी के लिए शिक्षा (ई.एफ.ए.) को उच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए और विकेन्द्रीकृत प्रबन्धन, बढ़े हुए संसाधनों तथा मानीटरिंग तंत्रों के संदर्भ में इसे सहायता दी जानी चाहिए।

[हिन्दी]

बंजर भूमि

*96. **श्री गुमानमल लोढ़ा :** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आठवीं पंचवर्षीय योजना में बंजर भूमि को उपजाऊ बनाने हेतु बोर्ड लक्ष्य निर्धारित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त अवधि के दौरान भूमि कटाव तथा अपक्षीणन से प्रभावित हुई भूमि का विकास करने तथा उसे कृषि योग्य बनाने के लिए भी लक्ष्य निर्धारित किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो प्रत्येक राज्य में इस प्रकार की कितनी भूमि है और उसे कृषि योग्य बनाने के लिए अनुमानतः कितनी राशि की आवश्यकता होगी ?

कृषि मंत्री (श्री बलराम जाखड़) : (क) और (ख) जी, नहीं। बंजर भूमि में खुली अधिक ढलान वाली पहाड़ियां, बर्फ से ढके तथा अन्य ऐसे क्षेत्र आदि शामिल हैं जिन पर कम लागत से खेती नहीं की जा सकती। इसलिए, ऐसी बंजर भूमि में खेती शुरू करने का कोई कार्यक्रम नहीं है।

(ग) जी, हां।

(घ) मृदा क्षरण और अनुर्वरता से प्रभावित भूमि का वर्तमान राज्यवार अनुमान का विवरण संलग्न है। आठवीं पंचवर्षीय योजना में भारत सरकार की योजनाओं के अंतर्गत ऐसी भूमि के सुधार के लिए 79.31 लाख हैक्टेयर भूमि का लक्ष्य प्रस्तावित किया गया है जिसके लिए विभिन्न योजनाओं के माध्यम से भारत सरकर के अंश का 4498.60 करोड़ रुपये का परिव्यय प्रस्तावित किया गया है। राज्यों के लिए वार्षिक भौतिक और वित्तीय लक्ष्यों का निर्णय उनके कार्यनिष्पादन तथा आवंटित प्लान आवंटन को ध्यान में रखकर किया जाता है।

विवरण

(क्षेत्र हजार हैक्टेयर में)

क्र. सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	भौगोलिक क्षेत्र	के कारण निम्नीकृत भूमि क्षेत्र		
			क्षरण*	समस्या वाले क्षेत्र***	कुल
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	27682	11502	729	12231
2.	अरुणाचल प्रदेश	8358	2444	210	2654
3.	असम	7852	2217	782	2999
4.	बिहार	17388	4260	2292	6552
5.	गुजरात	19598	9946	2640	12586

1	2	3	4	5	6
6.	हरियाणा	4422	1591	2571	4162
7.	हिमाचल प्रदेश	5567	1914	-	1914
8.	जम्मू और कश्मीर	22224	883	10	893
9.	कर्नाटक	19177	10989	414	11403
10.	केरल	3887	1757	178	1935
11.	मध्य प्रदेश	44284	19610	1107	20717
12.	महाराष्ट्र	30776	19181	665	19846
13.	मणिपुर	2236	374	360	734
14.	मेघालय	2249	837	265	1102
15.	मिजोरम	2109	421	189	610
16.	नागालैंड	1653	405	633	1038
17.	उड़ीसा	15578	4578	3225	7803
18.	पंजाब	5036	1007	2223	3230
19.	राजस्थान	34221	19902	17492	34221
20.	सिक्किम	730	303	-	303
21.	तमिलनाडु	13007	3640	182	3822
22.	त्रिपुरा	1048	167	112	279
23.	उत्तर प्रदेश	29441	7110	6005	13115
24.	पश्चिम बंगाल	8785	1033	3270	4303
25.	गोवा	370	200	-	200
26.	अण्डमान एंव निकोबार द्वीपसमूह	829	259	-	259
27.	चंडीगढ़	11	1	-	1

1	2	3	4	5	6
28.	दादरा एवं नागर हवेली	49	12	-	12
29.	दिल्ली	148	74	1	75
30.	दमन एवं दीव	11	-	-	-
31.	लक्षद्वीप	3	-	-	3
32.	पाण्डिचेरी	49	3	-	3
	योग	328778	126620	45555 +1465**	172175 +1465
	कुल योग	328778	126620	47020	173640

*जल क्षरण सहित **समुद्र तटीय बालू क्षेत्र

***वायु कटाव सहित

[अनुवाद]

"राष्ट्रीय उद्यान प्राधिकरण"

*97. **श्री बोल्ला बुल्ली रामय्या :**

डा. कृपासिन्धु भोई :

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने वन्य जीवों के वैज्ञानिक प्रबंधन और संरक्षण के लिए एक राष्ट्रीय उद्यान प्राधिकरण स्थापित करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके उद्देश्य क्या हैं और उसमें कौन-कौन सदस्य होंगे;

(ग) क्या सरकार ने इस विषय पर राज्यों से चर्चा की थी;

(घ) यदि हां, तो इस पर राज्यों की प्रतिक्रिया क्या है;

(ङ) क्या इस संबंध में विस्तृत प्रस्ताव तैयार करने के लिए एक उप-समिति गठित की गई थी;

(च) यदि हां, तो उप-समिति ने क्या सुझाव दिए हैं, और

(छ) राष्ट्रीय उद्यान प्राधिकरण कब से काम करना आरंभ कर देगा?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) से (घ) पर्यावरण और वन मंत्रालय का एक राष्ट्रीय उद्यान प्राधिकरण स्थापित करने का प्रस्ताव है, जिसके उद्देश्य और गठन विवरण में दिए गए हैं। राज्य सरकारों से प्रस्ताव के बारे में अपनी टिप्पणियां भेजने का अनुरोध किया गया है।

(ङ) जी, नहीं

(च) प्रश्न नहीं उठता।

(छ) भारतीय राष्ट्रीय उद्यान प्राधिकरण के गठन के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित नहीं की गई है।

विवरण

प्रस्तावित उद्देश्य : भारतीय राष्ट्रीय उद्यान प्राधिकरण ऐसे सभी उपाय कर सकता है, जिनसे वन्यजीव संरक्षण सुदृढ़ और राष्ट्रीय उद्यानों तथा विशेषकर निम्नलिखित बातों के प्रबंध में सुधार हो :

(क) राष्ट्रीय उद्यानों की सुरक्षा के लिए दिशा-निर्देश तैयार करेगा जिसमें, अन्य बातों के साथ-साथ वासस्थलों की सुरक्षा और सुधार, कर्मचारियों की व्यवस्था की पद्धति, कर्मचारियों के कार्यकाल की स्थिरता, जैविक हस्तक्षेप को कम करने के उपाय और पर्यटन आदि का विनियमन जैसे मामले आते हैं;

(ख) प्रत्येक राष्ट्रीय उद्यान के वैज्ञानिक आधार पर विकास के लिए दिशा-निर्देश और प्रबंध योजनाएं तैयार करेगा;

(ग) राष्ट्रीय उद्यानों में वन्यजीव संरक्षण के विभिन्न पहलुओं पर अनुसंधान अध्ययन सर्वेक्षण और मूल्यांकन करेगा और उनको सहायता देगा, इसमें प्रबंध योजनाओं में निर्धारित विभिन्न कार्यवाही कार्यक्रमों का मूल्यांकन करने के लिए प्रभाव मूल्यांकन अध्ययन भी आते हैं;

(घ) उद्यान कर्मचारियों की कार्यकुशलता बढ़ाने के लिए कार्यक्रम तैयार करेगा और उन्हें सहायता देगा;

(ङ) प्रबंध और सुधार को दीर्घकालीन योजनाओं के संदर्भ में प्रत्येक राष्ट्रीय उद्यान के लिए राज्य वन्यजीव प्राधिकरणों की वार्षिक विकास योजनाओं की छानबीन करेगा और राष्ट्रीय उद्यानों को वित्तीय सहायता देने के लिए सरकार को सिफारिशें करेगा;

(च) राष्ट्रीय उद्यानों के संदर्भ में विशेष परिस्थितियों और समस्याओं से निपटने के लिए विशेष सहायता के किन्हीं भी प्रस्तावों की जांच और मूल्यांकन करेगा;

(छ) विदेशी सहायता प्राप्त करने के लिए राष्ट्रीय उद्यानों में वन्यजीव वासस्थलों के प्रबंध और संरक्षण के सभी पहलुओं के लिए परियोजना प्रस्तावों को तैयार करने की संभावनाओं का पता लगायेगा, और इस बारे में सरकार से सिफारिश करेगा।

(ज) नए उद्यानों की स्थापना करने या विद्यमान उद्यानों की सीमाओं या स्तरों में संशोधन या परिवर्तन करने सहित राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में राज्य वन्यजीव प्राधिकारियों के सभी प्रस्तावों पर विचार करेगा और राज्य एवं केन्द्र सरकार को विशेष सलाह देगा; तथा

(झ) ऐसे सभी उपाय करेगा, जो वन्यजीव तथा जैव विविधता के हित में राष्ट्रीय उद्यानों के प्रबंध का दर्जा बढ़ाने के मूल उद्देश्यों के सुसंगत या अनुषंगिक हों।

भारतीय राष्ट्रीय उद्यान प्राधिकरण का प्रस्तावित गठन

1.	पर्यावरण और वन मंत्री	अध्यक्ष
	सदस्य	
2.	सचिव, पर्यावरण और वन मंत्रालय	
3.	वन महानिरीक्षक	
4.	महानिदेशक, पर्यटन, भारत सरकार	
5-10.	राज्यों के छः वन्यजीव वार्डन (प्रत्येक छः क्षेत्रों में से एक-एक प्रत्येक दो वर्ष के लिए बारी-बारी से)	
11.	निदेशक, भारतीय वन्यजीव संस्थान	
12.	निदेशक, बाघ परियोजना	
13.	अपर निदेशक/प्रभारी कार्य अधिकारी, हाथी परियोजना	
14.	सदस्य सचिव, केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण	
15-20.	सुरक्षित क्षेत्रों के प्रबंध, वन्यजीव जैविकी, संरक्षण और पारि प्रणालियों, पर्यावरणीय कार्यक्रमों का प्रबंध और वनों तथा उद्यानों पर निर्भर संबंधित सामाजिक आर्थिक मामलों के क्षेत्र में अनुभव और विशेषज्ञता रखने वाले छःविख्यात व्यक्तियों को अध्यक्ष द्वारा नामित किया जाना है।	
21.	अपर वन महानिरीक्षक (वन्यजीव) पर्यावरण और वन मंत्रालय	सदस्य सचिव

[हिन्दी]

तिलहनों संबंधी प्रौद्योगिकी मिशन

*98. **श्री नीतीश कुमार :**
श्री नवल किशोर राय :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तिलहनों संबंधी प्रौद्योगिकी मिशन द्वारा देश में ऐसे किन-किन जिलों का चयन किया गया है, जहां तिलहनों का अधिकतम उत्पादन किया जा सकता है;

(ख) इन जिलों में औसत अधिकतम उत्पादन कितना होने की संभावना है;

(ग) क्या सरकार ने इन जिलों में किसानों को तिलहनों की उपज के लिए प्रोत्साहन देने की कोई योजना बनायी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(ङ) इस योजना के कब तक लागू कर दिये जाने की संभावना है?

कृषि मंत्री (श्री बलराम जाखड़) : (क) सभा पटल पर विवरण रखा गया है।

(ख) 1993-94 में 21 मिलियन मीटरी टन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए इन जिलों में प्रत्याशित अधिकतम उत्पादन का औसत प्रति जिला 64,616 मी. टन है।

(ग) जी, हां।

(घ) और (ङ) केंद्र द्वारा प्रवर्तित तिलहन उत्पादन कार्यक्रम के अंतर्गत महत्वपूर्ण आदानों जैसे बीजों का उत्पादन और वितरण, पौध संरक्षण रसायनों तथा उपकरणों, उन्नत फ़ार्म उपस्करों, छिड़काव यंत्रों की आपूर्ति करने, खुदरा विक्रय केंद्र खोलने, जिप्सम/पाइराइट्स, माइक्रोन्यूट्रीन्ट्स आदि के लिए सहायता दी जाती है। कार्यक्रम की लागत को भारत सरकार तथा राज्यों के मध्य 75:25 के आधार पर शेयर किया जाता है। चालू वर्ष के लिए केंद्रीय परिव्यय 97.50 करोड़ रुपये है। तिलहम उत्पादन कार्यक्रम को 8वीं योजना के दौरान क्रियान्वित करने की स्वीकृति दी गई है।

विवरण

तिलहन उत्पादन कार्यक्रम के अंतर्गत कवर किए गए जिलों की संख्या

क्र. सं.	राज्य/जिले
1	2
(1)	**आन्ध्र प्रदेश**
1.	अनन्तपुर
2.	आदिलाबाद
3.	चित्तौड़
4.	कडप्पा
5.	पूर्वी गोदावरी
6.	गुंटूर

1	2
7.	करीमनगर
8.	खम्मान
9.	कृष्णा
10.	कुरनूल
11.	महबूबनगर
12.	मेड़क
13.	नालगोण्डा
14.	नेल्लोर
15.	निजामाबाद
16.	प्रकासम
17.	रंगारेड्डी
18.	श्रीकाकुलम
19.	विशाखापट्नम
20.	विजयानगरम
21.	वारगल
22.	पश्चिम बंगाल
	कुल : 22
(2)	**असम**
1.	बारपेटा
2.	दारांग
3.	धूंब्री
4.	डिब्रूगढ़
5.	गोपालपुरा
6.	जोरहाट
7.	कामरूप

1	2
8.	कर्बी अंजलोज
9.	कोकराझार
10.	लखीमपुर
11.	नौगांव
12.	शिबसागर
13.	सोनितपुर
	कुल : 13
(3)	**बिहार**
1.	औरंगाबाद
2.	भागलपुर
3.	भोजपुर
4.	बेगूरसाय
5.	चम्पारन
6.	दरभंगा
7.	गया
8.	गुमला
9.	हजारीबाग
10.	कटिहार
11.	खगडिया
12.	मधुबनी
13.	मुजफ्फरपुर
14.	मुंगेर
15.	नालन्दा
16.	पलामू
17.	पटना

1	2
18.	पूर्णिया
19.	रांची
20.	रोहतास
21.	सहरसा
22.	समस्तीपुर
23.	सारण
24.	सिंहभूम
25.	सीवान
	कुल : 25
(4)	**गुजरात**
1.	अहमदाबाद
2.	अमरेली
3.	बनासकांठा
4.	भावनगर
5.	बड़ौदा
6.	भडौच
7.	गांधीनगर
8.	जामनगर
9.	जूनागढ़
10.	खेड़ा
11.	कच्छ
12.	पंचमहल
13.	मेहसाणा
14.	राजकोट
15.	साबरकांठा

1	2
16.	सुरेन्द्रनगर
17.	सूरत
18.	वल्साड़
	कुल : 18
(5)	**हरियाणा**
1.	भिवानी
2.	फरीदाबाद
3.	गुडगांव
4.	हिसार
5.	जीन्द
6.	करनाल
7.	महेन्द्रगढ़
8.	रोहतक
9.	सिरसा
10.	अम्बाला
11.	सोनीपत
12.	कुरुक्षेत्र
13.	यमुनानगर
14.	कैथल
15.	रेवाड़ी
16.	पानीपत
	कुल : 16
(6)	**जम्मू और कश्मीर**
1.	अनन्तनाग
2.	बदगाम

1	2
3.	डोडा
4.	पूंछ
5.	पुलवामा
6.	श्रीनगर
7.	उधमपुर
8.	कथुआ
	कुल : 8
(7)	**कर्नाटक**
1.	बंगलौर
2.	बेल्लारी
3.	बेलगांव
4.	बीदर
5.	बीजापुर
6.	चिकमंगलूर
7.	चित्रदुर्ग
8.	दक्षिणी कन्नड़
9.	धारवाड़
10.	गुलबर्गा
11.	ढासन
12.	कोलार
13.	मांडिया
14.	मैसूर
15.	रायवूर
16.	शिमोगा

1	2
17.	तूमकूर
18.	उत्तरी कन्नड़
	कुल : 18
(8)	**मध्य प्रदेश**
1.	बस्तर
2.	बैतुल
	भोपाल
4.	बिलासपुर
5.	बालाघाट
6.	भिण्ड
7.	छिंदवाड़ा
8.	देवास
9.	दुर्ग
10.	धार
11.	पूर्वी निमर (खंडवा)
12.	ग्वालियर
13.	हौशंगाबाद
14.	इन्दौर
15.	झबुआ
16.	खरगौन (पश्चिमी निमर)
17.	मुरैना
18.	मंडला
19.	मंदसौर
20.	रायगढ़

1	2
21.	राजनन्दगांव
22.	राजगढ़
23.	रायपुर
24.	रायसेन
25.	सरगुआ
26.	सागर
27.	सिवनी
28.	सेहोर
29.	शाहजापुर
30.	शहडोल
31.	शिवपुरी
32.	सतना
33.	उज्जैन
34.	विदिशा
35.	रतलाम
36.	गुना
37.	छत्तरपुर
38.	टीकमगढ़
39.	सिधी
40.	पन्ना
41.	दतिया
42.	नरसिंहपुर
43.	दामोह

1	2
44.	रीवा
45.	जबलपुर
	कुल : 45
(9)	**महाराष्ट्र**
1.	औरंगाबाद
2.	अहमदनगर
3.	अमरावती
4.	अकोला
5.	बीड़
6.	बुलढाणा
7.	भण्डारा
8.	चन्द्रपुर
9.	धुलिया
10.	गडचिरौली
11.	जलगांव
12.	जालना
13.	कोल्हापुर
14.	नागपुर
15.	लातूर
16.	नासिक
17.	उस्मानाबाद
18.	परभनी
19.	पुणे
20.	सांगली

1	2
21.	सतारा
22.	नांदेड
23.	शोलापुर
24.	वर्धा
25.	यवतमाल
26.	सिंधुदुर्ग
27.	रत्नागिरी
	कुल : 27
(10)	**उड़ीसा**
1.	बोलनगीर
2.	बालासोर
3.	कटक
4.	ढ़ेंकनाल
5.	गंजम
6.	कालाहाण्डी
7.	क्योंझांर
8.	मयूरभंज
9.	कोरापुअ
10.	फूलबनी
11.	पुरी
12.	सम्बलपुर
13.	सुन्दरगढ़
	कुल : 13

1	2
(11)	**पंजाब**
1.	अमृतसर
2.	भटिण्डा
3.	फरीदकोट
4.	फिरोजाबाद
5.	होशियारपुर
6.	जालंधर
7.	कपूरथला
8.	लुधियाना
9.	पटियाला
10.	रोपड़
11.	संगरूर
	कुल : 11
(12)	**राजस्थान**
1.	अजमेर
2.	अलवर
3.	बाड्मेर
4.	भरतपुर
5.	भीलवाड़ा
6.	बीकानेर
7.	बूंदी
8.	चित्तौडगढ़
9.	धौलपुर

1	2
10.	गंगानगर
11.	जालौर
12.	जयपुर
13.	झालावार
14.	झुनझुनू
15.	जोधपुर
16.	कोटा
17.	नागौर
18.	बांसवाड़ा
19.	पाली
20.	सीकर
21.	सिरड़ी
22.	सवाई माधोपुर
23.	टोंक
24.	उदयपुर
25.	बारन
26.	राजसमन्द
27.	दौसा
	कुल : 27
(13)	**तमिलनाडु**
1.	चेंगई अन्ना
2.	कोयम्बटूर
3.	धरमपुरी

1	2
4.	मदुरै
5.	उत्तरी आरकोट अम्बेडकर
6.	पेरियार
7.	पादुकोट्टई
8.	रामनाथपुरम
9.	सेलम
10.	दक्षिणी आरकोट
11.	तंजावर
12.	तिरुचिरापल्ली
13.	तिरुनेलवेल्ली
14.	तिरुवन्नामलाई सम्बावरयार
15.	डिण्डीगुल–कैद–ए–मिलैथ
16.	वी.डी. चिदम्बरनार
17.	पशुमपोन तेवर–तिरूमंगनार
18.	कामराजार
	कुल : 18
(14)	**उत्तर प्रदेश**
1.	आगरा
2.	अलीगढ़
3.	बदायूं
4.	बहराइच
5.	बांदा
6.	बाराबंकी

1	2
7.	बरेली
8.	बुलंदशहर
9.	एटा
10.	इटावा
11.	फतेहपुर
12.	फरूखाबाद
13.	फिरोजाबाद
14.	गाजियाबाद
15.	गोण्डा
16.	हमीरपुर
17.	हरदोई
18.	जालौन
19.	झांसी
20.	कानपुर
21.	लखीमपुर–खीरी
22.	ललितपुर
23.	महाराजगंज
24.	मेनपुरी
25.	मथुरा
26.	मेरठ
27.	मिर्जापुर
28.	मुजफ्फरनगर
29.	प्रतापगढ़

1	2
30.	रायबरेली
31.	रामपुर
32.	सहारमपुर
33.	शाहजहांपुर
34.	सीतापुर
35.	सोनभद्र
36.	सुल्तानपुर
37.	उन्नाव
38.	बस्ती
	कुल सं. (मैदानी) : 38
1.	अल्मोड़ा
2.	चमोली
3.	देहरादून
4.	गढ़वाल
5.	नैनीताल
6.	टिहरी
7.	उत्तरकाशी
	कुल सं. (पर्वतीय) : 8
	कुल (उ.प्र.) सं. : 46
(15)	**पश्चिम बंगाल**
1.	बीरभूम
2.	बर्द्धवान
3.	बंकुरा

1	2	
4.	पुरुलिया	
5.	जलापाईगुड़ी	
6.	मालदा	
7.	मुर्शिदाबाद	
8.	नाडिया	
9.	मिदनापुर (पूर्वी एवं पश्चिमी)	
10.	पश्चिमी दिनाजपुर	
11.	24-परगना (उत्तरी)	
12.	24-परगना (दक्षिणी)	
	कुल : 12	
(16)	**अरुणाचल प्रदेश**	
(17)	**हिमाचल प्रदेश**	इनमें से प्रत्येक राज्य को एक यूनिट के रूप में माना जाता हैं
(18)	**मणिपुर**	
(19)	**मेघालय**	
(20)	**सिक्किम**	
(21)	**त्रिपुरा**	
	कुल राज्यों की संख्या : 21	
	कुल जिलों की संख्या : 325	

टिप्पणी : जिन राज्यों में जिलों का गठन/पुनर्गठन तथा नए जिलों का गठन किया गया है, ऐसे नए गठित जिलों को राज्य स्तर के संस्वीकृति समिति के अनुमोदन से तिलहन संवर्धन के लिए उपलब्ध क्षमता के आधार पर शामिल किया जाए अथवा हटा दिया जाए और उसकी सूचना कृषि सहकारिता विभाग (तिलहन तथा दलहन प्रौद्योगिकी मिशन) भारत सरकार को दी जाए।

[अनुवाद]

केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में ट्यूशन फीस

*99. **श्री सैयद शहाबुद्दीन** : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय विश्वविद्यालयों तथा उनसे संबद्ध महाविद्यालयों में इस समय ट्यूशन फीस का ढांचा क्या है;

(ख) इनमें पिछला संशोधन किस शैक्षिक वर्ष में किया गया था;

(ग) क्या केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में फीस बढ़ाने का कोई विचार है; और

(घ) यदि हां, तो फीस-ढांचे में संशोधन करने के लिए किन-किन बातों पर विचार किया जाएगा?

(क) से (घ) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ओर कुछ संबंधित केन्द्रीय विश्वविद्यालयों द्वारा पता लगाए गए विभिन्न केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के शिक्षण शुल्क की दरों के विवरण, विवरण में दिए गए हैं।

अधिकतर केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में लम्बे समय से शिक्षण शुल्क नहीं बढ़ाये गये हैं, हालांकि जामिया मिलिया इस्लामिया, उत्तर पूर्वी पर्वतीय विश्वविद्यालय और पांडिचेरी विश्वविद्यालय ने हाल ही में अपने शुल्क में परिशोधन किया है, जिसका विवरण, विवरण में दिया गया है।

केन्द्रीय विश्वविद्यालय स्वायत्त हैं और शिक्षा शुल्क निर्धारित करने की उनकी अपनी पद्धति है। केन्द्रीय विश्वविद्यालयों का शिक्षा शुल्क-ढांचा, उनकी संबंधित कार्यकारी परिषदों द्वारा तैयार किए गए अध्यादेशों के अनुसार अभिशासित होते हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा गठित पुन्नैय समिति ने यह सिफारिश की है कि शिक्षण शुल्क तत्काल बढ़ा दिया जाए और मुद्रा-स्फीति की दरों को ध्यान में रखते हुए शिक्षण-शुल्क का आवधिक समायोजन किया जाना चाहिए। पुन्नैया समिति द्वारा की गई सिफारिशों के अनुसार, परिशोधित शिक्षा शुल्क का संबंध अध्ययन के पाठ्यक्रम की आवर्ती लागत और पाठ्यक्रम के माध्यम से उपलब्ध रोजगार अवसरों से, अर्थपूर्ण होना चाहिए अर्थात एक ही विश्वविद्यालय में अध्ययन के विभिन्न पाठ्यक्रमों के लिए शिक्षण शुल्क अलग-अलग होगा।

विवरण

लिये गए शिक्षा शुल्क की दरें (रुपए प्रतिवर्ष)

विश्वविद्यालय/ विषय	डिप्लोमा/ प्रमाण-पत्र	अवर स्नातक	स्नातकोत्तर	एम.फिल.	शोध
1	2	3	4	5	6
अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय					
मानविकी/ विज्ञान/वाणिज्य/	110	132 (कानून को	165	220	

1	2	3	4	5	6
शैक्षिक कानून/		छोड़कर)			
ललित कलाएं		165 (कानून)	176		
बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय					
मानविकी	120	120	140	125	125
विज्ञान	400	120	140		
कानून			125		
ललित कलाएं			150		
जवाहर लाल नेहरू विश्व-विद्यालय					
सभी विषय	120	180	216	240	240
***जामिया मिलिया इस्लामिया**					
सभी विषय	144	180	240	240 शिक्षा/ ललित कलाओं के लिए 300	
हैदराबाद विश्वविद्यालय					
सभी विषय	200	लागू नहीं	200	250	250
****पांडिचेरी विश्वविद्यालय**					
मानविकी/वाणिज्य	लागू नहीं	लागू नहीं	500	300	300
विज्ञान	लागू नहीं	500	लागू नहीं	500	500
विश्व भारती					
सभी विषय	120	120	144		
***** उत्तर-पूर्वी पर्वतीय विश्वविद्यालय**	लागू नहीं	लागू नहीं	600		

1	2	3	4	5	6
दिल्ली विश्वविद्यालय					
मानविकी/विज्ञान/ शिक्षा/वाणिज्य/ कानून/ललित कलाएं/ चिकित्सा/इंजीनियरी		120 (प्रारंभिक कक्षा और प्रथम-वर्ष प्री-मेडिकल)	216 (मानविकी, विज्ञान इत्यादि)		
			250 (सामाजिक कार्य)		
		180 (द्वितीय वर्ष प्री-मेडिकल)			
			200 (एम.एड.)		
		180 (मानविकी, विज्ञान इत्यादि)			
		240 (ग्रह विज्ञान)			
		150 (नर्सिंग ऑनर्स)			
		120 (बी.एड.)			
		200 (एम.बी.बी.एस.)			
		180 (इंजीनियरी)			

*बी.एस.सी. इंजीनियरी और भाषाओं में प्रमाण-पत्र पाठ्यक्रमों के शिक्षा-शुल्क क्रमशः शैक्षिक वर्ष 1991-92 और 1992-93 में संशोधित किए गए हैं।

**स्नातकोत्तर और एम.फिल. पाठ्यक्रमों के शिक्षा शुल्क शैक्षिक वर्ष 1992-93 के दौरान संशोधित किए गए थे।

***स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के शिक्षा-शुल्क शैक्षिक वर्ष 1992 में संशोधित किए गए थे।

[हिन्दी]

स्कूलों के लिए सहायता

*100. **श्री भगवान शंकर रावत** : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जवाहर रोजगार योजना के अंतर्गत प्रत्येक राज्य को प्राथमिक तथा माध्यमिक स्कूलों की कुल निर्माण लागत की कितनी प्रतिशत लागत केन्द्रीय सहायता के रूप में दी गई हैं।

(ख) 'आपरेशन ब्लैक बोर्ड' योजना के अंतर्गत दोनों श्रेणियों के स्कूलों के लिए राज्यवार कितनी प्रतिशत राशि दी गई,

(ग) केन्द्रीय सरकार द्वारा उक्त दोनों योजनाओं के अंतर्गत जून, 1991 से 1 जनवरी, 1994 के दौरान स्कूलों के निर्माण तथा मरम्मत हेतु राज्यवार दी गई राशि का क्रमशः ब्यौरा क्या है, और

(घ) वर्ष 1994-95 के दौरान दोनों योजनाओं के अंतर्गत राज्यवार कितनी धनराशि देने का विचार है?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह) : (क) प्राइमरी स्कूलों के लिए 48% व्यय, ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा प्राइमरी स्कूल भवनों के निर्माण के लिए जवाहर रोजगार योजना के अंतर्गत बचतों से वहन किया जाता है। 12 प्रतिशत राशि का उपयोग जवाहर रोजगार योजना के राज्य के हिस्से में से किया जा सकता है।

(ख) अभी कोई राशि प्रदान नहीं की गई है। प्राइमरी स्कूलों के लिए वर्ष 1987-88 से 1992-93 तक जारी की गई निधियों की राज्यवार स्थिति विवरण-I में दी गई है।

(ग) स्कूल भवनों की मरम्मत के लिए कोई राशि आवंटित नहीं की जाती है। प्राइमरी स्कूल भवनों के निर्माण के लिए जून, 1991 से जनवरी, 1994 के बीच राज्यवार प्रदान की गई वित्तीय सहायता विवरण-II में दी गई है।

(घ) वर्ष 1994-95 के दौरान दोनों योजनाओं के अंतर्गत राज्यों को प्रदान की जाने वाली राशि राज्य सरकारों से प्राप्त होने वाले प्रस्तावों पर तथा जवाहर रोजगार योजना के अंतर्गत होने वाली सम्भावित बचतों पर निर्भर करेगी।

विवरण-I

आपरेशन ब्लैक-बोर्ड स्कीम के अंतर्गत 1987-88 से 1992-93 तक राज्य सरकारों/संघ शासित प्रशासनों को जारी की गई वित्तीय सहायता आपरेशन ब्लैक-बोर्ड स्कीम के लिए वर्षवार जारी की गई राशि।

(लाख रु. में)

राज्य/संघ शासित प्रदेश का नाम	1987-88	1988-89	1989-90	1990-91	1991-92	1992-93	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8
आंध्र प्रदेश	621.62	1590.77	1209.29	2095.00	3637.75	463.14	9617.57
अरुणाचल प्रदेश	63.17	71.81	47.76	82.16	0.00	106.57	370.47
असम	826.69	0.00	692.41	0.00	420.48	1628.46	3568.04
बिहार	1368.41	2151.64	1407.66	1684.02	0.00	4167.11	11278.84
गोवा	12.03	23.62	37.32	47.47	0.00	39.67	160.11
गुजरात	466.43	0.00	727.44	503.10	619.70	512.41	2829.08
हरियाणा	62.93	117.33	111.39	0.00	292.17	0.00	583.82
हिमाचल प्रदेश	148.75	280.94	458.09	297.03	456.10	264.73	1905.64
जम्मू व कश्मीर	156.90	347.04	0.00	0.00	1103.06	0.00	1607.00

1.	2	3	4	5	6	7	8
कर्नाटक	168.67	853.09	537.08	717.54	1876.67	360.00	4513.05
केरल	151.11	223.44	0.00	156.12	82.90	0.00	613.57
मध्य प्रदेश	1194.10	1981.26	0.00	1344.78	846.91	1688.61	7055.66
महाराष्ट्र	545.03	0.00	788.33	612.22	2795.46	1721.70	6462.74
मणिपुर	38.03	98.78	0.00	47.88	57.30	0.00	241.99
मेघालय	78.37	0.00	0.00	100.49	90.04	0.00	268.90
मिजोरम	11.80	22.88	8.74	8.87	66.80	13.42	132.51
नागालैंड	25.66	24.67	42.98	5.85	0.00	7.84	107.00
उड़ीसा	753.00	1105.45	864.25	1818.32	1147.90	2496.68	8185.60
पंजाब	334.11	384.25	115.69	219.29	541.67	0.00	1595.01
राजस्थान	1175.75	1123.68	1568.43	3456.83	2202.14	510.81	10037.64
सिक्किम	41.57	9.06	0.00	15.36	9.57	0.00	75.56
तमिलनाडु	480.80	856.92	1213.02	510.24	449.96	0.00	3510.94
त्रिपुरा	42.12	0.00	49.59	7.70	64.41	4.23	168.05

उत्तर प्रदेश	1759.43	1893.44	2757.26	860.94	650.00	1244.50	9165.57
पश्चिम बंगाल	0.00	384.34	0.00	349.46	140.02	254.00	1127.82
अंडमान निकोबार द्वीप समूह	0.00	0.00	8.27	0.00	3.82	0.00	12.09
चंडीगढ़	0.00	0.00	1.17	0.00	0.00	0.00	1.17
दादरा व नागर हवेली	1.99	0.00	0.00	4.14	8.17	3.66	17.96
दमन व दीव	0.00	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00	1.19
दिल्ली	32.39	0.00	32.39	53.59	0.00	0.00	118.37
लक्षद्वीप	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.48
पांडिचेरी	0.00	27.20	20.32	10.72	0.00	3.90	62.14
भारत	11061.14	13572.80	12698.08	15009.12	17563.00	15491.44	85395.58

विवरण-II

प्राइमरी स्कूल भवनों के निर्माण के लिए जून, 1991 से 1 जनवरी, 1994 तक राज्यवार जारी की गई वित्तीय सहायता।

क्र.सं.	राज्य/संघशासित प्रदेश	जारी की गई राशि (लाख रु. में)
1	2	3
1.	आन्ध्र प्रदेश	1335.91
2.	अरुणाचल प्रदेश	14.85
3.	असम	23.76
4.	गोवा	24.00
5.	गुजरात	624.00
6.	हरियाणा	403.58
7.	हिमाचल प्रदेश	135.93
8.	जम्मू एवं कश्मीर	1323.60
9.	कर्नाटक	1122.82
10.	केरल	57.60
11.	मध्य प्रदेश	1384.50
12.	महाराष्ट्र	302.81
13.	मेघालय	60.00
14.	मिजोरम	15.60
15.	उड़ीसा	2104.80
16.	पंजाब	635.35
17.	राजस्थान	976.87

1	2	3
18.	त्रिपुरा	61.01
19.	उत्तर प्रदेश	1112.40
20.	पश्चिम बंगाल	664.32
21.	पांडिचेरी	95.87
	जोड़	12479.58

[अनुवाद]

केरी लाइब्रेरी

867. **प्रो. सुदर्शन रायचौधरी** : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का पश्चिम बंगाल के सिरमपुर स्थित केरी लाइब्रेरी को राष्ट्रीय महत्व का संस्थान घोषित करने का कोई प्रस्ताव है, और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

मध्य प्रदेश में अनुसंधान केन्द्र

868. **श्री शिवराज सिंह चौहान** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अन्तर्गत मध्य प्रदेश में स्थापित अनुसंधान परिषदों, अनुसंधान केन्द्रों तथा परियोजनाओं के नाम क्या हैं और ये कहां-कहां पर स्थापित किये गये हैं तथा इनके उद्देश्य क्या हैं;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान उक्त केन्द्रों तथा परियोजनाओं पर कितनी-कितनी धनराशि व्यय की गई है; और

(ग) अनुसंधान कार्य का कृषि उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ा है?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. कृष्ण कुमार) : (क) से (ग) विभिन्न स्रोतों से सूचना एकत्रित की जा रही है, जो यथासमय सदन के पटल पर प्रस्तुत कर दी जाएगी।

[अनुवाद]

मत्स्य बीज के लिए सहायता

869. **श्री आर. सुरेन्द्र रेड्डी** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को राज्यों से, विशेषतः कर्नाटक से, राज्य सरकार द्वारा दी गई सहायता के उस हिस्से को वापस लौटाने के प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, जो उन्होंने मत्स्य पालकों को कृत्रिम सेने के स्थल और मत्स्य बीज पालन फार्मों के निर्माण के लिए और मछली पत्तनों और लैंडिंग केन्द्रों के प्रस्तावित निर्माण के लिए अंतर्देशीय मत्स्य विपणन और सर्वेक्षण हेतु मूलभूत सुविधाओं के विकास के लिए और वित्तीय सहायता के उद्देश्य से मत्स्य-बीज उत्पादन को केन्द्र प्रायोजित योजना मानते हुए दी थी, और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. कृष्ण कुमार) : (क) और (ख) मत्स्य पालकों की हैयरियों और डिम्पोना पालन फार्मों का निर्माण करने डिम्पोना उत्पादन का उपचार करने के लिए राज्य सरकारों द्वारा केन्द्रीय प्रायोजित योजना के रूप में दी गई राज सहायता के एक भाग को लौटाने के लिए कर्नाटक सहित किसी भी राज्य से कोई औपचारिक प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

अन्तर्देशीय मत्स्य विपणन तथा मत्स्यन बन्दरगाहों/अवतरण केन्द्रों के निर्माण हेतु अवसंरचना का विकास करने के सम्बन्ध में हाल ही में प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। प्रस्तावों पर कार्यवाही की जा रही है।

खजुराहो के मंदिर

870. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री** : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश में खजुराहो मंदिर क्षेत्र में हो रहा अनधिकृत निर्माण कार्य मंदिर की सुन्दरता को खतरा बन रहे हैं, और

(ख) यदि हां, तो इन अनधिकृत निर्माण कार्यों पर रोक लगाने के क्या उपाय किये जा रहे हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) जी, हां।

(ख) यह मामला विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, खजुराहो तथा जिलाधीश, छतरपुर के ध्यान में इस अनुरोध के साथ लाया गया है कि मंदिरों के पश्चिमी समूह के इर्द-गिर्द के क्षेत्र में आगे होने वाले निर्माण कार्य को रोकें तथा अतिक्रमण को हटवाएं। अतिक्रमण करने वालों ने विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण द्वारा जारी किए गए खाली करने के नोटिसों के खिलाफ केस दर्ज कर दिया है तथा मामला न्यायालय के विचाराधीन है।

जालना में रेल स्टेशन का फूंका जाना

871. **श्री मनोरंजन भक्त** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मराठवाड़ा क्षेत्र के विभिन्न भागों में मराठवाड़ा विश्वविद्यालय का नाम बदलने के विरोधी गुटों ने जालना, औरंगाबाद में एक रेल स्टेशन तथा कुछ शायिकाएं और रेल डिब्बे फूंक डाले, और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.सी. लेंका) : (क) जी, हां।

(ख) मराठवाड़ा विश्वविद्यालय का नाम बदलने के संबंध में आंदोलनकर्ताओं ने तीन रेलवे स्टेशनों को आग लगा दी थी, आंदोलनकर्ताओं ने मराठवाड़ा क्षेत्र के विभिन्न भागों में एक इंजन, एक सवारी डिब्बा तथा लगभग 160 काष्ठ स्लीपरों को भी जला दिया।

कोंकण रेलवे

872. **श्री राम नाईक** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कोंकण रेलवे पर दसगांव और नाटुनगर तथा कारपुडे गणपति के बीच सुरंग निर्माण कार्य में बाधा आ गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(ग) कार्य को निर्धारित समय पर पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का प्रस्ताव है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.सी. लेंका) : (क) जी, हां।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) इस क्षेत्र में सुरंग निर्माण संबंधी कार्यों को निर्धारित समय पर पूरा करने की दृष्टि से योजना बनाने और साधन तथा जनशक्ति लगाने के संबंध में पर्याप्त उपाय किए गए हैं।

दिल्ली मिल्क स्कीम द्वारा दूध की खरीद

873. **श्री अमर राय प्रधान** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1992 में दिल्ली मिल्क स्कीम दस मिश्रित दूध आपूर्त्तकों की निविदा को अस्वीकृत कर कुछ अन्य ठेकेदारों से काफी ऊंची दर पर दूध खरीदती रही है;

(ख) यदि हां, तो ठेके की शर्तें क्या हैं, और

(ग) दिल्ली मिल्क स्कीम को यह ठेका किस प्रकार लाभप्रद रहा?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविन्द नेताम) : (क) जी, नहीं।

(ख) उपर्युक्त प्रश्न के भाग (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ग) 1991 तक दूध की खरीद सहकारी क्षेत्र अर्थात् राज्य संघों तथा स्थानीय सहकारी समितियों से की जाती थी। तथापि, दिल्ली दुग्ध योजना को दिए जा रहे दूध के बिक्री मूल्य में वृद्धि करवाने के उद्देश्य से राज्य डेरी परिसंघों ने 1991 में दूध की आपूर्ति रोक दी थी। इसके फलस्वरूप दिल्ली दुग्ध योजना द्वारा उपभोक्ताओं को दूध की आपूर्ति में रुकावट आई और दिल्ली के नागरिकों को भारी कठिनाई का सामना करना पड़ा। अतः अधिप्राप्ति के स्रोतों को व्यापक बनाने के उद्देश्य से एक नीतिगत निर्णय लिया गया और इस प्रकार यह तय किया गया कि 1992 से दूध की 25 प्रतिशत आपूर्ति ठेकेदारों द्वारा की जाएगी। इसके परिणामस्वरूप दिल्ली दुग्ध योजना को दुग्ध की आपूर्ति कर रहे विभिन्न पक्षों के बीच प्रतिस्पर्धा के कारण दिल्ली दुग्ध योजना द्वारा दूध की अधिप्राप्ति अत्यंत सुगम हो गई है।

नारियल की खेती

874. **प्रो. राम कापसे** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रत्येक राज्य के कितने क्षेत्र में नारियल की खेती होती है;

(ख) प्रत्येक राज्य में नारियल के और अधिक पेड़ लगाए जाने की कितनी क्षमता है, और

(ग) नारियल विकास बोर्ड द्वारा दिए गए प्रोत्साहनों का ब्यौरा प्रत्येक वर्ग में राज्यवार क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविंद नेताम) : (क) और (ख) 1992-93 के दौरान नारियल के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र का राज्यवार ब्यौरा और नारियल की और अधिक खेती के लिए इनकी क्षमता को नीचे दर्शाया गया है :

राज्य का नाम	क्षेत्र ('000 हैक्टेयर)	क्षमता वाला क्षेत्र(हजार हैक्टेयर में)
1	2	3
1. आंध्र प्रदेश	71.7	50.00
2. असम	15.6	5.0
3. गोवा	24.2	1.0

1	2	3
4. कर्नाटक	238.6	78.0
5. केरल	912.6	20.0
6. महाराष्ट्र	7.9	20.0
7. उड़ीसा	38.4	100.0
8. तमिलनाडु	249.7	75.0
9. त्रिपुरा	10.5	1.0
10. पश्चिम बंगाल	20.4	5.0
11. अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	24.1	10.0
12. लक्षद्वीप	2.8	–
13. पाण्डिचेरी	1.8	1.0
14. बिहार	नकारात्मक	26.0
कुल	1518.3	397.0

(ग) नारियल विकास बोर्ड के विभिन्न कार्यक्रमों के अंतर्गत दिए जाने वाले प्रोत्साहन (राज्यवार) संलग्न विवरण में दर्शाये गये हैं।

विवरण

नारियल विकास बोर्ड के विभिन्न कार्यक्रमों के अंतर्गत दिए जाने वाले (राज्यवार) प्रोत्साहन निम्न प्रकार हैं :

कार्यक्रम का नाम	राज्य जहां इनको क्रियान्वित किया गया	दिया गया प्रोत्साहन सहायता
1	2	3
1. क्षेत्र विस्तार	केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, महाराष्ट्र पश्चिम बंगाल, असम, त्रिपुरा, बिहार, गोवा, गुजरात,	किसानों को तीन वर्षों में प्रति हैक्टेयर 6000 रुपये की सब्सिडी।

1	2	3
	मणिपुर, मध्य प्रदेश, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और पाण्डिचेरी	
2. पौद्य रोपण सामग्री का उत्पादन और वितरण		
(क) प्रदर्शन सब बीज उत्पादन फार्मों की स्थापना	केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, असम, त्रिपुरा, बिहार, मध्य प्रदेश	राज्य सरकारों को 100 % सहायता।
(ख) डी॰एस॰पी॰ फार्मों से संबंद्ध नारियल नर्सरियों की स्थापना	केरल, कर्नाटक, असम, त्रिपुरा, बिहार, मध्य प्रदेश	राज्य सरकारों को 100 % सहायता।
(ग) क्षेत्रीय नारियल नर्सरियों की स्थापना	नागालैंड, लक्षद्वीप	राज्य सरकारों को 100 % सहायता।
(घ) टीXडी संकर पौदों का उत्पादन और	केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, महाराष्ट्र और लक्षद्वीप	राज्य सरकारों को 50 % सहायता।
3. उत्पादकता में सुधार लाने की दृष्टि से नारियल की जोतों में समेकित खेती		
(क) रोगग्रस्त/जरामूलक पामों को हटाना	केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गोवा, अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह, पांडिचेरी और लक्षद्वीप	किसानों को प्रति पॉम 200 रुपए मुहैया कराना।
(ख) पौदों की रियायती दर पर आपूर्ति	केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गोवा, अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह, पांडिचेरी और लक्षद्वीप	किसानों को प्रति पौद 5 रुपए या लागत का 50 % मुहैया कराना।
(ग) पादप संरक्षक उपायों और उर्वरकों पर सब्सिडी	केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गोवा, अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह, पांडिचेरी और लक्षद्वीप	किसानों को प्रति पॉम 8 रुपए की सब्सिडी प्रदान करना।

	1	2	3
	(घ) बहु-प्रजातीय फसलो-त्पादन हेतु सहायता	केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गोवा, अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह, पांडिचेरी और लक्षद्वीप	किसानों को प्रति हैक्टेयर 200 रुपए की सब्सिडी देना।
4.	पत्तियों को खा जाने वाली सूंडियों पर सपेकित नियंत्रण	केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा	राज्य सरकारों को 50% सहायता।
5.	नारियल प्रौद्योगिकी विकास केंद्रों की स्थापना	सभी नारियल उत्पादक राज्य	(क) नारियल संसाधन उद्योगों की सहायता, 1 लाख रुपये या संयत्र और मशीनों की लागत के 50 % की दर पर। (ख) कारीगरों को सहायता प्रति इकाई 5,000/- की दर पर। (ग) लघु घूर्णन और पेराई इकाइयों को सहायता। (घ) सहकारी समितियों के संसाधन और विपणन के लिए सहायता 1 लाख रुपये या लागत के 50 % की दर पर। (ङ) नारियल सुखाने वाले यंत्र को लगाने के लिए किसानों की सहायता (लागत का 50 %)। (च) नारियल सुखाने वाली इकाइयों को सहायता 35,000 रुपये प्रति यूनिट या लागत के 50 % की दर पर।

[हिन्दी]

प्रकाश टंडन समिति की रिपोर्ट

875. **श्री सुरेन्द्र पाल पाठक : क्या रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को रेलवे में आधारभूत परिवर्तन करने के बारे में सुझाव देने के लिए गठित की गई प्रकाश टंडन समिति की रिपोर्ट प्राप्त हो गयी है;

(ख) यदि हां, तो रिपोर्ट की मुख्य बातें क्या हैं, और

(ग) सरकार समिति के अनुरूप क्या कार्यवाही कर रही है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.सी. लेंका) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

राजस्थान में रेल परियोजना

876. **श्रीमती वसुन्धरा राजे : क्या रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान में चालू रेल परियोजनाओं के नाम क्या हैं और उन्हें पूरा करने की दिशा में 31 दिसंबर, 1993 तक क्या प्रगति हुई है;

(ख) क्या सरकार का आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कोई नयी रेल परियोजना शुरू करने का विचार है, और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.सी. लेंका) : (क) दिसंबर, 1993 तक सवाई माधोपुर-जयपुर-फुलेरा, लालगढ़-मेड़ता रोड, लालगढ़-कोलायत, मेड़ता रोड-मेड़ता सिटी तथा मेड़ता रोड-फुलेरा का आमान परिवर्तन कार्य पूरा हो गया है। मेड़ता रोड-जोधपुर का आमान परिवर्तन भी अब पूरा हो गया है। मथुरा-अलवर नई लाइन का निर्माण पूरा होने वाला है और 1993-94 में इसे चालू कर दिया जाएगा। रेवाड़ी-जयपुर, जोधपुर-जैसलमेर तथा फुलेरा-मारवाड़ खण्डों का आमान परिवर्तन 1994-95 में पूरा करने का लक्ष्य है। मारवाड़-अहमदाबाद तथा जोधपुर-लुनी-मारवाड़ का आमान परिवर्तन कार्य भी शुरू किया गया है जिसे 1995-96 में पूरा करने का लक्ष्य है।

(ख) और (ग) आठवीं पंचवर्षीय योजना के शेष वर्षों के दौरान शुरू की जाने वाली परियोजनाओं का निर्णय अभी नहीं किया गया है।

[हिन्दी]

"सरदार सरोवर परियोजना के विस्थापितों का पुनर्वास"

877. **श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल :**
श्री गोबिन्द राव निकम :

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरदार सरोवर परियोजना के विस्थापितों के पुनर्वास हेतु वन भूमि का उपयोग करने की अनुमति मांगी गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) सरदार सरोवर परियोजना के विस्थापितों को पुनः बसाने के लिए धुले जिले में 2700 हैक्टेयर तथा 1500 हैक्टेयर अतिरिक्त वन भूमि देने संबंधी महाराष्ट्र राज्य सरकार के प्रस्ताव को वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के तहत 22-2-1994 को मंजूरी दे दी गई है।

[अनुवाद]

हावड़ा-खड़गपुर सेक्शन पर नई गाड़ियां चलाना

878. **श्री सत्यगोपाल मिश्र** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का दक्षिण पूर्व रेलवे के हावड़ा-खड़गपुर सेक्शन पर नई गाड़ियां चलाने सहित मौजूदा रेलवे प्रणाली में सुधार लाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.सी. लेंका) : (क) और (ख) रेलवे प्रणाली में कारगर सुधार करना एक सतत प्रक्रिया है। परिचालनिक व्यावहारिकता, संसाधनों की उपलब्धता और यातायात के औचित्य के अध्यधीन नई गाड़ियां चलाई जाती हैं; दक्षिण पूर्व रेलवे के हावड़ा-खड़गपुर खंड पर 15-2-1994 से एक जोड़ी ई.एम.यू. गाड़ियां यथा के 101 ए/के 104 ए चलाई गई हैं।

''नेफेड'' द्वारा निर्यात

879. **श्री के.वी.आर. चौधरी** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि पिछले तीन वर्षों के दौरान भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारिता विपणन संघ लिमिटेड द्वारा कितनी मात्रा में और कितने मूल्य के कृषि उत्पादों का निर्यात किया गया?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविंद नेताम) : भारत के राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ लिमिटेड ने गत तीन वर्षों के दौरान नीचे दिए गए ब्यौरे के अनुसार विभिन्न कृषि जिन्सों का निर्यात किया है :

(मात्रा : मीटरी टन में)
(मूल्य : लाख रुपए में)

1990-91		1991-92		1992-93	
मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
302473	14219.26	450355	22418.81	411721	20182.34

[हिन्दी]

हरिद्वार-चंडीगढ़ के बीच रेल सम्पर्क

880. **श्री नारायण सिंह चौधरी : क्या रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार हरिद्वार, चंडीगढ़ और जींद के बीच रेल संपर्क स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.सी. लेंका) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) संसाधनों की तंगी।

चीनी मिलें

881. **श्री पंकज चौधरी : क्या खाद्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) घाटे में चल रही चीनी मिलों की राज्यवार संख्या कितनी है; और

(ख) सरकार ने इसके लिए किन कारणों की पहचान की है और इन्हें अर्थक्षम बनाने के लिए क्या कदम उठाये जाने का प्रस्ताव है?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्प नाथ राय) : (क) और (ख) सरकार चीनी मिलों के लाभ और घाटे का हिसाब नहीं रखती है।

[अनुवाद]

पी.एच.डी. डिग्री दिया जाना

882. **श्री भोगेन्द्र झा** : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** 28 अप्रैल, 1992 के तारांकित प्रश्न संख्या 784 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किसी विश्वविद्यालय द्वारा किसी व्यक्ति के संयुक्त शोध कार्य को पी.एच.डी. के तुल्य माना गया है; और

(ख) यदि हां, तो गत दो वर्षों के दौरान तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग और संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों तथा भारतीय प्रबंध संस्थानों को राजसहायता

883. **श्री ए. वेंकटेश नायक :**
श्री रमेश चेन्नित्तला :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों तथा भारतीय प्रबंध संस्थानों को 1993-94 के दौरान कितनी वित्तीय सहायता दी गयी; और

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान इन संस्थानों से कितने प्रतिभावान छात्र विदेशों को गये?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) वर्ष 1993-94 के दौरान पांच भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों और चार भारतीय प्रबंध संस्थानों को दिया जाने वाला कुल योजनागत और योजनेत्तर अनुदान क्रमशः लगभग 133.46 करोड़ रुपए और 18.54 करोड़ रुपये होगा।

(ख) पिछले तीन वर्षों के ऐसे कोई आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

महाराष्ट्र को आर्थिक सहायता

885. **श्री अन्ना जोशी** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1991-92, 1992-93 और 1993-94 के दौरान किसानों को कृषि ऋण देने के लिए महाराष्ट्र को कितनी आर्थिक सहायता प्रदान की गई; और

(ख) आठवीं पंचवर्षीय योजना की शेष अवधि में इस उद्देश्य के लिए दी जाने वाली प्रस्तावित सहायता का ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविंद नेताम) : (क) राज्य सरकारों की सहायतार्थ प्रत्येक वर्ष अलग से खरीफ और रबी मौसमों के लिए राज्य सरकारों को अल्पकालिक ऋण दिए जाते हैं ताकि वे उर्वरकों, बीजों तथा कृमिनाशी दवाओं जैसे कृषि आदान खरीदकर किसानों को

वे आदान सही समय पर उपलब्ध करा सकें। वर्ष 1991-92, 1992-93 तथा 1993-94 के दौरान महाराष्ट्र को दी गई ऋण सहायता इस प्रकार है :

वर्ष	स्वीकृत ऋण (रुपये करोड़ों में)
1991-92	28.05
1992-93	23.80
1993-94	18.32 (केवल खरीफ के लिये)

आठवीं पंचवर्षीय योजना को शेष अवधि के लिए राज्यों को अल्प कालिक ऋण देने के लिए कोई बजट प्रावधान नहीं किया गया है।

देश में विज्ञान की शिक्षा

886. **श्री डी. वेंकटेश्वर राव :**
श्री बोल्ला बुल्ली रामय्या :
श्री आर. सुरेंद्र रेड्डि :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूरे देश के प्रमुख वैज्ञानिक इस बात पर सहमत हैं कि आगामी शताब्दी मे विज्ञान की शिक्षा के लिए उपलब्ध कराई गई आधारभूत संरचना में परिवर्तन करने पर विचार करना अनिवार्य था;

(ख) यदि हां, तो इन विचारों को आई.एन.एस.ए. द्वारा ओवर व्यू ऑफ साइंस एजूकेशन इन इंडिया पर आयोजित गोष्ठी में प्रस्तुत किया गया;

(ग) क्या सरकार ने किन्हीं ठोस कदमों पर विचार किया है; और

(घ) यदि हां तो इस संबंध में कोई निर्णय कब तक ले लिया जाएगा?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उपमंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) से (घ) भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी (इन्सा) के प्रति उत्तरदायी विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना के अनुसार अकादमी द्वारा 8 जनवरी, 1994 को "21वीं सदी में भारत में वैज्ञानिक शिक्षा" पर एक सेमिनार का आयोजन किया गया था। भाग लेने वाले वैज्ञानिकों ने देश में वैज्ञानिक शिक्षा की स्थिति के साथ-साथ इस उद्देश्य हेतु दयनीय आधारभूत सुविधाओं पर चिन्ता व्यक्त की। सेमिनार में भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी (इन्सा) द्वारा एक विज्ञान शिक्षा आयोग के गठन की सिफारिश की गई है। तथापि इस संबंध में विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय को कोई प्रस्ताव नहीं मिला है।

[हिन्दी]

रेल लाइनों का नवीकरण

887. **श्री साईमन मरांडी** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या बिहार के आदिवासी और पर्वतीय क्षेत्रों में रेल लाइनों के नवीकरण, विस्तार/बड़ी लाइन में बदलने तथा इनके दोहरीकरण से संबंधित कार्य वर्ष 1993-94 के लिए निर्धारित लक्ष्य के अनुसार चल रहा है;

(ख) वर्ष 1993-94 के लिए राज्यवार निर्धारित लक्ष्य रेल लाइनों के नवीकरण के संबंध में किये गए कार्य तथा इस वर्ष की शेष अवधि के दौरान किये जाने वाले कार्य का ब्यौरा क्या है; और

(ग) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.सी. लेंका) : (क) जी, हां। बिहार के आदिवासी और पहाड़ी क्षेत्रों में 1993-94 के दौरान-रेल पथ नवीकरण के लिए निर्धारित किए गए 173 कि.मी. के कुल लक्ष्य में से, 121 कि.मी. में रेल पथ का नवीकरण पहले ही किया जा चुका है और शेष कि.मी. में रेल पथ का नवीकरण निर्धारित लक्ष्य के अनुसार पूरा कर लिया जाएगा।

बिहार के पहाड़ी क्षेत्रों में केवल मुजफ्फरपुर-रक्सौल और सगौलीनरकटियागंज खंडों पर आमान परिवर्तन का कार्य चल रहा है। मुजफ्फरपुर-रक्सौल खंड को 1994-95 में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है तथा सगौली-नरकाटियागंज खंड को नौवीं योजना में पूरा करने का कार्यक्रम बनाया गया है।

(ख) और (ग) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

(ख) और (ग) रेलपथ नवीकरण के लक्ष्य राज्यवार नहीं रखे जाते हैं। रेलपथ नवीकरण के क्षेत्रवार लक्ष्य और जनवरी, 1994 तक हुई प्रगति का ब्यौरा नीचे दिया गया है। शेष कार्य लक्ष्यानुसार पूरा किया जाएगा।

रेलवे	1993-94 के लिए लक्ष्य	जनवरी, 94 तक हुई प्रगति
1	2	3
		(कि.मी. पूर्ण रेलपथ नवीकरण इकाइयों में)
मध्य	388	326
पूर्व	299	275

1	2	3
उत्तर	365	391
पूर्वोत्तर	80	80
पूर्वोत्तर सीमा	98	103
दक्षिण	147	146
दक्षिण मध्य	320	340
दक्षिण पूर्व	465	418
पश्चिम	258	265
जोड़	2420	2344

वन्य जीव उत्पादों का जब्त किया जाना

888. **श्रीमती सरोज दुबे :**
श्री वृशिण पटेल :
श्री शिवराज सिंह चौहान :
श्री चन्द्रेश पटेल :

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1991-92, 1992-1993 और 1993-94 के दौरान क्षेत्रवार वन्यजीव संरक्षण के क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा पकड़े गये वन्य जीव उत्पादों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) इस संबंध में सरकार ने क्या उपचारात्मक कदम उठाए हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) 1991-92, 1992-93 और 1993-94 वर्षों के दौरान वन्यजीव परिरक्षण के क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा जब्त किए गए परेषणों सहित पता लगाए गए वन्यजीवों से संबंधित अपराधों की संख्या नीचे दी गई है :

केंद्र	1991-92	1992-93	1993-94 (सितम्बर, 1993 तक)
1	2	3	4
कलकत्ता	10	10	7
दिल्ली	73	58	33

1	2	3	4
			(दिसम्बर, 93 तक)
बम्बई	16	30	46
मद्रास	2	1	7

जब्त किए गए परेषणों में बाघ, तेंदुए तथा अन्य संकटापन्न प्रजातियों की फर और खाले तथा पक्षियों के पंखों, समुद्री सीपियों, नेवले के बालों से बनाए गए परिष्कृत उत्पाद और सुनहरा लंगूर, काकड़ गिब्बन, सांप इत्यादि जीवित पशुओं के परेषण शामिल हैं।

(ख) संकटापन्न प्रजातियों की सुरक्षा हेतु सरकार द्वारा उठाए गए कदमों में निम्नलिखित शामिल हैं :

1. अनुसूचित वन्यजीवों को शिकार करने पर कानून द्वारा पाबंदी लगा दी गई है।
2. राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की सरकारों को शिकार-रोधी ढांचे को मजबूत बनाने के लिए केंद्रीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है।
3. बाघों, हाथियों और गैंडों की सुरक्षा और संरक्षण के लिए विशेष स्कीमें शुरू की गई हैं।
4. जब कभी वन्य जीवों के अवैध व्यापार की सूचना मिलती है, तो वन्यजीव प्राधिकारियों द्वारा छापे मारे जाते हैं।
5. वन्य वनस्पतिजात और प्राणिजात के संरक्षण के लिए वन्यजीव अभयारण्यों और राष्ट्रीय उद्यानों का एक नेटवर्क स्थापित किया गया है। राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों के विकास के लिए राज्य सरकारों के अनुरोध पर केंद्रीय सरकार द्वारा वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है।
6. जीवों की संकटापन्न प्रजातियों तथा उनसे बनी वस्तुओं का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, वन्य प्राणिजात तथा वनस्पतिजात को संकटापन्न प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कन्वेंशन (साइट्स) के प्रावधानों के अंतर्गत विनियमित किया जाता है।
7. वन्य जीव उत्पादों की तस्करी को रोकने के लिए देश के अधिकांश प्रमुख निर्यात केंद्रों पर वन्यजीव परिरक्षण के क्षेत्रीय और उपक्षेत्रीय कार्यालयों की स्थापना की गई है।
8. अवैध शिकारियों और अवैध व्यापारियों को पकड़ने में पुलिस, तटरक्षक, सीमा सुरक्षा बल और सेना का भी सहयोग लिया जाता है।

सूचना देने वालों को नकद पुरस्कार देने की एक स्कीम शुरू की गई है, जिससे अन्य बातों के अलावा वन्यजीव उत्पादों की तस्करी के बारे में आसूचना प्राप्त करने में भी मदद मिलती है।

[अनुवाद]

सवारी आमदनी में सुधार

889. **श्री दत्तात्रेय बंडारु** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार यात्रियों से होने वाली आय में वृद्धि करने और राजस्व की हानि को रोकने के लिए निश्चित नीति बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित नीतियों का ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं; और

(घ) रेलवे की चालू वित्तीय वर्ष के पहले 9 महीनों के दौरान कुल कितना घाटा हुआ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.सी. लेंका) : (क) और (ख) यात्री यातायात से आमदनी बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा अपनाई गई कुछ नीतियां निम्न प्रकार हैं :

1. कम दूरी की शटल तथा डीजल मल्टिपल यूनिट गाड़ियां चलाने सहित और अधिक गाड़ियां तथा सेवाएं शुरू करना;
2. इलेक्ट्रो-मैकेनिकल तथा माइक्रोप्रोसेसर, दोनों पर आधारित स्वतः मुद्रण टिकट मशीनों को शुरू करके लाइन पर खड़े होने का समय कम करना; और
3. बुकिंग काउंटरों पर टिकटों की उपलब्धता सुनिश्चित करना;

राजस्व की हानि रोकने के लिए बार-बार निरीक्षण करने, गहन टिकट जांच करने तथा निवारक सतर्कता जांच करने जैसे उपाय किए जाते हैं;

(ग) प्रश्न नहीं उठता;

(घ) चालू वित्त वर्ष के पहले 9 महीनों के दौरान उक्त अवधि के लिए बजट अनुमानों की तुलना में यात्री यातायात से आमदनी में 170.78 करोड़ रु. की कमी हुई;

द्रुतगामी रेलगाड़ियां

890. **श्री श्रवण कुमार पटेल** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेल विभाग का सन् 2000 तक 160 कि.मी. प्रति घंटा की गति वाली रेलगाड़ियां शुरू करने के अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के प्रति अब भी विश्वास है;

(ख) क्या ऐसी गति को उपलब्ध कराने हेतु आधारभूत सुविधाओं का विकास करने की दिशा में की गई प्रगति की कोई पुनरीक्षा की गयी है; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या निष्कर्ष हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.सी. लेंका) : (क) से (ग) इस समय यात्री गाड़ियों की निर्धारित अधिकतम गति 140 कि.मी. प्रति घंटा है, हालांकि समवेत उद्देश्य के रूप में रेलों

ने वर्ष 2000 तक 160 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से गाड़ियां चलाने का उल्लेख किया है, लेकिन इस समय यह कहना असामयिक होगा कि ऐसी गाड़ियां चलेंगी। वित्तीय तंगियां और मालगाड़ी सेवाओं की गति बढ़ाकर लाइन क्षमता के संरक्षण की आवश्यकता को उच्चतर प्राथमिकता देनी होगी।

[हिन्दी]

बिहार में किसान सेवा केंद्रों की स्थापना

891. **श्री राम कृपाल यादव** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार बिहार में नए किसान सेवा केंद्र स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो किन-किन जिलों में इन केंद्रों की स्थापना का प्रस्ताव है;

(ग) अब तक किन-किन जिलों में ऐसे केंद्र स्थापित किए गए हैं; और

(घ) 1993 में इन केंद्रों के माध्यम से किए गए कार्यों का केंद्रवार ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविंद नेताम) : (क) राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम की वित्तीय सहायता से कृषक सेवा केंद्र स्थापित करने के लिए बिहार सरकार द्वारा कोई प्रस्ताव नहीं प्रस्तुत किये गए हैं।

(ख) से (घ) ये प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद की पुस्तकों में गोवा पर अध्याय

892. **डा. छत्रपाल सिंह** : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद ने सामाजिक अध्ययन की एक पुस्तक में गोवा पर कोई अध्याय सम्मिलित किया है;

(ख) यदि हां, तो इस पुस्तक में गोवा की सामाजिक स्थिति का तोड़-मरोड़ कर उल्लेख किया गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस अध्याय में वास्तविक स्थिति के अनुसार संशोधन करने हेतु क्या कदम उठाए जाने का विचार है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) "हम और हमारा देश" नामक राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की पाठ्य पुस्तक है, जो कक्षा III के लिए पर्यावरणीय अध्ययन-1 (सामाजिक अध्ययन) की पाठ्य पुस्तक है, में एक अध्याय गोवा पर है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

खामगांवा-जालना रेल-लाइन

893. **श्री दत्ता मेघे : क्या रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र में खामगांव-जालना (155 कि.मी.) रेल लाइन का सर्वेक्षण कार्य पूरा कर लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस परियोजना को 1994-95 के दौरान कार्यान्वित करने का है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) यह कार्य कब तक शुरू कर दिया जाएगा?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.सी. लेंका) : (क) फील्ड कार्य पूरा हो गया है, सर्वेक्षण रिपोर्ट का संकलन किया जा रहा है;

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) सर्वेक्षण रिपोर्ट अभी उपलबध नहीं है।

(घ) यह सर्वेक्षण के परिणामों, योजना आयोग के अनुमोदन तथा संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

रेलवे के उपरि पुल

894. **श्री महेन्द्र कुमार सिंह ठाकुर : क्या रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मध्य प्रदेश के खंडवा जिले में खंड़वा और निम्बोला में उपरि पुलों के निर्माण के संबंध में कोई ज्ञापन मिला है;

(ख) यदि हां, तो इस पर क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) निर्माण कार्य कब तक शुरू होने की आशा है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.सी. लेंका) : (क) से (ग) खंडवा और निम्बोला में ऊपरी सड़क पुलों के निर्माण के लिये अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं, खंडवा में ऊपरी सडक पुल के निर्माण को रेलवे के निर्माण कार्यक्रम 1989-90 में शामिल किया गया है। राज्य सरकार द्वारा प्राक्कलन स्वीकार करने और पहुंच मार्ग संबंधी कार्य शुरू कर दिए जाने के पश्चात् पुल खास संबंधी कार्य शुरू किया जायेगा।

निम्बोला में ऊपरी सड़क पुल के निर्माण को रेलवे के निर्माण कार्यक्रम में शामिल करने के प्रस्ताव पर विचार, राज्य सरकार द्वारा मई, 1992 से उनके पास अनुमोदन के लिए लंबित ड्राइंगों को अंतिम रूप दिए ज़ाने जैसे अपेक्षित औपचारिकताओं के पूरा हो जाने के बाद किया जाएगा।

[अनुवाद]

कोल्हापुर और मुम्बई वी.टी. के बीच एक्सप्रैस रेलगाड़ी

895. **श्री पृथ्वीराज डी. चव्हाण** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को विशेष रूप से दक्षिणी महाराष्ट्र के उन यात्रियों के लिए जिन्हें प्रतिदिन प्रातः सात बजे से पहले मुम्बई वी.टी. पहुंचना होता है, कोल्हापुर और मुम्बई वी.टी. के बीच एक नई एक्सप्रैस रेलगाड़ी चलाने के संबंध में महाराष्ट्र से कई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.सी. लेंका) : (क) जी, हां।

(ख) अभ्यावेदनों पर समुचित रूप से विचार किया गया, लेकिन परिचालनिक तथा संसाधनों की कठिन स्थिति के कारण व्यावहारिक नहीं पाया गया

कर्नाटक की पर्यावरण तथा वानिकी परियोजनाएं

896. **श्री जी. गाडेगौडा** : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक वन विभाग ने वित्तीय सहायता पाने हेतु कई पर्यावरण तथा वानिकी परियोजनाएं भेजी हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(ग) सरकार ने उस पर क्या कार्यवाही की है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) भारत सरकार द्वारा कर्नाटक वन विभाग के लिए मंजूर परियोजनाओं तथा विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाओं के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

(करोड़ रुपयों में)

क्र.सं.	स्कीम का नाम	मुख्य उद्देश्य	भारत सरकार द्वारा निधियन की मात्र	स्थिति	वंटित धनराशि
1.	औषधीय, पौधों सहित लघु वनोपज	औषधीय पौधों सहित लघु वनोपज बढ़ाना	100%	जारी	1.56
2.	बीज विकास स्कीम	अच्छे चीजों के लिए आधारभूत ढांचे का विकास	100%	जारी	
3.	क्षेत्रोन्मुख जलाने की लकड़ी और चारा परियोजनाएं	जलाने की लकड़ी की कमी वाले अभिनिर्धारित जिलों में जलाने की लकड़ी की आपूर्ति बढ़ाना	50%	जारी	1.05
4.	राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य	राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों का विकास	100%	जारी	1.13
5.	राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों के आसपास पारि-विकास	राष्ट्रीय उद्यानों के हिस्सों में रहने वाले समुदायों को वैकल्पिक जीविका देना	100% अनावर्ती 50% आवर्ती	जारी	0.40
6.	हाथी परियोजना	हाथियों की लम्बी अवधि तक उत्तरजीविता सुनिश्चित करना	100% अनावर्ती 50% आवर्ती	जारी	0.60
	विदेशी सहायता प्राप्त परियोजनाएं				
7.	पश्चिमी घाट वानिकी और पर्यावरण परियोजना	पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखना और पर्यावरणीय संसाधनों की बहाली		जारी	8.51
8.	पश्चिमी मैदानों के लिए वानिकी और पर्यावरण	पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों का परिरक्षण		ओ.ई.सी.एफ. जापान को निधिधन के लिए, प्रस्तुत	

दुग्ध उत्पादों को निर्यात

897. **श्री हरिसिंह चावड़ा :** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश में दूध और दुग्ध उत्पादों के उत्पादन में वृद्धि करने हेतु यूरोपीय आर्थिक समुदाय से सहायता प्राप्त कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने दुग्ध उत्पादों के मामले में आत्मनिर्भरता प्राप्त कर ली है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार यूरोपीय आर्थिक समुदाय से सहायता न लेने और दुग्ध उत्पादों के निर्यात को गैर सरणीबद्ध करने का भी है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार ने क्या निर्णय लिया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविन्द नेताम) : (क) भारत सरकार तथा यूरोपीय आर्थिक समुदाय के बीच आपरेशन फ्लड परियोजना अवधि के दौरान यूरोपीय आर्थिक समुदाय भारत सरकार को खाद्य सहायता प्रदान करेगा। वर्ष 1993 के दौरान राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड ने आपरेशन फ्लड के अंतर्गत खाद्य सहायता के रूप में 3,000 मीटरी टन दुग्ध चूर्ण प्राप्त किया।

(ख) से (घ) विभिन्न केन्द्रीय तथा राज्य डेरी विकास कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के फलस्वरूप देश में दुग्ध तथा दुग्ध उत्पादों के उत्पादन में सतत रूप से वृद्धि हो रही है। देश का दुग्ध उत्पादन वर्ष 1969-70 के लगभग 21 मिलियन टन से बढ़कर 1992-93 के दौरान लगभग 59 मिलियन टन हो गया है। देश में दुग्ध तथा दुग्ध उत्पादों की संवर्धित उपलब्धता को देखते हुए राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड ने यूरोपीय आर्थिक समुदाय से वर्ष 1993 के दौरान किसी भी डेरी जिंस की आपूर्ति न करने का अनुरोध किया है। सरकार ने भी दुग्ध उत्पादों की निर्यात नीति में संशोधन करने के लिए एक सार्वजनिक सूचना जारी की है, जिसके अनुसार स्किम्ड दुग्ध चूर्ण तथा घी के परिमाणात्मक परिसीमन, जिसको विदेश व्यापार महानिदेशालय द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किया जाता है, के अनुसार डेरी उत्पादों के निर्यात को विसरणीकृत कर दिया गया है।

झारसुगुडा-टिटलागढ़ सैक्शन का विद्युतीकरण

898. **श्री शरत् पटनायक :** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का चालू वर्ष के दौरान दक्षिण-पूर्व रेलवे के झारसुगुडा-टिटलागढ़ सैक्शन के विद्युतीकरण करने और वहां ई.एम.यू. गाड़ियां चालू करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.सी. लेंका) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) झारसुगुडा-टिटलागढ़ खण्ड पर यातायात का कम घनत्व होने के कारण फिलहाल यह खंड विद्युतीकरण के लिये योग्य नहीं है।

[हिन्दी]

आधुनिक डीजल इंजन

899. **डा. रमेश चन्द तोमर :**
श्रीमती भावना चिखलिया :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की रेलवे बेड़े में आधुनिक डीजल इंजन चलाने की योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या डीजल इंजन रेलवे बेड़े में शामिल करने की स्थिति में है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.सी. लेंका) : (क) और (ख) घरेलू सुविधाओं तथा विदेशों से बेहतर प्रौद्योगिकी का आयात करके डीजल इंजनों का आधुनिकीकरण तथा ग्रेडोनयन करना एक सतत् प्रक्रिया है।

(ग) ईंधन की कम खपत करने वाले डीजल इंजनों को धीरे-धीरे सेवा में लगाया जा रहा है।

(घ) ये इंजन 7% अधिक ईंधन-कुशल हैं।

[अनुवाद]

रेलवे स्टाफ क्वार्टरों के लिए धन

900. **श्री छीतूभाई गामीत** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1994-95 के दौरान प्रत्येक जोन में कितने स्टाफ क्वार्टर बनाए जाएंगे; और

(ख) चालू वर्ष के दौरान प्रत्येक जोन में इस प्रयोजनार्थ कुल कितना आवंटन किया गया है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.सी. लेंका) : (क) और (ख) सूचना इकट्ठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

केन्द्रीय विद्यालयों में कथित अनियमितताएं

901. **श्री मुहीराम सैकिया** : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 20 जनवरी, 1994 के पॉयनियर (दिल्ली संस्करण) में "सेक्युलराइजिंग ऑन चिल्ड्रन्स मनी" शीर्षक के अंतर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाएंगे?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उपमंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) जी, हां।

(ख) समाचार में उल्लिखित पोस्टरों को केन्द्रीय विद्यालय संगठन के सभी 18 क्षेत्रीय कार्यालयों को विद्यालयों में मुख्य स्थान पर प्रदर्शन के लिए संबंधित क्षेत्रों में स्थित विद्यालयों को वितरण हेतु भेज दिया गया है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

वैगन खरीद कार्यक्रम

902. **श्री अनिल बसु** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि : वर्ष 1994-95 के लिए वैगन खरीद कार्यक्रम की योजना बनाने और उसे अंतिम रूप देने के लिए रेलवे द्वारा अब तक उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.सी. लेंका) : 1994-95 के दौरान मालडिब्बों के प्रापण का कार्यक्रम बनाने की अग्रिम तैयारी आरंभ कर दी गई है।

संसद द्वारा रेल बजट के अनुमोदन के बाद इसे अंतिम रूप दिए जाने की आशा है।

[हिन्दी]

सार्वजनिक वितरण प्रणाली

903. **श्री देवी बक्स सिंह :**
श्री बलराज पासी :
डा. चिंता मोहन :
श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर (दीपा) :
श्री शिवाजी पटनायक :

क्या **नागरिक पूर्ति उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उचित दर की दुकानों पर बेची जाने वाली खाद्य वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि के कारण सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत उपभोक्ताओं की संख्या में तेजी से कमी आई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) गरीब जनता के लाभार्थ सार्वजनिक वितरण प्रणाली की समीक्षा हेतु केंद्रीय सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

नागरिक पूर्ति उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के बारे में एक राष्ट्रीय नीति तैयार करने के दृष्टि से, जिसमें समाज के वास्तविक रूप से जरूरतमंद तथा पात्र तबकों को बड़ी तथा ज्यादा सार्थक मात्रा आबंटित करने पर ध्यान केंद्रित किया गया हो सरकार ने तमिलनाडु, हरियाणा और पश्चिम बंगाल के खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्रियों की एक समिति गठित की थी। उस समिति की रिपोर्ट पर सितंबर, 1993 में सार्वजनिक वितरण प्रणाली संबंधी परामर्शदात्री परिषद की 16वीं बैठक में विचार किया गया था। सार्वजनिक वितरण प्रणली संबंधी परामर्शदात्री परिषद ने राज्य सरकारों के साथ आगे चर्चा करने के लिए मामले को राष्ट्रीय विकास परिषद को भेजने का निर्णय किया है। केंद्र सरकार ने इस मामले में कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया है।

[अनुवाद]

चारे की गुणवत्ता

904. **श्री वी. शोभनाद्रीश्वर राव** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार उत्पादकों द्वारा बेचे गए खारे पानी में झींगा मछली पालन के लिए सप्लाई किए गए चारे की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए कदम उठा रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. कृष्ण कुमार) : (क) और (ख) वाणिज्य मंत्रालय के अंतर्गत कार्यरत समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण ने झींगा आहार की क्वालिटी के मानक निर्धारित किए हैं, जो नीचे दिए गए हैं :

1.	नमी ------------------	10 प्रतिशत से कम
2.	प्रोटीन ----------------	30 प्रतिशत से अधिक
3.	वसा -----------------	4 प्रतिशत-10 के बीच
4.	रेशे ------------------	6 प्रतिशत से कम
5.	भस्म -----------------	12 प्रतिशत से कम
6.	जलीय स्थिरता -----	न्यूनतम 6 घंटे

ऐसी झींगा आहार निर्माता यूनिटें, जो समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप उत्पादन नहीं करतीं, उनके पंजीकरण पर विचार नहीं किया जाता। कृषि मंत्रालय की झींगा आहार विनिर्माण यूनिटों की स्थापना के प्रस्ताव के संबंध में तकनीकी मंजूरी देता है, यदि वह इस बात से संतुष्ट हो कि विनिर्मित किए जाने वाले आहार से मांस में परिवर्तन होने का अनुपात दक्षतानुरूप हो।

भारत इस्राइल समझौता

906. **श्री शान्ताराम पोतदुखे** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत तथा इस्राइल ने दिसंबर, 1993 के दौरान कोई समझौता किया है;

(ख) यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सयुक्त उद्यमों के लिए किन क्षेत्रों की पहचान की गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविंद नेताम) : (क) जी, हां। कृषि के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और इस्राइल के बीच 24 दिसंबर 1993 को एक करार पर हस्ताक्षर किए गए।

(ख) इस करार में अनुसंधान शिक्षा विस्तार एवं प्रशिक्षण विकास परियोजनाओं सहित कृषि विज्ञान और प्रौद्योगिकी में सहयोग और जल एवं मृदा प्रबंध शुद्ध एवं अर्द्ध शुष्क फसल उत्पादन, पौध एवं पशु विज्ञान, पशुचिकित्सा विज्ञान, फार्म मशीनीकरण एवं प्रौद्योगिकी एवं कृषि वानिकी आदि क्षेत्रों में दोनों देशों कंपनियों अथवा संस्थाओं के बीच संयुक्त उद्यमों का प्रावधान है। इस करार के अंतर्गत किया जाने वाला सहयोग परस्पर अनुबंध द्वारा तैयार द्विवार्षिक कार्य योजनाओं के माध्यम से किया जाएगा।

(ग) विशिष्ट क्षेत्रों/संयुक्त उद्यमी से संबंधित प्रस्तावों को अभी अंतिम रूप दिया जाना है।

पश्चिम बंगाल में रेल परियोजनाएं

907. **श्री जितेंद्र नाथ दास** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल में चालू रेल परियोजनाएं विभिन्न राज्यों में अन्य रेल परियोजनाओं की तुलना में निर्धारित कार्यक्रम से पीछे चल रही हैं;

(ख) क्या इन परियोजनाओं के लिए आवंटित धनराशि बंद कर दी गई थी;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) ये परियोजनाएं किस प्रकार और कब तक पूरी कर दी जायेंगी?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.सी. लेंका) : पश्चिम बंगाल में तामलुक-दीघा सहित विभिन्न राज्यों में बहुत-सी परियोजनाएं अपने लक्ष्य से पीछे चल रही हैं।

(ख) दो परियोजनाओं के लिए आवंटित 2 करोड़ रुपये की रकम पश्चिम बंगाल से बाहर अन्य परियोजनाओं के लिए आंतरिक की गयी थी, लेकिन 25 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि अन्य राज्यों से पश्चिम बंगाल में चल रही परियोजनाओं के लिए अंतरित की गई थी।

(ग) पूरे देश निर्माण कार्यों की आवश्यकता के अनुसार ऐसे सामान्य समायोजन किये जाते हैं।

(घ) ये परियोजनाएं संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार प्रगति कर रही हैं और नौवीं योजनावधि में इनके पूरा होने की संभावना है।

केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण द्वारा दिए गए निर्णय का कार्यान्वयन

908. **श्री अष्टभुजा प्रसाद शुक्ल** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (इलाहाबाद) द्वारा कर्मचारियों के पक्ष में दिए गए निर्णय के पश्चात पूर्वोत्तर रेलवे में श्रमिकों/कर्मचारियों की बहाली/निपटान संबंधी कितने मामले लंबित हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं; और

(ग) पूर्वोत्तर रेलवे द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.सी. लेंका) : (क) से (ग) सूचना इकट्ठी की जा रही है सभा पटल पर रख दी जाएगी।

जैव विविधताएं

909. **श्रीमती दीपिका एच. टोपीवाला** :
श्री चेतन पी.एस. चौहान :

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत की अधिकांश जैव विविधताओं का अभी तक अन्वेषण एवं प्रलेखन नहीं किया गया है;

(ख) यदि हां, तो कितनी जैव विविधताओं को अनुमानित रूप से प्रलेखबद्ध किया गया है और इसे पूर्ण रूप से अन्वेषण एवं प्रलेखन न करने के क्या कारण हैं; और

(ग) इस दिशा में क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) 1998 की स्थिति के अनुसार देश के कुल क्षेत्र के लगभग 60 प्रतिशत क्षेत्र का वानस्पतिक रूप से वैज्ञानिक अध्ययन किया गया है और बाकी 40 प्रतिशत क्षेत्र का सर्वेक्षण 1998 तक पूरा किए जाने का लक्ष्य है। प्राणीजातीय संसाधनों के मामले में देश के एक तिहाई क्षेत्र का वैज्ञानिक सर्वेक्षण कर लिया गया है। शेष क्षेत्र का सर्वेक्षण सन् 2000 तक पूरा किए जाने का लक्ष्य है।

(ख) और (ग) 1988 तक दर्ज कुल वनस्पतियों और जीवजन्तु प्रजातियों की संख्या क्रमशः 45,000 और 75,000 है। विस्तृत वैज्ञानिक सर्वेक्षण एक सतत् प्रक्रिया है। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण और भारतीय प्राणि सर्वेक्षण के कार्यों और संगठनों की समीक्षा के अनुसार देश की वनस्पतिजात और प्राणिजात सर्वेक्षणों को पूरा किए जाने का लक्ष्य क्रमशः सन् 1998 और 2000 है।

त्रिचूर में कंप्यूटरीकृत आरक्षण काउन्टर

910. **प्रो. सावित्री लक्ष्मण :** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या त्रिचूर रेलवे स्टेशन पर और अधिक कंप्यूटरीकृत आरक्षण काउन्टर खोलने के संबंध में कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.सी. लेंका) : (क) जी, हां

(ख) मौजूदा व्यवस्थाओं की पर्याप्तता के संबंध में अध्ययन किया गया था; वर्तमान कार्यभार को संभालने के लिए मौजूदा व्यवस्थाएं संतोषजनक पाई गईं।

धान की खरीद

911. **श्री विजय नवल पाटील :** क्या **खाद्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब सरकार ने भारतीय खाद्य निगम द्वारा धान के अपने कोटे की खरीदगी न कर पाने पर चिन्ता व्यक्त की है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) पंजाब के धान उत्पादकों के हितों की रक्षा के लिए सरकार ने क्या कदम उठाने का विचार किया है?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्प नाथ राय) : (क) से (ग) भारतीय खाद्य निगम द्वारा मूल्य समर्थन योजना के अधीन पंजाब में धान की वसूली करने के लिए यथा संभव सभी प्रबंध पेशगी कर लिए गए हैं। वर्तमान खरीफ विपणन मौसम, 1993-94 में 23-2-1994 तक पंजाब में वसूल की गई कुल 54.89 लाख मीटरी टन धान में से भारतीय खाद्य निगम का अंश 23.02 लाख मीटरी टन धान में से भारतीय खाद्य निगम का अंश 15.79 लाख मीटरी टन था।

दिल्ली विश्वविद्यालय का विस्तार

912. **श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद :** क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार दिल्ली विश्वविद्यालय के अंतर्गत और अधिक कालेज खोलने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या विश्वविद्यालय के अंतर्गत और अधिक कालेज खोलने की योजनाएं धन की कमी के कारण लंबित हैं; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाने का विचार है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उपमंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) और (ख) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने सूचित किया है कि दिल्ली

में तीन नए डिग्री कालेज खोलने का प्रस्ताव है, तथा दिल्ली सरकार ने वर्ष 1994-95 के अपने बजट में इस प्रयोजनार्थ निधियों का प्रावधान कर दिया है।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड द्वारा खली की खरीद

913. **श्री एन.जे. राठवा** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड गुजरात में बोर्ड द्वारा वित्तपोषित सहकारी समितियों से सरसों/मूंगफली/कोइन की खली खरीदता है;

(ख) क्या इस प्रणाली में विविधता लाते हुए इन समितियों को अधिक धन मुहैया करने का प्रस्ताव है; और

(ग) गुजरात में स्थापित की जाने वाली डेरी परियोजनाओं/केंद्रो/खली बैंक प्रशिक्षण केंद्रों एवं जांच केंद्रों का ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविन्द नेताम) : (क) और (ख) जी, नहीं।

(ग) तेल परियोजना क्षेत्र के अंतर्गत गुजरात में और अधिक प्रशिक्षण केंद्र तथा परीक्षण केंद्र स्थापित करने की कोई संभावना नहीं है।

डेरी परियोजनाओं के बारे में गुजरात सहकारी दुग्ध विपणन परिसंघ/संबंधित दुग्ध परिसंघों से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड ने विवरण में दिए गए ब्यौरे के अनुसार डेरी परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान कर दी है।

विवरण

संघ का नाम	संयंत्र का स्थान	वर्धित क्षमता			स्वीकृत परिव्यय (लाख रुपये में)
		डेरी संयंत्र (टी.एल.पी.डी.)	चूर्ण संयंत्र (एम.टी.डी.)	पनीर संयंत्र (एम.टी.डी.)	
1	2	3	4	5	6
कैरा दुग्ध संघ(अमूल)	आनन्द	650	60	0	9355.55
कैरा दुग्ध संघ(अमूल)	कैरा	300	0	20	4199.65
विद्या डेरी(गऊ)*	आनन्द	100	0	2	1200.00

1	2	3	4	5	6
अहमदाबाद दुग्ध संघ	अहमदाबाद	60	0	0	378.80
पंच महल दुग्ध संघ	गोधरा	100	8	0	321.00
सूरत दुग्ध संघ	सूरत	200	0	0	494.26
राजकोट दुग्ध संघ	राजकोट	0	8	0	322.83
मेहसाणा दुग्ध संघ	मेहसाणा	400	30	0	2008.76
गांधी नगर मदर डेरी	गांधी नगर	1000	60	0	9965.00
बनास दुग्ध संघ	पालनपुर	50	30	0	1185.53
कच्छ डेरी	भुज	40	0	0	152.65
भावनगर	भावनगर	44	0	0	172.96
सुरेन्द्र नगर	सुरेन्द्रगढ़	80	0	0	106.59
जूनागढ़	जूनागढ़	100	110	0	144.04

*गुजरात कृषि विश्वविद्यालय
टी.एल.पी.डी.=हजार लीटर प्रतिदिन
एम.टी.डी.=मिलियन टन प्रतिदिन

[अनुवाद]

बिहार में पुलों का पुनर्निर्माण

914. **श्री लाल बाबू राय :**
श्री राम टहल चौधरी :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बिहार में रेलवे के अंतर्गत आने वाले पुलों की जिलावार संख्या कितनी है;

(ख) कितने पुलों का पुनर्निर्माण अथवा मरम्मत करने की आवश्यकता है और इस संबंध में क्या कार्यवाही की जा रही है; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान बिहार में पुलों की मरम्मत पर व्यय की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.सी. लेंका) : (क) 8575 पुल, जिलेवार ब्यौरे नहीं रखे जाते हैं।

(ख) 106 काम चल रहा है।

(ग) खर्च का लेखा जोखा राज्यवार नहीं रखा जाता।

[अनुवाद]

रिलाएंस पैट्रो-कैमीकल्स लिमिटेड

915. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को गुजरात में सौराष्ट्र क्षेत्र के जामनगर जिले में प्रस्तावित रिलाएंस पेट्रो-कैमीकल्स लिमिटेड तेल शोधक कारखाने संबंधी परियोजना के पर्यावरण संबंधी पहलुओं को चुनौती देने वाले जनहित संबंधी मुकदमे को गुजरात उच्च न्यायालय में दायर किए जाने की जानकारी है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्यमंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) जी, हां।

(ख) सरकार ने इस मामले में अभी कोई निर्णय नहीं लिया है, क्योंकि अपेक्षित पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन तथा परियोजना की पर्यावरणीय मंजूरी के लिए अपेक्षित अन्य संबंधित रिपोर्टें अभी तैयार की जा रही हैं।

[हिन्दी]

पशुओं कों चिकित्सा सुविधाएं

916. **श्री हरि केवल प्रसाद :**
श्री शान्ताराम पोतदुखे :

क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1992 और 1993 के दौरान पशुओं को चिकित्सा सुविधा प्रदान किए जाने हेतु कार्यक्रमों का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) इस कार्यक्रम के अंतर्गत सरकार द्वारा क्या उपलब्धियां प्राप्त की गयीं; और

(ग) उक्त अवधि के दौरान इस प्रयोजनार्थ राज्यों को राज्यवार कितनी सहायता दी गई है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविन्द नेताम) : (क) पशु पालन तथा पशुधन स्वास्थ्य राज्यों का विषय है और इसलिए देश के पशुधन को चिकित्सा सुविधाएं राज्य सरकारों

तथा संघ शासित क्षेत्रों द्वारा प्रदान की जाती है। पशु चिकित्सा स्वास्थ्य कवर चल औषधालयों सहित पॉली क्लीनिकों/पशु चिकित्सा अस्पतालों/ औषधालयों/प्राथमिक चिकित्सा केंद्रों द्वारा प्रदान की जाती है। पॉली क्लीनिकों/अस्पतालों/औषधालयों की संख्या 1991-92 के 20444 की तुलना में 1992-93 के दौरान बढ़कर 21137 तक हो जाने की संभावना है। इसी प्रकार चल औषधालयों सहित प्राथमिक चिकित्सा केंद्रों की संख्या 1991-92 के 19360 से बढ़कर 1992-93 के दौरान करीब 19449 तक हो जाने की संभावना है। तुरंत तथा समुचित रोगनिदान और प्रभावी नियंत्रण उपायों के लिए इन संस्थानों को राज्यों और संघ शासित प्रदेशों में कार्यरत 250 रोग निदान प्रयोगशालाओं का पूर्ण समर्थन प्राप्त है। यहां लगभग 26 पशु चिकित्सा जीव-विज्ञानी उत्पादन एकक हैं, जिनमें से 19 सार्वजनिक और 7 निजी क्षेत्र में हैं। पशुधन तथा कुक्कुट के प्रमुख रोगों से निपटने के लिए टीकों का उत्पादन बढ़कर लगभग 1250 मिलियन खुराक हो गया है। कतिपय महत्वपूर्ण रोगों पर नियंत्रण पाने के लिए राज्य सरकार तथा संघ शासित क्षेत्रों के प्रयासों में सहायता पहुंचाने के लिए अनेक केंद्रीय प्रायोजित योजनाएं प्रारंभ की गई हैं। इनके अलावा एक पशुप्लेग उन्मूलन परियोजना भी चल रही है, जो कि सभी राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों के पशुप्लेग रोग पर नियंत्रण पाने का काम करती है।

(ख) उपर्युक्त संस्थानों की संख्या में 1991-92 की तुलना में 1992-93 के दौरान वृद्धि हुई है। यहां 693 बड़े तथा 89 छोटे संस्थान हैं। इनके अलावा रोग निदान सुविधाओं में भी वृद्धि हुई है विभिन्न रोगों पर नियंत्रण पाने के लिए टीकों का उत्पादन 800 मिलियन खुराकों से बढ़कर 1250 मिलियन खुराक हो गया है। संस्थानों की संख्या में राज्यवार वृद्धि दर्शाने वाले विवरण I से III संलग्न हैं।

(ग) यहां तीन केंद्रीय प्रायोजित योजनाएं हैं, जिनके माध्यम से मुंहपका तथा खुरपका रोग तथा राष्ट्रीय महत्व के कुछ रोगों के नियंत्रण के लिए और पशु रोगों पर निगरानी रखने के लिए राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्रों को सहायता प्रदान की जाती है। प्रदान की गई निधियों का ब्यौरा इस प्रकार है :

(लाख रुपये में)

योजना का नाम	वर्ष	
	1991-92	1992-93
1. मुंहपका तथा खुरपका रोग	98.55	161.65
2. राष्ट्रीय महत्व के पशुरोग का क्रमबद्ध नियंत्रण	129.15	229.43
3. पशु रोग निगरानी	40.00	55.78

राज्यों को प्रदान की गई सहायता का ब्यौरा संलग्न विवरण-IV से VI में दिया गया है।

विवरण-I

राज्यवार पशुचिकित्सा अस्पताल/पॉली क्लीनिक

(संख्या)

क्रम संख्या	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	वर्ष 1991-92 (प्रत्या.उपल.)	1992-93 (प्रत्या. उपल.)	1993-94 (लक्ष्य)	1996-97 (लक्ष्य)
1	2	3	4	5	6
1.	आन्ध्र प्रदेश	279	279	279	300
2.	अरुणाचल प्रदेश	-	1	2	11
3.	असम	26	26	26	26
4.	बिहार	62	62	62	66
5.	गोवा	2	2	2	2
6.	गुजरात	13	13	15	17
7.	हरियाणा	535	565	600	738
8.	हिमाचल प्रदेश	230	245	245	260
9.	जम्मू और कश्मीर (आर)	16	16	16	16
10.	कर्नाटक	188	188	188	188
11.	केरल	105	105	105	120
12.	मध्य प्रदेश	708	709	729	808
13.	महाराष्ट्र	115	115	115	115
14.	मणिपुर	53	53	53	53
15.	मेघालय	4	5	5	5
16.	मिजोरम	3	5	5	7
17.	नागालैण्ड	4	4	4	4
18.	उड़ीसा	58	58	58	58

1	2	3	4	5	6
19.	पंजाब (आर)	896	952	1008	1177
20.	राजस्थान	1346	1346	1347	1347
21.	सिक्किम	12	12	14	17
22.	तमिलनाडु(आर)	81	81	81	81
23.	त्रिपुरा	9	11	12	12
24.	उत्तर प्रदेश	1823	1874	1959	2203
25.	पश्चिम बंगाल (आर)	122	122	130	130
संघ शासित क्षेत्र					
1.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	9	10	10	12
2.	चण्डीगढ़	5	5	5	5
3.	दादरा और नागर हवेली	1	1	1	1
4.	दमण और दीव	1	1	1	1
5.	दिल्ली	50	53	56	65
6.	लक्षद्वीप	-	-	-	1
7.	पाण्डिचेरी	2	3	4	5
	कुल (संघ शासित क्षेत्र)	68	73	77	90
	अखिल भारत	6826	6995	7214	7936

(आर) : गत वर्षों के योजना विचार-विमर्श द्वारा पुनरावृत्ति

स्रोत : दिसंबर, 1992 में योजना आयोग के साथ हुए अद्यतन राज्य नियोजन विचार-विमर्श पर आधारित।

विवरण-II

पशुचिकित्सा सहायता केन्द्र तथा चल औषधालय-राज्यवार

(संख्या)

क्रम संख्या	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	वर्ष			
		1991-92 (प्रत्या.उपल.)	1992-93 (प्रत्या. उपल.)	1993-94 (लक्ष्य)	1996-97 (लक्ष्य)
1	2	3	4	5	6
1.	आन्ध्र प्रदेश	2571	2575	2575	2575
2.	अरुणाचल प्रदेश	147	155	158	201
3.	असम	507	517	517	597
4.	बिहार	2224	2224	2224	2480
5.	गोवा	52	53	54	58
6.	गुजरात	588	588	588	588
7.	हरियाणा	825	742	727	750
8.	हिमाचल प्रदेश	14	14	14	14
9.	जम्मू और कश्मीर (आर)	40	40	40	40
10.	कर्नाटक	1282	1282	1282	1282
11.	केरल	58	58	58	58
12.	मध्य प्रदेश	110	110	110	110
13.	महाराष्ट्र	1780	1806	2350	2351
14.	मणिपुर	28	28	28	28
15.	मेघालय	66	66	69	72
16.	मिजोरम	98	98	99	114
17.	नागालैण्ड	128	177	188	194

1	2	3	4	5	6
18.	उड़ीसा	2841	2873	2897	3340
19.	पंजाब (आर)	–	–	–	–
20.	राजस्थान	55	61	63	70
21.	सिक्किम	59	59	69	70
22.	तमिलनाडु(आर)	2226	2226	2226	2251
23.	त्रिपुरा	219	243	253	280
24.	उत्तर प्रदेश	2712	2712	2712	2712
25.	पश्चिम बंगाल(आर)	704	716	716	716
	कुल (संघ शासित क्षेत्र)	26	26	27	30
	अखिल भारत	19360	19449	220044	20984

(आर) : गत वर्षों के योजना विचार-विमर्श द्वारा पुनरावृत्ति।

स्रोत : दिसंबर, 1992 में योजना आयोग के साथ हुए अद्यतन राज्य नियोजन विचार-विमर्श पर आधारित।

विवरण-III

पशु चिकित्सा औषधालय-राज्यवार

(संख्या)

क्रम संख्या	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	वर्ष			
		1991-92 (प्रत्या.उपल.)	1992-93 (प्रत्या. उपल.)	1993-94 (लक्ष्य)	1996-97 (लक्ष्य)
1	2	3	4	5	6
1.	आन्ध्र प्रदेश	1430	1625	1625	1664
2.	अरुणाचल प्रदेश	88	90	91	118

1	2	3	4	5	6
3.	असम	339	339	339	369
4.	बिहार	1214	1214	1224	1302
5.	गोवा	23	23	23	23
6.	गुजरात	374	323	383	483
7.	हरियाणा	759	844	929	1279
8.	हिमाचल प्रदेश	514	555	555	602
9.	जम्मू और कश्मीर	570	570	570	600
10.	कर्नाटक	522	602	602	692
11	केरल	622	692	762	954
12.	मध्य प्रदेश	2215	2215	2245	2415
13.	महाराष्ट्र	920	977	1067	1067
14.	मणिपुर	97	97	97	97
15.	मेघालय	54	54	55	59
16.	मिजोरम	38	39	43	58
17.	नागालैण्ड	27	30	32	35
18.	उड़ीसा	465	465	465	556
19.	पंजाब (आर)	1008	1008	1008	1008
20.	राजस्थान	418	418	418	418
21.	सिक्किम	25	25	27	27
22.	तमिलनाडु	857	856	887	887
23.	त्रिपुरा	44	50	53	56
24.	उत्तर प्रदेश	258	258	258	284
25.	पश्चिम बंगाल (आर)	645	648	648	648

1	2	3	4	5	6
संघ शासित प्रदेश					
1.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	37	39	41	47
2.	चण्डीगढ़	9	8	8	8
3.	दादरा व नागर हवेली	–	–	–	–
4.	दिल्ली	23	23	23	27
5.	लक्षद्वीप	10	10	10	10
6.	पाण्डिचेरी	14	14	16	15
	कुल (संघ शासित क्षेत्र)	92	94	98	127
	अखिल भारत	13681	14142	14504	15828

(आर) : गत वर्षों के योजना विचार-विमर्श द्वारा पुनरावृत्ति

स्रोत : दिसंबर, 1992 में योजना आयोग के साथ हुए अद्यतन राज्य नियोजन विचार-विमर्श पर आधारित।

विवरण-IV

केन्द्रीय प्रायोजित योजना "खुरपका तथा मुंहपका रोग" के अंतर्गत निधियों की निर्मूक्ति

(लाख रुपये में)

क्रम संख्या	राज्य/संघ शासित प्रदेश का नाम	7वीं योजना 1985-90	वार्षिक योजना 1990-91	1991-92	1992-93
1	2	3	4	5	6
1.	आन्ध्र प्रदेश	10.85	2.50	1.60	2.40
2.	अरुणाचल प्रदेश	6.75	1.25	1.35	2.25
3.	असम	9.55	1.50	1.00	6.00
4.	बिहार	11.70	1.50	1.00	5.25

1	2	3	4	5	6
5.	गोवा	2.40	1.25	1.00	0.53
6.	गुजरात	8.09	5.50	4.10	4.04
7.	हरियाणा	35.09	13.50	3.50	22.39
8.	हिमाचल प्रदेश	4.42	3.25	3.50	4.70
9.	जम्मू और कश्मीर	4.80	0.75	4.00	6.00
10.	कर्नाटक	4.00	0.50	1.00	12.82
11.	केरल	9.05	2.00	2.30	0.50
12.	मध्य प्रदेश	15.00	11.50	5.60	5.68
13.	महाराष्ट्र	19.55	3.00	4.00	16.67
14.	मणिपुर	2.25	2.00	0.60	1.50
15.	मेघालय	2.00	1.00	0.60	0.55
16.	मिजोरम	5.25	0.50	3.10	3.50
17.	नागालैण्ड	1.95	1.00	2.00	0.75
18.	उड़ीसा	10.50	1.50	2.40	4.50
19.	पंजाब	30.20	3.50	20.00	15.00
20.	राजस्थान	10.95	2.50	2.60	3.66
21.	तमिलनाडु	20.74	8.00	2.60	5.50
22.	त्रिपुरा	2.95	0.50	0.60	1.40
23.	उत्तर प्रदेश	27.26	10.13	15.90	18.00
24.	पश्चिम बंगाल	12.00	4.50	2.30	4.50
25.	सिक्किम	9.65	9.00	8.00	8.00
	कुल राज्य	276.95	92.13	94.85	156.09
संघ शासित प्रदेश					
1.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	1.10	0.25	0.30	1.00

1	2	3	4	5	6
2.	चण्डीगढ़	0.80	0.25	0.30	0.07
3.	दादरा और नागर हवेली	0.75	0.25	0.30	0.40
4.	दिल्ली	4.41	1.25	1.00	2.50
5.	लक्षद्वीप	-	-	0.20	0.92
6.	पाण्डिचेरी	4.06	1.50	1.60	0.67
	कुल (संघ शासित प्रदेश)	11.12	3.50	3.70	5.56
	सकल योग	288.07	95.63	98.55	161.65

विवरण-V

केन्द्रीय-प्रायोजित-योजना "राष्ट्रीय महत्व के पशु रोगों का प्रणाली बद्ध नियंत्रण" के अंतर्गत विधियों की नियुक्ति

(लाख रुपये में)

क्रम संख्या	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	7वीं योजना 1985-90	वार्षिक योजना 1990-91	1991-92	1992-93
1	2	3	4	5	6
1.	आन्ध्र प्रदेश	25.87	8.00	3.30	13.78
2.	अरुणाचल प्रदेश	6.78	1.50	0.60	1.60
3.	असम	10.95	1.50	1.00	2.50
4.	बिहार	11.00	2.50	6.20	4.07
5.	गोवा	2.70	2.20	0.30	0.79
6.	गुजरात	29.33	15.20	8.60	8.51
7.	हरियाणा	40.15	10.50	9.60	30.00
8.	हिमाचल प्रदेश	1.20	0.50	1.00	3.00

1	2	3	4	5	6
9.	जम्मू और कश्मीर	2.50	0.50	2.00	3.00
10.	कर्नाटक	56.00	23.50	10.00	25.13
11.	केरल	126.00	39.00	20.00	35.79
12.	मध्य प्रदेश	21.00	9.00	3.30	10.52
13.	महाराष्ट्र	30.80	5.50	6.00	15.99
14.	मणिपुर	1.25	1.00	0.30	2.47
15.	मेघालय	5.05	0.50	0.60	3.54
16.	मिजोरम	5.25	1.05	3.00	1.30
17.	नागालैण्ड	4.25	2.55	2.15	2.99
18.	उड़ीसा	12.00	2.00	4.00	4.00
19.	पंजाब	40.14	4.50	1.00	x
20.	राजस्थान	24.45	7.50	13.00	5.00
21.	तमिलनाडु	53.00	13.25	12.50	13.37
22.	त्रिपुरा	2.75	0.50	0.30	1.70
23.	उत्तर प्रदेश	13.65	4.00	5.00	12.00
24.	पश्चिम बंगाल	17.50	6.25	6.30	0.50
25.	सिक्किम	6.30	1.00	5.00	6.00
	कुल राज्य	549.89	163.50	125.05	215.55
संघ शासित प्रदेश					
1.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	–	–	–	1.00
2.	चण्डीगढ़	–	–	–	1 *
3.	दादरा और नागर हवेली	–	–	–	0.30
4.	दिल्ली	8.00	1.00	3.60	7.80

1	2	3	4	5	6
5.	लक्षद्वीप	–	–	0.60	4.78
6.	पाण्डिचेरी	1.50	–	–	–
	कुल (संघ शासित क्षेत्र)	9.50	1.00	4.10	13.88
	सकल योग	559.37	164.50	129.15	229.43

* क्रियान्वित नहीं किया गया है।

विवरण-VI

केन्द्रीय प्रायोजित योजना "पशुरोग निगरानी" के अंतर्गत निधियों की निर्मुक्ति

(लाख रुपये में)

क्रम संख्या	राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	7वीं योजना 1985-90	वार्षिक योजना		
			1991-91	1991-92	1992-93
1	2	3	4	5	6
1.	आन्ध्र प्रदेश	5.17	1.20	1.20	1.60
2.	अरुणाचल प्रदेश	1.60	0.60	0.50	1.00
3.	असम	3.17	1.00	0.50	1.20
4.	बिहार	7.45	0.50	2.00	1.57
5.	गोवा	2.47	1.15	0.50	1.11
6.	गुजरात	5.84	2.75	2.50	1.72
7.	हरियाणा	5.71	3.00	2.00	5.00
8.	हिमाचल प्रदेश	2.43	0.50	1.50	1.50
9.	जम्मू और कश्मीर	1.50	0.50	0.50	1.25
10.	कर्नाटक	9.34	4.50	2.50	6.58
11.	केरल	4.27	3.25	1.50	2.00

1	2	3	4	5	6
12.	मध्य प्रदेश	6.81	1.50	6.00	2.50
13.	महाराष्ट्र	4.48	1.50	1.00	2.50
14.	मणिपुर	1.45	0.25	0.30	1.00
15.	मेघालय	2.73	0.25	0.45	1.75
16.	मिजोरम	3.12	1.50	2.00	1.30
17.	नागालैण्ड	1.95	0.25	1.45	0.68
18.	उड़ीसा	5.56	1.00	1.10	1.25
19.	पंजाब	2.10	1.00	0.60	*
20.	राजस्थान	4.70	1.00	1.50	1.27
21.	तमिलनाडु	6.33	2.75	1.80	4.40
22.	त्रिपुरा	1.35	0.25	0.30	0.70
23.	उत्तर प्रदेश	6.59	1.50	1.50	4.17
24.	पश्चिम बंगाल	4.37	1.30	1.00	2.50
25.	सिक्किम	3.11	2.00	2.50	2.00
	कुल राज्य	103.96	35.00	36.70	50.55
संघ शासित क्षेत्र					
1.	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	1.50	0.40	1.00	1.82
2.	चण्डीगढ़	0.55	–	0.10	*
3.	दादरा एवं नागर हवेली	0.85	0.10	0.10	0.10
4.	दिल्ली	2.70	0.25	0.60	0.58
5.	लक्षद्वीप	0.30	–	–	0.50
6.	पाण्डिचेरी	4.15	2.50	1.50	1.60
	कुल (संघ शासित क्षेत्र)	10.00	3.25	3.30	5.23
	सकल योग	114.01	38.25	40.00	55.78

[अनुवाद]

अप्रयुक्त भूमि पर वृक्षारोपण

917. **श्री के.जी शिवप्पा :**
श्री के.एच. मुनियप्पा :
श्री वी. कृष्ण राव :

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत गोल्ड माइन्स लिमिटेड के आस-पास लगभग बारह हजार एकड़ भूमि गत कई वर्षों से अप्रयुक्त पड़ी है,

(ख) क्या उनके मंत्रालय ने उक्त क्षेत्र में वृक्षारोपण कार्यक्रम शुरू करने के लिए प्रस्ताव किये हैं, और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) से (ग) सूचित किया गया है कि भारत गोल्ड माइन्स लिमिटेड के स्वामित्व में कुल 12101.32 एकड़ क्षेत्र में से लगभग 11209 एकड़ क्षेत्र को खनन प्रयोजनों के लिए इस समय प्रयोग में नहीं लाया जा रहा है। कम्पनी के स्वामित्व वाली भूमि पर वनीकरण किए जाने का पर्यावरण और वन मंत्रालय का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, कंपनी ने अपनी 2471 एकड़ भूमि पर स्वयं वनीकरण कार्यकलाप चलाए हैं।

[हिन्दी]

रेलवे में यात्री निवास

918. **श्री राजेश कुमार :**
श्रीमती भावना चिखलिया :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय रेलवे द्वारा जोनवार कितने यात्री निवास चलाए जा रहे हैं;

(ख) 1993 में जोनवार इन यात्री निवासों को हुए लाभ-हानि का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार 1994 के दौरान अन्य स्थानों पर और अधिक यात्री निवास बनाने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.सी. लेंका) : (क) उत्तर, पूर्व और पूर्वोत्तर रेलों पर एक-एक यात्री निवास है।

(ख) 1992-93 के दौरान हुआ लाभ इस प्रकार है :

उत्तर	–	18,37,084.36 रुपये
पूर्व	–	13,39,937.00 रुपये
पूर्वोत्तर	–	हाल ही में खोला गया है।

(ग) और (घ) रेलों के पास संसाधनों की अत्यधिक कमी को ध्यान में रखते हुए अन्य स्थानों पर रेल यात्री निवास निर्माण की फिलहाल कोई योजना नहीं है।

[अनुवाद]

वन भूमि का नियमन

919. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन :**
श्री भीम सिंह पटेल :

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने केरल और मध्य प्रदेश की सरकारों से राज्यों में वन भूमि के नियमन हेतु कोई स्पष्टीकरण मांगें हैं;

(ख) यदि हां, तो राज्य द्वारा प्रस्तुत किये गये स्पष्टीकरणों का ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में केन्द्रीय सरकार ने क्या कार्यवाही की है;

(घ) उनके मंत्रालय ने गत दो वर्षों के दौरान केरल और मध्य प्रदेश में कुल कितने हैक्टेयर वन भूमि को नियमित किया था;

(ङ) क्या राज्य सरकार ने इस तरह नियमित की गई वन भूमि के लिए वैकल्पिक भूमि उपलब्ध कराई है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) से (ग) केरल में 28,588.159 हैक्टेयर से अधिक वन भूमि पर अनधिकृत वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अंतर्गत विनियमित करने के लिए केरल राज्य सरकार के प्रस्ताव को मार्च, 1993 में सिद्धान्त रूप से मंजूरी दे दी गई है तथा राज्य सरकार से मंत्रालय द्वारा निर्धारित कतिपय शर्तों को पूरा करने का अनुरोध किया गया है। मध्य प्रदेश के मामले में, अनधिकृत कब्जों को नियमित करने के लिए 1.03 लाख हैक्टेयर वन भूमि के वनेत्तर उपयोग के प्रस्ताव को वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत पहले ही मंजूरी दे दी गई। मध्य प्रदेश राज्य सरकार से राज्य में वन भूमि पर अनधिकृत कब्जों को वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत नियमित करने के लिए कोई अन्य औपचारिक प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(घ) केरल में 28,588.159 हेक्टेयर से अधिक वन भूमि पर अनधिकृत कब्जों को विनियमित करने के बारे में केरल राज्य सरकार के प्रस्ताव को सिद्धान्त रूप से मंजूरी दे दी गई है। मध्य प्रदेश में वन भूमि पर अनधिकृत कब्जों को नियमित करने के लिए पिछले दो वर्षों के दौरान किसी प्रस्ताव को वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत मंजूरी दी गई है।

(ङ) और (च) केरल राज्य सरकार में नियमित किए गए कुल वन क्षेत्रों के दुगुने अवक्रमित वन भूमि पर क्षतिपूरक वनरोपण आरम्भ करने का प्रस्ताव रखा है। राज्य सरकार ने सूचित किया है कि क्षतिपूरक वनरोपण के लिए राज्य में गैर-वन भूमि उपलब्ध नहीं है।

वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980

920. **श्री अरविन्द त्रिवेदी : क्या पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्राप्त अभ्यावेदनों तथा सरकारिया आयोग की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अंतर्गत राज्यों को शक्तियों का प्रत्यायोजन करने संबंधी कोई निर्णय ले लिया गया है, और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) जी, नहीं।

(ख) सरकारिया आयोग की सिफारिशों पर अब तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है। तथापि, इस मामले पर विभिन्न मंचों पर चर्चा करने के बाद वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के तहत प्रस्तावों की जांच को और अधिक विकेन्द्रित करने और सरल बनाने का निर्णय लिया गया है। तदनुसार 21-5-1992 को वन (संरक्षण) नियमावली, 1981 में उपयुक्त रूप से संशोधन किया गया है तथा 25-10-92 को संशोधित समन्वित दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं, जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षकों को अवैध कब्जों के नियमितीकरण और खनन को छोड़कर 5 हैक्टेयर तक वन भूमि के उपयोग वाले प्रस्तावों में अंतिम निर्णय लेने तथा 20 हैक्टेयर तक वन भूमि के उपयोग वाले सभी मामलों की जांच करने की शक्तियां प्रत्यायोजित करना भी शामिल है।

[हिन्दी]

प्रदूषण नियंत्रण हेतु जर्मनी से समझौता

921. **श्री चेतन पी.एस. चौहान :**
श्रीमती कृष्णेन्द्र कौर (दीपा) :

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "केटेलेटिक कन्वर्टर्स" जो कि वाहनों से फेंके गए धुएं को नियंत्रित कर सकते हैं, के विनिर्माण हेतु जर्मनी की एक कम्पनी के साथ समझौता किया गया है;

(ख) यदि हां, तो समझौते की मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ग) उपरोक्त समझौता कब से लागू होगा; और

(घ) ये "केटेलेटिक कन्वट्र्स" किस हद तक प्रदूषण को नियंत्रित कर सकेंगे?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) इस मंत्रालय ने ऐसा कोई समझौता नहीं किया है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

केरल एक्सप्रेस

922. **श्री रमेश चेन्नित्तला** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली और त्रिवेन्द्रम के बीच चल रही केरल एक्सप्रेस को अन्य सुपरफास्ट रेलगाड़ियों की अपेक्षा उतनी ही दूरी तय करने में अधिक समय लगता है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस रेलगाड़ी की गति बढ़ाने का कोई प्रस्ताव है, और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.सी. लेंका) : (क) से (ग) जी नहीं, केरल एक्सप्रेस द्वारा लिया जाने वाला समय उस मार्ग पर चलने वाली गाडियों के समान ही है।

[हिन्दी]

उपनगरीय रेलवे स्टेशनों पर जनसुविधाएं

923. **श्री धर्मण्णा मोंडय्या सादुल** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मुम्बई शहर के कई उपनगरीय रेलवे स्टेशनों पर सार्वजनिक सुविधाओं की भारी कमी है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए जाने का विचार है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.सी. लेंका) : (क) और (ख) बम्बई क्षेत्र में पड़ने वाले उपनगरीय खंडों के महत्वपूर्ण स्टेशनों पर प्रसाधन तथा मूत्रालयों जैसी जन-सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। इन सुविधाओं की व्यवस्था करना एक सतत् प्रक्रिया है।

[अनुवाद]

उड़ीसा में स्मारक

924. **श्री के. प्रधानी** : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उड़ीसा में प्राचीन एवं ऐतिहासिक स्मारकों का ब्यौरा क्या है तथा वे कहां-कहां स्थित हैं, और

(ख) गत तीन वर्षों में प्रतिवर्ष उन स्मारकों के संरक्षण तथा मरम्मत पर कितनी राशि खर्च की गई?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) केंद्रीय संरक्षण के अधीन उड़ीसा के प्राचीन और ऐतिहासिक स्मारकों तथा उनके स्थानों का विवरण संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष, इन स्मारकों के परिरक्षण और जीर्णोद्धार पर जो धनराशि व्यय की गई है, वह इस प्रकार है :

1990-91	रु. 25,06,032
1991-92	रु. 28,62,280
1992-93	रु. 35,73,000
1993-94 (आवंटन)	रु. 100.65 लाख

विवरण

उड़ीसा के प्राचीन तथा ऐतिहासिक स्मारकों का विवरण

क्र.सं.	स्थान	स्मारक/स्थल का नाम
1	2	3
बोलंगीर जिला		
1.	झरियल	चौसत्ती जोगिनी मंदिर और तीन छोटे-छोटे मंदिर
कटक जिला		
2.	अग्रहाट, बन्डाल्स, चौदर, छत्तीसा, गोविन्द जू	जर्जर गढ़ी

1	2	3
	पटना, जाज भैरब कमालेश्वर केदारेश्वर मुंडमाल	
3.	बन्दरेश्वर	बौद्ध मंदिरों और मूर्तियों के अवशेष
4.	भवानीपुर (बिलिया तालुक)	भुवनेश्वर महादेव मंदिर
5.	चन्दिया	पहाड़ी, जिसमें बौद्धकालीन अनेक बहुमूल्य मूर्तियां, प्रतिमाएं, शिलालेख आदि हैं। सबसे ऊपर, मठ और महाकाल का एक छोटा मंदिर है।
6.	कटक	बाराबत्ती गढ़ी के प्राचीन स्मारक तथा सभी प्राचीन इमारतों, प्रवेशद्वारों आदि के भग्नावशेष, मस्जिद को छोड़कर
7.	दाधापटना	चूरनगढ़ किला, जिसे वहां के लोग सारनगढ़ कहते हैं, राज्य सरकार द्वारा अधिग्रहीत क्षेत्र को छोड़कर
8.	जाजपुर	उपमंडलीय अफसर क्वार्टरों के अहाते में चार विशाल प्रतिमाएं, अर्थात् 1. चामुंडा 2. इन्द्राणी 3. कलियुग 4. वाराही
9.	-वही-	तीन बौद्ध प्रतिमाएं
10.	नलती गिरी *(ललिता गिरि)	बौद्ध मंदिरों और प्रतिमाओं के अवशेष
11.	रत्नागिरी	पहाड़ी, जिसमें अनेक बहुमूल्य मूर्तियां और प्रतिमाएं हैं।

1	2	3
12.	सिरियापुर	माहरत्ता पुल, जिसे वहां के लोग अठरनुल्ला (अट्ठारह मेहराब वाला पुल) और तेंतुलिमल पुल भी कहते हैं।
13.	-वही-	एक शिला जिसे चन्द्रशेखर स्तंभ कहते हैं।
14.	सिंहनाथ पीठ, मौजा गोपीनाथपुर	सिंहनाथ महादेव मंदिर
15.	मगुरा धनमंडल	पंच पांडव मंदिर
16.	रामेश्वर	दुर्गा मंदिर
17.	पड़मल पत्तन	बाणेश्वरनासी स्थित प्राचीन स्थल
ढेंकनाल जिला		
18.	बज्रकोट	भिंगेश्वर महादेव मंदिर
19.	रसोल	शैलनिर्मित विष्णु
गंजम जिला		
20.	कोट्टाकोल्ला	गंगाधरस्वामी मंदिर
21.	-वही-	जगदीश्वरस्वामी मंदिर
22.	महेन्द्रगिरि	भीम मंदिर
23.	-वही-	कुंती मंदिर
24.	-वही-	युधिष्ठिर मंदिर
25.	पांड्या	जोगड़ा स्थित अशोक शिलालेख
मयूरभंज जिला		
26.	वैद्यपुर	प्रागैतिहासिक स्थल
27.	हरिपुर	प्राचीन किले के अवशेष
28.	कुचाई	प्रागैतिहासिक स्थल
29.	कुलियाना	-वही-

1	2	3
मंदिर **क्योंझर जिला**		
30.	सीताभिंजी	शिला पर चित्र, जिसे वहां के लोग रावण छाया कहते हैं तथा अन्य प्राचीन स्मारक एवं अवशेष।
कालाहांडी जिला		
31.	असुरगढ़	असुरगढ़ किले का प्राचीन स्थल।
जिला फूलबनी		
32.	गंधाराधी	नीलमाधव एवं सिद्धेश्वर का मंदिर।
33.	बौद्ध टाउन	पश्चिम सोमनाथ, भुवनेश्वर एवं कपिलेश्वर के मंदिर।
पुरी जिला		
34.	बारागढ़	भास्करेश्वर मंदिर
35.	-वही-	ब्रह्मेश्वर मंदिर और इसके परिसर में छोटे देवालय
36.	-वही-	नाबाकेश्वर मंदिर
37.	-वही-	रामेश्वर मंदिर
38.	बेसौघई	माधेश्वर मंदिर और इसके छोटे देवालय
39.	भुवनेश्वर	अनंत वासुदेव मंदिर
40.	-वही-	बकेश्वर मंदिर
41.	-वही-	बोइटल मंदिर
42.	-वही-	चित्रकर्णी मंदिर
43.	-वही-	जामेश्वर मंदिर और इसके छोटे देवालय
44.	-वही-	भगवान लिंगराज मंदिर और परिसर में सभी छोटे मंदिर, अर्थात् 1. अमानियां कुआं 2. अष्टमूर्ति 3. चंडेश्वर देव 4. गोपालुनि मंदिर 5. लाडुकेश्वर मंदिर 6. पार्वती मंदिर 7. सावित्री देवी मंदिर 8. शक्रेश्वर मंदिर 9. साथीदोसी मंदिर

1	2	3
45.	-वही-	मैत्रेश्वर मंदिर और इसके परिसर में सभी छोटे मंदिर
46.	-वही-	मकरेश्वर मंदिर और इसके छोटे देवालय
47.	-वही-	माकहेश्वर मंदिर
48.	-वही-	मुक्तेश्वर मंदिर और इसके छोटे देवालय लेकिन मुरिच कुंड को छोड़कर
49.	भुवनेश्वर	परमगुरु मंदिर
50.	-वही-	पन्चनाशिनी तालाब
51.	-वही-	परशुरामेश्वर मंदिर
52.	-वही-	राणा-रानी मंदिर
53.	-वही-	सहस्रलिंग तालाब
54.	-वही-	सारी मंदिर सं॰ 1
55.	-वही-	सिद्धेश्वर मंदिर
56.	-वही-	सिसिरेश्वर मंदिर
57.	चौरासी	बाराही मंदिर
58.	चुरंगा भालुंका कृष्णानगर	चूरनगढ़ किला, राज्य सरकार द्वारा अधिगृहीत क्षेत्र को छोड़कर
59.	धौली	अशोक के आदेश का शिलालेख एवं हाथी की मूर्ति
60.	-वही-	शैलकृत छोटी कोठरी और ताख तथा शांतिकर का एक शिलालेख
61.	हीरापुर	महामायामंदिर के नाम से जाना जाने वाला चौसठ योगिनी मंदिर
62.	जगमारा	उदयगिरि और खंडगिरि पहाड़ियों पर स्थित सभी प्राचीन गुफाएं, संरचनाएं एवं अन्य स्मारक अथवा अवशेष, किन्तु खंडगिरि पहाड़ी के शिखर पर पारसनाथ मंदिर को छोड़कर तथा बाराभुजी के समक्ष मंदिर और त्रिशूल गुफाओं को भी छोड़कर

1	2	3
63.	कोणार्क	ब्लाक पगोड़ा के प्राचीन स्मारक तथा सभी प्राचीन इमारतों, प्रतिमाओं, संरचनाओं, तहखानों, स्तंभों, नक्काशियों, दीवारों, प्रवेशद्वारों आदि के भग्नावेश।
64.	पुरी	मधुपुर नाले पर अट्ठारह द्वारों वाला पुल, जिसे अट्ठारह नाला पुल भी कहते हैं।
65.	-वही-	श्री जगन्नाथ मंदिर एवं उसके साथ के देवालय
66.	रघुनाथपुर	दक्ष प्रजापति मंदिर
67.	शिशुपालगढ़	परकोटे के भीतर एवं बाहरी प्राचीन अवशेष
संबलपुर जिला		
68.	विक्रमखोल	विक्रमखोल शिलालेख

[हिन्दी]

बाल भवन में कथित अनियमितताएं

925. **श्री राम प्रसाद सिंह : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 27 दिसम्बर, 1993 के जनसत्ता में "बड़ों की राजनीति का शिकार हो गया है बाल भवन" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर गया है,

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को 1993 के दौरान बाल भवन में अनियमितताओं तथा उसे दी गयी धनराशि के दुरुपयोग के कुछ मामलों का पता चला है, और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा बाल भवन की बेहतरी के लिए क्या उपचारात्मक कदम उठाये गये हैं अथवा उठाने का विचार किया गया है, जिससे बच्चों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध हो सकें?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

राजस्व ग्राम

926. **श्री प्रकाश वी. पाटील** : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय वन नीति, 1988 में देश के चुने हुए क्षेत्रों में वनग्रामों को राजस्व ग्रामों में परिवर्तित करने की सिफारिश की गई थी;

(ख) यदि हां, तो राज्य सरकारों से प्राप्त ऐसे प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने उस पर राज्यवार क्या कार्यवाही की ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) राष्ट्रीय वन नीति, 1988 में वन ग्रामों का विकास राजस्व ग्रामों के अनुरूप किए जाने की परिकल्पना है। मंत्रालय द्वारा 18-9-1990 को जारी किए गए मार्ग-निर्देशों के अंतर्गत वन ग्रामों को वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के उपबंधों के अनुसार अपेक्षित वन क्षेत्र की अधिसूचना को समाप्त करने के पश्चात् राजस्व ग्रामों में परिवर्तित किया जा सकता है।

(ख) वन ग्रामों को राजस्व ग्रामों में परिवर्तित करने संबंधी प्रस्ताव अभी तक मध्य प्रदेश और उड़ीसा राज्य सरकारों से प्राप्त हुए हैं। मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने 216 वन ग्रामों को राजस्व ग्रामों में परिवर्तित करने संबंधी 10 प्रस्ताव भेजे हैं, जबकि उड़ीसा राज्य सरकार ने 5 वन ग्रामों को राजस्व ग्रामों में परिवर्तित करने के लिए 5 प्रस्ताव भेजे हैं।

(ग) विस्तृत परीक्षण के पश्चात् इन प्रस्तावों के संबंध में इन राज्य सरकारों से प्राप्त न हुए कतिपय आवश्यक ब्यौरे मांगे गए हैं।

राज्यों को मूंगफली का तेल

927. **डा. अमृतलाल कालिदास पटेल** : क्या **नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गुजरात सरकार ने अन्य राज्यों को मूंगफली और बीजों के व्यापार पर रोक लगाने की अनुमति के लिए अनुरोध किया है, और

(ख) यदि हां, तो इस पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

मैट्रो रेलवे, कलकत्ता

929. **श्री निर्मल कान्ति चटर्जी** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मैट्रो रेलवे, कलकत्ता के दमदम कार शैड में कोई स्टेशन बनाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या हैं; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.सी. लेंका) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) इसे तकनीकी दृष्टि से व्यावहारिक नहीं समझा जाता, क्योंकि दमदम से नवापाड़ा तक का मेट्रो रेलवे का रेलपथ दमदम स्टेशन के निकट पूर्व रेलवे उपनगरीय लाइन के क्रासिंग स्थल पर एक खड़े ढलान से गुजरता है, यात्रियों से भरी मेट्रो गाड़ियां इस ढलान को पार नहीं कर पाएंगी।

चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स

930. **श्री हाराधन राय** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स में उच्च गुणवत्ता वाले अंतर्राष्ट्रीय कोटि के विद्युत इंजनों का निर्माण किया जाता है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : (क) और (ख) इस समय चितरंजन रेल इंजन कारखाना टैप चेंजर प्रौद्योगिकी पर आधारित ए.सी. रेल इंजनों का निर्माण कर रहा है, यद्यपि, निर्मित रेल इंजन इंजन स्वीकृत गुणवत्ता मानकों के अनुरूप हैं, परन्तु यह प्रौद्योगिकी 1960 ई. की है और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अब इसका स्थान 3-फेज प्रौद्योगिकी ने ले लिया है।

[हिन्दी]

बरेली से दिल्ली तक इन्टर सिटी एक्सप्रेस

931. **श्री राजवीर सिंह** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार यात्रियों की जोरदार मांग को ध्यान में रखते हुए बरेली से दिल्ली तक कोई इन्टर सिटी एक्सप्रेस चलाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.सी. लेंका) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) परिचालनिक तंगियों और संसाधनों की कमी के कारण।

[अनुवाद]

द्रुतगामी परिवहन प्रणाली

932. **श्री वी. देवराजन** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) किन-किन महानगरों में भूमिगत रेल प्रणाली का निर्माण करने पर विचार किया जा रहा है;

(ख) किन-किन महानगरों में भूमिगत रेल प्रणाली का निर्माण शुरू किया जा चुका है और उसमें कितनी प्रगति हुई है; और

(ग) यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए मद्रास तथा मुम्बई शहरों के लिये उपनगरीय रेलों की संख्या में वृद्धि करने के लिये क्या कदम उठाये जायेंगे?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.सी. लेंका) : (क) कलकत्ता में कार्य प्रगति पर है, जबकि दिल्ली के लिए शहरी विकास मंत्रालय, जो इस विषय के लिए नोडल मंत्रालय है, के पास एक प्रस्ताव है।

(ख) मेट्रो रेलवे, कलकत्ता के संबंध में जनवरी, 1994 तक हुई वास्तविक प्रगति 92.86% है।

(ग) **मद्रास :**

निम्नलिखित कार्य प्रगति पर है :

(i) पट्टाभिराम और तिरुवल्लूर के बीच तीसरी लाइन की व्यवस्था।

(ii) मद्रास बीच और तांबरम के बीच एक नई बड़ी लाइन की व्यवस्था।

(iii) मद्रास-तिरुवल्लूर और मद्रास-गुम्भिडिपुंडि खंडों में मौजूदा प्लेटफार्मों का 9 सवारी डिब्बे वाले ई.एम.यू. रेक खड़े करने के लिए विस्तार।

(iv) मद्रास बीच से लुज तक बड़े आमान की व्यापक द्रुत परिवहन प्रणाली की व्यवस्था।

बम्बई :

(i) 18 कि.मी. लंबी मानखुर्द-बेलापुर रेल लाइन परियोजना का निर्माण।

(ii) बांद्रा और अंधेरी के बीच एक अतिरिक्त जोड़ी लाइनों की व्यवस्था।

(iii) 12 अतिरिक्त कार सेवाएं चलाना तथा गाड़ियों का अंतर समय 5 मिनट से कम करके 4 मिनट करने से संबंधित कार्य।

(iv) रेलें बम्बई की बम्बई शहरी परिवहन परियोजना-II में भागीदार होने के लिए सहमत हो गई हैं, बशर्ते इसके लिए योजना आयोग द्वारा अतिरिक्त धन उपलब्ध करा दिया जाए।

माल ढुलाई का लक्ष्य

933. **श्री अरविन्द तुलशीराम काम्बले** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे ने निजी व्यापारियों के खाद्यान्नों को 1993-94 में राज्य से बाहर नहीं ढोने का निर्णय लिया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.सी. लेंका) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

कपास का मूल्य

934. **श्री काशीराम राणा** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कपास का मूल्य इसके समर्थन मूल्य से कम हो गया है;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने कपास उत्पादकों को ऐसी स्थिति से उबारने के लिए क्या प्रयास किये हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविंद नेताम) : (क) जी, नहीं। इसके विपरीत 1993-94 के कपास मौसम के दौरान कपास को सभी महत्वपूर्ण मंडियों में कपास के थोक मूल्यों में भारी वृद्धि हुई है।

(ख) ऐसी स्थिति में, जब कपास के थोक मूल्य न्यूनतम समर्थन मूल्यों से नीचे गिर जाते हैं, भारतीय कपास निगम, जो मूल्य समर्थन कार्य करने के लिये शीर्षस्थ एजेन्सी है, कपास की विभिन्न किस्मों के लिये निर्धारित न्यूनतम समर्थन मूल्यों पर कपास उत्पादकों से कपास खरीदता है।

विदेशों में उच्च अध्ययन

935. **श्री बीरसिंह महतो** : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार ने विदेशों में उच्च शिक्षा के लिए प्रतिभावान छात्रों का चयन करने हेतु क्या मानदण्ड निर्धारित किये हैं; और

(ख) सरकार ने गत तीन वर्षों के दौरान विदेशों में उच्च शिक्षा के लिए राज्यवार कितने-कितने छात्र भेजे हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) छात्रवृत्तियां प्रदान करने वाले देशों द्वारा निर्दिष्ट न्यूनतम शैक्षिक योग्यताएं, अनुसंधान अनुभव, आयु सीमा, विषय क्षेत्र एवं अन्य शर्तें, शिक्षा विभाग द्वारा अखिल-भारतीय विज्ञापनों के माध्यम से अधिसूचित की जाती हैं। आवेदन पत्रों की जांच विषय क्षेत्र विशेषज्ञों की एक समिति द्वारा की जाती है और उम्मीदवारों का साक्षात्कार विशेषज्ञों द्वारा लिया जाता है। तत्पश्चात चुनिन्दा उम्मीदवारों की सूची, अन्तिम चयन एवं विदेशों में उचित संस्थानों में नियुक्ति हेतु दाता देशों को भेज दी जाती है।

(ख) विद्यार्थियों का चुनाव अखिल भारत के आधार पर किया ज़ाता है न कि क्षेत्रवार। गत तीन वर्षों के दौरान दाता देशों द्वारा प्रस्तुत छात्रवृत्ति योजनाओं/विनिमय कार्यक्रमों के अंतर्गत 363 विद्यार्थी विदेशों में गये हैं।

[अनुवाद]

केन्द्रीय भंडार से लेखन सामग्री की खरीद

936. **श्री अर्जुन सिंह यादव** : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने **अपने अंतर्गत आने** वाले संस्थानों को इस आशय का परिपत्र जारी किया है कि लेखन सामग्री केवल केन्द्रीय भंडार से ही खरीदे जायें;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(ग) ऐसा परिपत्र जारी करने के क्या कारण हैं, जबकि कार्मिक विभाग के अनुदेशों के अंतर्गत सरकारी विभाग सुपर बाजार और केन्द्रीय भंडार, दोनों से ही यह सामग्री खरीदने हेतु सक्षम है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) मे उपमंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) से (ग) लेखन सामग्री तथा अन्य वस्तुओं की स्थानीय खरीद के बारे में यह मंत्रालय कोई अनुदेश जारी नहीं करता। यह समय-समय पर कार्मिक तथा प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा जारी किए गए अनुदेशों का पालन करता है तथा उन्हें अपने अधीनस्थ कार्यालय को उसके अनुपालन के लिए परिचालित करता है।

[हिन्दी]

बिहार में समस्तीपुर स्थित रेल कारखाना

937. **श्री रामविलास पासवान** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या समस्तीपुर स्थित रेल कारखाने को बन्द कर अन्यत्र ले जाया जा रहा है;

(ख) क्या कई संसद सदस्यों ने सरकार से कारखाने को उसी स्थान पर बनाये रखने और उस क्षेत्र का विकास करने का अनुरोध किया है; और

(ग) क्या सरकार का विचार बिहार के पिछड़ेपन को ध्यान में रखते हुए समस्तीपुर में ही कारखाने को चलाने का है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.सी. लेंका) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) जी, हां।

[अनुवाद]

कुरुक्षेत्र रेलवे स्टेशन पर उपरिपुल

938. **श्री तारा सिंह** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि हरियाणा के कुरुक्षेत्र रेलवे स्टेशन पर बने उपरिपुल के दोषपूर्ण परिरूप और मानदंडों के कारण वहां पर कई मौतें हो रही हैं;

(ख) क्या सरकार के पास इस पुल की कमियों को दूर करने संबंधी कोई वैकल्पिक प्रस्ताव अथवा योजना है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.सी. लेंका) : (क) से (ग) ऊपरी सड़क पुल पर यातायात की संरक्षा और प्रबंधन राज्य सरकार का विषय है।

अभिकल्प और विशिष्टियां, सड़क प्राधिकारियों की आवश्यकताओं और उनके अनुमोदन के अनुसार ही होती है।

नाडियाद-कापड़वंज मीटर गेज लाइनों का आमान-परिवर्तन

939. **श्री रतिलाल वर्मा** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नाडियाद-कापड़वंज मीटर गेज लाइनों का आमान-परिवर्तन करने तथा उसका विस्तार मोडासा (नयी बड़ी लाइन) तक करने की परियोजना रेल विभाग द्वारा कब स्वीकृत की गई थी;

(ख) इस परियोजना के लिये वर्ष 1993-94 के बजट में कितनी धनराशि निर्धारित की गयी थी; और

(ग) उपरोक्त परियोजना का शेष कार्य कब से शुरू किया जायेगा और कब तक समाप्त किया जायेगा?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.सी. लेंका) : (क) 1978-79 में।

(ख) 1,000 रुपये।

(ग) कुछ चालू परियोजनाओं के पूरा होने तथा संसाधनों की स्थिति बेहतर होने के बाद शेष कार्य को शुरू किया जाएगा। कार्य शुरू होने के बाद ही पूरा होने की तारीख निर्धारित की जा सकती है।

[हिन्दी]

निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पर फ्लाई ओवर

940. **डा. परशुराम गंगवार** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन पर अभी कितने फ्लाईओवर हैं;

(ख) क्या यात्रियों की भीड़भाड़ को देखते हुए सरकार का विचार वहां पर और अधिक फ्लाईओवरों का निर्माण करने का है; और

(ग) यदि हां, तो यह कार्य कब से शुरू कर दिया जायेगा?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.सी. लेंका) : (क) एक।

(ख) और (ग) जी हां। यह महसूस किया गया है कि निजामुद्दीन में एक अतिरिक्त ऊपरी पैदल पुल की जरूरत है और इसके लिए एक प्रस्ताव तैयार किया गया है, जिस पर इस समय विचार किया जा रहा है।

[अनुवाद]

कृषि में प्रतिबंधित कीटनाशकों का प्रयोग

941. **श्री अर्जुन चरण सेठी :**
श्री विश्वनाथ शास्त्री :
श्री रामपाल सिंह :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कीटनाशकों का स्वास्थ्य पर पड़ने वाले कुप्रभाव का अध्ययन कराया है, यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार के ध्यान में यह बात आई है कि विकसित देशों में जिन कीटनाशकों को प्रतिबंधित किया जा चुका है उनका प्रयोग भारत में कृषि कार्य हेतु किया जा रहा है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) सरकार द्वारा ऐसे कीटनाशकों के प्रयोग पर रोक लगाने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है;

(ङ) क्या कुछ विदेशी राष्ट्रों ने भारत से कृषि-वस्तुओं का आयात करते समय यह आपत्ति उठाई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या भारतीय वैज्ञानिकों ने भी डी.डी.टी. और बी.एच.सी. जैसे कुछ कीटनाशकों के प्रयोग पर रोक लगाने का सुझाव दिया है, और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उनके द्वारा बताए गए इन कीटनाशकों के विकल्प क्या हैं?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. कृष्ण कुमार) : (क) कीटनाशक दवा अधिनियम के तहत गठित पंजीकरण समिति, कीटनाशकों की विषाक्तता के संबंध में विस्तृत आंकड़ों का मूल्यांकन करती है और केवल उस स्थिति में ही पंजीकरण करती है, जब निर्धारित विष वैज्ञानिक मानकों का अनुपालन हो रहा हो।

(ख) से (घ) विभिन्न देशों द्वारा अनुज्ञेय कीटनाशकों की सूची विभिन्न सस्य जलवायवीय दशाओं और कीट संबंधी समस्याओं के कारण बहुधा बदलती रहती है।

सरकार द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति ने अन्य देशों द्वारा प्रतिबन्धित/रोक लगाई गई 31 कीटनाशक दवाओं की पहले ही समीक्षा की है। विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों के आधार पर सरकार ने 12 कीटनाशक दवाओं के उपयोग पर रोक लगा दी है और अन्य 9 कीटनाशक दवाओं के उपयोग पर प्रतिबन्ध लगा दिया है। पंजीकरण समिति ने उन अन्य 18 कीटनाशकों की विस्तृत समीक्षा शुरू की है जो कुछ अन्य देशों में प्रतिबंधित है या जिन पर रोक लगा दी है। इसका विवरण विवरण में दिया गया है।

(ङ) बी.एच.सी. मौजूद होने के कारण काजू की गिरी और मसालों की खेप को संयुक्त राज्य अमेरिका में अवरुद्ध किये जाने के कुछ मामलों की जानकारी सरकार को मिली है।

(च) तथा (छ) भारत सरकार ने बी.एच.सी., डी.डी.टी. आदि के उपयोग की समीक्षा करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति गठित की थी; विशेषज्ञ समिति द्वारा दी गई सिफारिशों के आधार पर सरकार ने कृषि क्षेत्र में डी.डी.टी. के उपयोग पर रोक लगा दी है, जबकि सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रम में इसके उपयोग को 10,000 मीटरी टन प्रतिवर्ष तक सीमित कर दिया गया है। खाद्यान्नों के परिरक्षण और सब्जियों, फलों, तिलहनी फसलों पर बी.एच.सी. के उपयोग पर रोक लगा दी गई है। कृषि में बी.एच.सी. के उपयोग पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया है और इस समय कृषि में 22,000 मीटरी टन और सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रम में 6000 मीटरी टन का उपयोग हो रहा है। सार्वजनिक स्वास्थ्य कार्यक्रम में उपयोग के लिए कीटनाशक दवा अधिनियम के तहत पंजीकृत व संस्तुत डी.डी.टी. के स्थानापन्न फेनिट्रोथिऑन, टेनीफास, पिरीमिफास, मिथाइल, **बैसिलस थर्रिजिएंसिस** (बी.टी.) और **बैसिलस स्फैरिकस** (बी.एस) आधारित जैव कीटनाशक हैं। कीटनाशक दवा अधिनियम के तहत संस्तुत व पंजीकृत कृषि में उपयोग के लिए बी.एच.सी. के स्थानापन्न क्विनलफास, क्लोरपीरीफास, डाइमेथोट, **बैसिलस थर्रिजएंसिस** (बी.टी.) आधारित जैव कीटनाशक, नीम आधारित कीटनाशक आदि हैं।

विवरण

भारत में समीक्षाधीन/समीक्षा की गई उन कीटनाशक दवाओं की सूची, जो अन्य देशों में प्रतिबंधित हैं/जिन पर रोक लगी हुई है।

क्रम सं.	कीटनाशक का नाम	रोक लगा दी गई है	उपयोग की अनुमति है	उपयोग प्रतिबंधित है
1	2	3	4	5
(क)	**वे कीटनाशक जिनकी पहले ही समीक्षा कर ली गई है :**			
1.	डी.डी.टी.			उपयोग प्रतिबंधित है
2.	बी.एच.सी.			उपयोग प्रतिबंधित है

1	2	3	4	5
*3.	एल्डरिन	रोक लगा दी गई है		
4.	डाईएल्डरीन			उपयोग प्रतिबंधित है
*5.	क्लोरडेन	रोक लगा दी गई है		
*6.	हैपटैक्लोर	रोक लगा दी गई है		
7.	ई॰डी॰बी॰			उपयोग प्रतिबंधित है
8.	क्लोरबेंजिलेट			उपयोग प्रतिबंधित है
9.	डाइब्रोमो-क्लोरोप्रोपेन	रोक लगा दी गई है		
10.	टोक्साफेन	रोक लगा दी गई है		
11.	सोडियम साइनाइड			उपयोग प्रतिबंधित है
12.	पेंटाक्लोरोनाइट्रोबेंजोन	रोक लगा दी गई है		
13.	कैपटन		उपयोग की अनुमति है	
14.	कैप्टाफोल			उपयोग प्रतिबंधित है
15.	2, 4-डी॰		उपयोग की अनुमति है	
16.	एल्डीकर्ब		उपयोग की अनुमति है	
17.	कार्बाराइल		उपयोग की अनुमति है	
18.	डाइकोफोल		उपयोग की अनुमति है	
19.	डाइमैथोएट		उपयोग की अनुमति है	

1	2	3	4	
20.	एन्डोसल्फान		उपयोग की अनुमति है	
21.	लिन्डेन			उपयोग प्रतिबंधित है
22.	मिथाइल पैराथियन			उपयोग प्रतिबंधित है
23.	नाइट्रोफेन	रोक लगा दी गई है		
24.	पैराक्वेट-पैराक्वेट डाई-मिथाइल सल्फेट	रोक लगा दी गई है		
25.	निकोटीन सल्फेट	रोक लगा दी गई है		
26.	पी.सी.पी.	रोक लगा दी गई है		
27.	फोरेट		उपयोग की अनुमति है	
28.	पी.एम.ए.	रोक लगा दी गई है		
29.	टेट्राडाइफोन	रोक लगा दी गई है		
30.	जिंक फॉसफाइड		उपयोग की अनुमति है	
31.	एल्युमिनियम फॉसफाइड		उपयोग की अनुमति है	

(ख) समीक्षाधीन कीटनाशक दवाएं

1. एलाक्लोर
2. बेनोमाइल
3. कैल्शियम साइनाइड
4. कापर एसीटोरसेनाइड
5. दियूरॉन
6. इथाइल मर्करी क्लोराइड
7. फिनारीमोल
8. मेनाजन
9. मिथोमाइल
10. मोनोक्रोटोफॉस

11. ऑक्सीफ्लरफेन	12. फॉसफामिडोन
13. सोडियम मिथेन आर्सोनेट	14. थायोमिटोन
15. ट्राइजोफॉस	16. ट्राइडोमोर्फ
17. जिरम	18. जिनेब

* राजस्थान के माननीय उच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसार इन कीटनाशकों की पुनः समीक्षा की जा रही है।

अधिक दूध देने वाले पशुओं के लिए अनुसंधान केंद्र

942. **श्री सी.पी. मुदालगिरियप्पा :** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अधिक दूध देने वाले पशुओं के लिए अनुसंधान केंद्रों के क्या नाम है;

(ख) क्या सरकार का विचार इनमें से कुछ केंद्रों को बंद करने का था;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार अन्य राज्यों में विशेष रूप से कर्नाटक में ऐसे और केंद्रों को खोलने कें लिए क्या कदम उठा रही है?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. कृष्ण कुमार) : (क) मवेशी प्रायोजना निदेशालय के तहत निम्न अनुसंधान केंद्र, अधिक दूध देने वाले मवेशी तैयार करने का कार्य कर रहे हैं :

1. मिलिट्री डेयरी फार्म, मेरठ (उ.प्र.) ।

2. हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार (हरियाणा)।

3. आन्ध्र प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय, लाम (आ.प्र.)।

4. केंद्रीय मवेशी प्रजनन फार्म, सूरतगढ़, (राजस्थान)।

5. भारतीय कृषि उद्योग प्रतिष्ठान, उरुलिकंचन, पूणे (महाराष्ट्र)।

6. क्षेत्रीय संतति परीक्षण एकक, पंजाब कृषि विश्वविद्यालय, लुधियाना (पंजाब)।

7. क्षेत्रीय संतति परीक्षण एकक, केरल कृषि विश्वविद्यालय, मन्नुथी (केरल)।

8. क्षेत्रीय संतति परीक्षण एकक, भारतीय कृषि उद्योग प्रतिष्ठान, उरुलिकंचन, पुणे (महाराष्ट्र)।

इसके अतिरिक्त अधिक दूध दने वाले पशुओं को तैयार करने का काम भारतीय पशुचिकित्सा अनुसंधान संस्थान, इज्जत नगर और राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल द्वारा भी किया जा रहा है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) ऐसा कोई भी प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

चीनी मिलों को लाइसेंस

943. **श्री एस.बी. थोरात** : क्या **खाद्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास देश में चीनी मिलों को स्थापित करने के लिए अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्गों के लोगों को लाइसेंस देने के लिए कोई नीति है;

(ख) यदि हां तो इसकी मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं;

(ग) क्या केंद्र सरकार को महाराष्ट्र सरकार से इस संबंध में कोई प्रस्ताव मिला है, और

(घ) यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) और (घ) औद्योगिक लाइसेंस के लिए निर्धारित प्रपत्र में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्गों आदि जैसी श्रेणियों को दर्शाने के लिए कोई कालम नहीं है और इसलिए यह रिकार्ड नहीं रखा जाता है।

रेल कोच फैक्टरी द्वारा प्लाईवुड की खरीद

944. **श्री सोमजीभाई डामोर** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेल कोच फैक्टरी को पूर्ति और निपटान महानिदेशालय और "राइट्स" द्वारा निरीक्षण किए जाने के बाद ही प्लाईवुड मिलती है;

(ख) यदि हां तो गत तीन वर्षों के दौरान पूर्ति और निपटान महानिदेशालय के आदेशों के विरुद्ध रेल कोच फैक्टरी द्वारा प्राप्त किए गए, स्वीकृत किए गए और अस्वीकृत किए गए प्लाइवुड के मूल्य और मात्रा का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या रेलवे पूर्ति और निपटान महानिदेशालय के निरीक्षण से संतुष्ट हैं; और

(घ) यदि हां, तो पूर्ति और निपटान महानिदेशालय और "राइट्स" द्वारा स्वीकृत किए गए ऐसे आदेशों को अस्वीकृत करने के क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.सी. लेंका) : (क) जी, हां।

(ख) ब्यौरा निम्नलिखित है :

(मात्रा शीटों में)
(कीमत करोड़ रुपयों में)

वर्ष	प्राप्त की गई		स्वीकृत की गई		अस्वीकार की गई	
	मात्रा	कीमत	मात्रा	कीमत	मात्रा	कीमत
1991-92	61949	5.13	58914	4.87	3035	0.26
1992-93	20887	1.73	20887	1.73	-	-
1993-94	61961	5.13	52858*	4.40	1123	0.10

*7980 शीटों का निरीक्षण किया जा रहा है।

(ग) जी, हां।

(घ) आंशिक परेषणों को इसलिए अस्वीकार किया गया था, क्योंकि उनके आयामों में भिन्नता थी और उनमें न्यूनीकृत शक्ति आदि विभिन्न नुक्स थे, जिसमें आपूर्ति एवं निपटान महानिदेशालय तथा राइट्स के प्रतिनिधि भी सम्मिलित हैं।

वनस्पति उद्योग

945. **श्रीमती गिरिजा देवी :**
श्री राम विलास पासवान :

क्या **नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वनस्पति उद्योग बन्द होने के कगार पर हैं;

(ख) यदि हां तो इसके क्या कारण हैं, और

(ग) इस उद्योग को अर्थक्षम बनाने और उनकी अधिष्ठापित क्षमता का उपयोग करने के लिए क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा वाणिज्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) और (ख) इस समय लगभग 25 प्रतिशत वनस्पति एकक बन्द पड़े हैं। इस स्थिति के कुछ कारण हैं—वनस्पति और रिफाइन्ड तेल के बीच तथा साथ ही एक राज्य से दूसरे राज्य में कर ढांचे में असमानता होना, तुलनात्मक रूप से कच्चा माल कम उपलब्ध होना, उपभोक्ता द्वारा वनस्पति के मुकाबले रिफाइन्ड तेल अधिक पंसद किया जाना, समग्रतः संयंत्रों एवं उपकरणों का पुराना होना आदि।

(ग) स्थिति में सुधार लाने के लिए उठाए गए कुछ उपचारात्मक कदम हैं :

वनस्पति के विनिर्माण में कुछ विनिर्दिष्ट तेलों के उपयोग के लिए वित्तीय प्रोत्साहन देना, वनस्पति पर उत्पाद-शुल्क में 400 रु. प्रति मी.टन की कमी करना, आधुनिकीकरण और लागत में कमी लाने के लिए आवश्यक समझे जाने वाले कुछ उपकरणों पर रियायती दर पर सीमा-शुल्क की अनुमति देना, आदि।

स्वामी विवेकानन्द का मकान

946. **कुमारी ममता बनर्जी :** क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार कलकत्ता में स्वामी विवेकानन्द के मकान को राष्ट्रीय महत्व के स्थान के रूप में संरक्षित रखने का है, और

(ख) यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उपमंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) और (ख) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

खाद्यान्नों का क्षतिग्रस्त होना

947. **श्री गया प्रसाद कोरी :** क्या **खाद्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान उत्तर प्रदेश में वर्षवार कितना खाद्यान्न नमी और अन्य कारणों से क्षतिग्रस्त हुआ;

(ख) इसके फलस्वरूप हुए घाटे का वर्षवार ब्यौरा क्या है, और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) नमी के कारण कोई विशेष क्षति नहीं हुई है। तथापि उत्तर प्रदेश में पिछले तीन वर्षों के दौरान सभी कारणों से खाद्यान्नों की हुई क्षति की मात्र नीचे दी गई है :

वर्ष	क्षति की मात्रा मीटरी टन में
1990-91	1189.100
1991-92	1327.319
1992-93	173.810

(ख) मूल्य के रूप में हुई वर्षवार हानि निम्नानुसार है :

वर्ष	हुई हानि (रुपये में)
1990-91	6,45,912.32
1991-92	22,90,807.11
1992-93	6,01,158.37

(ग) इस संबंध में किए गए उपाय निम्नानुसार हैं :

1. गोदामों का वैज्ञानिक ढंग से निर्माण करना, जो मूषक-प्रूफ और नमी-प्रूफ होते हैं।
2. खाद्यान्नों का वैज्ञानिक विधि से रखरखाव किया जाता है और नियमित कीटनियंत्रण उपाय किए जाते हैं। भण्डारित खाद्यान्नों का आवधिक रूप से रोग निरोधी उपचार किया जाता है और नियमित वातन किया जाता है।
3. खाद्यान्नों का संचलन अधिकांशतः साफ और चुनिन्दा ढके हुए वैगनों से किया जाता है, ताकि खाद्यान्नों को मार्ग में किसी प्रकार की सम्भावित क्षति से बचाया जा सके।
4. ढके हुए गोदामों की कमी होने के कारण खाद्यान्नों का कवर और प्लिंथ में सावधानी के साथ खुले में भण्डारण किया जाता है और भण्डारण की समूची अवधि के दौरान स्टाक का भण्डारण करने तथा उसे सुरक्षित रखने में पर्याप्त सावधानियां बरती जाती हैं।

रीवा डिवीजन में आमान परिवर्तन

948. **श्री भीम सिंह पटेल : क्या रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार औद्योगिक रूप से पिछड़े रीवा डिवीजन के विकास के लिए रीवा-ललितपुर-खुजराहो-सतना-सिंगरौली रेल लाइन को बड़ी लाइन में बदलने के लिए मंजूरी देने का है;

(ख) क्या रेल लाइनों का सर्वेक्षण कार्य पूरा कर लिया गया है;

(ग) यदि हां, तो इस सर्वेक्षण का क्या परिणाम निकला है, और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.सी. लेंका) : (क) से (घ) ललितपुर-खजुराहो-सतना, महोबा-खुजराहो तथा रीवा-सिधी-सिंगरौली के बीच नई बड़ी लाइन (491कि.मी.) के लिए प्रारंभिक इंजीनियरी-एवं-यातायात सर्वेक्षण का कार्य पहले ही शुरू कर दिया गया है। आगे की कार्रवाई पर विचार सर्वेक्षण रिपोर्ट प्राप्त हो जाने के बाद किया जाएगा, बशर्ते आगामी वर्षों में संसाधन उपलब्ध हों।

[अनुवाद]

शिक्षा प्रणाली में एकरूपता

949. **श्री जार्ज फर्नांडीज** : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने शिक्षा प्रणाली में एकरूपता लाने के लिये कोई कदम उठाये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(ग) पब्लिक स्कूलों तथा सरकारी स्कूलों की शिक्षा प्रणाली में असमानता को दूर करने के लिये सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जायेंगे?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उपमंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) और (ख) संसद के दोनों सदनों द्वारा अपनाई गई राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 में राष्ट्रीय शिक्षा पद्धति का प्रावधान है, जिसका अभिप्राय यह है कि एक निर्धारित स्तर तक सभी विद्यार्थियों को चाहे वे किसी जाति, नस्ल, स्थान अथवा लिंग के हों, समतुल्य गुणवत्ता वाली शिक्षा सुलभ हो। इसमें एक सामान्य शैक्षिक ढांचे की परिकल्पना की गई है, जिसके परिणामस्वरूप सम्पूर्ण देश में 10+2+3 के ढांचे को स्वीकार कर लिया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 में अन्य सुनम्य संघटकों के साथ-साथ सामान्य कोर वाले राष्ट्रीय पाठ्यचर्या ढांचे पर आधारित राष्ट्रीय शिक्षा पद्धत्ति की परिकल्पना की गई है।

(ग) निम्नलिखित तरीकों से देश के सभी स्कूलों में स्तरों की मुख्य-मुख्य समानताओं को प्राप्त करने का प्रयास किया गया है।

(i) सभी स्कूलों को प्रारम्भिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा के लिए राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद द्वारा प्रकाशित राष्ट्रीय पाठ्यचर्या ढांचे के आधार पर तैयार मोटे तौर पर समान पद्धति के पाठ्यक्रम/पाठ्यपुस्तकें उपलब्ध कराना।

(ii) अपने विद्यार्थियों को बोर्ड की परीक्षाओं के लिए भेजने वाले सभी स्कूलों के लिए सम्बद्ध राज्य बोर्ड, केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड या भारतीय स्कूल प्रमाणपत्र परीक्षा परिषद् से, जैसा भी मामला हो, सम्बद्धन प्राप्त करना और राष्ट्रीय पाठ्यचर्या ढांचे के आधार पर तैयार.सम्बन्धित बोर्ड द्वारा विहित पाठ्यक्रमों/पाठ्यपुस्तकों को लागू करना अपेक्षित बनाना।

(iii) अनेक केन्द्रीय प्रायोजित योजना और कार्यक्रमों के माध्यम से स्कूलों में भौतिक सुविधाओं और अन्य शैक्षिक निवेशों में सुधार लाना।

[हिन्दी]

कटिहार तथा हावड़ा के बीच रेल सेवा

950. **श्री सूर्य नारायण यादव** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कटिहार से खगरिया-मानसी होकर हावड़ा के लिए कोई सीधी रेल सेवा नहीं है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं, और

(ग) उपरोक्त स्टेशनों के बीव रेल सेवा शुरू करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.सी. लेंका) : (क) जी, हां।

(ख) चक्करदार और लम्बे मार्ग के कारण।

(ग) जुलाई, 1994 में मालदा टाउन के रास्ते कटिहार और सियालदह के बीच एक सीधी गाड़ी चलाने का प्रस्ताव है।

[अनुवाद]

डीजल इन्जन

951. **श्री विजय कृष्ण हान्डिक :**
श्री राम नाईक :
श्री श्रवण कुमार पटेल :

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार को क्वालिटी आफ अरबन एयर रिव्यू ग्रुप की रिपोर्ट के आधार पर ब्रिटिश सरकार के पर्यावरण विभाग द्वारा वायु प्रदूषण के संबंध में कराए गए अध्ययन की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार रिपोर्ट की इन बातों से सहमत है कि डीजल इंजन पैट्रोल इंजन से अधिक प्रदूषण फैलाते हैं, और

(ग) यदि हां, तो विभिन्न प्रयोजनों के लिये डीजल इंजन के इस्तेमाल को रोकने और विनियमित करने और उनसे होने वाले हानिकारक उत्सर्जन को कम करने के लिये इंजन में ही ऐसी प्रणाली विकसित करने के लिये क्या कदम उठाने का विचार किया है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) बम्बई से प्रकाशित होने वाले दिनांक 31-1-94 के टाइम्स आफ इंडिया में छपे समाचार में स्वास्थ्य पर डीजल उत्सर्जनों के प्रभावों के संबंध में ब्रिटेन में किए गए अध्ययन पर संक्षिप्त रिपोर्ट दी गई है।

(ख) देश में उपलब्ध सूचना के अनुसार इस बात का कोई निर्णायक प्रमाण नहीं है कि पेट्रोल इंजनों की बजाय डीजल इंजनों से अधिक वायु प्रदूषण होता है।

(ग) नए वाहनों के मामले में डीजल से चलने वाले वाहनों से होने वाले उत्सर्जनों के लिए मानक 1-4-1996 से लागू होंगे। मोटर गाड़ियों के विनिर्माताओं से कहा गया है कि वे अपनी ऐसी प्रौद्योगिकी तैयार करें और उसमें ऐसे सुधार करें, ताकि वह डीजल से चलने वाले वाहनों के उत्सर्जनों के लिए अधिक कठोर मानकों के अनुरूप हो।

[हिन्दी]

मुक्त विश्वविद्यालय

952. **श्री राम निहोर राय** : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मौजूदा विश्वविद्यालयों में छात्रों की अत्यधिक संख्या को कम करने के लिए देश में मुक्त विश्वविद्यालय खोलने के लिए प्रोत्साहन दिया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो देश में ऐसे विश्वविद्यालयों के राज्यवार नाम क्या हैं, और

(ग) इन मुक्त विश्वविद्यालयों में किन-किन पाठ्यक्रमों की शिक्षा दी जाती है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) जी, हां।

(ख) (i) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, नई दिल्ली।

(ii) आंध्र प्रदेश : डा॰ बी॰आर॰ अम्बेडकर मुक्त विश्वविद्यालय, हैदराबाद, आंध्र प्रदेश।

(iii) बिहार : नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय, पटना, बिहार।

(iv) मध्य प्रदेश : एम॰पी॰ भोज मुक्त विश्वविद्यालय, भोपाल, मध्य प्रदेश।

(v) महाराष्ट्र : यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विश्वविद्यालय नासिक, महाराष्ट्र।

(vi) राजस्थान : कोटा मुक्त विश्वविद्यालय कोटा, राजस्थान।

(ग) विभिन्न मुक्त विश्वविद्यालयों द्वारा चलाए जा रहे पाठ्यक्रम संलग्न विवरण में दिए गये हैं।

विवरण

विभिन्न मुक्त विश्वविद्यालयों द्वारा निम्नलिखित पाठ्यक्रम चलाए जा रहे हैं

I. **इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, नई दिल्ली।**

1. दूरस्थ शिक्षा में कला निष्णात

2. दूरस्थ शिक्षा में स्नातकोत्तर डिप्लोमा

3. उच्चतर शिक्षा में स्नातकोत्तर डिप्लोमा
4. पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान स्नातक
5. कला स्नातक
6. वाणिज्य स्नातक
7. विज्ञान स्नातक
8. अंग्रेजी भाषा में सृजनात्मक लेखन डिप्लोमा
9. हिन्दी में सृजनात्मक लेखन डिप्लोमा
10. ग्रामीण विकास डिप्लोमा
11. पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा डिप्लोमा
12. खाद्य एवं पोषण प्रमाण-पत्र
13. पर्यटन अध्ययन प्रमाण-पत्र
14. जन-पोषण (ए॰एन॰सी॰) (क्रेडिट रहित पाठ्यक्रम)
15. शिशु रख-रखाव सेवा आयोजन (ए॰सी॰सी॰) (क्रेडिट रहित पाठ्यक्रम)
16. व्यापार प्रशासन निष्णात
17. प्रबंधन डिप्लोमा
18. निर्माण प्रबंधन में उच्च डिप्लोमा
19. जल संसाधन इंजीनियरी में उच्च डिप्लोमा
20. प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा
21. मानव संसाधन प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा
22. वित्त प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा
23. कार्य प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा
24. विपणन प्रबंधन में स्नातकोत्तर डिप्लोमा
25. कम्प्यूटर अनुप्रयोग में स्नातकोत्तर डिप्लोमा
26. कार्यालय प्रबंधन में कम्प्यूटर डिप्लोमा
27. नर्सिंग में विज्ञान स्नातक

28. पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान में निष्णात

29. मार्गदर्शन में प्रमाणपत्र

30. ग्रामीण विकास में प्रमाणपत्र

II. डा. बी.आर. अम्बेडकर मुक्त विश्वविद्यालय, हैदराबाद

1. कला स्नातक/वाणिज्य स्नातक

2. विज्ञान स्नातक

3. जन-संपर्क स्नातक

4. पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान स्नातक डिग्री

5. व्यापार प्रशासन निष्णात

6. विज्ञान निष्णात (गणित)

7. एम.ए. (राजनैतिक विज्ञान)

8. एम.ए. (लोक प्रशासन)

9. खाद्य एवं पोषण में प्रमाण-पत्र पाठ्यक्रम

10. विकास अध्ययन में एम.फिल. कार्यक्रम

11. विकास अध्ययन में पी.एच.डी. कार्यक्रम

III. कोटा मुक्त विश्वविद्यालय, कोटा (राजस्थान)

1. एम.ए.

2. एम.कॉम.

3. पुस्तकालय एवं सूचना विज्ञान में डिप्लोमा

4. पत्रकारिता और जन-संचार में स्नातक डिग्री

5. श्रम कानून, श्रम-कल्याण एवं कार्मिक प्रबंधन में डिप्लोमा

6. एल.एल.बी.-I और एल.एल.बी.-II

7. बी.ए.

8. बी.कॉम.

9. बी.एड.

10. प्रबंधन में डिप्लोमा (डी.आई.एम.)

11. पुस्तकालय विज्ञान में प्रमाण-पत्र पाठ्यक्रम

12. औद्योगिक प्रबंधन में डिप्लोमा

13. पर्यटन एवं होटल प्रबंधन में डिप्लोमा

14. कम्प्यूटर प्रोग्रामिंग में डिप्लोमा

IV. यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विश्वविद्यालय, नासिक (महाराष्ट्र)

1. बी.ए./बी.कॉम

2. बी.एड.

3. प्रयुक्त इलेक्ट्रॉनिक्स में डिप्लोमा

4. फसलवाल पाठ्यक्रम (कृषि)

5. सेवाकालीन शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम

6. वर्ड-प्रोसेसिंग में प्रमाण-पत्र

7. अंग्रेजी में डिप्लोमा

8. – एम.ए.
   – एम.कॉम
   – एम.एस.सी.
   – एम.फिल.
   – पी.एच.डी.
   - में स्नातकोत्तर कार्यक्रम

V. नालंदा मुक्त विश्वविद्यालय, पटना (बिहार) खाद्य एवं पोषण में प्रमाण-पत्र

VI. मध्य प्रदेश भोज मुक्त विश्वविद्यालय (मध्य प्रदेश) उपलब्ध सूचनानुसार विश्वविद्यालय अभी कोई पाठ्यक्रम प्रदान नहीं कर रहा है।

यात्रियों के लिए सुविधाएं

953. **श्री शिबू सोरेन :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देवघर, झाझा, कियूल, गोड्डा-साहिबगंज और झारखंड क्षेत्र के रेलवे स्टेशनों पर यात्री सुविधाएं उपलब्ध करने का है, और

(ख) यदि हां, तो 1 अप्रैल, 1993 से इस संबंध में की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री के.सी लेंका) : (क) जी, हां।

(ख) लातेहार, चिचाकी, सरमाटांड, हिरोडीह, गुंझंडी, गुड़ाप और मधुपुर में प्लेटफार्म शायबानों की व्यवस्था, हैंडिगिर, राय, मैक्लुस्कीगंज, लातेहार, डाल्टनगंज, गड़वा रोड और मधुपुर में गहरे नलकूपों की व्यवस्था, मदनकांटा, शंकरपुर तथा कमराबाद रोहिणी में प्रतिक्षालयों, मुगमा, गड़पा, जमतारा, विद्यासागर, मदनकांटा, मथुरापुर, शंकरपुर, कमराबाद रोहिणी और गिरीडीह में जन उद्घोषणा प्रणाली की व्यवस्था, क्यूल, डाल्टनगंज और मधुपुर में प्लेटफार्मों का विस्तार, उन्हें ऊंचा करना, क्यूल और झाझा में हैण्डपम्पों की व्यवस्था, वैद्यनाथधाम और विद्यासागर में जल-शीतकों तथा सतवाहिनी और शंकरपुर स्टेशनों पर बिजली की व्यवस्था करने से संबंधति कार्य शुरू किए गए हैं।

[अनुवाद]

पटसन अनुसंधान

954. **डा. असीम बाला** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बैरकपुर में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अंतर्गत पटसन अनुसंधान के क्षेत्र में प्राप्त हुई उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या पटसन अनुसंधान संस्थान, बैरकपुर में सुचारु रूप से कार्य चल रहा है, और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं तथा इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. कृष्ण कुमार) : (क) बैरकपुर में सन् 1953 में केन्द्रीय जूट एवं संवर्गीय रेशा अनुसंधान संस्थान, की स्थापना के समय से ही वर्ष 1987 तक इस संस्थान ने अभूतपूर्व उपलब्धियां प्राप्त की हैं। अनेक किस्में और संबद्ध उत्पादन तथा संरक्षण प्रौद्योगिकियां जारी की गयीं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) वर्ष 1987 से ही मजदूर संघ (ट्रेड यूनियन) से संबधित कर्मचारियों के एक समूह ने माहौल को खराब किया है और निदेशक को सुचारु रूप से संस्थान को चलाने नहीं दिया। संस्थान में गड़बड़ी पैदा करने वालों के खिलाफ उपयुक्त कार्रवाई की गयी है।

[हिन्दी]

कासगंज जंक्शन को एटा के साथ जोड़ना

955. **श्री सुरेशानन्द स्वामी** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार कासगंज जंक्शन को एटा जिले की मौजूदा रेल लाइन से जोड़ने का है, और

(ख) सरकार ने इस संबंध में क्या कदम उठाये हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.सी. लेंका) : (क) और (ख) कानपुर-कासगंज के आमान परिवर्तन और कासगंज से अलीगढ़ तक तथा कासगंज से एटा तक नई बडी लाइन के विस्तार के लिये प्रारंभिक इंजीनियरी एवं यातायात सर्वेक्षण शुरू किया गया है। आगे की कारवाई सर्वेक्षण के परिणामों पर निर्भर करेगी।

[अनुवाद]

मोबाइल वैन

956. **प्रो. के.वी. थामस** : क्या **नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने 1992-93 और 1993-94 के दौरान पुनर्गठित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत मोबाइल वैन खरीदने हेतु प्रस्ताव भेजे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई हैं, और

(ग) केन्द्रीय सरकार द्वारा इस प्रयोजनार्थ दी गई वित्तीय सहायता का ब्यौरा क्या है?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) जी हां।

(ख) और (ग) केरल सरकार ने 1993-94 में 30 मोबाइल वैनें खरीदने के लिए सहायता हेतु प्रस्ताव भेजे थे।

केरल सरकार द्वारा 1993-94 में प्रस्तुत किए गए प्रस्ताव योजना के अनुसार नहीं है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह कहा गया है कि वैनों को चलती-फिरती उचित दर की दुकानों अथवा संतुष्ट सार्वजनिक वितरण प्रणाली क्षेत्रों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली की वस्तुओं की ढुलाई के लिए दरवाजे पर सुपुर्दगी करने के तंत्र के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। राज्य में संतुष्ट सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत 21 ब्लाक हैं और 1991-92 व 1992-93 में वाहन खरीदने के लिए वित्तीय सहायता पहले ही दी जा चुकी है।

महाराष्ट्र में आमान परिवर्तन

957. **श्री शंकरराव दे. काले** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में अभी कितने किलोमीटर मीटर गेज लाइन का बड़ी लाइन में परिवर्तन किया जाना बाकी है;

(ख) 1993-94 के दौरान मीटर/नैरो गेज की इन लाइनों को ब्रॉड गेज लाइनों में परिवर्तित करने के लिए कितनी राशि नियत की गई;

(ग) परिवर्तन हेतु क्षेत्र चयन करने के लिए क्या मानदंड अपनाए गए हैं, और

(घ) जोनवार और राज्यवार जितने किलोमीटर लाइनों को ब्रॉड गेज में परिवर्तित किया जाएगा उसका ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.सी. लेंका) : (क) 31-3-93 को 21,997 कि.मी.।

(ख) आमान परिवर्तन कार्य के लिए 1993-94 में 891.90 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है।

(ग) आमान परिवर्तन के लिए ऐसी लाइनें चुनी गई हैं, जिनमें कुछ विकासात्मक उद्देश्यों के लिए हैं और अन्य वैकल्पिक मार्गों और संपर्कों की व्यवस्था करेंगी।

(घ) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

एक-आमान प्रणाली परियोजना के अंतर्गत शुरू की गई कार्य योजना के पहले चरण में शामिल रेल लाइनों की किलो मीटर दूरी, जिन्हें बड़ी लाइन में बदला जाना है, का रेलवेवार और राज्यवार ब्यौरा नीचे दिया गया है।

क्र. सं.	रेलवे का नाम	कि. मी.
1	2	3
(I)	**रेलवेवार**	
1.	मध्य रेलवे	42
2.	उत्तर रेलवे	1999
3.	पूर्वोत्तर रेलवे	1213
4.	पूर्वोत्तर सीमा रेलवे	1418
5.	दक्षिण रेलवे	1867
6.	दक्षिण मध्य रेलवे	3432
7.	दक्षिण पूर्व रेलवे	594
8.	पश्चिम रेलवे	1875
(II)	**राज्यवार**	
1.	आंध्र प्रदेश	1701
2.	असम	1405

1	2	3
3.	बिहार	291
4.	गुजरात	660
5.	हरियाणा	398
6.	कर्नाटक	2076
7.	मध्य प्रदेश	619
8.	महाराष्ट्र	1112
9.	तमिलनाडु	631
10.	उत्तर प्रदेश	929
11.	पश्चिम बंगाल	36
12.	गोवा	53
13.	नागालैंड	13
14.	पंजाब	80
15.	उड़ीसा	89
16.	राजस्थान	2290

[हिन्दी]

मदिरों का जीर्णोद्धार कार्य

958. **श्री शिवराज सिंह चौहान** : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग ने मध्य प्रदेश के रायसेन तथा भोजपुर जिलों में स्थित मंदिरों के जीर्णोद्धार का कार्य शुरू किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उस पर अब तक कुल कितनी धनराशि खर्च की गयी है;

(ग) क्या जीर्णोद्धार कार्य के लिये घटिया किस्म के स्थापत्य तथा पत्थरों का उपयोग करने के संबंध में शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(ङ) सरकार ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के भोजपुर स्थित शिव मंदिर का संरक्षण-कार्य अपने हाथ में ले लिया है।

(ख) इस मंदिर के संरक्षण के लिए मई, 1990 में स्वीकृत रु. 14,84,000 की अनुमानित धनराशि के बदले जनवरी, 1994 तक रु. 2,39,510.90 व्यय हुआ।

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

"भारत-ब्रिटेन वानिकी अनुसंधान परियोजना"

959. **श्री सनत कुमार मंडल** : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देहरादून स्थित भारत-ब्रिटेन संयुक्त वानिकी अनुसंधान परियोजना इस वर्ष शुरू की जाएगी;

(ख) क्या इस परियोजना का उद्देश्य वनों के महत्व के बारे में अनुसंधान करने के लिए सहयोगी संस्थान स्थापित करने का है;

(ग) क्या काउंसिल फार फारेस्ट्री रिसर्च एण्ड एजुकेशन तथा ब्रिटिश फारेस्ट्री कमीशन को आगामी जुलाई में, दिल्ली में भारत और ब्रिटेन द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित की जाने वाली अन्तर्राष्ट्रीय वर्कशाप के लिए योजना बनाने और कागज-पत्र तैयार करने का कार्यभार भी सौंपा जाएगा, और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) से (घ) भारत सरकार और इंग्लैण्ड तथा उत्तरी आयरलैण्ड के बीच सितम्बर, 1993 में वनों के संरक्षण, प्रबंध तथा सतत विकास में अन्तर्राष्ट्रीय जानकारी और प्रगति को बढ़ावा देने के लिए सहयोग के संबंध में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। संयुक्त रूप से अन्तर्राष्ट्रीय कार्यशाला की मेजबानी सहित 1995 में सतत् विकास आयोग द्वारा समीक्षा से पूर्व वानिकी मामलों में प्रगति सुनिश्चित करने के लिए सहयोग करने के अलावा, समझौता ज्ञापन में अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित में सहकारी अनुसंधान, अध्ययन तथा अन्य गतिविधियां हाथ में लेना शामिल हैं :

– सभी प्रकार के वनों में स्थिरता संबंधी सहकारी कार्य सहित वनों का सतत् प्रबंध।

– वनों द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं का मूल्य निर्धारित करना, जिसमें अन्य बातों के अलावा, जैविक विविधता के सहयोग, परम्परागत ज्ञान और प्रौद्योगिकियां, कार्बन तथा अन्य पारिस्थितिक प्रसंस्करणों की जब्ती तथा छोड़ दिए गए अवसरों की लागत शामिल हैं।

– शिक्षा, प्रशिक्षण और विस्तार गतिविधियां।

उक्त समझौता ज्ञापन में हस्ताक्षर किए जाने के परिणामस्वरूप भारत और इंग्लैण्ड के अधिकारियों के बीच इण्डो-ब्रिटिश फारेस्ट्री इनिसिएटिव की पहली बैठक जनवरी, 1994 में लंदन में आयोजित की गई। उसमें इस बात पर सहमति हुई कि दोनों देश "टूवर्ड्स सस्टेनेबल फारेस्ट्री : प्रिपेयरिंग फार सी.डी.एस. 1995" पर एक अन्तर्राष्ट्रीय कार्यशाली की मिलकर मेजबानी करेंगे, जो खाद्य एवं कृषि संगठन के सहयोग से जुलाई, 1994 में नई दिल्ली में आयोजित की जाएगी।

बाद में कार्यशाला की कार्यसूची और कार्यात्मक ब्यौरों को अन्तिम रूप देने के लिए फरवरी, 1994 में नई दिल्ली में एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें दो देशों के अधिकारियों के अलावा, खाद्य एवं कृषि संगठन के प्रतिनिधियों ने भी भाग लिया।

राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड का आइसक्रीम बाजार में प्रवेश

960. **श्री आर. सुरेन्द्र रेड्डी :** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड का आइसक्रीम बाजार में प्रवेश करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या एन.डी.डी.बी. ने लघु उ़द्योग के उद्यमियों सहित सहकारी संस्थाओं और सरकारी क्षेत्र के डेरियों को आइसक्रीम का भी उत्पादन करने की अनुमति देने के लिए सरकार से अनुमति मांगी है;

(घ) यदि हां, तो एन.डी.डी.बी. द्वारा इस संबंध में कितना निवेश किए जाने का प्रस्ताव है; और

(ङ) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविन्द नेताम) : (क) से (ङ) सहकारी डेयरी को व्यवहार्य बनाने के लिए राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड ने यह महसूस किया कि उन्हें आइसक्रीम बनाने की अनुमति प्रदान की जानी चाहिए, क्योंकि उच्च मार्जिन वाला उत्पाद होने के कारण इससे किसानों को बेहतर मूल्य अदा किया जा सकता है। आइसक्रीम उद्योग की वर्तमान स्थिति की समीक्षा हेतु खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा अगस्त 1989 में गठित एक कार्यदल ने सिफारिश की है कि सहकारी समितियों और सार्वजनिक क्षेत्र के संयंत्रों को भी आइसक्रीम के निर्माण की अनुमति दी जानी चाहिए और इसका विनिर्माण केवल बड़े उद्योगों द्वारा ही किया जाना चाहिए, क्योंकि विनिर्माण की समुचित स्वास्थ्य कर तथा स्वच्छता की स्थितियों को बनाए रखने के लिए लघु उद्योग का निवेश पूर्णतया अपर्याप्त रहता है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय ने औद्योगिक विकास विभाग को सार्वजनिक तथा सहकारी क्षेत्र में आइसक्रीम विनिर्माण के लिए बड़े स्तर के संयंत्रों को अनुमति देने की पहले ही सिफारिश कर दी है। तथापि इसकी अनुमति की प्रतीक्षा की जा रही है। ऑपरेशन फ्लड-3 में वित्त पोषण के लिए राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड द्वारा अनुमोदित आइसक्रीम विनिर्माण सुविधाओं की स्थापना के लिए 1509.50 लाख रुपये का प्रस्ताव है। आइसक्रीम विनिर्माण का काम लघु उद्योग क्षेत्र में ही बना रहेगा।

दिलदार नगर जंक्शन

961. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री :** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश में गाजीपुर के यात्रियों से ब्रह्मपुत्र मेल और पटना-मद्रास एक्सप्रेस को दिलदार नगर जंक्शन पर रोकने तथा इस स्टेशन पर यात्री सुविधाओं में सुधार लाने के लिए अभ्यावेदन प्राप्त हुए है, और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.सी. लेंका) : (क) जी, हां।

(ख) दिलदार नगर जंक्शन पर ब्रह्मपुत्र मेल और पटना-मद्रास एक्सप्रेस का ठहराव व्यावहारिक नहीं पाया गया है। जहां तक यात्री सुविधाओं में सुधार का संबंध है, इसे यात्री यातायात के आधार पर निर्धारित मानदण्डों के अनुसार किया जाता है, बशर्तें कि धन उपलब्ध हो, तदनुसार, अतिरिक्त प्लेटफार्म सायबानों की व्यवस्था का कार्य पहले ही शुरू कर दिया गया है।

[हिन्दी]

रेलगाड़ियों का विलम्ब से चलना

962. **श्री भुवनेश्वर प्रसाद मेहता :** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गया-धनबाद बरास्ता ग्रैन्ड कोर्ड लाइन पर चलने वाली एकमात्र यात्री गाड़ी सामान्यतः विलम्ब से चलती है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं, और

(ग) दैनिक यात्रियों की असुविधा को दूर करने के लिए क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.सी. लेंका) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) गाड़ी की कड़ी निगरानी रखी जा रही है।

[अनुवाद]

रेल सेवाएं

963. **डा. कृपासिंधु भोई :** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे पूर्व तथा दक्षिण-पूर्व रेलवे में रेल सेवाओं के संबंध में बढ़ती हुई मांग को पूरा नहीं कर पाया है; और

(ख) यदि हां, तो पूर्व तथा दक्षिण-पूर्व रेलवे पर रेल सेवाएं बढ़ाने हेतु की जा रही मांग को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.सी. लेंका) : (क) और (ख) गाड़ियां शुरू करना एक सतत् प्रक्रिया है, बशर्ते परिचालनिक व्यावहारिकता, संसाधनों की उपलब्धता और यातायात का औचित्य हो। आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान पूर्व और दक्षिण पूर्व रेलों पर अभी तक ई.एम.यू. और डी.एम.यू. पुश-पुल्स सहित 73 गाड़ियां शुरू की गई हैं।

[हिन्दी]

राष्ट्रीय मिश्रित प्रजाति विकास कार्यक्रम

964. **श्री सुरेन्द्रपाल पाठक** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कृषि वैज्ञानिकों ने दिसम्बर, 1993 में आयोजित राष्ट्रीय सम्मेलन में मिश्रित प्रजातियों के विकास हेतु एक राष्ट्रीय मिश्रित प्रजाति विकास कार्यक्रम आरंभ करने का सुझाव दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(ग) सरकार ने इस संबंध में क्या कार्रवाई की है?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. कृष्ण कुमार) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

जीन्द के लिये दिन की गाड़ी

965. **श्री नारायण सिंह चौधरी** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हरियाणा में जीन्द जिले से होकर दिल्ली आने वाली सभी एक्सप्रेस रेलगाड़ियां इस क्षेत्र से केवल रात्रि के समय ही गुजरती हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार बरास्ता जीन्द कोई दिन की रेलगाड़ी शुरू करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, उसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.सी. लेंका) : (क) जी, नहीं। दिल्ली की तरफ आने वाली 9024 जनता और 6032/6018/6688 मद्रास-जम्मू तवी/हिमसागर/नवयुग एक्सप्रेस गाड़ियां दिन के समय जींद को सेवित करती हैं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

कर्नाटक में "इंडोर स्टेडियम"

966. **श्री ए. वेंकटेश नायक** : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक सरकार ने राज्य में इंडोर स्टेडियम के निर्माण के लिए वित्तीय सहायता का अनुरोध किया था;

(ख) यदि हां, तो कितनी सहायता मांगी गई थी, और

(ग) सरकार ने 1993-94 के दौरान और आठवीं योजना अवधि के लिए कितनी धनराशि स्वीकृत की?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (युवा कार्यक्रम और खेल विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुकुल वासनिक) : (क) जी, हां।

(ख) आठवीं योजना के दौरान कर्नाटक सरकार ने 207.88 लाख रुपये की कुल अनुमानित लागत के पांच प्रस्ताव प्रस्तुत किए हैं। खेल की बुनियादी सुविधाओं के सृजन के लिए अनुदान की योजना के अनुसार केन्द्रीय सहायता दी जायेगी।

(ग) विभाग में 1-4-92 से पूर्व प्राप्त कर्नाटक में इन्डोर स्टेडियम के निर्माण की तीन परियोजनाओं के लिए 1992-93 और 1993-94 के दौरान 10.675 लाख रुपये की केन्द्रीय सहायता जारी की गई है।

महाराष्ट्र में डिवीजनल कार्यालय

967. **अन्ना जोशी** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र में किन-किन स्थानों पर कितने डिवीजनल कार्यालय खोले गये हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार वर्ष 1994 के दौरान महाराष्ट्र में कुछ और डिवीजनल कार्यालय खोलने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.सी. लेंका) : (क) महाराष्ट्र में छः मंडल कार्यालय हैं, यथा मध्य रेलवे के बम्बई, भुसावल, नागपुर और शोलापुर, पश्चिम रेलवे का बम्बई और दक्षिण-पूर्व रेलवे का नागपुर।

(ख) और (ग) महाराष्ट्र के नांदेड (दक्षिण-मध्य रेलवे) में एक नये मंडल कार्यालय की इस समय स्थापना की जा रही है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

माल ढुलाई

968. **श्री केशरी लाल** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

. (क) सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष के दौरान रेलवे द्वारा माल ढुलाई के लिए कितना लक्ष्य निर्धारित किया है;

(ख) रेलवे ने माल ढुलाई के संबंध में कितना लक्ष्य प्राप्त किया और उसके परिणामस्वरूप सरकार को कितनी आय हुई;

(ग) माल ढुलाई के लिए निर्धारित लक्ष्य न प्राप्त कर सकने के मुख्य कारण क्या हैं, और

(घ) सरकार द्वारा इन कारणों को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.सी. लेंका) : (क) पूरे वित्त वर्ष 1993-94 के लिए राजस्व उपार्जक प्रारंभिक माल यातायात का 362 मिलियन टन।

(ख) जनवरी 1994 के अंत तक 290.36 मिलियन टन तथ अनुमानित आय 10254.31 करोड़ रुपये।

(ग) कमी का मुख्य कारण लक्ष्य की तुलना में संगठित क्षेत्रों से कम मांग प्राप्त होना है।

(घ) मांग बढ़ाने के लिए प्रयोगकर्ता संगठनों के साथ विभिन्न स्तरों पर समय-समय पर निकट समन्वय बनाये रखा जा रहा है।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय पशु शरीर क्रिया विज्ञान और पोषण संस्थान

969. **श्रीमती चन्द्र प्रभा अर्स** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने आठवीं योजना अवधि के दौरान बंगलौर में राष्ट्रीय पशु क्रिया विज्ञान और पोषण। संस्थान खोलने का प्रस्ताव किया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(ग) इसके लिए अनुमानतः कितनी धनराशि दी जाएगी?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. कृष्ण कुमार) : (क) जी हां, महोदया।

(ख) आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कार्यान्वयन के लिए राष्ट्रीय पशु पोषण एवं शरीर क्रिया विज्ञान संस्थान का अनुमोदन कर दिया गया है। संस्थान की स्थापना बंगलौर स्थित राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान के दक्षिण क्षेत्रीय केन्द्र में उपलब्ध बुनियादी ढांचों के उपयोग के आधार पर की जानी है।

(ग) आठवीं पंचवर्षीय योजना में स्वीकृत राशि रु. 875 लाख है।

कृषि उत्पादों का निर्यात

970. **श्री अंकुशराव रावसाहेब टोपे** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार कृषि उत्पादों के निर्यात के लिए आधारभूत सुविधाएं बढ़ाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(ग) इस पर कितनी लागत आयेगी तथा इन उत्पादों के निर्यात के लिए कितना लक्ष्य रखा गया है?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. कृष्ण कुमार) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) संबंधित विवरण एवं प्रस्ताव पर आने वाली संभावित लागत का विवरण, विवरण-I व II में दिया गया है।

विवरण-I

बागवानी उत्पाद के निर्यात को बढ़ाने के लिए निवेश

(लाख रुपये)

	संख्या	कुल निवेश	सरकार का अंश	सार्वजनिक क्षेत्र द्वारा वाणिज्यिक निवेश	निजी निवेश
	1	2	3	4	5
क. अवसंरचना					
1. कटाई पश्चात प्रबंध अध्ययन	10	150	100	–	50
2. विस्तार एवं प्रशिक्षण	6	150	150	–	–
3. कटाई पश्चात हैंडलिग (बिनाई श्रेणीकरण) (वैक्सिंग आदि)	38	1200	640	–	640

		1	2	3	4	5
4.	प्रीकूलिंग	60	1275	637.50	–	637.50
5.	पैकिंग :					
	(क) अनुसंधान एवं विकास	–	75	50	–	25
	(ख) उन्नत पैकिंग	–	4000	1000	–	3000
6.	मध्यम शीतगृह	51	3300	1650	–	1650
7.	त्वरित परिवहन व्यवस्था :					
	(क) सड़क मार्ग	111	1110	222	–	888
	(ख) रेल से		आकलन नहीं			
	(ग) हवाई जहाज/ समुद्री मार्ग से		आकलन नहीं			
8.	वाणिज्यिक शीतगृह	8	4500	1125	3375 (रा.स.वि.नि./सी.डब्ल्यू.सी./ राज्य भांडागार निगम द्वारा)	
9.	वाष्प ताप उपचार	3	340	340	–	–
10.	निर्विकिरण	4	800	800	–	–
11.	विमानपत्तनों पर अवसंरचना	–	1120	280	840 (भारत अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा)	
12.	फूलों के लिए बोली घर	–	450	450	–	–
	उप-योग	–	18550	7444	4215	6890.50
ख.	**निर्यातोन्मुखी उत्पादन**					
1.	साम्य सहभागिता	18	31000	1550	–	29450

		1	2	3	4	5
2.	चालू यूनिटों का आधुनिकीकरण	–	2000	500	–	1500
	उप-योग		33000	2050	–	30950
ग.	**निर्यात प्रोत्साहन एवं विपणन विकास**					
1.	अंतर्राष्ट्रीय मंडी आसूचना एवं डेटाबेस	–	250	250	–	–
2.	निर्यात प्रोत्साहन कार्यकलाप	–	2750	2500	–	250
	उप-योग	–	3000	2750	–	250
	कुल योग		54550	12244.55	4215	38090.50

विवरण-II

कृषि उत्पादों की निर्यात वृद्धि के लिए निवेश

(करोड़ रुपये)

क्र.सं.	विवरण	कुल निवेश	भारत सरकार का अंश	सार्वजनिक क्षेत्र का का अंश(रिलवे)	निजी अंश
1	2	3	4	5	6
1.	फल एवं सब्जियों के लिए घरेलू मंडियों का विकास	250	250	–	–

1	2	3	4	5	6
2.	तिलहनों एवं अन्य भारी जिंसों का निर्यात	400	240	100	60
3.	सड़कों का सुधार	820	820	–	–
4.	अंतर्देशीय जल मार्गों का सुधार	50	50	–	–
5.	नाशवान जिंसों के लिए अवसंरचना	845	570	–	275
6.	मांस एवं मांस उत्पादों के लिए अवसंरचना	585	285	–	300
7.	खाद्य परीक्षण प्रयोगशालाएं	10	10	–	–
8.	संगरोध सुविधाएं	46	46	–	–
	योग :	3006	2271	100	635

सरस्वती महल पुस्तकालय

971. **श्री के. राममूर्ती टिंडिवनाम :**
श्री धर्मण्णा मोंडय्या सादुल :
श्री गोविंदराव निकम :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार तमिलनाडु में तंजौर स्थित सरस्वती महल पुस्तकालय को वित्तीय सहायता देने का है;

(ख) यदि हां, तो 1993-94 के दौरान कितनी सहायता दी गई;

(ग) क्या हाल ही में पुस्तकालय के कर्मचारियों द्वारा धन के दुरुपयोग की सूचना मिली है, और

(घ) यदि हां, तो सरकार ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उपमंत्री (कुंमारी शैलजा) : (क) जी, हां।

(ख) 1993-94 के दौरान, पुस्तकालय के लिए 15 लाख रुपये की राशि संस्वीकृत की गयी।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

खारा पानी मत्स्य पालक विकास एजेंसियां

972. **श्री सुधीर सावंत : क्या कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खारा पानी मत्स्य पालक विकास एजेंसियों के कार्यनिष्पादन का मूल्यांकन करने के मानदण्डों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या महाराष्ट्र में खारा पानी मत्स्य पालक विकास एजेंसियों का कार्यनिष्पादन निराशाजनक रहा है;

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या महाराष्ट्र सरकार को कार्यनिष्पादन में सुधार करने के निर्देश दिए गए हैं; और

(ङ) राज्य में खारा पानी मत्स्य पालक विकास एजेंसियों के कार्यनिष्पादन में आमूल सुधार करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत्र मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. कृष्ण कुमार) : (क) कुछ मानदण्ड उत्पादकता में वृद्धि, मत्स्य पालन के तहत आने वाले कुल क्षेत्र में वृद्धि, राजसहायता पर होने वाला खर्च, लाभानुभोगियों की संख्या में वृद्धि आदि से सम्बन्धित है।

(ख) जी, हां।

(ग) खारे जल में मछली पालन करने के लिए लाभानुभोगियों को पर्याप्त क्षेत्र उपलब्ध नहीं रहा है और तदनुसार ही लाभानुभोगियों की संख्या भी पर्याप्त रूप से नहीं बढ़ी है।

(घ) जी, हां

(ङ) राज्य सरकार को पत्रों के माध्यम से और समीक्षा बैठकों के दौरान इस स्थिति से तथाकथित रूप से अवगत करा दिया गया है।

[हिन्दी]

नीमच-रतलाम रेल लाइन का आमान परिवर्तन

973. **डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय : क्या रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नीमच-रतलाम रेल लाइन के आमान परिवर्तन की दिशा में अब तक कितनी प्रगति हुई;

(ख) इस परियोजंना के लिए कुल कितनी धनराशि नियत की गई है, और

(ग) उक्त परियोजना कब तक पूरी हो जाएगी?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.सी. लेंका) : (क) यह काम हाल ही में शुरू किया गया है।

(ख) 1993-94 में 2 करोड़ रुपये।

(ग) 1996-97 तक।

कश्मीर से रेल सम्पर्क

974. **श्री बृज भूषण शरण सिंह :**
श्री सत्य देव सिंह :
श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री :
डा. रामकृष्ण कुसमरिया :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने का कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने रेल के माध्यम से कश्मीर को शेष देश के साथ जोड़ने के लिए कोई योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में अन्तिम निर्णय कब तक लिया जायेगा, और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त योजना कब तक पूरी होगी; और

(घ) इस योजना पर कुल कितना व्यय होगा ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.सी. लेंका) : (क) जी, हां।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

(घ) वर्तमान मूल्यों के अनुसार लगभग 1500 करोड़ रुपये।

चलते-फिरते खाद्य एकक

975. **श्री महेन्द्र कुमार सिंह ठाकुर : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में कितने चलते-फिरते खाद्य तथा आहार संवर्धन एकक हैं तथा वे कहां-कहां हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार राज्य में ऐसे और अधिक एकक स्थापित करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(घ) मध्य प्रदेश के प्रत्येक जिले में ऐसे एकक कब तक स्थापित किए जाएंगे ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (महिला एवं बाल विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती वासवराजेश्वरी) : (क) मध्य प्रदेश में तीन खाद्य और पोषाहार विस्तार एकक हैं, जो भोपाल, जबलपुर तथा रायपुर में स्थित हैं।

(ख). से (घ) राज्य में और एकक स्थापित करने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है।

[अनुवाद]

अनाज की आवश्यकता

977. **प्रो. उम्मारेड्डि वेंकटेस्वरलु : क्या कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने देश के लिए खाद्यान्न की वास्तविक आवश्यकता के पुनः आंकलन के लिए एक अन्तर मंत्रालय कार्यकारी दल की स्थापना की है;

(ख) यदि हां, तो इस दल के निदेश पद क्या हैं, और

(ग) कार्यकारी दल की स्थापना के क्या कारण है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविन्द नेताम) : (क) जी, हां।

(ख) कार्यकारी दल के विचारार्थ विषय निम्नलिखित हैं :

(1) भारत में सामान्य मानव आहार के लिये आवश्यक पोषकतत्वों की जांच व मूल्यांकन करना।

(2) विभिन्न खाद्य फसलों, विशेष तौर पर मोटे अनाजों, दालों, दुग्ध, वसा व तेल, चीनी, गुड़ आदि के लिये मांग के अनुमानों की जांच करना।

(3) मांग के मूल्यांकन के लिये वर्तमान में उपयोग में लाई जाने वाली विधि में संशोधनों का सुझाव देना व समीक्षा करना।

(4) पोषक तत्वों संबंधी अपेक्षा, खपत, खर्च तथा मांग की प्रत्यास्थता के आधार पर सन् 2000 ई. तक की विभिन्न खाद्य फसलों की यथार्थ अपेक्षाओं का सुझाव देना।

(ग) इस शताब्दी के अन्त तक खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिये देश की खाद्यान्न आवश्यकता के प्रश्न की जांच करने और खाद्यान्न की मांग का यथार्थवादी मूल्यांकन करने के लिये कार्यकारी दल के गठन का निर्णय लिया गया।

कार्य योजना हेतु चौकसी दल

978. **श्रीमती शीला गौतम : क्या रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे के 1993-94 की कार्य योजना के कार्यचालन की कार्य विधि समन्वय और निगरानी हेतु चौकसी दल गठित किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और प्रत्येक दल को कौन-सा विशेष कार्य सौंपा गया है, और

(ग) इन दलों की सिफारिशें कब तक प्राप्त हो जाएंगी ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.सी. लेंका) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

राष्ट्रीय वन नीति

979. **श्री हरीश नारायण प्रभु झांट्ये :**
श्री के.जी. शिवप्पा :

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय वन नीति की शीघ्र पुनरीक्षा किये जाने की मांग की गई है;

(ख) क्या सरकार ने वन विकास और राष्ट्रीय उद्यानों के लिए एक नई नीति बनायी है, और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) जी, नहीं।

(ख) 1988 में, राष्ट्रीय वन नीति संकल्प की घोषणा होने के बाद, वन विकास और राष्ट्रीय उद्यानों के लिए सरकार द्वारा कोई नई नीति नहीं बनाई गई। तथापि, राष्ट्रीय उद्यानों के मामले में, इस नीति के बेहतर कार्यान्वयन के लिए राष्ट्रीय उद्यान प्राधिकरण की स्थापना पर विचार किया जा रहा है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

राजसहायता प्राप्त खाद्यान्न

980. **श्रीमती सुशीला गोपालन :** क्या **नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि समेकित आदिवासी विकास कार्यक्रम के अंतर्गत उड़ीसा में कालाहांडी जैसे प्रखंडों तथा अन्य पिछड़े क्षेत्रों में विशेष राजसहायता प्राप्त खाद्यान्नों की नियमित रूप से सप्लाई नहीं की जाती है;

(ख) क्या इन क्षेत्रों में अनाज के समुचित वितरण को सुनिश्चित करने हेतु सरकार का कोई कदम उठाने का विचार है;

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं;

(घ) इन प्रखण्डों की कुल जनसंख्या कितनी है और इनमें गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम पर कुल कितनी धनराशि खर्च की गई है ?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) सार्वजनिक वितरण प्रणाली को लागू करने की संचालनात्मक जिम्मेवारी, जिसमें विभिन्न जिलों के बीच आवंटन तथा राज्य में उपभोक्ताओं को खाद्यान्नों के वितरण की आवधिकता की बात शामिल है, राज्य सरकार के ऊपर है। केंद्र सरकार को उड़ीसा के कालाहांडी तथा अन्य पिछड़े क्षेत्रों में राजसहायता प्राप्त खाद्यान्नों की अनुपलब्धता या अनियमित आपूर्ति के संबंध में शिकायतें नहीं मिली हैं।

(ख) एवं (ग) सार्वजनिक वितरण प्रणाली को कारगर ढंग से लागू करने में आने वाली कठिनाइयों को हल करने के लिए नियमित अन्तरालों पर राज्य प्रशासनों से परामर्श किया जाता है। इस संबंध में 1993-94 के दौरान बैठकें की गई हैं। संपुष्ट सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत आने वाले क्षेत्रों में खाद्यान्नों के वितरण से संबंधित मामलों पर भी सार्वजनिक वितरण प्रणाली संबंधी परामर्शदात्री परिषद की फरवरी, 1994 में हुई 17वीं बैठक में चर्चा की गई थी। सार्वजनिक वितरण प्रणाली को समुचित ढंग से लागू करने के लिए राज्य प्रशासनों के परामर्श एवं सहयोग से हरसंभव प्रयास किए जाते हैं।

(घ) गरीबी कम करने के कार्यक्रम पर आने वाली लागत के संबंध में खण्डवार ब्यौरा केंद्र सरकार द्वारा नहीं रखा जाता है।

[हिन्दी]

बिहार में रेलवे प्लेटफार्म

981. **श्री राम कृपाल यादव : क्या रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार बिहार के रेलवे स्टेशनों पर बढ़ते हुए यातायात को देखते हुए वहां नये रेलवे प्लेटफार्मों का निर्माण करने का है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा जारी किये गये निर्देशों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन निर्देशों में हाल ही में कोई परिवर्तन किया गया है; और

(घ) ऐसे प्लेटफार्मों का ब्यौरा क्या है और इनका निर्माण कब तक हो जाने की संभावना है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.सी. लेंका) : (क) से (घ) सभी रेलवे स्टेशनों पर उपयुक्त संख्या में प्लेटफार्मों की व्यवस्था की गई है, जो किसी स्टेशन पर आने-जाने वाली गाड़ियों को संभालने के लिए पर्याप्त हैं, उनकी पर्याप्तता की समय-समय पर समीक्षा की जाती है और यातायात के घनत्व/स्वरूप की दृष्टि से अपेक्षित होने पर अतिरिक्त प्लेटफार्मों की व्यवस्था कर दी जाती है, बशर्तें धन उपलब्ध हो, तदनुसार, दूधीनगर में ऊंची सतह वाले प्लेटफार्म की व्यवस्था करने का कार्य शुरू कर दिया गया है, इस कार्य को 1994-95 में पूरा करने का लक्ष्य है, इस संबंध में अनुदेशों में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है।

खतरनाक रसायन

[अनुवाद]

982. **श्री शरत पटनायक :**
श्री राजेन्द्र अग्निहोत्री :
श्री सत्य देव सिंह :

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार भारत में बहुराष्ट्रीय कम्पनियों द्वारा खतरनाक रसायनों के उत्पादन/आयात या ढेर लगाने को विनियमित करने के लिए कोई कार्य प्रणाली विकसित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(ग) यदि नहीं, तो इस संबंध में सरकार ने क्या कदम लिए हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) और (ख) बहुराष्ट्रीय कम्पनियों द्वारा देश में परिसंकटमय रसायनों के उत्पादन/आयात अथवा उनके अंबार, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 और भारत सरकार की निर्यात/आयात नीति के उपबंधों के जरिए विनियमित होते हैं। जिन परिसंकटमय रसायनों के लिए अनिवार्य रूप से लाइसेंस लेना होता है, उनकी एक सूची संग्लन है। परिसंकटमय रसायनों के विनिर्माण, भंडारण, आयात, निषेध एवं प्रतिबंध को पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम, 1986 तथा उसके अंतर्गत बने नियमों के तहत भी विनियमित किया जाता है। सरकार उन रसायनों, जो अपने उत्पादक देशों में प्रतिबंधित हैं, के आयात के लिए पूर्व सूचित स्वीकृति पर संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा प्रायोजित एक स्वैक्षिक योजना को भी कार्यान्वित कर रही है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

उन परिसंकटमय, रसायनों की सूची, जिनके लिए अनिवार्यतः लाइसेंस की अपेक्षा होती है।

क्र॰ सं॰	रसायन
1	2
1.	क्लोरीन
2.	हाइड्रोसायनिक अम्ल तथा इसके संजात
3.	फॉस्जीन तथा इसके संजात
4.	सोडियम हाइड्रॉक्साइड (कास्टिक सोडा) : ठोस
5.	सोडियम हाइड्रॉक्साइड (कास्टिक सोडा) : जलीय विलायक के रूप में

1	2
6.	एथिलीन
7.	प्रोपेन (प्रोपाइलिन)
8.	बूटाडियनीज
9.	बेंजीन
10.	ओ-जाइलीन
11.	एम-जाइलीन
12.	पी-जाइलीन
13.	मिश्रित जाइलीन आइसोमर्स
14.	एथिलीन ग्लाइकोल (एथेनिडायल)/एथिलीन ऑक्साइड
15.	मेटा एमिनो फेनोल
16.	हाइड्रो कार्बन के आइसोसियेनेट्स तथा डाई-आइसोसियेनेट्स, जो कि कहीं भी विनिर्दिष्ट नहीं हैं (उदाहरणार्थ मिथाइल आइसोसियेनेट्स)
17.	एल्यूमीनियम फॉस्फाइड
18.	डाइमेथोएट
19.	क्विनालफॉस
20.	कार्बेरिल, फोरेट और फेनिट्रोथियम
21.	0.94 से कम का विशिष्ट गुरुत्वाकर्षण वाला पॉली इथिलीन।

अंगुल-सम्बलपुर रेल लाइन का निर्माण

983. **श्री लोकनाथ चौधरी** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1991-92, 1992-93 तथा 1993-94 के दौरान अंगुल-सम्बलपुर रेल लाइन तथा 1992-93 और 1993-94 में दक्षिण पूर्वी रेलवे के अंतर्गत बांसपानी और दैतारी रेल लाइन के निर्माण कार्य के लिए वर्षवार कितनी धनराशि आबंटित की गई;

(ख) क्या संबंधित वर्षों में आबंटित धन राशि में से धन का वर्षवार उपयोग किया गया, और

(ग) यदि नहीं, तो आबंटित राशि में से कम धनराशि का उपयोग करने के क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.सी. लेंका) : (क) और (ख) आबंटित और खर्च की गई रकम इस प्रकार है :

				(करोड़ रुपयों में)
क्र. सं.	परियोजना	वर्ष	रकम (आबंटित)	रकम खर्च की गई
1.	अंगुल-सम्बलपुर	91-92	16.48	16.48
		92-93	20.00	20.00
		93-94	26.00	26.00
				(93-94 के लिए प्रत्याशित)
2.	बांसपानी-दैतारी	92-93	10.00	02.20
		93-94	25.00	09.50
				(93-94 के लिए प्रत्याशित)

(ग) बांसपानी-दैतारी नई लाइन के लिए वन भूमि के अपवर्तन हेतु स्वीकृति प्राप्त होने में विलम्ब।

रेलवे द्वारा सामाजिक दायित्वों पर आने वाली लागतं वहन किया जाना

984. **श्री तरित वरण तोपदार** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार रेलवे द्वारा सामाजिक दायित्वों पर खर्च होने वाली राशि को वहन करने की व्यवस्था को समाप्त करने पर विचार कर रही है, और

(ख) सरकार द्वारा इस शीर्ष के अंतर्गत कितनी धनराशि कम कर दी गई है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.सी. लेंका) : (क) जी नहीं,

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

रेल लाइन का विद्युतीकरण

985. **श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार दिल्ली-अम्बाला, सहारनपुर-मुरादाबाद रेल लाइन का विद्युतीकरण करने का है; और

(ख) यदि हां, तो इस परियोजना को कब तक कार्यान्वित किये जाने की संभावना है ?

रेल मंत्री (श्री सी.के. जाफर शरीफ) : (क) जी, हां।

(ख) दिल्ली-अम्बाला खण्ड पर विद्युतीकरण कार्य की लगभग 30 प्रतिशत प्रगति हुई है। इस खंड को पूरा किये जाने का लक्ष्य मार्च 96 है, जो संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

सहारनपुर-मुरादाबाद खंड पर प्रारंभिक कार्य शुरू कर दिये गये हैं, अभी तक लगभग 3 प्रतिशत खर्च किया गया है। इस खंड को पूरा किये जाने का लक्ष्य मार्च 98 है, जो धन की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

सुपर बाजार

986. **श्री छीतू भाई गामीत :** क्या **नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान सुपर बाजार को कुल कितनी राशि का नियतन किया गया;

(ख) क्या सरकार और राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम ने सुपर बाजार के कार्यकरण की समीक्षा की है, और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) गत तीन वर्षों, अर्थात 1990-91, 1991-92 और 1992-93 के दौरान सुपर बाजार को 152.80 लाख रुपए की राशि निर्मुक्त की गई है।

(ख) और (ग) राष्ट्रीय सहकारिता विकास निगम का सुपर बाजार, दिल्ली के कार्यों से संबंध नहीं है, अतः उस संगठन द्वारा समीक्षा किए जाने का प्रश्न नहीं उठता है। सुपर बाजार के कार्यकरण की समीक्षा मंत्रालय द्वारा समय-समय पर विभिन्न स्तरों पर की जाती है। समीक्षा बैठकों के तत्काल बाद मंत्रालय सुपर बाजार को अपनी टिप्पणियां/निर्णय आवश्यक कार्रवाई प्रारंभ करने के लिए भेज देता है। मंत्री जी द्वारा ली गई पिछली समीक्षा बैठक में सुपर बाजार से अपने कार्यों में सुनियोजित ढंग से सुधार लाने तथा सुव्यवस्थित करने के लिए कहा गया है। सुपर बाजार से यह भी कहा गया है कि वह वस्तुओं की अधिप्राप्ति करने की अपनी प्रणाली में सुधार लाए, बिकने वाली वस्तुओं की खरीद को बंद करने के लिए कदम उठाए और ग्राहकों से सुझाव आमंत्रित करके उनका सक्रिय सहयोग लेने की प्रणाली शुरू करें। सुपर बाजार को यह भी निर्देश दिया गया है कि वह अपनी सभी शाखाओं में आर्थिक आत्मनिर्भरता प्राप्त करे और अलाभकारी शाखाओं को एक चरणबद्ध तरीके से बंद करने के लिए कदम उठाए।

पुरी से पोरबन्दर के लिए रेल सेवा

987. **श्री चन्द्रेश पटेल :** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पुरी से महात्मा गांधी के जन्म स्थान, पोरबन्दर के लिए एक रेलगाड़ी शुरू करने के लिए मांगें तथा अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(ग) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.सी. लेंका) : (क) से (ग) पुरी और पोरबंदर के बीच एक गाड़ी चलायी जाने के संबंध में कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं, मामले की जांच की गई थी, लेकिन परिचालनिक कठिनाइयों तथा संसाधनों की तंगी और यातायात औचित्य की कमी के कारण इसे व्यावहारिक नहीं पाया गया, तथापि, उड़ीसा और गुजरात के बीच एक साप्ताहिक गाड़ी अर्थात् 8401/8402 पुरी-ओखा एक्सप्रेस 14-11-93 से शुरू की गई है।

राजधानी एक्सप्रेस

988. **श्री अमर रायप्रधान** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तरी बंगाल, उत्तरी बिहार, पूर्वोत्तर क्षेत्र तथा गुवाहाटी के लिये राजधानी एक्सप्रेस रेलगाड़ियां शुरू करने की मांग लम्बे समय से विचाराधीन हैं;

(ख) यदि हां, तो कब से और इन क्षेत्रों के लिये इस प्रकार की रेलगाड़ियां अब तक उपलब्ध न कराने के क्या कारण हैं; और

(ग) ऐसी रेलगाड़ियां इन क्षेत्रों में कब तक शुरू की जायेंगी ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.सी. लेंका) : (क) से (ग) जुलाई, 1994 से लागू होने वाली समय सारणी में दिल्ली/नयी दिल्ली और गुवाहाटी के बीच सप्ताह में एक दिन चलने वाली राजधानी एक्सप्रेस आरंभ करने का प्रस्ताव है।

केन्द्रीय विद्यालय के कर्मचारियों द्वारा आंदोलन

989. **श्री मुहीराम सैकिया** :
डा. सुधीर राय :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 31 जनवरी, 1994 के "पायोनीयर" में "केन्द्रीय विद्यालय स्टाफ टू होल्ड रैली" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) यदि हां, तो मांगों का ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है, और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाने का विचार है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) जी, हां।

(ख) मांगें कर्मचारियों के स्थानान्तरण तथा पद स्थापना, रिक्त पदों को भरे जाने, कार्य-समय में कमी करने, कुछ वर्गों के कर्मचारियों की पदोन्नति, चिकित्सा सुविधाओं, स्टाफ क्वार्टरों के निर्माण, इत्यादि से सम्बंधित हैं।

(ग) केन्द्रीय विद्यालय संगठन सभी वास्तविक शिकायतों का उचित समाधान करने के लिए कर्मचारी संघों के साथ विचार-विमर्श करने के लिए सदैव तैयार है। वास्तव में केंद्रीय विद्यालय संगठन के आयुक्त, कर्मचारियों की मांगों/शिकायतों पर मान्यता प्राप्त कर्मचारी संघों से समय-समय पर विचार-

विमर्श करते आ रहे हैं। वर्तमान मांगों में से अधिकांश भी इससे पहले कर्मचारी संगठनों के साथ चर्चा की विषय रही है।

विद्युत इंजनों का रख-रखाव

990. **श्री वी. शोभनाद्रीश्वर राव :** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कई महत्वपूर्ण रेल लाइनों का विद्युतीकरण कार्य पूरा हो जाने से विद्युत इंजनों के रख-रखाव की मांग बढ़ गई है;

(ख) क्या विजयवाड़ा में, जो अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान पर स्थित है, कुछ और विद्युत इंजनों के रख-रखाव की मांग की गई है;

(ग) यदि हां, तो विजयवाड़ा स्थित इलेक्ट्रिक लोको शेड की वर्तमान क्षमता कितनी है;

(घ) क्या रेल विभाग की निकट भविष्य में इलेक्ट्रिक लोको शेड के विस्तार की योजना है, और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.सी. लेंका) : (क) जी, हां।

(ख) विद्युतीकरण कार्यों के पूरा हो जाने के कारण अपेक्षित अतिरिक्त बिजली रेल इंजनों का अनुरक्षण लालागुड़ा में बिजली रेल इंजन शेड का निर्माण कार्य पूरा हो जाने तक अस्थायी रूप से विजयवाड़ा में किया जा रहा है।

(ग) 100 रेल इंजन।

(घ) और (ङ) जी, नहीं। लालागुड़ा में बिजली रेल इंजन शेड का निर्माण कार्य प्रगति पर है तथा उसके पूरा हो जाने पर विजयवाड़ा में क्षमता से अधिक रखे गए रेल इंजनों को लालागुड़ा में भेज दिया जाएगा।

[हिन्दी]

उत्तर प्रदेश में रेलवे स्टेशनों का विस्तार

991. **श्री प्रभुदयाल कठेरिया :** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार को उत्तर प्रदेश में देहरादून और अन्य स्टेशनों का विस्तार करने हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है, और

(ख) इस संबंध में क्या कार्यवाही की जाएगी ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.सी. लेंका) : (क) जी, हां।

(ख) स्टेशनों पर मानदण्डों के अनुसार सुविधाएं मुहैया कराई जाती हैं, जो संभाले जा रहे यात्री यातायात की मात्रा पर निर्भर करता है। यातायात की मात्रा में हुई बढ़ोत्तरी के कारण उत्पन्न हुई कमियों का पता लगाने के लिए आवधिक सर्वेक्षण किए जाते हैं और चरणबद्ध आधार पर कमियां दूर करने के लिए प्रस्ताव तैयार किए जाते हैं, बशर्ते कि धन उपलब्ध हो, प्रस्ताव तैयार करते समय

विभिन्न निकायों से प्राप्त सुझावों पर यथोचित विचार किया जाता है। तदनुसार, चालू वर्ष के दौरान उत्तर प्रदेश राज्य के स्टेशनों के लिए अपेक्षित प्रस्ताव शामिल कर लिये गये हैं, जिसमें देहरादून रेलवे स्टेशन भी शामिल है, जहां अतिरिक्त प्रतीक्षालय की व्यवस्था करने संबंधी कार्य शुरू कर दिया गया है।

[अनुवाद]

डेयरी क्षेत्र का निजीकरण

992. **श्री शांताराम पोतदुखे :**
डा. डी. वेंकटेश्वर राव :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बहुराष्ट्रीय कंपनियों को देश में डेयरी एकक स्थापित करने की अनुमति देने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(ग) इस संबंध में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की क्यां प्रतिक्रिया है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविन्द नेताम) : (क) से (ग) डेयरी क्षेत्र में बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के प्रवेश पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है। तथापि 9 जून, 1992 को जारी किए गए दुग्ध तथा दुग्ध उत्पाद आदेश में यह व्यवस्था है कि 10,000 लीटर दुग्ध प्रतिदिन अथवा 500 टन प्रतिवर्ष से अधिक के दुग्ध उत्पादों का कारोबार करने वाली सहकारी समितियों के पंजीकरण में अधिमानता दी जाए। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड ने दुग्ध तथा दुग्ध उत्पाद आदेश की घोषणा का आमतौर पर स्वागत किया है।

[हिन्दी]

पनवल रेल लाइन का विस्तार

993. **श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटील :**
श्री गोविन्दराव निकम :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोंकण रेलवे द्वारा पनवल तक एक नई रेल लाइन का निर्माण कराया जा रहा है;

(ख) क्या मुम्बई और पुणे की बीच की दूरी कम करने हेतु इस रेल लाइन को पुणे तक बढ़ाने के लिये सरकार को कोई अनुरोध प्राप्त हुए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(घ) इस संबंध में सरकार ने क्या निर्णय लिया है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.सी. लेंका) : (क) और (ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता।

"सरदार सरोवर परियोजना"

994. **श्रीमती सरोज दुबे** : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय द्वारा उठाई गई आपत्ति के कारण सरदार सरोवर परियोजना (नर्मदा परियोजना) का कार्य स्थगित कर दिया गया था, और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

पुनर्गठित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत खाद्यान्नों की खरीद

995. **श्री मनोरंजन भक्त :**
डा. डी. वेंकटेश्वर राव :
श्री राम विलास पासवान :
श्री मोहन सिंह (देवरिया) :

क्या **नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वर्ष 1993-94 में संशोधित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत राज्यों द्वारा खाद्यान्न की खरीद में काफी कमी हुई है;

(ख) यदि हां, तो इस अवधि के दौरान खाद्यान्नों की खरीद में कितने प्रतिशत कमी हुई है, और

(ग) सरकार ने स्थिति में सुधार लाने के लिए क्या कार्यवाही की है ?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) से (ग) गत वर्ष की तुलना में अप्रैल-दिसंबर, 1993 के दौरान संपुष्ट सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत हर महीने उठाई जाने वाली खाद्यान्नों की औसत मात्रा में कुछ गिरावट (8.5 प्र.) आई है। प्राप्त सूचनाओं के अनुसार अप्रैल-दिसंबर, 1993 के दौरान खाद्यान्नों की हर महीने उठाई जाने वाली औसत मात्रा 1992-93 के 3.41 लाख मी. टन की तुलना में 3.12 लाख मी. टन आंकी गई है। केंद्रीय सरकार ने राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के मंत्रियों के साथ समीक्षा बैठकें की हैं और उन पर संपुष्ट सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत आने वाले क्षेत्रों को अधिक आवंटन करने की आवश्यकता पर बल दिया है, ताकि ऐसे क्षेत्रों में उठाई जाने वाली मात्रा में वृद्धि हो सके। राज्य सरकारें ऐसे क्षेत्रों में अधिक आवंटन करने पर सहमत हो गई हैं।

सरकार, संपुष्ट सार्वजनिक वितरण प्रणाली क्षेत्रों में खाद्यान्नों के आवंटन तथा उठाई जाने वाली मात्रा की मॉनीटरिंग कर रही है।

पाम आयल का आयात

996. **श्री बोल्ला बुल्ली रामय्या :**
श्री सुल्तान सलाऊद्दीन ओवेसी :
श्री एस.बी. सिदनाल :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड को शुल्क में अत्याधिक छूट की दर पर पामोलिन आयात करने की अनुमति दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उसके क्या कारण हैं;

(ग) इसका आयात कब तक किया जायेगा; और

(घ) सरकार द्वारा राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड में सुधार के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है ?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. कृष्ण कुमार) : (क) वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान खाद्य तेल का आयात करने के लिए राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड को कोई अनुमति नहीं दी गई है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

(घ) सरकार ने राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड अधिनियम, 1987 के प्रावधानों के अनुसार राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के बोर्ड का पुनर्गठन किया है तथा इस संबंध में अधिसूचना जारी की जा रही है।

सड़क तथा रेल सेवाओं के बीच बेहतर तालमेल

997. **श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद :**
श्री ताराचंद खण्डेलवाल :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे बोर्ड के चेयरमैन ने जनता को बेहतर और अधिक सक्षम सेवाएं प्रदान करने हेतु सड़क तथा रेल परिवहन के बीच बेहतर तालमेल बैठाने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या रेल सेवाओं में विभिन्न सुधारों पर चर्चा करने हेतु नई दि ल्ली में प्रबंधन और नीति अध्ययन पर एक गोष्ठी आयोजित की गई थी;

(ग) यदि हां, तो गोष्ठी में हुई चर्चा का ब्यौरा क्या है, और

(घ) इसके क्या निष्कर्ष निकले ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.सी. लेंका) : (क) और (ख) इन्टरनेशनल यूनियन आफ रेलवेज़ के तत्वावधान में जनवरी 94 में नई दिल्ली में एक अन्तर्राष्ट्रीय गोष्ठी आयोजित की गई थी, इसका मुख्य विषय था "राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में रेलों का महत्व"। इस गोष्ठी के दौरान अध्यक्ष, रेलवे बोर्ड ने कार्य कुशलता तथा ग्राहक सेवा में सुधार लाने और परिसम्पतियों का इष्टतम उपयोग करने जैसी कुछ नीतियों का प्रतिपादन करते हुए, अपने महत्वपूर्ण भाषण में सड़क और रेल परिवहन के बीच बेहतर तालमेल का आवाह्न किया।

(ग) इस अन्तर्राष्ट्रीय गोष्ठी में चर्चा राष्ट्रों की अर्थव्यवस्था में रेलों के महत्व पर संकेन्द्रित रही, रेलों के कार्यनिष्पादन में सुधार लाने के लिए विभिन्न रणनीतियों पर चर्चा हुई, परिवहन सेवाओं में सुधार लाने के लिए, एक प्रमुख नीति के रूप में, परिवहन के विभिन्न साधनों के बीच सहयोग का प्रस्ताव किया गया।

(घ) गोष्ठी में अविनियमन, व्यापार के अन्तर्राष्ट्रीयकरण और सरकार से वित्तीय समर्थन में सामान्य कटौती के चलते रेलों की वित्तीय अर्थक्षमता के महत्व पर प्रकाश डाला गया। इसमें भाग लेने वालों को उन नये-नये विचारों की जानकारी दी गई, जिन्हें अन्य रेल प्रणालियों में अमल लाया जा रहा है।

लेवी चीनी का कोटा

998. **श्री अरविन्द त्रिवेदी :**
श्री शिवराज सिंह चौहान :
श्री एस.एन. वेकारिया :

क्या **खाद्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश, गुजरात और अन्य राज्यों ने 1991 की जनगणना की जनसंख्या के आधार पर चीनी का कोटा बढ़ाने की मांग की है; और

(ख) यदि हां, तो 1986 से 1991 के बीच बढ़ी जनसंख्या के लिए चीनी का कोटा कब तक जारी कर दिया जायेगा ?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) मध्य प्रदेश और गुजरात राज्यों ने हाल ही में 1991 की जनगणना की जनसंख्या के आधार पर चीनी का कोटा बढ़ाने की मांग नहीं की है। तथापि, कुछ अन्य राज्यों द्वारा 1991 की जनगणना की जनसंख्या के आधार पर चीनी का कोटा बढ़ाए जाने की मांग की गई है।

(ख) चीनी के उत्पादन में कमी और देश में चीनी की सीमित उपलब्धता को देखते हुए 1986 से 1991 के बीच बढ़ी हुई जनसंख्या के लिए चीनी का कोटा बढ़ाने का इस समय कोई प्रस्ताव नहीं है।

सवारी डिब्बा निर्माण एकक

999. **श्री रमेश चेन्नित्तला : क्या रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय फैक्ट्रीवार सवारी-डिब्बे बनाने की कुल क्षमता कितनी-कितनी है;

(ख) क्या वर्तमान क्षमता में वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव है, और

(ग) क्या आठवीं योजनावधि के दौरान सवारी डिब्बा निर्माण करने की नई फैक्ट्ररी स्थापित का कोई प्रस्ताव है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.सी. लेंका) : (क) देश में सवारी डिब्बा कारखानों की मौजूदा संस्थापित विनिर्माण क्षमता इस प्रकार है :

रेलवे क्षेत्र

1.	रेल कोच फैक्टरी	1000
2.	सवारी डिब्बा कारखाना	1000 (बिजली गाड़ी सहित)

सार्वजनिक क्षेत्र

1.	भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड	400
2.	जैस्सप्स एंड कंपनी लिमिटेड	180 मी. ला. सवारी डिब्बे 72 बिजली गाड़ियां

(ख) और (ग) जी, नहीं।

''महाराष्ट्र की पर्यावरणीय परियोजनाएं''

1001. **श्री प्रकाश वी. पाटील** : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र में केंद्रीय तथा विदेशी सहायता से शुरू की जा रही पर्यावरणीय परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) अब तक परियोजनावार कितनी सहायता राशि प्राप्त की गई है तथा उनमें कितनी प्रगति हुई है, और

(ग) निकट भविष्य में राज्य में केन्द्रीय तथा विदेशी सहायता से शुरू की जाने वाली परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) और (ख) केन्द्रीय और विदेशी सहायता से महाराष्ट्र में आरम्भ की जा रही पर्यावरणीय परियोजनाओं की एक सूची, जिसमें उनके ब्यौरों सहित प्राप्त सहायता तथा प्रगति भी दर्शायी गई है, विवरण-I में दी गई है।

(ख) केन्द्रीय और विदेशी सहायता से महाराष्ट्र में निकट भविष्य में आरंभ की जाने वाली प्रस्तावित परियोजनाओं की सूची विवरण-II में दी गई है।

विवरण-I

केन्द्रीय और विदेशी सहायता से महाराष्ट्र में आरंभ की जा रही पर्यावरणीय परियोजनाओं की एक सूची, जिसमें प्राप्त सहायता तथा अब तक की गई प्रगति सहित उनके ब्यौरे दिए गए हैं

1. **महाराष्ट्र में लघु उद्योगों के समूह के लिए सामूहिक बहिस्राव शोधन संयंत्रों के निर्माण को बढ़ावा देने के लिए स्कीम :**

इस स्कीम के तहत, सामूहिक बहिस्राव शोधन संयंत्र लगाने के लिए पूंजीगत लागत के लिए केन्द्रीय सहायता उपलब्ध कराए जाने पर सहमति हुई थी। सामूहिक बहिस्राव शोधन संयंत्र के लिए केन्द्रीय सहायता कुल लागत का 25 प्रतिशत अथवा 50 लाख रुपए तक जो भी कम हो, दिया जाता है बशर्ते कि राज्य सरकार भी इतनी राशि का अंशदान करे। राज्य के लिए सामूहिक बहिस्राव शोधन संयंत्र के 8 प्रस्ताव स्वीकृत किए गए हैं। कुल 214.07 लाख रुपए की स्वीकृत राशि में से अब तक 88.00 लाख रुपए की राशि आबंटित की गई है।

2. **औद्योगिक प्रदूषण नियंत्रण परियोजना :**

यह विश्व बैंक से सहायता प्राप्त परियोजना है। इस परियोजना के तहत महाराष्ट्र राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को सिविल निर्माण कार्य के लिए 1992-93 में 60.19 लाख रुपए की धनराशि दी गई है। इसके अतिरिक्त, राज्य में दो सामूहिक बहिस्राव संयंत्रों के निर्माणों के लिए 1993-94 में 50.00 लाख रुपए की धनराशि दी गई।

विवरण-II

महाराष्ट्र में निकट भविष्य में केन्द्रीय और विदेशी सहायता से आरम्भ की जाने वाली परियोजनाओं का विवरण

1. **बम्बई मलजल निपटान परियोजना :**

बम्बई मलजल निपटान परियोजना में, अन्य बातों के साथ-साथ, लवग्रोव (वर्ली) और बान्द्रा में दो मेरिन आउटफॉल और बान्द्रा में पम्पिंग स्टेशन को पूरा करने के कार्य को शामिल करने की योजना बनाई गई है, जिसका उद्देश्य महानगरीय बहिस्राव को समुद्र तटीय जल में फेंकने से उत्पन्न होने वाले पर्यावरणीय प्रभाव को सुधारना है। बम्बई मलजल निपटान परियोजना के लिए विश्व बैंक से सहायता मांगी जा रही है।

2. **महाराष्ट्र के गोदावरी और कृष्णा नदी के भागों के प्रदूषण का उपशमन :**

गोदावरी और कृष्णा नदियों के कतिपय भागों को प्रदूषित पाया गया है। इन्हें राष्ट्रीय नदी कार्ययोजना में शामिल किया गया है। इन नदियों के प्रदूषण उपशमन के लिए महाराष्ट्र राज्य सरकार से विशिष्ट प्रस्ताव तैयार करने का अनुरोध किया गया है।

नई रेल लाइनों को बिछाना

1002. **श्री गोपीनाथ गजपति : क्या रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का प्रस्ताव उड़ीसा के गंजम जिले में जगन्नाथपुर से फूलबनी बरास्ता अस्का के बीच नई लाइनों को बिछाने का है, और

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव का कार्यान्वयन किस वर्ष में किया जाएगा ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.सी. लेंका) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

रेलवे स्टेशन का विद्युतीकरण

1003. **श्री राजवीर सिंह : क्या रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1993 के दौरान राज्यवार कितने रेलवे स्टेशनों का विद्युतीकरण किया गया और वहां विद्युत इंजन चालित कितनी गाड़ियां चलायी गईं;

(ख) उक्त अवधि के दौरान इस कार्य पर कितनी धनराशि व्यय की गई; और

(ग) कितने स्टेशनों पर विद्युतीकरण का कार्य चल रहा है और यह कार्य कब तक पूरा हो जाएगा ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.सी. लेंका) : (क) ब्यौरा नीचे दिया गया है :

राज्य	1993 के दौरान विद्युतीकृत खंडों की संख्या
मध्य प्रदेश	2
आन्ध्र प्रदेश	1
बिहार	1
गुजरात	1
दिल्ली	1
जोड़	6

1993 के दौरान बिजली रेल इंजनों से चलने वाली दस जोड़ी मेल/एक्सप्रेस और कई मालगाड़ियां चलाई गई थीं।

(ख) उक्त अवधि के दौरान विद्युतीकरण संबंधी कार्यों पर लगभग 235.00 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं।

(ग) उन्नीस खंड इन सभी कार्यों को मार्च, 1998 तक पूरा करने की योजना है, बशर्ते कि संसाधन उपलब्ध हों।

[अनुवाद]

1004. **प्रो. राम कापसे :** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रेलवे का चुनिंदा मार्गों पर डीजल कार और रेल बस सेवायें चलाने का प्रस्ताव है, और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उन्हें कब से चलाया जायेगा ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.सी. लेंका) : (क) जी, हां।

(ख) ब.ला. की पांच प्रोटोटाइप रेल बसों के लिये दिये आर्डरों में से, पहली यूनिट की सप्लाई शीघ्र ही किए जाने की आशा है। क्षेत्र परीक्षण सफलतापूर्वक पूरा हो जाने के बाद ऐसी सेवाओं का और अधिक विस्तार करने के बारे में विचार किया जाएगा।

आन्ध्र प्रदेश डेयरी विकास निगम लिमिटेड

1005. **श्री दत्तात्रेय बंडारू :** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आन्ध्र प्रदेश डेयरी विकास निगम लिमिटेड ने राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड से कार्यकारी पूंजी की सहायता पाने हेतु कोई प्रस्ताव केन्द्र सरकार के पास भेजा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और कितनी सहायता मांगी गई है, और

(ग) केन्द्र सरकार ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविन्द नेताम) : (क) राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड से कार्यशील पूंजी के वित्तपोषण के लिए आन्ध्र प्रदेश सहकारी डेयरी विकास संघ लिमिटेड का कोई नया प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है। वास्तव में एक सीमित अवधि के लिए शुरू की गई राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की कार्यशील पूंजी योजना, लेनदारों को एक दीर्घावधि का नोटिस देने के बाद 1-4-1992 से समाप्त कर दी गई है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

गुजरात में डेयरी विकास

1006. **श्री काशीराम राणा :** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड निजी तथा सहकारी दोनों क्षेत्रों में डेयरी विकास के लिये कोई सहायता देता है, और

(ख) यदि हां, तो 1992-93 तथा 1993-94 के दौरान गुजरात को कितनी सहायता दी गई ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविन्द नेताम) : (क) राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड, आपरेशन फ्लड कार्यक्रम के अंतर्गत सहकारी डेयरी समितियों के वित्तीय सहायता प्रदान करता है। निजी डेयरियों को इस प्रकार की कोई सहायता प्रदान नहीं की जाती।

(ख) राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड द्वारा 1992-93 तथा 1993-94 के दौरान आपरेशन फ़्लड के अंतर्गत गुजरात में सहकारी समिति को संवितरित निधियां इस प्रकार हैं :

1992-93	3479.42 लाख रुपये
1993-94 (जनवरी 1994 तक)	8872.38 लाख रुपये

[हिन्दी]

वातानुकूलित द्वितीय श्रेणी के सवारी डिब्बे

1007. **डा. परशुराम गंगवार** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मरुधर और नैनीताल एक्सप्रेस गाड़ियों में वातानुकूलित द्वितीय श्रेणी के सवारी डिब्बे प्रतिदिन नहीं लगाए जाते हैं, और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.सी. लेंका) : (क) और (ख) मरुधर और नैनीताल दोनों एक्सप्रेस गाड़ियों में दूसरे दर्जे के वातानुकूल शयनयान रोजाना चलाये जाते हैं, लेकिन, हाल ही में वातानुकूल सवारी डिब्बों के दुर्घटना में क्षतिग्रस्त हो जाने के कारण अप्रत्याशित कमी की वजह से विगत में कुछ दिन इन्हें नहीं लगाया जा सका। बहरहाल, अब दोनों गाड़ियों में वातानुकूल 2-टियर शयनयान नियमित रूप से लगाया जा रहा है।

[अनुवाद]

माध्यमिक शिक्षा का व्यावसायीकरण

1008. **श्री अर्जुन चरण सेठी** : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ राज्यों में माध्यमिक शिक्षा का व्यावसायीकरण असफल रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस कार्यक्रम पर प्रतिवर्ष अत्यधिक धन खर्च किए जाने के बावजूद सरकार का इसकी असफलता के कारणों की पुनरीक्षा का विचार है; और

(ग) सरकार का विशेष रूप से उन राज्यों में इसके सुधार के लिए क्या विशेष कदम उठाने का विचार है, जहां यह प्रक्रिया सफल नहीं हो पाई है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उपमंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) से (ग) यद्यपि यह सच है कि कुछ राज्यों को अभी भी अपनी उपलब्धियों को आगे बढ़ाना है, तथापि इसे असफलता समझना गलत होगा।

इस योजना के कार्यान्वयन में और सुधार लाने के लिए संभावित नियोक्ताओं के सहयोग से रोजगारोन्मुखी पाठ्यक्रमों को शुरू करने, व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त विद्यार्थियों को रोजगार के पात्र बनाने के लिए भर्ती नियमावली की समीक्षा करने और संशोधन करने तथा व्यावसायिक पाठ्यक्रमों को प्रशिक्षुता अधिनियम के अंतर्गत लाने आदि अनेक कदम उठाए गए हैं।

जिन राज्यों में योजना के कार्यान्वयन में त्रुटियां पाई गई हैं, वहां विशेष ध्यान दिया जा रहा है।

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम

1009. **श्री सी.पी. मुदाल गिरियप्पा :**
श्री मोहन रावले :

क्या **नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के अध्यक्ष की अध्यक्षता में राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोगों के अध्यक्षों और सदस्यों का राष्ट्रीय सम्मेलन जनवरी, 1994 के अन्तिम सप्ताह के दौरान नई दिल्ली में आयोजित किया गया था;

(ख) यदि हां, तो उसमें क्या सिफारिशें की गयी थीं;

(ग) इस पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 1986 को उपभोक्ताओं के और अनुकूल तथा प्रभावी बनाने के लिए इसमें और संशोधन करने का है, और

(ङ) यदि हां, तो प्रस्तावित संशोधनों के उद्देश्य क्या हैं ?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) से (ग) जी, हां। राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के अध्यक्ष द्वारा उपभोक्ता न्यायालयों में लम्बित पड़े मामलों तथा उपभोक्ता न्यायालयों के सुचारु रूप से कार्य करने में बाधक पहलुओं से संबंधित मामलों पर विचार-विमर्श करने के लिए राज्य आयोगों के अध्यक्षों एवं सदस्यों और राज्य नागरिक आपूर्ति विभागों के सचिवों की जनवरी, 1994 में एक बैठक बुलाई गई थी। राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के अध्यक्ष ने राज्य आयोगों के अध्यक्षों को सलाह दी कि वे लम्बित पड़े मामलों को निपटाने के लिए तत्काल कदम उठाएं और मामलों को बार-बार स्थगित न करें। राज्य सरकारों के प्रतिनिधियों को यह सुनिश्चत करने की सलाह दी गई कि वे प्रशिक्षित कर्मचारियों को तैनात करें और अन्य आधार-ढांचे सम्बन्धी सुविधाएं मुहैया कराएं। उन्हें, उपभोक्ता न्यायालयों द्वारा मामलों के निपटान को मॉनीटर करने के लिए भी कहा गया। केन्द्रीय

सरकार महसूस करती है और ऐसी कारगर मॉनीटरिंग से निपटान की गति में सुधार लाने में सहायता मिलेगी।

(घ) जी, नहीं। इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

चीनी मिलों का आधुनिकीकरण

1010. **श्री गया प्रसाद कोरी :** क्या **खाद्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को 1993-94 के दौरान उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम से इसके तीन एककों (सहारनपुर, रोहन कलां और बुलन्दशहर) के आधुनिकीकरण के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार ने उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम के लिए जिस धनराशि का आवंटन किया था, वह अभी तक नहीं दी गई है, और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) और (ख) आधुनिकीकरण/पुनर्स्थापन के लिए चीनी विकास निधि से ऋण मंजूर करने के लिए उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम लिमिटेड के तीन यूनिटों के संबंध में प्राप्त आवेदन पत्रों का ब्यौरा निम्नानुसार है :

यूनिट का नाम	आवेदन पत्र की तारीख	चीनी विकास निधि से ऋण की राशि (लाख रुपये में)/ मंजूरी की तारीख
सहारनपुर	1-3-1990	648.94/ 28-10-91
रोहना कलां	12-6-1990	663.28/ 28-10-91
बुलन्दशहर	7-6-1991	812.00/ 30-3-92

(ग) और (घ) चीनी विकास निधि नियमों के अनुसार चीनी विकास निधि से ऋण तब तक रिलीज नहीं किया जा सकता है, जब तक कि ऋण लेने वाला चीनी प्रतिष्ठान चीनी विकास निधि और लेवी चीनी मूल्य समीकरण निधि से संबंधित सरकार की सभी बकाया राशि अदा नहीं कर देता

है। निगम की इन तीन यूनिटों के प्रति लेवी चीनी मूल्य समीकरण निधि से संबंधित काफी अधिक राशि बकाया थी। तथापि, उत्तर प्रदेश राज्य चीनी निगम लिमिटेड के अनुरोध पर बुलन्दशहर और सहारनपुर की यूनिटों को 1990-91 और 1991-92 के मौसमों के लिए निगम के विभिन्न यूनिटों को देय लेवी चीनी के अन्तर मूल्य की राशि रोकने के बाद ऋण की पहली किस्त रिलीज कर दी गई है। चूंकि निगम की विभिन्न यूनिटों को देय लेवी के अन्तर मूल्य की राशि में बुलन्दशहर और सहारनपुर के यूनिटों के संबंध में लेवी चीनी मूल्य समीकरण निधि की बकाया राशि ही शामिल है, इसलिए रोहनाकलां यूनिट को ऋण रिलीज नहीं किया जा सका। बुलन्दशहर और सहारनपुर यूनिटों को ऋण की दूसरी किस्त पहली किस्त के लिए उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त होने पर ही रिलीज की जाएगी।

[अनुवाद]

''विलुप्तप्राय पादप प्रजातियों संबंधी रिपोर्ट''

1011. **श्री श्रवण कुमार पटेल** : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 24 जनवरी, 1994 के स्टेट्समैन में ''वायोटेक हिट्स प्लांट स्पेशीज'' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकर्षित किया गया है;

(ख) क्या उनके मंत्रालय ने विलुप्तप्राय प्रजातियों संबंधी पर्यावरणीय कार्यक्रम रिपोर्ट तैयार की है;

(ग) यदि हां, तो उक्त रिपोर्ट की मुख्य बातें क्या हैं, और

(घ) विलुप्तप्रायः प्रजातियों की सुरक्षा तथा उनके संरक्षण के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) पर्यावरण कार्यवाही कार्यक्रम संबंधित मंत्रालयों, राष्ट्रीय अनुसंधान संस्थाओं विशेषज्ञों, गैर-सरकारी संगठनों, आदि से व्यापक परामर्श करने के बाद पर्यावरण और वन मंत्रालय द्वारा तैयार किया गया है। पर्यावरण कार्यवाही कार्यक्रम का उद्देश्य बदलती आर्थिक नीतियों और कार्यक्रमों के संदर्भ में भारत में पर्यावरणीय परिदृश्य का मूल्यांकन करना तथा देश के पर्यावरण की बेहतर सुरक्षा और आर्थिक विकास के साथ पर्यावरणीय सरोकारों का तालमेल बिठाने के उद्देश्य से इन नीतियों एवं कार्यक्रमों की समीक्षा करना है। पर्यावरण कार्यवाही कार्यक्रम में अभिनिर्धारित प्राथमिक क्षेत्र विवरण में दिए गए हैं।

(घ) विभिन्न संस्थाओं और सांविधिक उपबंधों के जरिए वनस्पतियों और जीवजन्तु की संकटापन्न प्रजातियों की सुरक्षा एवं परिरक्षण के लिए निम्नलिखित कार्रवाई की गई है :

1. 75 राष्ट्रीय उद्यानों और 421 वन्यजीव अभयारण्यों वाले सुरक्षित क्षेत्र नेटवर्क के जरिए जैविक विविधता का स्वस्थाने संरक्षण;

2. वनस्पति उद्यानों और प्राणी उद्यानों में वनस्पति और जीवजन्तुओं की संकटापन्न प्रजातियों का स्थान बाह्य संरक्षण;

3. वनस्पति, जीवजन्तु और मत्स्य आनुवंशिक संसाधनों के जरिए घरेलू वनस्पतियों और जीवजन्तुओं का संरक्षण;

4. वनस्पतियों, जीवजन्तुओं का क्रमशः भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण तथा भारतीयं प्राणी सर्वेक्षण के माध्यम से सर्वेक्षण, अभिनिर्धारण एवं निगरानी;

5. भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा संसाधनों का सर्वेक्षण किया जाता है;

6. कच्छ वनस्पतियों और नमभूमियों के संरक्षण की विशेष स्कीमें;

7. संकटापन्न प्रजातियों के अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार कन्वेंशन के अन्तर्गत वनस्पतियों और जीव-जन्तुओं की संकटापन्न प्रजातियों के व्यापार और वाणिज्य का नियमन एवं निषेध।

विवरण

पर्यावरण कार्यवाही कार्यक्रम में अभिनिर्धारित प्राथमिकता वाले क्षेत्र

1. वनों, कच्छ वनस्पतियों, नमभूमियों, मूंगे की चट्टानों, पर्वत पारि-प्रणालियों सहित चुनी हुई पारि-प्रणालियों में जैव-विविधता का संरक्षण और इष्टतम उपयोग;

2. वनीकरण, परती भूमि विकास और मृदा तथा नमी का संरक्षण तथा यह सुनिश्चित करना कि जल संसाधन प्रदूषित न हों;

3. अपशिष्टों, विशेषकर परिसंकटमय अपशिष्टों में कमी तथा/या उनके प्रबंधन को महत्व देते हुए औद्योगिक तथा उससे संबंधित प्रदूषण का नियंत्रण;

4. स्वच्छ प्रौद्योगिकी तक पहुंच आसान बनाना;

5. शहरी पर्यावरणीय मामलों को हल करना;

6. पर्यावरण मामलों का वैज्ञानिक जानकारी बढ़ाना तथा विभिन्न स्तरों पर प्रशिक्षण, अनुकूलन तथा पर्यावरणीय जागरूकता उत्पन्न करना, संसाधन मूल्यांकन करना, प्रबंध समस्याएं आदि सुलझाना, तथा

7. एक वैकल्पिक ऊर्जा योजना।

ट्रैवलर्स सर्विस एजेंट्स

1012. **श्री भीम सिंह पटेल** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस समय प्रत्येक जोन में रेल ट्रैवलर्स सर्विस एजेन्ट्स को प्राधिकृत करने के कई प्रस्ताव लंबित पड़े हैं, और

(ख) इन प्रस्तावों को शीघ्र स्वीकृति देने हेतु सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.सी. लेंका) : (क) जी, हां। चार क्षेत्रीय रेलों पर।

(ख) उनके शीघ्र निपटान के लिए पहले ही कार्रवाई शुरू कर दी गई है।

[हिन्दी]

बिहार में गेज परिवर्तन

1013. **श्री सूर्य नारायण यादव :** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 1994-95 के दौरान बिहार में मीटर गेज लाइनों को बड़ी लाइनों में परिवर्तित किये जाने का कोई प्रस्ताव है, और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (के.सी. लेंका) : (क) जी, हां।

(ख) नीचे दिए खंडों पर काम चल रहा है, काम पूरा होने की लक्ष्य तिथि प्रत्येक के सामने दिखाई गई है :

1.	मुजफ्फरपुर-रक्सौल	–	1994-95
2.	समस्तीपुर-दरभंगा	–	1995-96
3.	छपरा-औंडिहार	–	1995-96

[अनुवाद]

चीनी निर्गम नीति

1014. **श्री के. प्रधानी :** क्या **खाद्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की चीनी निर्गम नीति ने चीनी उद्योग के भविष्य के लिए समस्या उत्पन्न कर दी है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा अपनी चीनी निर्गम नीति की समीक्षा करने और सामान्य प्रथा चालू रखना सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं, और

(ग) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) चीनी निर्गम नीति ने खुले बाजार में चीनी की कीमतें उचित स्तर पर बनाए रखने में मदद की है।

आवश्यक वस्तुओं के मूल्य

1015. **डा. डी. वेंकटेश्वर राव :**
श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी :

क्या **नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने दलहन, चीनी तथा खाद्य तेलों के मूल्य में वृद्धि से चिंतित होकर वाणिज्य मंत्रालय से इन वस्तुओं का निर्यात रोकने अथवा कम करने को कहा है;

(ख) यदि हां, तो वाणिज्य मंत्रालय उनके मंत्रालय के प्रस्ताव से कहां तक सहमत हुआ है, और

(ग) मूल्यों को स्थिर रखने के लिए अन्य क्या कदम उठाने का विचार है ?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वाणिज्य मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) से (ग) चावल, गेहूं, चीनी, खाद्य तेलों, चाय इत्यादि जैसी आवश्यक वस्तुओं की मांग और आपूर्ति के प्रबंध से संबंधित नियमित कार्यवाही के एक भाग के रूप में नागरिक पूर्ति मंत्रालय द्वारा अन्य मंत्रालयों एवं विभागों से परामर्श किया जाता है। ऐसे ही परामर्श वाणिज्य मंत्रालय के साथ किए गए थे, जो कि सभी वस्तुओं के आयात और निर्यात के लिए केंद्रक मंत्रालय है। आवश्यक वस्तुओं के निर्यात के संबंध में निर्णय, घरेलू मांग और आपूर्ति तथा साथ ही उससे खुले बाजार मूल्यों पर पड़ने वाले प्रभाव को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। मूल्यों को स्थिर रखने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कुछ महत्वपूर्ण कदम इस प्रकार हैं : नागरिक पूर्ति मंत्रालय के अंतर्मंत्रालयिक समिति, मूल्य संबंधी मंत्रिमंडल समिति, आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों की परिवीक्षा हेतु सचिवों की एक विशेष कार्य समिति द्वारा आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति एवं मूल्यों की नियमित आधार पर परिवीक्षा/करना; तिलहनों तथा तेलों के उत्पादकों, विनिर्माताओं एवं व्यापारियों की स्टॉक जमा करने की सीमा में 50 प्रतिशत की कमी लाना; जमाखोरों, कालाबाजारियों तथा अनुचित व्यापारिक व्यवहारों इत्यादि में लिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई में तेजी लाना; पामोलीन का आयात क़रना एवं सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मजबूत बनाना।

पूर्व रेलवे में लाइनों का दोहरीकरण

1016. **डा. असीम बाला :** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्व रेलवे के सियालदाह बोंगांव रेल लाइन के दोहरीकरण का कार्य चल रहा है, और

(ख) यदि हां, तो इसे कब तक पूरा कर लिया जाएगा ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.सी. लेंका) : (क) जी, हां।

(ख) दोहरी लाइन बिछाने से संबंधित कार्यों की स्थिति इस प्रकार है :

1. सियालदह और बारासात के बीच पहले ही दोहरी लाइन मौजूद है।

2. बारासात और दन्तपुकुर (7.69कि.मी.) के बीच दोहरी लाइन बिछाने का कार्य पूरा हो चुका है तथा यह लाइन 24-3-93 को यातायात के लिए खोल दी गई थी।

3. दन्तपुकुर से हाबरा (14.49 कि.मी.) तक दोहरी लाइन बिछाने का कार्य वर्ष 1994-95 में पूरा कर लिया जाएगा।

4. हाबरा से बोंगांव के बीच दोहरी लाइन बिछाने का कार्य अभी स्वीकृत नहीं किया गया है।

[हिन्दी]

मॉडल स्कूल

1017. **श्री सुरेशानन्द स्वामी :** क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विशेषतः उत्तर प्रदेश में स्थानवार कितने मॉडल स्कूल हैं;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार ने गत तीन वर्षों के दौरान इन स्कूलों के लिए कोई धनराशि नियत की है, और

(ग) इन स्कूलों को और अधिक सार्थक बनाने हेतु सरकार द्वारा उठाए गये प्रभावी कदमों का ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उपमंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) से (ग) राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 में 'मॉडल स्कूलों' का विशेष रूप से कोई उल्लेख नहीं है। तथापि दिल्ली प्रशासन और राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद द्वारा दी गई सूचना के अनुसार केवल संघ शासित क्षेत्र दिल्ली में ही 'संयुक्त मॉडल स्कूल' के नाम से 250 स्कूल स्थापित किए गए हैं। देश के किसी और राज्य या संघ शासित क्षेत्र में ये स्कूल स्थापित नहीं किए गए हैं। दिल्ली प्रशासन द्वारा नियंत्रित और अनुरिक्षत ये स्कूल भारत सरकार द्वारा वित्तपोषित नहीं हैं। यद्यपि दिल्ली प्रशासन द्वारा चलाए जा रहे अन्य स्कूल कक्षा VI से आरंभ होते हैं, लेकिन 'संयुक्त मॉडल स्कूल' पूर्व-प्राथमिक/प्राथमिक स्तर से आरंभ होते हैं। छोटे बच्चों के प्रयोग के लिए झूले तथा अन्य वस्तुओं की खरीद के लिए दिल्ली प्रशासन द्वारा 'संयुक्त मॉडल स्कूलों' को अतिरिक्त धनराशि संस्वीकृत की जाती है। प्रशासन ने इन स्कूलों में 'हॉबी टीचर' का एक पद तथा "आया" का एक पद भी संस्वीकृत किया है।

[अनुवाद]

टेलीफोन पर आरक्षण सुविधा

1018. **श्री राजनाथ सोनकर शास्त्री : क्या रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्टेशनों पर टेलीफोन द्वारा आरक्षण सुनिश्चित करने संबंधी रेलवे पूछताछ का कार्य संतोषजनक है, और

(ख) यदि नहीं, तो इस सेवा को सुधारने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाएंगे?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.सी. लेंका) : (क) इस संबंध में कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं।

(ख) प्रणाली में और सुधार करने के लिए कई उपाय किए गए हैं, जिनमें अतिरिक्त टेलीफोन लाइनों की व्यवस्था करना, पर्यवेक्षकों और अधिकारियों द्वारा नजर रखना और गलती करने वाले कर्मचारियों के विरुद्ध कार्रवाई करना शामिल हैं।

[हिन्दी]

गझांडी और गुरपा में उपरिपुल

1019. **श्री भुवनेश्वर प्रसाद मेहता : क्या रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार पूर्व रेलवे में गझांडी और गुरपा में, उपरिपुलों का निर्माण करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(ग) यदि नहीं, तो तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.सी. लेंका) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) रेलवे केवल उन्हीं उपरि पुलों का कार्यक्रम बनाती हैं, जिनके लिए संबंधित राज्य सरकार द्वारा लागत वहन करने की विधिवत् सहमति के साथ नियमानुसार ठोस प्रस्ताव प्रस्तुत किए जाते हैं।

[अनुवाद]

सबके लिए शिक्षा पर राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद के कार्यक्रम

1020. **श्री सनत कुमार मंडल : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एन.सी.ई.आर.टी. इस सदी के अंत तक सबके लिए शिक्षा उपलब्ध कराने हेतु देश के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए प्रारम्भिक शिक्षा पर कुछ उपयुक्त कार्यक्रम तैयार कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो बच्चों को बचपन में उत्तम शिक्षा देने के उद्देश्य से एन.सी.ई.आर.टी. द्वारा तैयार किए गये कार्यक्रमों की मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ग) क्या एन.सी.ई.आर.टी. की किसी कार्यक्रम सलाहकार समिति को यह कार्य सौंपा गया है, और

(घ) यदि हां, तो इस समिति में कौन-कौन से सदस्य हैं, और इसके निदेश पद क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उपमंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) रा.शै.अनु. व प्र. परिषद्, प्रारम्भिक शिक्षा के क्षेत्र में विभिन्न कार्यक्रम चला रही है, ताकि 21वीं सदी में सभी के लिए शिक्षा के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके :

1. प्रारम्भिक बाल्यावस्था शिक्षा कार्यक्रम को मजबूत बनाना।
2. बच्चों की उपलब्धि के स्तरों के सुधार तथा प्राथमिक स्कूल शिक्षकों के प्रारम्भिक प्रशिक्षण के लिए अनुदेशात्मक सामग्री का विकास।
3. जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के लिए चयनित राज्यों की शैक्षिक सहायता प्रदान करना।
4. जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के हिस्से के रूप में पाठ्यपुस्तकों को तैयार करने, उनके उत्पादन तथा वितरण, लाभग्राही मूलभूत मूल्यांकन, शिक्षक प्रोत्साहन, शिक्षक प्रशिक्षण तथा लैंगिक एवं जनजातीय शिक्षा विषयों पर अध्ययन करना।
5. दिल्ली में "सभी के लिए शिक्षा" परियोजना तथा छः राज्यों में मानव संसाधन विकास के लिए क्षेत्र आधारित गहन शिक्षा परियोजना का अनुवीक्षण करना।

(ख) रा.शै.अनु. व प्र. परिषद् के इन कार्यक्रमों की मुख्य विशेषताएं ये हैं :

1. छोटे बच्चों के लिए प्रेरक वातावरण बनाने की जरूरत तथा उपायों के संबंध में अभिभावकों तथा समुदाय में जागरूकता लाना।
2. स्कूल-पूर्व प्रवेश के लिए टैस्ट तथा साक्षात्कार को समाप्त करने तथा प्रारम्भिक बाल्यावस्था तथा प्रारम्भिक प्राथमिक कक्षाओं के लिए खेल-खेल की पद्धति तथा कार्यात्मक दृष्किोण अपनाने की आवश्यकता का प्रचार करना।
3. प्रारम्भिक बाल्यावस्था कार्यक्रमों में प्रयुक्त होने वाली सामग्री जिसमें "मिनियम स्पेसिफिकेशन फार प्री-स्कूल" नाम दस्तावेज भी शामिल है, का विकास करना।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

जनता एक्सप्रेस के लिए वातानुकूलित डिब्बे

1021. **श्री नारायण सिंह चौधरी : क्या रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार जनता एक्सप्रेस में प्रथम और द्वितीय श्रेणी के वातानुकूलित डिब्बे लगाने का है, और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.सी. लेंका) : (क) जी, नहीं।

(ख) जनता एक्सप्रेस गाड़ियों में केवल स्लीपर क्लास और साधारण दूसरे दर्जे के सवारी डिब्बों की व्यवस्था की जाती है।

दुग्ध पाउडर संयंत्र

1022. **श्री अन्ना जोशी :**
डा. लाल बहादुर रावल :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या महाराष्ट्र सरकार ने राज्य में डेयरी विकास तथा दुग्ध पाउडर संयंत्र स्थापित करने हेतु राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड से सहायता मांगी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(ग) इन संयंत्रों द्वारा कितनी मात्रा में दुग्ध पाउडर का उत्पादन किया जाएगा ?

कृषि मंत्रालय में राज्य (श्री अरविन्द नेताम) : (क) जी, नहीं। महाराष्ट्र सरकार ने डेयरी विकास और दुग्ध चूर्ण संयंत्रों की स्थापना के लिए राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड से कोई सहायता नहीं मांगी है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

अन्नामलाई विश्वविद्यालय के निकट उपरिपुल का निर्माण

1023. **श्री के. राममूर्ती टिंडिवनाम : क्या रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार तमिलनाडु में चिदम्बरम में अन्नामलाई विश्वविद्यालय रेलवे फाटक के निकट एक उपरिपुल का निर्माण करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.सी. लेंका) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) रेलवे केवल उन्हीं उपरिपुलों का कार्यक्रम बनाती है, जिनके लिए संबंधित राज्य सरकारों द्वारा लागत की वहन करने की विधिवत् सहमति के साथ नियमानुसार ठोस प्रस्ताव प्रस्तुत किए जाते हैं।

"तटीय जोन का विनियमन"

1024. **श्री सुधीर सावंत : क्या पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तटीय जोन विनियमन के अंतर्गत निर्माण कार्य की जांच करने के लिए कोई समिति गठित की गई थी;

(ख) क्या तटीय विकास योजना तैयार करने के लिए राज्यों की कोई दिशानिर्देश दिए गए हैं;

(ग) क्या उच्च ज्वारीय लाइन के 500 मीटर के भीतर निर्माण कार्य के बारे में न्यायालयों में कोई विचाराधीन है, और

(घ) तटीय विनियमन जो़नों में मछुआरों की यदि कोई राहत प्रदान की गई है, तो वह क्या है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां। ये दिशा-निर्देश मंत्रालय की दिनांक 20 फरवरी, 1991 की अधिसूचना में उपलब्ध हैं।

(ग) संबंधित राज्यों तथा केन्द्रशासित प्रशासनों से सूचना प्राप्त की जा रही है।

(घ) तटीय क्षेत्र विनियम के अंतर्गत कतिपय शर्तों के अधीन फिशिंग विलेजेज के विस्तार की अनुमति दी जाती है।

[हिन्दी]

जनजातीय क्षेत्रों में शिक्षा

1025. **डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश के जनजातीय क्षेत्रों में कार्यरत पाठशालाएं बच्चों की प्राथमिक तथा माध्यमिक शिक्षा देने के लिए पर्याप्त है, और

(ख) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा जनजातीय तथा पिछड़े क्षेत्रों में बच्चों को शिक्षित करने हेतु और अधिक पाठशालाएं तथा महाविद्यालय खोलने हेतु क्या कार्यवाही की गई है अथवा किए जाने का प्रस्ताव है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उपमंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) और (ख) राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 यथा संशोधित 1992 में जनजातीय क्षेत्रों में प्राथमिक स्कूल खोलने तथा आश्रम स्कूलों सहित बड़े पैमाने पर आवासीय स्कूल खोलने को प्राथमिकता देने का प्रावधान है।

कार्य योजना, 1992 में यह प्रावधान रखा गया है कि आठवीं पंचवर्षीय योजना के अन्त तक प्रत्येक अनुसूचित जाति बहुल बस्तियों में एक प्राथमिक स्कूल या अन्य कोई संस्थान खोला जाएगा, ताकि सार्वजनिक नामांकन तथा सहभागिता की सुनिश्चित किया जा सके।

डेरी विकास

1026. **श्री महेन्द्र कुमार सिंह ठाकुर** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की सहायता से चलायी जा रही डेयरी विकास परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) इस प्रयोजनार्थ मध्य प्रदेश को गत तीन वर्षों के दौरान कितनी सहायता दी गयी, और

(ग) राज्य में स्थापित की जाने वाली संभावित डेयरी विकास परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है और उन पर कितनी लागत आयेगी ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविन्द नेताम) : (क) मध्य प्रदेश में आपरेशन फलड-3 परियोजना को राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की सहायता से क्रियान्वित किया जा रहा है। दिसंबर, 1993 की स्थिति के अनुसार इस परियोजना की प्रगति इस प्रकार हैं :

मिल्क शेडों की संख्या	7
कवर किए गए जिलों की संख्या	31
सहकारी डेयरी समितियों की संख्या	3981
कृषक सदस्यों की संख्या	200736
प्रसंस्करण क्षमता	10.00 लाख लीटर प्रतिदिन
दुग्ध अधिप्राप्ति	2.96 लाख लीटर प्रतिदिन
दुग्ध विपणन	1.94 लाख लीटर प्रतिदिन

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड ने मध्य प्रदेश को निम्नलिखित वित्तीय सहायता प्रदान की है।

(लाख रुपये में)

1.	1990-91	301.41
2.	1991-92	116.81
3.	1992-93	59.37

(ग) आपरेशन फ्लड-3 दिसंबर, 1994 में समाप्त होने जा रहा है। इसलिए निकट भविष्य में किसी नई परियोजना के वित्त पोषण की कोई संभावना नहीं है।

[अनुवाद]

गुंटूर में रेल यात्री निवास

1027. **श्री एस.एस. लाल जान बाशा :** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार आंध प्रदेश के गुंटूर में एक "रेल यात्री निवास" निर्माण करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(ग) वर्ष 1994-95 के दौरान गुंटूर में उपलब्ध कराई जाने वाली अन्य सुविधाओं का ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.सी. लेंका) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) प्लेटफार्म नं. 4 और 5 पर एक उपरि पैदल पुल और पश्चिम की तरफ एक बुकिंग कार्यालय।

बरेली स्थित स्लीपर फैक्ट्ररी

1028. **श्री सन्तोष कुमार गंगवार :** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश में बरेली स्थित स्लीपर फैक्ट्ररी इस समय कार्य नहीं कर रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और सरकार ने इसे पुनः चलाने के लिए क्या कदम उठाये हैं, और

(ग) क्या रेलवे इस फैक्टरी की सारी मशीनों तथा भूमि का समुचित उपयोग कर रही है, और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.सी. लेंका) : (क) जी, हां।

(ख) देश की वन संपदा के संरक्षण और पर्यावरण संतुलन बनाए रखने की दृष्टि से लकड़ी के स्लीपरों का प्रापण बंद कर दिए जाने के कारण इस कारखाने को पुनः शुरू करने की कोई योजना नहीं है।

(ग) संयंत्रों और सहायक वस्तुओं की बिक्री की पेशकश की गई है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

गन्ना उत्पादन

1029. **प्रो. उम्मारेड्डि बेंकटेस्वरलु :** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार प्रति हेक्टेयर गन्ने का उत्पादन बढ़ाने हेतु कोई योजना आरंभ करने का है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार क्या प्रोत्साहन देने पर विचार कर रही है, और

(ग) क्या सरकार का प्रस्ताव सभी चीनी मिलों को गन्ने की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने का विचार है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविन्द नेताम) : (क) और (ख) जी, हां। आठवीं पंचवर्षीय योजना की शेष अवधि में गन्ने की खेती करने वाले प्रमुख राज्यों में कार्यान्वयन हेतु "गन्ना आधारित फसल प्रणाली का सतत् विकास" नामक एक परियोजना का निरूपण किया गया है। इस योजना के माध्यम से नई विकसित प्रौद्योगिकियों का खेतों में प्रदर्शन, कृषकों के प्रशिक्षण, कार्बनिकों के उपयोग आदि का प्रचार किया जाएगा।

(ग) चीनी मिलों को गन्ने की सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए खाद्य मंत्रालय ने विभिन्न उपाय किए हैं, जैसे चीनी मिलों के माध्यम से न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि करना, अधिक फ्री सेल चीनी कोटे के रूप में चीनी मिलों की शीघ्र मध्य एवं विलंब से गन्ना पिराई के लिए प्रोत्साहित करना, कृषकों को शीघ्र भुगतान, गन्ना विकास के लिए "गन्ना विकास निधि" से चीनी मिलों को ऋण देना आदि।

प्रमुख मार्गों का विद्युतीकरण

1030. **श्रीमती शीला गौतम** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ब्रिटेन, जापान, इटली, चीन, जर्मनी, फ्रांस और अमरीका की तुलना में भारतीय रेलवे के विद्युतीकरण की स्थिति क्या है;

(ख) देश में उन प्रमुख बड़े रेल मार्गों का ब्यौरा क्या है, जिनका विद्युतीकरण अब तक किया जा चुका है;

(ग) शेष प्रमुख रेल मार्गों का विद्युतीकरण कब तक किये जाने की संभावना है, और

(घ) इस कार्य को पूरा करने के लिए कौन-सी तारीख निर्धारित की गयी है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.सी. लेंका) : (क) विद्युतीकरण की देशवार स्थिति निम्नानुसार है :

देश का नाम	विद्युतीकरण मार्ग कि.मी.	विद्युतीकृत मार्ग का प्रतिशत
1	2	3
ब्रिटेन	4910.7	29.61
जापान	15845.0	64.88
इटली	10789.0	55.50

1	2	3
चीन	7804.0	14.61
जर्मनी	16202.0	39.77
फ्रांस	12611.0	37.01
यू.एस.ए.	2197.4	00.84
भारत	10809.0	17.3*

(स्रोत : जेने का विश्व रेलवे 1993-94)

*1-4-92 की स्थिति

इन देशों में रेलपथ का विद्युतीकरण विभिन्न वोल्टेज और विभिन्न आमानों पर है, जो उनके अनुप्रयोग और प्रौद्योगिकी पर निर्भर करता है,

(ख) पांच ट्रेन मार्ग यथा मध्य और पश्चिम रेलवे के रास्ते दिल्ली-हावड़ा, दिल्ली-बंबई, दिल्ली-मद्रास (जी.टी.) मार्ग और नागपुर के रास्ते बंबई-हावड़ा मार्ग विद्युतीकृत कर दिए गए हैं,

(ग) और (घ) शेष दो ट्रेन मार्गों तथा मद्रास-बंबई और मद्रास-हावड़ा के कुछ खण्डों पर कार्य प्रगति पर है, इन दो ट्रेन मार्गों के संपूर्ण विद्युतीकरण का कार्यक्रम अभी तक तय नहीं किया गया है।

आंगनवाड़ी परियोजना

1031. **श्रीमती सुशीला गोपालन : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार, किलोमनूर और पुलीमठ पंचायतों ने केन्द्रीय सरकार से त्रिवेन्द्रम में किलोमनूर अनुसूचित जाति जनजाति विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र को नई आंगनवाड़ी परियोजना में सम्मिलित करने का अनुरोध किया है, और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (महिला एवं बाल विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्रीमती बासवराजेश्वरी) : (क) और (ख) भारत सरकार ने चालू वर्ष के दौरान त्रिवेन्द्रम जिले के किलोमनूर ब्लाक में एक समेकित बाल विकास सेवा परियोजना मंजूर की है।

जिम्बाब्वे में रेलवे नेटवर्क हेतु सहायता

1032. **श्री शरत पटनायक : क्या रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जिम्बाब्वे सरकार ने जिम्बाब्वे में रेलवे नेटवर्क के विकास के लिए भारत से सहायता मांगी है, और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.सी. लेंका) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

महाविद्यालयों को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा अनुदान दिया जाना

1033. **श्री लोकनाथ चौधरी :**
डा. सुधीर राय :

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से कितने महाविद्यालयों को अनुदान मिल रहा है, और

(ख) वर्ष 1993-94 के दौरान इन महाविद्यालयों की विशेषतः उड़ीसा में कुल कितनी धनराशि दी गई ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उपमंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा भेजी गई सूचनानुसार आयोग योजना दर योजना के आधार पर पात्र कालेजों को विकास अनुदान प्रदान करता है। आठवीं योजनावधि के दौरान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने अभी तक 3,986 कालेजों को विकास अनुदान प्रदान करने की सहमति दी है। आठवीं योजनावधि के दौरान विकास अनुदान प्रदान किए जाने वाले कालेजों की सही संख्या के बारे में बचे हुए कालेजों के प्रस्ताव प्राप्त होने और उनका मूल्यांकन होने के पश्चात् ही पता चल सकेगा।

(ख) वर्ष 1993-94 के दौरान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा उपर्युक्त कालेजों को प्रदान किए गए अनुदान की कुल राशि के बारे में चालू वित्त वर्ष समाप्त होने के पश्चात ही पता चल सकेगा। तथापि, चालू वित्त वर्ष के दौरान पात्र कालेजों को विकास अनुदान के रूप में अभी तक 20,20,86,539/- की राशि दी गई है, जिसमें उड़ीसा के कालेजों को दी गई 1,18,56,668/- की राशि भी शामिल है।

रामपुर-रुद्रपुर-हलद्वानी सेक्शन पर रेलगाड़ियां

1034. **श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा :** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार रामपुर-रुद्रपुर-हलद्वानी सेक्शन पर नई यात्री गाड़ियां शुरू करने का है, और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.सी. लेंका) : (क) जी, हां।

(ख) दिल्ली और काठगोदाम के बीच रात्रिकालीन गाड़ी शुरू करने के अतिरिक्त हावड़ा-गोरखपुर एक्सप्रेस को काठगोदाम तक बढ़ाने का प्रस्ताव है, इसके अलावा इस खंड पर कुछ शटल सेवाएं शुरू करने का प्रस्ताव है।

रेलगाड़ियों का विलम्ब से चलना

1035. **श्री छीतूभाई गामीत :**
डा. कार्तिकेश्वर पात्र :
श्री उदय सिंह गायकवाड़ :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सामान्य स्थिति में रेलगाड़ियों के विलम्ब से चलने के विशेष कारण क्या हैं;

(ख) उपस्करों के रख-रखाव के लिए कार्यक्रमों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) रेलगाड़ियों के समय-पालन को बरकरार रखने के लिए क्या उपचारात्मक उपाय किए जाएंगे ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.सी. लेंका) : (क) दुर्घटनाएं/बंद, कोहरा, खराब मौसम, प्राकृतिक आपदाएं, खतरे की जंजीर खींचना तथा शरारती तत्वों की गतिविधियों, उपस्करों की खराबी आदि।

(ख) सिगनल उपस्कर तथा चल स्टाक के अनुरक्षण के लिए सुनिर्धारित समय अनुसूची होती है। सवारी डिब्बों की आवधिक ओवर हालिंग कारखानों में तथा डीजल/बिजली रेल इंजनों की संबंधित कारखानों और/या लोको शेडों में की जाती है। पराश्रव्य दोष संसूचकों द्वारा समय-समय पर पटरियों की जांच की जाती है।

(ग) सभी परिहार्य रुकौनियों को समाप्त करने के लिए चौबीसों घण्टे कड़ी नजर रखी जाती है।

[हिन्दी]

रेलवे-भूमि पर अतिक्रमण

1036. **श्री सुरेन्द्र पाल पाठक : क्या रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :-

(क) क्या विभिन्न रेलवे जोनों में रेल पटरी के दोनों ओर भूमि के अत्यधिक अतिक्रमण के परिणामस्वरूप सामान्य रेल सेवा प्रभावित हो रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने अतिक्रमणाधीन भूमि के सम्बन्ध में कोई सर्वेक्षण कराया है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इन अतिक्रमणों को हटाने हेतु उठाए जा रहे प्रभावी कदमों का ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.सी. लेंका) : (क) जी, हां। कुछ स्थानों पर रेलवे भूमि पर किए गए अतिक्रमणों से रेल परिचालन प्रभावित हो रहा है।

(ख) और (ग) रेलवे भूमि पर हुए अतिक्रमणों की नियमित आधार पर समय-समय पर पहचान की जाती है। इस समय लगभग 1768 हेक्टेयर रेलवे भूमि पर अतिक्रमण है।

(घ) सरकारी स्थान (अप्राधिकृत अधिभागियों की बेदखली) अधिनियम, 1971 के अंतर्गत रेलवे भूमि से अतिक्रमण हटाने के लिए सतत् रूप से कार्रवाई की जाती है।

कृषि योग्य भूमि

1038. **श्रीमती सरोज दुबे** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय राज्यवार कितनी एकड़ कृषि योग्य भूमि है, जिसकी सिंचाई नहीं हो रही है;

(ख) क्या सरकार का विचार इस समस्या को ध्यान में रखते हुए कोई समयबद्ध कार्यक्रम चलाने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविंद नेताम) : (क) विवरण संलग्न है।

(ख) और (ग) जी, हां। भारत सरकार के पास ऐसे असिंचित क्षेत्रों हेतु वर्षासिंचित क्षेत्रों के राष्ट्रीय पनधारा विकास परियोजना, नदी घाटी परियोजनाओं के आवाह क्षेत्रों में मृदा संरक्षण, सूखा प्रवण क्षेत्र कार्यक्रम आदि जैसे कई केन्द्रीय क्षेत्र तथा केन्द्रीय प्रायोजित योजनाएं हैं।

विवरण

(हजार हैक्टेयर में)

राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	निवल बुवाई का क्षेत्र	वर्तमान परती भूमि	कुल कृष्य क्षेत्र	अन्य परती भूमि	विविध वृक्षों फसलों एवं बागों आदि के तहत भूमि	कृष्य बंजर भूमि	कुल कृष्य भूमि	निवल सिंचित क्षेत्र	कुल कृष्य क्षेत्र में से असिंचित क्षेत्र
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
आंध्र प्रदेश	11022	2485	13507	1377	262	780	15926	6305	11621
अरुणाचल प्रदेश	149	25	174	49	44	-	267	31	236
असम	2706	88	2794	84	247	106	3229	572	2657
बिहार	7702	1765	9467	999	291	372	11129	3347	7782
गोवा	131	-	131	-	1	90	222	20	202
गुजरात	9289	1039	10328	60	4	1920	12312	2493	9819
हरियाणा	3575	169	3744	-	3	21	3768	2599	1169
हिमाचल प्रदेश	583	45	628	15	48	125	816	99	717
जम्मू एवं कश्मीर	731	97	828	6	73	138	1045	298	747

कर्नाटक	10381	1290	11671	457	317	446	12891	2113	10778
केरल	2247	44	2291	27	36	95	2447	333	2116
मध्य प्रदेश	19558	762	20320	826	100	1579	22825	4314	18511
महाराष्ट्र	17941	869	18810	983	180	1028	21001	2036	18965
मणिपुर	140	-	140	-	24	-	164	65	99
मेघालय	202	59	261	167	153	693	1074	46	1028
मिजोरम	65	183	248	259	3	74	584	8	576
नागालैण्ड	190	118	308	110	125	99	642	59	583
उड़ीसा	6304	119	6423	214	859	597	8093	1934	6159
पंजाब	4218	82	4300	28	12	35	4375	3910	465
राजस्थान	16377	1814	18191	1927	22	5567	25707	3904	21803
सिक्किम	95	4	99	9	5	1	114	16	98
तमिलनाडु	5579	1264	6843	1044	234	290	8411	2373	6038
त्रिपुरा	270	1	271	1	39	1	312	41	271
उत्तर प्रदेश	17299	1084	18383	884	545	1034	20846	10542	10304
पश्चिम बंगाल	5334	395	5729	51	46	106	5932	1911	4021

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
अ.एवं नि. द्वीप समूह	37	1	38	3	30	4	27	-	27
चण्डीगढ़	3	-	3	-	-	-	3	2	1
दादरा एवं नागर हवेली	24	-	24	-	-	-	24	2	22
दमन एवं दीव	4	-	4	-	1	2	7	1	6
दिल्ली	48	2	50	8	1	11	70	38	32
लक्षद्वीप	3	-	3	-	-	-	3	-	3
पाण्डिचेरी	27	3	30	2	-	2	34	22	12
अखिल भारतीय	142234	13807	156041	9590	3703	15014	184345	47434	136914

* भू उपयोग सांख्यिकी 1900-91 पर आधारित (अनंतिम)

स्रोत - अर्थ एवं सांख्यिकी निदेशालय

[अनुवाद]

मीटर गेज

1039. **श्रीमती वसुंधरा राजे : क्या रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का छोटी लाईन को समाप्त करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) क्या इसके लिए कोई समय-सीमा निर्धारित की गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(घ) राजस्थान में इस संबंध में हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.सी. लेंका) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) राजस्थान में अभी लालगढ़-मेड़ता रोड़, लालगढ़-कोलायत, मेड़ता रोड़-मेड़ता सिटी, सवाईमाधोपुर-जयपुर, जयपुर-जोधपुर खंडों का आमान परिवर्तन कार्य पूरा हुआ है। जोधपुर-जैसलमेर और रेवाड़ी-जयपुर-मारवाड़ का आमान परिवर्तन कार्य भी शुरू कर दिया गया है और इसे 1994-95 में पूरा कर दिया जाएगा।

स्लीपर क्लास कोचों में यात्री सुविधाएं

1040. **श्री मनोरंजन भक्त** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्लीपर क्लास कोचों के भाड़े में वृद्धि से न तो सेवा के गुणस्तर में कोई सुधार आया है और न ही यात्रियों को प्रदत्त सुविधाओं में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.सी. लेंका) : (क) और (ख) यात्रा को और अधिक आरामदायक बनाने के लिए यात्री जनता को सुविधाएं मुहैया कराना एक सतत् प्रक्रिया है, साधन सामग्री की लागत में होने वाली बढ़ोत्तरी को संतुलित करने के लिए किराए में संशोधन किया जाता है। शयनयान श्रेणी के किराए इस प्रकार निर्धारित किए जाते हैं कि लंबी दूरी के यात्रियों को पूरी तरह से आरक्षित सवारी डिब्बे में यात्रा करने की सुविधा हो।

नारियल उत्पादन

1041. **श्री बोल्ला बुल्ली रामय्या :**
श्री दत्तात्रेय बंडारू :
श्री सुल्तान सलाउद्दीन ओवेसी :
श्री एस.बी. सिदनाल :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में प्रतिवर्ष नारियल का कुल कितना उत्पादन हुआ;

(ख) क्या उक्त अवधि के दौरान नारियल के उत्पादन में वृद्धि नहीं हुई है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(घ) क्या उक्त अवधि के दौरान कीड़ों और रोगों के कारण नारियल की फसल बर्बाद हुई है; और

(ङ.) यदि हां, तो उक्त अवधि के दौरान कुल कितनी हानि हुई है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविन्द नेताम) : (क) 1990-91 से 1992-93 के दौरान नारियल का उत्पादन निम्नवत् हुआ :-

	उत्पादन (मिलियन गिरी में)
1990-91	9730
1991-92	10061
1992-93 (अनंतिम)	11329

(ख) और (ग) नारियल के उत्पादन में कोई स्थिरता नहीं आई है। फिर भी देश में नारियल की बढ़ती हुई मांग को देखते हुए केन्द्रीय सरकार ने 79.29 करोड़ रुपये के परिव्यय में आठवीं योजना के दौरान इसके विकास के लिए प्रयास तीव्र कर दिये हैं, इसमें निम्नलिखित मुख्य योजनाएं शामिल हैं।

1. रोपण सामग्री का उत्पादन और वितरण
2. नारियल के तहत क्षेत्र विस्तार
3. उत्पादकता सुधार के लिए नारियल की जोतों में एकीकृत फार्मिंग और
4. पत्ती भक्षक सूंडी पर नियंत्रण

(घ) और (ङ) पिछले तीन वर्ष के दौरान किसी राज्य द्वारा नारियल में कृषि और रोग के कारण कोई अधिक क्षति होने की सूचना नहीं दी गई। फिर भी यह अनुमान है कि रूट यिल्ट रोग से केरल में प्रतिवर्ष लगभग 1000 मिलियन गिरी की क्षति होती है।

दूध का मूल्य

1042. **श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद :**
श्री ताराचन्द खंडेलवाल :
श्री तारा सिंह :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नये "शैट" नियमों के अनुपालन में राजसहायता समाप्त किये जाने के कारण दूध के मूल्यों में अत्यधिक वृद्धि होने की संभावना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार इस समय दूध पर राजसहायता दे रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार का विचार दूध के उत्पादन में वृद्धि करने तथा मूल्य वृद्धि को रोकने के लिए क्या कदम उठाने का है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविन्द नेताम) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं। भारत सरकार दूध पर कोई सब्सिडी नहीं दे रही है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) दूध के उत्पादन को बढ़ाने के लिए प्रस्तावित उपायों में अवसंरचना को सुदृढ़ करना और दुग्ध उत्पादन में वृद्धि हेतु आदानों की प्रभावी और कुशल आपूर्ति शामिल है। दूध के मूल्य निर्धारण का मामला राज्य सरकारों से सम्बन्धित है।

अर्नाकुलम और त्रिवेन्द्रम के बीच रेल मार्ग का दोहरीकरण

1043. **श्री रमेश चेन्नितला** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अर्नाकुलम और त्रिवेन्द्रम के बीच रेल मार्ग के दोहरीकरण का कार्य प्रगति पर है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यह कार्य कब तक पूरा हो जायेगा ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.सी. लेंका) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) अर्नाकुलम से कायनकुलम तक दो लाइनें हैं, जो दोहरी लाइनों के रूप में सेवित हैं, कायनकुलम-कौल्लम् का दोहरीकरण कार्य 94-95 में पूरा हो जायेगा। कोल्लम और तिरुवनन्तपुरम के बीच भूमि का अधिग्रहण किया जा रहा है। भूमि उपलब्ध होने के बाद आगामी वर्षों में दोहरीकरण कार्य शुरू किया जायेगा।

रेल कार

1044. **श्री धर्मण्णा मोंडय्या सादुल** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय रेल के पर्यटकों को आकृष्ट करने के लिए पुणे-कोणार्क समुद्रतट के साथ-साथ निकट भविष्य में रेल कार शुरू करने पर विचार कर रही है, और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.सी. लेंका) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

"प्रदूषण से बचाव"

1045. **श्री प्रकाश वी. पाटील** : क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को विश्व स्वास्थ्य संगठन से इस संबंध में कोई सुझाव प्राप्त हुए हैं कि लोगों को बढ़ते हुए प्रदूषण से किस तरह बचाया जाए;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) और (ख) विश्व स्वास्थ्य संगठन से सरकार को कोई ऐसे सुझाव प्राप्त नहीं हुए हैं कि नागरिकों को निरंतर बढ़ते हुए प्रदूषण से कैसे बचाया जाए। तथापि, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने प्रदूषण की समस्याओं और उनके नियंत्रण के संबंध में तकनीकी मार्गदर्शन के साथ-साथ स्वास्थ्य मापदण्डों पर साहित्य, और स्वास्थ्य और सुरक्षा पर निर्देश पुस्तिकाएं, पर्यावरणीय स्वास्थ्य मापदण्डों पर दस्तावेज तथा अन्य सामग्री प्रदान की है।

(ग) सरकार ने देश में प्रदूषण नियंत्रण के लिए अनेक कदम उठाए हैं, जिनमें निम्नलिखित शामिल हैं :

1. उत्सर्जन मानक निर्धारित किए गए हैं।
2. परिवेशी वायु गुणवत्ता मानक तैयार किए गए हैं।
3. परिवेशी वायु गुणवत्ता निगरानी केन्द्रों का एक नेटवर्क स्थापित किया गया है।
4. वायु प्रदूषण नियंत्रण क्षेत्र अधिसूचित किए गए हैं।
5. उद्योगों के स्थान निर्धारण और संचालन के लिए पर्यावरणीय दिशा-निर्देश तैयार किए गए हैं।
6. उद्योगों को एक समयबद्ध आधार पर आवश्यक वायु प्रदूषण नियंत्रण उपकरण लगाने के निर्देश दिए गए हैं।
7. प्रदूषण उपकरण लगाने और प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों की भीड़-भाड़ वाले इलाकों से अन्यत्र ले जाने के लिए वित्तीय प्रोत्साहन दिए जाते हैं।
8. दोषी इकाइयों के खिलाफ संगत अधिनियमों के तहत कानूनी कार्रवाई की जाती है।
9. मोटर वाहन नियमावली 1989 के तहत सभी वाहनों के लिए ठोस उत्सर्जन मानक अधिसूचित किए गए हैं। भूतल परिवहन मंत्रालय ने राज्य परिवहन निदेशालयों को सलाह दी है कि वे 1 मार्च, 1990 से ठोस उत्सर्जन मानक लागू करें।
10. मोटर वाहन नियमावली, 1989 के तहत द्रव उत्सर्जन मानक अधिसूचित किए गए हैं। पेट्रोल से चलने वाले वाहनों के लिए ये मानक 1 अप्रैल, 1991 से लागू हो गए हैं और डीज़ल से चलने वाले वाहनों के लिए 1 अप्रैल, 1992 से लागू हो गए हैं।

11. वाहनों से होने वाले प्रदूषण के बारे में जन जागरूकता अभियान चलाए गए हैं।

12. दिल्ली से होने वाले प्रदूषण में सम्पीड़ित प्राकृतिक गैस का उपयोग शुरू करने के लिए कदम उठाए गए हैं।

जाजपुर-क्योझर रोड रेलवे स्टेशन पर ऊपरी पुल का निर्माण

1046. **श्री गोपीनाथ गजपति : क्या रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में जाजपुर-क्योझर रोड़ रेलवे स्टेशन पर एक ऊपरी पुल बनाने का प्रस्ताव काफी समय से लंबित है;

(ख) यदि हां, तो विलम्ब के क्या कारण हैं;

(ग) उस स्थान पर ऊपरी पुल निर्माण के प्रस्ताव पर कब विचार किया जायेगा; और

(घ) उपरोक्त प्रस्ताव के शीघ्र कार्यान्वयन हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.सी. लेंका) : (क) जी, नहीं। इस स्थान पर ऊपरी पुल का निर्माण कार्य लगभग पूरा होने वाला है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

केन्द्रीय विद्यालयों में नैतिक शिक्षा

1047. **श्री राजवीर सिंह : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार केन्द्रीय विद्यालयों में नैतिक शिक्षा को एक अनिवार्य विषय बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने शैक्षिक सुधारों के माध्यम से छात्रों में नैतिक मूल्य समाविष्ट करने के लिए क्या कदम उठाने अथवा उठाने का विचार किया है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप-मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, विद्यालयों में नैतिक शिक्षा को अनिवार्य विषय बनाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

गुजरात में गन्ना खरीद केन्द्र

1048. **श्री काशीराम राणा : क्या खाद्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि गुजरात में किसानों को उनके उत्पाद का उचित मूल्य दिलाने हेतु कितने गन्ना खरीद केन्द्र स्थापित किए गए हैं ?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्प नाथ राय) : अपेक्षित सूचना सरकार से एकत्रित की जा रही है।

[अनुवाद]

स्टेडियम में सिन्थेटिक ट्रैक

1049. **श्रीमती चन्द्र प्रभा अर्स** : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्नाटक सरकार ने 1993-94 के दौरान बंगलौर के श्री कांतीरावा स्टेडियम के लिए सिन्थेटिक ट्रैक बिछाने हेतु कोई वित्तीय सहायता मांगी है; और

(ख) यदि हां, तो कितनी धनराशि की सहायता मांगी गई और सरकार ने इस प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि स्वीकृत की है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (युवा कार्यक्रम और खेल विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुकुल वासनिक) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

रामतिल की खेती

1050. **श्री शिवराज सिंह चौहान** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या "रामतिल" मध्य प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों की प्रमुख फसल है;

(ख) यदि हां, तो इसकी खेती कुल कितने क्षेत्र में की जाती है और 1993-94 के दौरान इसका कुल कितना उत्पादन हुआ;

(ग) क्या सरकार ने इसके समर्थन मूल्य की घोषणा की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ.) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस.कृष्ण कुमार) : (क) जी, हां।

(ख) रामतिल मुख्यतः खरीफ मौसम में उगाई जाती है। प्राथमिक आंकलन के अनुसार मध्य प्रदेश सहित रामतिल का उत्पादन करने वाले सभी राज्यों में 5.70 लाख हैक्टेयर क्षेत्र में खरीफ की खेती की जाती है। 2.00 लाख मी. टन उत्पादन होने की आशा है।

(ग) से (ङ) सकल तिलहन उत्पादन में रामतिल के उत्पादन के नगण्य योगदान को देखते हुए रामतिल न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना के तहत नहीं आता है।

झांसी और कानपुर क्रासिंग के बीच उपरि पुल

1051. **श्री गया प्रसाद कोरी : क्या रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय रेलवे में झांसी और कानपुर के बीच चौकीदार वाले और बिना चौकीदार वाले फाटकों की संख्या कुल कितनी है;

(ख) क्या इन फाटकों पर उपरि पुल के निर्माण का कोई प्रस्ताव सरकार के पास लम्बित है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (के.सी. लेंका) : (क) 138 ।

(ख) जी नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

प्रतापगंज से बीरपुर तक नई रेल लाइन

1052. **श्री सूर्य नारायण यादव : क्या रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूर्वोत्तर रेलवे के अन्तर्गत प्रतापगंज स्टेशन से बीरपुर तक नई रेल लाइन बिछाने को स्वीकृति दे दी गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या इसके लिए भूमि का अधिग्रहण कर लिया गया है;

(ग) यदि हां, तो उक्त कार्य कब तक शुरू किया जाएगा तथा पूरा हो जाएगा; और

(घ) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.सी. लेंका) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

केला की खेती के लिए धनराशि

1053. **श्री के. प्रधानी : क्या कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार ने उत्तक संवर्धन द्वारा केला और बांस की खेती के लिए कुछ हैक्टेयर अतिरिक्त भूमि उपलब्ध कराने के लिए केन्द्र से सहायता मांगी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस प्रयोजनार्थ राज्य को आवश्यक अनुदान देने हेतु सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविन्द नेताम) : (क) से (ग) जैव प्रौद्योगिकी विभाग को टिशू कल्चर के जरिए केले और बांस के बड़े पैमाने पर क्लीन तैयार करने के लिए तथा टिशू कल्चर

के जरिये गुलाव, आर्किड और एंथरियाम के बड़े पैमाने पर क्लोन तैयार करने के लिए क्षेत्रीय पादप संसाधन केन्द्र भुवनेश्वर से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। इन प्रस्तावों पर कृतकदल के विशेषज्ञ सदस्यों द्वारा जांच की गई थी, जिसने दोनों प्रस्तावों को मिलाकर एक कर देने की सिफारिश की। बांस तथा अन्य बागवानी तथा पुष्पीय फसलों का छोटे पैमाने पर प्रसार करने सम्बन्धी संशोधित प्रस्ताव प्राप्त हुआ है, जिस पर वित्तीय सहायता के लिए कार्रवाई की जा रही है।

[हिन्दी]

मिशनरी स्कूलों की मान्यता

1054. **श्री भीम सिंह पटेल : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार शिक्षण समितियों को मिशनरी स्कूल खोलने के लिए मान्यता प्रदान करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान ऐसे कितने स्कूलों को मान्यता दी गई ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप-मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) से (ग) देश में स्कूल शिक्षा प्रणाली का दायित्व मुख्यतः संबंधित राज्य/संघ शासित क्षेत्रों की सरकार का होता है। स्कूल चलाने के लिए इच्छुक शैक्षिक संस्थाओं को मान्यता प्रदान करना एक प्रशासनिक मामला है। संबंधित राज्य या केन्द्र प्रशासित क्षेत्रों के स्कूल शिक्षा अधिनियमों तथा उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के संबंधित प्रावधानों के अनुसार राज्य/केन्द्र शासित क्षेत्रों की सरकारें, केन्द्रीय विद्यालयों तथा नवोदय विद्यालयों जैसे भारत सरकार द्वारा चलाए जा रहे स्कूलों को छोड़कर सभी स्कूलों को मान्यता प्रदान करती हैं। देश में कोई केन्द्रीय स्कूल शिक्षा अधिनियम नहीं है। तथापि राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 में दिए गए निर्देशों तथा अल्पसंख्यक आयोग द्वारा उपलब्ध कराए गए दिशा-निर्देशों को ध्यान में रखते हुए, भारत सरकार ने अल्पसंख्यकों द्वारा प्रबंधित शैक्षिक संस्थानों को मान्यता प्रदान करने के लिए नीतिगत मानदंड तथा सिद्धांत तैयार की थी, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह भी प्रावधान है कि स्कूलों का प्रबंध करने वाले अभिकरण को वैधानिक दर्जा प्राप्त करना होगा। नीतिगत मानदण्डों को तैयार करते समय भारत के संविधान के अनुच्छेद 30 (1) में दी गई अवधारणाओं का कड़ाई से पालन किया गया था, जिसे कार्यान्वयन के लिए अक्तूबर, 1989 में राज्य/केन्द्र शासित क्षेत्रों की सरकारों को परिचालित कर दिया गया था।

[अनुवाद]

रेलवे कोच फैक्ट्री, कपूरथला

1055. **श्री आर. सुरेन्द्र रेड्डी :**
प्रो. राम कापसे :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे कोच फैक्ट्री, कपूरथला में विकसित और तैयार नए तीन-टियर वातानुकूलित शयन यान को अक्तूबर, 1993 में शुरू किया गया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) आगामी वर्षों में प्रतिवर्ष ऐसे कितने शयनयानों का निर्माण करने का प्रस्ताव है; और

(घ) क्या ये तीन-टियर कोच वर्तमान दो-टियर वातानुकूलित कोचों के स्थान पर चलाए जाएंगे ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.सी. लेंका) : (क) रेल कोच फैक्टरी द्वारा पहले प्रोटो-टाइप सवारी डिब्बे का निर्माण अक्टूबर, 93 में किया गया था और दिसंबर, 93 में इसकी शुरुआत की गयी।

(ख) इस सवारी डिब्बे में 67 शायिकाएं हैं, अधिक वातानुकूलन भार को सम्हालने की दृष्टि से इसके अभिकल्प में समुचित परिवर्तन किए गए हैं।

(ग) प्रारंभ में, रेल कोच फैक्टरी, कपूरथला को 14 और सवारी डिब्बों के लिए एक आदेश प्रस्तुत किया गया है, इस संबंध में और आदेश पुनर्निवेशन की प्रतिक्रिया तथा धन की उपलब्धता के आधार पर दिए जाएंगे।

(घ) जी, नहीं।

[हिन्दी]

"करनपुरा सुपर तापीय विद्युत केन्द्र"

1056. **श्री भुवनेश्वर प्रसाद मेहता : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बिहार में उत्तर करनपुरा सुपर तापीय विद्युत केन्द्र स्थापना के लिए पर्यावरण की दृष्टि से स्वीकृति दे दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम द्वारा सुपर ताप विद्युत परियोजना की स्थापना के लिए प्रस्तावित स्थल 5 अप्रैल, 1991 को इस मंत्रालय द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया था। अस्वीकृत किए जाने का कारण यह था कि स्थल आरक्षित और संरक्षित वनों के नज़दीक चुना गया था तथा परियोजना

प्राधिकारी से इस मंत्रालय के दिशानिर्देशों के अनुरूप कोई अन्य वैकल्पिक स्थल चुनने का अनुरोध किया गया था।

[अनुवाद]

चीनी मिलों का आधुनिकीकरण

1057. **श्री अन्ना जोशी : क्या खाद्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1993-94 के दौरान कम क्षमता वाली चीनी मिलों के विस्तार तथा आधुनिकीकरण हेतु वित्तीय सहायता प्राप्त करने हेतु महाराष्ट्र से कितने प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं;

(ख) उनमें से अब तक कितने प्रस्तावों को मंजूरी दे दी गई है; और

(ग) बकाया प्रस्तावों को मंजूरी देने मे हो रहे विलम्ब के क्या कारण हैं ?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्प नाथ राय) : (क) 1993-94 के दौरान, आधुनिकीकरण/विस्तार के लिए चीनी विकास निधि से ऋण प्रदान करने के लिए महाराष्ट्र से पांच आवेदन-पत्र प्राप्त हुए थे, जिनमें से दो आवेदन-पत्र अपूर्ण हैं।

(ख) इन पांच चीनी मिलों में से तीन चीनी मिलों को आधुनिकीकरण/पुनर्स्थापन के लिए चीनी विकास निधि से ऋण मंजूर कर दिये गये हैं।

(ग) दो आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जा सका क्योंकि ये अपूर्ण थे।

तकनीकी जनशक्ति

1058. **श्री सुधीर सावंत : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या टैरिफ और व्यापार पर सामान्य करार के फलस्वरूप अपेक्षित जनशक्ति के प्रशिक्षण के सम्बन्ध में कोई आंकलन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने उदारीकरण की नीति के अनुसरण में इक्कीसवीं शताब्दी में तकनीकी जनशक्ति की आवश्यकता का आंकलन किया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप-मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) से (ग) व्यापार तथा सेवाओं सम्बंधी साधारण करार (जी.ए.टी.एस.) में सेवाओं की व्यवस्था की रूपात्मकताओं में एक कार्मिकों के संचलन के जरिए है। इस पहलू पर बातचीत अभी तक किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंची है। प्रशिक्षण आवश्यकताओं का मूल्यांकन करने का प्रश्न अभी तक नहीं उठा है।

आन्ध्र प्रदेश में नई रेलगाड़ियां

1059. **श्री एस.एम. लालजान बाशा :** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आंध्र प्रदेश में गुंटूर के निकटवर्ती शहरों को जोड़ने वाली कोई नई यात्री गाड़ियां चलाने का कोई प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.सी. लेंका) : (क) गुंटूर और दोनकोंडा के बीच 12-2-94 से एक जोड़ी पैसेंजर गाड़ी चलाई गई है। इसके अलावा, गुंटूर-नरसारावपेट के बीच चलने वाली चार जोड़ी पैसेंजर गाड़ियों तथा एक जोड़ी एक्सप्रेस गाड़ियों को दोनकोंडा तक बढ़ा दिया गया है, जुलाई, 94 से गुंटूर और सिकंदराबाद के बीच एक जोड़ी एक्सप्रेस गाड़ी चलाए जाने का प्रस्ताव है।

"ड्रिप" सिंचाई प्रणाली

1060. **श्री वी. शोभनादीश्वर राव :** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ड्रिप सिंचाई के लिए राजसहायता योजना कब शुरू की गई थी;

(ख) इस योजना के अंतर्गत कितने एकड़ भूमि में सिंचाई की गई है और कितने किसान लाभान्वित हुए हैं तथा अब तक कितनी धनराशि वितरित की गई है और राजसहायता के रूप में कुल कितनी धनराशि खर्च की गई है;

(ग) क्या कृषकों से ड्रिप सिंचाई हेतु प्रति एकड़ ली जाने वाली पूंजी लागत काफी अधिक है और इससे राजसहायता की मात्रा में वृद्धि हो जाती है जो उत्पादकों की जेब में जाती है;

(घ) ड्रिप सिंचाई के लिए पाइपों के प्रमुख निर्माताओं के क्या नाम हैं; और

(ङ) सरकार लागत कम करने के लिए क्या कदम उठा रही है ?

कृषि मंत्री में राज्य मंत्री (श्री अरविंद नेताम) : (क) बागवानी फसलों के लिए ड्रिप सिंचाई प्रणाली का उपयोग करने में सब्सिडी देने के लिए केन्द्रीय क्षेत्र की एक योजना 1990-91 से लागू की गई है।

(ख) भारत सरकार ने विभिन्न राज्य सरकारों/केन्द्र शासित प्रदेशों को ड्रिप सिंचाई के अंतर्गत 44667 हैक्टेयर क्षेत्र लाने के लिए 1990 से 94 तक चार वर्षों के लिए 5083.85 लाख रुपये की धनराशि संवितरित की है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) ड्रिप सिंचाई प्रणाली के प्रतिष्ठित विनिर्माताओं की एक सूची अनुबंध में दी गई है, जो सभा पटल पर रखी जा रही है।

(ङ) मूल्य संरचना के युक्तियुक्तकरण तथा अधिष्ठापन, प्रशिक्षण एवं प्रणाली के प्रबोधन के रूप में और अधिक सहायता करने के लिए सरकार प्रणाली विनिर्माताओं के सतत सम्पर्क में है।

विवरण

भारत के प्रतिष्ठित ड्रिप सिंचाई प्रणाली के विनिर्माताओं की सूची

1	2
मैसर्स एग्रोप्लास्ट 14 बेलार्डपेट तिपतूर-572201 कर्नाटक दूरभाष : 2653	मैसर्स ज्योति लि., एग्री प्रोडक्ट डिवीजन, बी-3/15 बी.आई.डी.सी. गोरवा, बडोदरा-390003 दूरभाष :320448,320561 टेलेक्स : 0175-215 जम्पइन तार : सर्वज्योति
मैसर्स एग्रीटूल्स 1-2-33/5गगनमहल रोड डोमलगुडा हैदराबाद 500029 आंध्र प्रदेश दूरभाष : 66344 तार : एग्रोटूल्स	मैसर्स टेलिकॉम वायरस एंड केबलस एम.एस. रमल्ला इंड. एस्टेट, गोकुल बंगलौर-560054
मैसर्स ई.पी.सी. इरिगेशन 0122 टी.वी. इंडस्ट्रियल एस्टेट एस. के. अहिरे मार्ग वर्ली बम्बई-400018 दूरभाष : 4939270, 4939225, 4939278 टेलेक्स : 011-71457 एक्सकि इन	मैसर्स पोलोइन जनरल इंडस्ट्रीज, 11-ए इंड. एस्टेट, गिन्डी, मद्रास-600032 टेलेक्स-051567
मैसर्स पशुभाई फाइनेंस एंड इंडस्ट्रियल प्रा. लि. 62, स्परटैंक रोड, चेलपैट मद्रास-600031 दूरभाष : 861092 एंड 861114 टेलैक्स : 041-7647 तार : कोरोकोम्बी	मैसर्स वोल्टास लि., ए.आई.पी. डिवीजन 19-जे.एन. हार्डिया मार्ग, बेलार्ड एस्टेट बम्बई-400038 दूरभाष : 2614715 फैक्स : 4151852 टेलेक्स : 73339/73354 तार : बोल्टंxx एप
मैसर्स ईगल इक्विपमेंट लि., इंडिया हाउस तिरची रोड, कोयम्बतूर-18 दूरभाष : 30355 तार–हाइड्रॉलिक्स टेलेक्स -0855-222	मैसर्स पोलोपीलिथिन्स इंडस्ट्रीज लि., मफतलाल सैन्टर नरिमन प्वाइंट, बम्बई-400021 दूरभाष : 2024226 फैक्स : 2020691 टेलेक्स : 0113478 पिल इन

1	2
मैसर्स फ्लो टेक पावर, 137 लंदन मिशन स्कूल स्ट्रीट, पप्पानाईकेनपालयम, कोयम्बतूर -641037 (तमिलनाडु) दूरभाष : 840484	मैसर्स किसान इरिगेशन इक्विपमेंट 1697-विजयश्री बिल्डिंग्स, तिरची रोड, रामनाथपुरम, कोयम्बतूर-641045
मैसर्स प्रीमियर इरिगेशन इक्विपमेंट लि. 17/1सी—अलीपुर रोड, कलकत्ता 27 दूरभाष : 455302/457455 तार —प्रोक्वी टेलेक्स : 021-8033 पिकइन	मैसर्स जैन इरिगेशन सिस्टम्स लि., जैन इंड. कॉम्प्लैक्स, नीमखेड़ी, जलगांव-425001 दूरभाष : 26906, 26515 26908 टेलेक्स : 753-254 जैन इन फैक्स : 257-24602 तार : जैन ड्रिप
मैसर्स एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग पट्टी वोरनपट्टी-624211 मदुरै (तमिलनाडु)	

गाड़ियों में मदिरा-पान

1061. **श्रीमती शीला गौतम : क्या रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पूरे देश में गाड़ियों में यात्रा करने वाले यात्री मदिरा-पान करते हैं, और

(ख) यदि हां, तो चलती गाड़ियों में विशेषतः बच्चों और महिलाओं की उपस्थिति में इस प्रकार की बुराइयों को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.सी. लेंका) : (क) कुछ मामले ध्यान में ला गए हैं।

(ख) वातानुकूल शयन यान, वातानुकूल कुर्सी यान और दूसरे दर्जे के सभी सवारी डिब्बों में मदिरा-पान निषिद्ध है, वातानुकूल पहला दर्जा और पहले दर्जे के सवारी डिब्बों में यात्रियों से इस आशय के अनुरोध की सूचना प्रदर्शित की जाती है कि सहयात्रियों का ध्यान रखते हुए मद्यपान न करें, इसके अतिरिक्त किसी भी सवारी डिब्बे में नशे की हालत में पाए जाने वाले व्यक्तियों को रेल अधिनियम के उपबंधों के अधीन, दंडित किया जा सकता है, इन उपबंधों को लागू करने के लिए रेल कर्मचारियों को अनुदेश हैं।

"प्रदूषण नियंत्रण के लिए जापानी सहायता"

1062. **श्री सनत कुमार मंडल : क्या पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जापान सरकार कलकत्ता के लिए 132 करोड़ रुपए की औद्योगिक प्रदूषण नियंत्रण परियोजना में सहायता करने पर सिद्धान्त रूप में सहमत हो गई है;

(ख) यदि हां, तो इस परियोजना की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं और इसे कब तक पूरा किया जायेगा;

(ग) इस परियोजना के लिए जापान कितनी सहायता देगा; और

(घ) उक्त परियोजना का संचालन कौन-सा प्रशासनिक प्राधिकरण करेगा ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) और (ग) जापान सरकार पश्चिम बंगाल में एक औद्योगिक प्रदूषण नियंत्रण परियोजना की सहायता करने के लिए सिद्धांत रूप से सहमत हो गई है। इस परियोजना में ऋण राशि सहित 39, 911,000 अमरीकी डालर की धनराशि सम्मिलित है।

(ख) परियोजना की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित प्रकार से हैं :

1. पश्चिम बंगाल प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के संस्थागत विकास को सुदृढ़ करना।
2. बड़े, मझोले और छोटे औद्योगिक क्षेत्रों में उपयुक्त प्रदूषण नियंत्रण उपकरणों की स्थापना को बढ़ावा देना।
3. छोटी इकाइयों के समूहों से होने वाले बहिस्रावों का संयुक्त रूप से शोधन हेतु साझा बहिस्राव शोधन संयंत्रों की स्थापना में सहायता करना।
4. प्रदर्शन परियोजनाओं और अध्ययनों के जरिए स्वच्छ प्रौद्योगिकियों की शुरूआत करना।
5. प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड तथा परियोजना में शामिल वित्तीय संस्थाओं के कर्मचारियों के प्रशिक्षण कार्यक्रम को समर्थन देना। इस परियोजना को आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान पूरा किए जाने की योजना है।

(घ) इस परियोजना का क्रियान्वयन पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार के समग्र समन्वय और पर्यवेक्षण के अधीन होगा।

पोस्ट-हार्वेस्ट इंजीनियरिंग एंड टेक्नालॉजी इंस्टीट्यूट

1063. **श्री शरत पटनायक** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार आठवीं योजना की अवधि में देश में सेंट्रल इंस्टीट्यूट आफ पोस्ट-हार्वेस्ट इंजीनियरिंग एंड टेक्नालॉजी इंस्टीट्यूट का विस्तार करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. कृष्ण कुमार) : (क) जी, हां।

(ख) सातवीं योजना के दौरान रु. 102 लाख के आवंटन के स्थान पर आठवीं पंचवर्षीय योजना में केन्द्रीय कटाई के बाद की प्रौद्योगिकी संस्थान, लुधियाना के लिए रु. 883.50 लाख का कुल परिव्यय स्वीकृत किया गया है, जिसमें उपस्करों के लिए 100/- और कार्यों के लिए रु. 290

लाख भी शामिल हैं। अबोहर में एक उप-केन्द्र स्थापित करने की योजना को भी अनुमोदित किया जा चुका है।

मुरादाबाद और रामपुर के बीच उपरि पुल

1064. **श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार मुरादाबाद और रामपुर के बीच राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-24 पर दो स्थानों पर, जहां रेल लाइन सड़क को काटती है, उपरि पुलों का निर्माण करने का है; और

(ख) यदि हां, तो इन पुलों का निर्माण कब तक कर दिया जाएगा ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.सी. लेंका) : (क) और (ख) राज्य सरकार ने मुरादाबाद तथा रामपुर के बीच कि.मी. 1392/9-10 पर समपार सं. 413-ए और कि.मी. 1376/1-2 पर समपार संख्या 404-ए के बदले उपरि पुलों के निर्माण का प्रस्ताव किया है, राज्य सरकार द्वारा अपेक्षित औपचारिकताओं को अंतिम रूप दे दिए जाने के बाद इन प्रस्तावों को रेलवे के निर्माण कार्यक्रम में शामिल करने पर विचार किया जाएगा। कार्य की स्वीकृति के बाद राज्य सरकार द्वारा पहुंच मार्गों का निर्माण पूरा करने के साथ ही पुल खास का निर्माण पूरा कर लिया जाएगा।

कृषि विश्वविद्यालय

1065. **श्री वी. शोभनाद्रीश्वर राव** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कृषि शिक्षा देने वाले वर्तमान कृषि विश्वविद्यालयों के नाम क्या हैं;

(ख) केन्द्र सरकार इन विश्वविद्यालयों पर प्रतिवर्ष कितने प्रतिशत व्यय करती है;

(ग) किस अधिकारी/समिति द्वारा इनके कार्य-निष्पादन का मूल्यांकन किया गया है;

(घ) मूल्यांकन समिति के निष्कर्षों की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं;

(ङ) क्या कृषि विश्वविद्यालयों का कार्य-निष्पादन असंतोषजनक रहा है और इनके शिक्षा स्तर में गिरावट आती जा रही है; और

(च) यदि हां, तो सरकार ने स्थिति में सुधार करने के लिए क्या उपचारात्मक उपाये किये जाने पर विचार किया है ?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. कृष्ण कुमार) : (क) इस समय देश में 27 राज्य कृषि विश्वविद्यालय और उत्तरी-पूर्वी पर्वतीय क्षेत्र के लिए एक केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय है। उनके नाम विवरण-I में दिए गए हैं।

(ख) इन विश्वविद्यालयों का वार्षिक व्यय प्रमुख रूप से संबंधित राज्य सरकारों से प्राप्त होता है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद उनके शैक्षिक कार्यक्रमों के विकास और उन्हें सुदृढ़ करने के लिए केवल सीमित धनराशि प्रदान करती है। इसी तरह, राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रायोजना (नार्प) के तहत राज्य कृषि विश्वविद्यालयों के क्षेत्रीय अनुसंधान ढांचे को सुदृढ़ करने के लिए सहायता भी दी जाती

है। इन 27 राज्य कृषि विश्वविद्यालयों को इन दो शीर्षों के तहत 8वीं योजना के चरण-I व II में किया गया आवंटन निम्न प्रकार है :

1.	27 रा.कृ.वि.वि. का विकास और उन्हें सुदृढ़ करना।	7500.00 लाख रु.
2.	उत्तरी-पूर्वी पहाड़ी क्षेत्रों के लिए केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालयों की स्थापना और विकास।	4100.00 लाख रु.
3.	राष्ट्रीय अनुसंधान प्रायोजना के चरण-1 व 2, 1979-86 और 1986-95 के तहत सहायता।	18926.00 लाख रु.

(ग) राज्य कृषि विश्वविद्यालयों के कार्य का मूल्यांकन एक समीक्षा समिति द्वारा किया गया (सामान्यतया जिसे रंधावा समिति के नाम से जाना जाता है) जिसकी स्थापना 1977 में की गयी, जिसने 1978 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की।

(घ) रंधावा समिति के निष्कर्षों की प्रमुख विशेषताओं का सारांश निम्न है :

1. उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के मामले में कृषि विश्वविद्यालयों के शैक्षणिक देश के अन्य महाविद्यालयों से अलग है, क्योंकि उक्त दोनों राज्यों के सम्बद्ध कालेज कृषि विश्वविद्यालय के ढांचे से अलग हैं।

2. पश्चिमी बंगाल, बिहार, तमिलनाडु, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा और मध्य प्रदेश राज्यों में कृषि अनुसंधान कार्यों को विश्वविद्यालयों में अभी पूरी तरह से हस्तान्तरित करना है।

3. केरल, बिहार, गुजरात, महाराष्ट्र और तमिलनाडु जैसे राज्यों में राज्य कृषि विश्वविद्यालयों के विस्तार शिक्षा सीमित रूप में पाये गये जहां क्षेत्र-विस्तार और प्रशिक्षण संघटकों को राज्य कृषि विश्वविद्यालय पद्धति में अभी पूरी तरह से हस्तान्तरित करना है।

4. प्रशिक्षण, अनुसंधान और विस्तार कार्य को एक साथ मिलाने की बात को सभी कृषि विश्वविद्यालयों में स्वीकृत कर लिया गया है, लेकिन इसे सभी राज्यों में अलग-अलग ढंग से एकीकृत किया जाएगा।

5. सामान्य मूल्यांकन से यह पता चला है कि हालांकि राज्य कृषि विश्वविद्यालयों की अपनी निजी उपलब्धियों में काफी अन्तर है, फिर भी उन्होंने कृषि विकास तथा शिक्षा, अनुसंधान और प्रशिक्षण की क्वालिटी पर पर्याप्त प्रभाव डाला है।

(घ) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद को ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं मिली है, जिससे यह पता चले कि या तो राज्य कृषि विश्वविद्यालयों की उपलब्धियां असंतोषजनक है अथवा उनका शैक्षिक स्तर गिर गया है।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता।

विवरण

देश में कृषि विश्वविद्यालयों की सूची

1	2
1.	आंध्र प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय, राजेन्द्रनगर, हैदराबाद,
2.	असम कृषि विश्वविद्यालय, जोरहाट,
3.	राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, पशु चिकित्सा महाविद्यालय परिसर, पटना (बिहार)
4.	बिरसा कृषि विश्वविद्यालय, कांके, रांची,
5.	हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, हिसार,
6.	हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय, पालमपुर,
7.	डा. वाई.एस. परमार, बागवानी तथा वानिकी विश्वविद्यालय, सोलन,
8.	कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय, पोस्ट बैग नं. 2477, बंगलौर
9.	कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय, धारवाड़ (कर्नाटक)
10.	गुजरात कृषि विश्वविद्यालय, सरदार कृषि नगर-385506 जिला-बनासकांठा (गुजरात)
11.	जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जबलपुर,
12.	इन्दिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय कृषि नगर, रायपुर,
13.	केरल कृषि विश्वविद्यालय, वेल्लानिकारा, त्रिचूर,
14.	कोंकण कृषि विद्यापीठ, डपोली,
15.	महात्मा फूले कृषि विश्वविद्यालय, राहुरी,
16.	मराठवाड़ा कृषि विश्वविद्यालय, परभणी
17.	पंजाबराव कृषि विद्यापीठ, कृषि नगर, अकोला,
18.	उड़ीसा कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, भुवनेवर,

1	2
19.	पंजाब कृषि विश्वविद्यालय, लुधियाना,
20.	राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर,
21.	तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय, कोयम्बटूर
22.	चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, कानपुर,
23.	गोबिन्द बल्लभ कृषि एंव प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय पंतनगर,
24.	नरेन्द्र देव कृषि एब्रं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, फैजाबाद,
25.	बिधानचन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, पी.ओ. कृषि विश्वविद्यालय, मोहनपुर-जिला-नाडिया
26.	शेरे-कश्मीर कृषि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, 45-बी, गांधीनगर, पोस्ट बाक्स 87, जम्मू तवी
	शेरे-कश्मीर, कृषि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, शालीमार, पो. बा. 262, श्रीनगर,
27.	तमिलनाडु पशुचिकित्सा एवं कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय, मद्रास,
	उत्तर-पूर्वी पहाड़ी क्षेत्र इंफाल कणिपुर के लिए केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय।

चीनी-नीति

1066. **श्री धर्मण्णा मोंडय्या सादुल : क्या खाद्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार गन्ने का उत्पादन करने वाले राज्यों के साथ चीनी-नीति पर विचार-विमर्श करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्प नाथ राय) : (क) चीनी उद्योग से संबंधित विभिन्न मुद्दों के बारे में चर्चा करने के लिए राज्यों के चीनी मंत्रियों का एक सम्मेलन 5-2-1994 को आयोजित किया गया था।

(ख) इस सम्मेलन में मुख्य रूप से निम्नलिखित मुद्दों पर चर्चा की गई थी :

1. गन्ने की मूल्य निर्धारण नीति;
2. गन्ने के मूल्य की बकाया राशि की स्थिति;

3. नई चीनी फैक्ट्रियों और विस्तार परियोजनाओं के लिए जारी किए गए, लेकिन कार्यान्वित न किए गए आशय पत्रों के संबंध में वित्तीय संस्थानों से धनराशि उपलब्ध करना;

4. गन्ने के विकास को बढ़ावा देने के लिए उपाय;

5. चीनी फैक्ट्रियों द्वारा प्रदूषण नियंत्रण उपकरण लगाना;

6. चीनी विकास निधि के प्रति देय बकाया राशि।

इस सम्मेलन में निम्नलिखित प्रमुख निर्णय लिए गए :

1. गन्ने के राज्य द्वारा सुझाए गए मूल्यों की मूल्यों की निर्धारण नीति के बारे में सिफारिशें करने के लिए उत्तर प्रदेश, पंजाब, तमिलनाडु, कर्नाटक और महाराष्ट्र के 5 मंत्रियों की एक समिति गठित की गई।

2. वित्तीय संस्थानों से अनुरोध किया गया कि वे सहकारी चीनी क्षेत्र से प्राप्त ऋण-आवेदन पत्रों पर विचार करते समय सहकारी वस्त्र यूनिटों के दोषों को उनके साथ सम्बद्ध न करें।

3. सभी राज्य सरकारें अपने-अपने राज्यों में स्थित चूककर्ता चीनी फैक्ट्रियों को अधिक से अधिक 31-3-1994 तक प्रदूषण नियंत्रण उपकरण लगाने के लिए राज़ी करें।

4. यह सुनिश्चित करने के लिए प्रयास किए जाएंगे कि चीनी फैक्ट्रियों द्वारा चीनी विकास निधि से प्राप्त किए गए ऋणों को अधिक से अधिक 31 मार्च, 1994 तक वापस कर दिया जाता है।

उपर्युक्त से अतिरिक्त, देश में चीनी के उत्पादन का भी समग्र रूप से मूल्यांकन किया गया।

उड़ीसा में असका और नयागढ़ होकर गोपालपुर

1067. **श्री गोपीनाथ गजपति :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का उड़ीसा में असका और नयागढ़ होकर गोपालपुर और तालचेर के बीच एक रेल लाइन बिछाने का प्रस्ताव है;

(ख) क्या इस प्रस्ताव को वित्त वर्ष 1994-95 के दौरान लागू किया जा रहा है; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.सी. लेंका) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

मानित विश्वविद्यालय

1068. **श्रीमती चन्द्र प्रभा अर्स** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इण्डियन इन्स्टीट्यूट आफ हार्टिकल्चर रिसर्च को मानित विश्वविद्यालय का दर्जा देने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह इन्स्टीट्यूट स्नातकोत्तर तथा प्रशिक्षण पाठ्यक्रम भी आयोजित करता है; और

(घ) यदि हां, तो क्या संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम के अन्तर्गत इस इन्स्टीट्यूट को उष्णकटिबंधीय बागवानी संबंधी अग्रवर्ती अध्ययन केन्द्र के रूप में मान्यता दी गई है ?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. कृष्ण कुमार) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) संस्थान में स्नातकोत्तर शिक्षा का कोई कार्यक्रम नहीं है। फिर भी, अल्पकालीन प्रशिक्षण पाठ्यक्रम आयोजित किए जाते हैं।

(घ) जी, हां। वर्ष 1979-1985 तक।

[हिन्दी]

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा छात्रवृत्तियां

1069. **श्री गया प्रसाद कोरी** : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश के ऐसे शोध करने वाले छात्रों की कुल संख्या कितनी है, जिन्हें गत तीन वर्षों के दौरान विश्वविधालय अनुदान आयोग से उनके शोध कार्य के लिए छात्रवृत्तियां प्राप्त हुईं;

(ख) इनमें से कितने छात्र अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के हैं; और

(ग) 1993-94 के दौरान शोध करने वाले कुल कितने छात्रों की छात्रवृत्तियों के लिए सिफारिश की गई है ?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप-मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा दी गई सूचनानुसार आयोग ने "किसी भी दिए गए समय के आधार" पर जूनियर शोध अध्येतावृत्ति योजना के अधीन उत्तर प्रदेश में विश्वविद्यालयों को 994 स्लॉट आबंटित किए थे। आयोग ने यह निर्णय लिया है कि आयोग किसी भी

विश्वविद्यालय/संस्थान को कोई विशिष्ट कोटा आबंटित नहीं कर सकता। जूनियर शोध अध्येतावृत्ति उम्मीदवारों को तभी मिलेगी, जब वे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग/सी.एस.आई.आर./जी.ए.टी.ई. या आयोग द्वारा मान्य अन्य कोई परीक्षा उत्तीर्ण कर लेते हैं तथा आयोग द्वारा इस उद्देश्य के लिए निर्धारित कुछ मानदंड पूरे करते हैं।

(ख) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने सूचित किया है कि 1991-92 व 1992-93 के दौरान उपर्युक्त स्लॉट के अतिरिक्त अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों का चयन किया गया था।

(ग) 1993-94 के दौरान जूनियर शोध अध्येतावृत्ति प्रदान करने के लिए अभी तक चयन नहीं किया गया है।

मध्य प्रदेश में रेलवे स्टेशन निर्माण कार्य को पूरा करना

1070. **श्री महेन्द्र कुमार सिंह ठाकुर** : क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान मध्य प्रदेश में बुरहानपुर, नेपानगर तथा हरसूद रेलवे स्टेशनों पर कितना व्यय किया गया तथा यह राशि किस कार्य के मद पर खर्च की गई;

(ख) क्या सरकार का विचार इन रेलवे स्टेशनों के विकास के पश्चात् यहां और अधिक सुविधाएं प्रदान करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.सी. लेंका) : (क) ब्यौरा निम्नानुसार है :

बुरहानपुर : विश्राम गृह की व्यवस्था; प्लेटफार्म सं. 1 को चौड़ा करने; पार्सल कार्यालय के बदलाव और प्लेटफार्म की सतह, कोयला उतराई प्लेटफार्म, दूसरे दर्जे का प्रतीक्षालय और परिचलन क्षेत्र आदि में सुधार संबंधी कार्यों पर 9.69 लाख रुपए।

नेपानगर : कुछ नहीं,

हरसूद : पानी की सप्लाई बैठने की व्यवस्था आदि में सुधार संबंधी कार्यों पर 2.70 लाख रुपए।

(ख) से (घ) ब्यौरा इस प्रकार है :

बुरहानपुर : 14.62 लाख रुपए की लागत से परिचलन क्षेत्र माल शेड क्षेत्र, पानी की सप्लाई आदि में सुधार और अप तथा डाउन प्लेटफार्मों पर चारदीवारी की व्यवस्था करने से संबंधित कार्य शुरू किए गए हैं।

नेपानगर : 25,000 रुपये की लागत से प्लेटफार्म का विस्तार कार्य शुरू किया गया है;

हरसूद : चूंकि हरसूद स्टेशन नर्मदा परियोजना में जलमग्न हो जाएगा, अतः इस स्टेशन को और विकसित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

[अनुवाद]

''आर्थिक दृष्टि से लाभप्रद किस्मों के वृक्ष''

1071. **श्री के. प्रधानी :**
श्री ए. वेंकटेश नायक :

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आर्थिक दृष्टि से लाभप्रद किस्मों के वृक्षों में वृद्धि पर अधिक ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार ने क्या कदम उठाये हैं;

(ग) इस उद्देश्य के लिए आठवीं योजना अवधि के दौरान विभिन्न राज्यों को जारी किये गये निदेशों और दिशा-निर्देशों और आबंटन का ब्यौरा क्या है, और

(घ) इस उद्देश्य के लिये कितनी विदेशी सहायता प्राप्त की गई है ?

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) और (ख) 20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत वनीकरण और वृक्षारोपण कार्यकलाप केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों की योजनाओं में उपलब्ध धनराशि को ध्यान में रखते हुए प्रतिवर्ष चलाए जाते हैं। वनीकरण और वृक्षारोपण कार्यकलापों में आर्थिक रूप से लाभप्रद प्रजातियों का स्थानीय जलवायु और मृदा संबंधी परिस्थितियों को ध्यान में रखकर रोपण किया जाता है।

(ग) वनीकरण और वृक्षारोपण कार्यकलाप चलाने में उन स्वदेशी प्रजातियों के रोपण पर जोर दिया जा रहा है, जो लोगों की जरूरतों को पूरा करने के लिए ईंधन लकड़ी, चारा, इमारती लकड़ी, इमारती लकड़ी से इतर वनोपज प्रदान करती है। इसके अतिरिक्त वनीकरण और वृक्षारोपण कार्यकलापों की प्रभावोत्पादकता में वृद्धि करने के लिए नमी और मिट्टी के संरक्षण समुचित उपाय अपनाने, समेकित जलाशय विकास, अवक्रमित वन क्षेत्रों के पुनरुत्पादन के लिए उचित प्रौद्योगिकियों के अनुप्रयोग, जन-जागरूकता पैदा करने तथा वनीकरण और वृक्षारोपण कार्यक्रमों में स्थानीय लोगों की भीगीदारी को बढ़ावा देने पर भी जोर दिया जा रहा है।

राज्यों और संघ शासित प्रदेशों के वन विभागों के योजना आबंटनों का राज्यवार ब्यौरा विवरण में दिया गया है।

(घ) केवल आर्थिक रूप से लाभप्रद प्रजातियों के वृक्षों के रोपण के लिए कोई विदेशी सहायता नहीं ली जाती। विदेशी सहायता प्राप्त वानिकी परियोजनाओं में अनेक कार्यकलाप चलाए जाते हैं, जिनमें आर्थिक रूप से लाभप्रद प्रजातियों के वृक्षों का जहां उचित हो, रोपण भी शामिल है।

विवरण

वन विभागों के आठवीं योजना आवटनों का राज्यवार ब्यौरा

(लाख रुपए)

क्र.सं.	राज्य/संघ शा.प्र.	आवंटन
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	6842.00
2.	अरुणाचल प्रदेश	4710.00
3.	असम	11260.00
4.	बिहार	18391.00
5.	गोवा	1030.00
6.	गुजरात	30000.00
7.	हरियाणा	11770.00
8.	हिमाचल प्रदेश	21000.00
9.	जम्मू और कश्मीर	9880.00
10.	कर्नाटक	20676.00
11.	केरल	9075.00
12.	मध्य प्रदेश	18782.00
13.	महाराष्ट्र	50221.00
14.	मणिपुर	2300.00
15.	मेघालय	5978.00
16.	मिजोरम	3105.00
17.	नागालैंड	2850.00

1	2	3
17.	नागालैंड	2850.00
18.	उड़ीसा	10535.00
19.	पंजाब	5593.00
20.	राजस्थान	32655.00
21.	सिक्किम	1750.00
22.	तमिलनाडु	19500.00
23.	त्रिपुरा	2600.00
24.	उत्तर प्रदेश	36454.00
25.	पश्चिम बंगाल	13559.00
	योग - राज्य	350516.00
	योग - संघ शासित प्रदेश	5171.10
	योग - राज्य और संघ शासित प्रदेश	355687.10

[हिन्दी]

राष्ट्रीय दलहन विकास परियोजना

1072. **श्री भीम सिंह पटेल :** क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को मध्य प्रदेश सरकार से राज्य के सभी जिलों में राष्ट्रीय दलहन विकास परियोजना के कार्यान्वयन के संबंध में कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है, और

(घ) इस प्रयोजनार्थ राज्य को कितनी वित्तीय सहायता प्रदान करने का विचार है?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. कृष्ण कुमार) : (क) और (ख) मध्य प्रदेश सरकार ने राष्ट्रीय दलहन विकास परियोजना के तहत जिलों की संख्या बढ़ाकर 34 से 45 करने का प्रस्ताव भेजा था।

(ग) और (घ) यह प्रस्ताव इस शर्त पर स्वीकार कर लिया गया कि वर्तमान वित्तीय वर्ष में इस प्रयोजन के लिये कोई अतिरिक्त धन उपलब्ध नहीं कराया जाएगा।

[अनुवाद]

खाद्य तेल का मूल्य

1073. **श्री मनोरंजन भक्त :**
श्री रामपूजन पटेल :
श्री राजवीर सिंह :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार खाद्य तेलों की कमी और मूल्य में वृद्धि को देखते हुए अधिक तिलहन की खेती के लिए किसानों का हौसला बढ़ाने हेतु उन्हें लाभकारी मूल्य देने और प्रोत्साहन देने पर विचार कर रही है, और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविंद नेताम) : (क) और (ख) सरकार तिलहनों का उत्पादन बढ़ाने के लिये किसानों को राजस्व वित्तीय प्रोत्साहन देने की नीति का अनुसरण करती रही है। उत्पादकों को लाभकारी मूल्य दिलाने के लिये सरकार मुख्य खाद्य तिलहनों के न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करती रही है। मूल्य समर्थन कार्य भी किए जा रहे हैं, ताकि मंडी मूल्य न्यूनतम समर्थन मूल्य से नीचे न गिरे। इसके अलावा, सरकार तिलहन उत्पादन कार्यक्रम भी कार्यान्वित करती रही है, ताकि उत्पादक अधिक उत्पादकता के जरिए प्रति हैक्टेयर अधिक आय अर्जित कर सकें।

कोचीन-बिलासपुर एक्सप्रेस

1074. **श्री रमेश चेन्नित्तला :** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृा करेंगे कि :

(क) क्या कोचीन-बिलासपुर एक्सप्रेस को एक सप्ताह में तीन बार चलाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो कब तक, और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.सी. लेंका) : (क) से (ग) जुलाई, 1994 से 7057/7058 कोचीन-बिलासपुर एक्सप्रेस के फेरे सप्ताह में एक दिन से बढ़ाकर सप्ताह में दो दिन करने का प्रस्ताव है।

[हिन्दी]

हजारीबाग-बडपाठना-रांची रोड के बीच रेल संम्पर्क

1075. **श्री भुवनेश्वर प्रसाद मेहता :** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार में हजारीबाग को रेल द्वारा कोडरमा, बडपाठना अथवा रांची रोड से जोड़ने के लिये सर्वेक्षण कार्य पूरा कर लिया गया है, और

(ख) यदि हां, तो इन परियोजनाओं का कार्यान्वयन कब से शुरू क़िया जायेगा?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.सी. लेंका) : (क) जी, नहीं। सर्वेक्षण कार्य प्रगति पर है।

(ख) यह काम सर्वेक्षण के परिणामों और आगमी वर्षों में संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर शुरू किया जाएगा।

[अनुवाद]

रेलवे क्वार्टर्स

1076. **श्री अन्ना जोशी :** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र में कितने आवासीय रेलवे क्वार्टर्स जीर्ण-शीर्ण अवस्था में हैं;

(ख) इस संबंध में सरकार का विचार क्या कदम उठाने का है;

(ग) क्या सरकार का विचार उनके स्थान पर बहुमंजिले फ्लैटों का निर्माण करने का है; और

(घ) यदि हां, तो इन बहुमंजिले फ्लैटों के निर्माण हेतु समय-सीमा निर्धारित की गई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.सी लेंका) : (क) 920।

(ख) से (घ) आयु-एवं-हालत के आधार पर पुराने क्वार्टरों का बदलाव किया जाता है। तदनुसार टाइप-1 के 92 यूनिट बहुमंजिले क्वार्टरों का निर्माण शुरू किया गया है। रेलवे के आगामी निर्माण कार्यक्रमों के द्वारा बाकी बचे क्वार्टरों का बदलाव भी विभिन्न चरणों में किया जायेगा, जो धन की समग्र उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

रेलवे वार्षिक योजना

1077. **श्रीमती शीला गौतम :** क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1993-94 के लिए रेलवे वार्षिक योजना की मुख्य बातें क्या हैं;

(ख) क्या रेलवे ने संसाधनों को पूरा करने के लिए बाजार दर पर विदेशी मुद्रा प्राप्त की थी;

(ग) यदि हां, तो भारतीय रेलवे पर कितना अतिरिक्त भार पड़ेगा; और

(घ) रेलवे का विचार कम होती जा रही बजट संबंधी सहायता और बाजार से ऋणों पर सीमित निर्भरता को देखते हुए वित्तीय देनदारियों को किस प्रकार पूरा करने का है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.सी. लेंका) : (क) वर्ष के लिए निर्धारित राजस्व यातायात के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए अवसंरचना संबंधी क्षमता सृजित करना। आमान परिवर्तन और विद्युतीकरण जैसे कार्यों पर विशेष बल देना।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) उत्पादकता में वृद्धि करके और किफायत संबंधी उपायों को अपनाकर।

रेलवे की आय

1078. **प्रो. उम्मारेड्डि वेंकटेस्वरलु :**
डा. वल्लभ पाणिग्रही :
श्री शिबू सोरेन :

क्या **रेल मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेलवे द्वारा चालू वित्त वर्ष के लिए माल ढुलाई और यात्री यातायात से राजस्व की आय का लक्ष्य प्राप्त कर लिए जाने की संभावना है;

(ख) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं, और

(ग) सरकार ने लक्ष्य प्राप्त करने के लिए अब तक क्या कदम उठाए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.सी. लेंका) : (क) सम्भावना है कि रेलें चालू वित्त वर्ष के लिए माल और यात्री यातायात से होने वाली आय के संशोधित लक्ष्य पूरा कर लेगी।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

गेहूं और धान की खरीद

1079. **श्री गोपीनाथ गजपति :** क्या **खाद्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1993-94 के दौरान सार्वजनिक वितरण के लिए विभिन्न राज्यों से धान और गेहूं की खरीद हेतु क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं;

(ख) इस संबंध में 1994-95 के लिए सरकार का क्या प्रस्ताव है; और

(ग) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्प नाथ राय) : (क) चूंकि केन्द्रीय पूल के लिए गेहूं और धान की वसूली मूल्य समर्थन के अधीन पूर्णतया स्वैच्छिक आधार पर की जाती है, इसलिए इन खाद्यान्नों की वसूली करने के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किए जा सकते हैं।

एक विवरण संलग्न है, जिसमें वर्तमान रबी और खरीफ विपणन मौसम, 1993-94 के दौरान 23-2-1994 तक वसूल की गई गेहूं और धान की राज्यवार मात्राओं की स्थिति दी गई है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

विवरण

(हजार मीटरी टन में)

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	गेहूं	धान
बिहार	-	5
गुजरात	नगण्य	-
हरियाणा	3454	145
हिमाचल प्रदेश	1	-
कर्नाटक	-	1
मध्य प्रदेश	242	229
महाराष्ट्र	-	19
उड़ीसा	-	2
पंजाब	6493	5489
राजस्थान	496	-
उत्तर प्रदेश	2128	नगण्य
चण्डीगढ़	नगण्य	-
दिल्ली	20	-
पांडिचेरी	-	2
जोड़	12834	5892

नगण्य - 500 मीटरी टन से कम।

पुस्तक मेला

1080. **श्री सनत कुमार मंडल : क्या मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कलकत्ता पुस्तक मेला तथा नयी दिल्ली में हाल ही में आयोजित ग्यारहवें विश्व पुस्तक मेले में सर्वाधिक बिक्री वाली पुस्तकों तथा लेखक की असफलता के संबंध में कोई आकलन किया गया है, और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है दिल्ली पुस्तक मेले में कितना कारोबार किया गया?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) और (ख) सम्बन्धित निर्यात प्रोत्साहन परिषद के पुस्तक एवं प्रकाशन पैनल द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार कलकत्ता मेला 1994 तथा विश्व पुस्तक मेला, 1994 नई दिल्ली में क्रमशः 4 करोड़ रु. और 10 करोड़ रु. की बिक्री होने का अनुमान है। उपर्युक्त पैनल ने किसी विशिष्ट सर्वश्रेष्ठ विक्रेता तथा लेखक की असफलता के संबंध में कोई मूल्यांकन नहीं किया है।

[हिन्दी]

चीनी विकास निधि

1081. **श्री महेन्द्र कुमार सिंह ठाकुर : क्या खाद्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्षों के दौरान मध्य प्रदेश में किन-किन चीनी मिलों को आधुनिकीकरण हेतु चीनी विकास निधि से वित्तीय सहायता प्रदान की गई; और

(ख) आगामी वर्ष के दौरान इस वित्तीय सहायता से मध्य प्रदेश में किन-किन चीनी मिलों का आधुनिकीकरण किये जाने का विचार है?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्प नाथ राय) : (क) 1992-93 और 1993-94 के दौरान मध्य प्रदेश की निम्नलिखित चीनी मिलों को आधुनिकीकरण/पुनर्स्थापन के लिए चीनी विकास निधि से मंजूर किए गए हैं :

	चीनी मिल का नाम	चीनी विकास निधि से मंजूर किया गया ऋण (लाख रुपये में)	मंजूरी की तारीख
1.	मैसर्स ग्वालियर शुगर कम्पनी लिमिटेड	53.95	13-11-1992
2.	मैसर्स भोपाल शुगर इंडस्ट्रीज लिमिटेड, सिहोर	373.76	17-3-1993

(ख) आधुनिकीकरण/पुनर्स्थापन के लिए चीनी विकास निधि से ऋण मंजूर करने के लिए कोई आवेदन पत्र सरकार के पास लम्बित नहीं पड़ा हुआ है।

[अनुवाद]

उपभोक्ता शिक्षा और अनुसंधान केन्द्र

1082. **श्रीमती चन्द्र प्रभा अर्स :** क्या **नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में उपभोक्ता शिक्षा और अनुसंधान केन्द्र कहां-कहां कार्यरत हैं,

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार इन केन्द्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का 1994-95 के दौरान देश में ऐसे और अधिक केन्द्र स्थापित करने का कोई विचार है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) से (घ) केन्द्रीय सरकार के पास उपलब्ध सूचना के अनुसार अहमदाबाद में स्थित केवल एक उपभोक्ता शिक्षा एवं अनुसंधान केन्द्र है, जो एक स्वैच्छिक उपभोक्ता संगठन है। देश में लगभग 500 से अधिक उपभोक्ता संगठन कार्य कर रहे हैं, जो जागरूकता के कार्यक्रम में लगे हुए हैं। सरकार की वित्तीय सहायता देने की एक योजना है, जिसके अंतर्गत किसी स्वैच्छिक उपभोक्ता संगठन को अधिकतम 25000 रु. (75 प्रतिशत अनुदान आधार पर) की राशि दी जाती है।

[हिन्दी]

भारतीय खाद्य निगम द्वारा गेहूं की बिक्री

1083. **डा. चिन्ता मोहन :**
डा. महादीपक सिंह शाक्य :

क्या **खाद्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारतीय खाद्य निगम को कुछ और महीनों तक गेहूं की खुली बिक्री जारी रखने की अनुमति दी है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) भारतीय खाद्य निगम द्वारा विभिन्न राज्यों में गेहूं की खुले बाजार में किस दर पर बिक्री की जायेगी;

(घ) क्या सुपर-बाजार, नागरिक पूर्ति निगम, सहकारी समिति, बैकरी, हलवाई तथा अन्य खाद्यान्न लाइसेंस धारक आदि भी बढ़ाई गई अवधि के दौरान इस योजना के अन्तर्गत गेहूं खंरीदने के के लिए ग्राह्य होंगे;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या घरेलू तथा आयातित गेहूं की बिक्री और खरीद के लिए कोई प्रतिबंधात्मक अनुपात रहेगा, और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्प नाथ राय) : (क) जी, हां। भारतीय खाद्य निगम को अप्रैल, 1994 तक की अवधि के लिए खुले बाजार में गेहूं की बिक्री करने की अनुमति दी गई थी।

(ख) भारतीय खाद्य निगम द्वारा गेहूं की खुली बिक्री करने की अनुमति निम्नलिखित कारणों/उद्देश्यों से दी गई थी :

(1) वर्तमान वसूली मौसम के लिए धान/चावल हेतु आवश्यक भण्डारण स्थान खाली करने के लिए;

(2) भारतीय खाद्य निगम द्वारा रखे गए स्टाक को रखने की लागत कम करने के लिए;

(3) बाजार हस्तक्षेप के एक उपाय के रूप में, कमी के मौसम में गेहूं के खुले बाजार में मूल्यों का संतुलित करने के लिए; और

(4) खाद्य राजसहायता की आवश्यकता में कुछ हद तक कमी करने के लिए।

(ग) एक विवरण उपाबंध के रूप में संलग्न है, जिसमें नवम्बर, 1993 से फरवरी 1994 तक गेहूं की खुली बिक्री के लिए भारतीय खाद्य निगम द्वारा निर्धारित किए गए मूल्यों का ब्यौरा दिया गया है। मार्च, 1994 माह के लिए मूल्यों की घोषणा अभी की जानी है।

(घ) जी, हां।

(ङ) बिक्री की मात्रा नागरिक आपूर्ति निगम और रोलर फ्लोर मिलों के मामले में 100 मीटरी टन के गुणक में और अन्य खरीदारों के मामलों में 20 मीटरी टन अथवा इसके गुणक में है।

(च) और (छ) पार्टियों को फरवरी, 1994 में, जहां-कहीं आयातित गेहूं उपलब्ध है, वहां 30 : 70 के अनुपात में आयातित और देशी गेहूं की खरीदारी करनी अपेक्षित है।

विवरण

नवम्बर, 1993 से फरवरी, 1994 तक गेहूं की खुली बिक्री के मूल्य

(दर रुपये प्रति मीटरी टन)

क्रम संख्या	राज्य का नाम	नवम्बर 1993	दिसम्बर 1993	जनवरी 1994	फरवरी 1994
1.	पंजाब/हरियाणा/उत्तर प्रदेश	3850	3850	3850	4100
2.	दिल्ली	4050	4050	4050	4250
3.	राजस्थान	4000	3950	3950	4150
4.	जम्मू और कश्मीर/ हिमाचल प्रदेश	4000	4000	4000	4200
5.	महाराष्ट्र	4450	4400	4400	4650
6.	गुजरात	4300	4250	4250	4450
7.	मध्य प्रदेश	4100	4000	4000	4200
8.	बिहार	4300	4190	4190	4350
9.	पश्चिम बंगाल/उड़ीसा	4400	4250	4250	4400
10.	तमिलनाडु	4500	4500	4500	4750
11.	आंध्र प्रदेश	4450	4450	4450	4700
12.	कर्नाटक	4550	4550	4550	4750
13.	केरल	4600	4600	4600	4800

[अनुवाद]

दामोदर नदी में प्रदूषण

1084. **श्री भुवनेश्वर प्रसाद मेहता : क्या पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बिहार में दामोदर नदी का पानी सर्वाधिक प्रदूषित है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस नदी को प्रदूषण-मुक्त रखने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं/उठाये जायेंगे?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) एवं (ख) बिहार में दामोदर नदी, देश की प्रदूषित नदियों में से एक है। इस नदी में प्रदूषण उसके अधिग्रहण-क्षेत्र में स्थित बड़े थर्मल पावर स्टेशनों से कोयले की राख के गाद के भारी मात्रा में विसर्जन के कारण मुख्य रूप से होता है।

(ग) इन इकाइयों को निदेश दिया गया है कि वे बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्धारित विहित सीमाओं में प्रदूषण-कारकों को ले आएं। घरेलू स्रोतों से नदी प्रदूषण पर नियंत्रण करने की एक कार्य योजना भी तैयार की जा रही है।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत जारी की गई चीनी

1085. **श्री श्रवण कुमार पटेल** : क्या **खाद्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नवंबर, 1993 से खुले बाजार में बिक्री के लिए जारी की गई चीनी की मात्रा गत वर्ष की इसी अवधि की तुलना में काफी अधिक रही है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्प नाथ राय) : (क) और (ख) खुले बाजार में चीनी के मूल्यों में स्थिरता बनाए रखने के उद्देश्य से नवंबर, 1993 से फरवरी, 1994 तक की अवधि में खुले बाजार में 24.70 लाख टन चीनी रिलीज की गई थी, जबकि पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान 23.55 लाख टन चीनी रिलीज की गई थी।

पुष्पोत्पादन/उत्तक संवर्धन

1086. **श्रीमती वसुन्धरा राजे** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान राजस्थान में कृषि-आधारित कितने एककों की स्थापना की गई;

(ख) क्या सरकार का विचार देश में पुष्पोत्पादन और उत्तक संवर्धन के विकास के लिए कोई योजना शुरू करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) इस योजना के अंतर्गत किन-किन राज्यों को शामिल किया जायेगा; और

(ङ) उक्त योजना से किसानों को क्या लाभ मिलेगा?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविन्द नेताम) : (क) भारत सरकार ने राजस्थान में पिछले तीन वर्षों के दौरान एफ.पी.ओ. के तहत चार अतिरिक्त एककों को लाइसेंस दिया है, ज़िससे 1-1-1993 तक इसकी कुल संख्या 87 हो गई है।

(ख) जी, हां।

(ग) आठवीं योजना के दौरान 10 करोड़ रुपये की कुल लागत पर पुष्प कृषि पर एक केन्द्रीय क्षेत्र की योजना चलाई जा रही है।

इस योजना में निम्नलिखित शामिल हैं :

(1) पुष्पोत्पादन हेतु मॉडल केन्द्रों की स्थापना

- सार्वजनिक क्षेत्र में दस

- निजी क्षेत्र में आठ

(2) टिशू कल्चर एककों की व्यवस्था :

- मॉडल केन्द्रों के साथ अठारह बड़े एकक

- निजी क्षेत्र में बीस लघु एकक

(3) 2000 हैक्टेयर शामिल करने के लिए क्षेत्र विस्तार सहायता।

(4) पुष्पोत्पादन तथा कटाई पश्चात प्रबंध के लिए कृषकों को प्रशिक्षण देना।

(घ) क्षेत्र विस्तार योजना में सभी 32 राज्यों एवं केन्द्र शासित प्रदेशों को शामिल किया गया है। आदर्श पुष्पोत्पादन केन्द्र 10 राज्यों में स्थापित किए जाएंगे - उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, सिक्किम, पश्चिम बंगाल, पंजाब, जम्मू तथा कश्मीर, तमिलनाडु एवं हिमाचल प्रदेश।

(ङ) कृषकों को निम्नलिखित उपलब्ध होगा :

(1) नवीन प्रौद्योगिकियां एवं किस्में।

(2) मंडी आसूचना।

(3) पुष्पोत्पादन में प्रशिक्षण।

सुपर बाजार/केन्द्रीय भंडार

1087. **श्री अर्जुन सिंह यादव : क्या नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सुपर बाजार तथा केन्द्रीय भंडार को अपने कार्यालय, गोदाम और शाखाएं चलाने के लिये सरकार ने भवन दिये हैं;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा लिये जाने वाले भाड़े सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागरिक पूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : (क) और (ख) जी हां। केन्द्रीय सरकार कर्मचारी उपभोक्तां सहकारी समिति लि., जो केन्द्रीय भंडार के नाम से लोकप्रिय है, ने सूचित किया है कि केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के लिए कल्याण परियोजना के रूप में केन्द्रीय भंडार की स्थापना के बारे में मंत्रिमण्डल के 2-1-1963 के निर्णय के अनुसरण में सरकार ने कार्यालयों, गोदामों तथा शाखाओं को प्रति महीना एक रुपए की नाममात्र की दर पर स्थान उपलब्ध कराया है। एक विवरण-I पर दिया गया है, जिसमें दिल्ली/नई दिल्ली में चल रहे केन्द्रीय भंडार के उन कार्यालयों, गोदामों तथा शाखाओं की सूची दी गई है, जिनके लिए सरकार ने जगह दी है। सुपर बाजार, दी कोआपरेटिव स्टोर्स लि., दिल्ली ने सूचित किया है कि उन्हें भारत सरकार तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली की सरकार ने किराए पर स्थान उपलब्ध कराया है। उन परिसरों की सूची तथा उसमें से प्रत्येक स्थान का किराया विवरण-II पर दिया गया है।

विवरण-I

सुपर बाजार/केंद्रीय भण्डार

सरकार द्वारा मुहैया कराया गया स्थान

क्र.सं.	अवस्थिति	के लिए
1	2	3
1.	पुष्प भवन	कार्यालय, गोदाम, शाखा स्टोर
2.	पी-ब्लाक	कार्यालय, गोदाम, शाखा, स्टोर
3.	महादेव रोड (कालीबाड़ी सहित)	गोदाम
4.	माल रोड	गोदाम और शाखा स्टोर
5.	योजना भवन	शाखा स्टोर
6.	क्यू ब्लाक आर्मी हेडक्वार्टर	-वही-
7.	आर.के. पुरम-II	-वही-
8.	सरोजिनी नगर बी-ब्लाक	-वही-
9.	मोती बाग-I	-वही-
10.	आर.के. पुरम-I	-वही-
11.	काली बाड़ी	-वही-

1	2	3
12.	मोता बाग-II	शाखा स्टोर
13.	आर.के. पुरम-II	-वही-
14.	कस्तूरबा नगर	-वही-
15.	पंडारा रोड	-वही-
16.	देव नगर (इस समय कार्य नहीं कर रहा)	-वही-
17.	एण्ड्रयूजगंज	-वही-
18.	आर.के.पुरम (वेस्ट)	-वही-
19.	सरोजिनी नगर एच ब्लॉक	-वही-
20.	कर्जन रोड	-वही-
21.	आर.के.पुरम-IX ए	-वही-
22.	यू.पी.एस.सी.	-वही-
23.	एन.सी.ई.आर.टी.	-वही-
24.	मिंटो रोड	-वही-
25.	एशिया हाउस	-वही-
26.	सादिक नगर	-वही-
27.	तिमारपुर (लांसर रोड (सहित)	-वही-
28.	मोतीबाग (नॉर्थ वेस्ट)	-वही-
29.	पुष्प बिहार-I	-वही-
30.	ए.एस.आई.	-वही-
31.	पटेल धाम	-वही-
32.	नॉर्थ ब्लाक	-वही-
33.	डी.आई.जैड एरिया	-वही-
34.	लोधी कॉलोनी	-वही-

1	2	3
35.	आर.के.पुरम-III	शाखा स्टोर
36.	किदवई नगर (बी-83 सहित)	-वही-
37.	आर.के.पुरम-VII	-वही-
38.	श्रीनिवासपुरी	-वही-
39.	आर.के.पुरम-V	-वही-
40.	नानकपुरा	-वही-
41.	बापा नगर	-वही-
42.	नारोजी नगर	-वही-
43.	आर.के.पुरम-IX बी	-वही-
44.	बसंत विहार	-वही-
45.	सी.जी.ओ. कॉम्पलेक्स	-वही-
46.	पुष्प विहार-IV	-वही-
47.	पेशवा रोड (मंदिर मार्ग सहित)	-वही-
48.	सेंट्रल रेवन्यू बिल्डिंग	-वही-
49.	प्रीतमपुरा	-वही-
50.	प्रेम नगर	-वही-

विवरण-II

किराए पर चल रही शाखाओं की सूची

क्र.सं.	शाखाएं	किराया
1	2	3
1.	सुपर बाजार आई.एन.ए. क्षेत्रीय वितरण केन्द्र लोक नायक जय प्रकाश हॉस्पिटल	3,10,320.00 प्रति वर्ष
2.	लोक नायक जय प्रकाश हॉस्पिटल	400.00 प्रति माह

1	2	3
3.	राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल	474.14 प्रति माह
4.	विट्ठल भाई पटेल हाउस	197.14 "
5.	महादेव रोड ब्रांच	660.00 "
6.	किशनगंज	1.00 "
7.	शकूर बस्ती	1.00 "
8.	तुगलकाबाद	1.00 "
9.	भविष्यनिधि	4.00 "
10.	गुलाबी बाग	679.00 "
11.	खैबर पास	कोई किराया नहीं
12.	कल्याणवास	813.00 प्रतिमाह
13.	साउथ एवेन्यू .	660.00 "
14.	तिमारपुर-I	930.00 "
15.	तिमारपुर-II	930.00 "
16.	एअरफोर्स स्टेशन	200.00 "
17.	कलावती हॉस्पिटल	480.00 "
18.	जी.टी.बी. हॉस्पिटल	400.00 "
19.	सफदरजंग हॉस्पिटल	312.00 "
20.	नॉर्थ एवेन्यू	660.00 "
21.	एअरफोर्स स्टेशन	1.00 "
22.	देव नगर	1.00 "
23.	जी.बी. पंत हॉस्पिटल	1.00 "

"पश्चिम गोदावरी जिले में वनों का कम होना"

1088. **प्रो. उम्मारेड्डि वेंकटेस्वरलु** : क्या पर्यावरण और वन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आंध्र प्रदेश सरकार ने पश्चिम गोदावरी जिले में वन संसाधनों की कमी रोकने में अपनी असमर्थता व्यक्त की है;

(ख) यदि हां, तो आंध्र प्रदेश सरकार ने इसके क्या कारण बताएं हैं;

(ग) क्या आंध्र प्रदेश वन विभाग ने पश्चिम गोदावरी जिले में वनों की अवैध कटाई और इमारती लकड़ी का परिवहन रोकने के लिए चेक पोस्ट बनाने हेतु वित्तीय सहायता मांगी है;

(घ) यदि हां, तो इस पर अनुमानतः कितनी लागत आएगी; और

(ङ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

कृषकों को बीज

1089. **श्री साईमन मरान्डी :**
श्री राम प्रसाद सिंह :

क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि देश में कृषकों को उनकी आवश्यकता के अनुरूप अच्छे किस्म के बीज नहीं मिल रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो कृषकों को उनकी आवश्यकता के अनुरूप अच्छे किस्म के बीज उपलब्ध कराने के बारे में सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) देश में विभिन्न फसलों के लिए अच्छे किस्म के बीजों की मांग और उनकी उपलब्धता का ब्यौरा क्या है और यदि इसकी कोई कमी है तो उसे कब तक दूर किया जाएगा; और

(घ) सरकार द्वारा चालू वर्ष के दौरान कृषि के क्षेत्र में शुरू किए जाने वाले तकनीकी सुधारों का ब्यौरा क्या है?

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. कृष्ण कुमार) : (क) से (ग) भारत सरकार कृषकों को गुणवत्ता वाले बीजों की उपलब्धता में सुधार करने की आवश्यकता के प्रति सचेत है। कृषकों को बीज समय पर उपलब्ध कराना मुख्यतया राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है, जो अपने राज्य बीज निगमों, कृषि-उद्योगों निगमों आदि के माध्यम से उत्पादन करने की व्यवस्था करती है। तथापि, राज्य सरकार के प्रयासों की पूर्ति के लिये राष्ट्रीय बीज निगम, भारतीय राज्य फार्म निगम जैसी राष्ट्रीय एजेंसियां भी विभिन्न राज्यों/संघ शासित प्रदेशों में स्थापित अपनी निजी अवसंरचनाओं के माध्यम से बीजों का उत्पादन वितरण कर रही है। भारत सरकार प्रत्येक राज्य/संघ शासित प्रदेश की बीज संबंधी आवश्यकता और उपलब्धता की स्थिति का मूल्यांकन करने

के लिये प्रत्येक बुवाई मौसम यथा खरीफ व रबी के पहले अंचलीय बीज समीक्षा बैठकें बुलाती है। वर्ष 1992-93 और 1993-94 के लिये बीज संबंधी आवश्यकता और उपलब्धता की स्थिति विवरण पर दर्शाई गई है। गुण्वत्ता बीजों की समग्र उपलब्धता सन्तोषजनक थी। तथापि, राज्यों ने सूचित किया कि थोड़ी कमी की स्थिति में वे अपने निजी व्यवस्था कर लेंगे।

(घ) कृषकों की समय पर उचित दरों पर बीजों की आपूर्ति करने के लिए भारत सरकार ने विश्व बैंक की सहायता से राष्ट्रीय बीज परियोजना शुरू की है, इसके तहत पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उडीसा, कर्नाटक, आन्ध्र प्रदेश व असम में 13 राज्य बीज निगम स्थापित किये गये हैं। इसके अलावा 1 अक्टूबर 1988 से बीज विकास संबंधी एक नई बीज नीति लागू की गई है, जिसके तहत पैदावार बढ़ाने और उत्पादकता व फार्म आय में वृद्धि करने के लिये कृषकों की विश्व में कहीं भी उपलब्ध उच्च गुण्वत्ता वाले बीज उपलब्ध कराने पर प्रमुख बल दिया गया है। भारत सरकार सार्वजनिक व निजी क्षेत्र के बीज संगठनों सहित राज्य सरकारों की राष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण अधिसूचित किस्मों/संकर किस्मों के प्रजनक बीजों का आवंटन कर रही है। गुण्वत्ता बीजों की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिये आधारभूत सुविधाओं को सृजन किया जा रहा है/मजबूत बनाया जा रहा है।

विवरण

प्रमाणित/गुणवत्ता बीजों की आवश्यकता और उपलब्धता

(1992-93 व 1993-94)

(मात्रा लाख क्विंटल में)

क्र.सं.	फसल समूह	1992-93		1993-94	
		आवश्यकता	उपलब्धता	आवश्यकता	उपलब्धता
1	2	3	4	5	6
1.	मोटे अनाज	41.92	42.39	44.76	48.54
2.	दालें	4.28	4.47	4.28	4.42
3.	तिलहन	12.01	12.69	11.87	12.81
4.	रेशे	2.44	2.51	2.46	2.41
5.	अन्य	3.78	3.77	4.42	3.51
	कुल	64.43	65.83	67.79	71.69

बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय में कथित अनियमितताएं

1090. **श्री साईमन मरांडी :**

श्री चिन्मयानन्द स्वामी :

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गत दो वर्षों के दौरान बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय में अशांति, जातिवाद और कुप्रशासन के कुछ मामले सरकार के ध्यान में आए हैं;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने इस विश्वविद्यालय की समस्याओं को दूर करने के लिए क्या कदम उठाये हैं तथा इसके क्या परिणाम निकले हैं; और

(ग) इस विश्वविद्यालय की समस्याओं को कब तक दूर कर दिया जायेगा?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

"पर्यावरण हेतु क्षतिपूर्ति"

1091. **श्री छीतूभाई गामीत :**
श्री सोमजी भाई डामोर :

क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि : .

(क) रियो में पर्यावरण पर हुए पृथ्वी सम्मेलन से भारत को कितना लाभ अथवा हानि हुई;

(ख) क्या अमरीका और अन्य विकसित देश उनके द्वारा विश्व पर्यावरण को पहुंचाई गई क्षति के अनुरूप पूर्ण वित्तीय सहायता देने के लिए सहमत हो गए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) पर्यावरणीय क्षति की पूर्ति के हेतु प्रति वर्ष कुल कितनी धनराशि की आवश्यकता है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन पर्यावरण और सतत् विकास से संबंधित मामलों पर विश्व का ध्यान आकर्षित करने की दृष्टि से महत्वपूर्ण था। इस सम्मेलन में 180 से अधिक देशों ने भाग लिया था, जहां पर विकासशील देशों के दृष्टिकोण को जोरदार ढंग से प्रस्तुत किया गया था। पृथ्वी शिखर सम्मलेन की महत्वपूर्ण उपलब्धियों में, विकास और पर्यावरण पर रियो घोषणा, वनों के सतत प्रबंधन के सिद्धान्त तथा एजेन्डा-21, जिसे भविष्य में सतत विकास की दिशा में की जाने वाली कार्रवाई की रूपरेखा के रूप में माना जाता है, शामिल हैं। रियो में जैविक विविधता एवं जलवायु परिवर्तन संबंधी दो कन्वेशन भी हस्ताक्षरार्थ रखे गए थे तथा भारत ने इन दोनों पर हस्ताक्षर कर दिए थे। इस सम्मेलन में भारत की भागीदारी से यह सुनिश्चित हुआ है कि अन्तर्राष्ट्रीय वार्ताओं में हमारा प्रभाव है।

(ख) और (ग) रियो शिखर सम्मेलन को पर्यावरणीय रूप से सुदृढ़ कार्यक्रमों के लिए, विशेषकर विकासशल देशों में, नए और अतिरिक्त वित्तीय संसाधनों के तौर-तरीकों का पता लगाने के लिए संयुक्त राष्ट्र महासभा का अधिदेश दिया गया था। एजेंडा-21 में अन्य बातों के अलावा यह भी सिफारिश कि गई थी कि निधियों के स्रोत में विश्व पर्यावरण सुविधा को शामिल किया जा सकता है जिसका प्रबंध विश्व बैंक, यू.एन.डी.पी. तथा यू.एन.ई.पी. द्वारा संयुक्त रूप से किया जाना है, जिसके माध्यम से

संगत गतिविधियों को स्वीकृत वृद्धिशील लागतों को पूरा करने के लिए विश्व पर्यावरणीय लाभों को प्राप्त करने हेतु अतिरिक्त अनुदान और रियायती निधियां प्रदान की जाएंगी। रियो सम्मेलन से लेकर हम वित्तीय संसाधनों के अन्तरण के इस मामले को परश्यू करते रहे हैं तथा सतत् विकास आयोग द्वारा भी जिसकी समीक्षा की जानी है। पर्यावरण को हुई क्षति के अनुरूप वित्तीय सहायता देने का मामला भी एक महत्वपूर्ण मुद्दा है।

(घ) पर्यावरण और विकास संबंधी संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के सचिवालय ने एजेन्डा-21 में दी गई गतिविधियों के विकासशील देशों में कार्यान्वयन की औसत वार्षिक लागत (1993-2000) का अनुमान 600 बिलियन अमरीकी डालर से अधिक लगाया है, जिसमें अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय से अनुदान या रियायती शर्तों पर लगभग 125 बिलियन अमरीकी डालर भी शामिल हैं। ये आंकड़े संकेतात्मक और केवल अनुमानों पर आधारित हैं।

[अनुवाद]

भुजंग राव समिति

1092. **श्री मुहीराम सैकिया** : क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय विद्यालय संगठन ने लगभग दो वर्ष पहले भुजंग राव समिति गठित की थी; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस समिति ने क्या सिफारिशें की हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा) : (क) और (ख) समिति की मुख्य सिफारिश जमा 2 चरण में अतिरिक्त वैकल्पिक विषय आरंभ करने और परिणामतः अपेक्षित शैक्षिक पदों के सृजन के लिए व्यवस्था, यदि अर्हक हों तो इस विषय में वर्तमान शिक्षकों की ऐसे पदों पर पदोन्नति, इत्यादि से संबंधित हैं। सभी केन्द्रीय विद्यालयों में जमा 2 स्तर पर अतिरिक्त वैकल्पिक विषय आरंभ करने के लिए पर्याप्त अतिरिक्त निधि की आवश्यकता होगी। संसाधनों की वर्तमान तंगी को ध्यान में रखते हुए अतिरिक्त वैकल्पिक विषयों को आरंभ करना संभव नहीं है।

पुष्प उत्पादन उद्योग का विकास

1093. **श्री आनन्द रत्न मौर्य** : क्या **कृषि मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पुष्प उद्योग के विकास हेतु कोई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस समय फूलों के उत्पादकों को, विशेष रूप से निर्यात प्रयोजन हेतु क्या-क्या सुविधाएं प्रदान की जा रही हैं, और

(घ) सरकार द्वारा फलों और इनके उत्पादकों के उत्पादन, भण्डारण और निर्यात के संबंध में पुराने पुष्प निर्यातकों को प्रोत्साहन देने के लिए किए जा रहे नये प्रयासों का ब्यौरा क्या है?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविन्द नेताम) : (क) जी, हां।

(ख) आठवीं योजना के दौरान 10 करोड़ रुपए की कुल लागत से पुष्पोत्पादन सम्बन्धी एक केन्द्र क्षेत्रक योजना क्रियान्वित की जा रही है।

इस योजना में निम्नलिखित बातें शामिल हैं :

(1) पुष्पोत्पादन के लिए आदर्श केन्द्रों की स्थापना करना

- सार्वजनिक क्षेत्र में दस (10)

- निजी क्षेत्र में आठ (8)

(2) तन्तु पालन इकाइयों का प्रावधान

- आदर्श केन्द्रों के साथ अठारह (18) बड़ी इकाइयां

- निजी क्षेत्र में बीस (20) छोटी इकाइयां

(3) 2000 हैक्टेयर क्षेत्र को शामिल करने के लिए क्षेत्र विस्तार सहायता।

(4) पुष्प उत्पादन एवं फसल कटाई के पश्चात व्यवस्था हेतु किसानों को प्रशिक्षण।

(ग) निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिए निम्नलिखित सुविधाएं मुहैया करायी जा रही हैं:

(1) उत्पादन एवं फसल की कटाई के पश्चात की व्यवस्था हेतु बुनियादी सुविधाओं का विकास।

(2) निर्यात संवर्धन/बाजार सर्वेक्षण और व्यवहार्यता अध्ययन आदि।

(3) सजावटी फूलों के लिए हवाई भाड़े पर राज सहायता।

(4) पुष्पोत्पादन सम्बन्धी उत्पादों के निर्यात हेतु अपेक्षित मदों पर लगने वाने आयात शुल्क में कटौती/माफी।

(5) पौध संगरोध प्रक्रियाओं की कारगर/सरल बनाना।

(घ) (1) अपेडा (ए.पी.ई.डी.ए.) पुष्पोत्पादन के निर्यात संबर्धन के सम्बन्ध में यू.एन.डी.पी. की सहायता से एक परियोजना तैयार करने पर बातचीत कर रहा है।

(2) कृषि मंत्रालय ने हाले ही में फ्रांस सरकार के साथ एक द्विपक्षीय करार पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ पुष्पोत्पादन सहित बागवानी उत्पादों का निर्यात भी शामिल है।

(3) यूरोपियन देशों के प्रतिनिधिमण्डल पुष्पोत्पादन के निर्यात हेतु उपलब्ध बुनियादी सुविधाओं का अवलोकन करने के लिए भारत का दौरा कर रहे हैं तथा भारतीय उद्यमियों के साथ समझौते पर बातचीत कर रहे हैं।

"जैव विविधता सम्बन्धी समझौता"

1094. **श्रीमती दीपिका एच. टोपीवाला :** क्या **पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रियो में जैव विविधता समझौते पर हस्ताक्षर करने के डेढ़ वर्ष बाद भी भारत ने लुप्त प्राय वन्यजीवों एवं वनस्पतियों, विशेषतः माइक्रो-आरगेनिज्म, की सुरक्षा और संरक्षण के लिए अभी तक कोई प्रभावी नीति नहीं बनाई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं, और

(ग) सरकार द्वारा इस दिशा में क्या कदम उठाए जा रहे हैं/ उठाए जाने का विचार है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) से (ग) भारत ने 156 अन्य देशों के साथ जून, 1992 में रियो डि जैनरो, ब्राजील में हुए संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण एवं विकास पृथ्वी शिखर सम्मेलन के दौरान जैव-विविधता कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किए थे। हस्ताक्षर करने के बाद भारत सहित अनेक देशों ने इस कन्वेंशन की अभिपुष्टि की है, जो लगभग दो मास पूर्व लागू हो गई है।

जैविक विविधता संरक्षण के लिए कुछ कार्यक्रम और नीतियां हैं। संस्थाओं और उनके कार्यक्षेत्र का ब्यौरा नीचे दिया गया है :

- 75 राष्ट्रीय उद्यानों और 421 वन्यजीव अभयारण्यों के नेटवर्क वाले सुरक्षित क्षेत्र के माध्यम से वन्य जैविक विविधता का स्व-स्थाने संरक्षण।
- वनस्पति, जीव-जन्तु और मछली आनुवंशिक संसाधनों के राष्ट्रीय ब्यूरो घरेलू जैविक विविधता के संरक्षण के लिए उत्तरदायी हैं।
- वनस्पतियों और जीव-जन्तुओं, दोनों की संकटापन्न प्रजातियों का संरक्षण वनस्पति उद्यानों और प्राणि उद्यानों के जरिए किया जाता है।
- सूक्ष्म जीव संवर्धन, नीली रही शैवाल, समुद्री साइनो-वैक्टीरिया तथ पौध ऊतक संवर्धन, पशु गृह सुविधा, जैनेटिक इंजीनियरिंग यूनिटों, जैव-रसायन इंजीनियरिंग तथा प्रतिरक्षण विज्ञान के लिए राष्ट्रीय सुविधाएं जैव प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा दी जाती हैं। ये वनस्पतियों और जीव-जन्तुओं के निचले ग्रुप के संरक्षण के लिए भी उत्तरदायी हैं।
- भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण वनस्पतियों के सर्वेक्षण, अभिनिर्धारण और निगरानी के लिए उत्तरदायी हैं।
- भारतीय प्राणि सर्वेक्षण जीव-जन्तुओं के सर्वेक्षण, अभिनिर्धारण और निगरानी के लिए उत्तरदायी है।
- भारतीय वन सर्वेक्षण वन संसाधनों की निगरानी करता है।
- इसके अलावा, जैविक विविधता के संरक्षण, इसके घटकों के सतत उपयोग और आनुवंशिक संसाधनों के उपयोग से उत्पन्न लाभों के बराबर बंटवारे के लिए अतिरिक्त कानून बनाने पर कार्यवाही पर विचार किया जा रहा है जिसमें लोकहित को ध्यान में रखते हुए आनुवंशिक संसाधनों की उपयुक्त प्राप्ति और प्रौद्योगिकियों का उपयुक्त हस्तांतरण शामिल है।

"गहिरमाथा तट के निकट मत्स्यन पोतघाट"

1095. **श्री आर. सुरेन्द्र रेड्डी : क्या पर्यावरण और वन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा सरकार ने उनके मंत्रालय द्वारा पर्यावरण की दृष्टि से उठाई गई आपत्तियों के बावजूद उड़ीसा में गहिरमाथा तट के निकट चार मत्स्यन पोतघाटों का निर्माण आरंभ करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो उड़ीसा सरकार की परियोजनाओं और उनके मंत्रालय द्वारा उठाई गई आपत्तियों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उड़ीसा कृषक महासंघ ने भी परियोजनाओं के निर्माण पर आपत्ति उठाई थी; और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार ने इस संबंध में क्या कार्यवाही की है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : (क) और (ख) सरकार को रिपोर्ट मिली है कि उड़ीसा सरकार का चार मत्स्य घाट निर्मित करने का प्रस्ताव है, जिनमें एक भित्तर कनिका अभयारण्य के अन्दर तथा अन्य तीन उड़ीसा के केन्द्रपाड़ा जिले में तट के नजदीक, महाकलपाडा ब्लॉक में जम्बू क्षेत्र के नजदीक संकरी खाड़ियों में, निर्मित किए जाएंगे।

(ग) उड़ीसा कृषक महासंघ ने इन घाटों के निर्माण पर इस आधार पर आपत्ति उठाई है कि इससे संवेदनशीन ओलिव रिडले कछुओं के लिए खतरा उत्पन्न हो जाएगा, जो वहां अंडे देने के लिए लाखों की संख्या में आते हैं।

(घ) इस मंत्रालय में मित्तरकनिका अभयारण्य में निर्माण किए जा रहे मत्स्य घाट के निरीक्षण के लिए अधिकारियों का एक दल भेजा है। दल ने क्षेत्र का दौरा करने के पश्चात् अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है, जिसकी इस मंत्रालय में जांच की जा रही है। महासंघ से प्राप्त पत्र को उनकी टिप्पणियों के लिए उड़ीसा सरकार को भेज दिया गया है।

[हिन्दी]

भारतीय खाद्य निगम को खाद्यान्नों पर राज-सहायता

1096. **डा. चिन्ता मोहन** : क्या **खाद्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1990-91, 1991-92 तथा 1992-93 के दौरान भारतीय खाद्य निगम को कितनी राज-सहायता राशि दी गई;

(ख) क्या चालू वित्तीय वर्ष के दौरान यह राशि अनुमानित राशि से अधिक हो जायेगी; और

(ग) यदि हां, तो प्रस्तावित और अनुमानित राशि का ब्यौरा क्या है?

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्प नाथ राय) : (क) से (ग) वर्ष 1990-91 से और तत्पश्चात् भारतीय खाद्य निगम को दी गई राज सहायता निम्न प्रकार है :

वर्ष	रुपये (करोड़ में)
1990-91	2142
1991-92	2850
1992-93	2785

चालू वित्तीय वर्ष 1993-94 के दौरान बजट अनुमानों में 3000 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई थी, जिसे बाद में अनुपूरक अनुदानों के जरिए बढ़ाकर 3,650 करोड़ रुपये कर दिया गया था। वर्ष 1993-94 के संशोधित अनुमानों में और व्यवस्था करने पर विचार किया जाएगा, जिसे 1994-95 के संघीय बजट में शामिल कर लिया जाएगा।

[अनुवाद]

12.00 म.प.

श्री नीतीश कुमार (बाढ़) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान इस देश के करोड़ों नौजवानों के भविष्य के साथ जुड़े हुए सवाल की और आकर्षित करना चाहता हूं। अन्य पिछड़े वर्गों के लिए मंडल कमिशन की सिफारिशों के अनुकूल आरक्षण की व्यवस्था की गयी, लेकिन उनके लिए संघ लोक सेवा आयोग में प्रतियोगी परीक्षाओं में आयु सीमा की कोई ढील नहीं दी गयी और न ही उसमें कितनी बार प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठने का अवसर मिलेगा, उनकी संख्या में किसी प्रकार की छूट नहीं दी गई है जबकि यह छूट उनको मिलनी चाहिए थी, क्योंकि 9 अन्य प्रकार के समूहों को आरक्षण की सुविधा प्राप्त है और इन सब प्रकार के वर्गों के लोगों को आयु सीमा में छूट मिली हुई है और उनको प्रतियोगी परीक्षाओं में बैठने के लिए अवसरों की संख्या में भो छूट दी गयी है, लेकिन अन्य पिछड़े वर्गों के मामलों में ऐसा नहीं किया गया है।

अध्यक्ष महोदय, इन्दिरा साहनी बनाम भारत सरकार के मामले में माननीय न्यायधीशों ने अपने फैसले में कहा था कि किस इस प्रकार के एन्सिलियरी और इंसिडैंटल बैनिफिट्स अन्य पिछड़े वर्गों के लोगों को मिलने चाहिए। बावजूद इसके सरकार ने अपनी अधिसूचनाा के द्वारा इसको शामिल नहीं करके नजर अंदाज किया है। आज जो इस प्रतियोगी परीक्षा में बैठने के लिए, जो इच्छुक नौजवान हैं, वे इस सवाल को लेकर आन्दोलन कर रहे हैं। हर जगह इन्होंने दरख्वास्त दी है, सांसदों से संपर्क किया है, धरना पर बैठे हैं और लोगों का ध्यान इस और आकर्षित किया है। हम लोगों ने भी प्रधान मंत्री जी और कल्यान मंत्री जी का ध्यान आकर्षित किया है, लेकिन इसका कोई प्रतिफल नहीं निकल रहा है। संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षायें होने वाली हैं। आरक्षण के संबंध में पहली अधिसूचना अगस्त 1990 में जारी हुई थी। अगर यह अधिसूचना कार्यान्वित हो गयी होती और कोर्ट में चुनौती नहीं दी गयी होती, तो आज यह लाभ तीन साल से लोगों को मिला होता, लेकिन इन तीन सालों में जिन नौजवानों को यह लाभ नहीं मिला तो उनका कोई कसूर नहीं है। इसलिए यह एक सही सवाल है और उनको आयु सीमा में छूट मिलनी चाहिए। यह बात और महत्वपूर्ण हो जाती है जब मंडल कमिशन की सिफारिशों को लागू करके क्रिमिलेयर को इससे हटा दिया गया है। जब क्रिमिलेयर को अन्य वर्गों में हटा दिया गया है, तो अत्यंत निर्धन किस्म के लोग बच गये, उनकी सामाजिक, शैक्षणिक स्थिति को देखते हुए जिस प्रकार से अन्य आरक्षण के हकदार समूह के आयु सीमा में छूट मिलती है, नम्बर आफ अटैम्प्टस में, जो छूट मिलती है, वह सुविधा अन्य पिछड़े वर्गों के लोगों के अन्य पिछड़े वर्गों को भी मिलनी चाहिए। इस पर हम आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं और आपसे आग्रह करेंगे कि यह न्याय का सवाल है और करोड़ों लोगों के भविष्य का सवाल है, इसलिए सरकार इस पर अपनी राय रखे।

श्री चन्द्रजीत यादव (आजमगढ़) : अध्यक्ष जी, उनकी एक बहुत स्पष्ट मांग यह है कि उम्र में उनको पांच साल की छूट दी जाए और एक अतिरिक्त अवसर उनको दिया जाए और जो बातें नीतीश जी ने कही वे सब सही हैं और उनका एक प्रतिनिधिमंडल कल्याण मंत्री से मिल चुका है और इन्होंने आश्वासन भी दिया था। उसकी वह प्रतीक्षा कर रहे हैं और मैं चाहता हूं कि उसको वह साफ कर दें।

कल्याण मंत्री (श्री सीताराम केसरी) : मान्वयर, जैसा नीतीश जी और अन्य सदस्यगण ने कहा कि उन लड़कों को उम्र में छूट दी जानी चाहिए, चूंकि 13 अगस्त, 1990 को यह घोषणा हुई और अगर हम उसको क्रियात्मक रूप देते तो यह छूट मिलनी चाहिए थी। मगर यह मामला सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत चला गया और सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला 16 नवम्बर, 1992 को दिया, तदनुसार, उसको क्रियात्मक रूप दिया गया। श्री नीतीश कुमार जी ने जो प्रश्न किया और ध्यान आकर्षित किया कि सुप्रीम कोर्ट ने यह भी फैसला दिया है कि उम्र के संबंध में उनको छूट दी जानी चाहिए, मैं भी यह कहता हूं कि इनका सुझाव विचारणीय है और मैं इस पर विचार करूंगा।

...(व्यवधान)...

श्री मृत्युंजय नायक (फूलबनी) : उड़ीसा और बिहार के स्टुडेंट्स को संघ लोक सेवा आयोग में अपीयर होने का मौका नहीं मिला है।

अध्यक्ष महोदय : आपके जो आश्वासन चाहिए था, वह सब मंत्री जी ने कहा है।

...(व्यवधान)...

12.07 म. प.

पश्चिम बंगाल में महिलाओं पर अत्याचार के संबंध में

कुमारी ममता बनर्जी (कलकत्ता दक्षिण) : माननीय अध्यक्ष जी, मैं एक मानवीय प्रश्न की और तथा लोकतंत्र की रक्षा करने के लिए आपकी और पूरे सदन की मदद चाहती हूं। मैं अधिक समय नहीं लेना चाहती हूं लेकिन दो-चार घटनाएं जो हमारे राज्य में हुई हैं, उनकी तरफ ध्यान आकर्षित करना चाहती हूं, जिससे सबको पता चले कि वहां क्या हुआ है।

यह बड़े दुख की बात है कि जिन महिलाओं पर हम अपने देश में गर्व करते हैं, जिन महिलाओं की हमारे यहां इज्जत की जाती है और जिस महिला को हम मां कहते हैं, उनके ऊपर आज जिस तरह से अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं यह बहुत शर्म की बात है। मैं कुछ दिन पहले मालदा जिले में गाजोल में गई थी। वहां ढाकनापाड़ा नाम का एक गांव है। वहां जो घटना हुई उसकी तस्वीर भी मेरे पास है। यह बड़े दुख की बात है कि एक घर में बाहर से ताला लगाकर, घर में पेट्रोल छिड़ककर आग लगा दी। उसमें एक नौ महीने की गर्भवती महिला इतनी जली कि उसके पेट से बच्चा बाहर निकल रहा है। मेरे पास फोटो है और अगर सदन का कोई सदस्य देखना चाहे तो मैं उन्हें दिखा सकती हूं। उस घर में उसका डेढ़ साल का बच्चा, चार साल की लड़की और आठ साल का लड़का सब को जला दिया। सिर्फ उसका पति चारूशेख जिन्दा है। लेकिन वह भी 80 प्रतिशत जला है और मालदा हास्पिटल में भर्ती है। मैं उससे जाकर मिली और पूछा कि क्या हुआ था। उसने मुझे बताया कि हम लोग गरीब आदमी हैं। हमारा एक छोटा-सा घर था। उस घटना के समय पहले मैंने सोचा कि वर्षा हो रही है लेकिन बाद में देखा कि पेट्रोल की वर्षा हो रही है। उसके बाद हमारे घर को और हमें जला दिया। हमने पुलिस को इतनी बार कहा कि इन लोगों ने ऐसा-ऐसा किया है, लेकिन आज तक कोई आदमी अरेस्ट नहीं हुआ है। मैं एक दूसरी घटना भी बताती हूं।

अब मैं आपको दूसरी घटना बताना चाहती हूं। अल्पना बनर्जी नाम की एक 36 वर्षीय वीडो लेडी थी। उसको घर से निकाल कर बाहर ले आया गया और नेकेड करके उसकी परेड

[कुमारी ममता बनर्जी]

तीन घंटे तक कराई गयी। पुलिस को बुलाया तो पुलिस नहीं आयी। उस लेडी के लड़के और पड़ोसियों ने कपड़े देने की कोशिश की तो उसको कपड़े नहीं देने दिये गये। उसके बाद क्या किया कि...।*

श्री विलास मुत्तेमवार (चिमूर) : अध्यक्ष जी, एक महिला जब कोई बात कह रही है, तो उसको बीच में क्यों टोका जा रहा है, बोलने क्यों नहीं दिया जा रहा है। **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

कुमारी ममता बनर्जी : यह स्थिति है। यह बिल्कुल सही है। **(व्यवधान)**

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : मैं चुप्पी साधे रहा हूं। क्या आप ऐसा होने देंगे ? किसी चीज की कोई सीमा होती है।

अध्यक्ष महोदय : यह वक्तव्य कार्यवाही वृतान्त में नहीं लिया जा रहा है।

(व्यवधान)

श्री सोमनाथ चटर्जी : ये सभी मामले जांचाधीन हैं। गिरफ्तारियां की गई हैं।

कुमारी ममता बनर्जी : कोई गिरफ्तारियां नहीं की गई हैं।

श्री सोमनाथ चटर्जी : यदि आप संसद को इसी तरह से चलने की अनुमति देते हैं, तो आप किसी को भी कोई भी मामला उठाने से नहीं रोक सकते हैं। भारत की संसद को चलाने का यह कोई तरीका नहीं है। **(व्यवधान)**

कुमारी ममता बनर्जी : वे बिल्कुल गलत कह रहे हैं। कृपया मुझे बोलने दीजिए। हो सकता है वे लोग ज्यादा हों और मैं अकेली हूं, लेकिन जो कुछ मैं कह रही हूं वह सही है। **(व्यवधान)**

श्री सोमनाथ चटर्जी : क्या आप मुझे इन बातों को सही करने की अनुमति देंगे ?

अध्यक्ष महोदय : मैं आपको अनुमति दूंगा।

(व्यवधान)

कुमारी ममता बनर्जी : जो कुछ भी मैंने सभा में कहा है, वह बहुत ही सुस्पष्ट तरीके से कहा है।

अध्यक्ष महोदय : मैं किसी भी दल को बोलने की अनुमति नहीं दे रहा हूं।

(व्यवधान)

कुमारी ममता बनर्जी : यदि मेरी बात गलत है, तो मैं इस सभा की सदस्यता से अपना इस्तीफा देने के लिए तैयार हूं। यदि वे गलत नहीं हैं, तो उन्हें यह चुनौती देने दीजिए कि वे इसमें शामिल नहीं हैं। **(व्यवधान)**

*कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

यह सब क्या है महोदय ?

मुझे कहने दीजिए कि हैडमास्टर का कत्ल किया गया है। पुलिस ने विद्यार्थियों पर गोली चलाना शुरू किया। लोग कितनी गोलियों को पचायेंगे ? मुझे आपका संरक्षण चाहिए। यह न्याय नहीं है। यह कानून का कोई नियम नहीं है। मैं आपसे अनुरोध करती हूं कि आप सी.पी.आई. (एम) की महिला सदस्य सहित सभी दलों से महिला सदस्यों की एक टीम को वहां भेजे। आप उस टीम का अध्यक्ष श्रीमती गीता मुखर्जी को बना दीजिए और उन्हें श्रीमती अल्पना बनर्जी से मिलने का मौका दें। मैं स्वयं उनसे मिली हूं। जो कुछ भी उन्होंने कहा मैं वह यहां बयान नहीं कर सकती। मैं आपसे महिलाओं के अधिकारों को संरक्षण देने और श्रीमती गीता मुखर्जी तथा अन्य महिला सदस्यों; न केवल कांग्रेस (आई) से बल्कि विपक्षी दलों से भी, उस महिला को मिलने के लिए भेजने की अपील करती हूं। मैं आपसे जनतंत्रात्मक अधिकारों तथा मानव अधिकारों को संरक्षण प्रदान करने की अपील करती हूं। अन्यथा, वे लोगों पर गोली चलाते जायेंगे और मारते जायेंगे। उन्होंने पूरे राज्य में गोली चलाना शुरू कर दिया है। ऐसा हो रहा है। मैं आपसे अपने राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने की अपील करती हूं। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : उन्हें जवाब देने दीजिए। मैं उन्हें उत्तर देने की अनुमति दे रहा हूं।

(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री लोढ़ा का वक्तव्य कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया जा रहा है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्रीमती सुमित्रा महाजन (इन्दौर) : अध्यक्ष जी, हम भी कुछ बोलना चाहते हैं।

(व्यवधान)

पश्चिम बंगाल में ऐसा होता रहता है, अध्यक्ष जी, ऐसा होता आया है बहुत दिनों से, यह वास्तविकता है।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री सोमनाथ चटर्जी : अध्यक्ष महोदय, मैं इस सभा में पश्चिम बंगाल की सरकार का प्रतिनिधित्व नहीं करता हूं। वहां भी एक सभा है। कुछ कानून तथा व्यवस्था की तथा कथित घटनाओं का उल्लेख किया गया है। मैं खड़ा हुआ और मैंने धैर्यता से उनका इंतजार किया। मैं धैर्यता से उनकी बात सुन रहा था।

लेकिन जब उन्होंने मेरे दल को ...... का दल कहा* तब मैं खड़ा हुआ।

*कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : यह कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया है।

श्री सोमनाथ चटर्जी : महोदय, मैं आपसे बहुत विनम्रता तथा सम्मान से यह कहना चाहूंगा कि भारत की संसद सभा में ऐसी कथित घटनाओं का उल्लेख कब तक होता रहेगा और आप सदस्यों से यह उम्मीद करते हैं।*

कुमारी ममता बनर्जी : आपने ही यहां यह प्रश्न उठाया था।

अध्यक्ष महोदय : श्री सोमनाथ चटर्जी यदि आपने अपनी बात कह ली हो, तो मैं इस पर अपना निर्णय दूं।

श्री सोमनाथ चटर्जी : जहां तक कि इन आरोपों का संबंध है, पश्चिम-बंगाल का एक नागरिक होने के नाते और उस दल का सदस्य होने के नाते, जो कि इस समय पश्चिम-बंगाल में सत्ता में है, मैं गंभीरता से यह कह सकता हूं कि जो कुछ भी प्रशासनिक कार्यवाही की जानी थी, वह की गई है और लोगों को गिरफ्तार किया गया है। जहां तक कि राष्ट्रपति शासन लागू किए जाने की मांग का संबंध है, यह भारत सरकार का काम है। आज इस सभा में पश्चिम-बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू किए जाने की मांग की जा रही है। उन्हें करने दीजिए यदि वे कर सकते हैं। **(व्यवधान)** भारत की संसद सभा में व्यवहार करने का यह कोई तरीका नहीं है। यदि आप भविष्य में ऐसी अनुमति देंगे, तो हम भी इस सभा में अन्य राज्यों के मुद्दे उठायेंगे। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : ठीक है, जो कुछ भी मामला श्री सोमनाथ चटर्जी द्वारा उठाया गया है, वह सभा की प्रक्रिया के अनुरूप है, लेकिन सभी मामलों के संबंध में यह जान लेना चाहिए। हम किसी मामले को इसलिए स्वीकार नहीं कर सकते, क्योंकि वह इस राज्य से है या आप उसे इसलिए नहीं अस्वीकार नहीं कर सकते, क्योंकि वह किसी अन्य राज्य से है ?

मैं श्री सोमनाथ चटर्जी से सहमत हूं, जब वे कहते हैं कि ऐसे मामलों में संसद के लिए सही निष्कर्ष निकालना कठिन हो जाता है। ऐसे मामलों का निर्णय न्यायालय द्वारा लिया जाना चाहिए और यदि पुलिस ने कोई कार्यवाही नहीं की है, तो ऐसे मामलों में निश्चय ही व्यक्तिगत शिकायत की जा सकती है और सबूत न्यायालय में प्रस्तुत किए जा सकते हैं तथा निर्णय दिया जा सकता है, लेकिन यदि आप कहें कि संसद ही न्यायालय के रूप में निर्णय लें, तो यह कठिन होगा।

मैं इस बात की सराहना करूंगा यदि इस तरह के विस्तृत मामलों का उल्लेख दलों के और व्यक्तियों के नाम लिए बिना किया जाए, क्योंकि वे यहां अपने आपको बचाव नहीं कर सकते हैं। यदि आप इससे आगे बढ़ते जाते हैं तो मामले को उठाने का उद्देश्य समाप्त हो जाता है और उसके बाद लोग सही समझने लगते हैं कि यह एक राजनीतिक मामला है और इससे अधिक कुछ नहीं।

(व्यवधान)

श्री सुब्रत मुखर्जी (रायगंज) : महोदय, मैं उस क्षेत्र से निर्वाचित हूं।

*कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : श्री सोमनाथ चटर्जी जी, आप इस बात की सराहना करेंगे, क्योंकि कई बार तो सदस्य यह समझते भी नहीं हैं।

श्रीमती चन्द्र प्रभा अर्स (मैसूर) : महोदय, संसदीय समिति भेजने के बारे में आपकी क्या राय है ?

अध्यक्ष महोदय : मैं नहीं भेज रहा हूं।

12.19 म.प.

मंत्री द्वारा वक्तव्य

21-1-94 को उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद जिले में दौना गांव में एक दलित महिला की परेड कराने की घटना

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी.एम. सईद) : अध्यक्ष महोदय, इलाहाबाद जिले में दलित महिला को निर्वस्त्र करने तथा परेड करवाने से संबंधित मामले को इस सभा के माननीय सदस्य द्वारा 23-2-1994 को उठाया गया था। मुझे इस घटना के संबंध में उत्तर प्रदेश सरकार से रिपोर्ट मिली है।

राज्य सरकार की रिपोर्ट के अनुसार इलाहाबाद जिले के पी.एस. घूरपोर थाने के अन्तर्गत दौना गांव में किसी श्री लुरखुर पटेल तथा अन्य 20-25 लोगों ने श्री मोती लाल की पत्नी श्रीमती शिव पतिया को नग्नावस्था में परेड करने के लिए मजबूर किया। इस गंभीर अपराध का कारण श्री मोती लाल तथा श्री लुरखुर पटेल के लड़कों के बीच वैर है। इस बात की भी रिपोर्ट मिली है कि 16 जनवरी, 1994 को इन दो लड़कों के बीच झगड़ा भी हुआ था।

इस घटना की सूचना मिलने पर इस मामले को अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 147, 148, 149, 354 और 506 आई.पी.सी. तथा 3(1) iii(X) के अंतर्गत पंजीकृत किया गया था। एफ.आई.आर. में दिए गए आठ नामों सहित इस घटना से संबंधित 22 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया और न्यायालय में 7-2-1994 को आरोप पत्र दाखिल किए गए हैं। इन 22 व्यक्तियों में आठ अपराधियों को एन.एस.ए. के अन्तर्गत हवालात में भी रखा गया है।

सभी अपराधियों के हथियार लाइसेंस रद्द कर दिए गए हैं।

उत्तर प्रदेश के राजस्व बोर्ड के चेयरमैन को इस मामले की छानबीन के लिए नियुक्त किया गया है। उन्होंने पहले ही अपनी रिपोर्ट दे दी है, जिसकी राज्य सरकार द्वारा जांच की जा रही है।

दोषी पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध भी कार्यवाही की गई है।

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक और मंडल अधिकारी तथा अन्य चार पुलिस अधिकारियों को निलंबित किया गया है और इलाहाबाद पुलिस के वरिष्ठ अधीक्षक का तबादला कर दिया गया है।

[श्री पी.एम. सईद]

[अनुवाद]

पीड़ितों के परिवारों को पर्याप्त सुरक्षा उपलब्ध करवाई गई है। 1,10,000 रुपए की वित्तीय सहायता वितरित की गई है। राज्य सरकार ने सूचित किया है कि उसने यह सुनिश्चित करने के लिए कार्रवाई की है कि यह घटना जो कि दो परिवारों के बीच का विवाद है, अन्तरजातीय संघर्ष बन कर न उभरने पाए। गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री श्री राम लाल राही ने भी 22-1-1994 को गांव का दौरा किया है।

मैं इस समय इस सम्माननीय सभा के माननीय सदस्यों को आश्वासन देना चाहता हूं कि सरकार इस तरह की सभी घटनाओं को गंभीरता से लेती है और वह समय-समय पर राज्य सरकारों को समय पर निरोधात्मक, दण्डात्मक और पुनर्वास के उपाय करने के बारे में परामर्श देती रहती है। गृह मंत्री ने भी उत्तर प्रदेश सहित अनेक राज्यों के मुख्य मंत्रियों को इस बारे में लिखा है। गृह मंत्री ने इस मामले के बारे में विशेष रूप से एक अर्ध शासकीय पत्र उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री को लिखा है।

सरकार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और महिलाओं के प्रति अपराधों की घटनाओं पर नजदीकी निगरानी रखती रहेगी और इस संबंध में कल्याण मंत्रालय से कारगर समन्वय भी बनाए रखेगी।

12.23 म.प.

पश्चिम बंगाल में महिलाओं पर अत्याचारों के संबंध में

कुमारी ममता बनर्जी (कलकत्ता दक्षिण) : गृह मंत्री जी को यही बात पश्चिम बंगाल के बारे में भी कहनी चाहिए। उत्तर प्रदेश में जो घटनाएं हुई हैं, हम उनकी निन्दा करते हैं। मंत्री जी को इस मामले में पश्चिम बंगाल के बारे में भी गौर करना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान (रोसेड़ा) : अध्यक्ष जी, मैंने इस मामले को 22 तारीख को उठाया था। इसमें इसी सिर्फ एक घटना का जवाब दिया है, इस तरह की दर्जनों घटनाएं घट रही हैं और उत्तर प्रदेश में ही नहीं **...(व्यवधान)...**

अध्यक्ष महोदय : मैं लोढा जी को मौका दे रहा हूं।

श्री गुमान मल लोढा (पाली) : माननीय अध्यक्ष महोदय, आप इस पर आधे घण्टे की चर्चा की अनुमति दे दे।

श्रीमती सरोज दुबे (इलाहाबाद) : अध्यक्ष महोदय, एक तो इलाहाबाद की घटना घटी और आपने मुझे बोलने नहीं दिया। कोई बात नहीं, लेकिन यह जो अभी रिपोर्ट आई है...

अध्यक्ष महोदय : आप बताइये, क्या बताना चाहती हैं ?

श्रीमती सरोज दुबे : वह इसके बाद आई है। इसके लिए इलाहाबाद के तमाम महिला

संगठन जब सड़क पर आ गये और 3 घण्टे चक्का जाम रखा तब जाकर यह सारी रिपोर्ट आई है। लेकिन फिर भी मैं सरकार को बधाई देना चाहती हूं कि महिला के साथ अन्याय हुआ तो उन्होंने इसके लिए इतना बड़ा कदम उठाया कि एक सिपाही से लेकर एस.पी. तक को उन्होंने सस्पैण्ड किया। मगर मेरा निवेदन यह है कि अगर किसी महिला के ऊपर अत्याचार होता है तो हमें पार्टी से ऊपर उठना चाहिए, किसी भी धर्म से ऊपर होना चाहिए, क्योंकि महिला का अपमान एक बार अपमान नहीं होता है, अगर किसी महिला का अपमान हो जाता है तो जीवन भर उसके माथे पर एक लेबल लग जाता है और उसकी कीमत एक लाख रुपये नहीं हो सकती है। इसलिए मेरा अनुरोध है कि जो ममता जी ने आवाज उठाई, अगर कोई भी आवाज उठती है, अगर किसी महिला का अपमान होता है तो उसको पार्टी से ऊपर होना चाहिए और इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। अगर महिला के साथ अत्याचार होता है **...(व्यवधान)...**

अध्यक्ष महोदय : आप इस सदन को कोर्ट बना दीजिए और आप सारे केसेज उसमें कर लीजिए।

श्रीमती सरोज दुबे : तो मेरा यह निवेदन है कि सरकार को स्पष्ट निर्देश दिये जायें कि जब भी किसी महिला का उत्पीड़न होता है और पुलिस वाले उसमें शामिल होते हैं, उसमें अगर कार्रवाई नहीं की जाती है तो तुरन्त उन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, जो महिलाओं को अपमानित करने के लिए और महिलाओं पर जुल्म करने के लिए मिलीभगत करते हैं। यह मेरा अनुरोध है। आपने कई बार कहा कि मैं उस पर चर्चा कराऊंगा। श्रीमान, रोज अत्याचार बढ़ रहे हैं। **...(व्यवधान)...**

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यदि आप इससे आगे बढ़ते हैं, तो मैं इस मामले को यह पता लगाने के लिए विशेषाधिकार समिति को भेजूंगा कि क्या यह विशेषाधिकार का उल्लंघन है या नहीं।

...(व्यवधान)...

अध्यक्ष महोदय : आप हद से आगे बढ़ रहे हैं।

...(व्यवधान)...

[हिन्दी]

श्रीमती सरोज दुबे : आप कुछ भी कहें, लेकिन मैं इसलिए बोल रही हूं कि यह बहुत अच्छा हुआ, यह एक उदाहरण बना। इस तरह के उदाहरण सभी सरकारों को करने चाहिए, तभी यह महिलाओं पर अत्याचार बंद होगा, यही मुझे कहना है। **...(व्यवधान)...**

श्री मोहन सिंह (देवरिया) : अध्यक्ष महोदय, आप जीरो आवर में अच्छे मूड में रहा करिये।

अध्यक्ष महोदय : आप अच्छा बिहेव कीजिए।

(व्यवधान)

श्री गुमान मल लोढा (पाली) : श्रीमान, पश्चिम बंगाल में वर्धमान जिले के अंदर एक ग्राम है, जिसका नाम निगम है। वहां पर अनुसूचित जाति के लोग बहुत संख्या में रहते हैं। गत माह में 25 जनवरी को वहां पर जिस तरह का हत्याकांड हुआ और जिस प्रकार से ग्राम के ऊपर तीन हजार लोगों ने हमला किया, हमला करके तीन सौ अनुसूचित जाति के लोगों की झोपड़ियों को जला दिया। **...(व्यवधान)...** उनके घरों में से निकाल कर महिलाओं और पुरुषों पर अत्याचार किया।

[अनुवाद]

कुमारी ममता बनर्जी : मैंने गांव का दौरा किया है। **...(व्यवधान)...**

अध्यक्ष महोदय : ठीक है, आप सब लोग विद्वान और सुविज्ञ सदस्य हैं। आप जानते हैं कि संसद का क्षेत्राधिकार क्या है, न्यायालय का क्षेत्राधिकार क्या है और राज्य विधान मंडल का क्षेत्राधिकार क्या है।

...(व्यवधान)...

श्री गुमान मल लोढा : मेरा श्री चटर्जी से अनुरोध है कि वह स्वयं जा कर जांच करें। **...(व्यवधान)...**

[हिन्दी]

श्रीमान, अनुसूचित जाति के लोगों की झोपड़ियों को जलाया गया और उन पर हमला किया गया, आप जा करके पता लगा ले। वहां के अनुसूचित जाति के लोगों ने पहले रिपोर्ट भी की थी कि हमारे ऊपर हमला किया जाएगा और हमला इसलिए किया गया कि निगम ग्राम से वहां के ग्राम पंचायतों के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के लोगों को जीता दिया गया, उसके लिए उनको पेनालाइस करने के लिए हमला किया गया। श्रीमान, आज तक पुलिस ने वहां पर कोई कार्यवाही नहीं की है। **...(व्यवधान)...**

कुमारी ममता बनर्जी : मैं पश्चिम बंगाल के बारे में होम मिनिस्टर से स्टेटमेंट मांगती हूं। **...(व्यवधान)...**

श्री गुमान मल लोढा : मेरा निवेदन है कि ये एक घटना नहीं है। पूरे पश्चिम बंगाल पर राजनीतिक अत्याचार किया जा रहा है।

[अनुवाद]

कुमारी ममता बनर्जी : वहां कोई मानवाधिकार नहीं है। वहां पर कोई लोकतांत्रिक अधिकार नहीं हैं। वहां पर कुछ नहीं है। **...(व्यवधान)...**

श्री सोमनाथ चटर्जी (बोलपुर) : आज पश्चिम बंगाल दिवस है।

कुमारी ममता बनर्जी : जी हां, आज पश्चिम बंगाल दिवस है। **...(व्यवधान)...**

[हिन्दी]

श्री गुमान मल लोढा : मेरा इतना निवेदन है कि निगम की घटना के बारे में माननीय

गृह मंत्री वक्तव्य दे कि वहां पर तीन सौ अनुसूचित जाति के लोगों की झोपड़ियों को जलाया गया था या नहीं जलाया गया। ...(व्यवधान)... आप इसकी जांच कराएं और गृह मंत्री इस पर वक्तव्य दें।

[अनुवाद]

जल संसाधन मंत्री और संसदीय कार्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : इस सभा में जिस परंपरा का अनुसरण किया गया है। उसके अनुसार मैं गृह मंत्री से अनुरोध करना चाहूंगा कि वह राज्य सरकार से इस संबंध में एक रिपोर्ट मंगवाए ...(व्यवधान)... राज्य सरकार से रिपोर्ट मिलने के बाद उन्हें इस मामले पर यहां पर एक वक्तव्य देना चाहिए।

श्री सोमनाथ चटर्जी : क्या मैं स्पष्टीकरण मांग सकता हूं ? ...(व्यवधान)... इस तरह से काम मत कीजिए। (व्यवधान)... उन्हें ऐसे वक्तव्य देने दीजिए। मैं इसका बुरा नहीं मानता हूं। ...(व्यवधान)...। हर एक राज्य के संबंध में उठाए गए हर एक मामले को भेजने की ईमानदारी आप में होनी चाहिए। (व्यवधान) श्री शुक्ला जी, आपमें यह राजनीतिक ईमानदारी होनी चाहिए। अतः हमें एक राज्य से संबंधित मुद्दो को उठाने से रोकने की कोशिश मत कीजिए। जब मंत्री जी पश्चिम बंगाल के बारे में वक्तव्य देने कि लिए उपस्थित हैं, तो उनमें राजनीतिक ईमानदारी होनी चाहिए। ...(व्यवधान)....

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार (बाढ़) : अध्यक्ष महोदय, आगे से हम लोग जो भी सवाल उठाएंगे, क्या आप हमको उठाने देंगे और किसी एक घटना के संबंध में यहां पर जिस तरह की पोलीटिकल बैटल हो रही है। इसकी इजाजत भी सबको मिलनी चाहिए। ...(व्यवधान)...

आज वी.सी. शुक्ला जी हर इंसीडेंट पर रिपोर्ट मंगवाने की बात कर रहे हैं। इस बारे में हमको सिर्फ एक प्रोटैक्शन चाहिए कि हर रोज हम जो भी मुद्दे उठाएंगे, किसी भी राज्य के संबंध में मुद्दे उठाएंगे, तो उन पर भी ऐसा रेसपांस संसदीय कार्य मंत्री की ओर से आना चाहिए। इसके अलावा हमको और कुछ नहीं चाहिए।...(व्यवधान)...

[अनुवाद]

श्री श्रीकान्त जेना (कटक) : लोढा जी और ममता जी द्वारा राज्य की कानून और व्यवस्था की स्थिति को उठाए जाने के बाद संसदीय कार्य मंत्री जी ने आज चूंकि यह कहा है कि गृह मंत्री जी वक्तव्य देंगे तो गृह मंत्री जी को किसी भी राज्य की कानून और व्यवस्था की स्थिति के बारे में अपनी ओर से प्रति दिन वक्तव्य देने दीजिए।

अध्यक्ष महोदय : श्री जेना जी, अपने स्थान पर जाइए।

...(व्यवधान)....

अध्यक्ष महोदय : जब मैं बोल रहा हूं तो यहां पर यह सब क्या हो रहा है ? कृपया बैठ जाइए। मैं श्री फातमी जी को बोलने की अनुमति दे रहा हूं। कृपया आपको यह बात समझनी चाहिए कि आपने एक बार नहीं अनेक बार इस बात पर जोर दिया था कि सरकार को वक्तव्य देना चाहिए।

श्री श्रीकान्त जेना : उत्तर प्रदेश के संबंध में जो प्रश्न उठाया गया था, वह अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के बारे में था, लेकिन पश्चिम बंगाल के संबंध में यह राजनीति से प्रेरित मुद्दा है। **...(व्यवधान)...**

अध्यक्ष महोदय : मेरा विचार है कि व्यक्तियों से संबंधित मामलों को सभा में नहीं उठाया जाना चाहिए। संसद या राज्य विधान मण्डल व्यक्तिगत मामलों पर निर्णय लेने के मंच नहीं हैं। ऐसे मामलों के मंच न्यायालय होते हैं, इस बात का निर्णय न्यायालयों में होता है कि किसका वक्तव्य सही है और किसका गलत। हम इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं कि सभी की ओर से इस तरह के मामले क्यों उठाए जाते हैं। जब मामला सामने आता है तो कोई इस बात पर जोर देता है कि वक्तव्य दिया जाना चाहिए और कोई इस बात पर जोर देता है कि वक्तव्य नहीं दिया जाना चाहिए। अभी-अभी दो मिनट पहले गृह मंत्री जो उत्तर प्रदेश में हुई एक घटना के बारे में वक्तव्य देने कि लिए कहा गया था। इसी तरह से किसी व्यक्ति पर कोई आरोप लगाए बगैर किसी दल पर कोई आरोप लगाए बगैर यदि किसी महिला के बारे में कोई मामला उठाया जाता है और यदि आप समझते हैं कि इस मामले के मानदंडों के अन्तर्गत आमतौर पर महिलाओं के साथ किया जाने वाला समूचा बर्ताव आता है और यदि मंत्री जी द्वारा स्वतः एक वक्तव्य दिये जाने की संभावना हो तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन मैं एक बात कहूंगा। कृपया हमें ऐसे मामले नहीं उठाने चाहिए।

श्री सोमनाथ चटर्जी : जी, हां।

अध्यक्ष महोदय : और यदि श्री सोमनाथ चटर्जी "जी, हां," कह रहे हैं, तो उन्हें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि ऐसे मामले यहां पर न उठाए जायें।

श्री सोमनाथ चटर्जी : कृपा मुझे आधे मिनट का समय दीजिए। जितनी देर तक महिला सदस्य कुछ कथित घटनाओं का जिक्र करती रही, मैं बिलकुल चुप रहा, लेकिन जब उन्होंने मेरे दल पर अन्धाधुन्ध आरोप लगाने शुरू कर दिए तब मैं खड़ा हुआ।

अध्यक्ष महोदय : लेकिन वे टिप्पणियां कार्यवाही का हिस्सा नहीं थीं।

श्री सोमनाथ चटर्जी : यह ठीक है लेकिन किसी ने भी उनको रोकने की कोशिश नहीं की। मैं यह कहना चाहता हूं कि महिलाओं पर कोई भी अत्याचार शर्म की बात है। जहां कहीं भी ऐसी घटना घटित होती है। वह राष्ट्र के लिए शर्म की बात है। यदि पश्चिम बंगाल में कुछ हुआ है तो सुधारात्मक कदम उठाए जाएंगे और उठाए जाने चाहिए। जब कभी भी पश्चिम बंगाल से संबंधित किसी भी मामले का जिक्र किया जाता है संसदीय कार्य मंत्री उस पर जिस तत्परता से प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं। राजनीतिक भावनाओं का पता चलता है। **...(व्यवधान)...**

जल संसाधन मंत्री और संसदीय कार्य मंत्री (श्री विद्याचरण शुक्ल) : हम यहां पर जिस प्रक्रिया को अपनाते हैं, वह इस सभा की स्थापित परंपराओं के अनुसार होती है। जब कभी भी अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और महिलाओं पर अत्याचार होते हैं, ऐसे मामले कभी-कभी यहां उठाए जाते हैं। संबंधित राज्य सरकार से रिपोर्ट प्राप्त करने के बाद गृह मंत्री जी वक्तव्य देते हैं, जैसा कि आज उत्तर प्रदेश के मामले में हुआ है। इसी तरह से पश्चिम बंगाल

में अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों और महिलाओं पर अत्याचार होने के आरोप लगाए गए हैं। गृह मंत्री जी पश्चिम बंगाल सरकार से रिपोर्ट मंगाएंगे और उस रिपोर्ट के आधार पर वह यहां पर वक्तव्य देंगे। जो कार्रवाई करनी होगी वह राज्य सरकार की रिपोर्ट के अनुसार की जाएगी। अतः कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। मैं कोई नई परंपरा नहीं डाल रहा हूं। **...(व्यवधान)...**

श्री नीतीश कुमार (बाढ़) : फिर तो आपको हर रोज ऐसा करना चाहिए।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : जब मैं खड़ा हूं तो आपको बैठना चाहिए।

...(व्यवधान)...

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइए। मैं इस मामले पर गौर करूंगा। जब आप पीठासीन हों तो आप जो कुछ कहना चाहें कह सकते हैं, लेकिन वहां बैठकर नहीं। कृपया यह भी समझिए कि जहां तक संभव हो, हम सदस्यों की भावनाओं का सम्मान करते हैं। लेकिन यदि कतिपय सीमा से बाहर निकल जाता है तो यह काफी कठिन हो जाता है। अब इस संसद के भी कुछ क्षेत्राधिकार हैं, लेकिन बिना साक्ष्य के बिना और यह जाने बगैर भी किन्हीं व्यक्तियों के खिलाफ कतिपय आरोप लगाना आपका अधिकार क्षेत्र नहीं है। लेकिन आपने यहां पर किन्हीं व्यक्तियों, संगठनों और दलों के विरुद्ध विचार व्यक्त किए, जिन्हें आपना बचाव करने का अवसर नहीं है। फिर हम क्या करें ? आप यहां पर स्वयं ही कानून बनाते हैं और स्वयं ही उन्हें तोड़ते हैं। ऐसी बात नहीं होनी चाहिए लेकिन कभी-कभार हमने यदि कतिपय मामलों को ले लिया है, तो वह नियम नहीं बन जाना चाहिए। कम से कम जो सदस्य संविधान और विधान मंडल न्यायपालिका और कार्यपालिका के क्षेत्राधिकार को समझते हैं, वे इस तरह के मामलों को यहां पर न उठाकर हमारी सहायता कर सकते हैं।

...(व्यवधान)...

[हिन्दी]

श्रीमती विजयराजे सिंधिया (गुना) : अध्यक्ष महोदय, बड़े दुख से मैं कह रही हूं कि जब प्रति दिन इस प्रकार की घटनाओं के बारे में जब हम सुनते हैं तो लज्जा से हमारा सिर झुक जाता है। महाभारत में तो द्रौपदी के साथ एक बार चीरहरण हुआ था। यहां तो रोज ही हो रहा है। यह संसद एक सर्वोच्च संस्था है। यहां नहीं तो फिर कहां सुनवाई होगी। एक गरीब महिला की इज्जत ली जाती है और एक महीने तक पुलिस एफ.आई.आर. नहीं लिखती है, उसके पास पैसे नहीं हैं इसलिए वह कोर्ट नहीं जा सकती। अगर सदस्य के माध्यम से उसकी बात यहां उठाई जाये तो आप यह नहीं कह सकते कि हमें रोज ऐसा नहीं कहना चाहिए मैं आपसे हाथ जोड़ कर कहना चाहती हूं कि यह सुप्रीम बाडी है। नारी की इज्जत ली जाती रही हो, उसकी कहीं सुनवाई नहीं हो तो यदि कोई सदस्य इस विषय को यहां रखे और सरकार से कहा जाये कि वह पता लगाये तो यह अनुचित नहीं है। हम कोई ऐसी अदालत बनाएं जहां ऐसी महिलाओं और गरीब लोगों की जिनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, उनको वहां शरण देने की व्यवस्था हो तो सही बात होगी।

अध्यक्ष महोदय : मैं आपकी भावना से सहमत हूं। ऐसी घटनायें होती हैं, उसका हम सब लोगों को दुःख होता है। आपने जो भी कहा है, उसके एक-एक शब्द का मैं आदर करता हूं, उसी दृष्टि से हमारा काम होना चाहिये। मुश्किल इस बात की है कि देश बड़ा है, घटनायें बहुत होती हैं। रोज की घटनाओं पर चर्चा करें तो कुछ नहीं निकलेगा। अगर इस विषय पर एक-दो या चार घंटे तक चर्चा करनी है, तो हम जरूर करायेंगे। आपकी भावनाओं की हम कद्र करते हैं, सिर्फ इतनी विनती कर रहे हैं कि दूसरी बातों पर भी चर्चा होनी चाहिए।

श्रीमती विजयराजे सिंधिया : मैं बहुत आभारी हूं। ऐसी चर्चा की व्यवस्था की जानी चाहिए।

[अनुवाद]

श्रीमती गीता मुखर्जी : महोदय मैं आपके विनिर्णय पर एक स्पष्टीकरण चाहती हूं। क्या मुझे इसकी अनुमति है ?

अध्यक्ष महोदय : ऐसी प्रथा तो नहीं है, लेकिन मैं गीता जी को अनुमति दूंगा।

[अनुवाद]

श्रीमती गीता मुखर्जी : महोदय, जहां तक मेरा संबंध है, मेरा विचार है कि महिलाओं पर किए जा रहे सभी अत्याचारों से तुच्छ राजनीतिक विचारों से ऊपर उठकर निपटा जाना चाहिए। इसमें कोई संदेह नहीं है। मैं अभी भी इस बात की पक्षधर हूं मैं समझती हूं कि अन्य सभी सदस्यों को भी इसका पक्षधर होना चाहिए। मैंने इस संबंध में एक स्पष्टीकरण मांगना चाहा था।

अध्यक्ष महोदय : मैं स्पष्टीकरण देने के लिए बाध्य नहीं हूं। खैर, मैं आपको इसकी अनुमति दूंगा।

श्रीमती गीता मुखर्जी : आज मैंने एक विषय पर नोटिस दिया हुआ है, जो किसी राज्य से संबंधित नहीं है, बल्कि एक केंद्रीय विभाग के संबंध में है। यह एक अधिकारी के खिलाफ है जिसने एक महिला से छेड़खानी की है। क्या इस संबंध में मेरी बात सुनी जानी चाहिए या नहीं ?

अध्यक्ष महोदय : मैं स्पष्टीकरण दूंगा। मान लीजिए यह बात सही है तो यह निन्दनीय है और हमें इसकी निन्दा करनी चाहिए, लेकिन सच्चाई जान पाना बहुत कठिन है। हमें एकदम निष्कर्ष नहीं निकालना चाहिए। यह निष्कर्ष पर पहुंचने का मंच नहीं है।

श्रीमती गीता मुखर्जी : मैं किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंची। महोदय मैंने आपके माध्यम से मंत्री जी से यह आग्रह करना चाहा था कि वह स्वयं इस मामले को लें।

अध्यक्ष महोदय : कृपया आप बात को समझिए यह उपयुक्त मंच नहीं है, अन्यथा आपको संसद को न्यायिक अधिकार देने पड़ेंगे और इसका निर्णय करना होगा। इस काम के लिए न्यायालय है। प्रभावित पक्ष न्यायालय में जा सकता है। मैं यह भी समझता हूं कि बहुत से लोग न्यायालय में नहीं जा सकते हैं, क्योंकि उनके पास पैसा नहीं है।

आप संसद से उन मामलों को निपटाने की उम्मीद कैसे कर सकते हैं जो कि देश में हर रोज घटित हो रहे हैं ? हम इस मामले पर व्यापक रूप से एक ही बार में या कई बार गौर

करेंगे। सभा आपकी है, इसका समय आपका समय है। आप ऐसे मामलों को उठाने में सभा के समय का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मुझे दिन-प्रतिदिन की घटनाओं, जो कि यहां पर वास्तविक तथ्यों को जाने बगैर उठाई जा रही हैं, को समायोजित करना बहुत कठिन हो रहा है।

[हिन्दी]

श्रीमती भावना चिखलिया (जूनागढ़) : अध्यक्ष महोदय, महिला आयोग बन जाने के बाद भी यह काम नहीं कर रहा है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : फिर तो आप इसे राष्ट्रपति के अभिभाषण में भाग लेते समय उठाइए।

[हिन्दी]

श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी (दरभंगा) : अध्यक्ष महोदय, आज सुबह हम जब पार्लियामेंट आ रहे थे, तो हमें अरेस्ट कर लिया गया।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आप यह बात समझिए कि आप यहां पर किस तरह का वक्तव्य दे रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी : अध्यक्ष महादेय, आज हम जब यहां आ रहे थे...

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आप मुझे यह लिख कर क्यों नहीं देते हैं ?

[हिन्दी]

श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी : अध्यक्ष जी, आप मेरी बात तो सुन लीजिए। हमें तो पार्लियामेंट के गेट पर अरेस्ट कर लिया गया, जब हम लोग सिम्पली डुंकल के खिलाफ गांधी जी की मूर्ति पर हार डालना चाहते थे, सिर्फ अपना प्रोटेस्ट जाहिर करने के लिए और यहां कहा गया कि यहां पर धारा 144 लगी हुई है और आप अरेस्टेड हैं और हम लोग पार्लियामेंट भी अटेंड नहीं कर सके। मुझे और श्री मंजय लाल जी को आपके दरवाजे पर ही अरेस्ट कर लिया गया, तो यह कोई सिम्पल मामला तो नहीं है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री फातमी जी, कृपया यह बात समझिए कि यही हम सभी सदस्य हर समय इस तरह की बातों के लिए संसद में आयेंगे तो संसद का क्या होगा ? कृपया आप अब बैठ जाइए।

[अनुवाद]

श्री मृत्युंजय नायक (फूलबनी) : यदि महात्मा गांधी की मूर्ति पर हार डालना है, तो राजघाट जाओ।

[अनुवाद]

श्री श्रीकान्त जेना (कटक) : माननीय सदस्य को संसद भवन के मुख्य द्वार से गिरफ्तार किया गया। **...(व्यवधान)...**

अध्यक्ष महोदय : आप मुझे लिखकर दीजिए। मैं इसकी जांच करूंगा और यदि आपकी बात सही नहीं हुई, तो मैं इसे विशेषाधिकार समिति के पास भेज दूंगा।

[हिन्दी]

श्री हरिकिशोर सिंह (शिवहर) : अध्यक्ष महोदय, मैं केंद्रीय सरकार से संबंधित दूरदर्शन पर एक सीरियल के प्रसारण के संबंध में चर्चा करना चाहता हूं। दूरदर्शन अपने ऊल-जुलूल कार्यक्रम के कारण काफी बदनाम हो चुका है और अपनी प्रतिष्ठा खो चुका है कि आज सरकार को अपने बजट प्रसारण के लिए जी.टी.वी. का सहारा लेना पड़ा। लेकिन सवाल यह है कि परसों बम्बई के टाइम्स आफ इंडिया में एक विज्ञापन देखा "वी.पी. सिंह टर्न्स 75 टुडे।"

अध्यक्ष महोदय : अगर पब्लिसिटी नहीं मिली है, तो यह कहकर उसको आप ज्यादा पब्लिसिटी देंगे।

श्री हरिकिशोर सिंह : नहीं, नहीं। मैं तो इसलिए चर्चा कर रहा हूं कि चरित्र हनन का अप्रत्यक्ष रूप से एक उदाहरण है।

[अनुवाद]

अब हर आदमी अपने पैसे के पीछे है।

[हिन्दी]

यह क्या है ? अब तो दूरदर्शन अनाकर्षक हो गया है और यह चरित्र हनन का मामला चल रहा है। आकर्षक बनाने के लिए और कोई नहीं मिला तो वी.पी. सिंह का नाम ले लो। वे देश के पूर्व प्रधान मंत्री और एक प्रमुख राजनेता हैं, जिनके चरित्र हनन का अप्रत्यक्ष प्रयास किया जा रहा है। मैं सरकार से मांग करता हूं कि इस सीरियल को जो प्राइम टाइम पर दिखाया जा रहा है, उसे मंगाइये। मैं अथंटिकेट करके यह दे रहा हूं और मंत्री जी को बुलाकर पूछें कि यह क्यों हो रहा है और इस पर अविलम्ब रोक लगाइये।

श्री नीतिश कुमार (बाढ़) : अध्यक्ष महोदय, श्री वी.पी. सिंह को मजाक का विषय बनाया जा रहा है, यहां पर यह लिखा हुआ नोट है कि

[अनुवाद]

"टिप्पणी" : इस धारावाहिक के सभी पात्र काल्पनिक हैं और किसी भी जीवित व्यक्ति से कोई सादृश्यता होना नितान्त रूप से एक संयोग है।"

[हिन्दी]

यह लिखकर अपने को कानून से बाहर निकाल दिया और नाम लिखा वी.पी. सिंह का कि वी.पी. सिंह टर्न्स 75 टुडे।

यह मजाकिया सीरियल है।

श्री राम विलास पासवान (रोसेड़) : यदि यह दूरदर्शन का मामला है तो इस पर ज्यादा कुछ हो सकता है, लेकिन अगर किसी इंडिविजुअल ने निकाला है तो दूसरी बात है। यदि दूरदर्शन इस प्रकार का घटिया शब्द निकाले तो मंत्री जी को तुरंत माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि यह कोई मामूली चीज नहीं है।

श्री नीतीश कुमार : यह चरित्र पर हमला हो रहा है। **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यह कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं होगा।

...(व्यवधान)...

अध्यक्ष महोदय : यह कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं होगा।

...(व्यवधान)...*

अध्यक्ष महोदय : मुझे इस संबंध में विनिर्णय देना है। मैं इस बारे में विनिर्णय देने जा रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय : इस बात की सराहना नहीं की जा सकती है। यह सदस्यों की गरिमा के अनुरूप भी नहीं है।

...(व्यवधान)...

अध्यक्ष महोदय : आप नोटिस दीजिए। यदि यह विशेषाधिकारों का उल्लंघन होगा तो मैं इसे विशेषाधिकार समिति को भेज दूंगा। यदि यह विशेषाधिकारों का उल्लंघन नहीं होगा तो आप न्यायालय में जाकर मानहानि का दावा कर सकते हैं। सभी सदस्यों को मालूम होना चाहिए कि क्या करना है और कैसे करना है।

समाचार पत्रों में बहुत से व्यंग्य चित्र छपते हैं। हम हर एक व्यंग्य चित्र के लिए कार्रवाई नहीं करते हैं।

...(व्यवधान)...

[हिन्दी]

श्री नीतीश कुमार : आप कृपया एक मिनट के लिए अपना कान उधार दें। यह टेलीविजन के द्वारा मजाक उड़ाया जा रहा है। **...(व्यवधान)...**

*कार्यवाही वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : आप लोग ऐसी गंदी बातें यहां हाउस में कर रहे हैं।

श्री नीतीश कुमार : आप सुनिये तो सही। मैं एक वाक्य की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा।

अध्यक्ष महोदय : आप समझने की कोशिश कीजिए। अगर ब्रीच आफ प्रिविलेज होता है तो दीजिए। अगर नहीं होता है तो डिफेमेशन से केस कीजिए और सब लोगों के जो केरिकेचर्स यहां पर आते हैं, उस पर ऐक्शन लेन के यहां रूल्स बनाकर मुझे पावर्स दे दीजिए।

12.52 म.प.

सभा पटल पर रखे गए पत्र

चीनी (1993-94 के उत्पादन के लिए कीमत नियतन) आदेश, 1993

खाद्य मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कल्पनाथ राय) : मैं आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अंतर्गत चीनी (1993-94 के उत्पादन के लिए कीमत नियतन) आदेश, 1993, जो 22 अक्तूबर, 1993 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 670 (अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखें संख्या एल.टी. 5402/94]

पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अन्तर्गत अधिसूचना

पर्यावरण और वन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री कमल नाथ) : पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम 1986 की धारा 3 की उपधारा (2) के अन्तर्गत जारी अधिसूचना संख्या का.आ. 60 (अ), जो 27 जनवरी, 1994 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसमें यह निदेश दिया गया था कि यदि प्रदूषण का स्तर वर्तमान स्तर से अधिक होता है, तो 27 जनवरी, 1994 से भारत के किसी भाग में किसी कार्य का विस्तार अथवा आधुनिकीकरण अथवा अधिसूचना के साथ संलग्न अनुसूची 1 में सूचीबद्ध नई परियोजना का कार्य तब तक आरम्भ नहीं किया जायेगा, जब तक कि इसके लिए अधिसूचना में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार सरकार द्वारा पर्यावरण संबंधी स्वीकृति प्रदान नहीं कर दी जाती, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखेंगे।

[ग्रन्थालय में रखी गयी। देखें संख्या एल.टी. 5403/94]

भारतीय रेल कल्याण संगठन, नई दिल्ली का प्रतिवेदन तथा 1992-93 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा उस के कार्यकरण की समीक्षा

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री के.सी. लेंका) :

(1) भारतीय रेल कल्याण संगठन, नई दिल्ली के वर्ष 1992-93 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीखित लेखे।

(2) भारतीय रेल कल्याण संगठन, नई दिल्ली के वर्ष 1992-93 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखें संख्या एल.टी. 5404/94]

आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत अधिसूचनाएं।

नागरिक आपूर्ति, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा वाणिज्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री कमालुद्दीन अहमद) : मैं आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 की उपधारा (6) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

(एक) का.आ. 1036 (अ), जो 27 दिसम्बर, 1993 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 25 अप्रैल, 1959 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 503 आव. वस्तु को विखण्डित किया गया है।

(दो) का.आ. 1037 (अ), जो 27 दिसम्बर, 1993 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 5 जनवरी, 1967 की अधिसूचना संख्या का.आ. 84 में कतिपय संशोधन किये गये हैं।

(तीन) का.आ. 1038 (अ), जो 27 दिसम्बर, 1993 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 29 जून, 1957 की अधिसूचना संख्या का.आ. 2175-क में कतिपय संशोधन किये गये हैं।

(चार) का.आ. 1039 (अ), जो 27 दिसम्बर, 1993 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था तथा जिसके द्वारा 8 अगस्त, 1966 की अधिसूचना संख्या का.आ. 2381 में कतिपय संशोधन किया गये हैं।

[ग्रंथालय में रखी गयी देखें संख्या एल.टी. 5405/94]

असम कृषि उद्योग विकास निगम लिमिटेड, गुवाहाटी के वर्ष 1982-83 का वार्षिक प्रतिवेदन तथा उसके कार्यकरण महाराष्ट्र कृषि उद्योग विकास निगम लिमिटेड मुंबई के वर्ष 1992-93 के कार्यकरण की समीक्षा इत्यादि।

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अरविन्द नेताम) : मैं श्री एस. कृष्ण कुमार की और से निम्नलिखित सभा पटल पर रखता हूं :-

(1) कंपनी अधिनिमय, 1956 की धारा 619क के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-

(क) (एक) असम कृषि-उद्योग विकास निगम लिमिटेड, गुवाहाटी के वर्ष 1982-83 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) असम कृषि उद्योग विकास निगम लिमिटेड, गुवाहाटी का वर्ष 1982-83

का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रन्थालय में रखे गए। देखें संख्या एल.टी.-5406/94]

(ख) (एक) महाराष्ट्र कृषि उद्योग विकास निगम लिमिटेड, मुम्बई के वर्ष 1992-93 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) महाराष्ट्र कृषि उद्योग विकास निगम लिमिटेड, मुम्बई के वर्ष 1992-93 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखें संख्या एल.टी.-5407/94]

(ग) (एक) जम्मू-कश्मीर रज्य कृषि उद्योग विकास निगम लिमिटेड, श्रीनगर के वर्ष 1980-81 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) जम्मू-कश्मीर राज्य कृषि उद्योग विकास निगम लिमिटेड, श्रीनगर का वर्ष 1080-81 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखें संख्या एल.टी.-5408/94]

(घ) (एक) राजस्थान राज्य कृषि उद्योग विकास निगम लिमिटेड, जयपुर के वर्ष 1989-90 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) राजस्थान राज्य कृषि उद्योग विकास निगम लिमिटेड जयपुर का वर्ष 1989-90 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिलिखत पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले चार विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखें संख्या एल.टी.-5409/94]

संत लोंगोवाल इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी संस्थान, लोंगोवाल के वर्ष 1989-90, 1990-91 इत्यादि के वार्षिक प्रतिवेदन तथा कार्यकरण की समीक्षा

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (शिक्षा विभाग एवं संस्कृति विभाग) में उप मंत्री (कुमारी शैलजा) :

(1) (एक) संत लोंगोवाल इंजीनियरिंग और प्रोद्योगिकी संस्थान, लोंगोवाल के वर्ष 1989-90 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) संत लोंगोवाल इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी संस्थान, लोंगोवाल के वर्ष

1989-90 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखें संख्या एल.टी.-5410/94]

(3) (एक) संत लोंगोवाल इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी संस्थान, लोंगोवाल के वर्ष 1990-91 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) संत लोंगोवाल इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी संस्थान, लोंगोवाल के वर्ष 1990-91 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए के लिए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखें संख्या एल.टी.-5411/94]

(5) (एक) संत लोंगोवाल इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी संस्थान, लोंगोवाल के वर्ष 1991-92 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) संत लोंगोवाल इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी संस्थान, लोंगोवाल के वर्ष 1991-92 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखें संख्या एल.टी.-5412/94]

(7) (एक) भारतीय प्रबंध संस्थान, बंगलौर के वर्ष 1992-93 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय प्रबंध संस्थान, बंगलौर के वर्ष 1992-93 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) उपर्युक्त (7) उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखें संख्या एल.टी.-5413/94]

(9) (एक) भारतीय प्रबंध संस्थान, अहमदाबाद के वर्ष 1992-93 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा परीक्षित लेखे।

(दो) भारतीय प्रबंध संस्थान, अहमदाबाद के वर्ष 1992-93 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) उपर्युक्त (9) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखें संख्या एल.टी.-5414/94]

(11) (एक) बिहार शिक्षा परियोजना, पटना के वर्ष 1991-92 के वार्षिक प्रतिवदेन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) बिहार शिक्षा परियोजना, पटना के वर्ष 1991-92 के कार्यकरण की सरकार द्वारासमीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(12) उपर्युक्त (11) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखें संख्या एल.टी.-5416/94]

12.54 म.प.

समितियों के लिए निर्वाचन

(i) प्राक्कलन समिति

श्री कृष्ण दत्त सुल्तानपुरी (शिमला) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि इस सभा के सदस्य अपने में से तीस सदस्य लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम, 311 के उपनियम (1) के द्वारा अपेक्षित रीति से 1 मई, 1994 से आरंभ तथा 30 अप्रैल, 1995 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए प्राक्कलन समिति के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए निर्वाचित करें।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि इस सभा के सदस्य अपने में से तीस सदस्य लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमों के नियम, 311 के उप नियम (1) के द्वारा अपेक्षित रीति से 1 मई, 1994 से आरंभ तथा 30 अप्रैल, 1995 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए प्राक्कलन समिति के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए निर्वाचित करें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

(ii) लोक लेखा समिति

श्री भगवान शंकर रावत (आगरा) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि इस सभा के सदस्य अपने में से 15 सदस्य लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 309 के उपनियम (1) के द्वारा अपेक्षित रीति से 1 मई, 1994 से आरंभ तथा 30 अप्रैल, 1995 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए लोक लेखा समिति के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए निर्वाचित करें।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि इस सभा के सदस्य अपने में से 15 सदस्य लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमों के नियम 309 के उप नियम (1) के द्वारा अपेक्षित रीति से 1 मई, 1994 से आरंभ तथा 30 अप्रैल, 1995 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए लोक लेखा समिति के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए निर्वाचित करें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

श्री भगवान शंकर रावत (आगरा) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि वह 1 मई, 1994 से आरंभ तथा 30 अप्रैल, 1995 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए इस सभा की लोक लेखा समिति के साथ सहयुक्त करने के लिए राज्य सभा से सात सदस्य नाम-निर्देशित करने के लिए सहमत हो तथा राज्य सभा द्वारा इस प्रकार नाम-निर्देशित सदस्यों के नाम इस सभा को सूचित करें।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि वह 1 मई, 1994 से आरंभ तथा 30 अप्रैल, 1995 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए इस सभा की लोक लेखा समिति के साथ सहयुक्त करने के लिए राज्य सभा से सात सदस्य नाम निर्देशित करने के लिए सहमत हो तथा राज्य सभा द्वारा इस प्रकार नाम-निर्देशित सदस्यों के नाम इस सभा को सूचित करें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

(iii) सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति

श्री रमेश चेन्नित्तला (कोट्टायम) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि इस सभा के सदस्य अपने में से पन्द्रह सदस्य लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमों के नियम 312ख के उप-नियम (1) द्वारा अपेक्षित रीति से 1 मई, 1994 से आरम्भ तथा 30 अप्रैल, 1995 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए निर्वाचित करें।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि इस सभा के सदस्य अपने में से पन्द्रह सदस्य लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमों के नियम 312ख के उप-नियम (1) द्वारा अपेक्षित रीति से 1 मई, 1994 से आरम्भ तथा अप्रैल, 1995 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए निर्वाचित करें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

श्री रमेश चेन्नित्तला (कोट्टायम) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि वह 1 मई, 1994 से आरम्भ तथा 30 अप्रैल, 1995 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए इस सभा की सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के साथ सहयुक्त करने के लिए राज्य सभा से सात सदस्य नाम-निर्देशित करने के लिए सहमत हो तथा राज्य सभा द्वारा इस प्रकार नाम-निर्देशित सदस्यों के नाम इस सभा को सूचित करें।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि वह 1 मई, 1994 से आरम्भ तथा 30 अप्रैल, 1995 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए इस सभा की सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के साथ सहयुक्त करने के लिए राज्य सभा से सात सदस्य नाम-निर्देशित करने के लिए सहमत हो तथा राज्य सभा द्वारा इस प्रकार नाम-निर्देशित सदस्यों के नाम इस सभा को सूचित करें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

(iv) अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति

कुमारी पदमश्री कुडुमुला (नेल्लोर) : मैं प्रस्ताव करती हूं :

"कि इस सभा के सदस्य अपने में से बीस सदस्य लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 331ख के उप-नियम (1) द्वारा अपेक्षित रीति से 1 मई, 1994 से आरम्भ तथा 30 अप्रैल, 1995 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए निर्वाचित करें।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि इस सभा के सदस्य अपने में से बीस सदस्य लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम 331ख के उप-नियम (1) द्वारा अपेक्षित रीति से 1 मई, 1994 से आरम्भ तथा 30 अप्रैल, 1995 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए अनुसूचित जातियों

तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति के सदस्यों के रूप में कार्य करने के लिए निर्वाचित करें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

कुमारी पदमश्री कुडुमुला (नेल्लोर) : मैं प्रस्ताव करती हूं :

"कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि वह 1 मई, 1994 से आरम्भ तथा 30 अप्रैल, 1995 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए इस सभा की अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति के साथ सहयुक्त करने के लिए राज्य सभा से दस सदस्य नाम-निर्देशित करने के लिए सहमत हो तथा राज्य सभा द्वारा इस प्रकार नाम-निर्देशित सदस्यों के नाम इस सभा को सूचित करें।"

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा राज्य सभा से सिफारिश करती है कि वह 1 मई, 1994 से आरम्भ तथा 30 अप्रैल, 1995 को समाप्त होने वाली अवधि के लिए इस सभा की अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति के साथ सहयुक्त करने के लिए राज्य सभा से दस सदस्य नाम-निर्देशित करने के लिए सहमत हो तथा राज्य सभा द्वारा इस प्रकार नाम-निर्देशित सदस्यों के नाम इस सभा को सूचित करें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

12.56 म.प.

नियम 377 के अधीन मामले

(i) तालचेर उड़ीसा में कोल इंडिया लिमिटेड का एक नया डिवीजन खोले जाने की आवश्यकता

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही (देवगढ़) : देश में कुल निकाले जा सकने वाले कोयला भण्डार का एक तिहाई अकेले उड़ीसा में है। अतः इस राज्य में ऊर्जा के क्षेत्र में काफी उम्मीद है। इस पहलू को ध्यान में रखते हुए उड़ीसा में हाल ही में कोल इंडिया लिमिटेड के अधीन एक सहायक कम्पनी स्थापित की गई है। इसका उद्देश्य राज्य में कोयला उद्योग को बढ़ावा देना और इसका शीघ्रता से विस्तार करना है। नई कम्पनी के अधीन दो मुख्य कोयला उत्पादक क्षेत्रों में से तालचेर कोयला क्षेत्र राज्य में कोयले के उत्पादन का लगभग दो तिहाई भाग उत्पादित करता है। भविष्य में इस क्षेत्र में एक महत्वाकांक्षी कार्यक्रम भी शुरू किया जाना है, जिसके लिए स्पष्ट रूप से भूअधिग्रहण और भूमि से बेदखल किए गए लोगों के पुनर्वास इत्यादि के लिए समयोचित अनेक उपाय अपेक्षित हैं। इन कार्यों को सम्पन्न करने और वांछित परिणाम प्राप्त करने के लिए तालचेर में एक तकनीकी निदेशक का होना आवश्यक है।

अतः मैं केन्द्र सरकार से तालचेर में यथाशीघ्र एक संभाग की स्थापना करने का अनुरोध करता हूं।

(ii) हिमाचल प्रदेश को अतिरिक्त वित्तीय सहायता देने की आवश्यकता

श्री कृष्ण दत्त सुल्तानपुरी (शिमला) : अध्यक्ष महोदय, मैं नियम 377 के अधीन सूचना देना चाहता हूं कि हिमाचल प्रदेश को केन्द्रीय वित्त आयोग द्वारा जो सहायता प्राप्त होती थी, उसमें 90 प्रतिशत ग्रांट के रूप में और 10 प्रतिशत कर्जे के रूप में दिया जाता था। इससे हिमाचल प्रदेश विकास के मार्ग पर अग्रसर हो रहा था तथा वहा के लोगों में आर्थिक उन्नति और शिक्षा और अन्य प्रकार के कार्यक्रम चलाने में राज्य सरकार को कोई दिक्कत नहीं आ रही थी, किन्तु राज्य सरकार को अचानक सहायता बन्द हो जाने के कारण विकास कार्यों में बाधा पड़ी है। चूंकि हिमाचल प्रदेश एक बहुत पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, इसलिए हिमाचल प्रदेश को कश्मीर की तरह निरंतर सहायता प्रदान की जाये। मुझे यहां यह भी उल्लेख करना है कि जब हिमाचल प्रदेश बनाया गया था, तब भारत सरकार ने इसके विकास के लिए धन का प्रावधान उक्त तरीके से किया था।

अतः मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि जो अब वित्त आयोग गठित है, उसे हिमाचल प्रदेश को पूर्व की तरह आर्थिक सहायता जारी रखने हेतु कहा जाये। इस समय जो राज्य के विकास कार्य रूकने की संभावना है, उसमें 300 करोड़ रुपये की अविलम्ब सहायता प्रदान की जाये।

1.00 म.प.

[अनुवाद]

(iii) राजस्थान की लम्बित ताप विद्युत परियोजनाओं को मंजूरी देने की आवश्यकता

श्री शिव चरण माथुर (भीलवाड़ा) : राजस्थान का चारों ओर से भूमि से घिरे होने के कारण उसे पीने के पानी की आपूर्ति के लिए पंजाब की रावी, व्यास, तथा सतलुज जैसी नदियों की अन्तर्राज्यीय परियोजनाओं पर निर्भर रहना पड़ता है। राजस्थान में स्थित ताप बिजली घरों को कोयले की आपूर्ति करने के लिए राज्य में कोयले के कोई भण्डार नहीं हैं। इस कार्य के लिए कोयला मध्य प्रदेश और बिहार के सुदूर क्षेत्रों ले जाया जाता है। भविष्य में बिजली की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए इस शताब्दी के अन्त तक बिजली की मांग तथा विद्युत उत्पादन क्षमता के बीच 4000 मेगावाट की कमी हो जाएगी, इस कमी को पूरा करने के लिए सूरतगढ़, चितौड़गढ़, मण्डलगढ़ तथा धौलपुर में 450 मेगावाट क्षमता वाले चार बड़े ताप बिजली घर स्थापित करने के लिए 1984-88 के दौरान ऊर्जा, विद्युत मंत्रालय, योजना आयोग और केन्द्र सरकार को प्रस्ताव भेजे गए थे तथा उन पर जोरदार ढंग से कार्यवाही हो रही थी, लेकिन ये प्रस्ताव अभी तक लम्बित हैं। अतः मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करता हू कि राजस्थान के विकास के लिए इन योजनाओं के महत्व को ध्यान में रखते हुए वह इन प्रस्तावों पर विचार करे और इन्हें आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान मंजूरी प्रदान करे।

श्री जसवन्त सिंह (चित्तौड़गढ़) : महोदय, मैं इस बात का पूरी तरह से समर्थन करता हूं।

अध्यक्ष महोदय : राष्ट्रपति के अभिभाषण पर विस्तार से बोलते वक्त आप इसका समर्थन कर सकते हैं।

(iv) उड़ीसा में व्रिमित्रापुर-बनारपाल राष्ट्रीय राजमार्ग के सुधार के लिए पर्याप्त धनराशि स्वीकृत करने की आवश्यकता

कुमारी फ्रिडा तोपना (सुन्दरगढ़) : मैं सरकार का ध्यान उड़ीसा में व्रिमित्रापुर से बनारपाल को जा रहे राष्ट्रीय राजमार्ग की दयनीय स्थिति की और आकर्षित करना चाहती हूं। यह राजमार्ग इस्पात नगर राऊरकेला तथा राज्य की राजधानी भुवनेश्वर के बीच सबसे कम दूरी का सम्पर्क मार्ग है। इस राजमार्ग का सही ढंग से रख रखाव नहीं किया जा रहा है। यह राजमार्ग मेरे जिले के अत्यधिक पिछड़े क्षेत्र से होकर गुजरता है। यद्यपि यह क्षेत्र खनिज संसाधनों से सम्पन्न है, यहां पर लौह अयस्क के सबसे बड़े भण्डार हैं, लेकिन औद्योगिक घराने इस राजमार्ग क्षेत्र की दयनीय स्थिति के कारण और उदारीकृत नीति के बावजूद वहां उद्योग लगाने के लिए आकर्षित नहीं हो रहे हैं। अतः औद्योगिक घरानों को इस अत्यधिक अविकसित क्षेत्र में उद्योग लगाने के लिए आकर्षित करने की पहली आवश्यकता इस राष्ट्रीय राजमार्ग में सुधार करना है।

[अनुवाद]

(v) विदेशी कम्पनियों को समुद्र में मछली पकड़ने के लिए दी गई अनुमति वापस लिए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री काशीराम राणा (सूरत) : अध्यक्ष महोदय, भारत सरकार ने बहुराष्ट्रीय विदेशी कंपनियों को देश के निर्धारित समुद्री विस्तार में फिशिंग करने की अनुमति प्रदान की है। ये कंपनियां अपनी अत्याधुनिक मशीनों और ट्रालर्स से बड़ी तादाद में मछली पकड़ते हैं। इतना ही नहीं जहां पर भारतीय मछुआरे मछली पकड़ते हैं, उस विस्तार में भी मछली पकड़ने के लिए विदेशी कंपनियों की नावें जाती हैं। बहुराष्ट्रीय कंपनियों को दी गई अनुमति से करीब 3 लाख भारतीय मछुआरे बेकार हो गये हैं, क्योंकि भारतीय मछुआरे 30 दिन में जितनी मछली पकड़ते हैं, उतनी मछली विदेशी कंपनियों की नावें एक दिन में पकड़ सकती हैं।

गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, केरल वगैरह दरियाई तट पर बसे प्रदेशों के मछुआरों ने इस बारे में इसका कड़ा विरोध किया है। खास कर गुजरात के मछुआरों का जीवन कई महीनों से बहुत ही दयनीय हो गया है, क्योंकि गुजरात के सभी मछुआरे इसी धंधे पर ही आश्रित हैं। रोजगार के और कोई साधन उनके पास उपलब्ध नहीं हैं।

इस स्थिति में केन्द्र सरकार से अनुरोध करता हूं कि मछुआरों के हित में फिशिंग के लिए विदेशी कंपनियों को दी गई अनुमति शीघ्र वापस ली जाये। इस प्रकार के छोटे क्षेत्र में विदेशी कम्पनियों की कोई आवश्यकता नहीं है। अपने छोटे साधनों से मछली पकड़ने वाले इन मछुआरों को सरकार की ओर से और भी सहायता दी जानी चाहिए। गुजरात में ऊंबरगांव और वासीबोरसी में फिशिंग बन्दरगाह का निर्माण करना चाहिए। यदि सरकार विदेशी कंपनियों की अनुमति वापस नहीं लेगी तो लाखों बेकार मछुआरे सरकार के खिलाफ आन्दोलन करेंगे।

[अनुवाद]

(vi) उड़ीसा में खरासरोटा नदी पर जोकादिहा अनिकट परियोजना के शीघ्र जीर्णोद्वार की आवश्यकता

श्री अनादि चरण दास (जाजपुर) : उड़ीसा में खरास्रोता नदी पर जोकादिहा अनीकट परियोजना अंग्रेजी शासन काल में जाजपुर जिले के रसूलपुर धर्मशाला, कोरेई, जाजपुर, सुकिंडा, दानागड़ी, दशरथपुर और उड़ीसा में जाजपुर जिले में नवगठित ब्लॉक विंझारपुर जैसे सभी आठ ब्लॉकों में हजारों एकड़ कृषि योग्य भूमि में सिंचाई के लिए पानी की आपूर्ति करने के लिए बनाई गई थी। चूंकि इसके विकास संबंधी कार्य काफी समय से नहीं किया गया है, इसलिए यह परियोजना अब बेकार हो गई है। जिस समय रेंगाली बहुद्‌देशीय परियोजना हाथ में ली गई थी, उस समय यह कहा गया था एक हाईलेबल नहर के साथ जाकोदिहा अनिकट का नवीनीकरण कार्य भी किया जाएगा और उसको दानागड़ी, सुकिन्डा, और कोरेई ब्लॉकक्स तक बढ़ाने का काम भी साथ ही साथ किया जाएगा, लेकिन इस संबंध में अभी तक कुछ भी नहीं किया गया है। इन क्षेत्रों के लोग लगभग कृषि पर निर्भर हैं और उनके पास आय के कोई वैकल्पिक स्त्रोत नहीं हैं। यह बात उल्लेखनीय है कि जरनरत के समय पानी की कमी से वहां के लाखों किसानों के आर्थिक अस्तित्व को ही सदैव खतरा रहा है। अतः मैं माननीय जल संसाधन मंत्री से इस परियोजना के नवीकरण और विस्तार कार्य को पूरा करने के लिए आवश्यक कदम उठाने का अनुरोध करता हूं।

(vii) दक्षिण 24 परगना में बनताला में प्रस्तावित समेकित व्यावसायिक काम्पलेक्स के निर्माण हेतु पश्चिम बंगाल सरकार को वित्तीय सहायता प्रदान करने की आवश्यकता

श्री सनत कुमार मंडल (जयनगर) : पश्चिम बंगाल, जो कि कच्ची खालों का सबसे बड़ा उत्पादक है। अब यह चमड़े के निर्यात में योगदान करने वाले राज्यों में अपनी इस स्थिति को खोने वाला है। 1200 करोड़ रुपये का कारोबार करने वाले 500 चमड़े के कारखानों, जिनमें लाखों लोगों को रोजगार मिला हुआ है। पूर्वी कलकत्ता में स्थित इन कारखानों को 24 परगना स्थित बनतला में प्रस्तावित अत्याधुनिक व्यावसायिक काम्पलेक्स में स्थानान्तरित करने के कारण इनका भविष्य अधर में लटका हुआ है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि कम मात्रा में उत्पादन होने और कम पूंजी निवेश होने के कारण निजी बहिस्त्राव शोधन प्रणाली व्यवहार्य नहीं रहती है। तथापि उच्चतम न्यायालय ने तांगरा, तोपसिया और तिजाला क्षेत्र में फैले चमड़े के बहुत से छोटे कारखानों से फैले प्रदूषण के खतरे पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए निर्देश दिया है कि या तो प्रदूषण फैलाने वाले चमड़े के सभी कारखानों को बनताला में एक नए परिसर में स्थानान्तरित किया जाए, जिनके लिए एक सामूहिक बहिस्त्राव शोधन संयंत्र हो या उन्हें बंद कर दिया जाए।

इस मामले में धन एक बड़ी समस्या है और इन चमड़े के कारखानों को पुनः अवस्थित करने पर 1000 करोड़ रुपये व्यय आने का अनुमान है। जब तक कि यू.एन.डी.पी., विश्व बैंक और ओवरसीज इकनामिक कोआपरेशन फण्ड से 150 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता नहीं मिल जाती है, तब तक पश्चिम बंगाल सरकार इसके लिए 150 करोड़ रुपये देने में असमर्थ है। उसके बाद बनताला क्षेत्र में किसानों को खश भूमि से हटाना एक समस्या है और भूमि को विकसित करना होगा।

मैं केन्द्र सरकार से निवेदन करता हूं कि वह प्रस्तावित परिसर की अवसंरचनात्मक सुविधाओं का ध्यान रखे और पश्चिम बंगाल सरकार को आवश्यक वित्तीय सहायता प्रदान करे, ताकि राज्य सरकार इस परियोजना को आरंभ कर सके।

(viii) देश में केन्द्रीय विद्यालय खोलने के विषय में स्पष्ट नीति बनाने की आवश्यकता

डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय (मंदसौर) : अध्यक्ष महोदय, केन्द्रीय विद्यालय संगठन के अव्यावहारिक निर्णयों के कारण देश में केन्द्रीय विद्यालयों की व्यवस्था में भारी दोष उत्पन्न हो गए हैं। केन्द्रीय विद्यालयों को खोले जाने के बारे में क्षेत्रीय संतुलन का ध्यान न रखकर बिना पूरी जांच पड़ताल के फैसले करने से जिनका हित इनसे सम्पादित होना चाहिए वह नहीं होकर कई विवाद उससे उत्पन्न हो रहे हैं। अतः यह आवश्यक है कि इस बारे में स्पष्ट नीति व मार्गदर्शी सैद्धान्तिक आधार होने चाहिए अन्यथा ऐसे निर्णय शिक्षा के क्षेत्र में अगर नहीं हुए तो वह खराबी पैदा करेंगे। पिछले समय मध्य प्रदेश में केन्द्रीय विद्यालयों के खोले जाने के बारे में संगठन द्वारा एकपक्षीय तथा संगठन के द्वारा ही लिए गए पूर्व निर्णयों को बिना विचार-विमर्श के रद्द करने से नई कठिनाईयां खड़ी हो गई हैं।

अतः केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि केन्द्रीय विद्यालयों के खोले जाने के सम्बन्ध में स्पष्ट नीति एवं मार्गदर्शी सिद्धान्त तय किए जाने चाहिए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब सभा मध्याह्न भोजन के लिए 2.10 म.प. पर पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

1.09 म.प.

तत्पश्चात् लोकसभा मध्याह्न भोजन के लिए 2.10 म.प. तक के लिए स्थगित हुई

2.15 म.प.

मध्याह्न भोजन के पश्चात् लोक सभा 2.15 म.प. पर पुनः समवेत हुई।

[उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव—जारी

2.15 म.प.

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम राष्ट्रपति अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर आगे चर्चा शुरू करेंगे। इसके लिए बारह घंटे निर्धारित किए गए हैं। हम पहले ही दो घंटे छः मिनट ले चुके हैं। और अब 9 घंटे और चौव्वन मिनट बचे हैं। श्री जसवन्त सिंह बोल रहे थे। वह अपना भाषण जारी रख सकते हैं।

श्री जसवन्त सिंह (चित्तौड़गढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, जब सभा कल शाम को स्थगित हुई

[श्री जसवंत सिंह]

तब मैंने संसद के संयुक्त सत्र को दिए गए राष्ट्रपति के अभिभाषण पर अपने विचार सभा के समक्ष प्रस्तुत करना शुरू ही किया था। मैं वह सब नहीं दोहराऊंगा, जो मैंने उस थोड़े से समय के दौरान कहा था। लेकिन अपनी बात जारी रखने और कल शाम जो मुद्दा मैंने छोड़ा था, उसे जोड़ने के लिए मैं सभा को याद दिलाना चाहता हूं कि कल जब हम सभा से उठे और इस विषय पर वाद विवाद स्थगित हुआ, तब हम इस बारे में विचार कर रहे थे कि सरकार ने पूर्वोत्तर के बारे में राष्ट्रपति के अभिभाषण में इस बात पर जोर दिया है और जिसे बहुत ही संक्षेप में दोहराया जा सकता है कि सरकार ने पहले और प्रारम्भिक पैरा में दावा किया है कि पूर्वोत्तर में विद्रोह की स्थिति में सुधार आया है। मैंने सरकार के इस दावे का खंडन करना शुरू किया था, क्योंकि मैं ऐसा कुछ नहीं जानता जिससे इस दावे को बल मिले कि पूर्वोत्तर में विद्रोह की स्थिति सुधर रही है। यह भी दोहराना आवश्यक है कि मणिपुर और नागालैंड के राज्यपाल ने स्वयं कहां है "अत्यधिक विद्रोह और आन्तरिक गड़बड़ी की उपरोक्त स्थिति।" मैं उनके द्वारा राष्ट्रपति को भेजी गई रिपोर्ट से सारे उद्धरणों पर नहीं बोलूंगा। उपाध्यक्ष महोदय, आप देखेंगे कि वह भूतकाल में नहीं बोल रहे, वह देश के उस भाग में अगस्त से अक्तूबर, 1993 के दौरान विद्यमान स्थिति पर यह कह रहे हैं—यह स्थिति राजनैतिक स्थिरता, इच्छा की कमी और सरकार तथा सुरक्षा बलों द्वारा लम्बी अवधि से बिगड़ती स्थिति पर सम्पूर्ण रूप से विचार तथा निगरानी के अभाव के कारण हैं। सरकार की ही एजेंसी द्वारा इससे अधिक अभ्यारोपण नहीं किया जा सकता। अगर आप यह कहते हैं कि यह टिप्पणी मणिपुर तथा नागालैंड तक ही सीमित है, तो मैंने कल सेना की एक विज्ञप्ति का उल्लेख किया था, जिसमें असम में कानून और व्यवस्था के बारे में कहा गया है। मैं इस बारे में हर बात नहीं दोहराऊंगा, केवल आवश्यक भाग ही दोहराऊंगा। 1993-94 में असम में विद्रोह की स्थिति पर निष्कर्ष निकालते हुए सेना की औपचारिक प्रेस विज्ञप्ति में यह कहा गया है :

> "प्रवासियों में कट्टरवाद फैलना चिन्ता का विषय है"

इसके आगे यह स्पष्ट किया गया है कि यह चिन्ता का विषय क्यों है और फिर जैसा कि मणिपुर और नागालैंड के राज्यपाल ने किया, सेना ने असम राज्य का उल्लेख करत हुए कहा :

> "काबरी अंगलांग स्वायत्त परिषद तथा बोडो स्वायत्त परिषद को स्वीकृति देने के फलस्वरूप असम राज्य में अन्य जातीय जनजातियां, जिनमें मिशिंग, लालुंग राभास और ताई अहोम शामिल हैं, ऐसी स्वायत्तता की मांग कर रही है जो कि राज्य के सम्पूर्ण लोकतांत्रिक ढांचे के विपरीत है और इसके कारण असम का विघटन होगा।"

महोदय, मैंने इनका उल्लेख करना आवश्यक समझा है, क्योंकि मैं सरकार द्वारा गणराज्य के मुखिया के माध्यम से कुछ शब्द कहने से संतुष्ट नहीं हूं। मैं नहीं जानता कि इस प्रयास के लिए किसका नाम लूं। क्या इस प्रयास द्वारा सरकार देश को गुमराह कर रही है ? क्या यह पूर्वोत्तर में विद्यमान स्थिति की वास्तविकता और गंभीरता पर पर्दा डालने का प्रयास है ? अथवा क्या यह संसद जैसी संस्था की अवमानना करने का प्रयास है और संसद के संयुक्त संत्र के समक्ष भाषण देने की पूरी प्रक्रिया को नाम मात्र महत्व की लापरवाहीपूर्ण कार्यवाही मानने का प्रयास है, जिसमें कुछ भी कहा जा सकता है और सरकार जो कुछ चाहे वह कहा जा सकता है और यह जो कुछ

कहे उसे संसद हर स्थिति में स्वीकार करे ? इसमें इस बात पर जोर दिया गया है कि हम पूर्वोत्तर में जिस स्थिति का सामना कर रहे हैं वह अत्यधिक महत्वपूर्ण और गंभीर है। मैं सरकार के इस दावे से पूर्णतः असहमत हूं कि पूरे पूर्वोत्तर में स्थिति में सुधार हो रहा है। इसमें सुधार नहीं हो रहा और सरकार सुधार से संबंधित आत्मतुष्टि की जो भावना पेश कर रही है वह गलत है और अगर सरकार यही मत कायम रखेगी तो गणराज्य को अत्यधिक नुकसान पहुंचेगा।

महोदय पूर्वोत्तर क्षेत्र की कुछ अपनी विशेषताएं हैं और मैं बहुत संक्षेप में उन पर बोलना चाहूंगा। हम पहले भी इस बारे में कह चुके हैं। हमें विगत में भी इस बारे में बोलने का अवसर मिला था और भविष्य में भी ऐसे अवसर मिलेंगे, लेकिन मैं पूर्वोत्तर क्षेत्र की विशेषताओं पर जोर देना चाहूंगा और अगर इन पर ध्यान नहीं दिया जाता और सरकार इन पर कार्यवाही नहीं करती है तो हम पूरे पूर्वात्तर की स्थिति संभालने में गणराज्य को बहुत ही गंभीर क्षति पहुंचाएंगे। पूर्वोत्तर क्षेत्र की शेष देश से भौगोलिक दूरी के कारण राजधानी से इस क्षेत्र की भावनात्मक दूरी उत्पन्न हो गई है। हम इस भौगोलिक दूरी को लाक्षणिक रूप में भी कम करना शुरू नहीं करेंगे तो पूर्वोत्तर और शेष देश के बीच यह भावनात्मक दूरी बढ़ती रहेगी।

महोदय, मैं मानता हूं कि विगत अनेक दशकों में पूरे पूर्वोत्तर में विघटन का प्रभाव पड़ा है। असम राज्य ने अपने अन्दर से ही अनेक राज्य उत्पन्न किए हैं। संभवतः जब ऐसा हुआ, तब इसका औचित्य था और इसकी राजनैतिक अनिवार्यता थी। लेकिन इसके कारण, समाज के सबसे छोटे भाग में भी अनियंत्रित हलचल उत्पन्न हो गई है और जो स्वयं को एक पृथक राजनैतिक मान्यता के द्वारा ही दर्शाना चाहता है। महोदय यह आवश्यक है कि सरकार इस विघटनकारी प्रभाव के खतरों को माने, क्योंकि अगर ये निरन्तर चलते रहे तो सरकार को देश के इस सामरिक दृष्टि से संवेदनशील सीमा क्षेत्र में एक विघटन के परिणाम का सामना करना पड़ेगा। संभवतः इस विघटनकारी प्रभाव का सामना करने का एक तरीका यह है कि पूर्वोत्तर विकास परिषद को मजबूत बनाया जाए और ऐसे अन्य संगठनों को सुदृढ़ किया जाए, जो पूर्वोत्तर राज्यों की सम्पूर्णता के समक्ष एकजुट होकर संयुक्त रूप से कार्य करने में समर्थ हों।

पूरे पूर्वोत्तर क्षेत्र में तीसरी अत्यंत महत्वपूर्ण समस्या यह है कि लगभग सभी राज्य, जो वहां पर अस्तित्व में आए हैं, वित्तीय रूप से केन्द्र की सहायता पर निर्भर हैं, जो कि दिल्ली द्वारा दी जाती है।

इसके फलस्वरूप, अनियंत्रित भ्रष्टाचार का पूरा माहौल उत्पन्न हो गया है और जब तक केन्द्र सरकार पूर्वोत्तर में अनियंत्रित भ्रष्टाचार के विरुद्ध कार्यवाही करके इसे जड़ से नहीं उखाड़ती हमारी समस्याएं और अधिक गंभीर हो जाएंगी।

मैंने इस मुद्दे पर प्रकाश डाला है और मैं मानता हूं कि केन्द्र सरकार पूर्वोत्तर में इस एक कारण की वजह से स्वयं को कठिनाई में पाती है कि सत्ताधारी पार्टी विशेषकर कांग्रेस पार्टी ने पूर्वोत्तर में जनजातियों के परस्पर विरोध में स्वयं को जोड़ दिया है। आज जिस क्षण ऐसे विरोध में स्वयं को जोड़ते हो, उसी समय आप संघ का नैतिक अधिकार खो देते हैं। इसलिए जब तक हम ऐसे बचकाना और तुच्छ राजनैतिक लाभ के रास्ते को नहीं छोड़ते और जनजातियों के परस्पर विरोध में कोई पक्ष नहीं लेते और धन का उपयोग करके आसान हल प्राप्त करने जैसे तरीके नहीं छोड़ते पूर्वोत्तर में हमारी समस्याओं में वृद्धि होती रहेगी।

[श्री जसवंत सिंह]

पूर्वोत्तर की एक विशेषता और है, और अगर हम अब भी इस पर गंभीरतापूर्वक कार्यवाही नहीं करेंगे तो हमारे पूरे गणराज्य को गंभीर परिणाम भुगतने होंगे और यह असम सहित पूरे पूर्वोत्तर पर अत्यधिक नुकसानदायक जनसांख्यिकीय आक्रमण है। पड़ौसी क्षेत्रों से जनसंख्या के दबाव द्वारा पूर्वोत्तर की सामाजिक व्यवस्था को तोड़ने से रोके बगैर हमें अनेक समस्याओं का सामाना करना पड़ेगा।

मैंने अपना भाषण पूर्वोत्तर से शुरू करना आवश्यक समझा, क्योंकि हम विगत में पंजाब या कश्मीर को अपनी आंतरिक गड़बड़ी के क्षेत्र मानते रहे हैं और इन्हें मुख्य मानकर यहीं रुक जाते हैं।

मैंने सरकार के इस दावे के कारण भी पूर्वोत्तर के महत्व प्रकाश डालना आवश्यक समझा, जो कि एक गुमराह करने वाला दावा है और यह एक प्रकार की आत्मतुष्टि दर्शाता है, जो कि सत्ताधारी पार्टी ने प्रदर्शित की है।

मैं वह सब नहीं पढूंगा, जो कि सरकार ने गणराज्य के राष्ट्रपति के माध्यम से कहा है अथवा जम्मू कश्मीर के बारे में कहा है।

2.28 म.प.

(श्री राम नाईक पीठासीन हुए)

मैं इस अवसर पर सिर्फ जम्मू कश्मीर पर ही वाद-विवाद नहीं करूंगा, क्योंकि मैं समझता हूं कि कल ही हमें इस राज्य में राष्ट्रपति शासन की अवधि बढ़ाने का मुद्दा लेना है और हमें मांग इत्यादि पर विचार करना है।

लेकिन मैं जम्मू कश्मीर की मौजूदा स्थिति के दो या तीन पहलुओं पर बहुत ही संक्षेप में बोलना चाहूंगा। राष्ट्रपति के अभिभाषण में एक दावा किया गया है, जिसमें कहा गया है कि सरकार ने हजरतबल की दुर्भाग्यपूर्ण घटना में, जो संयम दर्शाया उसके कारण ही सफलता प्राप्त हुई। संसद को अभी तक अधिकृत तौर पर यह नहीं बताया गया है कि हजरत बल में वास्तव में क्या हुआ। आपको याद होगा कि जब यह घटना हुई तो यह मांग अनेक बार की गई कि हमें इस बारे में पूर्ण चर्चा करनी चाहिए कि वहां क्या हुआ है, आखिरकार, हजरतबल में क्या घटित हुआ ? सरकार ने इस बारे में अभी तक कोई पहल नहीं की है। मैं इस मांग को दोहरा रहा हूं हमें यह पता होना चाहिए कि उस अवधि के दौरान हजरतबल में वास्तव में क्या हुआ ? ऐसी स्थिति कैसे उत्पन्न हुई कि सेना को इस धार्मिक स्थल की घेराबन्दी करनी पड़ी और किस वजह से बाद में यह घेराबन्दी हटा ली गई ? इस धार्मिक स्थल के अन्दर मौजूद 70-80 लोगों के साथ सरकार ने क्या किया ? धार्मिक स्थल के अन्दर व्यक्तियों ने जब समर्पण किया तो किसके समक्ष किया ? सेना की क्या भूमिका रही ? इसके बाद समर्पण करने वाले 70-80 व्यक्तियों का क्या हुआ ? हमें अभी भी पूर्ण रूप से यह नहीं पता कि सही संख्या क्या है। एक भी व्यक्ति जेल में नहीं है और एक भी व्यक्ति पर आतंकवादी के रूप में आरोप नहीं लगाया गया कि उस पर गंभीर मुकदमा चलाया जा सके। हमें बताया गया कि तीन या चार अथवा पांच आतंकवादी विदेशी नागरिकता के हैं। मैं नहीं जानता कि कितने विदेशी आतंकवादी थे। वे अब कहां हैं ? ये छोटे मुद्दे नहीं हैं। जिन्हें देश हल्के रूप में ले और क्योंकि यह घटना दो महीने या डेढ़ महीने अथवा तीन महीने पूर्व हुई और क्योंकि संसद को इस पर चर्चा का अवसर नहीं मिला तो हम इस बारे में भूल जाएं। यह

गंभीर खामी है। सभा के नेता माननीय प्रधान मंत्री उत्तर देते समय सभा को विश्वास में लें और सभा को सूचित करें कि हजरतबल में वास्तव में क्या हुआ अथवा यह स्पष्ट करें कि यह संकट कैसे उत्पन्न हुआ ? मैं आपको बताना चाहता हूं कि हजरतबल में भारत का सौभाग्य था, जिसमें हमें बचाया, इस सरकार ने इस स्थिति से निपटते समय हर तरह की गलती की और हजरतबल की घेराबन्दी अन्ततः उन लोगों द्वारा ही समाप्त करवाई गई, जो उसके अन्दर थे और जिन्होंने समर्पण किया। उन्होंने सरकार के कथित संयम के कारण समर्पण नहीं किया। उन्होंने-ऐसी परिस्थितियों के कारण समर्पण किया जो सरकार द्वारा उत्पन्न नहीं की गयी। सरकार का कथित संयम वास्तव में संयम नहीं, बल्कि पूर्णतः निष्क्रियता थी। यह अक्षमता थी, सोचने और कार्यवाही करने की अक्षमता थी। यह देश के समक्ष सबसे गंभीर चुनौती थी। मैं मांग करता हूं कि जब तक इस सभा के समक्ष हजरतबल की घटना के सभी तथ्य नहीं बताए जाते, हम यह कहना जारी रखेंगे और मैं तो निश्चित रूप से यह कहना जारी रखूंगा कि हजरतबल की घटना में सरकार ने हर तरह की संभव गलतियां कीं और अगर देश इन से बच सका तो यह सरक़ार की किसी कार्यवाही के कारण नहीं हुआ, बल्कि सरकार द्वारा कार्यवाही करने की विफलता के बावजूद ऐसा हुआ।

श्री मृत्युंजय नाईक (फूलबनी) : आपके विचार से क्या समाधान था ?

श्री जसवंत सिंह : जब आप मुझे सम्पूर्ण तथ्यों से अवगत कराएंगे, तभी मैं आपको समाधान बताऊंगा।

आज तक पूरे तथ्यों का पता नहीं है। जम्मू कश्मीर के प्रश्न पर निर्णय लेने में यह अनिश्चितता की स्थिति बनी हुई है। यह अनिश्चितता का मुद्दा सिर्फ हजरतबल के स्तर पर ही नहीं है। यह यहां पर शीर्ष स्तर से शुरू होती है। गृह मंत्रालय में ही निर्णय लेने में अव्यवस्था है। इस बारे में सबको पता है। हम नहीं जानते कि कश्मीर पर कौन कार्यवाही कर रहा है। माननीय गृह मंत्री एक वक्तव्य देते हैं और कोई दावा करते हैं, उनके सहयोगी राज्य मंत्री दूसरा ही दावा करते हैं, जबकि कश्मीर के महामहिम राज्यपाल तीसरा दावा करते हैं। सेना पंगु हो गई है। वे कुछ सुझाव देते हैं। सुरक्षाबल अपंग हो गए हैं। वे अन्य सुझाव देते हैं। यह अव्यवस्था, यह समन्वय की पूर्ण कमी न सिर्फ क्रियाविधिक रूप में उत्पन्न होती है बल्कि अवधारणात्मक रूप में मुख्य रूप से उत्पन्न होती है। यह सरकार आज कश्मीर में क्या प्रयास कर रही है ? क्या आप जानते हैं कि हम कहां जा रहे हैं ? अगर मेरी बात गलत साबित हुई तो मुझे खुशी होगी।

इस समय हम जिस चरण से गुजर रहे हैं, वह विद्रोह का शिथिल चरण प्रतीत होता है, यह शिथिलता सुरक्षाबलों की कार्यवाही के दावे तथा जलवायु का दबाव दोनों ही कारणों से है। हमें बताया गया है कि सर्दी के महीनों म किसी भी स्थिति में भूमि की सीमाओं के कारण विद्रोह एक निश्चित स्तर से अधिक नहीं हो सकता।

महोदय, मेरा आरोप है कि इन कथित शिथिल महीनों के दौरान भी पूरे जम्मू कश्मीर राज्य में हिंसा की इतनी वारदातें कभी नहीं हुईं, जितनी इस समय इन कथित शिथिल महीनों के दौरान हो रही हैं। मैं सरकार से मांग करता हूं कि हमें इस बारे में आंकड़े दें और स्पष्ट करें कि अगर ये शिथिल महीने हैं तो ऐसी घटनाएं कैसे हो रही हैं। मैं सरकार से मांग करता हूं कि सभा को इस वास्तविकता से अवगत कराए कि डोडा जिले में किस्तवाड, भद्रवाह में क्या हो रहा है ? मैं सरकार से मांग करता हूं कि वह बताए कि जम्मू जिले में ऊधमपुर में विद्रोह के पनपने

[श्री जसवंत सिंह]

के कारण क्या हो रहा है। मैं कहता हूं कि सरकार का न सिर्फ संसद बल्कि इस राष्ट्र के प्रति भी दायित्व है। अगर सरकार यह सब हमें इस सभा में नहीं बताती है तो सरकार पर राष्ट्र की इस सर्वोपरि प्राथमिकता की घोर उपेक्षा का आरोप लगाया जाएगा। जम्मू कश्मीर पर चर्चा के अन्य अवसर भी आएंगे। सरकार को यह अनुमति नहीं दी जा सकती कि निष्क्रियता की आड़ ले और उसे "संयम" कहे। निष्क्रियता के लिए यह शिष्ट कथनात्मक संयम अब जम्मू कश्मीर राज्य में कारगर नहीं होगा।

अन्ततः उन तीन लाख कश्मीरी पंडितों के बारे में क्या कहना है, जो अपनी ही मातृभूमि में इतने वर्षों के बाद विद्रोह के कारण बेघर हो गए हैं ? उनके लिए कोई आवाज नहीं उठाता। यह सरकार बोस्निया-हरजेगोविना के लिए आवाज उठाती है; संयुक्त राष्ट्र कार्यवाही के लिए सोमालिया में सैनिक भेजती है। फिर भी इस सरकार के पास इतना समय नहीं है कि गत तीन-चार वर्षों से इन तीन लाख पंडितों की दयनीय स्थिति को देखने के लिए उनके शिविर का दौरा करें। मैं इस सरकार पर अपने ही नागरिकों के प्रति अत्यधिक अमानवीय उपेक्षा बरतने का आरोप लगाता हूं, क्योंकि ये तीन-चार लाख पंडित एक विशेष आस्था से संबंधित हैं और एक विशेष पूजा पद्धति को मानते हैं। मानव दुर्दशा के प्रति सरकार की उपेक्षा का यह सबसे बड़ा उदाहरण है।

महोदय, हमारे समक्ष कल बजट प्रस्तुत हुआ था और इस प्रस्ताव के समर्थक के रूप में प्रो. थामस ने अपने भाषण के अधिकांश भाग में आर्थिक सुधार कार्यक्रम तथा कथित नई आर्थिक नीति की प्रशंसा की थी। मैं यह मानता हूं कि संसद के संयुक्त सत्र के समक्ष दिया गया अभिभाषण बजट पर वाद विवाद नहीं है। मैं इस ओर प्रयास भी नहीं करूंगा, लेकिन राष्ट्रपति के भाषण में आर्थिक सुधार कार्यक्रम का उल्लेख किया गया है और संयुक्त सत्र के समक्ष यह सुझाया गया है कि इस सरकार का आर्थिक सुधार कार्यक्रम वास्तव में देश के समक्ष सभी समस्याओं का समाधान है, इसलिए मैं अपना कर्त्तव्य समझता हूं कि मैं अत्यंत संक्षेप में आपके समक्ष अपना दृष्टिकोण रखूं कि सरकार देश को कहां ले आई है।

मैंने सरकार के सदस्य अपने एक अच्छे मित्र से यह विचार व्यक्त किया है कि उनकी सरकार ने कथित नई आर्थिक नीति अथवा आर्थिक सुधार कार्यक्रम को अपना मुख्य प्रतीक बनाया है। ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे यह सरकार नई पहल, नवीन कदम बता सके। **(व्यवधान)** अगर आप मस्जिद विवाद को सरकार की विशिष्टता मानते हैं तो मैं आपसे सहमत हूं। मैं आपसे निश्चित रूप से सहमत हूं, क्योंकि अगर आपकी निष्क्रियता नहीं होती तो इस विवाद का उपसंहार ऐसा न होता। अतः अगर यह सरकार इस कथित नई आर्थिक नीति अथवा आर्थिक सुधार कार्यक्रम को अपना ध्वजपोत मानती है तो मुझे डर है कि कथित नई आर्थिक नीति के रूप में यह ध्वजपोत तल से लगने वाला है। यह ध्वजपोत अब लड़खड़ा रहा है।

चार-पांच साधारण दावों पर गौर कीजिए, मैं ये दावे अपनी तरफ से नहीं कह रहा, ये माननीय वित्त मंत्री ने स्वयं किए हैं। सकल घरेलू उत्पाद में गिरावट आई है। वित्तीय घाटे के बारे में उन्होंने कहा था कि यह निर्धारण कर्ता है। वित्त मंत्री 1991 की सरकार और 1991 के बजट पर ही निरन्तर बोलते रहते हैं। 1991 की सरकार के खिलाफ मुख्य आलोचना और इस सरकार की नई आर्थिक नीति का एक मुख्य उद्देश्य वित्तीय घाटे को नियंत्रित करना था। अब वित्तीय घाटा

7.3 प्रतिशत हो गया है। बजट के बाद अतिरिक्त करों के रूप में लगभग 6000 करोड़ रुपये प्राप्त करने के बाद बजट घाटा 6000 करोड़ रुपये शेष रह गया है। यह इस देश में अब तक का सर्वाधिक राजस्व घाटा है। आप मेरे आंकड़े में शुद्धि कर सकते हैं, क्योंकि मैं अर्थशास्त्री नहीं हूं। मेरे पास एकदम सही आंकड़े नहीं हैं, लेकिन राजस्व घाटा 22000 से 34000 करोड़ रुपये के बीच है। यह घाटा अब तक का सर्वाधिक है। ब्याज की अदायगी सकल घरेलू उत्पाद का 51 प्रतिशत तक बढ़ गई है। कर्ज का शिकंजा क्या है। जब ब्याज अदायगी की देयता अन्ततः सौ प्रतिशत हो जाएगी, तभी आप वास्तव में कर्ज के शिकंजे में फंसे होंगे। इस समय यह सकल घरेलू उत्पाद का 51 प्रतिशत है। फिर मुद्रास्फीति भी बढ़ गई है। अब यह 8.5 प्रतिशत और 8.7 प्रतिशत के बीच है। हमारा औद्योगिक क्षेत्र डगमगा रहा है। पूंजीगत सामान उद्योग चरमरा कर रह गया है।

मैं अपनी गंभीर चिन्ता सत्तापक्ष में आत्मतुष्ट मित्रों को व्यक्त करना चाहता हूं।

श्री किरिप चालिहा (गुवाहाटी) : कम सनकी मित्रों को।

श्री जसवंत सिंह : शायद कम सनकी, लेकिन निश्चित रूप से कम जानकारी प्राप्त मित्रों को।

हमारा खाद्यान्न उत्पादन 180 मिलियन टन और 190 मिलियन टन के बीच चल रहा है। यह बहुत गंभीर मामला है। जनसंख्या प्रतिवर्ष लगभग 3 प्रतिशत की दर से बढ़ रही है। आप जानते हैं कि मैं और आप जल की बहुलता वाले क्षेत्रों से हैं, भगवान न करे यह मानसून न आए, जबकि हमारे पास खाद्यान्न के भण्डार 180 से 190 मिलियन टन के बीच है, अयुब खां साहब, भगवान न करे कि हमारे इलाके में पानी न गिरे, मैं तो ऐसी स्थिति में देश की दुर्दशा की कल्पना भी नहीं कर सकता, यदि मानसून की वर्षा नहीं आती है, तो हमारे पास 180 मिलियन टन से 190 मिलियन टन खाद्यान्न उत्पादन है और विश्व में कहीं भी फालतू अनाज उपलब्ध नहीं है।

अगर आप यह सब अपनी नई आर्थिक नीति के सफलता के पक्ष में उदाहरण के रूप में उद्धृत करना चाहते हैं, तो निःसंन्देह इस बारे में और अधिक विस्तार से चर्चा के लिए हमें और अवसर मिलेंगे। लेकिन मैं आपसे विनती करता हूं, क्योंकि हम इस सभा में बैठे हैं, हम भिन्न राजनैतिक कारणों से बाध्य हो सकते हैं, लेकिन मैं आपसे कहता हूं कि आप नए आर्थिक कार्यक्रम के संबंध में निम्नलिखित मापदंड लागू करें। पहले, अर्थव्यवस्था के सुधार का मापदंड लागू करें, जिसे और अर्थव्यवस्था और नागरिकों में सुधार कहते हैं। इस के कारण आम नागरिक को क्या मिला है ? मैं आपसे पूछता हूं कि यह नई आर्थिक नीति अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष या विश्व बैंक की सहूलियत, या संतुष्टि के लिए नहीं है। यह अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों के लिए नहीं है, यह अन्तर्राष्ट्रीय निगमों के लिए नहीं है; यह भारतीय उद्योग के लिए भी नहीं है। अन्ततः यदि यह आर्थिक कार्यक्रम किसी के लिए है, तो वह भारतीय नागरिक है, जिसके लिए यह कार्यक्रम बनाया गया है। यह भारतीय नागरिक इससे कैसे लाभान्वित हुआ है ? आप यह प्रश्न स्वयं से कीजिए। क्या इस भारतीय नागरिक की अपनी आवश्यकता की दैनिक जरूरतों को प्राप्त करने की क्षमता बढ़ी है ? क्या वह अधिक आरामदायक बस में सस्ती बस टिकट ले सकता है ? क्या वह अपेक्षित आराम के साथ एक स्थान से दूसरे स्थान पर रेल यात्रा कर सकता है ? रुपये की परिवर्तनीयता से अगर एक लाख भारतीय लाभान्वित होते हैं, तो उससे क्या अन्तर आएगा और अगर रुपये को परिवर्तनीय बनाकर विदेशी मुद्रा विनियमन अधिनियम को समाप्त कर दिया जाए और अधिक से अधिक 100000 भारतीय निर्बाध जब चाहे जा सकें तो क्या अन्तर आएगा ?

[श्री जसवंत सिंह]

[हिन्दी]

"छब्ने मरियम हुआ करे कोई
मेरे दर्द की दवा करे कोई।"

[अनुवाद]

कितने लोग 50 रुपये में पाउंड खरीदकर विदेश में छुट्टी मना सकते हैं ? इस परिवर्तनीयता से मेरे देशवासी 440 मिलियन नागरिकों को जो मानसून पर निर्भर हैं क्या मिलेगा ? इस परिवर्तनीयता से क्या होगा ? आपके आर्थिक सुधार ने भारत की उस 70-80 प्रतिशत जनसंख्या से लिए क्या किया है, जो भारत के गांवों में रहती है। ऐसे गांव जहां पर पेयजल नहीं है, पर्याप्त परिवहन सुविधा नहीं है, खेतों में उपयोग के लिए पर्याप्त विद्युत उपलब्ध नहीं है, समुचित चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं और कोई शिक्षा सुविधा उपलग्ध नहीं है ? इस आर्थिक कार्यक्रम ने भारत के इन 80 प्रतिशत लोगों के लिए क्या किया है ? इसने भारत के शेयर बाजार के लिए कुछ किया होगा। लेकिन भारत का शेयर बाजार ही भारत का सब कुछ नहीं है। मैं इसी वजह से आपको सलाह दे रहा हूं।

श्री ए. चार्ल्स (त्रिवेन्द्रम) : ग्रामीण विकास के लिए 40 प्रतिशत की वृद्धि पर क्या कहना है ?

श्री जसवन्त सिंह : मैं वास्तव में यह चाहता हूं और श्री चार्ल्स के इस सुझाव को गंभीरता से लेता हूं कि ग्रामीण विकास में 40 प्रतिशत वृद्धि हुई है। कृपया आंकड़ों का थोड़ा और गहन अध्ययन कीजिए। आप पाएंगे कि कृषि में यह वास्तव में कम हुआ है। यह बजट का वाद-विवाद बन गया है। मैं ऐसा नहीं करना चाहता। ग्रामीण क्षेत्र के लिए लगभग 3000 करोड़ रुपये की वृद्धि की गई है। इन 3000 करोड़ रुपये में से इस सभा तथा दूसरे सदन में बैठे सदस्यों को लगभग 800 करोड़ रुपये मिलेंगे, क्योंकि हम में से हर सदस्य को एक करोड़ रुपये मिलेंगे, जिनका व्यय हम सुझाऐंगे। वास्तव में यह व्यय 'ज़वाहर रोजगार योजना' के तहत होगा। आप जानते हैं कि जवाहर रोजगार योजना में क्या होता है। कृपया इसे गंभीरता से लें। मैं किसी भी कार्य को कम नहीं बताना चाहता। आर्थिक सुधार कार्यक्रम के बारे में यह बहुत ही गंभीर मामला है।

दूसरा मानदंड यह है : आर्थिक सुधार कार्यक्रम तथा अनियंत्रित उपभोक्तावाद की बुराइयों पर गौर कीजिए। मेरे पास समय नहीं है कि मैं इस देश के परम्परागत समाज और लोगों पर उपभोक्तावाद के परिणामों की विस्तृत जांच करूं, लेकिन महानगरीय भारत के उत्पाद होने का लाभ होने के कारण हम में से कुछ को इससे आत्मसंतुष्टि है।

मैं एक क्षण के लिए भी इस महानगरीय भारत की अवमानना नहीं कर रहा, मैं जानता हूं कि आप भारत के एक महानगर के एक योग्य और ख्याति प्राप्त प्रतिनिधि हैं।

सभापति महोदय : मुम्बई जैसे महानगर में भी 80 प्रतिशत लोग ऐसी स्थिति में ही रहते हैं, क्योंकि वहां पर गन्दी बस्तियां हैं।

श्री जसवंत सिंह : मैं जानता हूं। मैं अनियंत्रित उपभोक्तावाद के बारे में आपको सावधान

करता हूं। मेरे पास समय नहीं है। **(व्यवधान)** मुझे बम्बई के बारे में सभापति महोदय जितनी अधिक जानकारी है। यहां पर बैठे हममें से सभापति सदैव ही अधिक जानकारी रखने वाला होता है।

सभापति महोदय : यही शिष्टाचार है। हमें यह याद रखना चाहिए।

श्री जसवंत सिंह : मैं इसे सत्ता पक्ष में अपने मित्रों के समक्ष पूरी गंभीरता के साथ रख रहा हूं। मैं इस बारे में एक मिनट में उल्लेख करूंगा। जब देश भ्रष्टाचार में जकड़ा हुआ है तब आप नई आर्थिक नीति और यह आर्थिक सुधार कार्यक्रम नहीं ला सकते। आप दो नावों पर पैर नहीं रख सकते। मैं इस बारे में समय व्यय नहीं करना चाहता कि हमारे नागरिकों को भ्रष्टाचार की भयंकर बुराई का सामना करना पड़ता है। ग्रामीण भारत या नगरों में नागरिकों को भ्रष्टाचार का सामना करना पड़ता है और यह बहुत ही अपमानजनक है कि यह सरकार भ्रष्टाचार के विरुद्ध एक शब्द भी नहीं बोलती। मैं पूरी गंभीरता के साथ आपको सावधान कर रहा हूं। विश्व में कोई ऐसा आर्थिक सुधार कार्यक्रम कहीं भी सफल नहीं हुआ है, जो कि भ्रष्टाचार से सहयोग करके चले और आपकी सरकार तो भ्रष्टाचार के प्रति पूर्व उपेक्षा के लिए प्रसिद्ध है। आप भ्रष्टाचार से सहयोग कर रहे हैं। इस प्रकार आप आर्थिक सुधार कार्यक्रम को सफल नहीं बना सकते। मेरी चेतावनी पर अब भी गौर कीजिए। मैं यहां पर बसना नहीं चाहता। हमने अनेक दिन बिताए हैं और मेरे मित्र पंडित जी महाराज भी यहां थे। हमने उस रिपोर्ट पर कई महीने अत्यधिक परिश्रम किया है जिसे अब संयुक्त संसदीय समिति (जे.पी.सी.) रिपोर्ट कहा जाता है। इस बारे में राष्ट्रपति के अभिभाषण में एक शब्द भी नहीं कहा गया है, हालांकि इस पर 30 माननीय संसद सदस्यों की मेहनत लगी है और अनेक सिफारिशों के साथ एक सर्वसम्मत रिपोर्ट दी गई है। आपको इस रिपोर्ट की दशा पर मेरी चिन्ता को मानना चाहिए। लेकिन राष्ट्रपति के अभिभाषण में इस बारे में एक भी शब्द नहीं है। यह गंभीर चिन्ता का विषय है।

अब मैं आर्थिक नीति से आगे बोलूंगा तो कुछ विचार व्यक्त करना चाहूंगा। नियोजित अर्थव्यवस्था से बाजार अर्थव्यवस्था में आने के कारण संभव सामाजिक तब्दीलियों पर हमें गंभीरता से सोचना चाहिए। मैं पाता हूं कि इस प्रकार नहीं सोचा जा रहा। इसी कारण मैंने इसका उल्लेख किया है। हमें इस चेतावनी पर भी गौर करना चाहिए कि बाजारी शक्तियां लाने के उद्देश्य से यह नई आर्थिक नीति राजनैतिक रूप से तभी कायम रह सकती है, जबकि इसमें भारत का आवश्यक सामाजिक मुद्दा भी उच्च स्तर पर शामिल हो। इस सामाजिक मुद्दे पर सरकार की गंभीरता पर मैं आश्वस्त नहीं हूं। तीसरे, हमारे कथित आर्थिक सुधार के तहत पश्चिम सिद्धांतवादियों अथवा बैंकरों को खुश करने के लिए अपने देश के नागरिकों की लगभग आधी तादाद को अत्यधिक तकलीफों अथवा माननीय बरबादी में नहीं छोड़ सकते **...(व्यवधान)...** मैं यह भी बताना आवश्यक समझता हूं कि राष्ट्रपति के अभिभाषण में एक विशेष खामी है। मैं नहीं जानता यह खामी किस वजह से है, लेकिन यह खामी एक सूचना एक अति महत्वपूर्ण विषय से संबंधित है। मैं नहीं जानता कि इस खामी को सरकार की अनभिज्ञता मानूं या सरकार की सूचना नीति पर इस चुप्पी के लिए कुछ और अनिष्टसूचक कारण मानूं। मैं आपको संक्षेप में बताना चाहता हूं कि सूचना नीति को मैं मौजूदा समय में इतना महत्वपूर्ण क्यों मानता हूं। हम सभी थोड़ा बहुत आकाशवाणी और दूरदर्शन द्वारा नियमित रूप से सूचना देने में गड़बड़ करने से प्रभावित हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आकाशवाणी या दूरदर्शन द्वारा इस प्रकार सूचना को गलत ढंग से पेश करने से देश में एक प्रकार

[श्री जसवंत सिंह]

की नैतिक विकृति का खतरा उत्पन्न होता है। मैं इसे नैतिक विकृति कहता हूं, क्योंकि बहुत से लोग बहुत अवधि तक बहुत से तुच्छ या पक्षपातपूर्ण कारणों से सूचनाएं ईज़ाद करने लगते हैं। वे रोजाना सूचनाएं ईज़ाद करके आकाशवाणी या दूरदर्शन द्वारा प्रचारित करते हैं। यह बनावटी सूचना भाषाई दक्षता को छोड़िये, तकनीकी कुशलता के साथ भी पेश नहीं की जाती और अनन्त इसका परिणाम यह होता है कि कोई भी वास्तव में गलत सूचनाओं के इस मनगढन्त पुलिन्दे पर विश्वास नहीं करता। इसी कारण सूचनाओं को मनगढन्त तरीके से तैयार करने की इस प्रवृत्ति के कारण देश में नैतिक विकृति का खतरा उत्पन्न हो गया है।

अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. कृष्ण कुमार) : इस इलेक्ट्रॉनिक प्रचार माध्यम में भाजपा को भी उचित समय दिया गया है। **(व्यवधान)**

श्री जसंवत सिंह : मंत्री महोदय ने इलेक्ट्रॉनिक प्रचार माध्यम का उल्लेख किया है और कहा है "भाजपा की समुचित उपस्थिति"। ऐसा करके उन्होंने मेरे कथन की पुष्टि की है, क्योंकि वह मेरे कथन को स्वीकार कर रहे हैं कि आकाशवाणी और दूरदर्शन पर कांग्रेस का एकाधिकार है। यह हमारा दावा है।

यह एक और पहलू की पुष्टि करता है और इस तरफ मैं सभा का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। मैं कहना चाहता हूं कि यह राष्ट्रपति के अभिभाषण में एक गंभीर खामी है। आज हम देख रहे हैं कि हम दोहरे हमले में फंसे हुए हैं। एक तरफ तो राज्य नियंत्रित निष्क्रियंता और पूर्णतः अप्रभावी एकाधिकार है और दूसरी तरफ खुले आकाश से हमला है। मैं समझता हूं कि अब समय आ गया है जब सरकार इस सूचना रूपी हमले पर गौर करे, विशेष रूप से प्रसारण या टेप के माध्यम से नुकसानदायक गलत जानकारी प्रसारित करके हमारे सांस्कृतिक वातावरण में घुसने की क्षमता पर गौर करें। यह बहुत गंभीर मामला है, क्योंकि इसका एक परिणाम यह निकल सकता है कि ऐसा साझा कार्यक्रम विखंडित हो सकता है, जिसके तहत हर देश और समाज में प्रसारण की संरचना की जानी है। सूचना के इस प्रकार अनियंत्रित सांस्कृतिक हमले के फलस्वरूप न सिर्फ साझा कार्यक्रम विखंडित हो जाएगा बल्कि इसके कारण सामाजिक स्वरूप किसी भी लोकतांत्रिक अथवा गैर-लोकतांत्रिक देश में सरकारी नियंत्रण कमजोर पड़ जाएगा।

महोदय, इसलिए एक साथ दो चुनौतियां हैं, सूचना माध्यम पर सरकार के पूर्ण नियंत्रण से मुक्ति का अधिकार और कथित खुले आकाश से इस अनचाहे सांस्कृतिक हमले के प्रति जागरूकता की भावना। महोदय यह मेरे लिए चिन्ता का विषय है कि सरकार ने राष्ट्रपति के अभिभाषण में इस पहलू पर बिल्कुल गौर नहीं किया है।

श्री किरिप चालिहा (गुवाहाटी) : क्या भाजपा नेता श्री मरडोक से मिलें ? **(व्यवधान)**

श्री जसवंत सिंह : वास्तव में मैं इससे संबद्ध नहीं था और मैं भारत में उनके यात्रा कार्यक्रम से संबंधित आयोजकों में नहीं था। अगर माननीय सदस्य मुझे यह बताएं कि उनका यात्रा कार्यक्रम वास्तव में किसने बनाया, तो मैं निश्चित रूप से उनके प्रश्न का उत्तर दूंगा।

3.00 म.प.

महोदय, मैंने आपके समक्ष पहले भ्रष्टाचार की बुराइयों का उल्लेख किया था। मैं यह उल्लेख करना आवश्यक समझता हूं और इसके बाद अपना भाषण समाप्त करूंगा, यद्यपि मुझे सुरक्षा और विदेश नीति पर भी कहना है। लेकिन मैं महसूस करता हूं कि ऐसा करने के लिए मेरे पास समय नहीं है। लेकिन निष्कर्ष के तौर पर निश्चित रूप से मैं अपने विचार आपको व्यक्त करना चाहता हूं। भ्रष्टाचार रूपी कैंसर के तहत तीन मुद्दों में मैं बोफोर्स का उल्लेख करता हूं। आपको बार-बार यह नाम सुनकर आश्चर्य होगा। मैं अत्यंत संक्षेप में संयुक्त संसदीय समिति के प्रतिवेदन और मंत्री स्तर पर दुराचार के बारे में संक्षेप में बोलना चाहता हूं। मैं मंत्री स्तर पर कदाचार से शुरू करता हूं। महोदय, सभा के पिछले सत्र के दौरान हमारे समक्ष एक अवसर आया था, जबकि इस सरकार में एक राज्य मंत्री के खिलाफ प्रेस में बहुत गंभीर आरोप लगाए गए थे, जिन्हें सभा के अंदर भी दोहराया गया था। इसके बाद हम में से कुछ ने दस्तावेजी सबूत इत्यादि के द्वारा यह मामला अध्यक्ष के समक्ष उठाया था। इसके बाद अध्यक्ष महोदय ने हमें यह उचित सलाह दी कि हमें यह दस्तावेजी सबूत संबंधित मंत्री के पास भेजना चाहिए। मैंने पेट्रोलियम मंत्री श्री सतीश शर्मा के पास यह दस्तावेजी सबूत डेढ़ महीने पहले भेजा था। मैंने यह दस्तावेजी सबूत अध्यक्ष महोदय के पास भी भेजा। मुझे डेढ़ महीने से मंत्री महोदय से कोई उत्तर नहीं मिला है। मैंने माननीय अध्यक्ष को कहा कि ऐसी स्थिति में एक संसद सदस्य को क्या करना चाहिए ?

आपके निदेशानुसार यदि हम यह संपूर्ण जानकारी मंत्री महोदय को भेजते हैं और वह कुछ नहीं करते तो हम क्या करें ? अध्यक्ष महोदय ने कहा कि संसद सदस्य का यह दायित्व है कि उसके विरुद्ध लगाए गए आरोपों के बारे में वह मंत्री महोदय को जानकारी दे और उसके बाद संसद सदस्यों का दायित्व पूरा हो जाता है। संसदीय शिष्टाचार और अध्यक्ष महोदय के निदेशों के प्रति मेरा दायित्व है, लेकिन मंत्री महोदय का मंत्रिमंडलीय शिष्टाचारों से कोई सरोकार नहीं है। महोदय, पिछले सत्र के दौरान माननीय श्री सतीश शर्मा के विरुद्ध आरोप लगाए गए थे कि उनके केमेन द्वीपसमूह, चैनल द्वीपसमूह में विदेशी खाते हैं और न्यूयार्क जिला न्यायालयों में उनके विरुद्ध मुकदमे दायर किए गए थे। उन आरोपों को अब समाचार पत्रों में दोहराया गया है। माननीय श्री सतीश शर्मा के विरुद्ध विदेशी मुद्रा विनियम अधिनियम का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया गया था। उन पर हर संभव कदाचार का आरोप लगाया गया था और कहा गया था कि वह संघ सरकार में मंत्री बनने योग्य नहीं हैं। वह अभी भी मंत्री हैं। उन्होंने इसका खंडन करने के अतिरिक्त एक भी प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है। यदि आप मेरे विरुद्ध गंभीर आरोप लगाते हैं तो मैं खड़ा होकर यही कहूंगा "नहीं, आप जो कह रहे हैं मैं उसका खंडन करता हूं, एक सदस्य के पास इस संबंध में क्या विकल्प रह जाता है ? इसलिए मैं इस सरकार पर आरोप लगाता हूं कि इस सभा में जो कुछ कहा गया था और दस्तावेजों से जो बात सिद्ध होती थी, उसे उसने बड़े ही साधारण ढंग से लिया।

आप जानते ही हैं कि अनेक मामलों में संयुक्त संसदीय समिति ने अनेक गंभीर गड़बड़ियां पाई हैं।

[हिन्दी]

सभापति महोदय : जो चार्ज यहां पर कहे गये हैं, वही रिपीट कर रहे हैं, अगर कोई नया लगायेंगे तो उसके लिए पहले नोटिस देना पड़ेगा।

श्री जसवंत सिंह : जो मैंने लिखित में भेजा था, जो पहले यहां कहा उसके अलावा एक भी बात नहीं कही।

[अनुवाद]

इस्पात मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) : संयुक्त संसदीय समिति के प्रतिवेदन पर सभा का समय बढ़ाकर चर्चा की गई थी। कैप्टन सतीश शर्मा के विरुद्ध आपने, जो आरोप लगाए हैं, उनका उन्होंने लिखित वक्तव्य दे दिया है। केवल समाचार पत्रों में छपे समाचारों के आधार पर आपने उनके विरुद्ध आरोप लगाए हैं। आप उनके विरुद्ध नए आरोप लगाइए, क्योंकि यह आरोप समाचार-पत्रों में छपे समाचारों पर आधारित है। यह बात आपको शोभा नहीं देती। आप हमेशा ही तथ्यों के आधार पर बोलते रहे हैं, और अभी तक आप ठीक-ठीक बोल रहे थे। लेकिन अब आप तथ्यों से हटकर बोल रहे हैं।

श्री जसवन्त सिंह : उन्हें यह बताना मैं अपना कर्त्तव्य समझता हूं। संयुक्त संसदीय समिति के बारे में मैं कुछ समय के बाद बोलूंगा। जहां तक आपके मंत्रिमंडलीय सहयोगी का संबंध है मैं शिष्टाचार की भावना और आपकी उनको बचाने की इच्छा का सम्मान करता हूं। मैं भी ऐसा ही करता। मैं आपको मामले से संबंधित की जानकारी देता हूं। मामले के तथ्य यह हैं कि सभा में कुछ आरोप लगाए गए थे। जब आरोप लगाए गए थे, तब माननीय कैप्टन सतीश कुमार शर्मा ने खड़े होकर कहा था, मैं सभी आरोपों का खंडन करता हूं। अध्यक्ष महोदय, ने अपने विवेकानुसार कहा कि अब आप उनसे और प्रश्न नहीं पूछ सकते हैं। मैंने कहा ठीक है हम उनसे आगे और प्रश्न नहीं पूछेंगे; परन्तु क्या हम आपको और दस्तावेज दे सकते हैं ? अध्यक्ष महोदय, ने कहा 'हां' आप ऐसा कर सकते हैं। मैंने अध्यक्ष महोदय को अतिरिक्त दस्तावेज दे दिए। अध्यक्ष महोदय, ने कहा, आप उन्हें मंत्री महोदय को भेज दें। मंत्री महोदय द्वारा आरोपों का खंडन करने के बाद भी मैंने दस्तावेज़ उन्हें भेज दिए। यह बातें मैं खंडन करने के बाद की बता रहा हूं।

श्री संतोष मोहन देव : क्या आपने उनसे पूछा है ?

श्री जसवन्त सिंह : मैंने उनसे पूछ लिया है।

सभापति महोदय : आपने अपनी बात कह दी है।

श्री जसवन्त सिंह : यह सच है कि हमने सयुक्त संसदीय समिति के प्रतिवेदन पर चर्चा की थी। सारे समय मैं सरकार से यही कहता रहा कि अनेक मंत्री गण इसमें शामिल हैं। यह उन पर निर्भर करता है कि वह संयुक्त संसदीय समिति के विचारों को माने या न मानें, मैं मानता हूं कि यह सत्तारूढ़ दल और सरकार का अधिकार है, लेकिन आपके ही एक मंत्री खड़े होकर कहते हैं कि " मैं कम दोषी हूं, मैंने छोटा अपराध किया है, मेरे अन्य सहयोगी बड़े अपराध के दोषी हैं।" मैं माननीय प्रधान मंत्री से हमेशा यह पूछता रहा हूं कि, की गई कार्यवाही प्रतिवेदन कहां है ?

क्या आप कोई कार्यवाही करना भी चाहते हैं ? माननीय वित्त मंत्री के बजट भाषण में संयुक्त संसदीय समिति का कोई उल्लेख नहीं किया गया है। जब संयुक्त संसदीय समिति गठित की गई थी, तब प्रधान मंत्री ने बहुत उत्साह दर्शाया था। उसके बाद वह चुप हो गए।

निश्चित रूप से हमें, इस बारे में जानने का अधिकार है। संसद को इस मामले की जानकारी प्राप्त करने का अधिकार है। आखिरकार इसमें बहुत मेहनत की गई है। पूरे समय मैं इसके बारे में पूछता रहा हूं और मैं पूरा प्रतिवेदन नहीं पढ़ रहा हूं। निश्चित रूप से आप मुझे यह अधिकार देंगे कि मैं यह जानकारी प्राप्त कर सकूं कि सरकार इस बारे में क्या कर रही है ?

तीसरे, मैं बोफोर्स की पूरी कहानी फिर से शुरू नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं असम के अपने मित्रों को यह बताना चाहता हूं कि बोफोर्स के भूत को हम इस प्रकार दफना नहीं सकते है। मैंने बोफोर्स के इस भूत को तब उठते देखा, जब कांग्रेस दल ने यह सोचा कि हमने इसे अंतिम रूप से दफना दिया है। एक बार ऐसा अवसर आया—मैं इसके अलावा इसे कुछ और नहीं कह सकता हूं। जब सोलंकी कांड हुआ और माननीय प्रधान मंत्री ने इस सभा को यह बताया कि वह बोफोर्स मुद्दे के साथ, दिन-प्रतिदिन के आधार पर निपटेंगे।

[हिन्दी]

श्री मोहन सिंह (देवरिया) : मानीटर करेंगे।

[अनुवाद]

श्री जसवन्त सिंह : यह वर्षों पहले था। मैं इसकी निगरानी करूंगा। श्री मोहन सिंह ठीक कह रहे हैं। उन्होंने कहा मैं इसकी निगरानी करूंगा। मैं प्रधान मंत्री द्वारा निगरानी के बारे में एक आम प्रश्न पूछना चाहता हूं। हमें समाचार-पत्रों में प्रकाशित समाचारों से पता चला है कि जेनेवा के केन्टोनल कोर्ट ने अंततः या तो अपने दस्तावेज जारी कर दिए हैं अथवा उन्हें जारी करने वाली है। मैं माननीय प्रधान मंत्री से इस बारे में पूछना चाहता हूं, जो दिन-प्रतिदिन के आधार पर व्यक्तिगत तौर पर इसकी निगरानी कर रहे हैं। हमें निश्चित रूप से इस बात से काफी संतुष्ट हो जाना चाहिए था, जब प्रधान मंत्री ने यह कहा था कि "मैं स्वयं दिन-प्रतिदिन के आधार पर इसकी निगरानी करूंगा।" लेकिन यदि हम इससे संतुष्ट नहीं होते तो इसके लिए हमें लोगों को दोषी नहीं समझना चाहिए। निश्चित रूप से प्रधान मंत्री के कार्य करने में ऐसी कुछ कमियां रह गई हैं, जिनसे हम असंतुष्ट हैं।

मैं प्रधान मंत्री से एक बात पूछना चाहता हूं। जेनेवा के केन्टोनल कोर्ट ने सरकार को यह जानकारी कब दी थी कि, "हम आपको दस्तावेज सौंपने के लिए तैयार है" बशर्ते कि आप हमें यह आश्वासन दें कि आप कानूनी कार्यवाही करेंगे, ताकि अंततः ये दस्तावेज जारी किए जा सकें ?" केन्टोनल कोर्ट के इस कथन के करीब-करीब आठ-नौ सप्ताह बाद तक भी सरकार स्विट्जरलैंड को बोफोर्स की इस दिन-प्रतिदिन निगरानी के आधार पर कोई ऐसा आश्वासन नहीं दिया। "हम दस्तावेज देने के लिए तैयार हैं" प्रधान मंत्री की व्यक्तिगत तौर पर निगरानी की वजह से ही जेनेवा को आठ-नौ सप्ताहों तक आश्वासन नहीं दिया जा सका।

अब आखिरकार देर से सही इसकी पुष्टि दे दी गई है। महोदय, मैं आपके माध्यम से

[श्री जसवंत सिंह]

सरकार से यह पूछना चाहता हूं कि क्या प्रधान मंत्री सभा को बताएंगे कि अब यह दस्तावेज कहां हैं ? क्या वे जेनेवा से आ गए हैं ? क्या उन्हें केंद्रीय जांच ब्यूरो को सौंप दिया गया है ? क्या वह जेनेवा से ही नहीं आए हैं ? यदि वह जेनेवा से नहीं आए हैं तो इसका क्या कारण है ? यदि वह भारत में आ गए हैं तो वह संसद को इसकी जानकारी कब देंगे ? मैं उसी प्रक्रिया को जानना चाहता हूं।

मैं विदेश नीति या प्रत्याभूति घोटाले या केंद्र-राज्य संबंधों के बारे में कुछ कहे बिना अपनी बात समाप्त कर रहा हूं। मैं चार-पांच वाक्य और कह कर अपनी बात समाप्त कर दूंगा। जिसका राष्ट्रपति के अभिभाषण में कोई उल्लेख नहीं है।

यह अतिशयोक्ति नहीं है न ही मैं उग्र-राष्ट्रीयता की भावना से बोल रहा हूं, बल्कि मुझे इस बात की चिंता और आक्रोश है कि हमारे देश में राष्ट्रीयता की भावना समाप्त होती जा रही है।

महोदय, हमारे देश में राष्ट्रवाद की भावना न केवल कम हो गई है, बल्कि उसका मजाक उड़ाया जाता है।

मैं आपके माध्यम से सरकार को यह बताना चाहता हूं कि हमारा देश ऐसे दौर से गुजर रहा है। जैसे राज्य अपने नागरिकों के साथ संबंधों का सम्मान करने में असफल रहते हैं, जैसे कि यह सरकार और यह राज्य असफल रहे हैं, उसी तरह से नागरिक भी राज्य के प्रति अपनी नहीं निष्ठा बनाये रह सकते हैं। आधुनिक राष्ट्रवाद का सिद्धांत पहले की तुलना में भौतिकवादी अधिक और आध्यात्मिक कम है, जबकि पहले इसके विपरीत हुआ करता था। राष्ट्रवाद का मूल सिद्धांत यह था कि राज्य और नागरिक दोनों एक दूसरे की सहायता के लिए कुछ भी कर सकते थे, नागरिक राज्य की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर सकता था और राज्य अपने नागरिकों की भलाई को सुनिश्चित करने के लिए कोई भी कदम उठा सकता था, लेकिन अब ये संबंध नहीं रहे हैं, क्योंकि राज्य पर एक दल ने कब्जा कर लिया है। यह स्थिति खतरनाक है।

भारत अनेक विजयों और 1947 के विभाजन के बावजूद मात्र एक भौगोलिक रचना नहीं है।

भारत एक सभ्यता का प्रतीक है, जो हमारे राष्ट्रवाद की संस्कृति और सभ्यता का मूल है।

मैं केवल एक बात कहना चाहता हूं। यदि भारत में राष्ट्रवाद, सहमति, संकल्प शक्ति का अभाव रहेगा तो राष्ट्रपति का कोई भी अभिभाषण उपयुक्त नहीं होगा। रज्य की इस प्रकार की व्यवस्था के साथ-साथ यदि आप भ्रष्टाचार को भी इसके साथ मिला दें, जिसका मैंने अभी संक्षेप में उल्लेख किया है तो मैं एक महान लेखक के शब्दों को उद्धत करते हुए आपको चेतावनी देना चाहता हूं कि प्रत्येक समाज जो बेईमानी पर आधारित है और सामान्य व्यवहार के एक पहलू के रूप में अपराधों को सहन करता है—जैसा कि आज हमारे देश में हो रहा है, चाहे वे थोड़े से चुने हुए व्यक्ति ही क्यों न हों, दूसरे वर्ग को, चाहे यह वर्ग कितना ही छोटा क्यों न हों, उसके सम्मान

और जीवन के अधिकार से वंचित करते हैं, तो उनका स्वयं का नैतिक पतन हो जाता है तथा अंततः वे समाप्त हो जाते हैं।

महोदय, मैंने जो कुछ कहा है, उससे अधिक मैं कुछ नहीं कह सकता।

[हिन्दी]

श्री राम विलास पासवान (रोसेड़ा) : सभापति जी, अभी हमारे विद्वान साथी जसवंत सिंह जी ने विस्तार से अपनी बातों को रखा और कल माथुर साहब और थामस साहब ने कांग्रेस की पालिसी के संबंध में विचार व्यक्त किये, चूंकि हम लोगों ने राष्ट्रपति के भाषण का बायकाट किया था, इसलिए आमने-सामने तो हम नहीं सुन पाए थे, मगर उसकी एक-एक लाइन को पढ़ने का काम हमने किया था। हमको आज संतुष्टि है कि अच्छा है हम समय बरबाद करने के लिए वहां नहीं गए, चूंकि यह अभिभाषण एक बंडल ऑफ कन्फ्यूजन है। इसमें क्या है कुछ पता ही नहीं चल रहा है। जितनी बार हम पढ़ते हैं उतनी बार कनफ्यूज हो जाते हैं। यह सही है कि राष्ट्रपति के पद के प्रति हमारी कोई अवमानना नहीं है और वे हमारे कांस्टीट्यूशनल हैड हैं। लेकिन राष्ट्रपति जब अपना अभिभाषण देते हैं, तो वही देते हैं जो सरकार की नीति होती है और इसलिए हम राष्ट्रपति के अभिभाषण को क्रिटिसाइज करते हैं, पर इसका मतलब यह नहीं है कि हम राष्ट्रपति को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, बल्कि हम सरकार की नीतियों की आलोचना करते हैं।

सभापति जी, यह अभिभाषण बिल्कुल डायरेक्शनलैस है। इसमें हम देश को कहां ले जाना चाहते हैं, इसका कोई दिशा-निर्देश नहीं है। अभी कल बजट पेश हुआ है। आप जानते हैं कि हमारा औद्योगिक विकास की दर का लक्ष्य 4 प्रतिशत था। डेफिसिट 7.5 प्रतिशत है और औद्योगिक विकास की दर 1.5 प्रतिशत है। राष्ट्रपति जी ने प्रथम पृष्ठ पर कहा है :

> "खाद्यान्नों का रिकार्ड उत्पादन, खरीद के अभूतपूर्व स्तर, खाद्यान्नों के बहुत बड़े भंडार, मुद्रास्फीति को एकल अंकीय स्तर पर बनाए रखने, विदेशी मुद्रा के संतोषजनक भंडार, व्यापारिक घाटे में पर्याप्त कमी, निर्यात में वृद्धि, मूलभूत संरचना के कुछ आवश्यक क्षेत्रों के कार्य-निष्पादन में सुधार और प्रत्यक्ष तथा पोर्टफोलियो, दोनों में अधिक विदेशी पूंजी का निवेश से मिलता है। ये सभी हमारे उभरते हुए आशावाद के प्रतीक हैं।"

इनका उभरता हुआ आशावाद इसमें दिखाई पड़ता है। हम पिछले एक साल का लेखा-जोखा लें, तो हमें पता चलेगा कि इनका जो कारनामा है, वह उभरते आशावाद का प्रतीक है या उभरते निराशावाद का प्रतीक है।

सबसे पहला तर्क दिया गया कि पहले हमारी सरकार अल्पमत में थी, अब बहुमत में आ गयी है, यानी मार दिया छक्का। मतलब यह है कि पहले नरसिंह राव जी झुक कर चलते थे और अब उन्होंने एकदम टनाटन चलना शुरू कर दिया है।

श्री विजय कुमार यादव (नालन्दा) : यह दल-बदल क्यों हुआ, कैसे छक्का मार दिया, जरा इसके बारे में भी तो कुछ बताईये।

रसायन तथा उर्वरक मंत्री (श्री राम लखन सिंह यादव) : इधर तो मेरे कई छोटे भाई

[श्री जसवंत सिंह]

बैठे हुए हैं, आप हमारा उदाहरण क्यों देते हो। आपने तो ऐसा उदाहरण पेश किया है कि वहां तक तो मैं पहुंच ही नहीं सकता।

श्री राम विलास पासवान : मैं कह रहा था कि शिव सेना से लेकर जनता दल, तेलगु देशम पार्टी तक सभी लोग इसमें शामिल हैं। **(व्यवधान)**

जब आपका पांच साल पूरा होगा, तब कहेंगे न।

सभापति जी, जिस तरह से दल-बदल हुआ और वह भी उस मौके पर जब की भ्रष्टाचार की चर्चा जोरों पर थी, भ्रष्टाचार की चर्चा हम लोग कर रहे थे, उस मौके पर भ्रष्टाचारपूर्ण तरीके से, दल-बदल कराकर, आपने अपनी सरकार के लिए बहुमत हासिल किया। हमारे राम लखन बाबू बहुत खुशनसीब हैं, लेकिन बहुत से लोग तो बेचारे रो रहे हैं। उनके लिए क्या किया जाये।

श्री राम लखन सिंह यादव : आप बताइये किसमें हैं, ओ.बी.सी. में हैं या एस.सी.एस.टी. में हैं, तब उसका इलाज किया जाये। आप किसे चाहते हैं।

श्री राम विलास पासवान : सभापति जी, इनसे हमारा क्या मतभेद हो सकता है, कांग्रेस में हमारे अनेकों अच्छे मित्र भी हैं। हमारे वासनिक साहब कल तालियां बजवा रहे थे और कह रहे थे कि हमारी सरकार की यह उपलब्ध है, वह उपलब्धि है। दूसरी तरफ मो. अजहरुद्दीन जीत रहा है, उसका कोई नाम लेने वाला नहीं है। कपिल देव ने क्रिकेट में रिकार्ड बना दिया, उसका कहीं नाम नहीं है।

मेरा किसी से व्यक्तिगत तौर पर झगड़ा नहीं है, न प्रधान मंत्री जी से और न सरकार से, लेकिन जो इनकी नीति है, आपने किस तरीके से मैजोरिटी हासिल की, मैजोरिटी हासिल करने के भी बहुत से तरीके थे, लेकिन केवल भ्रष्टाचारपूर्ण तरीके से ही क्यों आपने मैजोरिटी हासिल की। राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में जे.पी.सी. के संबंध में एक लाईन की चर्चा नहीं की गयी, इससे ज्यादा शर्मनाक बात दूसरी क्या हो सकती है। जे.पी.सी. के चेयरमैन कोई अपोजीशन के चेयरमैन नहीं थे। जे.पी.सी. के चेयरमैन श्री राम निवास मिर्धा थे और उन्होंने गोल्ड स्टार के संबंध में अपनी रिपोर्ट में क्या लिखा है, उसमें कहा गया था कि इसमें एक जांच समिति बैठानी चाहिए। जब एक सर्वदलीय समिति जे.पी.सी. ने कहा है कि प्रधान मंत्री के खिलाफ जांच समिति बैठानी चाहिए और जब प्रधान मंत्री जी स्वयं एक कटघरे में खड़े हों, दो-चार मंत्रियों को यदि निकाल दिया जाये तो सारे के सारे मंत्रियों के नाम पर प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है। क्या यही आशावाद का प्रतीक है। राष्ट्रपति जी ने कहा है कि यह उभरते हुए आशावाद का प्रतीक है।

आप गैट के मामले को देख लीजिए, जिसके लिए हम लोग आन्दोलन कर रहे हैं। आज हमारे साथी महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने बैठने के लिए, माला पहनाने के लिए गये थे, तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। पूरे देश में इसको लेकर आन्दोलन चल पड़ा है। बोफोर्स के मामले को जितना दबाने का काम किया, उतना ही बोफोर्स का गोला छूटता चला गया। अब लोगों को पता चल रहा है कि बोफोर्स सचमुच में गलत था या सही था। अब तो वी.पी. सिंह जी सरकार में नहीं हैं, न हम लोग सरकार में हैं, लेकिन रोज नया गोला बाहर से दागा जा रहा है। गैट को

आप कितना ही दबाइये, लेकिन अब उसका दुष्परिणाम सामने आ रहा है, आप उससे हट नहीं सकते हैं। सैरेमोनियल 15 अप्रैल को होने वाले हैं।

लेकिन अभी सरकार के सामने एक चारा है—वह गैट से सीधे बाहर निकल जाए। हम प्रणव मुखर्जी को धन्यवाद देना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि हम बाहर कैसे निकलेंगे, हमारे सिर पर 2 लाख 40 हजार करोड़ का विदेशी कर्जा है। आपने बजट में कहा कि हमको 46 हजार करोड रुपये सालाना कर्जा चुकाना पड़ रहा है। इस परिस्थिति में आप क्या कर सकते हैं। यह आपकी उपलब्धि है। कर्जा तो पैसे वाले को मिलता है। फिर कहा गया कि शायद चीन से भी कर्जा लिया है। कर्जा लेना-देना अलग चीज है। लेकिन देखना यह है कि किन टर्म्स एंड कंडीशन्स पर कर्जा ले-दे रहे हैं। चीन अपने टर्म्स एंड कंडीशन्स पर कर्जा ले रहा है, आप वर्ल्ड बैंक के टर्म्स एंड कंडीशन्स पर कर्जा ले रहे हैं।

नई आर्थिक नीति के संबंध में एक से एक तर्क दिया जाता है और कहा जाता है कि पहले सिर्फ एक इंडियन एयरलाइन्स ही था, लेकिन अब तो बहुत से हैं। एक प्लेन को नहीं पकड़ा दूसरे को पकड़ लिया। उसमें पैसा भी कम लगता है। हमारे यहां एक व्यक्ति आया हुआ था, जिसे लंदन जाना था। उसने ताजिक एयरलाइन्स, जिसने शायद 330 पौंड में आना-जाना कर लिया, में बुकिंग करवाई। उसमें पहले कुछ नहीं बताया गया, लेकिन जब सब पैसेन्जर एयरपोर्ट चले गए तो बताया कि प्लेन तो सात दिन से जा ही नहीं रहा है। हमारा इंडियन एयरलाइन्स कितना ही खराब हो, लेकिन कुछ परेशानी होने पर कम से कम हम मंत्री को फोन कर सकते हैं, अफसरों को पकड़ सकते हैं। उसमें किसे पकड़ा जाए। उसने फिर एयर इंडिया से बुंकिग करवाई। अब वह कल जाएगा। देश का उद्देश्य यह नहीं है कि उसे केवल मुनाफा कमाना है। आप किसी से बंधुआ मजदूर जैसे काम नहीं ले सकते।

बैंकों का नैशनलाईजेशन खत्म हो रहा है। यदि किसी का पैसा बैंक में है और कल को बैंकों का प्राईवेटाइजेशन हो गया और उसका खाता खो गया तो वह किससे पैसा मांगेगा। इसलिए हमने कहा कि हम आशाजनक भविष्य की ओर जा रहे हैं या निराशाजनक भविष्य की ओर जा रहे हैं।

बेरोजगारी का मामला है। कांग्रेस के लोग तो अपना मैनीफैस्टो नहीं पढ़ते, लेकिन हम उनका मानीफैस्टो पढ़ते हैं। उसमें एक भी कार्य ऐसा नहीं है जिसे आपने पूरा करने का काम किया हो। कहा था कि सौ दिन में मंहगाई कम कर देंगे। आप कहते हैं कि 1990 की तुलना में 1991 में मंहगाई कम हुई है, 1991 की तुलना में 1992 में कम हुई है आदि। आप हमें ऐसे समझा रहे हैं जैसे हम स्कूल के विद्यार्थी हैं। जब हम 1977 में आए थे, तो उस समय गैस 16 रुपये में मिलती थी और आज उसकी कीमत बढ़कर 92 रुपये हो गई है। यह आप जंगल का कानून चला रहे हैं। जैसे पहाड़ी इलाके में बोझा डालकर आदमी को चला देते हैं। जब वह थक जाता है तो उस पर और बोझा डाल देते हैं बाद में थोड़ा वजन निकाल लेते हैं। वही सरकार की हालत है। बोझा डालते जा रहे हैं, जब हल्ला होगा, तो उसमें से दो किलो निकाल देंगे।

बैंक घोटाले की बात है। हर्षद मेहता छूटा तो इतनी पब्लिसिटी दी गई कि हर आदमी हर्षद मेहता बन जाए। हमने ऐसी संस्कृति डाल दी है।

[श्री राम विलास पासवान]

ये इजी मनी अर्निंग है। यहां काम को कोई महत्व नहीं दिया जाता है। जो काम करता है, उसके पास अधिकार नहीं है, जिस के पास अधिकार है, उसके पास काम नहीं है, जो काम करता है, उसके पास इज्जत नहीं है और जो इज्जतदार माना जाता है, उसके पास काम नहीं है। जो ज्यादा काम करता है, उसको कम पैसा मिलता है और जो काम कम करता है, उसको ज्यादा पैसा मिलता है। आपने ऐसी संस्कृति बना दी है। हर आदमी हर्षद मेहता बनना चाहता है। रात को सपना देखता है और सुबह करोड़पति बनना चाहता है। पहले तो कभी इतने बड़े बैंक घोटाले नहीं हुए। पिछले दो साल से ही बैंक घोटाले क्यों होने लगे हैं। इसका कारण यह है कि आपने सारे सिस्टम को ही तोड़ दिया है। न मिनिस्टर की रिस्पांसिबिल्टी है, न आफिसर की रिसपांसिबिल्टी है। जहां से छेद बन रहा है, उधर से पानी निकल रहा है।

आज तक आपने नहीं बताया कि जवाहर लाल नेहरू जी की नीति सही थी, इंदिरा जी की सही थी या राजीव जी की सही थी। भारतीय जनता पार्टी के नेता नई आर्थिक नीति के आते ही अमरीका चले गए और वहां इसकी दुहाई देने लगे। अभी जसवंत सिंह जी ने कहा कि हमारी सरकार के आने पर नई आर्थिक नीति को हम बरकरार रखेंगे।

श्री मोहन सिंह (देवरिया) : लेकिन आज उन्होंने उसका विरोध किया।

श्री राम विलास पासवान : अच्छा किया। 1971 का मामला आने पर अटल जी ने कहा कि इन्दिरा जी देवी हैं, दुर्गा हैं और जय चंडी हैं। अच्छी बात है, देवी दुर्गा बनना बुरी चीज नहीं है ...**(व्यवधान)**

श्री राजवीर सिंह (आंवला) : ऐसा लगता है कि राम विलास जी उधर जाने का बहाना ढूंढ रहे हैं। **(व्यवधान)**

श्री राम विलास पासवान : अभी आप शान्त रहिये। मैं यह कह रहा था कि पंडित नेहरू की नीति सही थी, जिन्होंने कहा था कि इस देश में वैलफेयर स्टेट बनायेंगे और मिक्सड़ इकॉनमी लायेंगे। आपने इंडियन एयरलाइन्स को प्राइवेट सैक्टर में दे दिया। एक दिन रेलवे को भी प्राइवेट सैक्टर में दे दिया जाएगा, फिर डेसू ओर भेल को भी प्राइवेट सैक्टर में दे दिया जायेगा। एक बार जब मैंने अपने वित्त मंत्री जी को आई.एम.एफ. का सैक्रेटरी कह दिया था तो वह बहुत गुस्सा हुए थे। मैंने नई आर्थिक नीति को स्लोटर हाउस कहा था। आज भारत के सारे बिजनसमैन और बड़े-बड़े आदमी मल्टीनेशनल के सामने घुटने टेक रहे हैं।

1977 में जब हम आये थे तो मैंने इसी हाउस में एक सवाल पूछा था कि हमारे ऊपर कितना विदेशी कर्जा है तो जवाब मिला था कि 23 हजार करोड़ रुपया कर्जा है। 1980 में फिर यही सवाल मैंने पूछा तो जवाब मिला कि 23 हजार करोड़ रुपये का कर्जा है। 1980 से 1984 के बीच कांग्रेस की सरकार रही। उस समय विदेशी कर्जा 45 हजार करोड़ रुपये हो गया। 1984 से 1989 में राजीव गांधी की सरकार आई फिर विदेशी कर्जा 90 हजार करोड़ रुपया हो गया। जब नरसिंह राव जी की सरकार आई तो उन्होंने कुछ नहीं किया। रुपये का अवमूल्यन जरूर कर दिया। आज कहते हैं कि हम रुपये को डालर के बराबर ले आये हैं। आपने रुपये का इतना अवमूल्यन किया कि विदेशी कर्ज जो कि 90 हजार करोड़ था, वह बढ़ कर 1 लाख 20 हजार करोड़ हो गया।

और आज यदि मैं गलत नहीं हूं तो हमारे माथे पर 2,80,000 करोड़ रुपये कर्ज है। वह कर्जा लेकर ये क्या कर रहे हैं ? हमारे देश में 6 लाख गांव हैं ओर उन 6 लाख गांवों में से 2 लाख गांवों में आज भी पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है। वहां जिस तालाब में जानवर पानी पीता है, उसी में इन्सान पानी पीता है। आप कर्जा लेकर यह काम जरूर कर रहे हैं कि दिल्ली में सर्दी के महीने में नीला पीला फव्वारा चल रहा है, रोड के ऊपर रोड बन रही है। पुल के ऊपर पुल बन रहा है, लेकिन आज भी गांव में हमारी आबादी की आधी महिलाएं शौचालय के लिए रोड के दोनों तरफ लाइन लगाकर खड़ी रहती हैं। हम आजादी के 47 साल बाद भी यह व्यवस्था नहीं कर पाये कि जब बच्चा पैदा होता है तो उसके लिए कम से कम हैल्थ कार्ड हो, जिससे पता चल जाये कि उसका ब्लड किस ग्रुप का है। यहां इतने लोग बैठे हुए हैं, लेकिन आज किसी का एक्सीडेंट हो जाए तो हमको मालूम नहीं है कि हमारा खून किस ग्रुप का है।

आज हमारे देश में प्रतिवर्ष 5 लाख बच्चे टिटनैस के कारण मरते हैं। आज भी हमारे गांवों में मां-बहनों के पास एक ब्लेड उपलब्ध नहीं है। कहीं हंसुए से बच्चे का नाल काटा जाता है। कहीं खुरपे से नाल काटा जाता है, उसके नतीजे में बच्चे को टिटनैस हो जाता है और बच्चा मर जाता है। एक तरफ तो यह हालत है और दूसरी ओर 2,80,000 करोड़ रुपये का कर्ज लेकर कुछ लोगों के लिए स्वर्ग बनाया जा रहा है।

रात में सब लोग टी.वी. देख रहे थे, टी.वी. के सामने सब लोग बैठे हुए थे लेकिन एक सांसद का चेहरा भी नहीं दिख रहा है, खाली मनमोहन सिंह जी विदेशियों से बात करते रह गये कोई प्रश्न न्यूयार्क से आ रहा है, कोई लन्दन से आ रहा है। ऐसा लग रहा था कि यह बजट न्यूयार्क और लन्दन के लोगों के लिए बनाया गया है। सिर्फ इम्पोर्ट ड्यूटी घटाई गई है और कुछ नहीं किया गया है, इन्होंने कहा कि ये रुपया लेकर क्या किया। मैं कहूंगा कि "यावज्जीवेत सुखम जीवेत, ऋणम् कृत्वा घृतम पीवेत्" अर्थात जब तक जियो, खुशी पूवर्क जियो और ऋण लेकर घी पियो, क्योंकि इस देश में कोई भी आन्सरेबल नहीं हैं, कोई जवाब देने वाला नहीं है। पांच साल के बाद हम चले जायेंगे, मंत्री चले जायेंगे, प्रधान मंत्री चले जायेंगे और देश का जो भविष्य है, वह उससे निपटने का काम करेगा।

इसी तरह से एस.सी., एस.टी. और वीकर सैक्शन का मामला है। मैं पूछना चाहता हूं कि आपने बजट में इनके लिए कितना पैसा रखा है, 918 करोड़ रुपया और उसकी पोपुलेशन कितनी है ? नई 1991 की जनगणना के मुताबिक एस.सी./एस.टी. की पोपुलेशन बढ़कर 24.56 परसेण्ट हो गई है ओर बैकवर्ड क्लास की 52 परसेण्ट है और कुल आबादी की 75 फीसदी इन वर्गों की है, लेकिन 1,45,000 करोड़ रुपये के बजट में से 1000 करोड़ रुपये भी इन वर्गों के लिए नहीं रखा गया है, सिर्फ 918 करोड़ रुपये रखा है, जो एक परसेण्ट से भी कम है। कहा यह जा रहा है कि हम उनके लिए स्वर्ग बनाने जा रहे हैं।

अभी हमारे साथियों ने बाबरी मस्जिद का सवाल उठाया। बाबरी मस्जिद के संबंध में मैंने पिछली बार भी कहा था कि हमको भाजपा से शिकायत नहीं है, क्योंकि जो आदमी खुल्लमखुल्ला कहता है कि हम बाबरी मस्जिद को तोड़ देंगे, उससे क्या शिकायत ? हां, इनसे इतनी शिकायत है किया आप पार्लियामेंट को क्यों नहीं तोड़ देते हो, इसको भी अंग्रेज ने बनाया था। आप जाकर लाल किले को क्यों नहीं तोड़ देते हो, क्योंकि उसको भी मुसलमान ने बनाया था। आप जाकर

[श्री राम विलास पासवान]

ताजमहल को तोड़ दीजिए। लेकिन हमको आपसे शिकायत है कि आपने क्या किया। ...(व्यवधान)... इस देश की भारत सरकार के पास इतनी ताकत है कि कोई ताकत बाबरी मस्जिद या किसी चीज को तोड़ने की कोशिश करेगा और यदि आपकी नीयत साफ है वह नहीं तोड़ सकता है।

14 अप्रैल को बाबा साहब अम्बेडकर का जन्म दिवस है, लेकिन हम लोगों को इनके कारण सजा मिल रही है चूंकि बोट-क्लब पर परमानेंट रोक लगी हुई है। आपकी नीयत क्या है ? अब तो बी.जे.पी. की सरकार नहीं है, लेकिन हमारे सेक्युलर या माईनोरिटी के लोग मांग करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में 143 की बजाय 138 की धारा के तहत केस रेफर कीजिए। क्यों नहीं कर रहे हैं ? वहां पर श्री मुलायम सिंह जी की सरकार है और यहां पर श्री नरसिंह राव जी की सरकार है। ...(व्यवधान) आप उसको क्यों नहीं करते हैं ? क्या यह सही नहीं है कि प्रधान मंत्री जी ने कहा था कि उसी साईट पर मस्जिद बनेगी। अब क्या हो गया है ? आज वायदे से क्यों मुकर रहे हैं ? वर्तमान उत्तर प्रदेश सरकार ने भी कहा था कि मस्जिद वहीं बनेगी। आज अगर हिन्दुओं का मंदिर टूट गया होता तो यह देश चैन से नहीं रहता। ...(व्यवधान) आज अगर मुसलमान नहीं बोलता है तो इसका मतलब यह नहीं है कि उसके मन का घाव खत्म हो गया है उसके घाव को हिन्दुओं से निपटने का काम नहीं किया है। आज हल्ला कर रहे हैं कि कश्मीर की समस्या है ...(व्यवधान) कश्मीर पंडित की बजाय कश्मीरी कहना सफिशियंट नहीं है क्या ? लेकिन उनको घर छोड़कर जाना पड़ा। श्री फारूक अब्दुल्ला को हटाकर श्री जी. एम. शाह को किसने मुख्य मंत्री बना दिया और फिर उस सरकार को डिसमिस कर दिया आज तक वहां सरकार नहीं बन पाई। पंजाब में श्री बेअंत सिंह जी सरकार चला रहे हैं, लेकिन बादल को हटाकर बरनाला को किसने बना दिया था, परंतु जब उन्होंने बहुमत हासिल कर लिया था तो फिर सरकार को डिसमिस कर दिया था। हमको बड़े-बड़े मुद्दों पर भी विचार करना चाहिए। हिन्दुस्तान-पाकिस्तान का मामला है। सात जन्म तक कभी पाकिस्तान हिंदुस्तान को या हिन्दुस्तान पाकिस्तान को खत्म कर सकता है ? न तो वह हमको डुबोयेगा और न हम उसको डुबोयेंगे। 1994 में डिफेंस पर 23 हजार करोड़ रुपया दिया है। देश मजबूत होना चाहिए और हमारे पास एक से एक हथियार होने चाहिए। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि पाकिस्तान का पढ़ाई की तरफ ध्यान नहीं है भारत में 65 प्रतिशत लोग अशिक्षित हैं और दो लाख गांवों में पानी नहीं है। हमारा विकास का काम रुका हुआ है। अमेरिका या इंगलैंड से खतरा नहीं है, लेकिन हमको पाकिस्तान से खतरा है और पाकिस्तान कहता है कि उनको हिन्दुस्तान से खतरा है। अगर यह 23 हजार करोड़ बच जाए तो उस दिन से कितना तेजी से विकास का काम चलेगा और पाकिस्तान भी 30-35 परसेंट डिफेंस पर खर्च करता है, अगर वह बचाने का काम करे तो कितनी तेजी से उसका विकास होगा। इसके लिए सरकार की नीयत चाहिए। 1977 में हम सरकार में थे और उस समय श्री अटल जी विदेश मंत्री थे।

उस समय जनसंघ पार्टी थी। उसके नेता अटल बिहारी वाजपेयी विदेश मंत्री बने थे। कुछ नहीं हुआ, दोनों का रिश्ता पहली बार अच्छा बना। पहली बार दोनों में पासपोर्ट सिस्टम खत्म हुआ। हम उस पर क्यों नहीं ध्यान देते हैं। कल तक तो एक थे, ठीक है आज दो हैं, लेकिन एक-दूसरे से टक्कर लेने को तैयार रहते हैं। हम कोई ऐसा रास्ता निकालें, जिससे दोनों देशों में भाई चारे के संबंध विकसित हों। इसके ऊपर भी हमें विचार करने की आवश्यकता है।

हमारे यहां चार आयोग हैं। अनुसूचित जाति एवम् जनजाति आयोग, महिला आयोग अल्पसंख्यक आयोग और पिछड़ा वर्ग आयोग। जब यहां मानवाधिकार आयोग का बिल लाया गया था तो हमने उसमें संशोधन दिया था और कहा था कि इसमें आपने अनुसूचित जाति एवं जनजाति आयोग के चेयरमैन, महिला आयोग के चेयरमैन और अल्पसंख्यक आयोग के चेयरमैन को तो रखा है, लेकिन पिछड़ा वर्ग आयोग के चेयरमैन को क्यों नहीं लिया कल माथुर साहब कह रहे थे कि जो समाज का कमजोर तबका है वह अब जग चुका है, अब उसको दबा नहीं सकते। यदि आप दबाने की कोशिश करोगे तो मैं यहां बाबा साहेब अम्बेडकर को कोट कर रहा हूं जो 26 जनवरी 1950 को उन्होंने कहा था :

[अनुवाद]

"हम विरोधाभासी जीवन में प्रवेश कर रहे हैं। राजनीति में तो समानता होगी लेकिन सामाजिक और आर्थिक जीवन में असमानता होगी। हम अपने सामाजिक और आर्थिक जीवन में समानता से कैसे इंकार करते रहेंगे ? हमें शीघ्रातिशीघ्र इस विरोधाभास को समाप्त कर देना चाहिए। अन्यथा जो व्यक्ति असमानता के शिकार हैं वे राजनीतिक ढांचे को नष्ट कर देंगे जिसे इस सभा ने इतनी मेहनत से बनाया है।"

[हिन्दी]

यदि हमने उनके जज्बात को समझने का काम नहीं किया तो आंदोलन होगा। मैंने जब मैं उधर था, कहा था कि हम 542 सदस्य हैं, यह सदन सर्वोच्च है, लेकिन यह देश नहीं है। देश इससे भी बड़ा है। हमें इस बात का दुख है, आज सवेरे हमारा पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्यों से बातचीत हुई तो उन्होंने बताया कि हमारे चेयरमैन को अभी तक कार्यालय तो क्या घर भी नहीं दिया गया है। उनको कोई स्टेट्स नहीं दिया गया है। जबकि बाद में जो कमीशन बना उन के अध्यक्ष को कार्यालय भी मिल गया और घर भी मिल गया तथा अन्य सुविधायें भी मिल गईं। लेकिन पिछड़ा वर्ग आयोग के हाथ में झुनझुना थमा दिया कि इसे बजाते रहो। इसके ऊपर भी गम्भीरता से विचार करने की आवश्यकता है।

सवेरे केसरीजी आये और उन्होंने कहा कि पांच साल आयु में छूट पर विचार कर रह हैं। हमने मंडल आयोग लागू किया था तो यही कहा था कि यह आरक्षण केवल प्रथम चरण है, अंतिम नहीं है। आज आप निजीकरण करने जा रहे हैं। आप जहां देश का हित गिरवी रखने जा रहे हैं वहीं आप अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों के हित को भी गिरवी रखने का काम कर रहे हैं। आज इंडियन एयरलाइस में आरक्षण है, लेकिन प्राइवेट एयरलाइंस में कहां से होगा ? बी.एच.ई.एल. में आरक्षण है, लेकिन वह प्राइवेट में चला गया तो उसमें आरक्षण का क्या प्रावधान है ? सरकारी क्षेत्र भी इनके लिए नौकरियों का जरिया था, वहां भी आज निजीकरण करके उसको समाप्त कर रहे हैं। मेरी मांग है कि या तो आप निजीकरण न करो और अगर करना है तो उसमें भी आरक्षण की व्यवस्था की जाये। पचास प्रतिशत की सीमा सुप्रीम कोर्ट ने बांध दी है। तमिलनाडु की सरकार इसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में गई है। लेकिन जब विशेष भर्ती अभियान होगा तो क्या होगा ? हम सरकार से मांग करते हैं कि वह वीकर सेक्शन की इन तीन-चार चीजों को लेकर एक संविधान संशोधन लाये। एक तो पचास प्रतिशत की जो सीमा है, उसको खत्म किया जाये।

[श्री राम विलास पासवान]

दूसरा प्रोमोशन का मामला है। अभी 26 तारीख को सिंडीकेट बैंक का जोनल कांफ्रेंस हो रहा था, जिसमें उनके अध्यक्ष और आफिसर्स* आये हुए थे। उस कांफ्रेंस में बतलाया गया कि पार्लियामेंट में तो यह कह दिया गया कि प्रोमोशन में रिजर्वेशन जारी रहेगा। सर्कूलर में कह दिया गया कि जारी हो गया है। पिछले पार्लियामेंट के सैशन में केसरी जी ने कहा कि मारग्रेट जी ने सर्कुलर निकाल दिया लेकिन उन्होंने कहा कि जो सिंडीकेट बैंक में 1600 पद भरे गये, उसमें रिजर्वेशन का प्रावधान नहीं रखा गया है और कहा गया कि मंडल कमीशन के तहत इसको खत्म कर दिया गया है तो क्या अनुसूचित जाति और पिछड़ी जाति के बीच में लड़ाई कराना चाह रहे हैं ? इसलिए आपसे मांग करते हैं कि 5 साल तक प्रोमोशन में रिजर्वेशन जारी रखें। सुप्रीम कोर्ट में भी मंडल कमिशन का मामला था, एस.सी., एस.टी. मामला नहीं था।* एक जज हैं एस.सी. कमिशन के, जिनको मंडल आयोग के मुकदमे में जज नहीं रखा गया है और जजमेंट दे दिया कि यह 16(4) के तहत एस.सी., एस.टी. सब के ऊपर लागू होगा। मेरी मांग है कि प्रोमोशन के संबंध में रिजेर्वेशन के लिए पार्लियामेंट में एक संविधान संशोधन लाइये।

आज एस.सी. एस.टी. की जनसंख्या 25 प्रतिशत हो गई है और कई और जातियां भी एस.सी. एस.टी. में आने के लिए मांग कर रही हैं। संविधान कहता है कि एस.सी. एस.टी. की जितनी पापुलेशन होगी, उतनी उनकी रिजर्वेशन होगी। आज सरकारी नौकरियों में लोक सभा, राज्यसभा और विधान सभा में उनकी रिजर्वेशन को बढ़ाइए और जहां पर नहीं है, वहां पर देने का काम करें। मंडल कमिशन के तहत जो क्रिमिलेयर था, उसका हमने विरोध किया था और आज भी विरोध करते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसमें एक विवाद पैदा कर दिया है। वेलफेयर मिनिस्ट्री यदि किसी पिछड़ी जाति के उम्मीदवार की नियुक्ति कर सकती है तो दूसरी मिनिस्ट्री क्यों नहीं कर सकती है ? इसलिए आप सारी मिनिस्ट्रीज में करें। पांच साल की आयु सीमा में छूट दी जाये। परीक्षा में बैठने का अवसर उन्हें भी वैसे दिया जाये जैसा अनुसूचित जाति/जनजाति के लिए है।

सभापति महोदय, हमको इस देश में इस बात का गर्व है कि हमारे यहां पर एक से एक आफिसर्स हैं* जब मंडल कमिशन लागू किया था तो हमारे सैक्रेटरी थे* जो अनुसूचित जाति से नहीं थे, बल्कि ब्राह्मण थे। उन्होंने सैक्रेट्री की हैसियत ये ये सिफारिशें लागू करवायी थीं। मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं कि इतना सब करने के बाद भी मामला सुप्रीम कोर्ट में गया, लेकिन गिरा नहीं। हम लोगों की दृष्टि जाति के आधार पर नहीं है। जब हम सरकार में थे तो ऐसे आफिसर्स* थे, जिनको देखकर आप को आश्चर्य होगा। लेकिन दूसरी ओर 23 जनवरी, 1994 को एक इंटरव्यू छपा था, जिसमें विदेश मत्रालय के एक सचिव ने कहा है ...

[अनुवाद]

श्री ए. चार्ल्स (त्रिवेन्द्रम) : मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। वह इसे इस प्रकार उद्धृत नहीं कर सकते हैं।

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री राम विलास पासवान : मैं इसका उत्तरदायित्व लेता हूं **(व्यवधान)**

सभापति महोदय : यह उत्तरदायित्व लेने का प्रश्न नहीं है।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री राम बिलास पासवान : हमने लिखकर दे दिया है।

सभापति महोदय : आपने लिखकर दिया होगा तो भी जिनका नाम यहां दिया है, वे अपनी बात नहीं कह सकते हैं, इसलिए आप आक्षेप नहीं लगा सकते हैं। मैंने अपनी रूलिंग दे दी है।

श्री राम विलास पासवान : लेकिन आक्षेप नहीं लगा सकता हूं, तो उसका जिस्ट तो कह सकता हूं।

सभापति महोदय : जिस्ट तो कहिये, लेकिन व्यक्तिगत नाम न लेते हुए कहिये।

श्री राम विलास पासवान : तो विदेश मंत्रालय के पूर्व सचिव ने कहा कि जो लोग रिजर्वेशन के बल पर आते हैं, वे घूसखोर हैं, उनके पास मैरिट नहीं है और वे किसी लायक नहीं हैं।

उसके खिलाफ जब प्रोटेस्ट किया गया तो फिर उसने कहा कि मैं दो साल से यू.पी. एस.सी. में बैठता हूं और मैं इस बात को जानता हूं। लेकिन हमें इस बात की खुशी है कि वहां ट्रांसपोर्ट के एक सैक्रेटरी* ने कहा कि मैं इस बात को नहीं मानता हूं। जैसा आपका अनुभव है उतना ही मेरा अनुभव है कि रिज़र्व केटागरी में जो आते हैं वे आउटस्टेण्डिग होते हैं और किसी से कम नहीं है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि सरकार कितनी भी नीति बना ले, लेकिन उससे कुछ नहीं होगा। ...**(व्यवधान)**...

सभापति महोदय : देखिये आप डिस्टर्ब मत करे। जिन अधिकारियों के नाम लिये गए हैं वह रिकार्ड से निकाल दिये जायेंगे।

श्री राम विलास पासवान : इसलिए मैं कह रहा था कि इस देश में जो सरकार की नीति बनती है, उसका क्रियान्वयन करने वाल कौन है ? जो अधिकारी है, उनको गांव के स्तर पर, जो हो रहा है, उसकी जानकारी नहीं है। इलाहाबाद हाई कोर्ट के एक जज ने कह दिया कि यह रिजर्वेशन सब बकवास है। हमारे गुजरात के साथी हैं, वे वहां जज थे, लेकिन उस जज ने सीधा मनुस्मृति का उद्धरण दिया और कहा कि यही कानून बनना चाहिए। इसलिए मैं आपसे कहना चाहूंगा कि सरकार को इस बात पर ध्यान देने की जरूरत है यह कोई पार्टी का मामला नहीं है, यह किसी जाति का मामला नहीं है लेकिन मैं मांग करता हूं कि यदि ऐसे अधिकारी यू.पी.एस.सी. की बोर्ड की बैठक में भाग लेते हैं तो उसको वहां से निकलना चाहिए। ऐसे अधिकारी को वहां रहने का कोई अधिकार नहीं है। जो सरकार की नीति के खिलाफ बोलता है। यह कोई कांग्रेस की सरकार नहीं है या जनता दल की सरकार नहीं है, यह भारत सरकार है और भारत सरकार की नीति के खिलाफ कोई भी वेतनभोगी कर्मचारी या अधिकारी बोलना चाहता है तो वह नौकरी छोड़े और राजनीति में आए और जो बोलना चाहता है वह बोले। लेकिन सरकार की नौकरी में भी रहना और सरकार का पैसा भी खाना और सरकार की नीतियों की आलोचना करना ठीक नहीं है।

[श्री राम विलास पासवान]

सभापति जी, मैं सफाई कर्मचारियों के बारे में कहना चाहता हूं कि अनुसूचित-जातियों और जनजातियों में जो कमजोर हैं वह सफाई कर्मचारी हैं और उनके हितों की ओर कोई ध्यान नहीं देता है। संसद के सामने जो सफाई कर्मचारी झाडू देने का काम करते हैं वह भी परमानेट नहीं हैं। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि बैंक में जब कर्मचारियों की बहाली करते हैं तो क्लर्क की बहाली करते हैं, अफसर की बहाली करते हैं, चपरासी का बहाली करते हैं, उसी समय आप सुफाई मजदूर की बहाली क्यों नहीं करते हैं ? उस समय रिक्रूटमेंट नहीं होती है नतीजा यह होता है कि 15-20 साल वह दो तीन घंटे काम करते हैं और उसके बाद कहा जाता है कि उसके पास काम नहीं है यही हालत पहले रेलवे में थी। जगजीवन बाबू जब रेल मंत्री बने तो उन्होंने कहा कि यह सिस्टम नहीं चलेगा। जब तक सफाई का काम होगा। कर्मचारी काम करेगा और जब सफाई का काम नहीं होगा तो पानी पिलाने का काम करेगा। मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं कि यह जो कांट्रक्ट सिस्टम है और जो डेली बेजेज वाला सिस्टम है या जो टैम्पोरेरी रिक्रुटमेंट है, इसको खत्म कीजिए और सरकार एक नीति की घोषणा करे कि सफाई कर्मचारी हैं, वे सरकार के चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी माने जाएंगे।

मैं सरकार पर आरोप लगाना चाहता हूं कि सरकार में हम लोगों ने जो अपने समय में कुछ काम किया था, इस सरकार ने उसको खत्म करने का काम किया है। हमने अपने शासनकाल में निर्णय लिया था कि अंबेडकर फाउंडेशन का निर्माण करेंगे, लेकिन उसके लिए केवल 10 करोड़ रुपया दिया गया है, जबकि इंदिरा गांधी जी के फाउंडेशन के ऊपर और राजीव गांधी फाउंडेशन पर 200 करोड़ रुपया दिया गया है। जब उनके लिए 200 करोड़ रुपये रखा गया है, तो फिर बाबा साहब के फाउंडेशन के लिए सिर्फ 10 करोड़ रुपया क्यों रखा है, इस पर विचार करने का आप काम कीजिए। बाबा साहब अंबेडकर की सेन्टीनरी खत्म हो गई, लेकिन हम लोग 1990 से मांग करते रहे पर आज तक उनके ऊपर फिल्म नहीं बन पायी।

4.00 म.प.

अम्बेडकर नेशनल एवार्ड की योजना थी, उसे भी आपने खत्म कर दिया। 24, अलीपुर रोड में अम्बेडकर स्मारक बनना था। उस योजना को भी खत्म कर दिया गया। बाबा साहेब अम्बेडकर का जो ट्रांसलेशन वर्क था, उसको भी खत्म कर दिया गया। आठ यूनिवर्सिटीज में हम लोगों ने अम्बेडकर साहब के नाम से चेयर्स स्थापित करने का प्रावधान किया था लेकिन उसको भी खत्म कर दिया गया। सिर पर पैखाना ढोने के सिस्टम को समाप्त करने के लिए हमने 5 हजार करोड़ रुपये की व्यवस्था की थी लेकिन आपने उसे 500 करोड़ रुपये कर दिये। उन 500 करोड़ रुपये में से 1993-94 के लिए आपने मात्र 60 करोड़ रुपये आबंटित किये हैं और अभी तक मात्र 7 करोड़ रुपया रिलीज किया गया है।

सभापति जी, में कह रहा था कि सिर पर मैला ढोने की प्रथा हमारे माथे पर कलंक है, जिसके लिए अपने 5 साल का एक कार्यक्रम बनाया है, जबकि हमने तीन साल की योजना बनाई थी। यदि 5 साल भी मान लिया जाये तो किस आधार पर आप कह सकते हैं कि सिर पर मैला ढोने का सिस्टम खत्म कर दिया जायेगा।

इसके अलावा नेशनल फाईनेंश्यल डैवलपमेंट कार्पोरेशन एन.एफ.डी.सी. के लिये 1991-92 में 40 करोड़ रुपये, 1992 93 में 44 करोड़ रुपये और 1993 94 में केवल 26 करोड़ रुपये रखे गये हैं, क्या इसी के जरिये आप देश को आशावाद की ओर आगे ले जाना चाहते हैं स्पेशल एसिस्टैंस प्रोग्राम के बारे में हमने कहा था कि जितनी शैड्यूल्ड कास्ट्स एण्ड शैड्यूल्ड टाईब्स की देश में पौपूलेशन है, उसके मुताबिक राशि निर्धारित करनी चाहिए लेकिन कुछ नहीं किया गया। आज भी मैं मांग करता हूं कि अनुसूचित जाति और अनुसुचित जनजाति के लोगों की जितनी पौपूलेशन देश में है, हर मिनिस्ट्री में आप साढ़े बाईस परसेंट राशि इन्हीं लोगों पर खर्च करने के लिए निर्धारित करें।

अंतिम सवाल मैं अत्याचार के संबंध में कहना चाहता हूं, जिसको लेकर पूरा सदन आन्दोलित है। चाहे यू.पी. का मामला हो या कर्नाटक का मामला हो, मैं इतना अवश्य कहना चाहूंगा कि मैं अभी परसों हरि केवल प्रसाद जी के साथ एक डैलिगेशन लेकर मिर्जापुर गया था। वहां हजारों एकड़ सरकारी जमीन है। पातारकलां नामक एक जगह पर दलित सेना के कुछ लड़के सरकार का यह नारा लगा रहे थे–जो जमीन सरकारी है, वह जमीन हमारी है, यानि जिसको जमीन मिली है, जमीन का पट्टा उसे दे दो। लेकिन 11 जनवरी को, पट्टे वाली जमीन देने की मांग करने पर जोगिन्दर सिंह, जो कि हमारी दलित सेना का अध्यक्ष है, उसके साथ एक और लड़के को जिसका नाम मुन्ना उर्फ महमूद है, दोनों को जेल में भेज दिया गया। उनको बंद कर दिया गया, उसके बाद 13 तारीख को 500 लड़के एक डैलीगेशन लेकर गये, वी.पी. सिंह जी भी उस समय वहीं थे। हरि केवल प्रसाद जी के नेतृत्व में वह डैलीगेशन मुलायम सिंह के पास गया और कहा कि गवर्नमेंट की ऐसी पौलिसी है, उसके तहत आदिवासियों को जमीन मिलनी चाहिए। जब वे लौट कर चले गए तो एक नहीं, दो नहीं, 50 लड़कों के हाथ पांव तोड़ दिये गये। कुछ लड़कों को नक्सलाईट के नाम पर जेल में बंद कर दिया गया।

श्री राजवीर सिंह : वहां तो आपकी ही सरकार है, आपके द्वारा समर्थित सरकार सत्ता में है आप उसे समर्थन दे रहे हैं।

श्री राम विलास पासवान : मैं वही कह रहा हूं कि चाहे कोई सरकार हो, जनता दल की सरकार हो या कोई अन्य, केवल जनता दल की ही बात नहीं है, लेकिन इस तरह की कार्यवाही हो रही है और लड़कों को जेल में बंद किया जा रहा है।

हम 25 तारीख को वहा गये थे। बहुत बड़ी मींटिग थी, करीब 30-40 हजार की मींटिग थी। कर्नाटक में कनप्पा नाम के एक व्यक्ति के हाथ पांव बांध दिये गये, सिर्फ 20 रुपये के कारण और उसको बेहद मारा गया और बाद में उसके मुंह में पैखाना खिलाया गया, सिर पर पैखाना रखा गया। महिलाओं को नंगा करके घुमाने का काम किया जाता है। आजादी के 47 साल बाद भी आज हमारे देश में क्या हो रहा है। मुझे इस बात का दुख है कि राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में इसका कहीं जिक्र नहीं आया है। चाहे अनुसूचित जातियों का मामला हो, बैकवर्ड लोगों का मामला हो, राईट टू वर्क का मामला हो, आप राईट टू वर्क का संविधान में मौलिक अधिकार क्यों नहीं देते हैं, मैं चाहता हूं कि संविधान में इस अधिकार को जोड़ा जाये। हमने वर्क आउट किया था इस काम के लिए 13 हजार रुपये एक साल में खर्च आता है, यानि 5 साल में 65 हजार करोड़

[श्री राम विलास पासवान]

रुपये। हमने कहा था कि हम विदेश से कर्ज नहीं लेंगे हम इसे लागू न कर पाये। मैं इस सरकार से मांग करता हूं कि जब आप विदेश से 2 लाख 80 हजार करोड़ रुपये का कर्ज ले रहे हैं, तो कुछ कर्ज और ले लीजिए, लेकिन राईट टू वर्क का प्रावधान संविधान में कर दीजिए, नाईंथ शैड्यूल में रिजर्वेशन की पौलिसी को डाल दीजिए जिससे कि कोई सुप्रीम कोर्ट या दूसरी किसी कोर्ट में न जा सके। इसके साथ ही वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट भी होना चाहिए, प्रबंध में मजदूरों की भागीदारी भी होनी चाहिए। कारखाने में जितना अधिकार मालिक का हो, उतना ही मजदूर का भी होना चाहिए।

9 मई 1990 को हमने लेबर मिनिस्टर की हैसियत से राज्य सभा में बिल पेश कर दिया था। उसे लोक सभा में क्यों नहीं पेश करते। मैंने कहा कि जब तक हमारी दिशा और नीति साफ नहीं होगी तब तक कुछ नहीं होगा। राष्ट्रपति के अभिभाषण में ऐसा कुछ नहीं है, यह बंडल ऑफ कन्फ्यूजन है। इसलिए मैं इसका विरोध करता हूं और सरकार को चेतावनी देना चाहता हूं कि आप माईनौरिटी से मैजोरिटी में भले ही आ गए हैं लेकिन जनता ने आपको अभी तक स्वीकार नहीं किया है। आदमी दो समय में लड़खड़ाता है एक बचपन में और दूसरा बुढ़ापे में। बचपन की लड़खड़ाहट इस बात का द्योतक है कि वह कल को दौड़ेगा और बुढ़ापे की लड़खड़ाहट इस बात का द्योतक है कि वह कब्र में जाएगा। आप 109 साल के बूढे हैं, आप गिरेंगे तो कब्र में जाएंगे, हम गिरेंगे तो कल दौड़ेंगे। आप कहते हैं कि हमारी सरकार कैसे चली है। हमने आपकी सरकार को कभी सरकार माना ही नहीं है, इसलिए चलती रही।

मैं सरकार से आग्रह करना चाहता हूं कि वह जो भी काम करे, अपनी नीयत को साफ करके करे। सड़क पर वही जानवर मरता है जो निर्णय नहीं ले पाता है कि किस दिशा में जाए। सभापति महोदय, मैं आपका धन्यवाद करता हूं और राष्ट्रपति के अभिभाषण का विरोध करता हूं।

[अनुवाद]

डा. कृपासिंधु भोई (सम्बलपुर) : माननीय सभापति महोदय, पूरे सम्मान के साथ मैं राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में भारत के राष्ट्रपति द्वारा व्यक्त विचारों और आशंकाओं का तहे दिल से समर्थन करता हूं, इसमें उन्होंने सभी बातों का उल्लेख किया है और सन् 2000 तक उन्होंने सभी के लिए रोजी रोटी सहित सभी कुछ प्रदान करने की बात कही है। श्री जसवंत सिंह के उद्‌गारों को सुनकर और श्री पासवान द्वारा अपने भाषण में नकारात्मक दृष्टिकोण देखकर सबसे पहले मैं राष्ट्रपति महोदय को अपने अभिभाषण में उल्लिखित उद्‌गारों के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं। यह इस प्रकार से है :

[हिन्दी]

सर्वे भवन्तु सुखिनः
सर्वे सन्तु निरामयाः
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु
मां कश्चिद दुखभाग्भवेत्।

[अनुवाद]

सब जगह स्वास्थ्य और खुशियां हों। दुख समाप्त हो जाएं। सबको सौंदर्य और सच्चाई के ही दर्शन हों।

4.09 म.प.

(श्री नीतीश कुमार पीठासीन हुए)

इस संदर्भ में हमारे राष्ट्रपति महोदय अत्यंत प्रतिभावान और ज्ञानी व्यक्ति हैं। उन्होंने हमारे देश को प्राप्त होने वाले सभी लाभों का ब्यौरा दिया है। इसी प्रकार उन्होंने श्रीमती इंदिरा गांधी और श्री नरसिंह राव की नीतियों के कार्यान्वयन के संबंध में अपने विचार व्यक्त किए हैं।

अयम निजा परो वेती
गुणन लगुचेत्सम
उदार चरितनाम तू
वसुदेव कुटम्बकम्

संकीर्ण विचार रखने वाले व्यक्ति मेरे और तेरे की बात सोचते हैं, लेकिन उदार विचारों वाले व्यक्ति पूरे विश्व को अपना परिवार समझते हैं। मैं आपको यह इसलिए बता रहा हूं कि आपको अप्रसन्न नहीं होना चाहिए और मैं आपको एक श्लोक सुनाता हूं :

[हिन्दी]

"पुष्पेषु मल्ली नगरे सु दिल्ली,
नारी सु रम्भा पुरुशेष सु बिष्ट,
नूपबरेशू नीतिश कमी कालीदास।"

[अनुवाद]

अतः हम शांत रहें और विपक्षी दल के हमारे मित्रों ने जो अतिश्योक्ति पूर्ण बातें कहीं हैं, उन्हें भूल जाएं, क्योंकि राष्ट्रपति का अभिभाषण सुनने के बाद उन बातों का कोई अर्थ नहीं रह जाता है। अब हमारे देश की स्थिर स्थिति है। तीन वर्ष के आर्थिक सुधारों के बाद, हमारी अर्थव्यवस्था का विकास हो रहा है और कल का बजट इसमें एक सहायक कारक है।

श्री जसवन्त सिंह ने विदेशी मुद्रा भंडार के बारे में अपने विचार व्यक्त किए हैं, लेकिन उन्होंने ऐसा कोई सुझाव नहीं दिया जिससे हमारा उद्देश्य पूरा होता हो।

जहां तक पूर्वोत्तर राज्यों में विद्रोह की स्थिति होने का संबंध है, वहां परिस्थितियां खराब थीं, लेकिन मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू करने के बाद नागालैंड और असम में परिस्थितियों में सुधार हुआ है और मेरे विचार से हमें इस संबंध में इतना डरना नहीं चाहिए। इस संबंध में हमारे लोकतांत्रिक ढांचे में पदासीन शीर्षस्थ व्यक्ति अपने भाषण में उत्तर देगा।

जम्मू और कश्मीर का जहां तक संबंध है, श्री राम विलास पासवान ने अपने विचार व्यक्त किये हैं। वह बार-बार कश्मीरी पंडितों का उल्लेख कर रहे थे और इसी मुद्दे को दोहरा रहे थे।

[डा. कृपासिंधु भोई]

आर्थिक पहलू के बारे में उन्होंने विदेशी मुद्रा भंडार का उल्लेख किया और 22000 करोड़ रुपये के घाटे के बारे में बताया। लेकिन वह यह नहीं बता सके कि यह हमारे देश के लिए हानिकारक कैसे है और इस संबंध में हमारी स्थिति क्या है। इस समय हमारे पास 12 मिलियन डालर का विदेशी मुद्रा भंडार है और चालू घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 0.5 प्रतिशत है। इस प्रकार हमारी स्थिति बहुत अच्छी है। निश्चित रूप से मैं राष्ट्रपति के अभिभाषण का समर्थन करता हूं, इस वर्ष ग्रामीण विकास के लिए जो 7000 करोड़ रुपये दिए गए हैं, उस संबंध में मेरे मन में कुछ संदेह हैं। मैं यहां कुछ सुझाव देना चाहता हूं। ग्रामीण विकास कार्य में 56 प्रतिशत धन ग्रामीण गरीबों के लिए आंबारित किया गया है। एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, डी.आर.डी.ए. महिला समृद्धि योजना, रोजगार बीमा योजना, बुनकर समुदाय योजना, बेरोजगार शिक्षित युवाओं के लिए योजना जैसी विभिन्न योजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं। हालांकि इन योजनाओं की निगरानी राज्य के संघीय ढांचे के अंतर्गत की जाती हैं, लेकिन नौकरशाही मानकों के कारण कोई कड़े प्रशासनिक सुधार नहीं हो पाये हैं, अभी तक भी नौकरशाह उन विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत पड़ने वाले क्षेत्रों का पता लगा रहे हैं। जिन योजनाओं का मैंने अभी उल्लेख किया है। जन प्रतिनिधि जैसे संसद सदस्य और विधायकगण, चयन समितियों में नहीं हैं, जिसके कारण इन योजनाओं के क्रियान्वयन की स्थिति अत्यंत खराब है।

मेरा अगला मुद्दा पीने के पानी के बारे में है। श्री राम विलास पासवान ने भी इस विषय में आलोचना की है और मैं भी इसकी आलोचना करता हूं कि दो लाख से अधिक गांवों को पीने का पानी नहीं मिल रहा है। इस उद्देश्य के लिए परिवार नियोजन, जनसंख्या, पर्यावरण के विकास और स्वास्थ्य के लिए विभिन्न समितियों और आयोगों ने सुझाव दिए हैं। हमें बजट के कुल आबंटन का 10 प्रतिशत से अधिक इन उद्देश्यों के लिए व्यय करना चाहिए, लेकिन दुर्भाग्यवश इस समय हम केवल 3 प्रतिशत दी व्यय कर रहे हैं। हमारे देश में अनेक संक्रामक रोग फैले हैं। यदि हम जनसंख्या नियंत्रण कार्यक्रम को कड़ाई से लागू नहीं करते तो श्री मनमोहन सिंह जो भी आर्थिक सुधार लाते हैं, उनका कोई लाभ नहीं होगा। मैंने अनेक बार गैर-सरकारी सदस्य के संकल्प के रूप में यह मुद्दा उठाया है। इसका एक ही उद्देश्य है कि परिवार कल्याण कार्यक्रम को राष्ट्रीय अनिवार्यता बना दिया जाए; प्रति दंपत्ति एक बच्चे के सिद्धांत को स्वीकार करने के लिए राष्ट्रीय मतैक्य बनाया जाए; महिलाओं में शिक्षा के स्तर को बढ़ाया जाए; महिलाओं और बच्चों के स्वास्थ्य की ओर समुचित ध्यान दिया जाए और एक समान सिविल संहिता बनाई जाए। भा.ज.पा. एक बात अच्छी कर रही है कि वह सभी नागरिकों पर विशेष रूप विवाह और परिवार कल्याण के संबंध में इसे लागू करने पर बल दे रही है और उसका कहना है कि इस शताब्दी के अंत तक जनसंख्या वृद्धि को शून्य प्रतिशत तक लाने के लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु सुझाव देने के लिए एक राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग स्थापित किया जाए।

यदि सोवियत संघ में चेरनोबिल जैसा परमाणु विस्फोट होता है तो अनेक व्यक्ति मर जाएंगे, जो कुछ लोग बच जाएंगे, वे विकिरणों के बुरे प्रभावों से पीड़ित हो जाएंगे। इसका एकमात्र इलाज अस्थिमज्जा प्रत्यारोपण है, लेकिन हमारे देश में जनसंख्या की वृद्धि को तब तक नहीं रोका जा सकता, जब तक कि एक बच्चे के सिद्धांत को नहीं अपनाया जाता। हमारी जनता के समक्ष

यह एक बड़ी चुनौती है। इंडोनेशिया, मलेशिया और यहां तक कि पाकिस्तान भी यह सिद्धात अपना रहा है। हम जो भी आर्थिक सुधार लागू कर लें, यदि हम एक बच्चे के सिद्धांत को नहीं अपनाते, तो इसके परिणाम अच्छे नहीं होंगे।

क्या 130 मिलियन टन अतिरिक्त खाद्यान्न पैदा करना 1000 मिलियन मीटर अतिरिक्त कपड़ा बनाना, 12.6 लाख अतिरिक्त विद्यालयों का निर्माण करना, 175 मिलियन विद्यालय जाने वाले विद्यार्थियों को शिक्षा का अवसर देना, शिक्षा प्रदान करने के लिए लगभग 3 लाख अध्यापकों के अतिरिक्त पद [illegible]त करना और 1.75 मिलियन अतिरिक्त घर बनाना संभव है ? इस शताब्दी के अंत तक हमें 47.5 मिलियन अतिरिक्त लोगों के लिए रोजगार उपलब्ध कराना होगा। मैं महसूस करता हूं कि जब तक हम एक बच्चे के सिद्धांत को नहीं अपनाते, जैसा कि चीन जैसे साम्यवादी राष्ट्र में अपनाया जा रहा है, तब तक हम कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाएंगे।

मेरे विचार से एक बच्चे संबंधी सिद्धांत का पालन करने के लिए संसद द्वारा एक विधान पारित किया जाना चाहिए। यदि बच्चे की मृत्यु हो जाती है तो उस दंपति को दूसरा बच्चा पैदा करने की अनुमति दी जानी चाहिए, ताकि बुढ़ापे में उनका कोई सहारा रहे। यदि दंपति नसबंदी या नलबंदी का आपरेशन करवा चुके हैं और उनके एकमात्र बच्चे की मृत्यु हो जाती है तो ऐसी दम्पतियों के लिए एलोपैथिक चिकित्सा पद्धति के अंतर्गत नलिका का पुनः नलिकाकरण घटाने अथवा शुक्रवाहक प्रणाली की व्यवस्था की सुविधा प्रदान करायी जानी चाहिए, लेकिन यह केवल 30 प्रतिशत मामलों में ही सफल होती है और 7 प्रतिशत व्यक्तियों में यह प्रणाली असफल रहती है। हम एलोपैथिक चिकित्सा पद्धति की आलोचना करते हैं, जो ब्रिटेन या विकसित राष्ट्रों से ली गई है, हम भारतीय चिकित्सा पद्धति की बात करते हैं। नागपुर में प्रधान मंत्री ने हाल ही में सचिवालय में आयुर्वेदिक निदेशालय स्थापित करने की घोषणा की थी। इसे अब तक लागू कर दिया जाना चाहिए था।

अतः एक बार फिर से मेरा यह सुझाव है कि जनसंख्या नियंत्रण और परिवार कल्याण कार्यक्रम के लिए 10 प्रतिशत बजटीय सहायता की जानी चाहिए।

मुझसे पहले जितने भी वक्ता बोले हैं, उन सबने जनसंख्या वृद्धि पर आक्रोश व्यक्त किया है। अब समय आ गया है जब हम कड़ाई से जनसंख्या नियंत्रण की ओर ध्यान दें। इस उद्देश्य के लिए सभी दलों को इकट्ठा होना चाहिए और प्रधान मंत्री के सभापतित्व में विशेष जनसंख्या नियंत्रण विभाग गठित किया जाना चाहिए, जिसमें सभी दलों के संसद सदस्य शामिल किए जाने चाहिए, ताकि वह विभाग को परामर्श दे सकें।

महोदय, मैं अपने देश में प्रादेशिक असंतुलन के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। समय-समय पर पूर्वोत्तर परिषद, बोडो विकास परिषद आदि गठित करने की मांग की जाती रही है। दार्जिलिंग पर्वतीय परिषद पहले ही गठित की जा चुकी है, लेकिन उसमें कुछ कमियां है। जहां तक दार्जिलिंग परिषद का संबंध है केंद्र द्वारा राज्य सरकार के माध्यम से धन दिया जाता है और दार्जिलिग परिषद के अध्यक्ष यह शिकायत करते हैं कि पैसा श्री ज्योति बसु के पास ही पड़ा हुआ है वह पैसा नहीं दे रहे हैं। अतः उसे सुव्यवस्थित करने के लिए एक पृथक विकास परिषद गठित की जानी चाहिए।

मैंने सभा में और सभा के बाहर अनेक बार कहा है कि पश्चिमी उड़ीसा में बोलनगिरि,

[डा. कृपासिंधु भोई]

सम्बलपुर, फूलबनी, क्योंझर, कालाहांडी और सुन्दरगढ़ विकास परिषद गठित की जानी चाहिए। यह क्षेत्र पहले ब्रिटेन के औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत थे और अब यह उड़ीसा सरकार के अंतर्गत हैं और यहां की जनता की समस्याओं का समाधान इसी प्रकार से किया जा सकता है। मैंने एक गैर-सरकारी संकल्प प्रस्तुत किया था। मैंने एक ज्ञापन भी दिया था। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा का उत्तर दिये जाते समय मैंने सरकार से आग्रह किया था कि मेरे प्रश्नों का उत्तर भी दिया जाये।

सभापति महोदय, अंत में मैं एक अत्यंत महत्वपूर्ण मुद्दा उठाना चाहता हूं। हमने आर्थिक सुधारों की बात की थी। मैंने चेरनोबिल कांड की विनाश लीला जैसे जनसंख्या विस्फोट की बात की थी, जिसे रोकना आवश्यक है। मेरा कहना है कि हमने पुरुषों और महिलाओं से इतनी बातें विरासत में ली हैं। समाज के प्रतिभावान पुरुष और महिलाएं मेडिकल और इंजीनियरिंग पाठयक्रमों में प्रवेश लेते हैं। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद वे नौकरी में आते हैं तो नौकरशाह उन पर हुक्म चलाते हैं, जो ब्रिटिश परंपराओं की देन है। ब्रिटेन और विकासशील राष्ट्रों में प्रशासनिक सुधार किए गए हैं। राज्यों के सभी प्रधान और विकसित राष्ट्रों में विभिन्न संकायों के प्रधान व्यावसायिक विशेषज्ञ हैं। आमतौर पर तकनीकी विशेषज्ञ देश की स्थायी संपदा होते हैं। चिकित्सक जनता की जान बचाते हैं। इस संदर्भ में मेरा यह सुझाव है कि अर्थशास्त्रियों और व्यावसायिक व्यक्तियों का भारत में अपना संकाय होना चाहिए। जब तक भारतीय प्रशासनिक सेवा प्रणाली को समाप्त नहीं किया जाता और विभिन्न व्यावसायिक विशेषज्ञों की विभिन्न सेवाओं को शुरू नहीं किया जाता तब तक नौकरशाही लालफीताशाही चलती रहेगी चाहे आप इनके लिए कितना भी धन क्यों न खर्च करें।

प्रशासनिक सुधार और जनसंख्या नियंत्रण के ये दो अत्यंत महत्वपूर्ण मुद्दे हैं।

इन्हीं शब्दों के साथ महोदय मैं कहना चाहता हूं :

(1) "गंगा शतूद्रा
यमुना दिनाद्या,
(2) यस्यर परशुत्पि
परियावयन्ते,
(3) युवराम सीता चरम,
परस्पुता
(4) समर्पियो भारत,
भव्य देश"

[अनुवाद]

श्रीमती सुशीला गोपालन (चिरांयिंकिल) : सभापति महोदय, मुझे राष्ट्रपति का अभिभाषण जिसे सरकार के विगत कार्य-निष्पादन का मूल्यांकन और भविष्य के लिए नीतिगत विवरण माना गया है, पढ़ कर क्षोभ और दुख हुआ है।

कल प्रो. के.वी. थामस हमें बता रहे थे कि हमें राष्ट्रपति के अभिभाषण का बहिष्कार नहीं करना चाहिए था। इन सब बातों पर मिल बैठकर चर्चा करने के लए कुछ मानदण्ड होने चाहिए। लेकिन मैं उनसे यह पूछ रहा हूं। क्या यह बात सिर्फ राष्ट्रपति के अभिभाषण पर ही लागू होती है या अन्य अवसरों पर भी? हमने वास्तव में इसका बहिष्कार क्यों किया? हम राष्ट्रपति के अभिभाषण के समय कुछ शोरगुल मचा सकते थे, लेकिन हम राष्ट्रपति महोदय का सम्मान करते हैं, इसलिए हमने इसका बहिष्कार किया।

सरकार ने पहले ही संसद की अनदेखी करके लोगों पर 6000 करोड़ रुपये का बोझ लाद दिया है। राष्ट्रपति के अभिभाषण में इसका कोई जिक्र नहीं है। अगर आप हमारे साथ बैठने को तैयार हैं, तो आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि ये बातें संसद के सामने लाई जाये और उन पर इसे चर्चा करने का हक होना चाहिए, लेकिन उस प्रकार से कुछ नहीं किया गया। 6000 करोड़ रुपयों से सभी अनिवार्य वस्तुओं की कीमतें बढ़ गई हैं।

उसका देश के लोगों पर क्या प्रभाव होगा ? हमें उसमें कुछ नहीं कहना है फिर उन विषयों पर, जिनमें हमें कुछ बोलने का अधिकार ही नहीं है। आपके साथ चर्चा करने के लिए हम से कहने का औचित्य ही क्या है।

उदाहरण के लिए, स्थायी समितियों के गठन के समय हमें बताया गया था कि सत्र का समय कम नहीं किया जाएगा। लेकिन उसके बाद क्या हुआ ? हमें केवल 36 दिन मिले हैं। उन 36 दिनों में कुछ दिन अवकाश के ले लिये गये और ये दिन और भी कम हो गये है। संसद के सत्र के दिन कम क्यों हो रहे हैं, क्या यह वही आश्वासन है जो सरकार ने संसद और विपक्षी दलों को दिया था ? आप सांसदों के अधिकार छीनने का प्रयास कर रहे हैं। फिर हमें यह बताने का क्या फायदा है कि हम राष्ट्रपति के अभिभाषण में भाग ले सकते थे। मेरा तर्क यह है कि वे राष्ट्रपति के अभिभाषण से पहले ही इन विषयों पर चर्चा करवा सकते थे।

वास्तव में उन्हें देश की समस्याओं की जानकारी नहीं है। राष्ट्रपति के अभिभाषण में इन समस्याओं का कोई जिक्र नहीं है, उन्हें देश की आधारभूत वास्तविकताओं के बारे में कोई जानकारी नहीं है। हमने स्वर्ग, पाताल और भूमि इन तीन लोकों के बारे में सुना है। लेकिन यह लोक तो सर्वथा भिन्न है, यह तो चौथा लोक है, जिसमें सत्तारूढ़ दल रह रहा है। उन्हें देश की वास्तविकताओं की कोई जानकारी ही नहीं है वास्तव में जब देश भारी औद्योगिक संकट से गुजर रहा है, मुद्रा स्फीति बढ़ रही है। अभूतपूर्व बेरोजगारी है, कारखाने बंद हो रहे हैं लोगों को जबरदस्ती निकाला जा रहा है, तथाकथित 'गोल्डन हैंड शेक' सहित छंटनी की जा रही है, कृषि वस्तुओं के मूल्यों में गिरावट आ रही है, जबकि आदानों के मूल्य बढ़ रहे हैं, कृषि मजदूर काम से वंचित हो रहे हैं। महिलाओं और बच्चों पर अत्याचार बढ़ रहे हैं, सांप्रदायिक और जातीय संघर्ष अभी तक जिंदा हैं। अपराध बढ़ रहे हैं और भ्रष्टाचार न केवल सरकारी क्षेत्र में ही बहुत अधिक है, बल्कि सभी जगहों पर अधिकतम ऊंचाइयों पर हैं। देश की यह स्थिति है।

श्री उमराव सिंह (जालन्धर) : कलकत्ता के बारे में क्या विचार है ?

श्रीमती सुशीला गोपालन : यही दिल्ली में संयुक्त संसदीय समिति की रिपोर्ट हमारे सामने लाई गई कि इरा भ्रष्टाचार में कितने मंत्री शामिल हैं।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी (दमदम) : उनका संबंध केरल से है। अतः केरल का उल्लेख तो किया जा सकता था।

श्रीमती सुशीला गोपालन : लेकिन कलकत्ता से भी मेरा संबंध है। कलकत्ता में जिस दल का शासन है, मैं उसी दल की हूं। लेकिन फिर भी हम भ्रष्टाचार के विरुद्ध हर कार्यवाही करने के लिए तैयार हैं ? लेकिन संयुक्त संसदीय रिपोर्ट के बारे में आप क्या करना चाहते हैं ? यहां तक कि प्रधान मंत्री द्वारा किया गया वादा कि अनुवर्ती कार्यवाही की जाएगी पूरा नहीं किया जा रहा है। जिन मंत्रियों के विरुद्ध विशेष आरोप लगाये गये हैं, उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है ? कुछ भी नहीं किया गया है। हर वर्ष संसद का बजट सत्र से पहले का समय इस देश के अधिकांश लोगों के लिए एक दुःस्वपन बन गया है, देश में प्रत्येक गृहिणी ड्राक्यूला अर्थात बजट-पूर्व मूल्य वृद्धि के बारे में सोचकर ही डर जाती है।

रसोई गैस, लेवी चीनी के मूल्यों में वृद्धि के प्रश्न का सार्वजनिक वितरण प्रणाली, गेहूं की कीमत, पेट्रोल और डीजल की कीमतों में वृद्धि के प्रश्न का तथा न केवल वृद्धि के परिणाम अपितु मूल्य-वृद्धि की घोषणा के साथ सरकार द्वारा संलग्न शासकीय विज्ञप्ति में दिए गए औचित्य का कोई आधार नहीं है।

स्थिति क्या है ? उदाहरण के लिए घरेलू उपयोग के लिए रसोई गैस के सिलेण्डरों की कीमत उस समय बढ़ाई गई जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में रसोई गैस समेत पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतें कम हो रही हैं। इससे यह स्पष्ट होता है कि सरकार की प्राथमिकतायें क्या हैं। इसके लिए सीमा शुल्क 85 प्रतिशत से घटा कर 25 प्रतिशत कर दिया गया। इसके अलावा 1993-94 के तेल मितव्ययिता बजट को अंतिम रूप दिया गया; यह अनुमान लगाया गया था कि अंतराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत प्रति बैरल 17 से 18 डालर होगी, लेकिन वास्तव में यह मुश्किल से 14 डालर के आसपास थी।

वास्तविकता यह है कि सरकार ने तेल-क्षेत्र के विकास के उपकर को आसानी से अन्य क्षेत्रों में दे दिया और यह तर्क दिया कि तेल-पूल खाता घाटे में है। ऐसा दो उद्देश्यों, मूल्य वृद्धि और तेल क्षेत्र को पूर्ण निजीकरण की ओर बढ़ाने के लिए किया गया। यह सब पुनः सरकार के इस आश्वासन के बिल्कुल विपरीत है, कि बाजार की गतिविधियों से ही कीमत का निर्धारण होगा। आपके तर्क का कोई औचित्य नहीं है क्योंकि आप स्वयं ही उन क्षेत्रों में जहां आप चाहते हैं, कीमतें नियंत्रित करने के लिए कदम उठा रहे हैं। खाद्य पदार्थों की कीमतें बढ़ाने के लिए सरकार ने जो औचित्य बताया है वह भी स्वयं के हित में अधिक है।

सरकार का यह तर्क कि मूल्य-वृद्धि वसूली हेतु समर्थन मूल्य में वृद्धि के कारण आवश्यक हुई है, आधारभूत वास्तविकता के मद्देनजर व्यर्थ हो जाता है, गेहूं सामान्य तथा अच्छी किस्म के चावल के समर्थन मूल्य में क्रमशः 55 रुपये, 45 रुपये और 60 रुपये वृद्धि हुई है। तथापि नये निर्गम मूल्यों में सामानान्तर वृद्धि आनुपातिक क्रमशः रूप से अधिक अर्थात 72 रुपये 100 रुपये तथा 120 रुपये प्रति क्विंटल रही है।

ये आंकड़े स्वयं सरकार के झूठे तर्क पर जोर देते हैं। राजसहायता उवर्रकों, सिंचाई तथा विद्युत इत्यादि में की गई कटौती का प्रभाव वसूली मूल्यों पर पड़ेगा और आने वाले दिनों में वसूली

मूल्य बड़े किसानों के नुकसान की भरपाई करने के लिए और भी अधिक बढ़ा दिया जायेगा। इसके परिणामस्वरूप अनिवार्य वस्तुओं की कीमतों में अननुपातिक रूप से वृद्धि होगी।

मेरे विचार में अब सार्वजनिक वितरण प्रणाली के बारे में बात करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि सार्वजनिक वितरण प्रणाली और खुले बाजार की कीमतों में अब कोई अन्तर नहीं रह गया है। कल ही यहां तर्क दिया गया था कि नई आर्थिक नीति का यह एक फायदा है। वास्तव में क्या किया गया है ? आपने सार्वजनिक वितरण प्रणाली को समाप्त करना चाहा लेकिन मुख्य मंत्री इसके बिल्कुल विरूद्ध थे। इसीलिए आप यह काम कर नहीं सके और उसके स्थान पर आपने अनिवार्य वस्तुओं के दाम बहुत अधिक बढ़ा दिए हैं। अब इन दोनों में कोई अन्तर नहीं है। अतः अब सार्वजनिक वितरण प्रणाली का क्या फायदा है। जबकि वह स्वंय ही बहुत अच्छी प्रणाली नहीं रह गई है। अतः स्थिति यह है। इससे सबसे अधिक निर्धन लोग प्रभावित होंगे और सार्वजनिक वितरण प्रणाली समाप्त हो जाएगी। कालाहांडी, ठाणे, अमरावती, वायनाड और त्रिपुरा में, जो भुखमरी से हुई मौतें हमने देखी हैं, उसी तरह से सारे देश में मौतें होंगी। गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम उन तक नहीं पहुंच रहे हैं।

उनके पास क्रय क्षमता नहीं है यहां तक कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से खरीदने के लिए भी उनके पास पैसा नहीं है। कालाहांडी के आस-पास क्या कोई राशन की दुकान है ? हमें महिला आंदोलन से खबर मिली है कि प्रत्येक राशन की दुकान उनके घरों से सात-सात किलोमीटर दूर है।

श्री मृत्युंजय नायक (फूलबनी) : हमारे पास एक मजबूत सार्वजनिक वितरण प्रणाली है।

श्रीमती सुशीला गोपालन : मैं उस विषय पर आऊंगी। वास्तव में वहां क्या हो रहा है ? उन लोगों के पास पैसा नहीं है और वे भूखे मर रहे हैं। और अगर उनके पास थोड़ा-बहुत पैसा है भी तो उन्हें छह-सात किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। इस बारे में मैंने अपने मंत्री ए.के. एन्टनी से पूछा है। उन्होंने कहा, "हम क्या कर सकते हैं ? राज्य सरकार कुछ नहीं कर रही है।" यह तर्क दिया गया है। आदिवासी लोगों के कष्ट बढ़ रहे हैं। आपके कार्यक्रम उन तक नहीं पहुंच रहे हैं। स्थिति यह है।

सत्तारूढ़ दल द्वारा तैयार किए गए राष्ट्रपति के इस अभिभाषण के अनुसार "देश में अभूतपूर्व विकास हुआ है और चहुंमुखी प्रगति हुई है।" सच्चाई क्या है ? उनके अनुसार—हम विश्लेषण कर सकते हैं कि विदेशी मुद्रा भण्डार वर्ष 1991 के एक बिलियन डालर के मुकाबले बढ़कर 13 बिलियन डालर हो गया है। व्यापार घाटा 1990-91 के 9.4 के मुकाबले 1 मिलियन डालर है। भुगतान शेष में लेखा घाटा इस वर्ष के सकल घरेलू उत्पाद का आधा है। यह 1991 के स्तर के 1/5 से भी कम है। उनका दावा है कि यह सुधार निर्यात और आयात दोनों की अच्छी स्थिति के कारण हुआ है। इस वर्ष अप्रैल-नवम्बर के दौरान निर्यात पूर्व वर्ष की इस अवधि के मुकाबले 19.4 प्रतिशत है जबकि आयात, उदारीकरण के बावजूद भी 2.2 प्रतिशत कम है। यह उनका दावा है।

समूचे वर्ष के दौरान विदेशी निवेश का प्रवाह, जिसे गैर ऋण के रूप में माना जाता है, के 13 बिलियन डालर होने का अनुमान है। क्या यह उपलब्धि नहीं है ? यही सत्तारूढ़ दल पूछ रहा है।

[श्रीमती सुशीला गोपालन]

सुविधाजनक शुरुआत के रूप में हम विदेशी मुद्रा भंडार की जांच करें। मुद्रा भंडारों की अधिकांश अतिरिक्त मुद्रा की प्रकृति हॉटमनी गतिमान धनराशि की है, जो हमारे देश में इसलिए आई है, क्योंकि हमारी ब्याज की दरें मौजूदा अंतर्राष्ट्रीय दरों से बहुत अधिक है।

गतिमान धनराशि को अत्याधिक अंतर्प्रवाह के कारण रुपये के अवमूल्यन की कोई अधिक महत्वपूर्ण तात्कालिक संभावना न होने तथा कुछ भागों से अर्जित होने वाली आय की दर भी ब्याज दर से कहीं अधिक है। अप्रैल और नवंबर के बीच 1.05 बिलियन डालर के कुल अंतर्प्रवाह में से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश केवल 400 मिलियन डालर था। शेष 650 मिलियन डालर विदेशी संस्थागत निवेशकों द्वारा किया गया विभागीय निवेश था। यह धनराशि जिस प्रकार से देश में आई है, उसी आसानी से जा भी सकती है। जब इस प्रकार के अन्तर्प्रवाह अनिवार्य रूप से गतिमान धनराशि के हैं तो वास्तव में गैर ऋण जनित अन्तर्प्रवाह की धारणा ही बेमानी हो जाती है।

वास्तव में, कोई भी दूसरे मामले पर आसानी से तर्क-वितर्क कर सकता है, अर्थात् स्टॉक बाजार की ऐसी तेजी सामान्यतः वे दशाएं हैं, जो अधिकतर विदेशी मुद्रा के अनिश्चित अन्तप्रर्वाह को निर्धारित करती हैं और वास्तव में घरेलू आर्थिक गतिविधियों के स्तर को कम कर देती हैं। इसका कारण स्पष्ट है कि अनिश्चितता के कारण उच्च ब्याज दर अथवा अधिकांश तौर पर लाभ की उच्च दर उत्पादक निवेश को, जहां लाभ की दर तुलनात्मक रूप से काफी कम है निरूत्साहित करती है। परिणामस्वरूप हमारे विदेशी मुद्रा भंडार अधिक होते दिख रहे हैं, जबकि घरेलू औद्योगिक उत्पादन वस्तुतः स्थिर है।

व्यापार घाटे में मूलभूत सुधार होने का दावा भी खोखला साबित हो गया है।

निर्यातों में सुधार अधिकांशतः सूती वस्त्र और प्राथमिक वस्तुओं के कारण हुआ है। पिछले वर्ष की उसी अवधि के दौरान तुलनात्मक रूप से इंजीनियरिंग वस्तुओं का निर्यात वस्तुतः स्थिर रहा है। सूती वस्त्रों के हमारे निर्यातों में पिछले कुछ वर्षों से सुधार हो रहा था और इसका इस नई आर्थिक नीति से कुछ लेना-देना नहीं है। प्राथमिक वस्तुओं के निर्यात में वृद्धि की प्रवृत्ति किसी चमत्कार की सूचना नहीं देती बल्कि यह तो आर्थिक अवन्निती का लक्षण दर्शाता है। यह घरेलू उपलब्धता और विशेष रूप से कृषि वस्तुओं की उपलब्धता को कम कर सकती है और लोगों के लिए कठिनाइयों और निर्धनता को बढ़ावा देने का कारण बन सकती है।

कृषि मंत्री का दावा है कि अप्रैल से नवबंर के मध्य कृषि निर्यातों में वृद्धि पूर्व वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 43.37 प्रतिशत थी। ऐसा इस वर्ष के निर्यातों में वृद्धि के कारण हुआ है। कृषि और सिंचाई में निवेश पिछले कुछ वर्षों से कम हो रहा है।

आयात की ओर जब देखा जाए तो पता चलता है कि आयात में कमी पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतों में 30 प्रतिशत की वृद्धि, जिससे स्पष्ट रूप से हमारा आयात खर्च कम हो गया, के कारण हुई है। दूसरा कारण आयात बिल को कम करने वाली निरंतर बनी रहने वाली औद्योगिक स्थिरता है। इस प्रकार के तथ्य, जिनका खंडन नहीं किया जा सकता, सरकार के इस दावे को गलत सिद्ध करते हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था का तेजी से विकास हो रहा है। वर्ष 1993-94 के उपलब्ध

उत्पादन आंकड़े अनेक विचलित करने वाली बातें दर्शाते हैं। वर्ष 1995 के पहले छह महीनों के दौरान ...**(व्यवधान)**।

सभापति महोदय : आप कितना समय लेंगी।

श्रीमती सुशीला गोपालन : मैं दस मिनट और लूंगी। वर्ष 1993 के पहले छह महीनों के दौरान औद्योगिक उत्पादन सूचकांक के लिए सामान्य सूचकांक 1.6 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। उत्पादन क्षेत्र में केवल 0.6 प्रतिशत का सुधार हुआ है, जो पिछले चालीस वर्षों में सबसे कम रहा है। खनन कार्य में कमी आई है। विद्युत उत्पादन में वृद्धि हुई है। एक विशेष ध्यान देने योग्य बात यह है कि पिछले वर्ष के मुकाबले पूंजीगत उत्पादन में 8 प्रतिशत की कमी दर्शाई है। कच्चे तेल के उत्पादन में 3.8 प्रतिशत की कमी आई है। उवर्रक उत्पादन 1.7 प्रतिशत कम हो गया। कृषि उत्पादन विकास में वर्ष 1993-94 के दौरान 2.3 प्रतिशत की वृद्धि की संभावना है, जबकि पिछले वर्ष यह पांच प्रतिशत थीं।

केन्द्रीय सांख्यिकी संगठन के हाल ही के अनुमानों के अनुसार वर्ष 1993-94 के लिए सकल घरेलू उत्पाद 3.8 प्रतिशत होगा जबकि पिछले वर्ष के आंकड़े चार प्रतिशत के थे। अतः तथाकथित नई आर्थिक नीति के पिछले तीन वर्ष की अवधि से आर्थिक स्थिति को सुधारने में कोई मदद नहीं मिली और इसके बजाय हमारी अर्थव्यवस्था पर इसका बुरा प्रभाव पड़ा था।

दिल्ली औद्योगिक विकास अध्ययन संस्थान के प्रो. गोयल के अनुसार यहां तक कि अमेरिका में भी आर्थिक गतिविधियों का विकास संरक्षण के तहत ही हुआ है। आर्थिक गतिविधियों के लिए एक मजबूत आधार स्थापित कर लेने के बाद ही इन देशों ने अपने द्वार खोले। यहां तक कि अब भी वे अपनी आर्थिक गतिविधियों को संरक्षण देना जारी रखे हुए हैं। भारतीय आर्थिक गतिविधियों में बहुराष्ट्रिकों के आने के बाद घरेलू कंपनियां दबाव में हैं और यहां तक कि वे अपना मालिकाना हक बहुराष्ट्रिकों को देने के लिए मजबूर हैं। इससे कालान्तर में जाकर गंभीर स्थिति उत्पन्न हो सकती है। अन्य शब्दों में दीर्घावधि में बहुराष्ट्रिकों का आर्थिक आक्रमण होगा और भारतीय कंपनियां इस आक्रमण को झेल पाने में समर्थ नहीं होंगी। इसके परिणाम स्वरूप स्वतंत्रता पूर्व की स्थिति उत्पन्न हो जायेगी।

सरकारी क्षेत्र के साथ क्या बर्ताव किया जाता है। सरकारी क्षेत्र की अर्थव्यवस्था सुदृढ़ करने का अवसर प्रदान करने की राष्ट्रीय प्राथमिकता को पीछे धकेल दिया गया है। मेरा यही कहना था। इसके बजाए भ्रष्टाचार को उच्च स्थान दे दिया गया है।

विश्व बैंक ने एक निर्देश दिया है कि सरकारी क्षेत्र के 244 उपक्रमों में से 82 को बन्द कर दिया जाना चाहिए और 92 को बीमार घोषित किया गया है। जिनमें से 58 को गंभीर रूप से बीमार घोषित किया गया है। इन कंपनियों में नियोजित 8 लाख मजदूरों को छंटनी का खतरा है। फिक्की के अनुमान के अनुसार सरकारी तथा निजी क्षेत्र दोनों के पुनर्गठन तथा अतिरिक्त श्रम को हटाने के फलस्वरूप 60 लाख श्रमिक तथा कर्मचारी अपने रोजगार से हाथ धो बैठेंगे। 'ऐग्जिट' नीति को कार्यान्वित करने के लिए राष्ट्रीय नवीकरण कोष का गठन किया गया है। राष्ट्रीय नवीकरण कोष का पहला खण्ड पुनर्प्रशिक्षण तथा पुनर्रोजगार के बारे में है। लेकिन दुःख की बात यह है कि आपने 'गोल्डन हैंड शेक' के नाम पर 54,000 लोगों को बेरोजगार कर दिया है। पुनर्प्रशिक्षण

[श्रीमती सुशीला गोपालन]

और पुनर्रोजगार पर एक पैसा भी खर्च नहीं किया गया है। अतः आपकी चिंता, लोगों को काम से निकाल बाहर करने की है। आप श्रीमती प्रतिभा पाटिल से पूछिए, जिन्होंने उन लोगों का सर्वेक्षण किया है, जिन्हें काम से अलग कर दिया गया है। परिणाम क्या हुआ ? वे एक लाख अथवा डेढ़ लाख रुपये, जो उन्हें दिये गये थे, पहले ही अपनी लड़कियों की शादी करके या फिर अपने घरों की मरम्मत पर खर्च कर चुके हैं। उनके परिवार निर्धनता की गिरफ्त में हैं और यहां तक कि परिवार को एक दिन का भोजन उपलब्ध कराने के लिए महिलाओं को कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। राष्ट्रीय नवीकरण कोष में आप अधिक धनराशि रख रहे हैं। जिसे लोगों को काम से अलग करने के लिए प्रयुक्त किया जाएगा। आपको विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के निर्देशों को कार्यान्वित करना है, जिसे आप बड़ी ईमानदारी से कर रहे हैं।

स्वयं वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में स्वीकार किया है कि तेल और प्राकृतिक गैस आयोग के साथ अब तक सौतेल व्यवहार किया जाता रहा है। अब तक तेल और प्राकृतिक गैस आयोग 1200 रुपये की लागत पर एक मीट्रिक टन तेल का उत्पादन करता रहा है। अब उसमें कुछ वृद्धि हुई है। हम 4500 रुपये प्रतिटन के हिसाब से कच्चे तेल का आयात कर रहे हैं। अगर आयातित तेल का आधा मूल्य भी तेल और प्राकृतिक गैस आयोग को दिया जाता तो इससे इतना अधिक फायदा हो सकता था कि वे अधिक तेल उत्पादित कर सकते थे और हमारा आयात सम्बन्धी खर्चा भी काफी सीमा तक कम हो जाता। विदेश से तेल आयात करने की कोई जरूरत नहीं है अब स्थिति क्या है ? तीन वर्ष पहले तेल और प्राकृतिक गैस आयोग का उत्पादन 38 मिलियन मी. टन था और अब यह घटकर 26 मिलियन मी. टन रह गया है। अतः कच्चा तेल खरीदने के लिए हमें कितना नुकसान उठाना पड़ रहा है। वास्तव में जो धनराशि तेल क्षेत्र के विकास के लिए थी, उसे आप अन्यत्र खर्च कर रहे हैं। अतः स्थिति यह है।

भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड के साथ क्या हो रहा है ? आपने जो आदेश दिया है वह उसके उत्पादन का एक तिहाई ही है। आप ये चीजें बहुराष्ट्रिकों से खरीद रहे हैं। हमारे देश के अन्दर ही काफी अवसर हैं। लेकिन, वास्तव में हम उनका उपयोग नहीं कर रहे हैं ?

विद्युत क्षेत्र में क्या हो रहा है ? सरकार बहुराष्ट्रिकों को निवेश पर 16 प्रतिशत लाभ देने की गारंटी दे रही है। विद्युत शुल्क तीन या चार गुना हो जाएगा। कीमतों का निर्धारण बाजार शक्तियों से नहीं होगा, बल्कि शुल्क को निर्धारित करने के पीछे सरकार है।

हम आने वाले वर्षों के लिए 65 जहाजों की आवश्यकता है। सरकार ने इस सभा में घोषित किया है कि हम विश्व व्यापी निविदा आमंत्रित करने जा रहे हैं। आपने यह घोषित किया है कि आप हमारे शिपयार्डों को 30 प्रतिशत राजसहायता दे रहे हैं। इसके विपरीत दक्षिण कोरिया जहाजों को 40 प्रतिशत राजसहायता दे रहे हैं। लेकिन अब यह मरम्मत यार्ड की तरह में काम कर रहा है। हजारों नवयुवकों को रोजगार मिलेगा। सरकार की यह सब करने की कोई मंशा नहीं है। वे दूरसंचार का निजीकरण करने जा रहे हैं। दिल्ली और मुम्बई में महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड के कार्यकरण की समीक्षा दी। क्या वे इसे संसद के सम्मुख पेश करेंगे और यह देखने के लिए इस पर चर्चा करेंगे कि उनका निजीकरण किया जाना चाहिए या नहीं ? इसके परिणाम बहुत बुरे

हैं। हमारे दूरसंचार विभाग दिल्ली और मुम्बई वाले विभागों की अपेक्षा बहुत अच्छे ढंग से काम कर रहे हैं। स्थिति यह है कि पहले की स्थिति की समीक्षा किये बिना ही चार निगम बनाने का प्रयास कर रहे हैं।

डाक-स्कंध के बारे में आपका क्या कहना है ? दूरसंचार विभाग में सामाजिक लेखा परीक्षा पैनल पहले ही यह टिप्पणी कर चुका है कि वित्त मंत्रालय डाक विभाग के साथ सौतेला व्यवहार कर रहा है। एजेंसी सेवाओं को ठीक प्रकार से भुगतान नहीं किया जा रहा है। यह आम जनता की सेवा है। विभागेत्तर कर्मचारी, जो डाक कर्मचारियों का 50 प्रतिशत से भी अधिक है को बहुत कम वेतन दिया जाता है। चूंकि समय कम है इसलिए मैं विस्तार में नहीं जाऊंगी। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि आप अमरीकी उपनिवेशवाद के दबाव का सामना नहीं कर पा रहे हैं। सरकार जम्मू और कश्मीर के बारे में अमरीकी राष्ट्रपति श्री बिल क्लिंटन की लगातार टिप्पणियों को बड़े हल्के रूप में ले रही है। उनके अनुसार कश्मीर एक विवादित क्षेत्र है। राष्ट्र संघ महासभा के सामने अपने भाषण में उन्होंने इस बात को गुप्त नहीं रखा। वह परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर न करने के लिए भारत के विरुद्ध अपने कोष को भी नियंत्रित नहीं कर पाये। वे मानवाधिकारों के उल्लंघन के बारे में बहुत चितिंत हैं। मैं उनके च्यांग-काहू-शेख, मार्कोस इत्यादि को उनके समर्थन के ब्यौरों में नहीं जा रही हूं। वहां क्या हो रहा था ? वे मानवाधिकारों के बारे में बहुत चिंतित हैं लेकिन यहां तक कि श्रीमती भुट्टो जो कश्मीर को जब तक पाकिस्तान का हिस्सा नहीं बना लेती तब तक लड़ने की प्रतिज्ञा करती हैं, पंजाब पर चुप रहने में ही बुद्धिमानी समझती है। लेकिन श्री क्लिंटन अपने आप पर नियंत्रण नहीं रख सके। अमरीकी बहु माफिया का अप्रत्यक्ष लक्ष्य भारत और चीन के विरुद्ध हैं, जो एशिया के वृहद देश हैं तथा इकट्ठा होने पर वे विश्व की मजबूत शक्ति होगी। वे स्वतंत्र कश्मीर की स्थापना करना चाहते हैं। भारत अमरीकी उपनिवेशवाद वास्तविक मंशा नहीं देख रही है। हमें उन्हें स्पष्ट रूप से बता देना चाहिये कि हम उनके सामने नहीं झुकेंगे और कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। लेकिन कश्मीर का प्रश्न सुलझाना होगा। यह कानून और व्यवस्था का प्रश्न नहीं है यह राजनीतिक मसला है और इसलिए सरकार को इसे सुलझाना होगा। लेकिन यह कार्य नहीं किया जा रहा है। वे दावा कर रहे हैं कि पंजाब में अब शान्ति है। मैं इस बात से सहमत हूं कि पंजाब में अब शान्ति है, लेकिन क्या यह शांति लम्बे समय तक चलेगी ? राजीव-लोंगोवाल समझौता लागू करना होगा अन्यथा इसी दौरान स्थिति खराब हो जायेगी। सरकार को वे मुद्दे सुलझाने में विवेक से काम करना चाहिए। वास्तव में वह नहीं किया जा रहा है। अतः वास्तव में सरकार ने किस क्षेत्र में समस्याओं को सुलझाया है ? अब उन्होंने राष्ट्रपति के माध्यम से यह कहलवाया है कि उन्हें आयोध्या मसले को सर्वोच्च न्यायालय को सुपुर्द करने में संतोष है। ...(व्यवधान)।

सभापति महोदय : महोदय, अब कृपया अपनी बात समाप्त कीजिए। आपके दल को 45 मिनट दिए गए हैं, और 30 मिनट आप पहले ही ले चुकी हैं। आपके दल ने तीन सदस्यों की सूची दी है। अगर उन तीन सदस्यों को चर्चा में भाग लेना है, तो आपको अपना भाषण समाप्त करना चाहिए।

श्रीमती सुशीला गोपालन : मैं पांच मिनट में अपनी बात समाप्त कर लूंगी।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : महोदय, मुझे आपको यह बताने की जरूरत नहीं है कि समय ब्रह्माण्ड की भांति सदैव बढ़ता रहता है।

श्रीमती सुशीला गोपालन : अतः महोदय, संविधान के अनुच्छेद 143 के अन्तर्गत अयोध्या मसले को सर्वोच्च न्यायालय के पास भेजा गया है और उस पर निर्णय की प्रतीक्षा की जा रही है।

अतः वे इस बारे में संतुष्ट हैं, लेकिन क्या कोई सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय मानने के लिए बाधित है ? मैं नहीं जानती। इसे संविधान के अनुच्छेद 138 के अन्तर्गत सर्वोच्च न्यायालय में भेजा जा सकता था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। यह मुद्दा अभी भी ज्वलंत है और सरकार ऐसे बहाना कर रही है, मानो उसे इसकी जानकारी ही नहीं है, वास्तव में हम दोनों ही प्रकार की साम्प्रदायिकता चाहे वह बहुसंख्यक सांप्रदायिकता हो अथवा अल्पसंख्यक सांप्रदायिकता के विरुद्ध हैं, लेकिन हमारा विचार है कि बहुसंख्यक सांप्रदायिकतावाद देश के लिए अधिक खतरनाक और नुकसानदेह है। अल्पसंख्यक साम्प्रदायिकता स्वयं अल्पसंख्यकों और देश के लिए हानिकारक है क्योंकि इससे बहुसंख्यकों को अपनी सांप्रदायिक भावनायें विकसित करने का साधन मिल जाता है। लेकिन हम देश के 16 करोड़ 50 लाख अल्पसंख्यकों की अवहेलना नहीं कर सकते और हमें उनके हितों की सुरक्षा करनी पड़ेगी। वास्तव में इस बहुसंख्यक सांप्रदायिकतावाद को शुरू से ही जब राजीव गांधी के शासनकाल के दौरान अयोध्या में 1989 के चुनाव से पूर्व विवादित स्थल पर आधारशिला रखी गई और वहां से जत्था निकाला गया कांग्रेस दल ने बढ़ावा दिया है। उस समय उन्होंने कहा कि यह विवादित स्थान पर नहीं है। लेकिन सच्चाई क्या है ? अतः कांग्रेस दल ने इस देश में इन प्रतिक्रियावादियों को हर प्रकार से मदद दी। उन्होंने ये सभी कार्य किए हैं और अब भी सरकार इस विषय पर स्पष्ट दृष्टिकोण नहीं अपना रही है। वास्तव में बाबरी मस्जिद को गिराने के लिए हमारे प्रधान मंत्री उत्तरदायी हैं। बाबरी मस्जिद गिराये जाने के बावजूद भी आपने कोई सबक नहीं सीखा है और इस मुद्दे को सुलझाने के लिए आप सख्ती से कार्यवाही करने के लिए तैयार नहीं हैं। आप उनकी मदद चाहते हैं, क्योंकि आर्थिक नीतियों के सम्बन्ध में आप दोनों एकमत हैं। और इसीलिए आप उनके विरुद्ध कार्यवाही करने में इतना अधिक हिचक रहे हैं। वास्तव में, देश में इन सांप्रदायिक तत्वों को सत्तारूढ़ दल सहायता देता है, तथा उन्हें प्रोत्साहित करता है, और पनपने का अवसर देता है। इसे रोकना होगा।

अब मैं भ्रष्टाचार के मुद्दे पर आऊंगी। देश में सभी स्तरों पर भ्रष्टाचार बढ़ गया है। बोफोर्स मामले पर उन्होंने किस प्रकार कार्यवाही की है ? बोफोर्स मामले सम्बन्धी एक संयुक्त संसदीय समिति थी और इसने कहा कि उसमें किसी की गलती नहीं है। उसके बाद क्या हुआ ? अब सब कुछ सामने आ रहा है और कुछ ही दिनों में हमें सब कुछ सुनने को मिलेगा। प्रतिभूति घोटाले सम्बन्धी संयुक्त संसदीय समिति में विपक्ष ने बहुत सी बातों पर समझौता किया है लेकिन फिर भी लगभग सर्वसम्मत रिपोर्ट लाई गई। तथा आपने उस रिपोर्ट पर कोई कार्यवाही की ? इस देश में संयुक्त संसदीय समितियों का कोई अर्थ ही नहीं रह गया है क्योंकि आप उन रिपोर्टों पर कोई कार्यवाही ही नहीं कर रहे हैं। अगर संयुक्त संसदीय समिति की रिपोर्ट पर कोई कार्यवाही ही नहीं की जाती तो इसका क्या फायदा है ? आप उनके विरुद्ध कभी कार्यवाही नहीं करेंगे और वास्तव में आप भ्रष्ट लोगों की रक्षा करने का प्रयत्न करेंगे।

इसी प्रकार से जहां तक चुनाव सुधारों का सम्बन्ध है, गोस्वामी समिति की रिपोर्ट लागू नहीं की गई है। वास्तव में, विपक्षी दलों के साथ चुनाव सुधारों पर हमें चर्चा करनी होगी और गोस्वामी समिति की रिपोर्ट पर हमें कुछ समझौते करने पड़ेंगे। लेकिन इसके बजाय आप कोई कदम नहीं उठा रहे हैं।

सरकार का कहना है कि हमारी आर्थिक नीतियों के कारण यह मजबूत हो गई है। आप कहते हैं कि आप अल्पमत में थे और अब आपने लोकसभा में बहुमत प्राप्त कर लिया है। लेकिन आपने वह बहुमत किस तरह से प्राप्त किया है। आप दल-बदल को प्रोत्साहित कर रहे हैं और उसके द्वारा आपने अपने दल को मजबूत बनाया है। आप दल-बदल विरोधी कानून के उद्देश्य को ही विफल कर रहे हैं। अतः इसका क्या फायदा है ? इस देश में कांग्रेस पार्टी ने भ्रष्टाचार को बढ़ावा दिया है और कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है। अब आप दल-बदल को प्रोत्साहित कर रहे हैं और दल-बदल को प्रोत्साहन देने के लिए आपने करोड़ों रुपये खर्च कर दिये हैं। स्थिति यह है।

5.00 म.प.

राष्ट्रपति महोदय ने इन सभी मसलों पर कुछ नहीं कहा है। ऐसा मत सोचिए कि इसका कोई विकल्प ही नहीं है। इसका विकल्प है। उत्तर प्रदेश में यह विकल्प मिल भी गया है। लेकिन अन्य स्थानों पर चूंकि भाजपा के उग्र सांप्रदायिकतावादियों का खतरा है जो देश के लिए नुकसान देह है। वहां उन्होंने कांग्रेस को अपने मत दिये हैं।

आप हर किसी को कह रहे हैं कि आपको समर्थन प्रदान करें। जैसे कि इसका कोई विकल्प ही न हो। लेकिन विकल्प बन रहा है। जो लोग अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं वे एक हो रहे हैं। आर्थिक नीतियों, कृषि क्षेत्र में आपने जो कार्यवाही की है उसकी ताकतें एक होकर उभर रही हैं। छोटे-छोटे किसान और खेतीहर मजदूर बेरोजगार होते जा रहे हैं। नई कृषि नीति से उन्हें नुकसान पहुंचेगा। निर्यातोन्मुखी कृषि नीति बनाई गई है। इस देश में क्या होने जा रहा है। बागवानी को अत्यधिक प्रोत्साहित किया जा रहा है और इस क्षेत्र के लिये आप अधिक धनराशि प्रदान कर रहे हैं। इससे क्या होगा ? बहुराष्ट्रीय कम्पनियां हमारे देश में फसलों को उगाने के मामले में निर्णय लेने जा रही है और उस तरह की सब्जियां, फल और खाद्यान्न उगाने की कोशिश कर रही है जो कि वे अपने देशों को निर्यात करवाना चाहती है। जलवायु-जन्य परिस्थितियों के कारण वे इन सब्जियों को अपने देश में नहीं उगा सकते। इससे क्या होगा ? गेहूं और चवल की खेती पर तुषारापात होगा। खेतीहर मजदूरों के पास रोजगार ही नहीं रहेगा। मैं इस पर विस्तार में चर्चा नहीं करना चाहती, क्योंकि समय सीमित है।

भूमि सुधारों के संबंध में आपने ऐसा क्यों नहीं किया ? आप जो कोई भी कार्यवाही करते हैं; उसका लाभ भूस्वामियों और धनी किसानों को जाता है और गरीब लोगों और खेतीहर मजदूरों को उसका लाभ नहीं पहुंचता है। आपने खेतीहर मजदूरों के बारे में 80 के दशक में एक व्यापक विधान बनाने का वायदा किया था। लेकिन आपने ऐसा क्यों नहीं किया ? खेतीहर मजदूरों के बारे में व्यापक कार्यक्रम बनाने का आपका कोई इरादा दिखाई नहीं देता। कुछेक राज्यों में ऐसा कर दिया गया है, लेकिन आपने अभी तक इस दिशा में कोई कारवाही नहीं की है। गरीब वर्गों

[श्रीमती सुशीला गोपालन]

की बात करते हुए मैं यह कहूंगी कि उनके लिये किये गये वायदे खाली वायदे ही रहेंगे और उन्हें कभी भी पूरा नहीं किया जा सकता। लेकिन धनी लोगों के बारे में जो वायदे आप करते हैं उन्हें आप पूरा करेंगे। आप लोग इस तरह की नीति अपना रहे हैं। बेरोजगारी का खतरा हमारे सामने हैं। भारी संख्या में लोग बेरोजगार हो जाएंगे और लोगों को भारी कठिनाई का सामना करना पड़ेगा। लेकिन लोग इस बात को सहन नहीं करेंगे। वे अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करेंगे और वैकल्पिक शक्तियों का उदय होगा। कांग्रेस दल को सत्ता से बाहर का दिया जायेगा। देश में लोकतान्त्रिक शक्तियां एकजुट हो जाएंगी। लोकतान्त्रिक शक्तियां, वामपंथी शक्तियां सत्ता में आ जाएंगी। इसके बारे में मुझे तनिक भी संदेह नहीं है। ऐसा पूरे देश में हमारे सामने आ रहा है।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव जो कि वास्तविकताओं से काफी दूर है का विरोध करती हूं।

सभापति महोदय (श्री नीतीश कुमार) : छोटे राजनैतिक दलों की यह शिकायत रहती है कि उन्हें बोलने का अवसर नहीं मिलता। लेकिन जब उन्हें बोलने का अवसर दिया जाता है, तो वे उपस्थित ही नहीं होते।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : यह सही बात है। आप भी जानते हैं और आप भी यह चाहते हैं कि इस चर्चा के लिये समय बढ़ाया जाना चाहिए।

श्री एम.आर. कादम्बूर जनार्दनन (तिरुनेलवेली) : महोदय, राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलने का अवसर प्रदान करने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

मैं ए.आई.ए.डी.एम.के. दल की ओर से राष्ट्रपति के अभिभाषण पर रखे गए धन्यवाद प्रस्ताव का सर्मथन करता हूं। लेकिन इसका यह अभिप्राय नहीं है कि मैं मूल्य वृद्धि का समर्थन कर रहा हूं। हम राष्ट्रपति के अभिभाषण का समर्थन करते हैं।

मैं इस सम्माननीय सदन को स्मरण कराना चाहूंगा कि 1963 में जिस समय अन्ना जी जेल से बाहर आये थे तो उन्होंने कहा था, हम नेहरू जी के हाथ मजबूत करेंगे। ऐसी भावना 1963 में हमारे अंदर आ गई थी। हमें इसे याद रखना चाहिए।

जैसा कि हमारे राष्ट्रपति महोदय ने अपने अभिभाषण में ठीक ही कहा है, 1993 में एक आशा जगी थी, लेकिन वह आशा पूरी होनी चाहिए। इस प्रयोजन के लिये हमारी केन्द्र सरकार को प्रत्येक भावी कदम को अत्यंत सावधानी से उठाना चाहिए।

जैसा कि श्री शिवचरण माथुर जी ने, जिन्होंने प्रस्ताव रखा है, ठीक ही कहा है कि 1947 से लेकर अब तक कश्मीर में भारत ने जो भूमिका निभाई है, उस पर सरकार को अटल रहना चाहिए।

इस अवसर पर मैं इस सम्माननीय सदन को स्मरण करना चाहूंगा कि हमारे अन्न डी.एम.के. के संस्थापक और राजनैतिक चितंक 1960 के दशक में एक फिल्म में किस तरह से गाया करते थे कि कश्मीर अच्छा है। उन्होंने कश्मीर के वैभव की गाथा का गायन किया और उन्होंने इस बात

का वर्णन किया कि किस प्रकार कश्मीर भारत की प्राचीन भूमि के सिर का ताज है। उन्होंने भारत के दक्षिणी भाग में रहने वाले सभी लोगों को भारत की तस्वीर दिखाई और उन्हें बताया कि कश्मीर भारत का दिक्पाल है उन्होंने लोगों को फिल्मों के माध्यम से कश्मीर के बारे में शिक्षा दी। इसलिए, हम कोई अकस्मात् ही सत्ता में नहीं आये हैं, बल्कि हमने इस गरीब देश में उचित तरीकों से फिल्म माध्यम का प्रयोग किया और हम सत्ता में आये। उन्होंने भारत के मानचित्र पर कश्मीर का प्राकृतिक सौन्दर्य और इसकी महत्वपूर्ण भूमिका को फिल्म माध्यम से लोगों को दिखाकर उन्हें शिक्षित किया।

जैसा कि हमारे राष्ट्रपति जी ने जिक्र किया है कि हजरतबल दरगाह में जो गंभीर संकट उत्पन्न हो गया था, उसका समाधान प्रशासन और सुरक्षा सेनाओं ने लोगों के सहयोग से निकाला। **मैं लोगों के सहयोग से शब्दों** को रेखांकित करता हूं। अतः केन्द्र सरकार को इस बात को समझना चाहिए कि चाहे कितनी भी बल क्यों न हो और कितनी भी सेना क्यों न हो, और कितने भी कानून क्यों न बनाये गये हों, इस क्षेत्र में रहने वाले लोगों के सहयोग के बिना हम अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते।

श्री सैफुद्दीन चौधरी यहां पर उपस्थित नहीं हैं। श्री सैफुद्दीन चौधरी नवीं लोक सभा में कश्मीर संबंधी समिति के सदस्य थे। इस सभा में अपने भाषण में उन्होंने भी इसी तथ्य का उल्लेख किया था। जब तक कि कश्मीर के लोगों के मन को नहीं बदला जाता, कश्मीर की समस्या का हल नहीं निकल सकता। कश्मीर समस्या का हल कश्मीर के लोगों के सहयोग से ही खोजा जा सकता है। यह भारत का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए।

मानव अधिकारों के संबंध में विश्व को अपनी ईमानदारी का परिचय देने के लिए हमने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना की हुई है और भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश इसके अध्यक्ष हैं। आयोग दल में सर्वोच्च न्यायालय के एक भूतपूर्व न्यायाधीश और उच्च न्यायालय के एक भूतपूर्व मुख्य न्यायाधीश शामिल हैं। इसके बाद भी विश्व में कोई भी चाहे वह कितना भी बड़ा क्यों न हो, मानव अधिकारों को लेकर हम पर आरोप लगाता है तो हमें उसकी परवाह नहीं करनी चाहिए क्योंकि प्रत्येक भारतीय का यह कर्त्तव्य बनता है कि वह देश की एकता और भारत के संविधान का आदर करे। कोई भी व्यक्ति जो इन दोनों बातों का विरोध करता है उसे भारतीय नहीं माना जा सकता। इसलिए जहां तक मानवाधिकारों का संबंध है, इसके बारे में विश्व की सबसे बड़ी संस्था हमारे लिये चाहे कुछ भी कहे हमें इसकी परवाह नहीं करनी चाहिए, बल्कि हमें केवल देश की एकता और भारत के संविधान की ओर ध्यान देना चाहिए।

जहां तक पैरा 30 का संबंध है, इसके लिए मैं केन्द्र सरकार को बधाई देता हूं कि संचार व्यवस्था का और आगे ग्रामीण क्षेत्रों तक विस्तार किया जाएगा। मैं इस सभा में यह उल्लेख करना चाहता हूं कि पंचायतों में अनुसूचित जातियों और सवर्ण जातियों के बीच झगड़े हो जाते हैं। इसलिए मंत्रालय को ध्यान देना चाहिए कि डाकघरों अथवा पंचायतों में टेलीफोनों की व्यवस्था की जाए ताकि सामान्य आदमी भी उसका प्रयोग कर सके। मेरे निर्वाचन क्षेत्र में संकट और विद्रोह की स्थिति बनी हुई है क्योंकि यह स्थिति संचार व्यवस्था को लेकर बनी है। मैं सरकार का इन सुविधाओं को देने के लिये धन्यवाद करता हूं। लेकिन इसके साथ-साथ गरीब लोगों के लिए सुविधाएं दी जानी चाहिए।

[श्री एम.आर. कादम्बूर जनार्दनन]

जहां तक कृषि निर्यात नीति का संबंध है, इस बारे में मैं यह कहना चाहूंगा कि यद्यपि हमारी निर्यात नीति से कपास के निर्यात में वृद्धि हुई है और आयात नीति से एक महीने में ही इसमें गिरावट आई है। हमने दिसम्बर माह में कपास के निर्यात की घोषणा की थी और जनवरी माह में हमने कपास के आयात की घोषणा की। ऐसा करना हमें सट्टेबाजी की ओर ले जाता है और इससे उद्योग और किसान दोनों तबाह हो जाते हैं। इसलिए कपास की फसल के आकलन के बारे में कपास परामर्श बोर्ड और सूती·वस्त्र उद्योग के बीच समन्वय होना चाहिए। सितम्बर माह में कपास की फसल का आकलन करने का पुराना तरीका पूर्णतया गलत साबित होगा। अंत एकड़ों, जिनमें कपास बोई जाती है, के बारे में पहला अनुमान सितम्बर माह में लगा लेना चाहिए और कपास के वास्तविक उत्पादन का नवम्बर माह में पुनः अनुमान लगाया लाना चाहिए। केवल तभी हमें वास्तविक आंकड़े प्राप्त हो सकते हैं कि भारत कितने एकड़ भूमि में कपास का उत्पादन कर सकता है। यदि हम केवल सितम्बर माह के अनुमान के आधार पर कपास के एकड़ों में उत्पादन का हिसाब लगाते हैं, तो यह किसी चीज को प्राप्त किये बिना ही उसका हिसाब लगाने वाली बात होगी। मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार कपास निर्यात और आयात नीति के मामले में काफी लड़खड़ाई हुई है। कपास की कीमतों में भारी वृद्धि हुई है और जून-जुलाई महीने में कपड़े की कीमतें वर्ष 1993 की तुलना में दो गुनी हो जाएंगी। यह स्थिति है। इसलिए सरकार को इस बारे में उचित सावधानी बरतनी चाहिए।

पैरा 15 में यह कहा गया है :

"भारतीय बाजार में विश्व के निवेशकों का विश्वास बढ़ा है।"

अच्छी बात है, इसमें आगे यह भी कहा गया है :

"नई औद्योगिक नीति को लागू करने से लेकर वर्ष 1993 के अंत तक अनुमोदित प्रत्यक्ष विदेशी निवेश इक्विटी के रूप में लगभग 13,000 करोड़ रुपये है। इन परियोजनाओं में कुल निवेश 65,000 करोड़ रुपये तक होने का अनुमान है। इस निवेश की महत्वपूर्ण बात यह है कि इसमें से अधिकांश निवेश ऊर्जा जैसे क्षेत्रों के लिए प्रस्तावित है...।"

मैं इस सरकार से यह जानना चाहता हूं—73 प्रस्ताव थे—उनमें से कितने प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान की गई है। अभी तक एक भी प्रस्ताव स्वीकृत नहीं किया गया है। परसों रविवार के टाइम्स आफ इण्डिया दिनांक 27 फरवरी में एक समाचार प्रकाशित हुआ था, जो कि विश्व परिषद अध्ययन पर आधारित था, जिसमें यह कहा गया था :

"एशिया प्रशान्त क्षेत्र में ऊर्जा की भूख बढ़ेगी। आने वाले वर्षों में भू राजनैतिक परिवर्तनों में ऊर्जा एक मुख्य कारक होगी। परिषद के अध्यक्ष डा. जिरार्ड अट ने संगोष्ठी में बोलते हुए टिप्पणी की, "ऊर्जा प्रबन्धन के लिये दूरदर्शिता।" भारतीय उद्योग महासंघ के लिये देश 70 प्रतिशत खर्च करेगा।"

इस सरकार ने ऊर्जा के लिए क्या किया है ?

हमारे मुख्य मंत्री ने जय गुण्डम तथा नैवेली परियोजनाओं के लिए कार्य किया है। मैं इसका समर्थन करने के लिए माननीय मंत्री श्री तंग्काबालू का धन्यवाद करता हूं। लेकिन जयगुण्डन परियोजना का क्या रहा? केन्द्र सरकार ने इस परियोजना को स्वीकृति प्रदान क्यों नहीं की ? तमिलनाडु सरकार प्रत्येक परियोजना को स्वीकृत करने में आगे निकल रही है। ऊर्जा के उत्पादन के लिए हमारे पास जल संसाधन नहीं हैं, कोयला संसाधन नहीं है। इसके बावजूद भी हमने नेवेली परियोजना आरंभ की है जिसका आपकी सरकार ने समर्थन किया है। बेसिन ब्रिज के बारे में हम कार्य आरम्भ करने जा रहे हैं। हम बहुत से संयंत्रों में ऊर्जा का उत्पादन करने जा रहे हैं। इसके बारे में अध्ययन करना काफी अच्छा रहेगा। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि अधिकतर प्रस्ताव ऊर्जा के क्षेत्र के बारे में हैं। किन्तु 1994 में आपने एक भी प्रस्ताव स्वीकृत नहीं किया है। तब आप वर्ष 2000 तक किस तरह से लक्ष्य प्राप्त कर लेंगे ? इसके बारे में मैं नहीं जानता।

पैरा 37 के संबंध में, मैं इस सम्माननीय सभा को एक बात बताना चाहूंगा। पासवान जी यहां पर उपस्थित नहीं हैं। इसमें कहा गया है :

> "बाबा साहिब अम्बेडकर की रचनाओं के प्रादेशिक भाषाओं में प्रकाशन का कार्य प्रारंभ किया गया था और प्रत्येक रचना के दो खंड हिन्दी, तमिल और गुजराती भाषा में प्रकाशित किये गये तथा अन्य भाषाओं में प्रकाशन का कार्य चल रहा है।"

मुझे राष्ट्रपति के अभिभाषण में इन पंक्तियों को देखकर प्रसन्नता हो रही है, लेकिन इसके साथ साथ इस सम्माननीय सदन को यह ज्ञात होना चाहिये कि डा. अम्बेडकर का नाम तमिलनाडु के लोगों के कानों में गूंज रहा है, क्योंकि वहां पर जिला और परिवहन निगम का नाम डा. अम्बेडकर के नाम पर रखा गया है।

तमिलनाडु में तीन जिलों में अम्बेडकर परिवहन निगम कार्य कर रहा है। तमिलनाडु में अम्बेडकर की प्रतिमाएं लगाई गई हैं। लेकिन महाराष्ट्र में, मेरे साथी यहां पर विद्यमान हैं, ऐसी बात नहीं की गई और हाल ही में वहां पर एक विश्वविद्यालय के नाम बदलने पर लड़ाई लड़ी गई थी। पेरियार, अन्ना और एम.जी.आर. के कारण तमिलों ने ऐसा किया है। हम लोग धर्म निरपेक्ष हैं और तमिलनाडु में जाति रहित समाज है। मुझे राष्ट्रपति के अभिभाषण की इन चंद पंक्तियों को पढ़कर वास्तव में प्रसन्नता हो रही है।

जहां तक रोजगार का संबंध है, राष्ट्रपति के अभिभाषण में यह कहा गया था। "शिक्षित ग्रामीण युवाओं को छोटे-छोटे उद्यमों में रोजगार प्रदान करने के लिए एक रोजगार योजना आरंभ की गई है।" इसके लिए आंकड़े भी दिये गये थे। केवल हमारे देश में ही शिक्षित लोग बेरोजगार हैं। एम.ए., एम.फिल. अथवा एम.एस. डिग्रियां प्राप्त करने के बाद भी ये लोग बेरोजगार हैं। अतः जैसे ही कोई व्यक्ति अपनी शिक्षा पूरी करता है, उसे तत्काल रोजगार मिलना चाहिए। शिक्षित युवा रोजगार के लिये दर-दर भटक रहे हैं। यह धीरे-धीरे फैलने वाला एक ऐसा रोग है जो कि हमारे युवाओं के मस्तिष्क को खराब कर देगा। आप प्रधान मंत्री के विशेष कोष से कुछ सहायता प्रदान करके लगभग 20,000 शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार प्रदान करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन यह कोई उपयोगी कदम नहीं है। हमारी शिक्षा प्रणाली इस प्रकार की होनी चाहिए कि शिक्षा पूरी करने पर हमारे युवाओं को स्वयं रोजगार के सृजन के लिए सक्षम होना चाहिए और

[श्री एम.आर. कादम्बूर जनार्दनन]

इस तरह का ज्ञान युवाओं को भी कराया जाना चाहिए और केवल तभी यह देश तरक्की कर सकेगा। रोजगार के लिए मात्र कुछेक लोगों को कुछ लाख रुपये देने से यह देश तरक्की नहीं कर सकेगा। अतः हमारी शिक्षा प्रणाली इस तरह की होनी चाहिए कि शिक्षा पूरी करने पर युवा लोग स्वयं रोजगार सृजित कर सकें और उन्हें अपने ऊपर आश्रित होना चाहिए। इस तरह की नई शिक्षा प्रणाली देश में अपनाई जानी चाहिए।

अंत में, मैं विदेश नीति पर आता हूं। राष्ट्रपति के अभिभाषण में यह कहा गया है कि श्रीलंका के साथ हमारे संबंधो में काफी प्रगति हुई है और हमारे संबंध सौहार्दपूर्ण हैं। यह क्या है ? हमें यह कहते हुए दुःख हो रहा है कि तमिलनाडु में मछुआरे हर दूसरे दिन मर रहे हैं। इस अभिभाषण में उनके इस कथन का क्या अर्थ है कि श्रीलंका के साथ हमारे सौहार्दपूर्ण संबंध हैं ? इन तमिलों के बारे में क्या हो रहा है, जोकि अपनी प्रतिदिन की रोजी-रोटी के लिए समुद्र में मछली पकड़ने जाते हैं और हर दूसरे दिन श्रीलंका की नौसेना अथवा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा की जाने वाली गोलीबारी में मारे जा रहे हैं। हमारे मुख्य मंत्री महोदय को लगातार इस बारे में बता रहे हैं लेकिन यहां पर यह सब कागज तक ही सीमित है। वहां पर हजारों व्यक्ति मर रहे हैं। वहां की स्थिति पंजाब की स्थिति से भी बदतर है। कश्मीर की स्थिति से भी बदतर है। यदि पाल्क स्ट्रेट से संबंधित मामलों की ओर ध्यान नहीं देते, तो भारत के लिये यह बात खतरनाक हो जाएगी। **(व्यवधान)**

मैं तमिलों के बारे में बात कर रहा हूं। मैं यह नहीं जानता कि जो तमिल मर रहे हैं, वे कांग्रेस जन हैं अथवा साम्यवादी हैं।

महोदय नेहरू जी के समय चीन से हमें खतरा था। पाकिस्तान से भी खतरा है। और तमिलनाडु के निकट पाल्क स्ट्रेट में तीसरा खतरा बना हुआ है। हमारे मछुआरे हर रोज मर रहे हैं। आप कृपया इसे इतनी सहजता से न लीजिए। कृपया इस अभिभाषण में यह न कहें कि श्रीलंका के साथ हमारे सौहार्दपूर्ण संबंध हैं।

तमिलनाडु राज्य से संसद का सदस्य होने के नाते पुरातची थालैवी तथा एम.जी.आर. का विद्यार्थी होने के नाते मैं यह कह रहा हूं कि सरकार को इस तरफ पूरा ध्यान देना चाहिए और इसे तत्काल रोका जाना चाहिए। हमारे मुख्य मंत्री का कहना व्यर्थ में नहीं जाना चाहिए।

हम ए.आई.ए.डी.एम.के. की ओर से राष्ट्रपति के अभिभाषण पर रखे गए धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करते हैं।

[हिन्दी]

श्री राजवीर सिंह (आंवला) : माननीय सभापति जी, 21 फरवरी को पार्लियामेंट के इतिहास में हमारे राष्ट्रपति जी ने अपनी ओजस्वी वाणी में सबसे निर्जीव भाषण पढ़कर सुनाया। इसमें सरकार ने अपनी कारगुजारियों को राष्ट्रपति के मुंह से कहलवा दिया मैं सोच रहा था कि इस बार सरकार की ओर से कुछ घोषणाएं होंगी, क्योंकि आज से ढाई साल पूर्व उ.प्र. के मुख्य मंत्री श्री कल्याण सिंह के मुख्यमंत्रित्वकाल में एक प्रस्ताव पास किया गया था, जिसमें उ.प्र. के उत्तरांचल राज्य की

स्वीकृति भेजी गयी थी, उसके बारे में अभिभाषण में कुछ कहा जायेगा, परन्तु उसका कहीं भी जिक्र नहीं था, यह वाकई ही खेदपूर्ण है। मैं इस खेदपूर्ण सच्चाई के लिए इस राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पेश किया गया है, उसका समर्थन नहीं कर सकता हूं। इसमें जन आकांक्षाओं का जिक्र नहीं किया गया है।

सभापति महोदय, जम्मू कश्मीर के बारे में इस नकारा सरकार की कुछ कारगुजारियों का जिक्र करना चाहूंगा। जब देश में पांच विधानसभाओं के चुनाव हो रहे थे, तो हजरतबल का एक नाटक और उसका रोज एक दृश्य उपस्थित किया जाता रहा। रोज ही अखबारों में आता कि हजरतबल दरगाह को सेना ने घेर लिया है और उसमें घुसे हुये आतंकवादियों का राशन पानी बंद कर दिया गया है और वे आत्म समर्पण करने जा रहे हैं मगर दिल्ली की सरकार इतनी लचर सरकार थी कि सेना के इन बहादुरीपूर्ण कार्यों और उनका मनोबल तोड़ने के लिए आतंकवादियों के लिये पानी, बिजली और बिरयानी तक भिजवायी। इसका परिणाम यह निकला कि विदेशों में रहने वाले आतंकवादी यहां आने लगे, जिससे उग्रवादियों और घुसपैठियों का गठजोड़ हो गया। इसके पश्चात् कश्मीर की हालत खराब होने लगी।

5.23 म.प.

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन)

दुखद पहलू तो यह है कि जिन आतंकवादियों और घुसपैठियों के खिलाफ कारवाई होनी चाहिए थी, उनको दंडित किया जाना चाहिए था, उनको जेल के सींखचों में डालना चाहिए था, उन लोगों को बड़े सम्मानपूर्वक ढंग से इस देश से विदाई दी गई। इस प्रकार जहां एक ओर उग्रवादियों को बिरयानी खिलाई गयी, वहां कश्मीर घाटी से लाखों हिन्दू निकाले गये और कुछ मुसलमान भी श्रीनगर छोड़कर इधर आ गये। देश भक्त हिन्दू और मुसलमान वहां पर सम्मान के साथ नहीं रह सकते हैं। आज लाखों की संख्या में हिन्दू निर्वासित होकर शरणार्थी के रूप में और कश्मीरी पंडितों के रूप में जाने जाते रहे अनेकों हिन्दू यहां रह रहे हैं। जब यहां बारिश हो रही थी, जाड़ा पड़ रहा था तो उन लोगों को तन ढंकने के लिए कपड़ा तक नहीं था, खाने के लिए अनाज तक नहीं था और कश्मीर से आये सरकारी कर्मचारियों को वेतन तक नहीं मिला था और उनको समय पर अपने राशन कार्ड पर राशन नहीं मिलता था। उनको जलाने के लिए लकड़ी नहीं मिलती। वह बेचारे अपना जीवन कैसे जी रहे हैं यह भगवान ही जानता है और इस सरकार के कान पर जूं नहीं रेंगती है। वह उग्रवादियों को तो बिरयानी भिजवाती है और देशभक्तों को भूखा मारेगी, यह इस सरकार की नीति है।

उपाध्यक्ष जी, सेना को खुली छूट मिलनी चाहिए मगर यह हो रहा है कि सुरक्षा बलों का मनोबल तोड़ा जा रहा है। पहले वहां पर गृह मंत्री जी देख रहे थे। तब प्रधान मंत्री जी को लगा कि शायद गृह मंत्री बहुत बूढ़े हो गए हैं, और चलने फिरने में उनको कठिनाई आती है, इसलिए कोई जोरदार नौजवान मंत्री होना चाहिए तो उन्होंने एक पायलट दे दिया और सोचा कि वह तुरंत अपने हवाई जहाज से उड़कर पहुंच जाएंगे और सारे मामलों को ठंडा कर देंगे। इस प्रकार राजेश पायलट जी को गृह राज्य मंत्री बना दिया, स्पेशल प्रभार कश्मीर देकर। मगर उनके मंत्री बनने के बाद से हालत और बिगड़ी है। जब भी वे वहां गए तो गोलियां चलीं और सुरक्षा बल के सिपाही

[श्री राजवीर सिंह]

मरते रहे। आतंकवादी उनके खेमे पर गोलियां चलाते रहे और सुरक्षा बल के सिपाही हमेशा शहीद होते रहे। मगर जब सुरक्षा बलों ने इन आतंकवादियों को, देशद्रोहियों को पकड़ने का प्रयास किया तो मानवाधिकार के नाम पर सारी कार्यवाही रोक दी गई। यह मानवाधिकार किसके लिए है ? देश भक्त मारा जाए, इस देश के लिए जो अपनी जान दे रहा है वह गोली का शिकार हो जाएगा उसके लिए कोई सजा नहीं है लेकिन यह तथाकथित धर्मनिरपेक्षतावादियों ने, तथाकथित मानवतावादियों ने उन देश भक्तों को, उन भाई-बहनों को जिनको घरों से भी निकाल दिया गया, जिनके मंदिरों को तोड़ दिया गया, लिनकी जिन्दगी को तबाह कर दिया गया, जिनकी इज्जत लूट ली गई, उनके लिए कोई मानवाधिकार की बात नहीं हुई और उन आतंकवादियों के लिए जो देशद्रोही हैं, उनके लिए मानवाधिकार की बात की जा रही है। उनको मानवाधिकार विदेश के लोग दिलाएंगे। यही कैसी निकम्मेपन की नीति है कि यह कहीं भी हिम्मत के साथ काम नहीं कर सकते हैं ? इसलिए इतने खराब भाषण की हम प्रशंसा भी नहीं कर सकते और समर्थन भी नहीं कर सकते।

मान्यवर, एक बात मैं और कहना चाहता हूं। यह जो कश्मीर की समस्या है यह कांग्रेस पार्टी और नेशनल कांफ्रेंस के जो अवैध संबंध हुए हैं उनकी उपज है। इससे जो उग्रवाद और अराष्ट्रवाद का बालक जन्मा है यह सब गड़बड़ कर रहा है। वहां पर किस तरह से लोगों की सरकारें तोड़ी गईं, पहले फारूख अब्दुल्ला को हटाकर गुलशाह को लाया गया। लोकतंत्र का जनाजा इन्होंने निकाल दिया और उसके बाद वहां पर गवर्नर का इस्तेमाल किया गया। गवर्नर से अपना काम कराया गया, गवर्नर ईमानदार था। उसने कहा कि हम कायदे-कानून का काम करेंगे और उग्रवादियों से लड़ाई लड़ेंगे, उग्रवादियों का मुकाबला करेंगे और कश्मीर के नागरिकों की सुरक्षा के लिए काम करेंगे, तो गवर्नर की आलोचना की जाने लगी और गवर्नर को हटा दिया गया और दूसरे गवर्नर को लाया गया। अब दूसरे गवर्नर की आलोचना शुरू हो गई है तो फिर तीसरा भेज देंगे। यह कश्मीर के साथ ऐक्सीपेरीमेंट कब तक चलेंगे ? कश्मीर हमारे देश का अविभाज्य अंग है। कश्मीर भारत माता का मुकुट है, कश्मीर केसर की क्यारी है और कश्मीर अमरनाथ का वह पवित्र तीर्थ स्थान है, जो इस देश के हिन्दुओं के लिए मक्का-मदीना से कम नहीं है, हमारे लिए उतना ही पूज्यनीय है। कब तक उसका अपमान होगा, कब तक कश्मीर के मामले को आप नहीं सुलझाएंगे ? यहां प्रधान मंत्री जी नहीं हैं मगर दूसरे मंत्री जी बताएं कि अब तो संसद ने हाथ में नंगी तलवार दे दी है और अगर पुरुषार्थ है तो दिखाएं कि जो हमारा अधिकृत कश्मीर पाकिस्तान के हाथ में है उसे मुक्त करिये और 15 अगस्त के भाषण में घोषणा करिये कि हमने संपूर्ण कश्मीर मुक्त करा लिया है, संपूर्ण कश्मीर पर भारत का झंडा लहरा रहा है। मगर मुझे नहीं लगता कि आप में दम-खम है। हम तो विमान से गए थे और वहां झंडा लहरा दिया मगर आपके प्रधान मंत्री जी तो सपने में भी नहीं लहरा पाते हैं। जिस दिन आप सपने में भी लहराना शुरू कर देंगे तो उस दिन देश का भला हो जाएगा।

हां, आज रात को उसका सपना लीजिए।

महोदय, इन सब समस्याओं का इलाज संभव है। आपने कुछ दिनों के लिए एक अस्थाई धारा बनाई थी, कुछ लोगों को खुश करने के लिए और इसी सदन में तत्कलीन प्रधान मंत्री ने

कहा था जिनका नाम आप लोग बार-बार इस्तेमाल करते हैं मगर उनकी भावनाओं का आदर नहीं करते, कि यह एक अस्थाई धारा है, टैम्परेरी धारा है और समय आने पर इसे खत्म कर दिया जायेगा। मैं पूछना चाहता हूं कि वह समय कब आयेगा। अब तो उस धारा को बनाये 45 वर्ष हो गए, क्या अभी तक वह समय नहीं आया है, जबकि हम बर्बादी की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं और आपको समय नहीं दिखायी देता है। इसलिए धारा 370 को आप खत्म कीजिये, इच्छा शक्ति पैदा करिये, विल पावर लाईये। जब तक धारा 370 समाप्त नहीं होगी, उस समय तक देश का भला नहीं होगा।

यहां पर कई बार आश्वासन भी दिये जा चुके हैं, मगर अभी तक कश्मीर के भद्रवाह नामक स्थान पर फौज की छावनी नहीं बनायी गयी है, जिसकी योजना काफी समय पहले बना ली गयी थी। जब तक वहां फौज की छावनी नहीं बनायी जायेगी, उस समय तक उग्रवादियों पर लगाम लगाना आसान नहीं है। मेरा आपसे आग्रह कि इस मामले को शीघ्रातिशीघ्र कार्यान्वित कीजिए। भाड़े के सैनिकों से कभी भला नहीं होता और भाड़े के सैनिक कभी नहीं लड़ते। वे सैनिक लड़ते हैं, जिनके हृदय में देश के प्रति प्यार होता है, मान-सम्मान होता है। भाड़े के सैनिक पाकिस्तान ला रहा है, पाकिसतान को जरा जवाब दे दीजिये। एक बार बेनजीर भुट्टो कह रही थी कि बिना श्रीनगर के पाकिस्तान अधूरा है, मैं चाहता हूं कि आप जरा उन्हें कह दीजिए कि बिना लाहौर, करांची और पाकिस्तान के हिन्दुस्तान का नक्शा अधूरा है। आप उनसे ऐसा कहने की हिम्मत तो दिखाइये, खाली हम पर दम मत दिखाइये। ऐसा लगता है कि मंत्री जी चीनी में नहीं मग्न है, इसलिए मैं अब चीनी पर ही आ जाता हूं।

उपाध्यक्ष जी, चीनी के मामले में बड़ी उदारीकरण की नीति चल रही है और इस कारण चीनी खट्टी हो गयी है। जब से मंत्री जी ने इस विभाग को संभाला है, चीनी की मिठास खत्म हो गयी है। **(व्यवधान)**

ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं कि बल्कि इनके एक माननीय सदस्य कह रहे हैं कि शीरे के कारण चीनी खट्टी हो गयी है। आपके मित्र ऐसा कह रहे हैं मेरा कहना है कि चीनी के मामले में जब आप आगे बढ़ना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि चीनी के मामले में देश आत्मनिर्भर हो, सक्षम हो और हम चीनी का एक्सपोर्ट करने की स्थिति में आ जायें तो कृषि उत्पादों पर से आपको लाईसेंस हटाना पड़ेगा। आज क्या हो रहा है। आपने चीनी मिल लगाने के लिए लाईसेंस लेना जरूरी कर दिया है। यदि कोई व्यक्ति देश में चीनी मिल खोलना चाहे तो आपके दरबार में माथा झुकाये बिना नहीं खोल सकता, क्योंकि उसे चीनी मिल खोलने का लाईसेंस नहीं मिलता। मगर हमारा दुर्भाग्य यह है कि उसकी मोटर को चलाने वाला तेल हमें विदेश से मंगाना पड़ता है, उसके पुर्जे हमें विदेश से मंगाने पड़ते हैं। आपने कार तो तो डी-लाईसेंस कर दिया मगर जो कृषि उत्पाद है, उनके लिए लाईसेंस प्रणाली कायम है, यह कैसी उदारीकरण की नीति है। आप गन्ना मिलों को लाईसेंस मुक्त क्यों नहीं करते। इसमें खाली क्षमता का ही प्रश्न नहीं है, जहां आवश्यकता हो, जहां उपयोगिता हो, वहां जो भी चीनी मिल लगाना चाहे, उसे चीनी मिल लगाने की अनुमति मिलनी चाहिए। राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में इसका कहीं जिक्र नहीं किया गया है।

सरकार का कल का बजट भाषण पढ़कर और सुनकर तो ऐसा लगा कि हिन्दुस्तान के

[श्री राजवीर सिंह]

उद्योग ही खत्म हो जायेंगे, क्योंकि कई मामलों में कस्टम ड्यूटी को कम कर दिया, जिसके कारण अब धड़ाधड़ इम्पोर्ट होगा और देशी कारखाने बंद हो जायेंगे, जिससे हिन्दुस्तान में बेरोजगारी और बढ़ेगी।

बेरोजगारी बढ़ेगी, करोड़ों लोग बेरोजगार हो जाएंगे। जब बेरोजगार हो जाएंगे, उनके हाथ में काम नहीं होगा, पेट में अन्न नहीं होगा तो वे हाथ बन्दूक भी उठा सकते हैं, तलवार भी उठा सकते हैं और इस पार्लियामेंट को हिलाकर भी फेंक सकते हैं। इसलिए बेरोजगारों को रोजगार दीजिए। रोजगार मल्टी नैशनल्स को लाने से नहीं मिलेगा। मल्टी नैशनल्स की मिलों में 100 लोग 3000 लोगों का काम करेंगे। यह देश 80 करोड़ लोगों का देश है, इसमें करोड़ों लोग बेरोजगार हैं। आप उनके हाथों को काम नहीं दे रहे हैं, बल्कि जिनके हाथ में काम है, उनका काम छीन रहे हैं। और तो और, हिन्दुस्तान के छोटे-मोटे खाद के कारखाने भी बन्द होने की कगार पर हैं।

हमारे क्षेत्र में इफको का फर्टिलाइजर का कारखाना है। मैंने बात की थी कि जो लैंड लूजर्स है, उनको आप नौकरी दीजिए। उनके एम.डी. ने कहा कि हमारे यहां पर दूसरा सिस्टम हो रहा है, पड़ोस में एक मल्टी नैशनल कम्पनी खुलने वाली है। उसमें तीन सौ लोगों से काम चल जाएगा, इसलिए हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने तय किया है कि पांच सौ लोगों की छंटनी की जाएगी। आखिर कौन इसको देख रहा है ?

आपकी तो मजबूरी है, क्योंकि आप डंकल प्रस्ताव पर दस्तखत करने जा रहे हैं। डंकल प्रस्ताव पर दस्तखत करेंगे तो आपको उनके सामने झुकना पड़ेगा, क्योंकि आपको कर्जा अदा करना है। इधर के सब लोग कहते हैं कि डंकल बहुत खतरनाक है, उस पर दस्तखत नहीं करने चाहिए। कांग्रेस के लोग भी जब अकेले में मिलते हैं तो कहते हैं कि डंकल बहुत खतरनाक है, दस्तखत नहीं करने चाहिए।

कुछ दिन पहले कृषि मंत्री भी कहते थे कि मैं अपने जीते-जी डंकल नहीं लाने दूंगा। मैंने पूछा कि आपका क्या हाल है, 15 अप्रैल को डंकल लागू हो जाएगा। लोग मुझसे पूछते हैं कि क्या कांग्रेस पार्टी में ऐसे लोग हैं, जो डंकल को समझ नहीं पा रहे हैं। मैंने कहा कि सब समझ रहे हैं लेकिन उनकी हालत उस कर्जदार की तरह है जो अपने बेटे के लिए दवा लेने जा रहा है और उसका मालिक, जिससे उसने कर्जा लिया है, चौपाल में बैठा है। वह कहता है कि पहले मेरे खेत में रोटी देकर जाओ। वह कहता है कि मेरा बेटा बीमार है, उसके लिए दवा लेने जा रहा हूं, दवा नहीं लाऊंगा तो वह मर जाएगा। मालिक कहता है कि दवा लानी है तो ले आओ, लेकिन शाम को मेरे दो हजार रुपये दे जाना। कर्जदार कहता है कि मैं रुपया तो नहीं दे सकता, लड़का मर जाए तो मर जाने दीजिए, मैं रोटी देने जा रहा हूं। यही हालत कांग्रेस पार्टी की है। आप इतने कर्जदार हो चुके हैं कि वर्ल्ड बैंक के लोगों को रोक नहीं सकते, क्योंकि वे फिर कहते हैं कि 2 लाख 80 हजार करोड़ रुपया अदा करो नहीं तो दस्तखत करो। भारत की जनता मर जाए कोई बात नहीं, क्योंकि आप हिन्दुस्तान के मालिक बने बैठे हैं। आप कर्जे की अदायगी नहीं कर सकते, इसलिए जनता को मौत के घाट पहुंचा रहे हैं। **(व्यवधान)**

श्री उमराव सिंह : आप यह बात कैसे कह रहे हैं।

श्री राजबीर सिंह : हमारे मित्र डंकल को अंकल समझ रहे हैं। हमारा दुर्भाग्य है कि डंकल आ रहा है और हिन्दुस्तान में अभी कृषि नीति नहीं बनी। अभी हम उसके प्रारूप में ही पड़े हुए है। आज कृषि नीति बनाने में डंकल प्रपोजल बीच में आ रहा है।

मैं एग्रीकल्वर स्टैंडिंग कमेटी में हूं। वहां पर यह बहस चल रही है, डंकल के कारण बहुत सी चीजें नहीं आ रही हैं, कृषि नीति ठीक से नहीं बन रही है। यह देश का दुर्भाग्य है कि उद्योग नीति तो बन गई, लेकिन कृषि नीति नहीं बनी। जब तक कृषि नीति ठीक से नहीं बनेगी, इस देश का भला नहीं होगा।

जब तक किसान का भला नहीं होगा, इस देश का भला नहीं होगा।

श्री भोगेन्द्र झा : क्या आप उद्योग नीति से संतुष्ट हैं।

श्री राजबीर सिंह : नीति हो या कूनीति हो, लेकिन इसकी नीति तो है। कुछ तो है, लेकिन यहां कुछ नहीं है। दो वर्ष पहले राष्ट्रपति जी के अभिभाषण में इफ्को के कारखाने का विस्तारीकरण करने की घोषणा की गई थी। इसकी घोषण हुए तीन वर्ष होने जा रहे हैं। कभी किसी कमेटी में जाकर यह मामला फंस ज़ाता और कभी दूसरी कमेटी में फंस जाता। अभी इसे ग्रीन सिगनल मिला है, लेकिन अभी तक विस्तारीकरण का काम शुरू नहीं हुआ है। हम फर्टिलाइजर इम्पोर्ट करने के चक्कर में घूम रहे हैं। हम कारखानों में क्षमता नहीं बढ़ा पा रहे हैं।

उपाध्यक्ष जी, मैं आपका कम समय लेना चाहता हूं। अब मैं जवाहर रोजगार योजना की चर्चा करना चाहता हूं। इसमें आपने कटौती कर दी। मैं कल सारा बजट भाषण सुन रहा था। फिर उसे घर जाकर पढ़ा भी। मैंने सोचा कि शायद इसमें किसानों को कुछ मिलेगा, लेकिन उनको कुछ नहीं मिला। मल्टी नैशनल को जरूर मिल गया। कस्टम ड्यूटी घट गई।

श्री उमराव सिंह : फर्टिलाइजर पर सब्सिडी मिली है ?

श्री राजबीर सिंह : आपको पता नहीं है **...(व्यवधान)...** जब आपका बोलने का नम्बर आये तो डंकल के समर्थन में जरूर बोलें, मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी, लेकिन पहले मेरी बात सुन लें। मैं जो सही चीज बता रहा हूं, वह आपकी समझ में नहीं आ रही है **...(व्यवधान)...** अगर हम उधर आयेंगे तो इनकी कृपा से नहीं आयेंगे।

अब मैं एक गम्भीर बात की ओर सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। राष्ट्रपति जी ने अपने अभिभाषण में कहा और प्रधान मंत्री जी ने भी लाल किले के प्राचीर से स्वः रोजगार योजना की घोषणा की थी कि हम एक लाख रुपया इसके लिए देंगे। मैं आपको अभिभाषण की कुछ पंक्तियां पढ़ कर सुनाना चाहता हूं :

> "शिक्षित शहरी युवकों को लघु उद्यमों में सतत रोजगार प्रदान करने की दृष्टि से एक रोजगार योजना शुरू की गई है। अभी तक विभिन्न राज्यों से युवाओं से लगभग एक लाख 95 हजार में आवेदन प्राप्त हो चुके है। इनमें से 41,275 आवेदन पत्रों पर विचार किया गया है।"

एक लाख 95 हजार से 41 हजार 275 पर विचार किया गया। उससे शर्मनाक बात यह

[श्री राजबीर सिंह]

है कि उसमें से दो हजार लोगों के ऋणों की संस्तृति की गई और यह उन्हें अभी मिला नहीं है। यह क्या मजाक हो रहा है, क्या अखबारबाजी हो रही है ? क्या चुनाव के लिये घोषणा की है ? उनहें अभी तक बैंक से ऋण इसलिए नहीं मिला है कि वे गरीब हैं, उनके पास बैंक मैनेजर को देने के लिए कमीशन नहीं है, पैसा नहीं है। अब आपकी समझ में बात नहीं आयेगी, क्योंकि यह कमीशन की बात है। 5 करोड़ लोग बेरोजगार हैं और अगर दो हजार प्रति वर्ष के हिसाब से भी मिला तो क्या 21वीं सदी में बेरोजगारी दूर हो पायेगी क्योंकि इसी रेट से बेरोजगारी और बढ़ेगी। आप क्या कर रहे हैं ? आप मजाक कर रहे हैं। आप एक लाख रुपया बांट रहे हैं ? यह किस हिसाब से बांट रहे हैं ? क्या उद्योग धंधा लगाने के लिए बांट रहे हैं ? एक लाख रुपये में कौन-सा उद्योग धंधा लगता है **...(व्यवधान)...** यह कह रहे हैं कि कमीशन के लिए बांट रहे हैं।

मुश्किल क्या हो गई है कि जब से यह सरकार आई है, सब जगह बोफोर्स और बैंक स्कैम के कारण घोटाले ही होते चले जा रहे हैं।

यह एक बड़ी घोषणा करते हैं कि हम संचार व्यवस्था सारे देश में करने जा रहे हैं गांव-गांव में टेलीफोन लगेंगे, हमारे सरदार जी, कहेंगे कि हमारे गांव में तो लग गया। इन्होंने जो ग्रामीण टेलीफोन गांव के प्रधानों के घरों पर लगाने के लिए दिये हैं, वहां पोल खड़ा कर दिया, एण्टीना लग गया है मगर बैटरी नहीं है, मशीन नहीं आई है और वह हजारों रुपये बर्बाद हो गये। वहां कुछ नहीं लगा और यहां पर यह शोर मचाया जा रहा है, संचार मंत्री कहते हैं कि सारे हिन्दुस्तान के गांवों को टेलीफोन से जोड़ देंगे, लेकिन अभी तक कुछ नहीं हुआ।

इसमें शिक्षा के मामले में बोला गया है मगर इस भाषण से बड़ी निराशा हुई, क्योंकि इसमें यह कहीं नहीं लिखा है कि हर गांव में प्राइमरी पाठशाला का निर्माण किया जायेगा। बड़े दुख की बात है कि देश में 45 साल की आजादी के बाद भी आज गांव के बच्चे अनपढ़ रहें, गांव के बच्चों के लिए शिक्षा का इन्तजाम न हो और हर गांव में स्कूल की भी व्यवस्था न हो, इस सरकार से और ज्यादा क्या उम्मीद करें। यह बहुत शर्मानाक बात है।

इसमें चीन का जिक्र आया है। मैं उसके बारे में ज्यादा नहीं बोलना चाहता, क्योंकि आजकल चीन से बड़ी दोस्ती चल रही है मगर मैं आज एक बात कहना चाहता हूं कि सन् 1962 में चीन ने हमला करके जिन स्थानों पर अधिकार कर लिया था, राष्ट्रपति के अभिभाषण में इसका कहीं जिक्र नहीं है कि हम इसको वापस लेंगे। अक्साई चिन के बारे में तो कहीं जिक्र नहीं है कि अक्साई चिन पर फिर हम कब्जा करेंगे या फिर से वापस लेंगे। मैं आपके माध्यम से सरकार को कहना चाहता हूं कि हमारे जो इलाके हैं, दूसरे देशों ने जिन पर कब्जा कर रखा है, उन इलाकों को वापस लिया जाये।

अन्त में मैं एक और खतरे के बारे में आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। इस देश में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से यहां पर सांस्कृतिक आक्रमण हो रहा है। अभी मि. मर्डोक यहां आये थे, उन्होंने एक वार्ता में यहां कहा कि टेलीविजन के लिए हम जो कार्यक्रम बनाते हैं, मैं अपने लड़कों को, बच्चों को भी उनको नहीं देखने देता हूं। यह उन्होंने कहा है। वह कार्यक्रम मर्डोक अपने बच्चों को नहीं देखने देता और वह मर्डोक हमारे बच्चों को नंगे सीन दिखा रहा है। जी.टी.वी. आप देख नहीं सकते, स्टार टी.वी. आप बच्चों के साथ बैठकर नहीं देख सकते। मुझे

तो दुख इस बात का है कि विदेशी टी.वी. के बारे में हम जो कुछ कहें, कहें मगर दुर्भाग्य यह है कि हमारा हिन्दुस्तान का टी.वी., मैट्रो को नहीं देख सकते, वह जिस तरह से अंग्रेजी फिल्मों को और कार्यक्रमों को दिखा रहा है। यह सांस्कृतिक आक्रमण है। इस देश में राजनैतिक आक्रमण हो रहा है, सांस्कृतिक आक्रमण हो रहा है और आर्थिक आक्रमण हो रहा है और हमारी यह नाकारा सरकार आक्रमण रोकने में अक्षम है, यह आक्रमण नहीं रोक सकती।

उपाध्यक्ष जी, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप इनको सद्बुद्धि दें कि या तो यह स्थिति ठीक करें, नहीं तो इस्तीफा देकर चले जायें और इस देश को मुक्त करें इनकी स्थिति अजीब सी हो गई है। इनकी स्थिति यह है :

"यसवज्जीवेत् सुखम् जीवेत्, ऋणम् कृत्वा घृतम् पीवेत्,
भस्मी भूतस्य देहस्य पुनरागमनों कुतः।"

यह तो जब तक जियेंगे, सुख से जियेंगे, उधार लेकर घी पीयेंगे। इनका तो कहना यह है:

"करना है तो कुछ कर जा और कर्जा लेकर मर जा।"
आप तो मर जायेंगे, अदा हमको करना पड़ेगा।

इन्ही शब्दों के साथ, उपाध्यक्ष जी, आपने समय दिया, इसके लिए आपको बहुत–बहुत धन्यवाद।

[अनुवाद]

श्री पवन कुमार बंसल (चंडीगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, राष्ट्रपति के अभिभाषण में विभिन्न क्षेत्रों में सरकार की उपलब्धियों का लेखा-जोखा देने के अलावा उन कठोर उपायों के बारे में सरकार की वचनबद्धता का भी वर्णन किया गया है जो कि औसत भारतीय नागरिक के जीवन स्तर को सुधारने के लिए किये गये हैं। महोदय, जिस समय वर्तमान सरकार ने कार्यभार संभाला था, उस समय व्यापक अंधकार और आत्म विश्वास के अभाव का परिवेश बना हुआ था और हमारी राष्ट्रीय विचारचार में परीव्यात हो गया था। बिखरी हुई संस्थाओं का ईंट-ईंट जोड़कर पुनर्निर्माण करना, अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ बनाना, जोकि चरमरा चुकी थी तथा अन्तर्राष्ट्रीय सौजन्य से देश की मर्यादा को पुन : स्थापित करना जोकि उस समय निम्नतम स्तर पर पहुंच चुकी थी, खासकर अल्पमत सरकार के नाते एक बहुत ही कठिन कार्य था।

यह हमारे प्रधान मंत्री महोदय श्री पी.वी. नरसिंह राव जी के दृढ़ संकल्प और मजबूत इच्छा शक्ति थी कि यह असंख्य प्राकृतिक और लोगों द्वारा पैदा की गई बाधाओं तथा सरकार को हतोत्साहित करने के इरादे से संसद में रखे गये अविश्वास अथवा स्थगन प्रस्तावों की स्थिति से विचलित न होकर अपने भाग्य का सामना करने पर अडिग रहे।

जून, 1991 में भारत के भविष्य के बारे में एक भयभीत कर देने वाल प्रश्न चिन्ह हमारी खिल्ली उड़ा रहा था। सरकार द्वारा सुनियोजित ढंग से किये गये प्रयासों से ऐसी स्थिति में धीरे धीरे आशा की किरण दिखाई देने लगी थी, लेकिन तब अचानक ही 6 दिसम्बर 1992 को एक प्रलयंकारी

[श्री पवन कुमार बंसल]

घटना घटित हुई, जिसने समूचे राष्ट्र को साम्प्रदायिक उन्माद और उथल-पुथल के माहौल में धकेल दिया; वह एक ऐसा समय था, जबकि आंदोलनकारी समाज विरोधी लोगों की भीड़ ने धार्मिक कार-सेवकों का स्वांग करते हुए अयोध्या में सदियों पुरानी मस्जिद को गिरा डाला। मस्जिद गिराये जाने से प्रजातन्त्र को ऐसे वर्गों की, जोकि धार्मिक बहुसंख्यक लोगों की ओर से यह सब कर थे, तानाशाही मानने का संकट वास्तविकता में बदल गया। धर्म के नाम पर अभिद्रोह फैला कर हमारे राष्ट्र के स्वार्थी लोगों ने हिन्दू धर्म के साथ अभिद्रोह किया, जिसकी वे सौगन्ध उठाते हैं।

इस घटना ने केवल भारत के आत्मसम्मान को ही नहीं, बल्कि भारत की अर्थव्यवस्था को भी बुरी तरह से प्रभावित किया। हमारी वर्तमान सरकार ने बड़ी मेहनत के साथ जिन आर्थिक सुधारों की शुरुआत की थी, उन पर अचानक अनिश्चितता के बादल मंडराने लगे। विदेशी निवेशकों को ऐसे देश में निवेश करने के बारे में संदेह होने लगा, जहां पर कि साम्प्रदायिक अशान्ति व्याप्त थी।

ऐसी अनिश्चित परिस्थितियों में हमें समीक्षाधीन वर्ष में प्रवेश किया। लेकिन आज यदि हम बीते एक वर्ष पर दृष्टि डालें, यदि हम सरकार की उपलब्धियों पर दृष्टि डालें, तो हमें काफी सन्तुष्टि मिलेगी।

देश को अस्थिर करने के लिए सीमा पार तथा देश के अंदर की ताकतों द्वारा जान बूझ कर दी गई कार्यवाही से प्रधान मंत्री महोदय का इरादा और अधिक मजबूत हुआ है कि और अधिक ताकत के साथ इन सबके विरुद्ध लड़ना है। देश के लोगों ने भी काफी सहायता जुटाई है। मध्य प्रदेश तथा हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पुनः सत्ता में आई है और राजस्थान में भी हमारी स्थिति में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। इन चुनावों में जनता ने जो न्याय किया है, उसने भारतीय जनता पार्टी की सरकारों की बर्खास्तगी का समर्थन किया है, जिसने अयोध्या में साम्प्रदायिक रहस्यानुष्ठान का समर्थन किया था।

जिस समय लोक सभा में सरकार को गिराने के असैद्धांतिक और निराशाजनक प्रयास किया गया था और इसके घातक परिणामो को ध्यान में नहीं रखा गया था और यह नहीं सोचा गया था कि इस तरह का आन्दोलन राष्ट्र को तबाह करके रख देगा, दूसरी ओर बैठे हमारे बहुत से साथियों ने सरकार को चलाने का उत्तरदायित्व कांग्रेस को सौंपने में ही देश का भविष्य दिखाई दिया उन्होंने साम्प्रदायिक ताकतों के विरुद्ध लड़ाई करने और अर्थव्यवस्था का सुदृढ़ करने के अपने संकल्प के साथ सरकार का साथ देने का निर्णय लिया।

जिस समय मैंने श्री जसवन्त सिंह तथा इस सभा के विभिन्न अन्य सदस्यों को इस घटना पर खिल्ली उड़ाते देखा तो मुझे हैरानी नहीं हुई, क्योंकि मैं यह मानता हूं और इस देश के लोग की आम धारणा यह है कि इसमें उनकी सत्ता हथियाने की उभरती हुई महत्वाकांक्षा दब कर रह गई है, जिसकी मृग तृष्णा के कारण भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि अपने लोक-आचरण में उदण्ड हो रहे है।

महोदय, बड़ी आसानी से लोगों को अपने पक्ष में समझ कर नारे घड़े जा रहे हैं। उद्घोषणाएं की जा रही हैं और दिल्ली के लिए विजय यात्रायें निकाली जा रही हैं, लेकिन विजय-यात्रा इनके

लिए भ्रान्ति सिद्ध हुई है। लेकिन इस प्रक्रिया में हम सभी ने देखा है कि उन्होंने भगवान राम के प्रकोप को ही झेला है क्योंकि उन्होंने भगवान राम को पवित्र मन्दिरों से खींचकर अपनी राजनैतिक रथ-यात्राओं पर बिठा दिया।

जिस समय इस सभा के अनेक सदस्यों ने भारतीय जनता पार्टी द्वारा खेले जा रहे खेल में अशुभ अपशुकनों तथा क्षीणता की उस चरम स्थिति को देखते हुए, जिसके शिकंजे में गैर-बी. पी. विपक्ष आ गया था तो उस स्थिति से ऊपर उठकर वे कांग्रेस में मिल गये और साम्प्रदायिकता तथा धर्मान्धता के विरुद्ध लड़ाई लड़ने की शपथ ली। उन्हें कांग्रेस के मैदान से उस संघर्ष को शुरू करने में केवल मात्र आशा की झलक दिखाई दी।

इस साहसपूर्ण निर्णय ने दूसरी ओर बैठे हमारे साथियों को अतीव निराश कर डाला।

मैं सभा से आग्रह करुंगा कि इस बात को स्मरण करें कि दलबदल के संबंध में इस सभा में कानून पारित किया गया था, जोकि सभी वर्गों के सदस्यों की सर्वसम्मति से और बाहर जनता की राय को ध्यान में रख कर पारित किया गया था और संविधान में उसको सम्मिलित किया गया था। उस कानून के ब्यौरे के संबंध में भी सर्वसम्मति दर्शायी गयी थी और विपक्ष के विभिन्न नेताओं ने इस कानून के जिन प्रावधानों पर आपत्ति दर्शायी थी, हमारे स्वर्गीय नेता श्री राजीव गांधी ने उन्हें निकाल दिया था। प्रजातन्त्र के सार के रूप में मतभेद को स्वीकार करने के लिए संसद में अथवा किसी राज्य विधान सभा में किसी विशेष राजनैतिक दल के कुल सदस्यों के एक तिहाई सदस्यों द्वारा दल की सदस्यता को छोड़ देने की बात पार्टी में विभाजन के रूप में स्वीकार की गई थी और उसे दल बदल की परिभाषा से बाहर रखा गया था।

आज यह बहुत ही रोचक बात सिद्ध हो रही है कि जिन लोगों ने विभाजन की प्रवृत्ति को किसी दल के नेतृत्व के संभावित अत्याचारी शासन के विरुद्ध अनिवार्य सुरक्षात्मक कवच बताया था, वही लोग आज एक संविधान-सम्मत और सही राजनैतिक गतिविधि के महत्व को कम करने के लिए मनमर्जी की बातें कह रहे हैं। मुझे यह बात कहने की आवश्यकता नहीं है कि जहां भारतीय जनता पार्टी की महत्वाकांक्षा टूटी है, क्षीण जनता दल जोकि राजनैतिक रूप से बनावटी संबंध बनाकर अपना वर्तमान अस्तित्व बनाये हुए है, पूर्णतया विलुप्त हो रहा है और वामपंथी मोर्चा भी अपना अस्तित्व खो रहा है, क्योंकि इसके कायम रहने के स्रोत पूरी तरह से मिटने जा रहे हैं।

आज इस सभा में कांग्रेस को बहुमत प्राप्त हो जाने से ऐसे अपरिणामदर्शी आन्दोलनों को जोकि हमने विगत ढाई वर्षों देखे हैं और जिन्होंने दूसरी ओर बैठे हमारे साथियों को झूठी आशाएं बंधायी, सही ढंग से दबा दिया गया है और उसके बाद की घटनाओं के परिणम सामने आने लगे हैं।

प्रधान मंत्री की हाल की जर्मनी तथा स्विट्जरलैंड में देवास की यात्रा के अत्यन्त सफल रही हैं। हमारे देश में निवेश के अच्छे आसार होने के कारण, आर्थिक क्षेत्र में समझौतों के लिए हमें इतनी अधिक पेशकशें मिल रही हैं। जितनी पहले कभी नहीं मिली। सरकार ने अपनी ओर से यह बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि देश में जो परिवर्तन हो रहे हैं, मिश्रित अर्थव्यवस्था के मूलभूत सिद्धान्तों को विरूपित नहीं क़रने तथा नहीं करेंगे और इस देश में किसी भी व्यक्ति पर इनके द्वारा विपरीत प्रभाव नहीं पड़ेगा।

उपाध्यक्ष महोदय : आप कितना समय और लेंगे।

श्री पवन कुमार बंसल : मैं दस मिनट और लूंगा।

श्री सैयद मसूदल हुसैन (मुर्शीदाबाद) : इन्हें अपना भाषण पूरा करने दें।

उपाध्यक्ष महोदय : ठीक है। आप अपना भाषण पूरा कर सकते हैं।

6.00 म.प.

श्री पवन कुमार बंसल : कुछ नेताओं द्वारा मजदूरों की ओर से जो भय व्यक्त किया गया है, वह केवल राजनैतिक प्रयोजनों के लिये किया गया स्वांग दिखाई देता है। सरकार द्वारा किये गये सभी उपाय लोगों के लिए उनके जीवन स्तर को ऊंचा उठाने के लिए और अधिक अवसर पैदा करने की दृष्टि से किये जा रहे हैं।

कल संसद में प्रस्तुत किया गया वर्ष 1994-95 का बजट अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के संकल्प का एक अन्य उदाहरण है। इसने प्रलय के देवताओं की बात को गलत सिद्ध कर दिया है और लोगों में भविष्य के प्रति विश्वास की नई शक्ति का संचार किया है। श्री राजबीर सिंह किन्हीं आंकड़ों की बात कर रहे थे, जिनसे हाल ही में आरम्भ की गई विभिन्न योजनाओं के बारे में बता रह थे, बल्कि उनका मजाक उड़ा रहे थे, जो कि लोगों का जीवन स्तर सुधारने स्वतंत्रता का लाभ देश के अति निर्धन व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए आरंभ की गई हैं और कुछेक आंकड़ों के बारे में यह खेद व्यक्त किया जा रहा था कि पर्याप्त प्रगति नहीं हुई है। मैं उनसे केवल आग्रह करूंगा कि एक बार पुन आर्थिक सर्वेक्षण को देखें, बजट संबंधी प्रस्तावों को देखें उन योजनाओं के लिए किये गये बजट आबंटन को देखें और अपनी संतुष्टि के लिए यह देखें कि किस प्रकार प्रगति हो रही है।

[अनुवाद]

मुझे विश्वास है कि उससे उन्हें यह महसूस होगा कि सरकार का कोई दोष ढूंढ़ने के प्रयास में उन्होंने यहां जो आरोप लगाये हैं उसका कोई आधार नहीं है उसमें कोई सार नहीं है।

देश को श्री पी.वी. नरसिंह राव के सौम्य और परिपक्व नेतृत्व का स्वाभाविक परिणाम यह हुआ है कि अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय में हमारी स्थिति अच्छी हो गई है। हमारी इस बात को कि भारत का एक अभिन्न अंग है, अनेक देशों ने एक बार फिर सराहा है और हर अंतर्राष्ट्रीय बैठक में पाकिस्तान के इस मामले को उठाने के प्रयासों को युक्तिपूर्ण ढंग से रोक गया है और इसमें उसे सफलता नहीं मिली है।

राष्ट्रपति महोदय ने इस विषय पर स्पष्ट रूप से हमारी भावनाओं और साथ ही राष्ट्र की अखंडता को सुरक्षित रखने के हमारे निश्चय और किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए हमारी तैयारी को अभिव्यक्त किया है। जब हम यह बात करते हैं तो उसी के साथ ही हम पाकिस्तान के लोगों के साथ जिनके साथ हम शताब्दियों से एक रहे हैं जिनमें बहुत सी बातें हमारी जैसी ही हैं, अत्यंत सौहार्दपूण संबंध रखने की इच्छा व्यक्त करते हैं और श्री राजबीर सिंह की इस बात से मेरा मतभेद है कि हमारी सरकार को श्रीमती बेनजीर भुट्टो को बता देना चाहिए कि भारत लाहौर

के बगैर अधूरा है। हमने इस देश के अधिकांश लोगों ने विभाजन को सच्चाई के रूप में स्वीकार कर लिया है और वहीं से हमने मित्रता शुरू करना चाहते है और अगर हम उसी तरह से मुद्दे ढूंढ़ते रहे जिस प्रकार से श्री राजबीर सिंह ने आज एक मुद्दा उठाया, तो मुझे डर है कि राष्ट्रों के साथ आज जो हमारे सौहार्दपूर्ण संबंध है नहीं रहेंगे और पाकिस्तान के साथ हमारी लड़ाई जारी रहेगी तो इस देश के लोगों की भलाई के लिए उनके जीवन स्तर को उठाने तथा उन्हें अशिक्षा, बीमारी और भूख से छुटकारा दिलाने के लिए तथा उन्हें मूलभूत जरूरतें प्रदान करने के लिए न तो इस देश के लोग और न ही हम समर्थ होंगे। ये हमारी राष्ट्रीय प्राथमिकतायें हैं और हमारी प्राथमिकता पाकिस्तान के साथ युद्ध करना नहीं है।

मुझे उम्मीद है कि हमारे भारतीय जनता पार्टी के सदस्य मित्र यह जानते होंगे कि हमारी प्राथमिकतायें क्या हैं। श्री राजबीर सिंह चीन का उल्लेख कर रहे थे। शायद वह इस बात को बिल्कुल भूलकर कि जब भारत के विदेश मंत्री के रूप में श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने चीन की यात्रा की थी, तो उनके साथ किस प्रकार का व्यवहार किया गया था, चीन के साथ हमारे संबंध स्थापित करने के प्रयासों का उपहास कर रहे थे। मुझे विश्वास है कि उन्हें यह याद होगा। मैं नहीं जानता कि श्री राजबीर सिंह को इसकी जानकारी है या नहीं। लेकिन मुझे विश्वास है कि श्री वाजपेयी जी को यह घटना याद है।

महोदय, आज विश्व में अमरीका अंतर्राष्ट्रीय दरोगा बनकर कार्य कर रहा है। आज जब तीसरे विश्व के अनेक देश इसके दबाव के आगे झुक गये हैं। हमने इस देश के धमकी भरे इरादों को सफलतापूर्वक नाकाम कर दिया है। हम अपने मुद्दों पर जैसे कश्मीर, परमाणु अप्रसार संधि तथा सुरक्षा परिषद के विस्तार करने पर दृढ़ रहे।

अमरीका का पतन नशीली दवाओं के व्यापार से ही साफ झलकता है, जिससे सभी जगह लोगों के जीवन से खिलवाड़ किया जाता है। अन्तर्राष्ट्रीय व्यवहार में उनका नैतिकता के प्रति सम्मान का अनुमान इसी तथ्य से लगाया जा सकता है कि एक दिन पाकिस्तान को एक आतंकवादी राष्ट घोषित करने की धमकी दी जाती है, तो दूसरे ही दिन संयुक्त राज्य अमरीका द्वारा पाकिस्तान को हमारे देश में मानवाधिकारों के समर्थक के रूप में समर्थन दिया जा रहा है।

महोदय, भारतीय लोकायौर और मान-मूल्यों के उत्तराधिकारी के रूप में हमारी सरकार मानव-अधिकारों को अत्यधिक महत्व देती है। मैं नहीं जानता कि श्री राजबीर सिंह को मानवाधिकार आयोग, जिसके सदस्य सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश होंगे, की स्थापना की आवश्यकता क्यों लगती है। **(व्यवधान)**

प्रो. प्रेम धूमल (हमीरपुर) : उन्होंने उसके बारे में नहीं कहा है। **(व्यवधान)**

श्री पवन कुमार बंसल : आपको याद नहीं है कि उन्होंने क्या कहा है।

[हिन्दी]

अगर आपको याद हो तो उन्होंने कहा था कि बाहर से लोग आकर हमें मानवाधिकार की बात सिखाना चाहेंगे। उन्होंने कहा था कि कश्मीर में देखें क्या हो रहा है। उन्हें मालूम नहीं कि सरकार कश्मीर के बारे में क्या चाहती है, उसकी क्या नीति है। शायद वे खिलाफत करने के लिए ही विरोध कर रहे थे। **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

प्रो. प्रेम धूमल : वह वही बात कर रहे थे जो आप कर रहे हैं कि अमरीका आजकल दरोगा बनकर कार्य कर रहा है। उन्हें इसी बात पर आपत्ति हो रही थी **(व्यवधान)**

श्री पवन कुमार बंसल : स्थिति से निपटने के लिए सरकार ने जो कदम उठाये हैं, उन्हें उनकी जानकारी नहीं दी। **(व्यवधान)**

प्रो. प्रेम धूमल : उन्हें उनकी जानकारी नहीं थी। आपको उनके विचारों की पहले से ही जानकारी है। **(व्यवधान)**

श्री पवन कुमार बंसल : कृपया इस पर पुनः विचार करें।

अत्यंत नम्रतापूर्वक मैं कहना चाहता हूं कि उनके इस भारी छिद्रान्वेषण के खेल में बाध्यकारी और कठोर आलोचना हुई है और इस प्रकार का उग्र भाषण होता रहता है।

महोदय, ऐसा लगता है कि हम तेजी से द्वैधता के शिकार हो रहे हैं। और, दुर्भाग्य से भाजपा का भी यही लक्ष्य है। धर्म के नाम पर भारतीय जनता पार्टी ने तथा उसके संबंधित संगठनों ने इस देश की सांस्कृतिक विरासत तथा असीमित बहुवादी परंपराओं पर सख्त प्रहार दिया है। उसके बावजूद भी अपने आपको ऐसे मूल्यों वे समर्थक घोषित करना जारी रखे हुए हैं। महोदय, यही इस लोकतंत्र की विडम्बना है। लेकिन लोग इसे अब समझने लगे हैं।

पंजाब में उग्रवाद और अलगाववादी चुनौती पर अच्छी प्रकार काबू कर लिया गया है और देश के किसी भी भाग में इससे निपटने के लिए सरकार कृत संकल्प है। राष्ट्रपति महोदय ने मणिपुर की स्थिति सही दर्शाई है। श्री जसवन्त सिह ने वहां सुघर रही स्थिति के बारे में शंका उत्पन्न करने के लिए राष्ट्रपति के अभिभाषण से एक बात उठाई। महोदय, आज की चर्चा में हस्तक्षेप करते हुए उन्होंने पूर्वोत्तर तथा देश के शेश भागों के लोगों के बीच भावनात्मक खाई का उल्लेख किया। लेकिन साथ ही वे यह भूल गये ओर शायद चाहने हैं कि हम भी यह भूल जाये कि यह भाजपा के निरंतर सांप्रदायिक विचारधारा पर जोत देने के कारण ही पूर्वोतर क्षेत्र के लोगों के मस्तिष्क में डर और आशंका की भावना घर कर गई है। अगर इसके ईमानदारीपूर्वक आत्मविश्लेषण करने तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र के लोगों को यह विश्वास दिलाने कि उनकी तथा शेष देश की भावनाओं में सदैव ही एकता रही है, तो हमें ऐसी भावनाओं को रोकेगी विचारधारा को नकारना पड़ेगा। अत्यंत सम्मानपूर्वक मैं वह कहना चाहता हूं।

महोदय, श्री जसवंत सिंह तथा श्री राजबीर सिंह अक्सर कश्मीर की स्थिति और हजरत बल घटना का उल्लेख करते हैं। एक अभियोजक की भांति श्री जसवन्त सिंह ने आरोप शब्द पर बार-बार जोर डालते हुए सरकार पर हजरतबल दरगाह पर छापा न मारने का आरोप लगाया।

जिस कौशल और धैर्य से सरकार ने इस मामले को सुलझाया उसकी सारे विश्व में सराहना की गई और इससे कौन इन्कार कर सकता है कि उसके पश्चात वहां स्थिति में काफी सुधार हुआ है, लेकिन इससे भारतीय जनता पार्टी के हमारे मित्रों, जिनमें से अधिकांश आज सभा में मौजूद

नहीं हैं, को दुःख हुआ है, क्योंकि इसने उन्हें इस सांप्रदायिक उन्माद से अपनी राजनीतिक रोटियां सेंकने के अवसर से वंचित कर दिया। श्री जसवन्त सिंह का विचार है कि हजरत बल दरगाह घटना के कारण राजनीति को बहुत अधिक नुकसान पहुंचाया जा रहा है वह इस मुद्दे से संबंधित अनिवार्य मामलों के बारे में गोपनीयता बनाये रखने का सरकार पर आरोप लगाते हैं। मैं सरकार की कार्यशैली पर संसदीय नियंत्रण का समर्थक हूं। मैं सरकार की कार्यशैली में स्पष्टता का पक्षधर हूं। लेकिन यह एक सीमा से अधिक बिलकुल नहीं होनी चाहिए। इससे अंततः स्वयं राष्ट्र के हित को क्षति पंहुचेगी। मैं, श्रीनगर में राष्ट्रीय झंडा फहराने के बारे में श्री राजबीर सिंह ने जो कहा उसका पुनः उल्लेख करना चहता हूं लेकिन मैं उस पर चर्चा करवाना नहीं चाहता। लेकिन मैं उनको यह याद नहीं दिलाना चाहता कि उनके नेता श्री एम.एम. जोशी ने बड़ी धूमधाम से यह कहते हुए श्रीनगर में झंडा फहराने के लिए यात्रा की कि वहां सरकार असफल हो चुकी हैं और इस समारोह को, जो वास्तव में एक सरकारी समारोह होता है वह पूरा करेंगे। यहां जम्मू से उन्होंने अपनी यात्रा शुरू की। जम्मू में उन्हें मालूम था कि वे और आगे नहीं बढ़ सकेंगे। लेकिन यह श्री पी.वी. नरसिंह राव की सरकार थी, जिसने यह महसूस किया कि अगर विपक्षी दल का कोई नेता राष्ट्रीय झंडा फहराने के लिए देश के किसी भाग में जाना चाहता है तो सभी सुविधाएं और सभी सुरक्षा व्यवस्थायें उन्हें प्रदान की जानी चाहिए। वह अपने कुछ मित्रों के साथ श्रीनगर में गये। अगर आप श्रीगर में झंडा फहराते हुए उसके फोटो चित्र को देखें तो आपको पता चलेगा कि वह झंडे को नहीं देख रहे हैं। उनकी आखें चारों ओर यह देखने में लगी हुई हैं कि उनके ऊपर किसी ने बंदूक तो नहीं तान रखी है। भाजपा की यह बहादुरी है, जिसकी वे यहां शिक्षा देना चाहते हैं।

[हिन्दी]

श्री वीरेन्द्र सिंह (मीरजापुर) : उपाध्क्ष महोदय, यह तो हिम्मत का सवाल है कि वे गये। सरकार किसी नेता या नागरिक को सुरक्षा दे पाती है या नहीं, यह सवाल नहीं उठता है कि जोशी जी बंदूक को देख रहे थे। यदि आपने एकता और अखंडता की बात की होती और जम्मू जाते तो एक अच्छा संदेश जाता। आप बहादुरी के साथ कह रहे हैं कि जोशी जी बन्दूक की तरफ देख रहे थे। यह तो आपकी कमजोरी है कि एक नागरिक बंदूक की ओर देखे। आप यह सवाल नहीं उठाते यदि आप इस बात का जानते होते।

[अनुवाद]

श्री पवन कुमार बंसल : महोदय, भारत के संविधान के अनुच्छेद 370 का उल्लेख और उसे निरस्त करने की मांग अक्सर उठाई जाती है। महोदय हमें उन सभी परिस्थितियों की जानकारी है जो वहां थी, वह स्थिति जब कश्मीर पर कबालियों हमला किया और फिर भारत की ओर से मब्द आई और फिर अधिमिलन संधि पर हस्ताक्षर किये गये। मैं इसका दावा नहीं करता कि मुझे कानून की विशेष जानकारी है। लेकिन दूसरी ओर से अपने साथियों से मैं चाहता हूं कि वे वस्तुतः दस्तावेजों का अध्ययन करें। मुझे विश्वास है कि वे इसी उचित निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि वास्तव में यह अनुछेद 370 ही है जो कश्मीर को भारत के अंग के रूप में बनाये हुआ है।

महोदय, मेरा उद्देश्य किसी की निन्दा करने का नहीं है, लेकिन जब मैं अपने मित्रों को इस प्रश्न को बार-बार उठाते हुए सुनता हूं, तो मुझे इसमें शक होने लगता है कि क्या वे वाकई

[श्री पवन कुमार बंसल]

यह चाहते हैं कि कश्मीर भारत का अभिन्न अंग रहे या फिर वे सिर्फ इसे चर्चा करने का एक मुद्दा समझते हैं। जैसा कि मैंने पहले कहा, उनका उद्देश्य है शासन करना और निःसंदेह वह एक मृगमरीचिका है, क्योंकि वे हिन्दी प्रदेशों तक ही समित हैं वे सारे देश की उपेक्षा नहीं कर सकते। मैं भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों पर आज यह आरोप लगाता हूं। वे, वास्तव में, भारत को उस रूप में नहीं देखना चाहते जिस रूप में आज वह है और स्पष्ट रूप से इसीलिए वे ऐसी उत्तेजक बातें कह रहे हैं जो दूसरों को केवल हमारे विरुद्ध भड़काने में ही मददगार होंगी।

महोदय, अपनी बात समाप्त करते हुए मैं श्री राजबीर जी ने जो कहा उसका पुनः उल्लेख करना चाहता हूं। अगर मेरी बात गलत हो तो श्री धूमल इसे ठीक कर सकते हैं। उन्होंने सांस्कृतिक आक्रमण का उल्लेख किया। इस सीमा तक मैं उनसे सहमत हूं। वास्तव में, विज्ञान और प्रौद्योगिकी में अद्यतन विकास और संचार के क्षेत्र में नवीनतम परिवर्तनों के कारण विश्व के सभी देश एक दूसरे के नजदीक आ गए हैं। स्पष्ट रूप से इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना था कि हम संवेदनशील नवयुवकों को इस प्रकार के कार्यक्रम, जिनका उद्देश्य उन्हें अपने पुरातन अतीत से परिचित कराना है, दिखाना जारी रखें। इसी उद्देश्य के कारण देश में केबल नेटवर्क को विनियमित करने के लिए एक विधेयक लाया गया। इस विषय पर स्थायी समिति की प्रक्रियाओं का मैं विस्तार से उल्लेख नहीं करूंगा। इस विधेयक के विभिन्न उपबंधों पर सभी प्रकार की आपत्तियां उठाने वाले हमारे भाजपाई मित्र ही थे। क्या यह दोहरापन नहीं है, जिसका मैंने पहले उल्लेख किया था।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : महोदय, मेरा व्यवस्था संबंधी प्रश्न है। क्या स्थायी समिति में जो कुछ हुआ उसका इस प्रकार से उल्लेख करना क्या सही है ?

श्री पवन कुमार बंसल : महोदय, उससे पहले कि आप इसका जवाब दें मैं नम्रतापूर्वक वह बात दोहराता हूं, जो मैंने अपने विद्वान वरिष्ठ सहयेागी के बारे में कही हैं। उनकी बौद्धिक क्षमता महान है। मैं उससे परिचित हूं। लेकिन वे अपने आपको बहुत अच्छा समझते हैं और यह पहली बात के विपरीत लगती है मैंने प्रक्रियाओं से बिल्कुल उद्धृत नहीं किया है। मैंने कहा, "अगर आप प्रक्रियाओं का अध्ययन करें तो आपको पता चलेगा कि हमारे भारतीय जनता पार्टी की ओर के मित्र जिन्होंने विधेयक के विभिन्न उपबन्धों पर सभी प्रकार की आपत्तियां उठाई। अब वे प्रक्रियाएं जो रिपोर्ट के रूप में हैं और जिन्हें समुचित रूप से इस सभा के सम्मुख पेश किया गया था। इस सभा की संपत्ति है।

श्री निर्मल कान्ति चटर्जी : महोदय, उन्होंने मेरे लिए जो सम्मानजनक और असम्मानजनक बातें कहीं, उनके लिए मैं उनका अत्यंत आभारी हूं। वह स्थायी समितियों में दल अनुसार कार्य करने के प्रश्न का उल्लेख कर रहे हैं और वही प्रश्न वह सभा में ला रहे हैं। क्या उसकी अनुमति हैं ? और मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या कार्यवाही अथवा कार्यवाही सारांश उस रूप में है अथवा नहीं।

श्री पवन कुमार बंसल : महोदय, आपकी अनुमति से मैं उन्हें कार्यवाही दिखाऊंगा।

अध्यक्ष महोदय : कृपया उस बात को छोड़ दीजीए।

श्री पवन कुमार बंसल : महोदय, आज हमने जो रास्ता अपनाया है उसका उद्देश्य भारत के अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में सबसे आगे ले जाना है। ऐसा हमने 'निरंतरता के साथ बदलाव' में अपने आत्मविश्वास, विश्वास के कारण किया है। हमें अपने अतीत पर गर्व है और भविष्य में अटूट विश्वास है। हम मत भिन्नता का सम्मान करने में विश्वास रखते हैं हमारा विश्वास है कि राष्ट्रीय मुद्दों पर समझदारी तथा सहयोग की भावना से विचार किया जाना चाहिए।

महोदय, अगर इन संकीर्ण राजनीतिक बातों से हमारे विचार इसी प्रकार से प्रभावित होते रहे, तो मुझे डर है कि कुछ लक्ष्य जो हम प्राप्त करना चाहते हैं। उनमें बाधा तो नहीं आयेगी तथा उन लक्ष्यों को प्राप्त करना जरूर कुछ मुश्किल हो जायेगा। अगर इससे मुश्किलें भी आती हैं तो भी श्री नरसिंह राव जी के नेतृत्व वाली सरकार उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए अटल और दृढ़ प्रतिज्ञ बनी रहेगी। लेकिन माननीय मित्रों से मेरा यही अनुरोध है कि हमारे पास इस मत-भिन्नता को अभिव्यकत करने के लिए बहुत से अवसर हैं, लेकिन कश्मीर जैसे कुछ मुद्दे ऐसे हैं, जिन पर हम सभी को एकमत होना चाहिए। अगर हम देश की सुरक्षा से संबंधित इस मामले की जांच पड़ताल से संबंधित महत्वपूर्ण गुप्त सूचना को लीक न करने का आरोप सरकार पर लगाते हैं, तो उस कार्य का चाहे जो परिणाम हो, यह हमारी देश की सेवा नहीं होगी।

विपक्ष से इस अपील के साथ मैं भारत के राष्ट्रपति के उनके संसद के दोनों सदनों के समक्ष दिए गए भाषण के लिए श्री माथुर जी द्वारा पेश किए गए धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करना अपना विशेषाधिकार समझता हूं।

6.21 म.प.

कार्य-मंत्रणा समिति

अड़तीसवां प्रतिवेदन

मानव संसाधन विकास मंत्रालय (युवा कार्य एवं खेल विभाग) में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुकुल वासनिक) : मैं श्री विद्याचरण शुक्ल की ओर से कार्य-मंत्रणा समिति का अड़तीसवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

6.22 म.प.

तत्पश्चात लोक सभा बुधवार, 2 मार्च 1994/11 फाल्गुन, 1915 (शक) के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।